

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUe DATE	SIGNATURE

# मजदूरी नीति

प्रकाशन

## सामाजिक सुरक्षा

(Labour Policy & Social Security)



प्रो. सी. एम. जोधरी

दी. ए. बोनसे, एम. ए., एम. कॉम.,

दी. सी. एल-एल., आर. ई. एस.

वार्षिक प्रकाशन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग

राजकीय महाविद्यालय, टोक

भूतपूर्व शास्त्राणग, वालिय संकाय

जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर

संस्थापक

प्रकाश जैन



रिसर्च : दिल्ली

## TOPICS FOR STUDY

- 1 Characteristics of Labour Market Labour demand and supply Wage theories Marginal productivity, institutional and bargaining theories Exploitation of Labour, Causes of wage differentials
- 2 Wage and productivity Economy of high wages Labour's share in national Income distribution Methods of incentive wage payment Systems of wage payment in India State regulation of wages in UK, USA and India Wages of Industrial and agricultural workers in India Standard of living of workers in India Wage policy employment and economic development
- 3 Organisations, functions and achievements of Employment Service Organisation in the UK, U.S.A in general Methods of labour recruitment in India Employment Service Organisation in India Manpower planning, concept and techniques Manpower planning in India
- 4 Organisation and financing of social security, Social security in the UK, U.S.A and USSR in general, Position of Social security in India
- 5 Salient features of present factory legislation in India Housing of labour in India Labour welfare facilities provided by employers, trade unions and Government

## अनुक्रमणिका

1 अम बाजार की विशेषताएँ, अम की मांग एवं पूर्ति

(Characteristics of Labour Market, Labour Demand and Supply)

अम का ग्रंथ और महत्व (2), अम की विशेषताएँ (4),  
अम की मांग एवं पूर्ति (6), अम बाजार (8), अम बाजार  
की विशेषताएँ (9), भारतीय अम बाजार (9), अम बाजार  
का मजदूर पक्ष (10), प्रबन्ध और अम बाजार (11),  
भारत में असिक्को का विभाजन (11), भारत में अम की  
स्थिति (13)

2 मजदूरी के सिद्धान्त, सोमान्त उत्पादकता, सह्यात्मक और  
सोदिकारी मिदान्त, अम का शोषण, मजदूरी में अन्तर के कारण  
(Wage Theories, Marginal Productivity, Institutional and  
Bargaining Theories, Exploitation of Labour, Causes of Wage  
Differentials)

मजदूरी का ग्रंथ (15), सोदिक मजदूरी एवं वास्तविक  
मजदूरी (16), मजदूरी का महन्त (18), मजदूरी निर्धारण  
के मिदान्त (18), मजदूरी का जीवन-निर्वाह मिदान्त  
प्रथवा नौकरी मिदान्त (19), मजदूरी का जीवन-निर्वाह मिदान्त  
(20), मजदूरी कोर मिदान्त (21), मजदूरी का प्रवर्गों प्रविहारी मिदान्त (22), मजदूरी का सोमान्त उत्पादकता  
मिदान्त (23), मजदूरी का बहुतुक सोमान्त उत्पादकता  
का मिदान्त (25), मजदूरी का आवृत्तिक मिदान्त अथवा  
मजदूरों का पांग व पूर्ति का मिदान्त (26), मजदूरी का  
सोदिकारी मिदान्त (27), अमिक शोषण की विचारवारा  
(30), आवृत्तिक विचारवारा (32), मजदूरी में अन्तर के  
कारण (33), मजदूरी अन्तरों के प्रकार (35)

3 मजदूरी और उत्पादकता, जैसी मजदूरी की मितव्यपिता, राष्ट्रीय  
आप वितरण में अम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान  
की पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ  
(Wages and Productivity, Economy of High Wages, Labour  
Share in National Income Distribution, Methods of Incentive  
Wage Payment, Systems of "Wage Payment" in India);

मजदूरों और उत्पादकता (36), अम-उत्पादकता की  
आरोचना (40), उत्पादकता विचारों के प्रकार (40), भारत

1

15

36

मेरथम उत्पादवता एव उत्पादवता आन्दोलन (41), जैची मजदूरी की मितव्यविधि (43), ~~मजदूरी मुगलान की रीतियाँ~~ (44), प्रेरणात्मक मजदूरी मगतान की रीतियाँ (47), एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी पढ़ति की विशेषताएँ (51), प्रेरणात्मक मजदूरी योजना की बुराइयों के सम्बन्ध में साइधानियाँ (52), साम-ब्रश-भागिता (53), भारत में लाभांश (बोनस) योजना इतिहास और ढौंचा (55), मजदूरी और राष्ट्रीय आव (69), मजदूरी का प्रमाणीकरण (70)

4 जिटेन, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन, भारत में ब्रोडोगिक एवं कृपि मजदूरों की मजदूरी, भारत में अभिकों का जीवन-स्तर

(State Regulations of Wages in U.K., U.S.A. and India, Wages of Industrial and Agricultural Workers in India, Standard of Living of Workers in India)

मजदूरी का राजकीय नियमन (71), मजदूरी निर्धारण करने के सिद्धान्तों की आवश्यकता (72), राजकीय हस्तक्षेप की रीतियाँ (73), मजदूरी नियमन के सिद्धान्त (74), मजदूरी की विचारधारा (75), न्यूनतम मजदूरी (76), न्यूनतम मजदूरी के उद्देश्य (78), न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन में बठिनाइयाँ (79), पर्याप्त मजदूरी (82), उचित मजदूरी का निर्धारण (84), भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन (86), (क) न्यूनतम मजदूरी घटियनियम, सन् 1948 (88), (ख) घटियरण के अन्तर्गत मजदूरी नियमन (97), (ग) बेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन (98), मजदूरी मुगलान घटियनियम, 1936 (102), अन्य व्यवस्थाएँ (105), भारत में बाल-प्रम एक गम्भीर समस्या (108), इंग्लैण्ड में मजदूरी का नियमन (111), अमेरिका में मजदूरी का नियमन (113), भारत में ब्रोडोगिक अभिकों की मजदूरी (116), भारत में मजदूरी की समस्या का महत्व (117), भारतीय कारखानों में ब्रोडोगिक अभिकों की मजदूरी (120), भारत में कृपि अभिकों की मजदूरी (122), मजदूरी की नवीनतम स्थिति (1976-77) पर सामूहिक दृष्टि (124), जीवन-स्तर की अवधारणा (136), भारतीय अभिकों का जीवन स्तर (141), भारतीय अभिकों के निम्न जीवन-स्तर के बारण (142), जीवन स्तर ढौंचा करने के उपाय (144), भारतीय अम व्यूरी द्वारा प्रकाशित अकिडे (1977) (145)

(Wage Policy, Employment and Economic Development)

मजदूरी नीति (147), मजदूरी नीति के निर्माण में समस्याएँ (148), मजदूरी और आर्थिक विकास (150), विकास-शील अर्थव्यवस्था में मजदूरी नीति (150), पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी नीति (152), मजदूरी नीति और राष्ट्रीय शम आयोग की रिपोर्ट (1969) (158), शम और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलन तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले (1976-77) (159), रोजगार (167), भारत में रोजगार की स्थिति का एक चित्र (170)

6 ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ, भारत में श्रमिक भर्ती की पद्धतियाँ, भारत में रोजगार सेवा-संगठन .... 176

(Organisations, Functions & Achievements of Employment-Service Organisation in the U.K., U.S.A. in General; Methods of Labour Recruitment in India; Employment Service Organisation in India)

रोजगार का नियोजन सेवा संगठन (176), इंग्लैण्ड में रोजगार सेवा संगठन (180), अमेरिका में रोजगार सेवा संगठन (181), भारत में शम भर्ती के तरीके (182), विभिन्न कारखानों में भर्ती (187), भारत में रोजगार सेवा संगठन (189), रोजगार कार्यालयों की शिवाय राव समिति का प्रतिवेदन (190), भारत में रोजगार कार्यालयों की कार्य प्रगति (191), शम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1976-77) के अनुसार राष्ट्रीय रोजगार सेवा के बारे में कुछ प्रमुख विवरण (194), रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की ग्रन्तिकार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 (201), रोजगार कार्यालयों का ग्राहकोचनात्मक मूल्यांकन (201)

मानव-शक्ति नियोजन : अवधारणा और संक्षीक; भारत में मानव-शक्ति नियोजन .... 204

(Man-Power Planning : Concepts and Techniques; Man-Power Planning in India)

मानव शक्ति नियोजन (204), भारत में मानव-शक्ति नियोजन (208), भारत में युवाओं के लिए प्रजिक्षण कार्यक्रम (216), श्रमिकों को सजग और उत्तरदायी बनाने की प्रमुख योजनाएँ (218), राष्ट्रीय शम संस्थान (222)

8 सामाजिक सुरक्षा का संगठन और वित्तीयन, फ्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में सामाजिक सुरक्षा का सामाजिक विवरण, भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति  
(Organisation and Financing of Social Security, Social Security in U.K., USA and USSR, General Position of Social Security in India)

... 226

सामाजिक सुरक्षा का इर्थ (226), सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (228), सामाजिक सुरक्षा का धोथ (228), सामाजिक सुरक्षा का उद्गम और विकास (229), इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा (230), अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा (238), हम में सामाजिक सुरक्षा (242), रूस में सामाजिक बीमे की विवेदनाएँ (242), भारत में सामाजिक सुरक्षा (245), भारत में वर्तमान स्थिरस्था (246), अमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 (246), मानव लाभ अधिनियम 1961 (248) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और उम्मे अधीन बनाई गई योजना (249), कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार वेतन निधि अधिनियम 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ (254), कोषला लाभ भविष्य निधि योजना (259), उपदान भुगतान अधिनियम 1972 (265), सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना (266), कुछ नये अम-विधान, अम-कानूनों/विनियमों में मशाद्दन और नये विधान सम्बन्धी प्रस्ताव (267)

9 भारत में वर्तमान कारखाना अधिनियम  
(Salient Features of Present Factory Legislation in India)

... 272

कारखाना अधिनियम, 1881 (273), कारखाना अधिनियम 1891 (273), कारखाना अधिनियम, 1911 (274), कारखाना अधिनियम, 1922 (274), कारखाना अधिनियम 1934 (275), सशोधित कारखाना अधिनियम, 1946 (275), कारखाना अधिनियम, 1948 (276)

भारत में अधिकों का आवास नियोजक च अम-सघों तथा सरकार द्वारा दी गई अम-कल्याण सुविधाएँ

.... 280

(Housing of Labour in India; Labour Welfare Facilities Provided by Employers, Trade Unions and Government)

भारत में अधिकों का आवास समस्या का स्वरूप (280), आवास किसका उत्तरदायित्व? (282), गन्दी बस्तियों की समस्या (283), आवास समस्या का प्राकार, विनियोजन

और दूसरे विधियाँ (285), आवाम सनस्ता के हन के निर्माण (286), सुरक्षारी दोजनाएँ (287), औदोगिक आवाम ने सुन्दरीय विधान (290), आवाम दोजनाओं की बीनों 'इन्हें' के चारों (291), कहाना प्राप्त औदोगिक आवाम की सहजता है तु उपर्य (291), आवाम मन्त्रियों के मन्त्रनाली द्वारा आवाम नीति की समीक्षा (292), अन बन्दारु की परिभाषा और क्षेत्र (294) अन बन्दारु कार्य का कर्तृता (295), अन बन्दारु कार्य के उद्देश्य (296), भारत में बन्दारु कार्य की आवश्यकता (297) भारत में बन्दारु कार्य (297), अन बन्दारु कार्य के पहलू (304)

## APPENDIX

1 शनिवार के बन्दारु और रहन-नहन की दग्धा	....	307
2 सुरक्षा और चाल-चाल की दग्धा	....	311
3 आवाम की घट्टरी विवरण लिखन द्वारा बन काला के घट्टरों का निर्माण	....	315
<b>A नई आवाम नीति</b>	....	316
5 महाराष्ट्र की रोजगार यार्टी योजना	....	320
6 मृमु राहन कोप से आयिक सहायता की राजि बढ़ाई गई	....	321
7 अन मन्त्रालय की सरकना और कार्य	....	322
8 राजस्थान में शनिव निक्षा कार्यक्रम की प्रगति	....	325
9 बन्दचारी राज्य कीमा दोजना और अधिक बढ़ाए	....	327
10 राजस्थान में अन स्थिति एव रोजगार नियोजन (1977-78)	....	328
11 अन्तर्राष्ट्रीय सबूर	....	331
12 भारत मरकार अम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट	....	334
<b>प्रगत-कोग</b>	....	349

# श्रम-बाजार की विशेषताएँ, श्रम की माँग एवं पूर्ति

(CHARACTERISTICS OF LABOUR MARKET,  
LABOUR DEMAND AND SUPPLY)

'श्रम' उत्पादन का एक सक्रिय (Active) और महत्वपूर्ण साधन है। एक देश में विभिन्न प्रकार के प्रचुर प्राकृतिक साधन बेकार होने यदि श्रम द्वारा उनका समुचित प्रयोग न किया जाए। कैरनकास के शब्दों में, "यदि भूमि अचाहा पूँजी का उचित प्रयोग नहीं होता तो केवल इन साधनों के स्वामियों को घोड़ी आय की हानि होगी। किन्तु यदि श्रम का उचित प्रयोग नहीं होता (प्रथात् वह बेरोजगार रहता है अथवा उससे ग्रात्यधिक कार्यों सेकर उसका शोरण किया जाता है) तो इससे न केवल पुरुषों और स्त्रियों में हीनता तथा निर्यनता का प्रसार होता है बरूँ सामाजिक जीवन के स्वरूप में ही गिरावट घाटी है।" श्रम के बड़ते हुए महत्व ने ही 'श्रम अर्थशास्त्र' (Labour Economics) का विकास किया है और आज अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। श्रम अर्थशास्त्र के अन्तर्गत श्रम सम्बन्धी समस्याएँ, सिद्धान्त और नीतियाँ सञ्चिहित हैं। आर्थिक और भागाजिक प्रक्रिया में श्रम के योगदान में बृद्धि करना किसी भी सरकार का मुख्य दायित्व है। उपर्युक्त मात्रा में निपुण श्रम-जक्ति देश को विभिन्न क्षेत्रों में उच्चति के लिखर पर पहुँचाने की कुंजी है। एक देश की सम्पन्नता बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर है कि वहाँ के श्रम का किस तरह सृजनात्मक कार्यों में अधिकतम उपयोग किया जाता है।

प्राचीन समय में श्रम के सम्बन्ध में दो हॉप्टिकोलो की प्रधानता थी। प्रथम, वस्तु हॉप्टिकोल (Commodity Approach)—जिसके अन्तर्गत श्रम को वस्तु की भौति खरीदा और बेचा जा सकता है। अमिक को कम पारिश्रमिक देकर उसकी सहायता से अधिकतम साभ अर्जित करना पूँजीपतियों का उद्देश्य रहा। द्वितीय, उदारतावादी हॉप्टिकोल (Philanthropic Welfare Approach)—जिसके अन्तर्गत अमिकों को एक निम्न वर्ग और आर्थिक हॉप्टि से दुर्बल माना जाता है और

इसीलिए उनकी मदद करना धनिक तथा धनना कर्त्तव्य समझता है। आज के युग में मानवीय सम्बन्ध हृष्टिकोण (Human Relation Approach) प्रधानता पाता जा रहा है, परम्परागत विचारधारा (Traditional Approach) का महत्व समाप्त हो रहा है। भारत में एकर्पणीय योजनाओं में जो धर्म-नीति अपनाई गई है वह मानवीय सम्बन्ध हृष्टिकोण पर आधारित है। देश की पौच्छी योजना में व्यूह-रचना इस प्रकार की गई है कि मम्पुर्ण धर्म-व्यवस्था में धर्मनित उत्पादकता बढ़ाने के लिखित प्रयासों को निरन्तर बल मिले। “इस सम्बन्ध में योजना में अच्छे भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, मनुष्यासन तथा नैतिक आचरण में सुधार और प्रधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक कार्यों की परिकल्पना की गई है।”<sup>1</sup>

### धर्म का अर्थ और महत्व (Meaning and Importance of Labour)

धर्म-वाजार और धर्म की माँग एवं पूर्ति के विवेचन पर आने ने पूर्व धर्म के अर्थ, महत्व और उक्ती विशेषताओं पर हृष्टिपात कर लेना प्राप्तिमिश्व होगा। अर्थशास्त्र में धर्म का अभिप्राय उस शारीरिक और मानसिक प्रयत्न से है जो आर्थिक उद्देश्य से विद्या जाए। योई भी कार्य जाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, जिसके बदले में भौतिक पारिश्रमिक मिले, धर्म कहलाता है। इस हृष्टि से मजदूर, प्रबन्धक, बड़ील, अध्यापक डॉक्टर, नौकर आदि सभी के प्रयत्न धर्म के अन्तर्गत आ जाते हैं। मार्जिल की परिभाषा वे अनुसार “धर्म से हमारा अर्थ मनुष्य के उस मानसिक और शारीरिक प्रयास से है जो अशत या पूर्णतया, कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले आनंद के अतिरिक्त, किसी लाभ की हृष्टि से किया जाए।”<sup>2</sup> इस प्रकार, धर्म के लिए दो बातों का होना आवश्यक है—(क) मानवीय धर्म में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं, एवं (ख) वेवल वे ही प्रयत्न सम्मिलित हैं जिनके उद्देश्य आर्थिक हैं।

धर्म का महत्व आज के युग में स्वयं स्पष्ट है। समाचार-पत्रों को उठा लीजिए धर्म-सम्बन्धी मूलताओं की प्रमुखता पाई जाती है। धर्म के बड़ते हुए महत्व पर प्रो० गैलब्रेक ने कहा था—“आजकल हमें अपने आद्योगिक विकास का अधिकौश, अधिक पूजी विनियोग से नहीं बल्कि मानवीय प्रसाधन में उन्नति बरने से उपलब्ध होता है। इस प्रसाधन से हमें विनियोग की अवैक्षण वही अधिक प्रतिकल मिलता है।”<sup>3</sup> पर्याप्त और कुशल धर्म के माध्यम से साधनों का अधिकतम उपयोग करके धर्म-व्यवस्था को सम्पन्न और सफल बनाया जा सकता है। अभिजो की सहायता से देश की विभिन्न योजनाएँ पूरी की जानी हैं। धर्म के आर्थिक महत्व को इन विन्दुओं में ज्ञान जायकता है—

1 पौच्छी योजना के प्रति हृष्टिकोण (1974-79) भारत सरकार योजना आयोग (जलारी, 1973) देख 54

2 Galbraith ‘Productivity’ Spring Number 1968, p. 510.

3 Marshall : Principles of Economics, p. 54

### 1. अधिक उत्पादन की मांग (Demand for Increased Production) —

आधुनिक युग में उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने की मांग जोर पकड़ रही है। औद्योगिक विकास हेतु उत्पादन में वृद्धि होना आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादकता का प्रभावित करने वाले तत्त्वों में श्रम की कार्यकुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हेतु आनंदोलन चलाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council) की भी स्थापना की गई है।

### 2. तीव्र औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) — वर्तमान युग औद्योगीकरण का युग है। विश्व में तीव्र औद्योगीकरण की होड़ सी लग गई है। कृषि प्रधान देशों, जैसे—चीन, भारत, पाकिस्तान आदि ने भी अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं का तीव्र औद्योगीकरण करने की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग अपनाया है। तीव्र औद्योगीकरण द्वारा देशवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। उत्पादन के साधनों में श्रम और पूँजी महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रम सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन है। इसके सक्रिय सहयोग के बिना उत्पादन की कोई भी क्रिया सुवारु रूप में नहीं चलाई जा सकती।

### 3. आधुनिकीकरण (Modernisation) — वर्तमान युग में गला-काट प्रतिस्पर्धा (Cut-throat competition) का बोलबाला है। इस प्रतिस्पर्धा में वही देश सफल हो सकता है जिसने तीव्र औद्योगीकरण के साथ-साथ उत्पादन के भावनों का आधुनिकतम उपकरणों, विधियों के साथ उपयोग किया है। आधुनिकतम उत्पादन के तरीकों से वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर तिम्न लागत पर किया जा सकता है और वस्तु की किसी भी प्रकृदी होती है। इसके लिए श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण, नवीनीकरण, विवेकीकरण और प्रमाणीकरण का सहारा लेना नितान्त आवश्यक है। विवेकीकरण व आधुनिकीकरण से श्रम प्रभावित होता है। परिस्थापन श्रम अधिक जागरूक हो गया है।

### 4. प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of Labour in Management) — प्राचीन समय में औद्योगिक लाभ तथा उद्योग-धनधोरों के प्रबन्ध का कार्य पूँजीपतियों व प्रबन्धकों के हाथ में था। उन समय 'थ्रौंगुठ का नियम' (Rule of Thumb) का बोलबाला था। वर्तमान समय में इस विचारधारा में परिवर्तन किया गया है। अब औद्योगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) का विचार औद्योगिक क्षेत्र में पनपने लगा है। इसके अन्तर्गत श्रम को केवल मात्र उत्पादन का एक साधन ही नहीं समझा जाता। बल्कि उसको औद्योगिक प्रजातन्त्र के अन्तर्गत प्रबन्ध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भागीदार समझा जाने लगा है। भारत सरकार ने भी अपनी धर्म नीति में एक नया अध्याय श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्धकों के साथ भागीदारी देकर जोड़ दिया है। श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदारी न केवल सांदर्भिक क्षेत्र के उद्योगों में ही ही है बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी यह भूमिका प्रदान की गई है।

## 4 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

5. श्रोदोगिक शान्ति की आवश्यकता (Need for Industrial Peace)—तीव्र श्रोदोगिकरण के माध्यम से देश का तीव्र आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में श्रोदोगिक बातावरण कैसा है। श्रोदोगिक उत्पादन में दृष्टि उत्पादन के साधनों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। उत्पादन से साधनों में अम और पूँजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों साधनों में यदि सक्रिय सहयोग नहीं होपाते तो उत्पादन में बाधा पड़ेगी। मालिक और मजदूरों मध्ये सम्बन्ध नहीं होने पर आए दिन हडतालें, तालाबन्दी, घेराव, धीमी गति से कार्य करना आदि श्रोदोगिक उत्पादन में बाधाएँ डालते हैं। इन आपसी मतभेद को दूर कर, स्वच्छ एव मधुर श्रोदोगिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी चुनौती का सामना प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के सामने है।

6. अम कानूनों की बाढ़ (Plethora of Labour Laws)—श्रमिकों के कार्य की दशाप्रो एव उनके जीवन-स्तर को उन्नत करने की ओर अन्तर्राष्ट्रीय अम समठन (International Labour Organisation) एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रत्येक देश में इस समठन द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार को अम कानूनों में सशोधन करने तथा नए कानून बनाने पड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वर्षों में सशोधन हुए हैं ताकि श्रमिक व उसके आश्रितों को भविष्य की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़े।

7. श्रमिकों की राजनीति में हचि (Interest of Labour in Politics)—किसी भी देश में श्रमिकों का वाटुल्य होना स्वाभाविक है। वे अपने मताधिकार द्वारा देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इग्लैण्ड में श्रमिकों की मरकार बड़ी है। द्वारे देश में भी श्रमिक नेता विभिन्न दलों की ओर से चुनाव जीत कर मसद नया विधान-सभाप्रो में श्रमिकों का हित देखते हैं।

### अम की विशेषताएँ (Characteristics of Labour)

अम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एव सावध्यक साधन है। यह अन्य साधनों की तुलना में भिन्न है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो कि अन्य साधनों में नहीं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही अम सम्बन्धी विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अम की प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1. अम उत्पादन का सक्रिय साधन (Active Factor)—उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि व पूँजी निक्षिक (Passive) साधन हैं। वे अपने आप उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन अम बिना अन्य साधनों की सहायता से भी उत्पादन कर सकता है।

2. अम को अस्तित्व से पृथक् नहीं किया जा सकता (Labour is inseparable from the Labourer)—उत्पादन के अन्य साधनों को उनके स्वामियों से पृथक् किया जा सकता है, जैसे भूमि को भू-स्वामी तथा पूँजी को पूँजीपति से पृथक् किया

जा सकता है, लेकिन अम को अभिक से पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि एक अभिक अपना अम बेचना चाहता है तो उसे स्वय को जाकर कार्य करना पड़ेगा।

3. अभिक अम बेचता है लेकिन स्वय का मालिक होता है (Labourer sells his labour but he himself is his master) अभिक अपना अम बेचता है। वह अपने को नहीं बेचता तथा जो भी गुण व कुशलता उसमे होने है, उनका वह मालिक होता है। अम पर किया गया विनियोग (प्रशिक्षण व दक्षता) इस हाइट से महत्वपूर्ण होता है।

4. अम नाशवान है (Labour is perishable)—अम ही एक ऐसा साधन है जिसका सचय नहीं किया जा सकता। यदि एक अभिक एक दिन कार्य नहीं करता है तो उसका उस दिन अम सदैव के लिए चला जाता है। इसी कारण अभिक अपना अम बेचने के लिए तैयार रहता है।

5. अभिक की सौदाकारी शक्ति दुर्बल (Labour has got weak bargaining power)—अभिक अपना अम बेचता है रथा अम के ऊपर पूँजीपति होते हैं। मालिकों की तुलना मे अभिको की सौदा करने वी शक्ति कमज़ोर होनी है क्योंकि अन को प्रकृति नाशवान है, वह प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वह आर्थिक हाइट से दुर्बल होता है, वह अज्ञानी, अशिक्षित व अनुभवहीन होता है। अम सगठन दुर्बल होते हैं, बेटोनगारी पाई जाती है। इन्हीं धातो के कारण अभिको को निम्न मजदूरी देकर पूँजीपति उनका शोषण करते हैं।

6. अम की पूर्ति में तुरन्त कमी करना सम्भव नहीं (Supply of labour cannot be curtailed immediately) —मजदूरी मे नितनी ही बीमों क्यों न करदी जाए, अम की पूर्ति तुरन्त घटागी नहीं जा सकती। अम की पूर्ति मे तीन रूपों मे कमी जो जा सकती है—जनसंख्या को कम करना, कार्यक्षमता मे कमी करना तथा अभिकों को एक व्यवसाय मे दूसरे व्यवसाय मे स्थानान्तरित करना। इसमे समय समेगा।

7. अम पूँजी से कम उत्पादक (Labour is less productive than capital)—अम नो अधिक उत्पादन हेतु पूँजी का सहारा लेना पड़ता है। पूँजी भी तुलना मे अम कम उत्पादक होता है। मशीन से अधिक उत्पादन सम्भव होता है।

8. अम पूँजी से कम गतिशील (Labour is less mobile than capital)—अम मानवीय साधन होने के कारण कम गतिशील होता है। यह बातावरण, फैशन, प्रादृत, हाचि, घर्म, भाषा आदि तत्त्वो मे प्रभावित होना है जबकि पूँजी नहीं।

9. अम उत्पादन का साधन ही नहीं यत्कि साधक भी (Labour is not only a factor of production but is also an end of production)—अम न केवल उत्पादन मे एक साधन के रूप मे योग देता है यत्कि वह मन्तिम उत्पादित वस्तुओं का उद्भोग भी करता है तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का भी इससे अनियन्त्र सम्बन्ध होता है। अम की नियंत्रता, आवास समस्या, बेकारी की समस्या प्रादि भी उसे प्रभावित रखती हैं।

## 6 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

10. श्रम मानवीय साधन (Labour is human factor)—श्रम एक सजीव उत्पादन का साधन होने के कारण यह न केवल आर्थिक पहलू से प्रभावित होता है बल्कि नीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसनिए श्रम समस्याओं के अध्ययन में इन सभी का समृच्छित समावेश बरना होगा।

11. श्रम में पूँजी का विनियोग (Capital investment in labour)—अन्य उत्पादन के साधनों के समान श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि बरनी पड़ती है। श्रम की कार्यक्षमता ही उसके जीवन-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। परम्परागत नियोजक (Traditional Employers) श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि पर किए गए व्यय का अपव्यय (Wastage) समझते। लेकिन प्राधुनिक नियोजक (Modern Employers) श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए कई कल्याणकारी कार्य (Welfare activities) और शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय करते हैं। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप न केवल श्रमिकों को ही लाभ होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है तथा नियोजकों (Employers) को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के व्यय को 'मानवीय पूँजी' (Human Capital) अथवा मानवीय साधनों पर विनियोग (Investment in Human Factors) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कार्य की दशाओं में मुद्धार, आवास व्यवस्था में मुद्धार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी मुद्धियाओं में वृद्धि आदि सम्मिलित है। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी श्रमिकों की शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड (Central Board for Workers' Education) की स्थापना मन् 1958 में की है।

निष्पर्त, श्रम के साथ एक वस्तु के समान व्यवहार नहीं बरना चाहिए क्योंकि वस्तु को विशेषताएँ श्रम की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में कल्याणकारी तथ्य (Welfare State) वी स्थापना से श्रम के सम्बन्ध में परम्परागत विचारधारा (Traditional Approach) जो कि वस्तुगत हृष्टिकोण (Commodity Approach) कहलाता था उसका महत्व अब समाप्त हो गया है। इसके साथ ही आयुनिकनम हृष्टिकोण, जिसे कि मानवीय सम्बन्ध हृष्टिकोण (Human Relation Approach) कहा जाता है, का मांग धीरे-धीरे प्रसार हो रहा है। भारत में विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं में श्रम नीति में नए-नए अध्याय जोड़कर इसी विचारधारा की पुष्टि की जा रही है।

### श्रम की मांग एवं पूर्ति (Demand & Supply of Labour)

श्रम की मांग (Demand of Labour)—श्रम की मांग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादकों द्वारा की जाती है क्योंकि श्रम की सहायता से उत्पादन कार्य सम्भव होता है। दूसरे शब्दों में, श्रम की मांग उसकी उपयोगिता के कारण से नहीं की जाती है, बल्कि श्रम की उत्पादकता पर ही उसकी मांग निर्भर करती है अर्थात्

थम की मांग एक व्युत्पन्न मांग (Derived Demand) है। जिस बस्तु का उत्पादन थम की सहायता में किया जाता है उस बस्तु की मांग पर थम की मांग निर्भर करती है। यदि बस्तु की मांग अधिक है तो थम की मांग भी अधिक होगी अन्यथा नहीं। एक कर्म थम की उस समय तक मांग करती रहती है जब तक कि थम को दी जाने वाली मजदूरी उसकी सीमान् आणम उत्पादकता (Marginal Revenue Productivity) से कम रहती है। एक दी हुई मजदूरी दर पर विभिन्न उत्पादकों द्वारा जितनी मात्रा में थम की मांग जीती है उसके योग की थम की कुल मांग (Total Demand for Labour) कहते हैं। इससे शब्दों में, एक उद्योग की विभिन्न फर्मों के मांग वक्रों को मिलाकर सम्मूर्ख उद्योग का जो मांग दर के बरेग वही थम की मांग की बताएगा। थम की मांग को प्राप्तावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं—

1. थम की उत्पादकता और उसको दिया जाने वाला परिस्थितिक - थम की मजदूरी से यदि उसकी सीमान् उत्पादकता का मूल्य (Value of Marginal Productivity or VMP) अधिक होता है तो थम की मांग अधिक होगी।

2. उत्पादन की मात्रा —यदि किसी बस्तु का अधिक उत्पादन किया जाता है और उसमें अभिक अधिक लगाए जाते हैं तो थम की अधिक मांग की जाएगी।

3. उत्पादन विधियाँ (Production Techniques)—जिस बस्तु का उत्पादन पूँजीगत उत्पादन विधि द्वारा होता है, उसमें मशीनें अधिक लगाई जाती हैं तथा थम की मांग बम की जाती है।

4. आधिक विकास का स्तर—जैसी दर से आधिक विकास करने हेतु थम की अधिक मांग की जाती है तथा धीमी गति से विकास करने पर थम की मांग कम होती है।

5. उत्पादन के अन्य साधनों का पुरस्कार (Remuneration) तथा थम के प्रतिस्थापन की सम्भावना—यदि उत्पादन के अन्य साधन मट्टी हैं तथा थम को उनकी जगह लगाकर उत्पादन सम्भव होता है तो थम की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत अन्य माध्य संस्ते तथा थम के स्वानापन सम्भव न होने पर थम की मांग बम ही जाती।

एक उद्योग में थम की मांग विभिन्न फर्मों के मांग वक्र का योग होती है। उद्योग में थम का मांग वक्र (Demand Curve of Labour) नीचे दाहें और गिरता है जो मजदूरी नदा थम की मांग के दीव विपरीत सम्बन्ध द्वारा प्रदर्शित करता है अर्थात् जैसी मजदूरी पर बम थम की मांग जी जानी है तथा नीची मजदूरी पर अधिक थम की मांग होगी। थम की मांग अन्यस्थान में बेलोचदार होती है जबकि दीर्घकाल में यह लोचदार होती है।

**थम की पूर्ति (Supply of Labour)**—इसका अर्थ विभिन्न मजदूरी दरों पर किसी देश की कार्डसील जनसंख्या (Working Population) का कार्य के कुल घण्टों (Total working hours) पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। किसी भी देश में थम की पूर्ति प्रत्येक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे-मजदूरी का स्तर, देश

## ४ मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

वी कार्यशील जनसंख्या, थमिकों की कार्यकुशलता, वार्षिक करने के धण्टों वी संख्या और देश की जनसंख्या में वृद्धि वी दर आदि। देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर तथा कार्यशील जनसंख्या का भाग अधिक होने पर थम की पूर्ति में वृद्धि होगी तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होने पर भी थम की पूर्ति के गुणात्मक पहलू (Qualitative Aspects) पर भी प्रभाव पड़ेगा। थम के कार्य आराम अनुपात (Work-Leisure Ratio) तथा थमिक सघों (Trade Unions) का भी थम की पूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

थम की पूर्ति निम्नलिखित प्रमुख तत्त्वों पर निर्भर करती है—

1. मजदूरी दर (Wage Rate)—यदि मजदूरी ऊंची होती है तो अधिक थमिक कार्य करना चाहेगे और परिणामस्वरूप थम की पूर्ति एक उद्योग से दूसरे उद्योग की ओर होगी। यही कारण है कि थम की पूर्ति और मजदूरी दर में सीधा सम्बन्ध होता है। इसके विपरीत निम्न मजदूरी दर पर कम थमिक कार्य करना चाहेगे और थम की पूर्ति कम होगी।

2. थमिकों की कार्यकुशलता—कार्यकुशलता अधिक होने पर उत्पादन पर बैसा ही प्रभाव होगा जैसे कि थम की पूर्ति बढ़ान पर अधिक उत्पादन सम्भव होगा। इसके विपरीत कार्यकुशलता कम होने पर अधिक थमिक लगाने के बावजूद भी उत्पादन अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

3. कार्य एवं आराम अनुपात (Work & Leisure Ratio)—यदि थमिक कम आराम और अधिक कार्य करना चाहता है तो थम की पूर्ति बढ़ेगी और यदि अधिक आराम व कम कार्य करता है तो थम की पूर्ति घटेगी। मजदूरी बढ़ने पर थमिक अधिक आराम भी कर सकता है या अधिक कार्य कर सकता है। यह मजदूरी बढ़ने का प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution effect of increased wage rate) कहलाता है। इस स्थिति में मजदूरी में वृद्धि होने पर थम का पूर्ति बक़ दाएँ ऊपर की ओर उठेगा क्योंकि थमिक मजदूरी बढ़ने के कारण अधिक कार्य करेगा। दूसरी ओर मजदूरी बढ़ने पर थमिक अधिक आरामतलब भी हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप थम पूर्ति बक़ ऊपर उठने की बजाय बाईं ओर झुका हुआ (Backward Bending) होगा और यह मजदूरी वृद्धि का भाय प्रभाव (Income Effect) कहा जाएगा।

अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में थम की पूर्ति अधिक लोचदार होती है क्योंकि—

- (i) जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है, और
- (ii) थम की कार्यकुशलता में वृद्धि से थम की पूर्ति बढ़ जाती है।

### थम बाजार (Labour Market)

थम बाजार वह बाजार है जहाँ पर थम का ऋण-विक्रय किया जाता है भर्ती, थम को बेचने वाले (थमिक) व थम को खरीदने वाले (मालिक-नियोजक) थम का

सौदा करते हैं। थम के केता तथा विक्रेता के सम्बन्ध एक वस्तु के खेता-विक्रेता की भाँति अस्थायी नहीं होते हैं। विक्रेता जो कि थम का सौदा करते हैं, व्यक्तिगत तरफ से नापी प्रभावित होते हैं।

### थम बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Labour Market)

थम बाजार जिसमें थम को मांग और पूर्ति वाले पक्षों का अध्ययन किया जाता है, वे स्थानीय होते हैं और इस बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हमें देखने को मिलती हैं-

1. थम पे अनिश्चितता का अभाव पाया जाता है। अमिक एक स्थान से दूररे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को गतिशील नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप मजदूरी में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं तथा मालिक भी उसको कम मजदूरी देकर उसका आर्थिक फोयण करने में सफल हो जाता है। गतिशीलता में कभी थम की अधिक्षमा, अनभिज्ञता, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज आदि कारणों का परिणाम होती है।

2 थम बाजार में थम सधों के मुद्द होने वाले स्थानों को छोड़कर केता-पिकारी (Monopsony) की स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ थम सध मुद्द होते हैं, वे अपनी पूर्ति पर नियन्त्रण करके अधिक मजदूरी लेने में सफल हो सकते हैं और इस तरह एकाधिकारी (Monopoly) की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हमें यह स्थिति अपवाद के रूप में मिल सकती है। अधिकांश थम बाजार में केतापिकारी (Monopsony) की स्थिति देखने को मिलती। इसमें प्रबन्धक मालिक समर्थित होकर थम का क्रय करते हैं तथा उसको कम मजदूरी पर सहीदते हैं।

3 थम बाजार एक अपूर्ण बाजार होता है जिसमें सामान्य मजदूरी (Normal wages) देखने को नहीं मिलती है। मजदूरी की विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं।

4 विकासशील देश जहाँ जनाधिक्य पाया जाता है और रोजगार के साधनों का अभाव है वहाँ पर थम बाजार में केतापिकारी (Monopsony) का अधिक तत्व पाया जाएगा। इसके विपरीत एक विकसित और जनाधाव वाले देश में थम बाजार में विक्रेताधिकारी (Monopoly) का तत्व देखने को मिलेगा।

### भारतीय थम बाजार

#### (Indian Labour Market)

भारत एक विकासशील और जनाधिक्य वाला (Overpopulated) राष्ट्र है जहाँ पर भारी देरोजगारी भी है। इस विशेषता का ग्रन्थाव यहाँ के थम बाजार पर भी पड़ता है। भारतीय थम बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हमें देखने को मिलती हैं—

1. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में अद्य-वेरोजगारी (Under-employment) देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में देश की 80% जनसंख्या लगी हुई है लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अनुसार अद्य-विकसित या विकासशील देशों में 15 से 20% तक कृषि क्षेत्र में लियी हुई वेरोजगारी (Disguised-unemployment)

## 10 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

दखन को मिलती है। यहाँ तक कि थम की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य (Zero) है। मैरे हृषि क्षेत्र में भी दरोजमारी विद्यमान है।

2 भारतीय थम बाजार की दूसरी विशेषता यह है कि थम की पूर्ति सभी नावरियों की सह्या से अधिक होते हुए भी युद्ध नौरियों के लिए थम का अभाव है, जैसे तकनीकी व सुभरबाइजरी पदों के लिए अधिक अभियंता नहीं मिल पाते हैं।

3 अस्थिर थम शक्ति (Unstable labour force) भी भारतीय थम बाजार की एक विशेषता है जिसमें अभियंता औद्योगिक कार्य हेतु तैयार नहीं होगे क्योंकि वे अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना व रहना पसन्द करते हैं। अतः अभियंतों जो ग्रामीण क्षेत्रों से जाहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना तथा एक स्थायी औद्योगिक थम शक्ति तैयार करना भी एक समस्या बन गई है।

4 भारतीय थम जनसंख्या (Labour Population) में अधिकांश अभियंता युवक हैं। इस प्रकार के अभियंतों के लिए सामाजिक विनियोग (Social Investment) शिक्षा प्रशिक्षण, चिकित्सा मुद्रिधारे आदि के रूप में काजा पड़ता।

### थम बाजार का मजदूर पक्ष

#### (The Employee side of the Labour Market)

थम बाजार भी अन्य बाजारों की भाँति है, लेकिन जब भी हम थम का अध्ययन करते हैं तब हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम कार्य करने वाले मानवीय पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें थम की माँग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना पड़ेगा। थम बाजार के मजदूर पक्ष में हम थम की पूर्ति पक्ष (Supply side of Labour-Employee) का अध्ययन करते हैं।

थम शक्ति के रूप में सक्रिय भाग लेने की प्रवृत्ति जिसे थम शक्ति प्रवृत्ति (Labour force propensity) भी कहा जाता है, न केवल जनसंख्या की वृद्धि की दर द्वारा ही प्रभावित होती है बल्कि जनसंख्या वृद्धि के स्रोतों तथा इसके आयु एवं लिंग वितरण (Age and Sex distribution) द्वारा भी प्रभावित होती है।

सामाजिक रीत रिवाज भी जनसंख्या के काय बरने वाले अनुपात वो प्रभावित करते हैं। विकसित देशों में शिला के अधिक प्रसार के कारण थम शक्ति के रूप में जनसंख्या का भाग कम होने लगता है जबकि एक विकासशील देश (जैसे, भारत) में जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग अग्रिमिन होता है थम शक्ति में जनसंख्या का अनुपात काय के रूप में संवेदन।

व्यावसायिक परिवर्तन (Occupational shifts) साधनों का आवण्टन (Allocation of resources) तकनीकी परिवर्तन (Technological changes) आदि भी थम शक्ति में जनसंख्या के लगाए जाने वाले भाग वो प्रभावित करते हैं। उदाहरणत एक विकासशील देश में जहाँ थम प्रधान उत्पादन के तरीक (Labour intensive techniques of production) अपनाए जाते हैं वहाँ थम की अधिक माँग होगी।

थम की व्यावसायिक गतिशीलता तथा भौगोलिक गतिशीलता (Occupational and Geographical mobilities of labour) में वृद्धि मजदूरी बढ़ाने से की जा सकती है, लेकिन मजदूरी में वृद्धि के अतिरिक्त जो अधिक प्रभावशाली तत्त्व

इसमें दाधक है, वे हैं—सामाजिक रीति-रिवाज, परिवार व स्थान से सगाह घर्म भाषा, रहग-नहन, सान-पान। अब आधुनिकता एवं शिदा के प्रसार के नाय-साय गतिशीलता ये बढ़ि हो रही है।

### प्रबन्ध और श्रम बोर्ड

#### (Management & Labour Market)

प्रबन्धक या नियोजक श्रम की मौज़ करता है। श्रम की सहायता से मानिक उत्पादन करता है। एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था में नियोजक श्रम की मौज़ करने से पूर्व यह अनुमति लगातारा कि कितने उत्पादन उमे करता है। साय ही उस वस्तु की मौज़, उत्पादन लागत, उम वस्तु का बाजार नाम आदि सभी विषयों पर निर्णय चर्चे श्रम की एक निश्चिन सहयोग को रोजगार प्रदान करेगा।

प्रबन्धक व्यवसाय के सफलन के विषय मे भी निर्णय लेगा कि समृद्धि का आधार तथा प्रकार क्या होगा? सुगठन-Staff या Line या Staff & Line अथवा क्रियात्मक संगठन (Functional Organisation) मे से कोई भी अपनाया जा सकता है।

मनोश्रवाहन (Communication), कार्य करने वालों टीम, नियोजकों का समृद्धि या सघ (Association of Employers), नियोजकों की अधिकों की भर्ती (Recruitment), चयन (Selection), प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme), कार्यक्रम व्यवहार (Personnel Practices) आदि के सम्बन्ध मे भी एक निश्चिन नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। इन मदका प्रभाव न केवल अवधारण के समृद्धि पर ही पड़ता है बल्कि ये दोनों पक्षो—मानिक व मजदूर पक्षो भी प्रभावित करते हैं। इन सबके अनुकूल व साकल होने पर सम्पूर्ण व्यवसाय या उद्योग सफल होगा जिससे न केवल दोनों पक्ष बल्कि उभयोक्ता, समाज व नगर भी लाभान्वित होंग।

इस प्रकार, श्रम की विशेषताएँ, श्रम बाजार की विशेषताएँ, मानिक और मजदूर हृष्टिकोश व व्यवहार तथा व्यवसाय का संगठन व हाँचा एक दूगरे पर पूर्ण रूप से प्राधित हैं। ये एक दूसरे की पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन दो ही स्थिति या दशाओं मे उचित नीतियों व कार्यक्रमों की गहराई मे किमी भी उद्योग को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।

### भारत में अधिकों का विभाजन

#### (Distribution of Working Population in India)

मन् 1971 मे भारत मे अधिकों की सहयोग लगभग 18 04 करोड़ या देश की कुल जनसंख्या की लगभग 32.92 प्रतिशत थी। अधिकों की इस सहयोग का केवल 10 प्रतिशत भाग समठित क्षेत्र मे कार्यरत था और जैप भाग उत्तरप्रदेश मे वसे आ रहे व्यवसायों मे व्यस्त था। परम्परागत व्यवसायों मे इन अधिकों मे अधिकीकृत हृष्टक और हृष्टि अधिक थे, जिनका प्रतिशत जनसंख्या 42.34 और 26.33 था। यूठ 12 पर सारणी मे कार्य और लिंग के आधार पर अधिकों का वैटवाग दिखाया गया है।

## 12 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

धनियों का विभाजन (1971)<sup>1</sup>

श्रेणी	पुरुष	कुल		महिलाएँ		कुल	कुल धन
		कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत		
कुल जनसंख्या		28,39,36,614	51.82	26,40,13,195	48.18	54,79,49,809	100.00
कुल धनियां		14,90,75,136	52.50	3,12,98,263	11.85	18,03,73,399	32.92
(1) दृष्ट		6,89,10,236	38.20	92,66,471	514	7,81,76,707	43.34
(2) कुमि मजदूर		3,16,94,984	17.57	1,57,94,399	8.76	3,74,89,383	26.33
(3) पग्ग-पत्तन, बन, घट्ठनी एकड़ना, लिंगार, बागान, फल-उदान और सांबद्ध कामों से जने धनियां		35,13,848	1.95	7,82,953	0.43	42,96,801	2.38
(4) लापाल खनन और उद्धनन		7,93,696	0.44	1,24,066	0.07	9,22,762	0.51
(5) बस्तु-नियां, परिचरण, सर्विस और मरम्मत		50,20,893	2.78	13,30,821	0.74	63,51,714	3.52
(क) गृह-उद्योग		98,50,808	5.46	8,64,997	0.48	1,07,15,805	5.94
(छ) धन्य		20,11,831	1.12	2,03,477	0.11	22,15,308	1.23
(6) निर्माण		94,82,044	5.26	5,56,199	0.31	1,00,38,243	5.57
(7) लागिय और छापार		42,55,257	2.36	1,45,944	0.08	44,01,201	2.44
(8) परिवहन सायार और सरचना		1,35,36,539	7.50	22,28,936	1.24	1,47,65,475	8.74
(9) वन्य सेवाएँ		13,48,61,478	47.50	23,27,14,932	88.15	36,75,76,410	67.08
नीर-धनियां							

तथापि भारत की अर्थ-व्यवस्था के विश्वस्त आँकड़े वेवल समाजित क्षेत्र के बारे में उपलब्ध हैं। थ्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पास किए गए अधिकांश कानून इसी क्षेत्र में थ्रमिकों की भलाई के लिए हैं। इन थ्रमिकों के लिए प्रयोग सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी चल रही हैं। इनमें फैक्ट्री एक्ट, मजदूरी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योगता, कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, थ्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मृत्यु राहत और परिवार पेशन समिक्षित हैं। कुछ नियम कानून असमित धेत्र के लिए भी बनाए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 इन क्षेत्र के बहुत से थ्रमिक वर्गों पर भी लागू होता है।

थ्रम एक समवर्ती विषय है। थ्रम कानून केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं और सचालित होते हैं। सामान्यत थ्रम कानूनों को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, तथापि कुछ केन्द्रीय धोत्रों में काम करने वाले थ्रमिक जैसे रेलवे, बन्दरगाह, खान, बैंकिंग और बीमा कम्पनियाँ सीधे केन्द्रीय सरकार के अधिकार धोत्र में आते हैं।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के समाजित क्षेत्र में सर्वाधिक थ्रमिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सन् 1972 में चालू फैक्ट्रियों में जिनके आँकड़े उपलब्ध हैं, प्रतिदिन का अनुमानित औसत रोजगार 53.8 (अस्थायी) लाख था। सन् 1971 के दैनिक रोजगार आँकड़ों के प्रतुसार महाराष्ट्र में फैक्ट्री कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है (10,50,000) और इसके पश्चात पश्चिम गणराज्य (8,39,000) और तमिलनाडू (4,60,000) का नम्बर आवा है।

सन् 1971 गे खानों में काम करने वाले थ्रमिकों की प्रतिदिन औसत रास्था 6,31,000 थी (2,56,000 भूमर्भीय, 1,96,00 खान-मुख तथा 1,80,000 भू-तलीय)। सन् 1952 के खान अधिनियम के अन्तर्गत कोशला खानों में काम करने वालों की संख्या उसी वर्ष के दौरान 3,82,000 थी जिनमें 2,28,000 भू-पर्भीय थे तथा 43,000 खान-मुख पर और 1,11,000 मूलत पर काम करते थे।<sup>1</sup>

### भारत में थ्रम की स्थिति — (Labour Position in India)

भारत में थ्रम की स्थिति में शनैः-शनैः: उत्तरोत्तर गुधार हो रहा है। भारत सरकार के थ्रम मन्त्रालय की सन् 1976-77 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1976-77 वर्ष के दौरान श्रीदेविक सम्बन्धों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। हड्डालो तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए थ्रम दिनों की संख्या में भारी कमी हुई। सन् 1975 में 219 लाख थ्रम दिनों की हानि हुई थी, जबकि सन् 1976 में 114.8 लाख (अन्तिम) थ्रम दिनों की हानि हुई। सन् 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में 11.5 लाख थ्रम दिनों की हानि हुई थी, जबकि सन् 1976 में केवल 3.7 लाख थ्रम दिनों की हानि हुई। सन् 1976 के दौरान सरकारी क्षेत्र में नष्ट हुए थ्रम दिनों

1. भारत 1975, पृष्ठ 330.

## 16 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

जो मूल्य है वही मजदूरी है। प्रोफेसर (Prof. Phelps) ने अनुसार, 'धक्किगत सेवाओं के लिए दिया जाने वाला मूल्य ही मजदूरी है।' प्रोफेसर ने एन बैंड के अनुसार एक अभिक वा चिसी काय की मात्रा करने पर मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।<sup>1</sup>

प्रोफेसन के अनुसार मजदूरी एक प्रसविदा आय (Contract Income) है जो विभिन्न वर्गों के बीच निश्चिन की जाती है, जिसमें अन्तर्गत अभिक मुद्रा या वस्तु व बदले अपना थम देचता है। मजदूरी वीएक विस्तृत परिभाषा में वे सभी पारिश्रमिक, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है और जो कि रोजगार के प्रसविदे के अनुसार एक अभिक वो देय होते हैं।<sup>2</sup> इस प्रकार मजदूरी में यात्रा भत्ता ग्रोविडेन्ट कण्ठ में दिया गया योगदान, विसी मकान मुविधा या कल्याणकारी सेवाओं द्वारा हेतु दिया जाने वाला द्रव्य का भाग शामिल नहीं दिया जाता है। अध्यास्त्र मजदूरी शब्द व्यापक है तथा इसके अन्तर्गत न बेल विभिन्न प्रकार के अभिकों वो दिया जाने वाला पारिश्रमिक ही सम्मिलित किया जाता है बन्धक फर्मों तथा फैक्ट्रियों के मैनेजर, उच्च अधिकारी, सरकारी अकर्तरों वो दिया जाने वाला बेतन, व्यावसायिक सोगा (Professional People) जैसे वकील, अध्यापक, डाक्टर आदि को दिया जाने वाला पुरस्कार (Remuneration), बोनस (Bonus), रोटली (Royalty) तथा कमीशन (Commission) आदि वो शामिल दिया जाता है।

### मीट्रिक मजदूरी एव वास्तविक मजदूरी (Money Wages and Real Wages)

नवद या मीट्रिक मजदूरी वह मजदूरी है जो अभिक को उसके थम के बदले में मुद्रा के रूप में प्रदान की जाती है जैसे 3 रुपये प्रति घण्टा, 10 रुपये प्रति दिन, 300 रुपये प्रति माह आदि। लेविन नकद मजदूरी से हमें अभिक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगता और इसलिए उसकी मीट्रिक मजदूरी के माध्यम से उसकी वास्तविक मजदूरी के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

वास्तविक मजदूरी (Real Wages) वह मजदूरी है जिसके अन्तर्गत अभिक वो उसकी सेवाओं के बदले कितनी वस्तु तथा सेवाएँ प्राप्त होती हैं अर्थात् अभिक की मीट्रिक मजदूरी के द्वारा अभिक कितनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ समता है। चाहारण्य, यदि एक अभिक को अपनी नकद मजदूरी से अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त होती हैं और वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेता है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी वास्तविक मजदूरी ऊँची है। इसके विपरीत यदि अभिक नकदी मजदूरी के द्वावजूद भी वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं

1. *Vaid K N . State and Labour in India*, p. 89

2. *Saxena R C . Labour Problem and Social Welfare*, p. 512

बो पूरा नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी मौद्रिक आय यी वास्तविक क्रय-शक्ति कम है। मुद्रा-स्फीति के अन्तर्गत मुद्रा की क्रय-शक्ति गिरने के कारण धर्मिक प्रथिक मौद्रिक आय यी माँग करते हैं जबकि मुद्रा-प्रस्फीति (Deflation) के अन्तर्गत मुद्रा की क्रय-शक्ति अधिक होने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को आविक दण्डिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। बत्तेमान समय में भारत में बढ़ती हुई कीमतें इस बात की घोटक हैं कि श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी (Real Wages) में गिरावट आ रही है।

### वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्त्व

एक व्यक्ति की वास्तविक आधिक स्थित का ज्ञान उसकी नकद मजदूरी से नहीं बल्कि उसकी वास्तविक मजदूरी से होता है। विभिन्न व्यवसायों में वास्तविक मजदूरी भिन्न-भिन्न पाई जाती है। वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले विनाशकीय तत्त्व होते हैं—

**1. मुद्रा की क्रय-शक्ति (Purchasing Power of Money)**—यह वास्तविक मजदूरी को निर्धारित या प्रभावित करती है। यदि कीमतें नीची हैं तो अधिक वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जा सकेंगी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। इसके विपरीत ऊँची कीमतों पर वस्तुओं व सेवाओं के मिलने पर मुद्रा की क्रय-शक्ति कम होने के कारण वास्तविक मजदूरी कम होगी।

**2. अतिरिक्त आय (Extra Earnings)**—यदि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ेगी। उदाहरणत एक प्राद्यापक को उसकी किताब पर मिलने वाली रोयलटी तथा श्रमिकों व मैनेजरों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इससे उनकी वास्तविक आय बढ़ेगी।

**3. अन्य सुविधाएं (Other Facilities)**—किसी भी अक्ति या श्रमिक को मिलने वाली नि शुल्क चिकित्सा सुविधाएं, सहते मकान, बच्चों की नि शुल्क शिक्षा आदि भी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि करने वाले तत्त्व हैं।

**4. कार्य की दशाएं घट्छो होने पर, कार्य दृचिकर होने पर, कार्य की नियमितता आदि से भी वास्तविक मजदूरी से वृद्धि होती है। यदि कार्य की दशाएं अच्छी नहीं हैं, कार्य दृचित्पूर्ण नहीं है, कार्य अस्थायी है, तो मौद्रिक मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम होगी।**

**5. प्रशिक्षण का समय तथा व्यय—**व्यावसायिक सेवायों (Professional Services) जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आदि के लिए प्रशिक्षण पर व्यय करना पड़ता है तथा इसमें समय भी लगता है। अतः वास्तविक मजदूरी को ज्ञात करते समय इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु किया गया व्यय तथा अवधि को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

**6. भावो उपनिषत् के प्रधान—**जिस व्यवसाय या उद्योग में उपनिषत् के अधिक घबराह है तो प्रारम्भ में कम नकद मजदूरी होने पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी।

## मजदूरी का महत्व (Importance of Wages)

मजदूरी सम्बन्धी प्रश्न न केवल धर्मिकों के जीवन-स्तर तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय मुद्दे करने के रूप महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्पादन में बढ़िये के लिए भी आवश्यक है। धर्मिक वा जीवन-स्तर, उसकी वायंकुशलता सभी मजदूरी पर नियंत्र करती है। मजदूरी धर्मिकों को उनकी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है और वह उनकी आय है। दूसरी ओर नियोजक धर्मिकों की सहायता से उत्पादन क्रियाओं का सम्पादन करते हैं और उनके लिए यह उत्पादन लागत का एक अग्र माना जाता है। धर्मिक समाज का एक महत्वपूर्ण अग्र है। अब प्राचीन इटिकोण—वस्तु इटिकोण (Commodity Approach) विलकूल समाज-मा हो गया है। अब धर्मिक अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति सजग हो गया है तथा नियोजकों से सौदा करने में पीछे नहीं है। अब धर्मिक को उद्योग में एक सामेदार के रूप में माना जाने लगा है। मजदूरी में न केवल आर्थिक पहलू ही मात्र है बल्कि यह कई गैर-आर्थिक पहलुओं को भी प्रभावित करने वाला प्रश्न है जिसका अध्ययन धर्मिक अपनी आय के इटिकोण से तथा नियोजक (Employers) अपनी उत्पादन-लगत ने इटिकोण से करते हैं। मजदूर आर्थिक मजदूरी तथा नियोजक आर्थिक लाभ चाहने वाले उद्देश्यों में फैसे हुए हैं। इन दोनों पक्षों के उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रो. जीन मार्क्स के अनुसार धर्मिक यह चाहते हैं कि मजदूरी को एक वस्तु का मूल्य नहीं माना जाना चाहिए बल्कि एक आय मानी जानी चाहिए, ताकि वे उद्यमियों के माध्यम से अपनी सेवाएं देकर एक पूर्व-निर्धारित जीवन व्यतीत वर सकें।<sup>1</sup>

प्रो. पन्त के अनुसार मजदूरी का उपयोग, रोजगार एवं बीमनों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।<sup>2</sup> अत यह किसी भी देश में धर्मिकों के लिए एक प्रभावपूर्ण एवं प्रगतिशील मजदूरी नीति निर्धारण के लिए मजदूरी की समस्या का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है।

## मजदूरी निर्धारण के सिद्धान्त (Theories of Wage Determination)

मजदूरी की समस्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है अथात् मामान्य मजदूरी की समस्या (Problem of general wages) और तुलनात्मक मजदूरी की समस्या (Problem of relative wages)। सामान्य मजदूरी की समस्या का सम्बन्ध इस बात से है कि राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधन के रूप में अम को किस आधार पर हिस्सा दिया जाए। दूसरी ओर तुलनात्मक या सापेक्ष मजदूरी की समस्या इस बात का अध्ययन करती है कि विभिन्न स्थानों, समय तथा धर्मिकों की

1 Jean Marthal, Wage Theory and Social Groups in Dunlop, J T (Ed.), The Theory of Wage Determination, p 149

2 Pant S C., Indian Labour Problems, p 166-67

मजदूरी किस प्राप्तार पर निर्धारित की जाएगी। सामान्य मजदूरी निर्धारण किस आधारों पर हो, इसका अध्ययन मजदूरी के सिद्धान्तों (Theories of Wages) के अन्तर्गत किया जाता है। अत यहाँ संकेत में उन सभी मजदूरी के सिद्धान्तों का अध्ययन करना है, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न कानूनों में प्रतिपादित किए गए हैं।

### मजदूरी का जीवन-निवाह सिद्धान्त अथवा लीह सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages or the Iron Law of Wages)

मर्बंप्रथम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों (Physiocrats) ने किया था। उन्होंने पौस में उस समय श्रमिक के जीवन निवाह की स्थिति को व्यान में रखते हुए इस सिद्धान्त का निर्माण किया। यह सिद्धान्त 19वीं शताब्दी में सभी लोगों द्वारा माना गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डों ने भी आगे चलकर माल्यस के जनसंस्था के सिद्धान्त के आधार पर इस सिद्धान्त का समर्थन किया। सभाजदादी अर्थशास्त्रियों ने भी इसी सिद्धान्त के आधार पर ऐंड्रीजदी अर्थ-न्यूत्तरण की कही आलोचना की और कालं मार्क्स ने अपने शोषण के सिद्धान्त (Theory of Exploitation) पर आधारित किया। जर्मन अर्थशास्त्री लसाले (Lassalle) ने इसे 'लीह सिद्धान्त' (Iron Law of Wages) का नाम दिया।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रमिक व उसके परिवार के जीवन निवाह के लिए न्यूनतम माघनों के आधार पर होता है। मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे श्रमिक को निवाह हेतु न्यूनतम राशि प्राप्त ही सके। जीवित रहने के लिए आवश्यक राशि के बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि मजदूरी इस न्यूनतम जीवन निवाह व्यय से अधिक दी जाती है तो श्रमिकों को शादी करने का प्रोत्तमाहन मिलेगा और उनके परिवारों में तथा श्रमिक सम्पत्ति में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप मजदूरी गिरकर जीवन निवाह के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी न्यूनतम जीवन निवाह से कम दी जाती है तो शादियाँ और जन्म-दर हटोत्काहित होंगी और कम पोषण से मृत्यु-दर बढ़ेगी और फलस्वरूप श्रमिकों की पुति में नियन्त्रण आने से मजदूरी में वृद्धि होगी और पुन मजदूरी जीवन निवाह के बराबर हो जाएगी।

**आलोचना (Criticism)—**— यह सिद्धान्त बड़ा ही निराशावादी है और अधृत माल्यस के जनसंस्था सिद्धान्त पर आधारित है। यह आधार ही गलत है कि मजदूरी में वृद्धि के माय-साय जनसंस्था में भी वृद्धि होगी। योरोपीय देशों का उदाहरण हमारे सामने है कि वहाँ मजदूरी और आय बढ़ने के साय-साय जनसंस्था में वृद्धि होने के स्थान पर जीवन-न्यूत्तर उन्नत हुआ है और जनसंस्था में कभी ही हूँदा है।

1. यह सिद्धान्त श्रम की पुति पक्ष पर आधारित है। इसमें श्रम की मान-पक्ष की उपेक्षा की गई है। इसी भी पक्ष के मूल्य निर्धारण में जिस प्रकार पुति और माँग दोनों का होना आवश्यक है उसी प्रकार मजदूरी निर्धारण में भी दोनों पक्षों का होना जरूरी है। अत मजदूरी निर्माण का यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (One-sided theory of wage determination) है।

## 20 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

2 यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसायों में पाई जाने वाली मजदूरी की विभिन्नताओं (Wage differentials) वे कारणों की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

3 यह सिद्धान्त मजदूरी में वृद्धि से थमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध की उपेक्षा करता है। जब थमिकों वी मजदूरी बढ़ेगी तो इससे उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा तथा परिणामस्वरूप थमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा।

4 जीवन निर्बाह से अधिक मजदूरी देने से थमिकों की जनसंख्या में वृद्धि होगी और मजदूरी वापिस गिरवर जीवन निर्बाह व्यय के बराबर हो जाएगी—यह वास्तविकता से परे की बात है। आज हमारे सम्मुख विभिन्न विकसित देशों का उदाहरण है कि वहाँ मजदूरी में वृद्धि करने से जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है न तो जनसंख्या में वृद्धि।

5 यह सिद्धान्त उत्पादन के तरीकों में सुधार, थमिक सघोत्तथा आविष्कारों आदि के कारण मजदूरी में वृद्धि होने के कारणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। आधुनिक समय में थमिक सघोत्तथा, उत्पादन रीतियों में सुधार तथा विभिन्न आविष्कारों के कारण भी समय-समय पर मजदूरी दरों में परिवर्तन करने पड़ते हैं।

6 जीवन निर्बाह के स्तर को भी जात करना कठिन है क्योंकि विभिन्न थमिकों व उनके परिवारों का जीवन निर्बाह-स्तर उनकी आवश्यकताओं, मदस्य संस्था आदि के कारण भिन्न-भिन्न होता है।

### मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (The Standard of Living Theory of Wages)

यह सिद्धान्त जीवन निर्बाह सिद्धान्त का एक सुधारा हुआ रूप है। 19वीं शताब्दी के अन्त में 'जीवन निर्बाह' के स्थान पर 'जीवन-स्तर' का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त माना जाने लगा। इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी थमिक के जीवन निर्बाह के आधार पर निर्धारित न करके उसके जीवन स्तर के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। जिस प्रकार के जीवन-स्तर व्यक्ति करने के थमिक अभ्यस्त हो गए हैं उसके अनुसार ही उनको मजदूरी दी जानी चाहिए। थमिक उनके जीवन-स्तर से नीचे मजदूरी स्वीकार नहीं करेंगे। ऊँचा जीवन-स्तर थमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, अत मजदूरी अधिक होनी चाहिए। मजदूरी के जीवन-स्तर के बराबर होने से एक और थमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होगी तथा थमिकों को सौदा करने की शक्ति (Bargaining Power) में भी वृद्धि होगी क्योंकि थमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि और उच्च जीवन-स्तर से जनसंख्या पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

आलोचना—1. इस सिद्धान्त में थम की मांग पद्ध की उपेक्षा की गई है। थम की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही मजदूरी निर्धारण करना एक पक्षीय है।

2 जीवनस्तर के अनुसार मजदूरी दी जाए अथवा मजदूरी के आधार पर जीवन-स्तर निर्धारित किया जाए—यह निश्चय करना कठिन है। वास्तविक जीवन में अभिको के जीवन-स्तर में बृद्धि करने के लिए मजदूरी में बृद्धि करना आवश्यक है।

3 जैसा जीवन-स्तर हो उसी के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए—यह भी गलत है व्यापिक केवल केवल जीवन-स्तर ही नहीं बल्कि अभिको ली मीमान्त उत्पादकता में बृद्धि होने पर ही मजदूरी में बृद्धि सम्भव हो सकती है।

4 जीवन-स्तर स्वयं एक परिवर्तनशील तत्व है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण मजदूरी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन इस विषय में इस सिद्धान्त में कुछ भी नहीं कहा गया है।

### मजदूरी कोष सिद्धान्त (The Wage Fund Theory)

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) का हाथ रहा, लेकिन अन्तिम फल देने वाले प्रो. जे. एस. मिल (J. S. Mill) ही माने जाते हैं। प्रो. मिल के अनुसार मजदूरी जनसंख्या तथा पूँजी के अनुपात पर निर्भर करती है। यहाँ जनसंख्या का सम्बन्ध अभिको की सहाया से है, जो कि कार्य करने के लिए तैयार है। पूँजी का एक भाग अभिको को मजदूरी का मुमताज करने हेतु रखा जाता है। मजदूरी में बृद्धि तभी सम्भव होती है जबकि मजदूरी कोष में बृद्धि की जाए अथवा अभिको की सहाया में कमी हो। सिद्धान्त में मजदूरी कोष को निश्चित माना है। इसमें बृद्धि या कमी सम्भव नहीं है। मजदूरी 'मजदूरी कोष' (Wage Fund) में से दो जानी हैं जो कि पूँजीति द्वारा निश्चित किया जाता है तथा जिसे स्थिर माना गया है। दूसरी ओर अभिको की सख्त प्राकृतिक कारणों पर निर्भर है। अत मजदूरी की सामान्य दर (The general wage rate) मजदूरी कोष में अभिको की सहाया का भाग लागत से जात की जा सकती है।

मजदूरी कोष  
मजदूरी दर = अभिको की सहाया

उदाहरणतः यदि मजदूरी कोष 1000 रु है तथा अभिको की सहाया 200 है तो मजदूरी दर 5 रु होगी।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी में बृद्धि तब तक सम्भव नहीं जब तक कि जनसंख्या निश्चयण द्वारा अभिक आवीं सहाया पर नियन्त्रण नहीं करते। यदि किसी उद्योग विशेष में मजदूरी दर से बृद्धि हो जाती है तो दूसरे उद्योगों में मजदूरों को कम मजदूरी मिलेगी क्योंकि मजदूरी कोष स्थिर या निश्चित है।

आलोचना— 1. यह सिद्धान्त मजदूरी कोष को दिया हुआ मानता है। मजदूरी कोष पहले ही निर्धारित नहीं होता है। इसमें परिवर्तन होता रहता है।

2 मजदूरी में बृद्धि मजदूरी कोष तथा मजदूरी की सहाया के आधार पर सम्भव न होकर अभिक वीं कार्यक्रमनाम में बृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बृद्धि होने से होती है।

## 22 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

3 यह मान्यता कि यदि मजदूरी अधिक दी जाएगी तो पूँजीपतियों का लाभ बम हो जाएगा, गलत है। वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी बढ़ने से श्रमिक की कार्य कुशलता भवृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप नेवेल श्रमिक की मजदूरी ही बढ़ती है, बल्कि पूँजीपतियों का लाभ भी बढ़ता है।

4 यह मान्यता भी कि मजदूरी में वृद्धि होने से श्रमिकों की सस्ता में वृद्धि होगी, गलत है। मजदूरी में वृद्धि होने से जीवनभौतिक ऊन्ना होगा और फलस्वरूप जनसस्ता में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

5 यह सिद्धान्त श्रमिकों की कार्य-कुशलता में भिन्नता के कारण मजदूरी में पाए जाने वाले अन्तर (Differences) की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है।

6 इस सिद्धान्त में सुट्टे श्रमिक सघों (Strong Trade Unions) द्वारा सामूहिक सौदाकारी (Collective Bargaining) से मजदूरी में वृद्धि करा लेने की परिस्थितियों की पूर्ण उपका की है। जिन उद्योगों में मजदूरत श्रमिक सघ हैं, वे मजदूरी बढ़ाने में सफल हो गए हैं।

### मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त

#### (The Residual Claimant Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री वाकर (Walker) ने किया। वाकर का अनुसार श्रमिक उद्योग के अवशिष्ट उत्पादन (Residual Product) का अधिकारी होता है। उद्योग के उत्पादन में से उत्पादन के अन्य साधनों का लगान, व्याज तथा लाभ का मुगलान करने के पश्चात् जो अवशिष्ट भाग बचता है वह मजदूरों को मजदूरी के रूप में वितरित कर दिया जाता है। लगान, व्याज तथा लाभ का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों द्वारा होता है, परन्तु मजदूरी निर्धारण में कोई निश्चित मिहान्त काम में नहीं लाया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मदि श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ेगी।

मजदूरी = कुल उत्पादन — लगान + व्याज + लाभ

आत्मोचना—1 यह सिद्धान्त श्रमिकों की मांग-पक्ष का अध्ययन करता है न कि पूर्ण पक्ष (Supply side) का। मजदूरी निर्धारण में दोनों पक्षों का होना अवश्यक है। अत यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (One-side Theory) है।

2 इस मिहान्त के अनुसार सबसे बाद में मुगलान मजदूर को, मजदूरी के रूप में किया जाना है पर यह गलत है। वास्तविक जीवन में सबसे पहले मुगलान श्रमिक को किया जाता है तथा अन्त में अवशिष्ट का अधिकारी (Residual Claimant) साहमी अथवा उद्यमी होता है।

3 यह मिहान्त श्रमिक सघों की मजदूरी का बढ़ाने के प्रयासों की उपेक्षा करता है।

4 जब लगान, व्याज तथा लाभ के लिए निश्चित सिद्धान्त काम में लाए जाते हैं तो फिर मजदूरी निर्धारण हेतु क्यों नहीं इन्हीं मिहान्तों का उपयोग किया जाता है, यह बताने में मिहान्त असमर्थ है।

## मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त ।

### (The Marginal Productivity Theory of Wages)

वह सिद्धान्त उत्पादन के सभी साधनों का मूल्य-निर्धारण के काम में लागा जाता है। जब वितरण के अन्तर्गत इस सिद्धान्त द्वारा सभी उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है तब इसे वितरण का सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Distribution) कहा जाता है। अमिक का पारिथमिक निर्धारित करने में इसे मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अमिक को दिया जाने वाला पारिथमिक (Remuneration) उसके सीमान्त उत्पादकता अधिक है तो पारिथमिक भी अधिक होगा और यदि सीमान्त उत्पादकता कम है तो पारिथमिक भी कम होगा। सीमान्त उत्पादकता किसी उद्योग में एक प्रतिरक्त अमिक को लगाने से कुल उत्पादन (Total Production) में जो वृद्धि होगी, वही सीमान्त उत्पादकता होगी। उपराहरण 100 अमिको द्वारा किसी वस्तु की 4000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तथा 101 अमिक उसी उद्योग में लगाने पर उत्पादन बढ़ कर 4050 इकाइयाँ हो जाता है तो पे 50 इकाइयाँ सीमान्त उत्पादन होगा।

मजदूर को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Productivity; i.e V M P) के बराबर होनी चाहिए। यदि अमिक को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम ( $W < V M P$ ) दी जानी है तो अमिक का शोषण होता है तथा इससे अधिक ( $W > V M P$ ) होने पर माहसी को हानि उठानी पड़ेगी। अतः दीर्घाल में मजदूरी (Wages) अमिक के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर ( $W = V M P$ ) होगी।

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो निम्नांकित है—

1. अम की सभी इकाइयाँ ममख्य (Homogeneous) होती हैं। सभी इकाइयाँ कार्य-कुशलता में समान होती हैं। उनमें प्रत्यर नहीं होता है।

2. यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतिक्षेपिता (Perfect Competition) की मान्यता पर आधारित है। साधनों का पूर्ण गतिशील, बाजार दशाओं का पूर्ण जान, उद्योग में प्रवेश व छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

3. साधन की इकाइयों में पूर्ण स्थानापन (Perfect Substitution) की मिशन दिवाना होती है।

4. साधन की मात्रा में दूसरे साधन के माध्य वृद्धि अवधा करना सम्भव है। एक साधन की मात्रा अधिक अधिक कम ही जा सकती है।

5. यह सिद्धान्त पूर्ण रोजगार (Full Employment) की मान्यता पर आधारित है। सभी साधनों की रोजगार मिला हुआ होता है।

## 24 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

6. यह सिद्धान्त उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि विसी साधन की मात्रा गैर-आनुपातिक रूप से बढ़ाने से कुछ उत्पादन में घटती हुई दर से बढ़ि होती है।

7. उत्पादन के साधन के रूप में थम पूर्ण गतिशील (Perfect Mobile) होता है। जहाँ अधिक मजदूरी है वहाँ थमिक वस मजदूरी वाले उद्योग को छोड़कर आ जाएंगे।

8. दीर्घकाल म ही मजदूरी थम के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य ( $W=V M P$ ) के बराबर होती। अत्यन्ताल में इनमें असम्भूलन (Disequilibrium) हो सकता है।

9. इसी भी उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादकता उसकी अतिरिक्त इवाई लगाने से ज्ञात वी पूरा सकती है।

**आलोचना—** इस सिद्धान्त की प्राय में आलोचनाएँ की जाती हैं—

1. यह मानना कि थम की दभी इकाई समरूप होती है, गलत है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि कार्ड-कुशलता के आधार पर थम के तीन भेद किए गए हैं— कुशल (Skilled), अड़-कुशल (Semi-skilled) और अकुशल (Un-skilled)।

2. सिद्धान्त द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चलना भी अव्यावहारिक है क्योंकि व्यवहार में हमें अपूर्ण प्रतियोगिता ही देखते को मिलती है। बाजार की अपूरणताएँ (Market Imperfections) जैसे बाजार की दग्धाओं का पर्ण ज्ञान न होना, कृतिम बाधाएँ आदि हम देखने को मिलती हैं।

3. कोई भी साधन पूर्ण स्थानापन्न (Perfect Substitute) नहीं है। एक साधन की विभिन्न इकाईयों में असमानताएँ पाई जाती हैं तथा विभिन्न साधनों में भी स्थानापन्न एक सीमा तक ही सम्भव है।

4. यह मानना कि एक साधन की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी दूसरे साधन के साथ सम्भव है, गलत है क्योंकि एक सीमा के पश्चात् साधन वी मात्रा में वृद्धि या कमी से विभिन्न साधनों के द्वारा असम्भूलन उत्पन्न करके उत्पादन को मुचाह रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

5. पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित यह सिद्धान्त व्यावहारिकता से दूर है क्योंकि धनों से धनों अथवा विकसित से विकसित देश में भी 5 से 7 प्रतिशत बेरोजगारी पाई जाती है। वास्तव में पूर्ण रोजगार से कम (Less than full employment) की स्थिति हमें देखने को मिलती है।

6. इस सिद्धान्त द्वारा यह मानना कि हमेशा उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू रहता है, असत्य प्रतीत होता है क्योंकि उत्पत्ति त्रुदि नियम (Law of Increasing Returns) भी उत्पत्ति के प्रारम्भिक काल में लागू होता है। इसके पश्चात् उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns) लागू होता है तथा अन्तिम स्थिति में उत्पत्ति हास नियम लागू होता है।

7. पूर्ण गतिशीलता की मान्यता। सही नहीं है क्योंकि अधिक न केवल उत्पादन का साधन ही है, बल्कि वह एक मानव भी है। अतः मजदूरी में दृढ़िकूरने मात्र से ही मजदूर कम मजदूरी से अधिक मजदूरी बाले स्थान ही द्वारा गतिशील होती होता है बल्कि वह अन्य तरफ़ों जैसे भाषा, स्थान, वातावरण, धर्म, जान-पहचान, वैश्वभूषण, रीति-रिवाज आदि में भी प्रभावित होता है, अतः उपर्युक्त गतिशीलता नहीं पाई जाती है।

8. यह सिद्धान्त मजदूरी का निष्ठांरण केवल दीर्घकाल में ही करता है। अख्यात अन्तर्राष्ट्रीय इससे असम्भव है। जैसा कि प्रो. बीन्स ने कहा है कि हमारी प्रधिकारीगं प्रार्थिक समस्याएँ अल्पकालीन हैं। दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं और कोई समस्या नहीं रहती है।

9. दूसरा उत्पादन के मानवों की सीमान्त उत्पादकता मापना सम्भव नहीं है। साहमी या प्रवन्धक उत्पादन के साधन के इर में एक-एक ही होते हैं। किसी भी उद्योग में दूसरा प्रवन्धक या साहमी लगाया नहीं जा सकता है। अतः साहमी या सांचनवर्ती की सीमान्त उत्पादकता मापने में यह सिद्धान्त असफल रहा है।

10. सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त मजदूरी निष्ठांरण में अमिकों की माँग को व्यान में रखता है। लेकिन मजदूरी को प्रभावित करने में अधिक की पूर्ण भी महत्व रखती है। अतः यह सिद्धान्त मजदूरी निष्ठांरण का एक-पक्षीय सिद्धान्त (One-sided Theory) है।

### मजदूरी का वट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (The Discounted Marginal Productivity Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अर्बनास्ट्री प्रो. टाउसिग (Prof. Taussig) ने किया। प्रो. टाउसिग ने मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की आलोचना करने हुए अपना मजदूरी का सिद्धान्त दिया जिसके अन्तर्गत अमिक को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम दी जाती है क्योंकि मजदूरी का मुगलान उत्पादित वस्तु की विक्री के पूर्व ही उद्योगपति को करता पड़ता है। उद्योगपति अधिक हप में मुगलान बरते भवध वर्तमान व्याज दर पर वट्टा छाट कर मजदूर को मजदूरी उभरे सीमान्त उत्पादकता के मूल्य ने कम देता है। इसलिए इसे वट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुमान मजदूरी निष्ठा प्रकार की जाएगी—

मजदूरी की सामान्य दर = सीमान्त उत्पादकता — वर्तमान व्याज दर में वट्टा

इस प्रकार पूँजीपति जब भी मजदूरी का अमुगलान करता है तब वह वर्तमान व्याज की दर के पांचार पर सीमान्त उत्पादकता में से वट्टा बाट कर ही अधिक को मजदूरी चुकाना है क्योंकि वर्तमान में यम द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्री बरने में राम्रय लगता है जबकि मजदूरी का मुगलान पहले ही करता पड़ता है।

आलोचना— इस सिद्धान्त की निष्ठांकित आलोचना की गई है—

1. यह सिद्धान्त 'धूँधला एवं अमूर्त' (Dim and Abstract Theory)

## 26 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

कहा जाता है क्याकि व्यावहारिक जीवन में मजदूरी निर्धारण में इस सिद्धान्त की कोई उपयोगिता नहीं है।

2 उत्पादन के अन्य साधनों जैसे पूँजी भूमि तथा साहस्री का कमश अताज, लगान तथा लाभ अथवा हानि के रूप में किए जाने वाले मुगलान में से बढ़ता वयो नहीं काटा जाता है? मजदूरी का मुगलान करते समय ही बढ़ता वया काटा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस सिद्धान्त में नहीं मिलता है।

3 इस सिद्धान्त में थम की पूर्ति (Supply of Labour) को निश्चित या दिया हुआ मानकर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है जो कि एक अधिकारी सिद्धान्त का एक नमूना है। दोनों पक्षों के बिना मजदूरी का निर्धारण सही तौर पर सभव नहीं हो पाता है।

4 इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त पर सीमात उत्पादकता सिद्धान्त की सभी आरोचनाएं लागू होती हैं।

### मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त अथवा मजदूरी का मौग व पूर्ति का सिद्धान्त

यद्यपि मजदूर एक मानवीय उत्पादन का साधन (Human Factor of Production) है त कि एक वस्तु किए इसका मूल्य निर्धारित करते समय हमें थम की मौग और थम की पूर्ति दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रो० मार्शल के अनुसार मजदूरी का निर्धारण थम की मौग और पूर्ति की जानि पर आधारित होगा जो कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न पार्द जाती है।

किसी भी उद्योग में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ पर थम की मौग इसके पूर्ति वक्र को छाटती है।

अभिक की मौग (Demand for Labour)— अभिक की मौग नियोजक या उचितपति द्वारा उत्पादन करने हेतु की जाती है। उत्पादक थम की मौग करते समय उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (Value of Marginal Productivity or VMP) को ध्यान में रखता है। प्रत्यक्ष उत्पादक थम की उस समय तक मौग करता रहता जहाँ तक कि थम का दिया जाने वाला पारिथमिक उसम सीमान्त उत्पादकता के 50 के बराबर ( $W=VMP$ ) होता है। कोई भी उत्पादक अभिक को उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से अधिक पारिथमिक देने का तैयार नहीं होगा क्योंकि इससे उसको हानि उठानी पड़ेगी।

थम की मौग एक व्युत्पन्न मौग (Derived Demand) है। यह जिस बिंदु की मौग अधिक है तो अभिक की भी अधिक मौग की जाएगी। इसके विपरीत अभिक की मौग कम होगी।

थम की मौग अन्य उत्पादन के साधनों की कीमतों द्वारा प्रभावित होती है। यदि अन्य साधनों की कीमतें अधिक हैं तो अभिक की मौग अधिक होनी अन्यथा कम।

थ्रिमिक की माँग तत्त्वोकी दशाओं (Technical Conditions) द्वारा भी प्रभावित होती है। यदि उत्पादन का थम गहन शरीरा (Labour Intensive Technique of Production) अपनाया जाता है तो थ्रिमिकों की माँग अधिक होगी और पूँजी गहन उत्पादन के तरीके (Capital Intensive Technique of Production) के अन्तर्गत थ्रिमिकों की माँग कम होगी।

**थम की पूँजि (Supply of Labour)**—थम की पूँजि का प्रयं है निमिल मजदूरी दरों पर कार्य करने वाले थ्रिमिकों की संख्या से अलग-अलग मजदूरी दर पर वितरने-नितने थ्रिमिक कार्य करने हेतु तैयार होगे। सामान्यत थम की पूँजि और मजदूरी दर में सीधा सम्बन्ध (Direct Relation) होता है अर्थात् अधिक मजदूरी पर अधिक थ्रिमिक तथा उस मजदूरी पर कम थ्रिमिक कार्य करने हेतु तैयार होगे।

दीर्घकाल में मजदूरी थ्रिमिक के सीमान्त उत्पादनता के मूल्य के बराबर होगी। अल्पकाल में यह कम अधिक हो सकती है। मजदूरी सीमान्त उत्पादन तथा औसत उत्पादन दोनों के बराबर ( $W = M P = A P$ ) होती। यह पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकाल में ही होगी।

### मजदूरी का सौदाकारी सिद्धान्त (Bargaining Theory of Wages)

प्रो॰ सिलवरमैन (Prof S.Iverman) द्वारा अनुसार सामान्यत मजदूरी थ्रिमिक के सीमान्त उत्पादन के बराबर होती है। लेइन यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती है। अत वास्तविक मजदूरी का निर्धारण थ्रिमिकों व नियोजकों नी सौदाकारी शक्तियों (Bargaining Powers of the Workers and Employers) द्वारा निर्धारित होता है। सीमान्त उत्पादन का मूल्य मजदूरी की अविवतम सीधा निर्धारित करता है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता और थ्रिमिकों की सौदाकारी शक्ति (Bargaining Power of Workers) दुर्बल है तो मजदूरी सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम होगी।

प्रो. रघुराजसिंह के अनुसार आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं में सामान्यतः मजदूरी तीन तरीकों से निश्चित की जाती है। ये तरीके हैं—व्यक्तिगत सौदाकारी, सामूहिक सौदाकारी और कानूनी नियमन।

व्यक्तिगत सौदाकारी (Individual Bargaining) के अन्तर्गत प्रत्येक थ्रिमिक अपने नियोजक से व्यक्तिगत रूप से मजदूरी का सीदा करता है। एक व्यक्ति की सीदा करने की शक्ति कमज़ोर होने से उसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम मजदूरी फिलेगी और इस प्रकार व्यक्तिगत सौदाकारी के अन्तर्गत जोपहु की प्रवृत्ति पाई जाती है।

सामूहिक सौदाकारी (Collective Bargaining) के अन्तर्गत थम के केरा (नियोजक) तथा विकेता (थ्रिमिक) सामूहिक रूप से मिलकर मजदूरी निर्धारण का

## 28 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

कार्य करते हैं। इनके अन्तर्गत सालिक शुल्क में न्यूनतम मजदूरी देना चाहेगा जबकि अधिक अधिकरण मजदूरी का प्रस्ताव रखेगे। इसके अन्तर्गत वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण अधिकों और नियोजकों की सोशलारी शक्ति तथा उनकी इकाता पर आधारित होता है। जो पक्ष जितना अधिक सुसगठित तथा सुट्ट (Well-organised and strong) होगा उनकी ही सप्तता उसे अधिक प्रियोगी। एक निकासीन देश (जैसे भारत) में सुसगठित तथा सुट्ट अधिक सभों का अभाव होने से यहाँ के अधिकों की सोशलारी शक्ति दुर्बंध होने पर उनका गोपयण होता है तथा मजदूरी दर नियोजकों या मालिकों के अधिक अनुकूल है। सामूहिक सोशलारी के अन्तर्गत निर्धारित वास्तविक मजदूरी किसी भी उद्योग या व्यवसाय में वहाँ के अधिकों की मीमान्त उत्पादकता वे मूल्य के बराबर हो सकती है तथा नहीं भी हो सकती है।

कभी-कभी नियोजक तथा अधिक सामूहिक सोशलारी द्वारा मजदूरी-निर्धारण म अमर्कल हो जाते हैं तब मजदूरी का निर्धारण ऐच्छिक सुनह अथवा पक्षफैसले (Arbitration) के आधार पर होता है। यह निर्धारण दोनों ओं महमति तथा समझौते पर आधारित होने के कारण दोनों पक्षों की सोशलारी शक्ति तथा कुशलता को प्रदर्शित करता है। पक्षफैसले के अन्तर्गत जो भी पक्ष नियुक्त होता है वह मजदूरी निर्धारित करते समय न केवल दोनों पक्षों की सोशलारी शक्ति व कार्य-कुशलता को ही ध्यान में रखती है बल्कि वह उद्योग या नियोजक की मुश्लिमता, अधिकों की जीवन निवाह, लागत, अधिकारों की उत्पादकता वर्तमान म पाई जाने वाली मजदूरी दरे और राष्ट्रीय हित आदि बातों को भी ध्यान में रखता है।

इनके अतिरिक्त मजदूरी निर्धारण का कार्य किसी वंधानिक मण्डल द्वारा भी विया जा सकता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में विभिन्न उद्योगों के लिए समय-समय पर बेतन मण्डल (Wage Boards) नियुक्त विए हैं तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मजदूरी निश्चित बीं है। ये मण्डल मजदूरी निर्धारित करते समय देश के श्रोतोगिक स्तर, सार्विक, सामाजिक एव साजीवीतक पहलुओं को ध्यान में रखने द्वारा मजदूरी निर्धारित करते हैं।

मजदूरी का सोशलारी सिद्धान्त सबप्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बेब्म ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद स ही यह सिद्धान्त अधिक सभों का मूलभूत सिद्धान्त बन गया। प्रो. मिलिस एव मोन्टगोमरी (Prof Millis & Montgomery) ने अनुसार मजदूरी, कार्य के घटे और कार्य की दशा में दोनों पक्षों की सापेक्षिक सोशलारी शक्ति का मामला है। सुसगठित प्रयासों के माध्यम से मजदूरी, कार्य के घटों तथा अन्य महत्वपूर्ण धर्म प्रसविदों और उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार विया जा सकता है।<sup>1</sup>

शूल, दै, नर्यों और, लिखेद रूप ये दोल, दै, पत्तन, घटी, के पहल्वान, ये, ही सोशलारी सिद्धान्त ने मजदूरी दरों तथा अल्पकालीन मजदूरी विभिन्नताओं वे निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अधिक अपनी मजदूरी बढ़वाने में असमर्थ थे। लेविन आधुनिक समय में समाजवादी विचारधारा और सुसगठित तथा सुहृद अधिक सधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियोजक (Employer) अपनी इच्छानुसार कार्य की दशाएँ, कार्य के घटे, मजदूरी, सगठन का प्रशासन आदि निर्धारित नहीं कर सकता। अब अधिक एक वस्तु की नग्न रूप नहीं किया जा सकता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं को मानकर चलते थे जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं। —

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दूत सिद्धान्त के अनुसार धगिको को सुसगठित तथा सुहृद होना चाहिए और मजदूरी में कमी करने के किसी भी दबाव का डट कर मुकाबला करना चाहिए। नामूहिक सौदे द्वारा ही अधिक अपनी मजदूरी, कार्य के घटे, कार्य की दशाओं आदि में महत्वपूर्ण सुधार करवाने में सफल हो सकते हैं। यह सिद्धान्त 'सगठन ही शक्ति है' (Union is Strength) पर आधारित है।

प्रो कीन्स की 1936 में 'सामान्य सिद्धान्त' नामक पुस्तक के प्रकाशित होने में प्रो वेब्स के सौदेकारी सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण संदर्भित महारा निला।

**आलोचना**—मजदूरी के सौदेकारी सिद्धान्त वी भी उमी प्रकार में आलोचना की गई है जिस प्रकार से मजदूरी के सौमान्य उत्पादन की—

1. यह प्रश्न किया गया है कि ब्राह्म मजदूरी निर्धारण करने में सौदेकारी सिद्धान्त उपयुक्त एवं वैद्यकीय प्रभाव टालता है? मजदूरी निर्धारित करते समय उद्योग की मुगलान-भमता, विभिन्न उद्योगों में पाई जाने वाली मजदूरी दरें, सहकारी नीति आदि तत्व भी महत्वपूर्ण प्रभाव ढालते हैं।

2. नियोजक (Employers) इस सिद्धान्त की आलोचना चरते हैं क्योंकि साधन-बाजार (Factor Market) में प्रतियोगिता के अभाव की मान्यता पर यह सिद्धान्त आधारित है। हम देखते हैं कि इजीनियरिंग, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी प्राप्त नहीं मिल पाते हैं।

3. सामूहिक सौदेकारी द्वारा मजदूरी में इनसे शीघ्र दृढ़ि नहीं हो पाती है जितनी कि अन्तिगत सौदेकारी में—यह मान्यता भी गलत है क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सौदेकारी के अन्तर्गत अधिक वो उसकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी मिलती है जबकि सामूहिक सौदेकारी के अन्तर्गत यदि सुहृद एवं सुसगठित (Strong and well-organised) अधिक है तो मजदूरी कभी भी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम नहीं हो सकती है।

4. सामूहिक सौदेकारी के आधार पर हुए मजदूरी निर्धारण के समझौते की भी आलोचना की गई है क्योंकि सामूहिक सौदेकारी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित मजदूरी जरूरी नहीं है कि सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो अबवा उद्योग की मुगलान शमता, राष्ट्रीय नीति आदि के प्रत्युत्तर हो। इस सिद्धान्त द्वारा हुए समझौते को सही नहीं मान सकते। चाहे इसे साधनी के कुण्डल आवण्टन, मूल्य-स्थिरता अथवा समान कार्य हेतु समान मजदूरी को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाए।

5 सामूहिक सोदेकारी सिद्धान्त के अन्तर्गत हुए मजदूरी समझौतों की सामाजिक तथा आधिक लागतें (Social and economic costs of wage dispute settlements) भी होती हैं जो इस राष्ट्रीय प्रगति में बाधक होती हैं—जैसे हटकाले, ताला-वरियाँ, मध्यस्थता, पचासला, आदि। इनको भी ध्यान में रखकर इस सिद्धान्त की उपयुक्तता का अध्ययन करना होगा।

6 सोदेकारी सिद्धान्त की सबसे प्रभावपूर्ण दुर्बलता इसका अवसरवादी गुण (Opportunistic Character) है। यह अपने आप में मजदूरी-निर्धारण का एक पूर्ण सिद्धान्त (Complete Theory) नहीं है क्योंकि यह दीपंकालीन स्परेक्षणे प्रस्तुत नहीं करता। जब दोनों पक्ष समझित हों और मजदूरी का निर्धारण सोदेकारी सिद्धान्त के प्राधार पर हो जाए तो किर आगे क्या कार्यक्रम होगा—इसे बताने में यह सिद्धान्त असफल रहा है।

प्रो कीन्न ने अनुसार मजदूरी न बेबल सोदेकारी शक्ति द्वारा ही निर्धारित ही जाए, बल्कि इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें भी ध्यान में रखनी होगी—

- 1 एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति (A National Wages Policy),
- 2 एक स्थिर नकदी मजदूरी स्तर (A Stable Money Wage Level),
- 3 दीपंकाल में बढ़ता हुआ नकदी मजदूरी स्तर (A rising money wage level in the long run)।

### अधिक शोषण की विचारधारा

#### (Concept of 'Exploitation of Labour')

अमिक शोषण की विचारधारा समाजवादी अर्थशास्त्रियों की देन है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Das Capital' में पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था को अमिक शोषण के लिए उत्तरदायी बताया है। उन्होंने इसी विचारधारा के प्राधार पर मूल्य का बचत सिद्धान्त (Surplus Theory of Value) प्रतिपादित किया है। इसके अन्तर्गत अमिक को पूँजीवानि उसकी सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम मजदूरी देकर उसका शोषण करते हैं। साथ ही पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में जानलाभ है वह अमिकों के शोषण का परिणाम मानता है।

अमिकों का शोषण अमिकों व मालिकों की ग्रसमान सोदेकारी शक्ति के कारण होता है क्योंकि अमिक प्राय विकासशील देशों में सुदृढ़ तथा मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण उनको मोलभाव करने की शक्ति (Bargaining Power) अमिकों होती है और उनको जो मजदूरी दी जाती है वह उनके कुल उत्पादन में किए गए योगदान (Contribution to total production) के मूल्य से कम होती है और इस तरह उनका शोषण होना रहता है।

प्रतिपित्र अर्बशाही (Classical Economists) वस्तु बाजार (Commodity Market) तथा साधन बाजार (Factor Market) में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को मान कर चले थे। अत उस समय किसी भी साधन के शोषण होने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता था। लेकिन हम वास्तविक जीवन में देखते हैं कि न तो वस्तु,

बाजार और न ही साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पापी जाती है। व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण साधन के शोषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

साधारणत्वक की हाईट में जब नाभ अधिक हो और मजदूरी काफी कम, तो अम का शोषण माना जाता है। अधंगास्तिकों ने धमिक रुपों विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। श्रो पीयू के अनुसार जब धमिक को उसके सीमान्त भौतिक उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Physical Product) से कम मजदूरी हो जाती है तो धमिक शोषण होता जबकि श्रीमती जॉन रोबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) ने धमिक के शोषण को सीमान्त विगुद उत्पादकता (Marginal Net Productivity) के रूप में परिभाषित किया है। इसमें सीमान्त विगुद उत्पादकता से अर्थ है—सीमान्त भौतिक उत्पादकता को कर्म के सीमान्त आगम (Marginal Revenue or M.R.) ने गुण किया जाना। श्रीमती रोबिन्सन ने अनुसार धमिक का शोषण अम बाजार की अपूर्णताओं के कारण होता है जबकि प्रो पीयू की अम शोषण सम्बन्धी विचारधारा व्यापक है। उनके अनुसार धमिक का शोषण न केवल धम बाजार की अपूर्णताओं का परिणाम है, बल्कि इस शोषण से वस्तु बाजार की अपूर्णताओं का भी होता है। वस्तु बाजार में जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है तो सीमान्त आगम कीमत से कम (Marginal Revenue is less than Price or MR < P) होता है।

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत धमिक शोषण के अध्ययन हेतु हमें सीमान्त आगम उत्पादकता (Marginal Revenue Productivity) को ध्यान में रखता चाहिए। वास्तविक व्यवहार में हमें पूर्ण प्रतियोगिता न केवल साधन बाजार (Factor Market) में बल्कि वस्तु बाजार (Commodity Market) में भी देखने की नहीं मिलती है। यदि नियोक्ता सभी उत्पादन के माध्यन्तों को उनके सीमान्त उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Product) के बराबर भुगतान कर देता है तो स्वयं उसका शोषण होगा। अमिक्टे के शोषण के कारणों का अध्ययन अद्यतिनिःसंख्यों के घन्तानंतर कर सकते हैं—

1. अपूर्ण वस्तु बाजार (Imperfect Commodity Market) के कारण धमिक का शोषण होता है क्योंकि प्रत्येक उत्पादन के साधन का सीमान्त आगम उत्पादन इसके सीमान्त उत्पादन वे मूल्य से कम (MRP < VMP or Marginal Revenue Product is less than Value of Marginal Product) होता है। इस प्रकार का शोषण नभी साधनों का होता है। जहाँ तक कुछ सीमा तक एकाधिकारी तत्व की स्थिति देखने को मिलती, अमिक्टे का शोषण भी होता रहेगा। इस स्थिति में मजदूरी बढ़ाने गे शोषण समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से रोजगार तथा उत्पादन में कमी आ जाएगी। इस कमी का कारण मजदूरी बढ़ाने से उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इस शोषण को समाप्त करने के लिए एकाधिकारी द्वारा उत्पादन दरका होगा जो कि उसकी औसत लागत तथा कीमत दोनों को बराबर (Average Cost=Price) करता

हो। यदि मजदूरी नीची है तो हम वह नहीं कह सकते कि अमिक शोपण होता है। यह तभी वहा जा सकता है जबकि अमिक उत्पादकता को ध्यान में रखा जाए। उत्पादकता कम होन पर मजदूरी भी कम होगी और इसे हम अमिक के शोपण के नाम से नहीं पुगार रखते।

2 थम बाजार (Labour Market) में घूरण होने की स्थिति में भी थम का शोपण होता है वयोंकि इसके अन्तर्गत नियोक्ता भिलकर थम के प्रय हेतु समझौता कर लेते हैं। यह शोपण उस स्थिति में भी सम्भव है जहाँ पर थम की पूर्ति पूरा लोचदार से कम होती है। थम की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम उस स्थिति में हो सकती है—जब अमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में गतिशील न हो और चाहूँ मजदूरी-दरों पर बार्य करने को तत्पर न हो।

जहाँ ऐताधिकार (Monopsony) की स्थिति थम बाजार में विद्यमान होती है वहाँ अमिक का शोपण होता है। अमिक-संघ ऐताधिकारियों पर मजदूरी बढ़ाने हेतु दबाव डाल सकते हैं लेकिन उनको अधिक सफलता नहीं मिल सकती वयोंकि अधिक दबाव डालने पर अमिकों के रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

3 अमिकों की भिन्नता (Heterogeneity of Labour) के कारण भी अमिकों का शोपण सम्भव होता है क्योंकि अमिकों की अलग-अलग बगों में विभाजित किया जा सकता है—जैसे कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल। कार्य-कुशलता के आधार पर विभिन्न बगों वाले अमिकों को अलग-अलग पारिश्रमिक दिया जाता है। एक ही बगं जैसे कुशल में भी वितरने ही अमिक होते हैं। सबसे घटिया दक्षता वाले अमिक जो जितनी मजदूरी दी जाती है और उतनी ही उससे अधिक दक्षता रखनी दाले अमिक जो दी जाती है तो वह भी अमिक-शोपण को उत्पन्न करता है।

### शाधुनिक विचारधारा

उपरोक्त मजदूरी निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भी मजदूरी-निर्धारण का सिद्धान्त अपने आप में पूर्ण एवं व्यावहारिक नहीं है। इस तरह किसी भी राष्ट्र में मजदूरी निर्धारण सम्बन्धी कार्य एवं जटिल विषय है। प्राचीन समय में मजदूर को एक वस्तु की भाँति समझकर मजदूरी का निर्धारण कर दिया जाता था लेकिन अब समाजवादी विचारधाराओं तथा कल्याणवारी राज्य की भूमिका ने मजदूरी निर्धारण सम्बन्धी विचार को पूर्ण रूप से बदल दिया है। अब अमिक के वस्तु हिटिकोए के स्थान पर मानवतावादी हिटिकोए अपनाया जाता है। अब अमिक का सम्बन्ध नियोक्ता के साथ मालिक मजदूर का न रहकर सहभागिता (Partnership) का सम्बन्ध हो गया है। औद्योगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) के विकास से अमिक उद्योग के प्रकासन में भी हाथ बढ़ाते हैं। अधिकारी देशों में मजदूरी निर्धारण में कई महत्वपूर्ण तत्व प्रभाव डालते हैं—जैसे थम की उत्पादकता, अमिकों य नियोक्ताओं की सौदेबारी जटिक, सरकारी विधान एवं हस्तक्षेप, ग्रामिक विकास का

स्तर, राष्ट्रीय आय, जीवन निवाह लाभ, उद्योग की मुमताव अवधि, सामाजिक लाभ नियोक्ता का उपभोग और विनियोग एवं उसकी एकाभिकार तत्त्व की स्थिति आदि। मजदूरी निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

### मजदूरी में अन्तर के कारण (Causes of Wage Differentials)

मजदूरी से सम्बन्धित समस्या गारेजिक मजदूरी (Relative Wages) है। इसके अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारों, विभिन्न स्थानों में मजदूरी में अन्तर होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है। चित्र-भित्र व्यवसायों में मजदूरी की दर समान नहीं होती है। एक ही व्यवसाय और विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी में पाए जाने वाले कारणों का अध्ययन करना उचित होगा। ये तत्त्व जिनके कारण विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारों के स्थानों में मजदूरी में अन्तर पाया जाता है, निम्नांकित हैं—

1. कार्यकुशलता में अन्तर (Differences in Efficiency)—एक ही व्यवसाय तथा विभिन्न व्यवसायों ने मजदूरी में भिन्नता का कारण अभिको वी कार्यकुशलता ने अन्तर का पाया जाना है। अभिक कुशल (Skilled), अदंकुशल (Semi-skilled) एवं अकुशल (Unskilled) होते हैं। यह कार्यकुशलता का अन्तर जन्मजात मुगां (Inborn qualities), शिक्षा, प्रबिक्षण एवं कार्य की दशाओं आदि के कारण से होता है। अतः जब कार्यकुशलता अलग-अलग होती तो मजदूरी में अन्तर होना भी स्वाभाविक है।

2. बाजार के अपूरणतापे (Market Imperfections)—श्रम का पूर्ण गतिशील न होना, एकाधिकारी तत्त्व तथा सरकारी हस्तक्षेप आदि बाजार की अपूरणतायों द्वारा उत्पन्न करने हैं। इन्हों अपूरणतायों द्वारा मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं। किसी व्यवसाय में मुहूर्त श्रम संघ का होना सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिकों में भौगोलिक गतिशीलता वा अभाव एवं श्रम की गतिशीलता में सामाजिक तथा नस्थापत व्यावक तत्त्व आदि के कारण बाजार की अपूरणताएँ पाई जाती हैं। परिणामस्वरूप मजदूरी में अन्तर देखने की मिलते हैं।

3. किसी व्यवसाय द्वारा दी लागत अवधा कठिनाई के कारण किसी व्यवसाय विक्रेप में श्रमिकों की पूर्ण उनकी माँग की तुलना में बग होती है। परिणामस्वरूप उनकी मजदूरी अन्य चर्गों से अधिक होती और मजदूरी में अन्तर पाए जाएंगे। उदाहरणतः डॉक्टर व इंजीनियर द्वारा कारण स्नानक से अधिक देना मिलता है।

4. कार्य की प्रकृति (Nature of Work)—कुछ कार्य स्थायी होते हैं तथा बुध नाम्यिक (Seasonal) होते हैं। स्थायी कार्यों में लगे श्रमिकों की मजदूरी दर कम होती है जबकि अस्थायी प्रवृत्ति वाले कार्यों में लगे श्रमिकों को प्रायः अधिक मजदूरी दी जाती है। ये गभी कारण मजदूरी में अन्तर को बढ़ाव देते हैं।

5. मात्रों उपर्युक्त में अन्तर (Differences in Future Prospects) के कारण भी मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं। जिस व्यवसाय या उद्योग में श्रमिकों को भविष्य में उपर्युक्त व्यवसाय अवश्य होते हैं, उसमें श्रमिक प्रारम्भ में कम मजदूरी पर भी काय करने को संयार हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन व्यवसायों में भविता उपर्युक्त के आसार कम अपेक्षा नहीं होते हैं, उनमें प्रारम्भ में श्रमिकों को ऊँची मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यत इस भिन्नता के कारण अलग-अलग व्यवसायों में मजदूरी में अन्तर देखने वो मिलेंगे।

6. रोजगार का समाज में स्थान (Social Esteem of Employment)—निम्न कार्य के लिए अधिक मजदूरी देकर श्रमिकों को आवश्यित करना पड़ता है क्योंकि समाज में ऐसे कार्य करने वाले को हेच हॉटि से देखा जाता है जबकि समाज में अच्छी निगह से देखे जाने वाले रोजगार के लिए कम मजदूरी देने पर भी श्रमिक कार्य करने हेतु रैपार हो जाएंगे।

7. व्यवसाय की जोखिम (Risk of Occupation)—जिन व्यवसायों में कार्य अधिक लक्षणाक अथवा जोखिमपूर्ण होते हैं, उनमें कार्य करने वालों को अधिक पारिष्यमिक दिया जाता है जबकि दूसरी ओर आसान कार्य करने वालों को कम मजदूरी दी जाती है। श्रमिक व सैनिक दोनों वो मजदूरी में अन्तर मुख्यत दर्शी कारण पाया जाता है।

8. निर्बाह लागत (Cost of Living)—जिन स्थानों पर शहरों में जीवन निर्बाह लागत अधिक होनी है वहाँ पर कार्य करने वालों को ऊँचा बेतन दिया जाना है जबकि दूसरी प्रार भस्ते जीवन निर्बाह लागत वाले शहरों में मजदूरी कम दी जानी है। इस प्रकार जीवन निर्बाह लागत मजदूरी में अन्तर उत्पन्न करती है।

मजदूरी में विभिन्नता एक पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की महत्वपूर्ण देन है। इस अर्थ-व्यवस्था का अर्थ-नन्द ही ऐसा है जो वि मजदूरी में अन्तर तथा आधिक प्रसमानता को जन्म देने में सहायत होता है। फिर भी विभिन्न श्रमिकों को कार्य-कुशलता वी विभिन्नताओं के कारण मजदूरी में अन्तर होना परमावश्यक (Inevitable) है। एक अमेरिका जैसी रक्तनन्द अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण वाजार दशाओं के आधार पर होने के कारण मजदूरी की विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में भी मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को अभी समाप्त नहीं किया जा सका है, यद्यपि इन देशों में उत्पादन के सभी साधन मरकारी स्वामित्व में हैं तथा नियी सम्पत्ति के अधिकार भी गुण्ठ रूप से समाप्त कर दिया गया है।

मजदूरी में अन्तर श्रमिकों के जारीरिक ओर मानसिक गुणों के अलग-अलग होने का परिणाम है। श्रमिकों म मौलिक तथा प्राप्त गुणों के अन्तर के कारण उनकी देखता भी अलग अलग होनी है और स्थाभावित है वि उनको मजदूरी भी अलग-अलग दी जाएगी। विभिन्न श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता भी इससे अलग-अलग होती।

### मजदूरी-अन्तरों के प्रकार (Types of Wage Differentials)

मजदूरी में अन्तरों को इन बगों में विश्वासित किया जा सकता है—

1. रोजगार बाजार की अपूर्णताओं (Imperfections of the Employment Market) के कारण भी मजदूरी में अन्तर उत्पन्न होते हैं। अमिक को कार्य की जानकारी का न होना, अमिक की भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव आदि मजदूरी में अन्तर को प्रोत्साहन देते हैं।

2. तिग, आयु, आदि के कारण भी मजदूरी में अन्तर पाया जाता है। स्त्री को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है और बालक को वयस्क से कम मजदूरी दी जाती है।

3. व्यावसायिक मजदूरी में अन्तर (Occupational Wage Differentials)—व्यावसायों को भी मानसिक तथा जारीरिक कार्य करने वालों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रोजगार बाजार में कितनी ही पूर्णताएँ क्यों न हो किर भी व्यावसायिक मजदूरी में अन्तर मिलेंगे। किसी एज उच्चोंग के प्रबन्धक को वेतन तथा इसी स्थान के विभिन्न विभागों के दिभागाव्यक्तियों को मिलने वाला वेतन मलग-अलग होता है। जारीरिक कार्य करने वाले अमिकों वी मजदूरी भी पानीसक कार्य करने वाले अमिकों से मलग होगी।

# 3

## मजदूरी और उत्पादकता, ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता, राष्ट्रीय आय वितरण में श्रम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ


(WAGES AND PRODUCTIVITY, ECONOMY OF HIGH WAGES, LABOUR SHARE IN NATIONAL INCOME DISTRIBUTION, METHODS OF INCENTIVE WAGE PAYMENT, SYSTEMS OF WAGE PAYMENT IN INDIA)

### मजदूरी और उत्पादकता (Wages and Productivity)

मजदूरी को प्रभावित करने में उत्पादकता का पहल्वान स्थान है। जब भी मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो यह सोचा जाता है कि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी अथवा नहीं। मध्यपि उत्पादकता के आधार पर ही मजदूरी में वृद्धि करना बाध्यनीय होगा, लेकिन स्वयं उत्पादकता को मापना बड़ा कठिन है। किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है। एक साधन द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में कितना योगदान रहा है, वह उस साधन की उत्पादकता होती है। अब की एक इकाई द्वारा बितना उत्पादन बिया जाता है वही उसकी उत्पादकता है। ऐजगार की हुई भाषा के साथ राष्ट्रीय आय की भाषा अब की उत्पादकता पर निर्मंत करती है। उत्पादन को अधिकतम करने हेतु हमें मानवीय शक्ति को रोजगार देकर उससे अधिकतम उत्पादन करना होगा। अधिक रोजगार होने के बावजूद भी उत्पादन अधिकतम सम्भव नहीं हो पाता पर्यं अमिको की उत्पादकता कम है।

उत्पादन के बनो, उत्पादन के तरीकों, प्रबन्ध-कुशलता, अन्य सापेनों की पूर्ति आदि को दिया हुआ मानकर खलें तो हम कह सकते हैं कि अधिक उत्पादकता उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सौधा सम्बन्ध है। यदि कार्यकुशलता अच्छी है तो उत्पादकता में वृद्धि होगी अन्यथा नहीं।

### उत्पादकता की परिभाषा

(Definition of Productivity) 

उत्पादकता किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और एक या अधिक उत्पादन के सापेनों का अनुपात बताती है, जो कि मात्रा में ही गापी जाती है।<sup>1</sup> इस विचार के अनुसार उत्पादकता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे—श्रम उत्पादकता, पूँजी उत्पादकता, शक्ति उत्पादकता एवं कच्चे माल की उत्पादकता, आदि।

प्रो. बांगुली (Prof. H C Ganguli) के अनुसार उत्पादकता का अर्थ सामान्यतया किसी सृजन करने की शक्ति या क्षमता से होता है (Productivity usually means possession or rise of the power to create)। उत्पादकता को निम्न रूप से ज्ञात किया जा सकता है<sup>2</sup>—

$$\text{अम उत्पादकता} = \frac{\text{धन का उत्पादन (Output of Wealth)}}{\text{अम साधन (Input of Labour)}}$$

### उपयोग और महत्व

(Uses and Significance)

अम उत्पादकता के उपयोग व महत्व को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

1. किसी भी देश में विकास और प्रगति की दर एक लम्बे समय तक किस तरह परिवर्तित रही है। उत्पादकता को किसी भी समाज की उन्नति का बैशेमीटर कहा जा सकता है। अधिक उत्पादकता है तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आधिक विकास की दर में वृद्धि होगी।

2. उत्पादकता सूचकांकों की सहायता से विभिन्न सरकारी, व्यावसायिक एवं धर्म संघ नीतियों जिनका सम्बन्ध उत्पादन, मजदूरी, मूल्य, रोजगार, कार्य के घण्टों और जीवन-निर्धारा से होता है, निर्धारण आसानी से किया जा सकता है।

3. मजदूरी दरों के सम्बन्ध में सौधा करने की सुविधा उत्पादकता के कारण ही सम्भव होती है क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि होते ही अधिक मजदूरी में वृद्धि करने की मांग कर सकते हैं।

4. उत्पादनता की सहायता से हम विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं तथा यह पता लगा सकते हैं कि साहसी निम्न उत्पादकता उद्योग से अधिक उत्पादकता उद्योग में अपनी पूँजी निवेश करता है अथवा नहीं।

1. *Beri, G. C. : Measurements of Production & Productivity in Indian Industry*, p. 90.
2. *Ganguli, H. C. : Industrial Productivity and Motivation*, p. 1.

## 38 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

5 उत्पादकता से हमें यह भी पता चलता है कि किसी श्रौद्धोगिक इकाई में वित्तीय, प्रबन्धकीय एव प्रशासकीय एकीकृत नीति का उसकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

6 उत्पादकता सूचकांकों के सहारे किसी भी श्रौद्धोगिक इकाई में विवेकीकरण (Rationalisation) तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध (Scientific Management) की योजनाओं के लागू करने से निकले परिणाम ज्ञान किए जा सकते हैं।

7 कारखाना प्रबन्धक उत्पादकता दे माध्यम से नवीन मजदूरी भुगतान तथा प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतानों की सफलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors affecting the Productivity of Labour)

अब हम इस बात का ध्यायन करेंगे कि श्रम उत्पादकता किन-किन तत्त्वों से प्रभावित होती है। अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (International Labour Organisation) के अनुसार थम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को तीन बगौं में बांटा जा सकता है।—

1 सामान्य तत्त्व (General Factors)— श्रम उत्पादकता को प्रभावित करने में सामान्य तत्त्व महत्वपूर्ण है। सामान्य तत्त्वों के अन्तर्गत जलवायु, कच्चे माल का भौगोलिक वितरण आदि आते हैं। जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ वे अधिक सम्भव समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कम होने से उत्पादकता भी कम होती है। भारतीय अमिक योरोपीय अधिक की तुलना में वह उत्पादकता देता है क्योंकि हमारे देश की जलवायु गर्म है। जहाँ कच्चा माल आसानी से और शीघ्र सुलभ होता है वहाँ अधिक उत्पादकता अधिक होगी और इसके विपरीत कम उत्पादकता होगी।

2 संगठन एव तकनीकी तत्त्व (Organisation & Technical Factors)— श्रम की उत्पादकता उद्योग के संगठन तथा उसमें काम लाई गई तकनीकी द्वारा भी प्रभावित होती है। इसके अन्तर्गत कच्चे माल की किस्म (Quality of raw material), प्लान्ट की स्थिति एव सरचना, मशीनों एव औजारों की घिसावट आदि आते हैं।

3 मानवीय तत्त्व (Human Factors)— मानवीय तत्त्वों से भी थम की उत्पादकता प्रभावित होती है। मानवीय तत्त्वों के अन्तर्गत थम-प्रबन्ध सम्बन्ध, कार्य की सामाजिक एव मनोवैज्ञानिक दशाएं, थम सघ व्यवहार आदि आते हैं। जिस संस्थान में थम-प्रबन्ध सम्बन्ध अच्छे एव मधुर होते हैं वहाँ हृदताल, ताला-बन्दियाँ, धीमे कार्य की प्रवृत्तियाँ आदि न होने से थम वी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके

विपरीत बारें होने पर थम की उत्पादकता घटती है। कार्ड की वशाएं अच्छी होने पर तथा थम समस्याओं की मानवीय हास्टिकोरण से देखने पर थमिकों की मनोदशा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ने से थमिक उत्पादकता में बुद्धि होती है। थमिक सधों का व्यवहार भी अच्छा होने पर उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

**थम-उत्पादकता की माप (Measurement of Labour Productivity)–** थम उत्पादकता को वई तरीकों से मापा जा सकता है। किसी उद्योग में एक ही उत्पादन (Single Product) होने पर थम उत्पादकता ज्ञात करना आसान है। उत्पादकता मापने हेतु निम्नलिखित सभीकरण काम में लापा जाएगा<sup>1</sup>–

$$P = \frac{q}{m}$$

P का मर्यादित है उत्पादकता, q उत्पादन की मात्रा या इकाइयों तथा m मानव घण्टों की संख्या को प्रदर्शित करता है। दो मर्यादित (Two Periods) में उत्पादकता में हुए परिवर्तनों को इस प्रकार लिख सकते हैं –  $\frac{q_1/q_0}{m_1/m_0}$  इसमें <sub>0</sub> और <sub>1</sub> आधार वर्ष एवं चालू वर्ष को प्रदर्शित करते हैं।

सेकिन उपरोक्त सभीकरण द्वारा मापी गई उत्पादकता वास्तविक जीवन में मापी जाने वाली उत्पादकता से आसान है। वास्तविक जीवन में उत्पादकता मापना प्रासान नहीं है क्योंकि एक ही उद्योग द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की भौतिक मात्रा तथा आकार अलग-अलग होते हैं। इस मपस्थि को दो विधियों द्वारा हल किया जा सकता है—

1. उत्पादन के सापेन्साथ रोजगार के सूचकांक आधार तथा चालू वर्षों के लिए तैयार किए जा सकते हैं और इनके आधार पर चालू वर्ष में आधार वर्ष के आधार पर हुए उत्पादकता के परिवर्तन के अनुपात को मापा जा सकता है। चालू वर्ष में हुए उत्पादकता के परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा—

$$\frac{P_1/P_0}{E_1/E_0}$$

हम मूल में P तथा E उत्पादन सूचकांक तथा रोजगार सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं।

2. थम-उत्पादकता मापने की दूसरी विधि के प्रनालयत प्रति मानव घण्टा उत्पादन (Output per man-hour) का विपरीत (Reciprocal) उपयोग करके उत्पादकता मालूम की जा सकती है। इस प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई पर किया गया मानव घण्टों का व्यय ज्ञात किया जाता है अर्थात् एक वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में किन्तु मानव घण्टों (Man-hours) का व्यय हुआ। इसे हम 'इकाई थम जहरत' (Unit Labour Requirement) के नाम से भी पुकार सकते हैं।

1. Berl, G. C. : Measurements of Production & Productivity in Indian Industry, p. 93.

## थ्रम-उत्पादकता को आलोचना (Criticism of Labour Productivity)

1. यदि हम थ्रम-उत्पादकता का अध्ययन करते हैं तो इससे थ्रम को ही उत्पादन बढ़ाने के लिए अनावश्यक महत्व दिया जाता है जबकि उत्पादन में वृद्धि हेतु न केवल थ्रम बी उत्पादकता में वृद्धि करता आवश्यक है, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों के महत्व भी स्वीकार करना है।

2. इसी भी सम्पादन, पर्म अथवा उद्योग से प्राप्त कुल उत्पादन को थ्रम के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उद्योग अथवा कर्म की कार्यकुशलता भी भौतिक उत्पादन और थ्रम प्रयासों के अनुपात के रूप में मापना चाहिए है।

3. प्रति घण्टे को उत्पादकता का सूचकांक मानकर चलना भी उचित नहीं है क्योंकि यह अन्तर-साधन एव उत्पादन कुशलता में परिवर्तन भी भी बताते हैं।

4. अखिलक्षित देशों में अपनी थ्रम उत्पादकता जानने, इसे मापने आदि के मम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी वा अभाव है। अत वहाँ इस विचारधारा का रही एव उचित उपयोग सम्भव नहीं हो सकता।

5. थ्रम उत्पादकता के सूचकांकों वी सहायता से सरकारी नीतियों का निर्धारण केवल एक अनुमान मात्र है। जिस प्राधार पर सूचकांक तैयार किए जाते हैं, वे अपने आप में भी नहीं हैं।

### उत्पादकता विचारों के प्रकार (Types of Productivity Concepts)

उत्पादकता सम्बन्धी विचार विभिन्न सदर्भों तथा अर्थों पर वाम में भागते हैं—

1. भौतिक उत्पादकता (Physical Productivity) —जब किसी उत्पादन के साधन का उत्पादन में कितना योगदान है उसे भौतिक रूप में व्यक्त करते हैं तो वह भौतिक उत्पादकता कहलाती है, जैसे प्रति मानव घण्टा तीन मीटर कपड़ा, आदि।

2. मूल्य उत्पादकता (Value Productivity) उत्पादन का मम्बन्ध (Homogeneous) नहीं होने पर तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से नुलना सम्भव नहीं होने पर उन वस्तुओं वी भौतिक मात्रा को बाजार मूल्यों पर गुणा करके मूल्य में व्यक्त करते हैं तो यह मूल्य उत्पादकता कहलाएगी, उदाहरण्यत 3 मीटर कपड़ा, 4 बिलो गूत आदि वा मूल्य ज्ञात करके उत्पादकता के रूप में व्यक्त करना।

3. औसत उत्पादकता (Average Productivity) — जब कुल उत्पादकता (Total Productivity) में थ्रम बी लगाई गई इकाइयों का भाग लगाया जाएगा तो हमें औसत उत्पादकता प्राप्त होगी। उदाहरण्यत, कुल उत्पादकता 500 इकाइयाँ हैं तथा थ्रमिक सम्प्या 100 है तो औसत उत्पादकता 5 इकाइयाँ होगी।

4. सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) —इसी वस्तु के उत्पादन में थ्रम बी एक अतिरिक्त इकाई के लगाने पर कुल उत्पादकता में जो वृद्धि

होनी है, वही सीमान्त उत्पादकता होगी, जैसे 100 श्रमिकों की मुल उत्पादकता 500 इकाइयाँ हैं तथा 101 श्रमिकों की 510 इकाइयाँ हों। सीमान्त उत्पादकता 10 इकाइयाँ होती हैं।

### भारत में थ्रम उत्पादकता एवं उत्पादकता आनंदोलन (Labour Productivity & Productivity Movement in India)

हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी विचार नया नहीं है। कई सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं एवं संगठनों ने उत्पादकता को प्रोत्ताहित करने के लिए विभिन्न श्रीद्वयिक धोनों में विभिन्न प्रकार के कायक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया है। फिर उत्पादकता के सम्बन्ध में उद्योगों में उस समय अधिक ध्यान दिया गया जब सन् 1952 और सन् 1954 में अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम संगठन (ILO) की टीम हमारे देश में आई। इन टीमों ने अहमदाबाद और बम्बई की कृती बस्तु निजों तथा कलकत्ता के कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों को अपना कार्य-क्षेत्र चुना। विभिन्न प्रबन्धकों तथा थ्रम-संघ नेताओं को यह बताया गया कि थोड़े से परिवर्तनों के माध्यम से उत्पादकता के तरीकों में उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। थ्रम सम्बन्धी तथा वन्दे गाल के उपयोग के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम-संगठन के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के थ्रम मन्त्रालय ने बम्बई में सन् 1955 में उत्पादकता बेन्द्र (Productivity Centre) की स्थापना की। इस बेन्द्र द्वारा कार्य-अध्ययन पाठ्यक्रम, उन्नत प्रबन्धकीय सेमीनार एवं कायक्रम, संयुक्त थ्रम प्रबन्ध कार्य-अध्ययन विभिन्न उद्योगों में रखे जाते हैं।

हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी मही आंकड़ों का अभाव है। हमारे उत्पादकता गूचकांक अधिकारी विभासित देशों के उद्योगों के सूचकांकों से कम है। इस दिशा में हमें सूचकांक तैयार करने चाहिए जिससे हम न केवल अन्य देशों के उद्योगों के सूचकांकों से तुलना कर सके वर्तिक विश्व-बाजार में सफलता प्राप्त कर सकें। हमारे देश में विभिन्न उद्योगों में वहे पैमाने पर उत्पादकता आनंदोलन की श्रोत्ताहित करने हेतु सन् 1956 में भारत सरकार द्वारा व्यापार एवं उद्योग मन्त्रालय ने एक टीम 6 सप्ताह के अध्ययन हेतु जापान में भेजी। इस टीम की रिपोर्ट सन् 1957 में प्रकाशित की गई। टीम की सिफारिशों के आधार पर सन् 1958 में एक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council or N P C) की स्थापना की गई। इसका गठन एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुआ है जिसकी सदस्य संख्या अधिकतम 60 है। इन सदस्यों में नियोजितायों, धनियों, सरकार और अन्य लोगों वे प्रतिनिधि होते हैं। बम्बई, मद्रास, बंगलोर और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण श्रीद्वयिक बेन्द्रों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अन्तर्भूत प्रावेशिक निदेशालय (Regional Directorates) स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के हात देश में विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता समितियाँ गठित की गई हैं तथा सन् 1966 में भारत उत्पादकता वर्ष (India Productivity Year 1966) मनाया

गया। आजबात हमारे देश में 47 स्थानीय परियदें तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बांगलौर व लुधियाना में 6 थोरीय परियदें हैं।

भारत की बर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे देश की गरीबी दूर बरने हतु विभिन्न थोरों भ उत्पादन को बढ़ाना होगा। आज हमें कम से कम सामग्र पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने वाली योजनाओं को प्रारंभिकताएँ देनी होगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पादनता आन्दोखन के परिणामस्वरूप देश में उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो इस बढ़े हुए उत्पादन के सामों का हिस्सा किस तरह से प्राप्त किया जाए। यदि सभी बढ़े हुए उत्पादन के सामों को श्रमिकों में वितरित कर दिया जाता है तो इससे विभिन्न उद्योगों में मजदूरी में भिन्नताएँ उत्पन्न हो जाएंगी। इस तरह से इसके हिस्से का वितरण श्रमिकों, मालिकों और उपभोक्ताओं में सन्तुलित रूप से किया जाना चाहिए। यदि इससे सामों वा वितरण श्रमिकों व मालिकों पर छोड़ दिया जाता है तो दोनों पक्ष समाज के अन्य वर्गों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगे। इसलिए एक उचित तरीका यह है कि इसका वितरण तीनों पक्षों में—श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि, मालिकों के प्रतिफल में वृद्धि और समाज को अच्छी विस्म व कम वीमत पर बस्तुओं वी उपलब्धि के रूप में दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय उत्पादकता परियद द्वारा नियुक्त क्रियाशीलता समिति ने उत्पादकता के सामों के वितरण के लिए निम्न मार्गदर्शक तत्त्व दिए हैं—

1. इस योजना के अन्तर्गत वेबल प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच में ही नाम की सहभागिता का वितरण नहीं होना चाहिए बल्कि इसका हिस्सा उपभोक्ताओं और समाज को भी मिलना चाहिए।

2. इसके अन्तर्गत नियन्त्रक आर्द्ध दिक्षाम की उपलति वा समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

3. इस योजना की क्रियाशीलता में इसी तरह का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होना चाहिए।

4. इम प्रकार की योजना के सामू करने से पूर्व इसका प्रवाशन करना आवश्यक है।

सामों की सहभागिता के मम्बन्ध में रिजर्व बैंक के सन् 1964 में एक मटीरिय पुष नियुक्त किया। इस पुष ने मजदूरी आय और वीमत नीतियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया और एक आय नीति के सम्बन्ध में निम्न मार्गदर्शक तत्त्वों की गिफारिंग की—

1. नफद घटदूरी ये परिवर्तन के लियपन हेतु अर्द्ध अध्ययन यों दोष कर्त्त्व अतिशील प्रोसेत उत्पादकता को ध्यान में रखना होगा।

2. मजदूरी आय समायोजन हेतु हमें अधिकतम सीमा उत्पादकता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना होगा।

3. विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में मजदूरी और नकद आय का समायोजन अर्थ-व्यवस्था में होने वाली उत्पादकता की दर के अनुसार होगा चाहिए। जिराई, उद्योग आयवा क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि भी दर के अनुसार ही समायोजन या नियमन सम्भव होगा।

4. उत्पादकता से जुड़ी ही मजदूरी बोजनाओं में इस बात का ध्यान रखना है गा कि उत्पादकता में ही वृद्धि का लाभ समाज वो भी अच्छी किस्म तथा नियम कीमत वाली वस्तुओं के रूप में प्राप्त हो।

### ऊंची मजदूरी की मितव्ययिता (Economy of High Wages)

साधारणतः यह समझा जाता है कि नीची मजदूरी सस्ती होती है बिन्दु यह धारणा हमेशा सही नहीं होती। कारण यह है कि नीची मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की कार्य-कुशलता कम होती है, जिससे उत्पादन कम होता है और परिणामस्वरूप उत्पादन राशित ऊंची रहती है। इस तरह नीची मजदूरी वास्तव में ऊंची मजदूरी होती है।

इसके विपरीत, ऊंची मजदूरी की दशा में श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम पड़ती है। इस प्रकार ऊंची मजदूरी वास्तव में 'सस्ती' मजदूरी होती है।

किसी भी वस्तु का उत्पादन 'मजदूरी पर व्यय' (Outlay on wages) तथा उत्पादन के मम्बन्ध को हिट में रखता है। इस विचार को आधुनिक अर्थ-शास्त्री 'मजदूरी की लागत' (Wage costs) कहते हैं। ऊंची नकदी मजदूरी (High money wages) के कारण यदि श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं तो उत्पादक को वास्तव में मजदूरी की लागत नीची पड़ती है। इसके विपरीत यदि नीची नकदी मजदूरी देने पर श्रमिक कम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कम होता है और यह नीची नकदी मजदूरी ऊंची मजदूरी में परिवर्तित हो जाती है जबकि उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अत उत्पादक नीची द्राविक मजदूरी के स्थान पर नीची मजदूरी लागत (Low wage-costs) पर ध्यान रखता है। अत. यह भवा जाता है कि यदि ऊंची नकदी मजदूरी से मजदूरी लागत नीची आती है तो यह उत्पादक को प्राप्त होने वाली मितव्ययिता होगी। इसे ही ऊंची मजदूरी की मितव्ययिता (Economy of High Wages) कहा जाता है। ऊंची मजदूरी निम्न कारणों से मितव्ययितापूर्ण होती है-

1. ऊंची मजदूरी से श्रमिकों का जीवन-स्तर उठता है, उनकी कार्य-क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम आती है। इनरे शब्दों में नीची मजदूरी-लागत (Low wage-costs) आती है।

2. ऊंची मजदूरी देने से मालिक को अच्छे श्रमिक बाजार से प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन लागत कम होने से नीची उत्पादन-लागत पड़ती है।

3. ऊंची मजदूरी होने से श्रमिकों और मालिकों के बीच मधुर सम्बन्धों को

है। हड्डालें, ताला बन्दी, धीमे कार्यों की प्रदृश्यति आदि को कोई अधिक रचि लगाकर उत्पादन करते हैं और इसके परिणाम-पत और अधिक होता है जिससे नीची मजदूरी लागत पड़ती है।

नीची मजदूरी देने से उत्पादन अधिक होता है तथा नीची मजदूरी-  
(Low wage-costs) आती है और इसी के फलस्वरूप बचतें या भित्तियाँ प्राप्त होती हैं।

### मजदूरी भुगतान की रीतियाँ (Methods of Wage payments)

मजदूरी थम को उत्पादन के साधन के रूप में दिया जाने वाला परिश्रमिक है। मजदूरी भुगतान का तरीका थमिकों वी आमदनी को प्रभावित करता है। अलग-अलग देशों में मजदूरी भुगतान करने की विभिन्न-विभिन्न रीतियाँ हैं। एक आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वह दोनों पक्षों-थमिकों व मालिकों-के अनुकूल हो। इसके साथ ही उत्पादन में वृद्धि करने हेतु थमिकों को प्रेरणात्मक भुगतान देने का भी प्रावधान हो। इसमें औद्योगिक भगड़ों को दूर करने तथा उद्योग की सफलता हेतु दोनों पक्षों में मधुर सम्बन्ध उत्पन्न करने का गुण भी होना चाही है।

मजदूरी के भुगतान की विभिन्न रीतियाँ पार्दी जाती हैं, किर भी मजदूरी के भुगतान की रीतियों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—  
(1) समय के अनुसार मजदूरी, और (2) कार्य के अनुसार मजदूरी।

#### समयानुसार मजदूरी

##### (Time Wage System)

यह मजदूरी भुगतान का सबसे प्राचीन तरीका है। इसके अन्तर्गत मजदूर को मजदूरी का भुगतान समय के अनुसार, जैसे प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति भाह के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक थमिक को यह विश्वास रहता है कि उसे एक निश्चित समय पश्चात् निश्चित मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। इसके अन्तर्गत कार्य की मात्रा तथा किस्म (Quality) के सम्बन्ध में कोई शर्तें नहीं रखी जाती हैं। मालिक द्वारा इस तरीके के अन्तर्गत भुगतान उस स्थिति में दिया जाता है जबकि कार्य को न तो मापा जा सकता है और न ही उसका निरीक्षण सम्भव होता है तथा कार्य की माप के स्थान पर कार्य की किस्म को अधिक महत्व दिया जाता है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ (Advantages of Time Wage System)—इस पद्धति के अनुसार भुगतान करने के निम्न लाभ हैं—

1. सरल प्रणाली—यह पद्धति अत्यन्त सरल होने से थमिक व नियोजकों का आसानी रहती है। भारतीय थमिक अधिकारी अधिक्षित होने के कारण यह प्रणाली विशेष रूप से उपयोगी है।

2. लोकप्रिय प्रणाली—यह प्रणाली थमिकों के प्रत्येक वर्ग तथा उनके संगठनों द्वारा पसन्द की जाती है। इसके अन्तर्गत सभी थमिक वर्गों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

3. निश्चितता एवं नियमितता—इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूरी के मुख्यालय में निश्चितता तथा नियमितता पायी जाती है। प्रत्येक थमिक को निश्चित वेतन नियमित रूप से मिलने का विश्वास रहता है। आय की निश्चितता तथा नियमितता के कारण प्रत्येक थमिक अपने आय तथा व्यय में समायोजन द्वारा एक निश्चित जीवन-न्तर बनाए रखने का प्रयास करता है।

4. उत्पादन के साधनों का उचित उपयोग—इस पद्धति में कार्य सुचाल रूप से एवं तसल्ली से होने के कारण यन्म, आँजार, कच्चे माल आदि साधनों का उपयोग डण से होता है।

5. प्रशारात्मिक व्यय का एवं आसानी से पूर्ण—इस पद्धति में निरीक्षण करने की अधिक प्रावश्यकता नहीं होती है तथा उस पर व्यय अधिक नहीं करने से प्रशारात्मिक व्यय भी कम होता है तथा आसानी से प्रज्ञासन किया जा सकता है।

6. विभिन्न रकाबटों के अन्तर्गत उत्पादन होने पर भी वह पद्धति लाभपूर्ण है। प्राकृतिक कारणों जैसे वर्षा आदि के कारण कार्य में रकाबट आने पर कार्य बन्द हो जाता है। उस स्थिति में वह पद्धति उचित होती है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति के दोष (Demerits of Time Wage System)—  
समयानुसार मजदूरी पद्धति के अन्तर्गत हमें निम्न दोष देखने को मिलते हैं—

1. कुशल थमिकों को कोई प्रेरणा नहीं—इस पद्धति के अनुसार थमिक मन लगाकर तथा ईमानदारी से काम नहीं कर सकते बदोकि उन्हें यह मालूम रहता है कि एक निश्चित मजदूरी नियमित रूप से निल आगी आहे वे कम काम करे अथवा अधिक।

2. कुशल-अकुशल सब बराबर—इस पद्धति के अनुसार आहे कुशल थमिक हो अथवा अकुशल सभी को समान मजदूरी मिलती है। परिणामस्वरूप कुशल थमिक भी कम रुचि रख कर वार्य करने लगते हैं और उनकी कार्य-क्षमता घट जाती है।

3. अकुशलता को प्रोत्साहन—कुशल थमिक व अकुशल थमिक दोनों को समान मजदूरी मिलने का शर्य है कि अकुशल थमिक को पुरस्कृत किया जाता है और कुशल थमिक को दण्डित किया जाता है। इससे अकुशलता वाले प्रोत्साहन मिलता है।

4. काम-चोरी—जब निश्चित मजदूरी नियमित रूप से मिलती है तो थमिक एक दिए हुए काम को एक लम्बे अवैं के बाद समाप्त करता है। वह काम से भी नुराना है।

5. थम-जूजी सघर्ष—इस पद्धति के अनुसार मुख्यालय करने से अकुशल व कुशल दोनों प्रशार के थमिकों को समान मजदूरी दी जाती है, जिससे कुशल थमिक हड्डताल, धीमे काम वाले प्रवृत्ति का सहारा लेते हैं।

निष्कर्ष—समयानुसार मजदूरी के गुण-दोषों को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन वायों को मापा नहीं जा सकता—जैसे चिनकारी वा कार्य, अच्छापक य डॉक्टर वा वार्य आदि, उनमें वह पद्धति उपयुक्त है।

## 2 कार्यानुसार मजदूरी पद्धति (Piece Wage System)

कार्यानुसार मजदूरी भुगतान के साथ—कार्यानुसार दी जाने वाली मजदूरी पद्धति के निम्नादित लाभ हैं—

इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूर को उसके कार्यानुसार मजदूरी जाती है चाहे उसमें वितना ही समय बढ़ो नहीं लगे। जब मालिक कम लागत पर अधिक उत्पादन की मात्रा चाहता है, तब यह पद्धति अपनाई जाती है। कार्य की मात्रा ही मजदूरी के भुगतान का आधार होता है। जो अधिक अधिक कार्य करता है उसे अधिक मजदूरी दी जाती है तथा जो कम कार्य करता है उसका कम मजदूरी मिलती है।

1. योग्यतानुसार भुगतान—अधिक कार्य करने वाले योग्य श्रमिकों का अधिक मजदूरी का भुगतान तथा कम कार्य करने वाले अयोग्य मजदूर को कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

2. प्रेरणात्मक पद्धति—अधिक कार्य करने वाले को अधिक मजदूरी दर उत्पादन दिया जाता है। इसका वायदुशत्र श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

3. अधिक उत्पादन—श्रमिकों का कार्यानुसार मजदूरी मिलने से व अधिक समय तक कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है।

4. उत्पादन-व्यय कम—इस पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन अधिक करने के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आती है और परिणामस्वरूप श्रमिकों व समाज के सदस्यों का कम कीमत पर वस्तु मुनाफ़ हो जाती है।

5. समय का सदुपयोग—इस पद्धति के अन्तर्गत श्रमिक अपने खाली समय में इधर-उधर धूमन की बजाय अपने आप का बाय में लगा रखता है जिससे उसके समय का सदुपयोग भी होता है और उस अधिक मजदूरी भी प्राप्त हो जाती है।

6. श्रमिक-नातिकों में मधुर सम्बन्ध—वाय की मात्रा के अनुभार श्रमिकों को भुगतान प्राप्त होता है। इसलिए व धीम कार्य करने की प्रवृत्ति तथा हड्डताल आदि करने का प्रयास नहीं बरत। दानों पक्षा में प्राप्त मधुर सम्बन्ध रहत है।

7. श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि—कार्यानुसार मजदूरी मिलन के कारण जहाँ भी अधिक मजदूरी मिलेगी श्रमिक वही जाकर कार्य करना अधिक पसंद करेगा। समयानुसार मजदूरी की तुलना में कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के अन्तर्गत श्रमिकों में अधिक गतिशीलता पायी जाती है।

8. श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार—कार्यानुसार मजदूरी मिलन के कारण अधिक मजदूरी अधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलती है। उनका जीवनस्तर ऊंचा उठता है और कार्य क्षमता बढ़ती है।

9. निरोक्षण व्यय में कमी—इसके अन्तर्गत निश्चित हाय की मात्रा तथा निस्म निश्चित होने से कार्य का निरीक्षण आदि करने की ज़रूरत नहीं होने में निरोक्षण व्यय कम होता है।

10. उपभोक्ता वार्ष को लाभ—उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन लागत अम आती है। परिणामस्वरूप बन्धुओं ने वीमन भी कम होती है। इससे उपभोक्ता वर्ग की भाँति होता है।

**कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के दोष (Demerits of Piece Wage System)**—इन पद्धति के निम्नलिखित दोष हैं—

1. मजदूरी में कटीनी—वीमन भी यह देखते में आता है कि जब अमिक अधिक वार्ष करने अधिक परिणामिक प्राप्त करने लगता है तो नियोक्ता मजदूरी दर में कटीनी करते परिणामित में में कटीनी करते हैं।

2. स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव—‘अर्द्ध शर्कारे द्वारा दिए गए लोभ में अमिक अधिक वार्ष करने लगते हैं। वे अपने स्वास्थ्य का खाता नहीं लगते। आठ में दूसरा परिणाम यह होता है कि अमिक दीमार रहने लगता है। उनकी वार्षकमता घटने लगती है।

3. उत्पादन की निम्न विधि—अमिक द्वारा मजदूरी प्राप्त करने के लोभ में अधिक वार्ष नेत्री में करना है। इसमें उत्पादन की भाँति में नो दृढ़ि होती है, नेत्रिन उत्पादन की किम्ब बटिया के स्वयं पर घटिया आते लगती है।

4. मजदूरी की प्रतिविनाश तथा अनिच्छितता—अमिक की मजदूरी निश्चित तथा नियमित नहीं होती है, वीमार नेत्री पर अपवा शास्त्राना बन्द होने पर अमिक को कूद भी मजदूरी नहीं मिलती है।

5. चलात्मक तथा चारों ओर दायों में अनुपयुक्त—यह पद्धति चलात्मक कायों जैसे चिपकारी, सुशार्द तथा अन्य दारीही दाले दायों में उपयुक्त नहीं है।

6. अविकर्त्तव्यों पर विपरीत प्रभाव—कार्यानुसार मजदूरी इन के कारण अमिक ‘अधिक वार्ष अमिक मजदूरी’ के लोभ में पड़े रहते हैं। वे अपने मगदन के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसका परिणाम मुहूर एवं मुमगठित अमिक-मदो का प्रभाव होता है।

7. अमिकों में पारस्परिक एकता का अभाव—कार्यानुसार मजदूरी के अलायक अमिक बुशर, अर्द्ध-बुशर एवं अमुशर जौनों में बोड जाते हैं। वे प्राय पार्ट-द्वारों के नमीन नहीं आते हैं। इसमें आदिक अममानना उत्पन्न हो जाते में प्राय परम्परा निकल नथा एकता नहीं हो जाती है।

प्रति कम लागत पर अधिक उत्पादन करता होता है तथा योग्यनानुसार वेतन दिया जाना डी वही पर कार्यानुसार मजदूरी मुपनान पद्धति दिया है।

### प्रेरणात्मक मजदूरी भगतान की रौतियाँ (Methods of Incentive Wage Payments)

मजदूरी भगतान कार्यानुसार नग ममगानुसार दो ढों में किया जाता है। नेत्रिन इन ढों तरीकों द्वारा दो बद्द मजदूरी वी लायोनता नमम-न्यय पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शन प्रियोगों ने की है। इन ढों ही रौतियों के अपने-अपने लाभ नथा दोग हैं। इन ढों ही गीतियों दे मिलाने से एक प्रगतिशील मजदूरी पद्धति का

प्रादुर्भाव हुआ है जिस प्ररणात्मक मजदूरी पद्धति (Progressive Wage System) अथवा मजदूरी मुगतान की प्ररणात्मक रोति (Incentive System of Wage Payments) बहु जाता है।

इस मिश्रित प्रणाली (कार्यानुसार मजदूरी तथा समयानुसार मजदूरी) के अन्तर्गत श्रमिक को निश्चित न्यूनतम भजदूरी के अतिरिक्त और भी मुगतान किया जाता है जिस अधिलाभूत (Bonus) प्रवया प्रीमियम (Premium) कहते हैं। इसमें प्रमाप उत्पादन (Standard Output) के लिए एक निश्चित भजदूरी दी जाती है। इससे अधिक काय बरने पर बढ़ती हुई दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है जिससे योग्यता को पुरस्कार मिल सके तथा काय वी विस्त्र में भी गिरावट नहीं आए।

उदाहरणत यदि एक काय 3 दिन में बरना है और भजदूरी 4 रु प्रतिदिन दी जाती है तथा काय 2 दिन म पूरा बर लिया जाता है तो श्रमिक का ही दिन का भजदूरी 8 रु तथा एक दिन बचान के लिए 2 रु और मिलेंगे। अब कुल भजदूरा 10 रु होगी जो कि औसत भजदूरी 4 रु से अधिक है। प्ररणात्मक भजदूरी मुगतान की रोतियों का बर्गीकरण भजदूरी प्ररणात्मक पद्धति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण सत्त्वों पर आधार पर किया गया है।<sup>1</sup> ये तत्त्व है—

- 1 उत्पादन की इकाइयाँ (Units of Output)
- 2 समय समय (Standard Time)
- 3 काय म नगा समय (Time Worked)
- 4 बचाया गया समय (Time Saved)।

किसी भी प्ररणात्मक भजदूरी मुगतान की पद्धति अपनाते समय भजदूरा निर्धारण में यह बात ध्यान में रखनी पड़ती कि उत्पादन की इकाइयाँ कितनी ही समय कितना दिया गया है कितना समय लगा और कितना समय बचा गया।

प्ररणात्मक भजदूरी मुगतान की विभिन्न रोतियाँ या पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं—

1 टेलर—पद्धति (Taylor Piece Work Plan)— इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक प्रवाधक के जनक थी एक डन्फू टनर ने किया। इसम दो प्रकार का कार्यानुसार दरों का सम्मिलित किया गया है—एक औसत उत्पादन से अधिक तथा दूसरी औसत उत्पादन तथा उत्तम उत्पादन करने पर दी जाने वाली भजदूरी। इन दरों म काफी अंतर पाया जाता है।

उदाहरण के लिए 8 इकाई प्रतिदिन प्रमाप उत्पादन (Standard Output) तथा दिया गया है। इतना या इससे अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर 1 रुपया हो सकती है एवं लगभग 8 इकाई (प्रणाम इकाई) से कम उत्पादन होने पर प्रति इकाई दर 75 पैसे हो सकती है। अत 8 इकाइयों का उत्पादन बरने वाले को 8 रुपया 10 इकाइया उत्पादन करने वाले को 10 रु लेकिन 7 इकाइयों का उत्पादन करने वाले को 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 5 रु 25 पैसे मिलेंगे।

इस प्रकार टेलर पद्धति कुशल श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रेरणात्मक है, यदोकि छेंची दर के द्वारा उनको प्रपने परिवर्तन का पुरस्कार मिलता है, परन्तु अकुशल श्रमिकों को यह पद्धति दण्डित करती है। यह आय में असमानता को बढ़ावा देती है। वर्तमान समय में इस पद्धति का एक ऐतिहासिक महत्व रह गया है यदोकि आय की असमानता के स्थान पर 'आय की समानता' पर ग्राफिक जोर दिया जाने सगा है।

**2. हैल्से प्रीमियम पद्धति (Halsey Premium System)**—इस पद्धति का प्रतिपादन प्रो एफ ए हैल्से द्वारा किया गया था। इस पद्धति में कार्यानुसार तथा समयानुसार मजदूरी मुगतान की रीतियों के लाभों का मिथरण है तथा इनके दोषों को छोड़ दिया गया है। इसमें एक प्रमाण उत्पादन निश्चित समय में पूरा करना होता है। यदि कोई श्रमिक दिए हुए कार्य को निश्चित अवधि से पूर्व ही समाप्त कर लेता है तो उसे बचाए हुए समय (Time Saved) के लिए प्रतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि किसी कार्य हेतु 10 घण्टे निश्चित किए गए हैं और कार्य 8 घण्टे में पूरा कर लिया जाता है तो श्रमिक को 8 घण्टे के पारिश्रमिक के अतिरिक्त बचाए गए समय (2 घण्टे) के लिए दर का 50% मुगतान किया जाएगा। यदि 10 रु. प्रति घण्टा समय पद्धूरी है तो प्रीमियम  $\frac{1}{2}$  (दर × बचाया गया समय) के बराबर अर्थात्  $10 \times 2 = 10$  रु होगा तथा मजदूरी  $8 \times 10 = 80$  रु. अर्थात् कुल मुगतान  $80 + 10 = 90$  रु. किया जाएगा।

इस पद्धति के अन्तर्गत बचाए गए समय के लिए निश्चित दर पर प्रीमियम दिया जाता है तथा मजदूर को समयानुसार मजदूरी की भी गारण्टी रहती है जिससे नियोक्ताङ्गों को भी ग्राधिक मजदूरी का मुगतान नहीं करना पड़ता है।

इस पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मालिक किसी कार्य के करने का प्रमाण (Standard) ग्राधिक रख देता है जो कि पूरा करना सम्भव नहीं हो। उस स्थिति में श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए कार्य का प्रमाण उपित एवं वंगानिक प्रवन्धको द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

**3. शत-प्रतिशत समय प्रीमियम योजना (The 100 Percent Time Premium Plan)**—जहाँ समय ग्राधिक कार्य ग्राध्ययन द्वारा समय प्रमाण (Time Standards) निर्धारित किए जा सकते हैं वहाँ श्रमिकों को उनके द्वारा बचाए गए समय (Time Saved) के लिए शत-प्रतिशत दर पर प्रीमियम दिया जाता है।

उदाहरण के लिए 10 घण्टे किसी कार्य हेतु निश्चित किए जाते हैं तथा समय दर (Time Rate) 10 रु प्रति घण्टा है। कार्य 8 घण्टे में पूरा निया जाता है तथा समय 2 घण्टे बचाता है तो उसको 8 घण्टे के 80 रु. मजदूरी तथा 2 घण्टे बचाने के कारण 20 रु प्रीमियम के रूप में अर्थात् कुल मुगतान 100 रुपये किया जाएगा।

इस योजना में भी समयानुसार मजदूरी की गारण्टी दी जाती है तथा बचाए गए समय (Time Saved) हेतु भी दर वही रखी जाती है। कुशलना को इससे ग्राधिक प्रेरणा मिलती है।

**4 रोबन योजना (Rowan P'an)**—इस पद्धति के प्रतिपादन का श्रेय थी जेम्स रोबन को है। इसके अन्तर्गत समय के आधार पर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी की गारण्टी दी जाती है। एक प्रमाप समय किसी कार्य को पूरा करने हेतु निश्चित वर दिया जाता है। यदि दिए हुए समय से पूर्व ही कार्य कर लिया जाता है तो बचाए गए समय के लिए कुल समय के अनुपात में भ्रमियम किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कार्य 10 घण्टों में पूरा करना है और वह कार्य 6 घण्टों में पूरा कर लिया जाता है, बचाया हुआ समय 4 घण्टे है और समय दर 10 ह प्रति घण्टा है तो इसके अन्तर्गत भ्रमियम होगा—

$$\frac{\text{बचाया गया समय} (\text{Time Saved})}{\text{दिया गया समय} (\text{Time Allowed})} \times \text{लिया गया समय} (\text{Time Taken}) \times \text{दर}$$

$$\frac{4}{10} \times 6 \times 10 = 24 \text{ रु}$$

भ्रमियम को 60 रु ( $6 \times 10$ ) मजदूरी तथा 24 रु भ्रमियम अर्थात् तुल 84 रु प्राप्त होगे।

इस पद्धति के अन्तर्गत हैल्से पद्धति की तुलना में अधिक भ्रमियम प्राप्त होता है। लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब बचाया गया समय (Time Saved) दिए हुए समय (Time Allowed) का 50% से कम हो। यदि बचाया हुआ समय 50% है तो दोनों में समान तथा 50% से अधिक होने पर हैल्से पद्धति के अन्तर्गत अधिक भ्रमियम प्राप्त होगा।

**5 इमरसन योजना (Emerson Plan)**—इसका प्रतिपादन प्रो इमरसन ने किया। यह पद्धति रोबन पद्धति के अनुसार कार्य-भ्रमता के सूचकांक तथा किए गए कार्य के समय के मूल्य पर आधारित है। इसमें सूचकांक प्रमाप समय (Standard Time) में लिए गए वास्तविक समय का भाग लगाकर जात करते हैं। उदाहरण के लिए 36 प्रमाप समय के घण्टों का कार्य 40 घण्टों में होता है तो कार्य-भ्रमता या कार्यकुशलता 90 प्रतिशत होगी। विभिन्न कार्यकुशलताओं के लिए विभिन्न भ्रमियम की दरें निर्धारित की जाती हैं। तभी से कम 65% तक की कार्यकुशलताओं को भ्रमियम दिया जाता है। इस प्रकार की पद्धति उन द्योटे कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है जिनकी कार्य भ्रमता बहुत कम होती है तथा जो शन-प्रतिशत भ्रमियम योजना के प्रमाप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

**6 गैंट को कार्यभार एवं बोनस पद्धति (Gantt Task and Bonus System)**—इस पद्धति का प्रतिपादन थी हेनरी एल गैंट ने किया था। इसके अन्तर्गत हैल्से योजना के समान धीरे-धीरे काम करने वाले अभिको रो प्रति घण्टा की दर से और तेज काम करने वाले मजदूरों का एकाई दर से मजदूरी दी जाती है। साथ ही टेलर पद्धति के समान यह प्रमाप (Standard) तक पहुँचने में समर्थ और असमर्थ मजदूरों में निश्चित रूप से भेद करती है। गैंट योजना सब योजना वी प्रति घण्टा दर की गारण्टी देता है। यदि दिए हुए समय में कार्य पूरा नहीं किया जाता

है तो मजदूरी तो वी जाएगी लेकिन उसको बोनस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह बोनस 20 से 25% तक होता है जो कि दिन के अन्त में काम में लाया जाता है।

उदाहरण के लिए किसी कारखाने में एक श्रमिक को 8 घण्टे कार्य करना होता है। मजदूरी 2 रु प्रति घण्टा है तथा काम भी 8 घण्टे में पूरा होने वाला होता है। यदि अधिक उस कार्य को 8 घण्टे में पूरा कर सकता है तो उसको 20% बोनस उसकी कुल मजदूरी का दिया जाएगा। 8 घण्टे की मजदूरी 2 रु प्रति घण्टा के हिसाब से 16 रु तथा 20% बोनस में 3 रु 20 पैसे घर्षित कुल 19 रु 20 पैसे मिलेंगे। यदि 8 घण्टे में उस कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसे केवल 16 रु मजदूरी के रूप में मिलेंगे लेकिन बोनस नहीं मिलेगा।

**7. परिवर्तन पैमाना पद्धति (Sliding Scale System)**—इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूरी में परिवर्तन वस्तुओं की कीमतों तथा जीवन-निधि लागत एवं लाभों में परिवर्तन के साथ किए जाते हैं। यदि वस्तुओं की कीमतों, जीवन-निधि लागत तथा लाभों में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में भी मजदूरी में वृद्धि की जाती है। यह पद्धति नियोक्ताओं द्वारा, उन वस्तुओं में जिनकी कीमतों में अधिक परिवर्तन होते हैं, जाहीं जाती है। किंतु भी इस पद्धति का वई कारणों से विरोध दिया जाता है। कीमतों में होने वाले परिवर्तन को सन्तोषप्रद तरीके से मापना कठिन है क्योंकि कीमतों में परिवर्तन वई कारणों से होते रहते हैं। साथ ही बाजार की शक्तियों पर मजदूरी-निधि रेण्ट तु अधिकों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त नियोक्ता तथा अधिक अपने-अपने कायदे के लिए कीमतों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं।

मजदूरी मुगतान के तरीकों का अधिकों की आय स्वयं उनकी दक्षता, राष्ट्रीय सार्वज्ञ एवं अधिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे पीछे के अनुभार यदि उत्पादन में हुई वृद्धि का विवरण अधिकों में उनके योगदान के अनुसार किया जाता है तो इससे उनके आधिक कल्याण में वृद्धि होती है। यह उस स्थिति में ही सम्भव है जब मजदूरी का मुगतान सामूहिक सोशियलिस्ट के नियन्त्रण में कार्यनुसार किया जाए।

### एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति की विशेषताएँ (Characteristics of Good Incentive Wage System)

विसी भी कर्म या उचोग द्वारा एक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लागू करते समय उत्पादन, बचावा गया समय, लिया गया समय और प्रमाण समय आदि आधारभूत सत्त्वों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार विसी भी योजना में निम्नांकित विशेषताएँ होनी चाहिए—

1. कोई भी पद्धति सरल, समझने योग्य तथा अधिकों द्वारा गणना के द्वारा होनी चाहिए।

2. उत्पादन तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ-साथ आमदनी में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होना चाहिए।

3 श्रमिकों को तुरन्त उनकी आय प्राप्त होनी चाहिए।

4 कार्य प्रमाणों (Work Standards) को सुव्यवस्थित प्रध्ययन के पश्चात् निश्चित करना चाहिए।

5 किसी भी परिवर्तन पर प्रेरणात्मक मजदूरी की गारण्टी दी जानी चाहिए।

6 श्रमिकों को साधारण पट्टा दर की गारण्टी दी जानी चाहिए। यदि दिया हुआ प्रमाणी कार्य पूरा नहीं होता है तो श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण देना चाहिए।

7. प्रेरणात्मक पद्धति उद्योग तथा संस्थान के लिए मित्रत्वी होनी चाहिए। जिससे न केवल उत्पादन में ही वृद्धि हो बल्कि उत्पादकता में वृद्धि हो और प्रति इकाई लागत में कमी हो।

8. श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा बल्याएं पर विधीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

9. तकनीकी परिवर्तनों या योजना में परिवर्तन करने हेतु इस प्रकार की योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए।

10. प्रेरणात्मक पद्धति से श्रमिकों में सहयोग, एकता एवं भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा मिलना चाहिए।

इसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी योजना को जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। इससे संस्थान अथवा उद्योग को लाभ होने के स्थान पर हानि होने की ओर धिक्कार देंगे। अतः इस प्रकार की योजना को लागू करने से पूर्व प्रमाण कार्य, प्रमाण समय, दक्षता आदि का सुव्यवस्थित ढंग से प्रध्ययन करना चाहिए तथा इसे योजनावद तरीके से लागू करना चाहिए जिससे कि बांधकानीय लाभ प्राप्त किए जा सकें।

**प्रेरणात्मक मजदूरी योजना की बुराइयों के सम्बन्ध में सावधानियाँ (Precautions against ill-effects of Incentive Wage System)**

सभी प्रेरणात्मक योजनाएँ लाभपूर्ण नहीं होती हैं। उनमें कुछ खामियाँ भी होती हैं जिनको लागू करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये निम्ननिमित्त हैं—

1. श्रमिकों की यह आदत बन जाती है कि प्रेरणात्मक योजना के अन्तर्गत वे उत्पादन की ओर ध्यान भ्रष्टिक देते हैं जबकि उत्पादन की किसी भी ओर ध्यान नहीं देते। घटिया किसी की वस्तु उत्पादित करने से बाजार में उपकी विनी भ्रष्टिक नहीं हो सकेगी तथा जिस संस्थान में योजना लागू की गई है वह उमी के लिए घातक सिद्ध होगी। इस बुराई को दूर करने हेतु उत्पादन पर जौच तथा निरीक्षण लागू करना होगा।

2 कभी-कभी प्रेरणात्मक योजनाओं को लागू करने से उनमें परिवर्तन-शीलता का प्रभाव पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप नवीन उत्पादन की रीतियों, मशीनों, आधुनिकीकरण तथा विवेकीकरण आदि के लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इन परिवर्तनों को लागू करने हेतु प्रेरणात्मक योजना में लोच का गुण पाया जाना चाहिए।

3. प्रेरणात्मक योजना के अन्तर्गत धर्मिक 'अधिक कार्य अधिक मजदूरी' के लोग से कार्य करने रहते हैं और प्राप्त सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का व्याप्त नहीं रखते। परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं। दुर्घटनाओं को कम करने हेतु भी धर्मिकों पर नियरानी रखती पड़ती है।

4. अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लोग से अधिक कार्य करने से धर्मिकों के स्थान्त्रिक पर दुरा अन्तर पड़ता है और इसने उत्ती कार्य-सम्बन्ध पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके लिए प्रेरणात्मक आवं की अधिकतम सीमा निश्चित करती चाहिए।

5. अधिक दक्ष धर्मिक को अधिक नवा कम दक्ष धर्मिक को कम मजदूरी का मुग्धान निया जाता है। इससे आवं की अनमानना बढ़ती है। इस अनमानना के कारण अधिक दक्ष तथा कम दक्ष धर्मिकों में आपस में ईच्छा वी भावना उत्पन्न हो जाती है और उनमें एकता का भ्रमाव पनपता है। आवं सम्बन्धी अन्तर यदि वैज्ञानिक ढंग से चराई गई योजनाओं के परिणामस्वरूप होता है तो किस धर्मिकों को आपस में किसी तरह वी ईच्छा नहीं रखती चाहिए। इनके लिए धर्मिक सभों का दायित्व है कि वे अपने सभी सदस्यों के बीच मध्य सम्बन्ध एवं एकता की भावना पैदा करें।

6. मुग्धान के प्रेरणात्मक तरीकों को कभी भी अच्छे थम-प्रबन्ध सम्बन्धों का प्रतिस्थापन (Substitute) नहीं समझता चाहिए। यह अच्छे थम-प्रबन्ध सम्बन्धों का होना भी आवश्यक है।

### लाभ-अंश-भागिता (Profit-sharing)

प्राचीन आयिक विचारधारा के अन्तर्गत लाभ पर समूर्द्ध अधिकार पूँजीपति का माना जाता था। पार्कर्स के अनुनार 'लाभ चोरी वी हुई मजदूरी है' तथा वर्तमान नमूद में समाजपादी विचारधारा तथा फैन्यारेण्टारी राजनी त्वायना हो जाने से किसी भी सम्भान या उद्योग में उत्पन्न लाभ पर न केवल माहौली वा ही अधिकार याना जाता है बल्कि यह रामभा जाने लगा है कि विना धर्मिकों के सहयोग के लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लाभ में से धर्मिकों वो भी हिस्सा दिया जाना चाहिए।

लाभ-अंश-भागिता वो योजना सर्वप्रथम फ्रान्सीसी चिनकार श्री एम. लेक्लेयर (M. Leclayer) ने सन् 1820 में घारम्भ की। इसके अनुमार यदि लाभ वा कुछ हिस्सा धर्मिकों वो दे दिया जाए तो इसने द्वीप अधिक लाभ एवं वर्धन होनी है।

**अर्थ (Meaning)**—लाभ-अंश-भागिता के अन्तर्गत नियोजक धर्मिकों वो उनकी मजदूरी के अनियिक लाभ में से कुछ हिस्सा देना है यदि वोनी पज्जो के बीच लगाकोने पर आधारित होता है। इन्हों भी सम्भान में प्राप्त लाभ धौर्योगिक प्रेरणाली का अभिन्न अंश है और धर्मिकों के जोपरए वो सुमान करते हेतु इस योजना के महत्व पर धोर दिया गया है।

## लाभ-प्रशंश भागिता की वाँचनीयता (Desirability of Profit-sharing)

लाभ भव भागिता की योजना से सामाजिक लाभ (Social Justice) प्रदान किया जा सकता है। किसी भी संस्थान में जो लाभ प्राप्त होता है वह अभिको के कारण से होता है और यदि हम इस लाभ में से अभिको को कुछ भी नहीं दें तो महत्वके प्रति अन्धाय होगा।

यदि लाभ का हिस्सा अभिको को न देवर पूँजीपति या साहसी रख लेता है तो इससे अभिको व मानिक के सम्बन्ध मधुर नहीं रहते। इससे प्राए दिन हड्डतान, धीमी गति से वाय करने वी प्रवृत्ति स औद्योगिक उत्पादन भ गिरावट आती है। अत अच्छे औद्योगिक सम्बंध बनाए रखने तथा उत्पादन मे वृद्धि बरने हेतु लाभ भव भागिता योजना का होना आवश्यक है।

लाभ भव भागिता मे अभिको को मजदूरी के अतिरिक्त लाभ मे से हिस्सा मिलता है जिससे अभिको वी कायकुशलता भ वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता मे वृद्धि होगी। इससे अच्छी योग्यता बाले अभिक आवश्यक होत है।

## लाभ प्रशंश भागिता योजना की सीमाएँ

### (Limitations of Profit sharing Scheme)

लाभ प्रशंश भागिता योजना की कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नांकित हैं—

1 अम संघ ऐताओ द्वारा इस योजना का विरोध किया जाता है वयोवि अभिक नेताओ का कहना है कि इस योजना से अम संघो को दुर्बंध बनाया जाता है। इससे अभिक मालिको पर भावित होते हैं।

2 इस योजना के अन्तर्गत लाभ के संभव म अभिक अधिक वाय करते हैं। अत उनकी कायकुशलता पटती है और निम्न वास्तविक मजदूरी मिलती है।

3 अभिको को दिया जाने वाला हिस्सा मासानी से मालूम नहीं किया जा सकता है। लाभ अ भव भागिता वी गणना एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्तर्ग अन्तर्ग आधारो पर होगी। इससे अभिको मे कम हिस्सा तथा अधिक हिस्सा पाने वाले दो वग होग। इससे औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

4 अभिको को मिलने वाला हिस्सा अधिक नहीं होने के कारण वे मालिको वी ईमानदारी मे अविश्वास बरने सकते हैं और इस प्रकार वी योजना मे अधिक चिन्ह नहीं लेते।

5 मालिक भी इसका विरोध करते ह। उनका कहना है कि जब अभिको को उद्योग के लाभ मे से हिस्सा दिया जाता है तो हानि होने पर अभिको द्वारा हानि का भार भी वहन बरना चाहिए। वे इस योजना को एक पक्षीय योजना बताते हैं।

6 इस योजना के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपना अपना भहत्व बताते हैं कि लाभ उनके प्रयासो का परिणाम है और इसस उनमे घायल म भगदा उत्पन्न हो जाता है।

7 अभिको को जब उद्योग के लाभ म से हिस्सा दिया जाने लगता है तो वे मुस्ती से कायं करते हैं जिसमे उत्पादन मे गिरावट आती है।

इस प्रकार की योजना पूर्ण स्वरूप से कही भी सफल नहीं हुई है बल्कि इसमें कई सीमाएँ हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की योजना की सकारात्मक लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जिसमें दोनों पक्ष (श्राविक व गालिक) एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यह कहना कि इससे श्रीदोगिक विवाद नहीं होते, बिलकुल सही नहीं है। यह जहर है कि इस योजना के लागू करने से कुछ सीमा तक विवादों को कम किया जा सकता है।

### भारत में लाभांश (बोनस) योजना : इतिहास और ढाँचा<sup>1</sup>

सही अर्थों में बोनस के युगलान वी प्रथा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्वारूढ़ के प्रतिम दिनों में हुआ था। इस प्रथा पर विचार-विमर्श के दीरान ह्याइट्स आयोग ने यह मत व्यक्त किया था—

“हमारे कहने का मतदब्द यह नहीं है कि अपनी कार्बनुशरना के मौजूदा स्तर के प्रनुसार, कामगर को पहले किसी श्रीदोगिक प्रतिष्ठान के कारोबार ने होने वाले साम में सदा ही उचित भाग मिला है या उसे घब्बा मिलता है, लेकिन जब तक उसका संगठन उन्होंना दुर्बल रहेगा, जिन्होंना कि आज है, तब तक इस बात का सदा सत्तरा बना रहेगा कि उसे उद्योग के कारोबार में (मुनाफे का) उचित भाग पाने में सफलता न जिते। समय-संग्रह पर इह बात के गुभार दिए गए हैं कि वाम बांटने की योजनाओं को आमतौर पर लागू करने से इस मुश्किल को आसान लिया जा सकता है, लेकिन इस मान्दोलन ने भारत में जरा भी प्रगति नहीं की और श्रीदोगिक विकास की मौजूदा स्थिति में ऐसी योजनाओं के लाभांशक या प्रभावी सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है।”

### युद्ध बोनस

सन् 1914-18 के युद्धकाल में वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे। नीता यह हुआ कि वास्तविक तनहुआ हो तो कम हो गई और दूसरी ओर व्यापार में लाभ बहुत बढ़ गए। उस समय मजदूरों ने भ्रतिरिक्त पैसे के लिए आन्दोलन किया। कुछ तो इसलिए कि वे अपने बेतन और वास्तविक तनहुआ हो के बीच अन्तर कम करना चाहते थे और कुछ इसलिए भी कि उद्योगों द्वारा उस दौर में कमाए गए भ्रतिरिक्त मुनाफे में भी हिस्सा बैटने का उनका इरादा था। इस स्थिति में कुछ श्रीदोगिक इवाइंगों को अपने मजदूरों द्वारा ‘युद्ध बोनस’ देने पर मनवूर कर दिया।

उस समय दिया जाने वारा बोनस दो तरह का था—(1) यह मालिकों द्वारा सद्भावना प्रदर्शन के रूप में केवल ग्रेड्युली या न्यूयर्स रेशि के नाम पर दिया जाना था, (2) यह या तो भृंगार्ड भर्ते के बड़ले दिया जाना था या वापिस भ्रतिरिक्त प्रमकाश के स्थान पर भित्तिता था।

1. भारत सरकार द्वारा श्रीदोगिक न्यूयर्स रेशि से साझा।

## मन्दूरो का अधिकार

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान युद्धात्मक योनस का घर्षण ऐसा मुगलान समझा जाने लगा जो कि युद्ध के दौरान बाहर गए प्रतिरिक्ष मुनाफे में से मन्दूरो को दिया जाता था। इटियन संबंध वॉन्ड्रेंग (1943) मुनाफा बैटने के बारे में योनस पर विचार किया है कहा है कि बोनम के प्रश्न पर महेशार्दि भत्ते के सवाल से भलग विचार करना आहिए और यह एक ऐसा सवाल है जिसे मालिको का घपने व मंचारियो से बातचीन करके तय करना है। उन्हें मालिको ने स्वेच्छा से योनस दिया, पर इस सवाल पर घरेह विचार भी भारत रक्षा अधिनियम के अधीन घदाततो में उठाए गए। घदाततो का कहना था कि अम और धूँजी के राहपोग से ही मुनाफे हुए हैं, इसलिए मन्दूरो को अधिकार है कि के किसी समय विशेष में प्रतिरिक्ष लाभ में हिस्सा बैटने की मीम भरें। अभी तक भी योनस का दाया एक सानूनी अधिकार नहीं था। येवन उसे मन्दूरो को सतुष्ट रखने की हाप्ति रो न्याय, तर्ह और सद्भावना के गिरावत के पापार पर स्वीकार दिया गया था।

## बम्बई उच्च न्यायालय का कैसला

यह स्थिति तब तक रही जब तक इग प्रश्न पर बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दे दिया कि योनस की मीम बद्दूर का अधिकार है। उसने कहा—“योनस एक ऐसा मुगलान है जो किंवि मालिक द्वारा कमंचारियो को एक स्पष्ट या निहित समझीते हैं अधीन विए गए काम में निए प्रतिरिक्ष पारिश्रमिक वे स्वप्न में विया जाए।”

## योनस विचार समिति

बम्बई के सूती वपडा मिल बामगरो को सन् 1920, 1921 व 1922 के लिए सन् 1921, 1922 व 1923 में भी योनस दिया गया था। सन् 1923 के लिए योनस न देने के विरोध में जनवरी, 1924 के मन्त्र में एक भाम हड्डताल हुई थी। इसके पास्वयस्प बम्बई उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर नार्मन ऐसनीट की अध्यक्षता में एक योनम विचार समिति स्थापित की गई थी।

## प्रिचारार्थ विवरण

समिति का निम्नलिखित विवरण पर विचार करना था—

(1) बम्बई की सूती वपडा मिलो द्वारा घपने कमंचारियो को सन् 1919 से विए गए योनस की प्रहृति और आधार पर विचार करना और इस बात की धोयणा करना कि क्या इस बारे में कमंचारियो का कोई पारम्परिक, सानूनी या साम्प्रता या दाया बन गया है? और (2) सन् 1917 सानोख्य घवधि तक हर वर्ष के लिए मिलों द्वारा क्या गए मुनाफों की जांच करना ताकि उनकी तुलना सन् 1923 में हुए मुनाफों से की जा सके और मिल मालिको की इस मान्यता पर मत दिया जा सके कि पिछ्ले वर्षों की तरह सन् 1923 में योनस देने का कोई औचित्र मही है क्योंकि सन् 1923 में सूती वस्त्र उद्योग ने बुल मिलाकर जो मुनाफा कमाया है उसके आधार पर योनस मही दिया जा सकता।

समिति से कहा गया था कि वह इस बारे में कोई निर्णय या अग्रल के लिए मुझाव न दे बल्कि केवल तथ्य सर्व ह तक ही सीमित रहे।

### समिति के निष्कर्ष

मिल मजदूरों को पांच वर्षों तक जो बोनस दिया गया था उसकी प्रकृति और आधार की जाँच-प्रखल करने के बाद कमटी ने यह घोषित किया कि मिल मजदूरों को वार्षिक बोनस के मुगतान का कोई ऐसा पारम्परिक, कानूनी या तर्कसारगत दावा नहीं बनता जिसे अदालत में सही छहराया जा सके। सन् 1917 के बाद के वर्षों में हुए मुनाफों की जाँच-प्रखल करने सौर तन् 1923 में हुए मुनाफों से उसकी तुलना करने के बाद समिति ने कहा कि सन् 1923 के लिए सूती वस्त्र उद्योगों ने कारोबार किया है, उससे मिल मालिकों की यह बात सही छहरती है कि उसके आधार पर कोई बोनस नहीं दिया जा सकता।

वैसे समिति का विचार यह था कि मजदूरों ने अपने मालिकों के विहृद जो दावा किया है, उसकी सही प्रवृत्ति को देखते हुए यह मालिकों और मजदूरों के बीच सोदेवादी का प्रश्न बन गया था, जिसमें तर्क या न्याय व धौचित्य के सिद्धान्तों के अनुरूप भी सोच-विचार किया जा सकता है। यह सवाल इस बात को निश्चित करने का नहीं है कि इन दोनों के बीच अनुबन्ध का स्वरूप क्या है।

### अहमदाबाद की समस्या

सन् 1921 में प्रहमदाबाद में भी उद्योग के सामने ऐसी ही समस्या उठ खड़ी हुई थी। बोनस की विस्तृत जर्ती पर विवाद हो गया था। स्वर्गीय प मदन मोहन मालवीय जी की मध्यस्थिता से ही इस समस्या का हल निकला था। मालवीय जी ने कहा था—

“मेरी स्पष्ट मान्यता यह है कि अगर किसी मिल को अच्छा लाभ होता है, तो मजदूरों को आमतौर पर हर वर्ष के अन्त में एक मास के बेतन के बराबर बासत दिया जाना चाहिए, यद्योकि मजदूरों के निष्ठापूर्ण सहयोग से ही मिल ऐसा मुनाफा कमा पाती है। यद्यर फायदा बहुत ज्यादा हुआ हो तो मिल मालिकों को चाहिए कि मजदूरों को ज्यादा बोनस दे।”

### स्वैच्छक भुगतान

दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर समस्त उद्योगों को अनिवार्य सेवाएं (रख-रखाव) मन्त्रालय के तहा से आदा गया था। असामान्य युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण कुछ कम्पनियों ने बहुत अधिक मुनाफे कमाए और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों ने खुद इस बात को अच्छा समझा कि मजदूरों को खुश व सतुष्ट रखा जाए।

सन् 1941 से 1945 तक बम्बई के मिल मालिक संघ की सदस्य मिलों में स्वैच्छा से बोनस घोषित किया। सन् 1941 में यह रका कर्मचारियों की वार्षिक वैसिक आय का 1/8वा भाग और सन् 1942 से 1945 तक 1/6वां भाग थी।

बहुत से मामलों में बोनस अदायी कर दी गई, पर साथ ही यह भी बहा गया कि बोनस देने की बात अधिक मुनाफा होने से सम्बन्धित है। कुछ मामलों में

तो सब ये मजदूरों या कर्मचारियों ने मह स्वीकार वर निशा कि अगर कम्पनी को कोई सास मुनाफा न हृदया हो तो वे लोग बोनस के रूप में उसका हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं होंगे। उस समय बोनस वो 'वहशीग' के रूप में समझा जाता था।

### थ्रमिक अधिकार

बोनस वे द्वारे में पहले समझा जाता था कि यह मालिक ढारा अपने कर्मचारियों को अपनी मनमर्दी से दी जाने वाली मुक्त व स्वैच्छक भैंट है, लेकिन यह विचार पुराना पड़ गया। इसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी लोगों का सहयोग ही औद्योगिक सत्यानों को टीक व फलता फूलता रखने के लिए यहाँ आया आना जाने लगा। अब उद्योगों के द्वारे में केवल व्यावसायिक हाईटेक्नोलॉजी में ही नहीं सोचा जिचारा जाता था, इसका मानवीय पक्ष भी विचारणीय हो गया था। उद्योग क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने की बात पर बन दिया जाने लगा था। बम्बई के मुख्य न्यायाधीग एम रोही द्याना ने बहा कि—(1) मजदूरों वो जिसी साल विशेष में हुए ज्यादा मुनाफों में हिस्सा मांगने का अधिकार है और (2) ज्यादा मुनाफे को बौटों वा अच्छा तरीका तनावहे बढ़ाना नहीं, बल्कि वायरिक बोनस देना है। श्री द्याना की इस बात से महाराष्ट्र के ही नहीं, अन्य राज्यों के न्यायाधीगों ने भी सहमति प्रकट की, लेकिन योनन वो परिभाषा निश्चित करने के लिए बोई फार्मूला तैयार करने की दिशा में कोशिश नहीं की गई।

### 'अनजाने मागर की यात्रा'

आप्रैल, 1948 में आयोजित इडियन लेवर कॉर्पोरेशन ने मुनाफा बौटने के विषय पर विचार-विमर्श करते हुए बहा कि यह मामला इस प्रकार का है कि इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाता चाहिए। भारत सरकार ने मुनाफा बौटने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। समिति से बहा गया कि वह सरकार को निम्नलिखित बातों के लिए सिद्धान्त तय करने में आयी मताहूदे—  
 (अ) अभियोगों को उचित तनावहे, (आ) उद्योगों में निवेशित पूँजी पर उचित लाभ,  
 (इ) सत्यानों के रख-रखाव और विस्तार के लिए पर्याप्त सचित बोर्ड वी व्यवस्था  
 और (ई) अधिशेष प्राप्ति के लिए उत्पादन के हिस्से का निर्धारण। इसे आम तौर पर (अ) व (इ) में किए गए उत्पादन प्रावधानों के अनुरूप तात्पर्य बनाते हुए (कम या ज्यादा) तय किया जाना था।

समिति बोई ऐसी प्रक्रिया तय नहीं कर सकी, जिसके आधार पर मुनाफे में कर्मचारियों के हिस्से की द्वात वो उत्पादन के साथ तात्पर्य बनाता तय किया जा सके। समिति का विचार था—“इसलिए बड़े पैमाने पर मुनाफे में बैटवारे का प्रयोग करना एक अनजान-अनदेखे सागर की यात्रा पर निवलने जैसा होगा।”

समिति ने मुम्भाव दिया कि कुछ मुख्यवस्थित उद्योगों में मुनाफा बौटने की बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है। ये उद्योग हैं—(1) सूखी वस्त्र,  
 (2) जूट, (3) इस्पात (मुख्य उत्पाद), (4) सीमेट, (5) दायर उत्पादन और  
 (6) सिगरेट उत्पादन।

मुगाफा बांटने का प्रपोग करने वा सुभाव देने के पीछे ग्रीयोगिक शान्ति बनाए रखने की भावना ही काम कर रही थी। समिति का यह भी कहना था कि अधिगेय लाभ का अनुमान लगाने द्वारा उने कानून के अनुसार बांटा गया है, इस बात को प्रमाणित करने की दूरी दिमेदारी कम्पनियों के वैध रीति से नियुक्त लेखा परीक्षकों पर डाल दी जानी चाहिए।

वैन्द्रीय परामर्शदाती परिषद ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन उस दिना मेरोई समझौता नहीं हो सका। अबहार रूप मेरुनाफे के बैठकारे दी प्रक्रिया समय-समय पर ग्रीयोगिक अद्वालतों व न्यायाविकरण द्वारा बोनस प्रदायगी के निर्णय देने के रूप मेरुननी रही। लेकिन उनके पकाठो मेरुने इसके लिए कोई समझौप या अप्ट प्राधार उभर कर सामने नहीं आ सका।

### थमिक दूषीली ट्रिव्यूनल पार्मूला

इस पृष्ठभूमि मेरु, थोड़े समय तक चले थमिक ग्रीयों ट्रिव्यूनल (एल ए. टी.) ने बोनस मुगानान के सिद्धान्त तय किए थे। सन् 1950 मेरुनी कपड़ा उद्योग के विवाद पर अनेकों मेरुने थमिक ग्रीयों ट्रिव्यूनल ने थमिकों को बोनस देने से सम्बन्धित मुश्त्र सिद्धान्तों का प्रारूप सामने रखते हुए कहा था—

“इसे (बोनस को) अब अनुग्रह मुगानान नहीं माना जा सकता क्षेत्रिक यह बात मानी जा चुकी है कि अगर दोनों के दावे का प्रतिरोध किया जाए तो उसमे ऐसा ग्रीयोगिक विवाद उभरता है जिसका फैसला वैध रूप से गठित ग्रीयोगिक न्यायालय या ट्रिव्यूनल द्वारा करना होता है।”

सन् 1952 मेरु एक दूसरे मामले मेरुने बोनस का परिमाण निश्चित करने वाले आधारों दी व्याख्या करते हुए कहा था—

“इस ट्रिव्यूनल की लगानार यह नीति रही है कि थमिकों के लिए ऐसी वेतन दर या मान तय की जाए जो वेतनों की याम दजान्दिशा के अनुसार होने के साथ-साथ बम्पनी की मुगानान समना के अनुद्दित भी हो और अगर सम्बद्ध हो तो इसे मुनाफे के अधिगेय मेरुने बोनस देकर उसे आधिक लाभ पहुँचाया जाए। इन यामबों द्वारा किन्हीं रिदान्तों के आधार पर निश्चित करना होगा, न कि आधारहीन बातों पर। क्योंकि अगर हम मिद्दान्त से अलग हट जाते हैं तो थमिक नियंत्रों मेरु एक-रूपता नहीं रहेगी और अनिश्चित आधारों पर फैसले देना ग्रीयोगिक सम्बन्धों के लिए खतरनाक सिद्ध होगा।”

पहले मामले के सन्दर्भ मेरुने निश्चित किए गए फार्मूले के अनुसार, जो कि ‘पूर्ण पीड़ फार्मूलो’ (फूल वैच फार्मूला) के नाम से जाना गया उक्त लाभ मेरुने से नियन्त्रित खर्चों की व्यवस्था करने के बाद ही बैठकारे के लिए अधिगेय निश्चित किया जाएगा। ये है—

- (1) दूट-फूटे के निए आवधान,
- (2) पुरावास के लिए सचिन बोय,
- (3) चुकता पूंजी पर 6% लाभ, प्रीर
- (4) कायं पूंजी पर चुकता पूंजी वी तुलना मेरुने अम दर पर लाभ;

को अन्तिम रूप दिया उसमें विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों का भी ध्यान रखा गया था। इसे 29 मई, 1965 को बोनस मुगतान अध्यादेश, 1965 के नाम से जारी किया गया था। 25 सितम्बर, 1955 को बोनस मुगतान अधिनियम 1965 ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

### बोनस विधानक वो सांविधानिक चुनौती

29 मई, 1965 को बोनस अध्यादेश जारी होने के तुरन्त बाद ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विधेयक व महत्वपूर्ण प्रावधानों की सांविधानिक वैधता को चुनौती देते हुए अपीले दायर की गईं। कानून की सांविधानिक वैधता को सर्वांग चुनौती देते हुए सवोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में दो रिट पेटीशन और बम्बई के आद्योगिक न्यायालय के निरुद्योग के विरुद्ध एक दोषानी अपील दायर की गई। पूरे अधिनियम वी अतोचना भी गई। खासतौर पर घारा 10, जिसके तहत लाभ न होने की स्थिति में भी न्यूनतम बोनस मुगतान का प्रावधान था, घारा 33, जिसका सवध कुछ अनिर्णीत विवादों पर अधिनियम वो लागू करने से था, और घारा 34 (2) को जिसका सम्बन्ध बोनस की मीटूदा उच्ची दरों को सरक्षण देने से था, चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अगस्त, 1966 को दिए गए ध्येयने पैसले में घारा 10 की सांविधानिक वैधता वो उचित ठहराया था। अधिकतम बोनस या सेट अॉन या अग्रिम देना व रोट अॉफ या मुजरा प्रणाली से सम्बन्धित प्रावधानों को बरकरार रखा गया। लेकिन घारा 33 और 34 (2) और साथ ही घारा 37 को भी (जो अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार सरकार को देती है), सांविधानिक हाई से अवैध घोषित कर दिया।

### सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बनी स्थिति से निपटने की कठिनाई

फैसले के तुरन्त बाद मजदूरों ने प्रतिवेदन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित प्रावधानों (विशेषकर उच्चतर बोनस की मीटूदा स्थिति वो सरक्षण देने वाले) को फिर स बहात किया जाए। दूसरी ओर मालिकों का कहना था कि यथास्थित बनाए रखी जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दूसरी स्थिति पर स्थायी अम समिति और इसके बाद गठित डिप्क्षीय समिति द्वारा विचार किया गया। लेकिन फिर भी पक्षों के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर बोई समझौता नहीं हो सका और विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए।

### सन् 1969 में बोनस अधिनियम में संशोधन

मेटल वॉकर्स कम्पनी और इसके कम्पनीरियों के बीच बोनस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि घारा 6 (सी) के अधीन देयकर राशि का हिसाब लगाते समय बोनस अधिनियम के तहत दिए गए बोनस को सकल लाभ से घटाया नहीं जाएगा। इस फैसले के फलस्वरूप यह हुआ कि कर के नाम पर घटाई जाने वाली रकम घास्तविक देय कर से ज्यादा बैठ जाती थी और बोनस देने पर

आवकर के प्रधीन मालिक वो मिलने वाली कर छूट की पुरी रकम उसकी जेव रे जाती थी। यह बात सरकार की रीति-नीति के विपरीत ठहरती थी। मजदूर तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 34(2) को रद्द किए जाने से पहले ही दुखी थे। मेटल बोनस कम्पनी के मामले में दिए गए नए फैसले से और अधिक उद्देशित और बेनेंट हो बए। वयोंकि इन दोनों निर्णयों से उन्हें मिलने वाली बोनस राशि पर दुष्प्रभाव पड़ा था। इसलिए 10 जनवरी 1969 को एक अध्यादेश जारी करके अधिनियम की धारा 5 में संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि किसी लेखा वर्ष में मालिक को मिलने वाली कर छूट राशि को बाद वाले लेखा वर्ष के उपलब्ध अधिनेप में लोडना होगा। इस प्रकार कर छूट की राशि अब (अर्थात् लेखा वर्ष 1968 से आगे) मालिक और उनके लिए कर्मचारियों के बीच 40 60 के अनुपान में बटौरी जाएगी। बाद में एक संसदीय अधिनियम ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

### राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने निम्नलिखित तिफारिये दी है—

वाधिक बोनस देने की प्रणाली अस्तित्व में आ गई है। उसने अपना स्थान बना लिया है और भविष्य में भी सम्भवत जारी रहेगी। जहाँ तक बोनस के परिमाण को तय करने का प्रयत्न है, उसे सामूहिक सौदेबाजी के जरिए तय किया जा सकता है। लेकिन ऐसे समझौतों को आधार बनाने वाले फार्म्स को कानूनी होना होगा। सन् 1965 के बोनस मुगतान अधिनियम को अधिक समय तक आजमा पार देना चाहिए। कुछ कम्पनियों ने, जो बोनस अधिनियम पासित होने से पहले बोनस दिया करती थी, अब बोनस देना बन्द कर दिया है, वयोंकि यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। इन कम्पनियों को केवल इसी बात पर बोनस की अदानी बन्द नहीं करनी चाहिए। सरकार वो चाहिए कि ऐसी कम्पनियों के सदर्म में अधिनियम में उचित संशोधन करने की सभावना पर विचार करे।

यह तय किया गया कि बोनस पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले पर विचार किया जाए।

### बोनस पुनरीक्षण समिति का गठन

बोनस मुगतान अधिनियम में संशोधन करने के लिए 19 अगस्त, 1966 को थी चित्त बमु द्वारा राज्यसभा में बोनस मुगतान (संशोधन) विधेयक, 1966 के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मुख्य उद्देश्य ये—

- (1) अधिनियम की धारा 10 के अधीन देव न्यूनतम बोनस को लेखा वर्ष में अंगित वेतन मजदूरी के 4% से बढ़ाकर बार्फिर प्राप्तियो का  $1/12$  करना,
- (2) अधिनियम की धारा 11 को हटाना जो अधिकतम बोनस को लेखा वर्ष के वेतन/मजदूरी के 20% तक सीमित करती है, और

(3) पारा 32 द्वारा अलग किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावा उन सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम को लागू करना, जो बम्पिनियो और निगमों की तरह चलाए जाते हैं।

भ्रातालय से परामर्श लेकर और मन्त्रिमण्डल के निदेशानुसार इस विधेयक का विरोध लड़ने और यह आश्वासन देने वा फैसला दिया गया कि सरकार उचित समय पर स्वयं एक उचित विधेयक पेश करेगी ताकि सन् 1965 के बोनस मुगतान अधिनियम को ऐसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता न लड़ने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू किया जा सके, जो वर्तमान में अधिनियम की धारा 20 के अधीन इससे भ्रष्टाचारी रह गई हैं। उक्त विधेयक को राज्यसभा ने 26 मार्च, 1971 को अस्वीकृत कर दिया। बहस के दौरान थम मन्त्री ने यह आश्वासन दिया कि सरकार अतीत के अनुभवों को देखते हुए बानूनी बोनस मुगतान की पूरी योजना का पुनरीक्षण करेगी।

पिछले पैरे में उल्लिखित आश्वासन के अनुरूप 28 अप्रैल, 1978 को एक समिति स्थापित भी गई जिस पर सन् 1965 के बोनस भुगतान अधिनियम के द्यवहार के पुनरीक्षण वो जिम्मेदारी थी। उसका स्वरूप व विचार क्षेत्र निम्न-लिखित पा—

- स्वरूप—ग्रध्यक्ष एव सदस्य—(1) श्री एन एन भट्ट, (2) श्री हरीश महिंद्रा, (3) श्री आर पी बिलीमोरिया, (4) श्री जी रामानुजन, (5) श्री सतीश लुम्बा, (6) श्री महेश देसाई, (7) डॉ एस एल पुनेकर।
  - विचार क्षेत्र—बोनस मुगतान अधिनियम, 1965 के सचालन की समीक्षा करना और उसमें प्रस्तावित योजना में उचित सशोधन मुझाना और खासतोर पर निम्नलिखित पर मुझाव देना—
  - (1) क्या उन स्स्थानों पर (बारलानो के घटावा) जहाँ 20 से कम अधिक काम करते हैं इस अधिनियम को लागू करना चाहिए। और यदि हाँ, तो रोजगार की किस सीमा तक? क्या इन छोटे स्स्थानों में बोनस मुगतान के लिए अलग फार्मूला होना चाहिए?
  - (2) क्या न्यूनतम बोनस (4%) की सीमा को बढ़ाने का मामला बनता है? यदि हाँ तो विस स्तर तक इन्डिकेटर की जाए?
  - (3) क्या बोनस मुगतान वी वर्तमान उच्च सीमा और सेट ऑफ या अधिक मुगतान और सेट ऑफ या मुजरा प्रणाली में किसी फेरबदल की जरूरत है? यदि हाँ, तो इस परिवर्तन की दिशा क्या होगी?
  - (4) क्या समूचे बोनस मुगतान को किसी न किसी रूप में स्स्थान में उत्पादन में/उत्पादकता से संयुक्त कर दिया जाना चाहिए?
  - (5) क्या वर्तमान 4% न्यूनतम बोनस जारी रहे और उत्पादन/उत्पादकता की समुचित योजना के अध्ययन से इसे और बढ़ाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए?

(6) किसी भी सम्बन्धित/अनुपर्यामी मामले पर विचार करना और सुभाषण देना।

समिति आगामी सिफारिशों को घनितम रूप देने से पहुँचे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर उनके सम्भावित प्रभाव का भी सावधानीपूर्वक ग्राहित करेगी।

### बोनस पुनरीक्षण समिति की अन्तरिम रिपोर्ट

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 13 सितम्बर, 1972 को न्यूनतम बोनस, इसके भुगतान के तरीके, न्यूनतम बोनस में वृद्धि का उत्पादन/उत्पादकता से सम्बन्ध, प्रसार आदि प्रश्नों के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति के निष्कर्ष इस विषय पर प्रस्तुत दो घलग-घलग रिपोर्टों में संक्षिप्त हैं। एक रिपोर्ट अध्यक्ष, डॉ एस. डी. पुनिकर, थी एवं एस भट्ट और हरीश महिंद्रा की तरफ से वेश की गई थी और दूसरी रिपोर्ट वेंग करने वाले थे थी आर डी विलीमोरिया, थी भट्टेश देसाई, थी जी रामानुजम और थी सतीश लुम्बा।

समिति द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निम्नलिखित कदम उठाए गए—

(1) बोनस अधिनियम के तहत आने वाले श्रमिकों को मिलत वाले न्यूनतम कानूनी बोनस को 4% से बढ़ाकर लेखा वर्ष 1971-72 के लिए 8½% कर दिया गया।

(2) बोनस भुगतान अधिनियम के तहत आने वाले समस्त व्यक्तियों को 8½% तक पूरा भुगतान नकद दिया जाए। जहाँ कथित लेखा वर्ष में दिए जाने वाले बोनस की रकम 8½% से अधिक हो और व्यक्ति लेखा वर्ष में दिए जाने वाले भुगतान और सन् 1970-71 लेखा वर्ष में किए गए भुगतान के बीच अंतर कोई अन्तर (अनुकूल अर्थात् धन) हो, (यानी जहाँ यह भुगतान 8½% से अधिक रहा हो) तो देश की भीजूदा धार्यक स्थिति का देखते हुए इसे कर्मचारियों के अधिक्षय नियम स्वातं में जमा करा दिया जाएगा।

उपर्युक्त (1) प्रीर (2) में निहित व्यवस्थाओं को गैर प्रतियोगी सार्वजनिक देश प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जाएगा।

यह अधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएं कि अधिनियम में शीर्षारिक संशोधन होने तक, उन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जो भी (जिन्हें इस समय बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 20 की व्यवस्था के चलते, बोनस देने से छूट मिली हुई है) उपर्युक्त आधार पर सन् 1971 के किसी भी दिन जुह छोने वाले लेखा वर्ष के लिए भुगतान करना चाहिए, और

गवर्नर ने मालिकों के बैंकों से बहा कि वे अपने महम्म गस्तानों को यह सलाह दे कि उन्हें 'खाड़ियां कर फार्मूले' के नाम से प्रचलित फार्मूले के सन्दर्भ में कर्मचारियों को दिए गए अधिक धन वी बमूली करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

बाद में एक संसदीय अधिनियम ने इन अध्यादेश का स्थान ले लिया।

### सन् 1972-73 के लिए न्यूनतम बोनस

सन् 1965 के बोनस भुगतान अधिनियम में सितम्बर, 1973 में किरणशोधन किया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि सन् 1972 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्प के लिए तनाहबाहू या मजदूरी के 8½% की दर से न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाए, तथा कुछ फार्मले मामलों में, बोनस के एक अंश वो कर्मचारियों के भविष्य निधि साते में जमा कर दिया जाए। लेकिन अमिको भी योर से ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें प्राप्त बोनस की राशि नकद दी जानी चाहिए और सरकार ने उनकी प्रारंभना हीरोड़ार करने का निश्चय हिया। तदनुसार 14 सितम्बर, 1973 को अधिनियम में सशोधन कर दिया गया।

### सन् 1973-74 के लिए न्यूनतम बोनस

15 जुलाई, 1974 को ही अपनी बैठक में राजनीतिक मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने हमारे नोट पर विचार विभाग किया, जो सन् 1973 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्प के बारे में न्यूनतम देय बोनस भुगतान से सम्बन्धित था। समिति ने कैसला किया कि बोई अध्यादेश जारी करने के बजाय, यह वही अधिक अच्छा रहेगा कि मालिकों वे प्रमुख प्रतिनिधि संघों वो अनीपचारिक रूप से सन् 1973-74 लेखा वर्प के लिए 8½% की दर से न्यूनतम बोनस का भुगतान करने वो सलाह दी जाए। बैन्द्रीय धर्म मन्त्री ने इस सम्बन्ध में 22 जुलाई, 1974 को एक बैठक आयोजित की। राज्य सरकारों से भी वहा गया कि वे राज्य के मालिक संगठनों को सन् 1973-74 लेखा वर्प के लिए 8½% की दर से न्यूनतम बोनस भुगतान करने की सलाह दें। उनसे यह भी वहा गया कि वे यही सलाह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी दें। बाद में बोनस भुगतान अधिनियम में 11 सितम्बर, 1974 को सशोधन करके उसमें सन् 1973 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्प के लिए न्यूनतम बोनस वो भुगतान की व्यवस्थाएँ जोड़ दी गईं। बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 14 अक्टूबर, 1974 को नई दिल्ली में अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

### बोनस भुगतान (सशोधन) अध्यादेश सन् 1975 का जारी होना

बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के बारे में विभिन्न स्तरों पर काफी विस्तार से विचार विभाग किया जाए। गत मितम्बर के मध्य में सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर निर्णय लिए गए और उन निर्णयों के अनुरूप 25 सितम्बर, 1975 को बोनस भुगतान (सशोधन) अध्यादेश जारी कर दिया गया।

'न्यूनतम बोनस की ज्यों दर इस अधिनियम के तहत 4% है औसत अन् 1974 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्प के लिए भी बरखार रखा गया है। लेकिन अल्प वेतन पाने वाले मजदूरों को लाभ पहुँचाने की हाईट से कुल न्यूनतम बोनस की राशि अमर 40 रुपये और 25 रुपये से बढ़ावर 100 रुपये और

60 रुपये कर दी गई है। बाद के दोनों दो लिए न्यूनतम बोनस का मुगनान 4 दर्घे के खंड में उपलब्ध अधिशेष पर आधारित होगा। अगर अधिशेष बहुत कम है तब भी न्यूनतम बोनस वा मुगनान दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अधिशेष नहीं है तो कोई बोनस देय नहीं होगा।"

हर दर्घे खड़े हो जाते थे और परिस्थितियों के दबाव पे सामने उस अवसर पर तर्द्ये दूसरे कर लिए जाते थे। इस पारण इस मामले पर स्थिरता लाने की तुरन्त आवश्यकता की देखते हुए, जैसा कि बोनस प्रायोग ने भी कहा था और किसी बजह से ही बोनस के बारे में कानून लागू करने वो आवश्यकता महसूस की गई थी, अधिनियम की धारा 34(3) वो निकाल दिया गया। जिन संस्थानों पर बोनस कानून लागू होता था, उनमें आमकर अधिनियम के तहत कटौतियों की अनुमति वेदल बोनस कानून के अधीन दिए गए बोनस पर ही प्रदान की गई थी।

वैदों द्वारा बोनस वी श्रेणी से अलग कर दिया गया। वैकों, जीवन वीमा नियम, भारतीय आम वीमा नियम, बन्दरगाह व ठाक तथा अन्य गैर प्रतियोगी सार्वजनिक संस्थानों में बोनस के बदले अनुग्रह मुगनान की अनुमति दी गई। इस मुगनान की अधिकतम घर 10% रखी गई।

अधिनियम में भोजूदा 20% की दरमान अधिकतम सीमा दरकरार रखी गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अधिनियम के तहत अगर कर्मचारी अपने मालिनी से लाभ पर आधारित वापिक देय बोनस को अदायगी के बारे में कोई समझौता करते हैं, तो उस स्थिति में भी बोनस 20% से ज्यादा नहीं होगा।

अधिनियम से सरकार को यह अधिकार भी मिला है कि वह कम से कम दो महीने का नोटिफिसिट देकर ऐसे इसी भी संस्थान द्वारा, जिसमें 10 से कम कर्मचारी काम नहीं दरते, अपनी अधिमूचना में उल्लिखित लेखा दर्घे के लिए अधिनियम के प्रावधानों को साझा कर सकती है यह उल्लेखनीय है कि दरमान कानून गैर-वारखाना इकाइयों के सन्दर्भ में उन्हीं संस्थानों पर साझा होता था, जहाँ कम से कम 20 व्यक्ति काम करते हो।

### योनम : अन्तर्रिम फैगता (अगस्त, 1977)<sup>1</sup>

18 अगस्त को उन्ना पार्टी रो कार्यकारिणी की नियारिय पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने यह फैगता किया कि तारू 1976 के दर्घे द्वारा बोनस आपात्काल से पहने भी तरह 8·33 प्रतिशत में कम नहीं होगा। इन्दिरा सरकार ने बोनम का विस्त्रित अदायगी स्वीकार करते हुए न्यूनतम बोनम का प्रनियन 8·33 निश्चित किया था। लेकिन आपात्काल लागू होने पर मर्ही कृषि नीनि की सन्तुनित गरने, मुद्रा प्रसार पर अकुश लगाने और सार्वजनिक धोत्र का घाटा कम दर्घने के लिए न्यूनतम बोनम समाप्त कर दिया गया। उन्ता पार्टी ने चुनाव योग्यतापत्र में पुरानी दर से बोनस द्वारा बादा किया था।

1. दिनमान, अगस्त-सितम्बर 1977.

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के पैसले वे अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान दो, चाहे उसने मन् 1976 म गुनाफा कमाया हो या घाटा दिखाया हो, निर्धारित दर से बोनस देना होगा। दूसरी ओर अधिकतम सीमा बैंध दी गई है। यह है कुप्र वेतन का 20%। केवल उन कामनियों वो इस जिम्मेदारी से मुक्त रिया जा सकेगा जो यह बोफ नहीं उठा सकते, लेकिन इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति प्राप्त बरनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के वे प्रतिष्ठान जिनवा कि वायंक्षेत्र पर एकाधिकार है, जैसे बोर इण्डिया और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, अपने कर्मचारियों वो बोनस कानून वे आधार पर रखने प्रदान करेंगे। यह कानून बैंडो पर भी लागू होगा। लेकिन बीमा कम्पनियाँ तथा विभागीय प्रतिष्ठान जैसे रेलवे और डाक तार इव देनदारी से मुक्त रहेंगे।

उद्योगपतियों के प्रवत्ताधो ने बहा है कि इस पैसले के प्रतिष्ठानों पर जो बोफ पड़ेगा उसे हल्का करने के लिए रियायती दर पर अट्टा मिलने तथा ऐसी ही अन्य गुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस पैसले से अनुमान है कि देश म बोनस की शक्ति मे कोई ढाई अरब रुपये की अदायगियाँ की जाएंगी, जबकि इस व्यवस्था के अभाव म इसकी आवे से भी रकम बोनस के रूप मे अदा की जाती थी।

इसके पहले जुलाई म अनिवार्य जमा योजना मे रकम की दूसरी किस्त नकद वापस वरने का पैसला बिया गया था। यह रुपया भी तीन अरब 36 लाख रुपये है। इस तरह बोनस और अनिवार्य जमा योजना दोनों की अदायगी मिलाकर कोई 5 अरब रुपये की मुद्रा पूति बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार का अनुमान है कि दो कारणों से महेंगाई पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। एक तो इसलिए कि मार्च, 1977 से 22 जुलाई, 1977 तक मुद्रा की दूनि केवल 3.8% बढ़ी है जबकि सन् 1976 की इसी अवधि मे यह 8.2 प्रतिशत बढ़ी थी। दूसरे मरात्ता ने इस आशा से कि आवर्धक व्याज देन पर थमिक बगं बोनस प्रोग्र अनिवार्य जमा का सारा पैसा खर्च न करके राष्ट्रीय बचत पत्रों मे लगाने की सोच सकता है। सरकार ने पांच वर्ष के विशेष राष्ट्रीय विकास पत्र जारी किए हैं। इन बचत पत्रों मे जो रुपया लगाया जाएगा उन पर 13% की दर से व्याज मिलेगा। दूसरे शब्दों म 100 रुपये का बचत पत्र खरीदने वाले को पांच वर्ष बाद 165 रुपये मिल सकेंगे। लेकिन इन विशेष बचत पत्रों मे कितना रुपया लगाया जाएगा इसके बारे मे वित मन्दालय को आशा है कि यह रकम अधिक भी अधिक एक अरब तर हो सकती है।

बोनस सम्बन्धी यह फैसला इस अवं मे अन्वरिम फैसला माना गया कि सन् 1977 के लिए समष्ट राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ मे पैसला रिया जाएगा। अम मन्त्री श्री रवीन्द्र वर्मा ने आशा व्यक्त की कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही मजदूरी, आमदनी और भारों के बारे मे राष्ट्रीय नीति तथ बरेगी और उती के मन्दर्भ मे सन् 1977 के बारे मे निर्णय लिया जाएगा। इस नीति भी रुपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है जो निर्ण भविष्य मे अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

19 अगस्त को प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने भारतवासीणी और दूरदराज से श्रमिकों के नाम एक सन्देश प्रभारित किया और वह कहा कि सरकार ने योनस सम्बन्धी जो फैसला किया है वह श्रमिक वर्ग में सरकार के विश्वास के प्राप्तार पर और उनके अधिकारों के स्वीकार के रूप में दिया। उन्होंने श्रमिक वर्ग से श्रील की कि अनिवार्य जगा योजना और योनस की ग्राम्यगियों की अधिक से अधिक सम्बन्ध रखने के देश के विकास कार्यों में सहाय और इस तरह महंगाई का दबाव रोकने में सरकार की सहायता करें।

### मजदूरी और राष्ट्रीय आय (Wages and National Income)

मजदूरी अथवा को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है। अन्य बाने तकान रहने हुए राष्ट्रीय आय में दृढ़ होने पर मजदूरी बढ़ेगी तथा इनमें कभी आने पर मजदूरी भी कम होगी। राष्ट्रीय आय में से अधिकों को दिया जाने वाला भाग स्वनन्दन के पश्चात् बढ़ा है। प्रो. वी. एन. दत्तार के अनुसार सन् 1947 से 1957 की प्रवधि में राष्ट्रीय आय में अधिकों (समठिन अधिक) का हिस्सा स्थिर ही रहा। दूसरा प्रध्ययन शिवमग्गी (Slivmaggie) द्वारा दिया गया था जो कि सन् 1951-61 की अवधि से सम्बन्धित है। इस अध्ययन को रिन्ड वैक आँह इडिया बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार "राष्ट्रीय आय में कारखाना मजदूरों का हिस्सा प्रथम पचवर्षीय योजना में 3.4% या और वह दूसरी पचवर्षीय योजना में बढ़कर सन् 1961 में 4.4% हो गया।" १ सन् 1951-61 की अवधि में राष्ट्रीय आय में कारखानों से प्राप्त प्राय 640 करोड़ रुपयों से 1540 करोड़ रुपये ही गई। इस अवधि में रोजगार 35% बढ़ा। इस अवधि में प्रति कारखाना अधिक की वार्षिक नकद औसत आमदनी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय चालू मूल्यों पर क्रमशः 38% और 22% बढ़ी। इसमें हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक और भारतीय निवासी की तुलना में कारखाने के गजदूर की आर्द्धक स्थिति सुधरी है।

जहाँ तक मजदूरी और लाभ का सम्बन्ध है इस विषय में प्रो. पालेकर (Prof S. A. Palekar) ने मन् 1939 से 1950 की अवधि का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार अधिक की उत्पादन के मूल्य का देवल 40% मिला जबकि निर्माणाद्यों को अधिकों को मिलने वाले हिस्से में तीन गुना लाभ मिला। यह मन् 1939 की तुलना में बताया गया है। यद्यपि निर्माताओं द्वारा और बाजारी में कमाए गए लाभ को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। निर्माणालयों द्वारा भी यहाना (Census of Manufacturing Industries) के अनुसार गन् 1949-50 की तुलना में सन् 1958 में अधिकों की मजदूरियाँ जो कि निर्माणालयों द्वारा मूल्य में जोड़ी गई, 50% से गिर कर 40% रह गई। इस तरह से मूल्यों के योग के प्रतिशत के रूप में मजदूरी सन् 1960 की तुलना में 1964 में 40% से घट कर 36.5% रह गई। राष्ट्रीय अम ग्राम्य (National Commission on Labour) के अनुसार भी यह निरावट और भी अधिक रही।

## मजदूरी का प्रमापीकरण (Standardisation of Wages)

हमारे देश के अधिकों की एक महत्वपूर्ण समस्या उनकी मजदूरी में प्रमापीकरण का अभाव है। एक ही उद्योग तथा एक ही औद्योगिक बेन्ड पर एक ही प्रकार के व्यवसाय में विभिन्न मजदूरी की दरे पायी जाती है। इस प्रकार मजदूरी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ही भिन्न नहीं होती है बल्कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक कारखाने से दूसरे कारखाने तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भी मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न पायी जाती हैं। मजदूरी स्तर बम्बई, प. बंगल, दिल्ली आदि स्थानों पर ऊँचा है जबकि असम और उडीसा में यह नीचा है। इस प्रकार अधिकों की मूल मजदूरी (Basic wages) में ही अन्तर नहीं पाया जाता है बल्कि उनके महंगाई भत्ते तथा जीवन निर्वाह लागत में भी भिन्नता पायी जाती है।

मजदूरी में प्रमापीकरण के अभाव के कारण ये मजदूरी की विभिन्न दरें कई दोषों को उत्पन्न करने वाली होती हैं—

1. एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक औद्योगिक बेन्ड से दूसरे औद्योगिक बेन्ड में मजदूरी में विभिन्नता के कारण अधिकों में प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory tendency in workers) देखने की मिलती है। कम मजदूरी वाले उद्योग को छोड़कर अधिक अधिक मजदूरी वाले उद्योग में चले जाते हैं। इससे स्थायी अमर्शक्ति (Stable labour force) के मार्ग म बाधा उत्पन्न होती है।

2. एक ही औद्योगिक बेन्ड पर एक उद्योग में कम और दूसरे उद्योग में अधिक मजदूरी होने के कारण कम मजदूरी वाले अधिकों के दिमाग में असतोष पर कर जाता है जिससे हृदयालो, धीमे कार्य करने की आदत आदि को प्रोत्साहन मिलता है जो आगे औद्योगिक भलडों को जन्म देते हैं।

3. मजदूरी में भिन्नताओं के कारण अलग अलग वर्गों के लिए प्रशासन, प्रबन्ध एव संगठन का अलग-अलग ढाँचा तैयार किया जाता है। अलग अलग प्रशासन, प्रबन्ध एव संगठन के कारण समय, धन एव धम का अपब्यय होता है।

इन दोषों को ध्यान में रखते हुए हमें मजदूरी की भिन्नताओं को समाप्त करना पड़ेगा। मजदूरी के प्रमापीकरण के अन्तर्गत हम यह देखते हैं कि एक ही उद्योग में समान कार्य करने वाले अधिकों को समान ही मजदूरी दी जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी अधिकों को समान मजदूरी दी जाए। इसका अर्थ है कि अधिकों को उचित और वाईद्यनीय मजदूरी दी जानी चाहिए जिसे कि समान रूप से शिथान्वित किया जा सके।

मजदूरी का प्रमापीकरण तभी सम्भव हो सकता है जबकि अधिकों और मालिकों के प्रतिनिधि सहयोग और सद्भावना के बातावरण में परस्पर मिलकर निश्चित प्रमापीकरण का स्तर तय करें। एक हृद तक मजदूरी के प्रमापीकरण की समस्या वो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी द्वारा दूर किया जा सकता है।

# ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन; भारत में औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों की मजदूरी; भारत में श्रमिकों का जीवन-स्तर

(STATE REGULATIONS OF WAGES IN U.K.,  
U.S.A AND INDIA; WAGES OF INDUSTRIAL  
AND AGRICULTURAL WORKERS IN INDIA;  
STANDARD OF LIVING OF WORKERS IN INDIA)

---

## मजदूरी का राजकीय नियमन (State Regulations of Wages)

थ्रमिक को अपना थम बेचने के लिए स्वयं को उपस्थित करना पड़ता है। पहले शाहसु आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ट्रिप्ट अच्छी स्थिति में होने के कारण रोजगार की जर्ती आदि का निर्धारण स्वयं करता था और परिणामस्वरूप थ्रमिक का बहुत अधिक शोषण होता था। हमारे देश में यामीण अर्थ-व्यवस्था ध्यान-भिन्न होने से हस्तशिल्पी व कृषि थ्रमिकों में बेतोजगारी फैल गई। उम समय मजदूरी को नियंत्रित करने हेतु कोई थम सघ भी नहीं थे। इससे मजदूरी के निम्न स्तर पाए जाते थे।<sup>1</sup> 19वीं शताब्दी के अन्त में पूँजीपतियों ने मजदूरी-निर्धारण में 'वस्तु इटिक्सोग' (Commodity Approach) बोझोड़ दिया। इसके स्थान पर थम न्यायदंड तथा सामूहिक गौदराजारी दो बदलार नहीं गए। बीतव्वी तरी में थ्रमिक को एक मानवीय साधन माना गया और बल्पालुकारी राज्य की घारणा के प्रकास के साथ सामाजिक न्याय वी स्वापना हेतु मजदूरी-निर्धारण में विभिन्न मरणारों ने हस्तखेप आरम्भ किया।<sup>2</sup>

1 Giri, V. V.: Labour Problems in Indian Industry, p. 220

2 Vaid, K. N.: State and Labour in India, p. 89

मजदूरी के तीन आधिक कार्य हैं<sup>1</sup>—

1 मजदूरी उद्योग के उत्पादन को आय के रूप में श्रमिकों में वितरित करती है। समाज का अधिकांश हिस्सा श्रमिकों का है।

2 मजदूरी साधन के रूप में अर्थ-व्यवस्था में साधनों को विभिन्न उत्पादन स्रोतों में अवृण्टन करने वी क्रिया को प्रभावित करती है।

3 मजदूरी बीमत स्तर एवं रोजगार (Price Level and Employment) को निर्धारित करती है।

### मजदूरी निर्धारण करने के सिद्धान्तों की आवश्यकता (Need for Principles of Wage Fixation)

हमारे देश में मजदूरी निर्धारण हेतु सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ विभिन्न विकलित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैण्ड से भिन्न हैं।

1 हमारे श्रमिकों के असमर्थन और अग्रिकृत होने तथा अस्थायी अम शक्ति (Unstable labour force) आदि के कारण नियोक्ताओं की तुलना में श्रमिकों की सोदाकारी शक्ति कमज़ोर (Weak bargaining power of workers) है।<sup>2</sup> इससे उनका शोषण किया जाता है। अत इस दुर्बल सामूहिक सोदाकारी की स्थिति में मजदूरी-निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

2 कुछ उद्योगों अथवा सम्पादनों में श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में अत्यधिक होती है। इस शोषण को समाप्त करने हेतु मजदूरी का नियमन सरकार द्वारा नियान्त्रित आवश्यक है।

3 आधिक स्थिरता (Economic Stability) बनाए रखने हेतु भी मजदूरी का नियमन सरकार द्वारा आवश्यक है। विकसित देशों की समस्या प्रभावपूर्ण मांग का कम होना तथा भारत जैसे विकासशील देशों में प्रभावपूर्ण मांग की अधिकता (Excess of Effective Demand) का पाया जाना है। विकसित देशों में मजदूरी बढ़ाकर अर्थात् अधिक कार्य शक्ति वाले लोगों से कम कार्य शक्ति वाले लोगों की ओर अब शक्ति का स्थानान्तरण करके आधिक स्थिरता रखी जा सकती है। अधिक ऊंची मजदूरी के कारण उत्पादकता में वृद्धि, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध, मांग और कीमतों की स्थिरता, अधिक लाभ, अधिक विनियोग, राष्ट्रीय साधनों का अत्यधिक उपयोग आदि रूपों में लाभ प्राप्त होता है।

4 सामाजिक न्याय (Social Justice) प्रदान करने हेतु भी सरकारी नियमन आवश्यक है। सभी श्रमिकों को उनके उत्पादन में योगदान के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाए।

1 Srivastava, G L Collective Bargaining & Labour Management Relations in India p 315

2 Vaid K N State & Labour in India, p 89

तैयार किए जा सकते हैं तथा कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को इस आधार पर मालूम किया जा सकता है और उसी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

प्रो के एन. बैंड के अनुसार “एर्याप्त मजदूरी<sup>1</sup> को प्राप्त करना प्रत्येक सम्य समाज का उद्देश्य है, जबकि सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी<sup>2</sup> देना सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है।”<sup>3</sup>

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय विभिन्न तत्वों को सन्तुलित रूप से काम लेना होगा। उदाहरणार्थ, मानवीय आवश्यकताएँ, परिवार के कमाने वालों की सम्या, निर्वाह नागरिक और समाज कार्य हेतु दी जाने वाली मजदूरी दरें आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना उचित एवं बांधनीय होगा।

जुलाई, 1957 में भारतीय शब्द सम्मेलन में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के आधार के बारे में सर्वप्रथम प्रस्ताव पास किया गया और यह बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (Need-based Minimum Wages) निर्धारित करनी चाहिए। इस सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी समितियों (Minimum Wage Committees), वेतन मण्डलों (Wage Boards) और प्राधिकरणों (Adjudicators) आदि मजदूरी-निर्धारण करने वाली मशीनरी हेतु न्यूनतम मजदूरी के लिए विभिन्न प्राधार स्थीकार किए गए—<sup>4</sup>

1 थमिक के परिवार में तीन उपभोग इकाइयों (Three consumption units) को शामिल करना चाहिए। थमिक की पत्नी तथा उसके बच्चों द्वारा प्रजित प्राप्त की ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

2 दौं आपकरोट द्वारा बताई गई कैलोरीज के आधार पर ही भोजन या खाद्य की आवश्यकता (Food requirements) के बारे में गणना करनी होगी।

3 कपड़े की आवश्यकता (Clothing requirements) के अन्तर्गत प्रति इकाई उपभोग 18 गज होना चाहिए और कुल मिलाकर 72 गज कपड़ा प्रति वर्ष दिया जाना चाहिए।

4 घकान किराया सरकारी औद्योगिक गृह-योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधा के आधार पर दिया जाना चाहिए।

5. ईधन, विजली तथा अन्य व्यव की मर्दों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 20% रखा जाना चाहिए।

इसके साथ ही प्रस्ताव में यह बताया गया कि यदि इन आधारों पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से यदि कही मजदूरी कम है तो इसके लिए वहाँ के सम्बन्धित अधिकारियों को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। जहाँ तक उचित मजदूरी का

1. Vaid K N State and Labour in India, p. 90.

2. Saxena, R C • Labour Problems and Social Welfare, p. 550

प्रश्न है उसके लिए वेनन मण्डलो को उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर मजदूरी का निर्धारण करना होगा।

यह प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण माना गया वयोंकि सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण के लिए ठोम प्रस्ताव पास कर स्वीकार किए गए। मजदूरी मण्डल (Wage Boards) मजदूरी निर्धारित करते समय इन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हैं।

### पर्याप्त मजदूरी (Living Wage)

अर्थ—पर्याप्त मजदूरी, मजदूरी का वह स्तर है जो किसी अमिक की अनिवार्य व आरामदायक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। मजदूरी से अमिक अपनी तथा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है ताकि एक सम्म समाज के नागरिक के रूप में आराम से जीवन व्यनीत कर सके।

इस प्रकार पर्याप्त मजदूरी वह मजदूरी है जो कि अमिक व उसके परिवार की भोजन, बपड़ा व मकान सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करती है बल्कि इससे बच्चों की शिक्षा, अस्वास्थ्य से मुरक्खा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था हेतु बीमा आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं।<sup>1</sup>

क्वीन्सलैण्ड औद्योगिक समझौता तथा पचनिएंय अधिनियम (Queensland Industrial Conciliation and Arbitration Act) के अनुसार एक पुरुष अमिक को कम से कम इतना पारिथमिक (Remuneration) अवश्य देना चाहिए जिससे कि वह स्वयं, अपनी स्वीं तथा तीन बच्चों के परिवार को उचित आराम के साथ रखने में समर्थ हो रहे। यहीं यह माना गया है कि पुरुष अमिक को ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है।

उत्तरप्रदेश थम जैंच समिति, 1946 (U P Labour Enquiry Committee, 1946) के अनुसार पर्याप्त मजदूरी का स्तर है जिसके अन्तर्गत अमिक का पारिथमिक उतना पर्याप्त होना चाहिए कि वह जीवन निर्वाह पर व्यय करने के उपरान्त इतना धन बचा ले कि अन्य सामाजिक आवश्यकताओं जैसे—यात्रा, मनोरजन, दवा, पत्र-व्यवहार आदि की सन्तुष्टि कर सके।

उचित मजदूरी समिति, 1948 (Fair Wage Committee, 1948) के अनुसार पर्याप्त मजदूरी के अन्तर्गत पुरुष अमिक व उनके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे—भोजन, वस्त्र और मकान आदि ही प्रीति न हो बल्कि यह इतनी होनी चाहिए कि इससे बच्चों की शिक्षा, बीमारी से रक्खा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था लहिन अन्य दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाओं में बीमा आदि प्रेर हो सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की कि पर्याप्त मजदूरी निर्धारित करने समय राष्ट्रीय आय और उद्योग की भूगतान धमता को भी ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही पर्याप्त मजदूरी के लक्ष्य को पूरा करना अन्तिम लक्ष्य (Ultimate Goal)

होना चाहिए। उचित मजदूरी समिति ने मजदूरी-निर्धारण की अधिकतम या उच्च सीमा पर्याप्त मजदूरी तथा निम्नतम सीमा न्यूनतम मजदूरी निश्चित की।

**उचित मजदूरी (Fair Wages)**—उचित मजदूरी की समस्या कावी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में दिभिन्न देशों के अर्थशास्त्रियों ने विचार किया है। दुष्कृति काल में धर्मियों व मालिकों के बीच मध्यर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कई प्रयास किए गए। इसके लिए धर्मियों एवं मालिकों के बीचहार तथा हृष्टिकोण में परिवर्तन ही आवश्यक नहीं है बल्कि धर्मियों को भी कुछ पारित्रयमिक के रूप में अधिक मिलना चाहिए जिससे कि आपसी सद्भावना व सहयोग का बाहावरण तंत्रावरण किया जा सके। लाभ सहभागिता (Profit Sharing) तथा उचित मजदूरी राम्बन्धी विचार इस दिशा में महत्वर्ण है। सन् 1947 में औद्योगिक सम्मेलन में एक औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution) पास किया गया था जिसमें धर्मियों को उचित मजदूरी दिलाने की सिफारिश की गई। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार ने उचित मजदूरी-निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु सन् 1948 में एक उचित मजदूरी समिति (Fair Wage Committee) नियुनत की। इसकी रिपोर्ट सन् 1949 में प्रकाशित की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विल तंत्रावरण किया गया था और इसे सन् 1950 में सदृश में पेश किया गया, संक्षिप्त यह पात नहीं किया जा सका।

उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा न्यूनतम मजदूरी तथा उच्चतम सीमा पर्याप्त मजदूरी को माना जाना चाहिए। उच्चतम सीमा का निर्धारण उद्योग की मुगातान-क्षमता (Capacity of Industry to Pay) के आधार पर होना चाहिए। उद्योग की मुगातान-क्षमता निम्न तर्जों पर निर्भर करती है—

1. धर्म की उत्पादकता (Productivity of Labour),

2. उसी उद्योग अथवा पड़ोसी उद्योग में प्रचलित मजदूरी दर (Prevailing rates of wages in the same or neighbouring localities),

3. राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण (Level of National income and its distribution), और

4. देश की अर्थ-व्यवस्था में उद्योग का स्थान (Place of the Industry in the economy of the country)।

उचित मजदूरी समिति के अधिकार्ता सदस्यों का मत या कि उचित मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी तथा पर्याप्त मजदूरी के बीच में होना चाहिए। उचित मजदूरी को पर्याप्त मजदूरी को प्राप्त करने का एक प्रगतिशील कदम माना गया है (Fair wage is a step towards progressive realisation of the living wage)।

प्रो. पीगू (Prof. A. C. Pigou) के अनुसार “जिस प्रकार के अक्तियों के बीच जो एक दूसरे वे समान नहीं हैं, उसी प्रकार मजदूरी के सम्बन्ध में उचित से

हमारा आशय यह है कि भारतीय लाभ तथा हानियों को व्यान में रखते हुए, जो कुशलता के अनुसार में, किसी एक व्यक्ति वी कुशलता का माप उसके वास्तविक उत्पादन से किया जाए।”<sup>1</sup>

### उचित मजदूरी का निर्धारण (Determination of Fair Wages)

उचित मजदूरी समिति वी सिफारिश के अनुसार उचित मजदूरी न्यूनतम व पर्याप्त मजदूरी की सीमाओं में निर्धारित वी जाएगी और यह सीमा उद्योग की मुग्हतान-क्षमता पर निर्भर करती है तथा स्वयं उद्योग की मुग्हतान-क्षमता अभिक की कार्यक्षमता उद्योग में प्रचलित मजदूरी दरों, राष्ट्रीय आय का स्तर एव वितरण तथा अर्थ-व्यवस्था में उद्योग का स्थान आदि पर निर्भर करती है।

**कठिनाइयाँ (Difficulties)**—उचित मजदूरी-निर्धारण करने के आधार उचित मजदूरी समिति ने दिए हैं लेकिन इस निर्धारण में कई कठिनाइयाँ आती हैं जो निम्नलिखित हैं—

उद्योग की भुगतान-क्षमता के निर्धारण में कठिनाई (Difficulty in determining the capacity to pay of the Industry)—उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा उद्योग की देय क्षमता (Capacity of Industry to Pay) परआधारित होनी चाहिए। संदानिक हैं से यह सही है कि उद्योग की देय क्षमता के आधार पर ही उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। नियोक्ता इस बात का विरोध करते हैं तथा कहते हैं कि उद्योगों वी देय क्षमता कम होने से अधिक मजदूरी नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अभिको का विवाद है कि अधिक मजदूरी देने से अभिको की कार्यक्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, प्रति इकाई उत्पादन सागत कम आती है, वस्तु की मांग बढ़ती है, बाजार विस्तृत होता है और परिणामस्वरूप उद्योग की भुगतान क्षमता बढ़ती है। किन्तु उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करना एक कठिन समस्या है। उचित मजदूरी समिति के अनुसार “उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करने के लिए किसी विशिष्ट इकाई अथवा देश के समस्त उद्योगों की क्षमता वो आधार मानना बुटिपूण होगा। न्यायोचित आधार तो यह होगा कि किसी निर्धारित क्षेत्र के किसी विशिष्ट उद्योग की क्षमता को आधार माना जाए, तथा जहाँ तक सम्भव हो सके, उस क्षेत्र की समस्त सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों के लिए समान मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए। स्पष्टत मजदूरी निर्धारण करने वाले बोड के लिए प्रत्यक्ष औद्योगिक इकाई की देय क्षमता का माप करना सम्भव न होगा।”

उद्योग की देय-क्षमता को मापने के लिए उद्योग का लाभ-हानि, उद्योग का कार्य मूल्य, उत्पादन की मात्रा, वेरोजगारी आदि वो ध्यान में रखना पड़ेगा, संदानिक हृष्ट से यह सही है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करना कठिन है। उचित मजदूरी

समिति के अनुसार उचित मजदूरी भप्ते प्राप्त में ही उचित होनी चाहिए। वर्तमान स्तर पर न केवल शोजवार का स्तर बना रहे बल्कि मजदूरी स्तरों से उत्पादन-क्षमता भी बढ़ाई रखी जा सके। इस महत्वपूर्ण दिवार को ध्यान में रखकर ही बेतन मण्डलो (Wage Boards) को उद्योग की देय-क्षमता का अनुभान संगाना होगा। किमी एक विशिष्ट इकाई अथवा देश के सभी उद्योगों की मुग्धतान देय-क्षमता को आधार भानना भी गलत होगा। किसी विशिष्ट प्रदेश में किसी विशिष्ट उद्योग की देय-क्षमता एक अन्दरी बौद्धी हो सकती है प्राप्त जहाँ तक सम्भव हो सके उस प्रदेश में उद्योग की समस्त इकाइयों में एक ही मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए।

**2. ग्रोडोगिन उत्पादकता के निर्धारण में कठिनाई—उचित मजदूरी मिमिति के कथनानुसार श्रम-उत्पादकता तथा मजदूरी में घनिष्ठ सम्बन्ध है। किमी उद्योग की उत्पादकता न केवल अभिको की उत्पादकता पर ही निर्भर है बल्कि इसके प्रतिरिक्ष अन्य तस्व जैसे—प्रबन्ध-कुशलता, वित्तीय व तकनीकी क्षमता आदि भी इने प्रभावित करते हैं। अत उत्पादकता का अध्ययन रखते समय समस्त तत्त्वों को ध्यान में रखना होगा। वर्तमान मजदूरी का स्तर अभिको की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत अनुत्तम मजदूरी निर्धारित करके पर्याप्त मजदूरी की ओर बढ़ना होगा जिससे अभिको की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और उत्पादन बढ़े।**

**3. उचित मजदूरी को लागू करने में कठिनाई—समयानुसार मजदूरी देते समय अभिको की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर ही मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह जहरी नहीं है कि प्रत्येक अभिक उस नियत कार्यक्षमता के अनुसार ही कार्य करे। इसके अनुसार अधिक कार्यकुशल को प्रधिक और कम कार्यकुशल को कम मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन यह ध्यवहार में नहीं पाया जाता है। जिन उद्योगों में कार्य की दशाएँ अच्छी हैं तथा जिनमें लारव दशाएँ हैं तो मजदूरी भी अत्यन्त अन्तर हीनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।**

अत उचित मजदूरी निर्धारित करने समय हमें राष्ट्रीय प्राप्त के स्तर और इसके विवरण को भी ध्यान में रखना होगा। प्रचलित मजदूरी दरे भी ध्यान में रखनी होगी। लेकिन असमिन अभिको की प्रचलित मजदूरी बहुत ही नीची हो तो इसे बढ़ाना होगा। यह तृदि अभिको की कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर करनी होगी।

प्रो. वी. वी. सिंह के कथनानुमार 'किसी भी देश में वास्तविक मजदूरी स्तर उन देश के अधिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। फिर भी मजदूरी-नियमन और मजदूरी-निर्धारण मशीनरी को ऐसा मजदूरी-इच्छा तैयार करना होगा जो उचित हो और देश की आविक किशा के स्तर के अनुसार हो।'<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Singh V. B.: An Introduction to the Study of Indian Labour Problems, p. 87

## भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन (State Regulation of Wages in India)

हमारे दश म प्रारम्भिक शोधोगीवरण की स्थिति में श्रमिकों की मजदूरी मांग और पूर्ति के सिद्धान्त द्वारा निर्धारित होती थी। उस समय एक सराइन मजदूर आन्दोलन का घटाव था जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दा स्तर निम्न था। धीरे-धीरे श्रमिकों के समठन बनने लगे और इन्होंने श्रमिकों के बायं तथा रहने की दशाओं को मुख्यात्मने हुए मजदूरी में वृद्धि करने हेतु जगह-जगह विरोध किया। फिर भी प्रथम महायुद्ध तक इन्हीं पथ द्वारा अवदा सरकार द्वारा मजदूरी नियमन की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

सन् 1937 में जब प्रान्तीय सरकारों का गठन हुआ तब मजदूरी नियमन की ओर ध्यान दिया गया। हूसरे महायुद्ध तथा इमर्जे पश्चात् मजदूरी से सम्बन्धित विवादों को निपटाने के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने शोधोगिक व्यापास तथा अधिकारणों की स्थापना की।

सन् 1947 में शोधोगिक शान्ति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution, 1947) पाय दिया गया वर्तोंकि उस समय में शोधोगिक विवादों में काफी वृद्धि हुई थी। श्रमिकों व नियोक्ताओं के सम्बन्ध मुख्यात्मने पर जोर दिया गया त्रितीय विश्वासन में वृद्धि हो सके। परिणामस्वरूप उचिन मजदूरी समिति और लान-प्रश-भागिना समिति वा पठन किया गया त्रिसमें श्रमिकों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधि त्रिवक्षीय रूप में मार्ग लेते हैं।<sup>1</sup>

मार्च, 1948 म न्यूनतम वेतन अधिनियम बना, जो हृषि हेत्र में, प्रबंधि वृद्धि सम्बन्धी कई सशोधनों के कारण लम्बे समय तक लागू नहीं किया जा सका। तीसरे सशोधन द्वारा हृषि हेत्र म, इन कानून के कार्यान्वयन की अन्तिम प्रबंधि 31 दिसम्बर, 1959 निर्धारित की गई। इन प्रशार कानून दे मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने में लगभग 13 वर्ष लग गए।

भारत में मजदूरी के नियमन और निर्धारण के लिए जो प्रमुख वैधानिक व्यवस्थाएँ भीजूद हैं, उन पर विस्तार से पृद्व-पृयक् शीर्षकों में प्रकाश ढालने में पूर्व यह उचिन होगा कि प्रमुख व्यवस्थाओं के सारांग को जान लिया जाए, जो भारत सन् 1976 के अनुसार निम्नवत् है—

**उजरतों का नियमन—**“मजदूरी का नुगतान मजदूरी नुगतान अधिनियम सन् 1936 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सन् 1948, जैसा कि उसका बाद में सशोधन हुआ, से नियन्त्रित होता है। मजदूरी नुगतान (सशोधन), सन् 1976 अधिनियम सम्बन्धे भारत पर लागू होता है, और केवल अधिनियम, सन् 1948 मे परिभावित जो भी व्यक्ति जिनी भी कारखाने या रेलवे में काम करता है, और शौक्तन 1000 रु प्रतिमास से कम मजदूरी और वेतन पाना है, वह इसके प्रत्यर्थी भागा है।

इस अधिनियम के अधीन वेतन का मुग्नान कर्मचारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद चैक देकर या कर्मचारी के बैंक खाते से जमा वरके लिए जाने के राजपत्र में अधिसूचित कोपो के लिए कटौती करने से पहले भी कर्मचारी की लिखित स्वीकृति लेने की आवश्यकता है।”

थमिझो द्वारा कमाई गई मजदूरी को मालिक रोक नहीं सकते, न ही वे अनधिकृत स्प से कटौतियों को ही कर सकते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन अधिकारिक सहायानों में 1,000 से कम धमिक वाम करते हैं, उन्हें सम्बन्धित अधिकृती की मजदूरी जो एक हफ्ते के अन्दर तथा कुछ अन्य परिस्थितियों में 10 दिन के अन्दर प्रदा करनी पड़ती है। बेबल उन्हीं क्रत्यों या अवहेलताओं के लिए जुमाने किए जाते हैं जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य हैं। तुल जुमाने वी राशि काम की अवधि में दी जाने वाली मजदूरी के एक रूपों के बीच तीन पैसों से अधिक नहीं हो सकती। जुमाना किस्तों में, या जिरा नुटि के लिए वह किया गया है, उसकी तिथि के 60 दिन के बाद बमूल नहीं किया जा सकता। अगर मजदूरी की गशयां दैर से की जाती है या गतन कटौतियाँ जी जाती हैं तो गजदूर मा उनके सभ आपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुसूचित रोजगारों में समयोपरि मुग्नान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सन् 1948 के अनुसार किया जाता है।

**न्यूनतम मजदूरी** —भारत में मालिक कर्मचारियों को कंसी भी शर्तों पर जो कि कर्मचारियों को मजूर ही, रख रखते हैं किन्तु न्यूनतम गजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जहरत से ज्यादा वाम लेने और धमिक का शीघ्रता करने की याही है। इसके लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार ही अनुसूचित रोजगारों में कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है। इन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने प्रयोग-प्रयोग सेवों में मजदूरी की दरें निश्चित और अधिसूचित कर दी हैं।

अधिनियम उपयुक्त अन्तर के बाद पूर्णिर्वासित मजदूरी को संगोषित करने का प्रावधान करता है। 1973 में केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को इन अनुसूचित व्यवसायों में संशोधित किया। (i) भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य, पायाएं खण्डन और पर्याय वी पियाई आदि, (ii) कृषि और (iii) मैगनीज, बैंकाइट्स और जिष्यम जी खाने।

सन् 1974 में पहली बार इसे राज्य सरकारों और सभी प्रयोग सामनों ने कुछ के अनुसूचित व्यवसायों ने लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की यदवा उसमें संशोधन किया। अन्य प्रदेश ने चलाचित्र व्यवसाय के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया। बिहार में तापस्त्रह महिलों, तापस्त्रह देयों और चीनी निट्री के वर्तन बनाने के उद्योगों के लिए, उदीसा में होटलों, रेस्टरांओं, जलपान-झुहो, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा चूड़ी उद्योग के लिए और दिल्ली में बनावी, न्यास्टिक रबड़ और पी. बी. सी. तथा केबिल उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। अठम,

भ्रष्ट प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडीसा, कर्नाटक, वेरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संघीय द्वेष दिल्ली में भी कुछेक्षण अनुसूचित रोजगारों में न्यूनम वेतन की दरों को सशोधित किया गया है।

**समान पारिथमिक—** प्रापात स्थिति की घोषणा के बाद 20-सूची आधिक कार्यक्रम के अन्तर्गत धनेक वैधानिक नियम पारित किए गए हैं जिनसे समाज के कमजूर वर्गों को लाभ हो सके। 26 सितम्बर, 1975 को जारी किए गए एक अध्यादेश जो 11 फरवरी, 1976 को एक अधिनियम बन गया, के द्वारा पूरे देश में स्थी और पुरुष कर्मचारियों को समान पारिथमिक देने की व्यवस्था हुई।

इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ही या एक जैसे कार्य के लिए स्थी और पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन या पारिथमिक के मुगलान की व्यवस्था है। इससे नौकरियों में या तत्सब्द भाष्मलों में औरतों के खिलाफ लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर अकुण लगा है। यह अकुण वहाँ जागू नहीं होगा जहाँ स्त्रियों की नियुक्ति किसी चालू कानून के द्वारा या इसी कानून के अन्तर्गत नियिद्ध या प्रतिवधित है। स्त्रियों को रोजगार देने के अवसरों में यृदि के लिए राज्यों द्वारा सत्ताहकार समितियों के गठन वी व्यवस्था वी गई है।

भारत में मजदूरी के नियमन और निर्धारण की प्रमुख वैधानिक व्यवस्थाएँ जिनका हम विस्तार से विवेचन करेंगे, ये हैं—

- (क) न्यूनम मजदूरी अधिनियम, सन् 1948 (विभिन्न सशोधनों सहित)
- (ख) अधिकारण के अन्तर्गत मजदूरी नियमन
- (ग) वेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन
- (घ) मजदूरी मुगलान अधिनियम, सन् 1936 (सशोधनों सहित)
- (ड) अन्य व्यवस्थाएँ यथा—(i) अमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मजदूरी बोड़, (ii) पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान पारिथमिक आदि।

### **(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सन् 1948 (Minimum Wages Act, 1948)**

#### **इधनियम का उद्गम (Evolution)**

हमारे देश में एक शाताब्दी से कार्य की दशाओं तथा कार्य के घटो पर सरकार का नियन्त्रण रहा है, लेकिन मजदूरी के नियमन का प्रयास देश की आजादी दे पश्चात ही किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम संगठन (I L O) की न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कन्वन्यान, सन् 1928 को हमारे देश में लागू करने के लिए द्याही रोयल कॉमिटी (Royal Committee on Labour) ने वहाँ नियन्तम मजदूरी तथा असंगठित श्रमिकों वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए मधीनरी नियुक्त करने की सिफारिश दी थी। सन् 1944 में रेग-कमिटी (Regulation Committee or Labour Investigation Committee) की नियुक्ति भी जिसने 35 उद्योगों के बारे में अपनी रिपोर्ट देता थी। इस समिति ने भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की

व्यवस्था हेतु मिशनिंग की। धन व्यवस्था समिति (Labour Standing Committee) ने वर्द्धकों ने इन विषय पर विचार-विवरण तथा 1946 में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विन पेज लिया गया तोकिं विचार न्यूनतमी परिवर्तनों ने इसमें देरी समय गई और अब ने नार्वे, 1948 के पहले अधिविषय पान लिया गया। 6 अक्टूबर, 1948 को न्यूनतम वेतन विवेदक, नए रूप में, बाद ब्रिटिशवासन द्वारा विवेदक मविधान नियमिती परिवर्तन के नमूने प्रस्तुत हुआ।

विन के विवेदक की आवश्यकता पर प्रकाश उत्तरे हुए बाह्यजी ने कहा—

विन विचारने में मजदूर आमे को मण्डित करने की दृष्टि नहीं है, अपनी शिकायतें दूर नहीं कर मरने, नियोजकों में अपनी मांगें नहीं मनवा नहीं उनके लिए नियोजकों में विधेयन की बड़ी आवश्यकता है। यह विचारन उन उद्दोगों के लिए इनका बाबतीय नहीं है जहाँ मजदूर अधिक सम्भाले नियोजित हैं और जहाँ मजदूर आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा नगठित बनाने की मुख्यता या मुख्यार्थ है, विचारन जिन उन मजदूरों के लिए जो आनीए क्षेत्रों में विवरे पड़े हैं जहाँ मजदूर कार्यकर्ताओं पहुँचने व मण्डित करने में जटिलाई का अनुभव परने हैं तथा विनके लिए ये बोर्ड बालादिक कार्य नहीं कर पाते। इन नव का यह अविभाव वरिल्याम है कि उद्दोगों की बड़ी सह्या में, विनेप्रकर उनके जो आनीए क्षेत्रों प्रदद्या छोड़ नगरों में व्यापित हैं मजदूर काम में लगे अम के अनुभव मजदूरी नहीं जाते। ऐसे उद्दोगों जो हम लोकनाम में बमर-नोड (ब्लेट्ट) उद्दोग कहते हैं। बमर-नोड उद्दोगों में लगे मजदूरों की दृष्टि को मुश्खले के लिए कुछ करने हेतु यह विन व्यवस्था करता है। अनुमूलीकी जिसमें उद्दोगों के नाम उल्लिखित है, पूर्ण नहीं है। मैं कहूँगा कि उन नूची केवल उदाहरणात्मक है। प्रान्तीद चरकारे विनके उद्दोगों को अपने हाथों में लेता यथानुभव समझते हैं पनुष्ठी में सम्मिलित कर सकते हैं। एहसी अनुमूलीकी (नियोजनों) के लिए इन कानून के प्रावधानों के वार्यान्वयन के लिए दो वर्ष रख रहे हैं। दूसरी मूली के लिए (विनके खेतिहास मजदूरों का सम्बन्ध है) तीन बर्षों की प्रवधि रखी जा रही है। यह विनेवन बड़ा आवश्यक है इसे आनुनों की परिका में बहुत पहले सम्मिलित हो जाना चाहिए था।”

बहन का उत्तर देने हुए बाह्य ब्रिटिशवासन ने बताया कि “मैंनिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण के लिया औदोगिक विचार तथा उत्तापन में वृद्धि मन्दव नहीं।” उनके ही लक्ष्यों में “अनी तक हन कृपि के लेव में इन बात पर जोर देने रहे हैं कि विनार्द, उत्तम बोडि के झोजारों, खाद वी उपलब्धि, तथा बैह्नर बोजों की सुविधा हो, किन्तु अनी तक दिना इनकी ओर ध्यान दिए बाजनहारों को मित्री सभी सुविधाएँ उत्तापन वी वृद्धि में सहायक न होयी।” भूमि के दो ज्ञाट देखें। एक उन व्यक्ति जो खेत बाजन करता है तथा दूसरा उन व्यक्ति जो मजदूरी पर आदमी लगा कर खेतों बाजना है “उन खेत में, बाहु ब्रिटिशवासन के अनुसार, विनके कृफर स्वर्व बाजन चलता है। उन में उन एक मन अन्न उदाहरण पैदा होता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि (दूसरों ने बाजन

करा वर) हम साधारो मे कितनी बड़ी शक्ति उठा रहे हैं। यह इतनिए होना है कि खेतिहर मजदूरो वो मजदूरी बहुत बड़ा है। वे खेत मे उत्पादन मे किसी प्रभाव वो बोई खिलचस्पी नहीं लेते, उन्हे उससे कोई मनवाव नहीं। खेत म चाहे भवित अब हो गयवा गृहा पड़े। वह जानता है कि उसी दिन भर वे कठिन परियम के लिए डेढ़ सेरे गयवा दो मेर से भविक घनाज नहीं मिनना है। हन मे लगो ये हुई जमीन से अधिक वह जमीन उत्पादन देती है, त्रिक्षमे हन पराव चला हो। अब मजदूर वो हन यो धौसा वर चलाने मे वही मजदूरी मितनी है कितना जमीन वो उसरे द्वारा सरोचने मे तो यह क्यों अधिक शक्ति सगा वर हन जोने? वह तब अधिक थम क्यों करे? जगजीवनराम बाबू की हृषि मे यह गिर आनिभारी या क्योंकि उन्हे विश्वास या कि उसरे बन जाने पर देश गन्ते के मामले मे निर्भर हो जाएगा।"

श्री जगजीवनराम जो न्यूनतम वेतन गिल प्रस्तुत कर, 'देश मे सामाजिक आनित' के पहले प्रयास मे गृष्टा बनने पर, श्री राम ने बधाई दी। बिल पर बोनते हुए, उन्होंन यहा, "मुझे कुन मिलार इनना ही पहना है कि यह बिल इनना आनिभारी है कि उसरे लिए जिमी भी सखार थो, विशेषकर हमारी गरकार वो अभिमान हो गता है।"

### कानून की सृष्टि और उमका लागू होना

6 फरवरी, 1948 को (विधायिक) सविधान निर्माणी परियद ने दिन भर वी बहस मे उपरान्न बिल वो स्वीकार किश। 15 मार्च, 1948 को वह कानून बना। कृषि धोन मे उसका कार्यान्वयन तीन बप्तो बाद अर्धात् मार्च, 1951 म होना था।

अबष्टि बृद्धि सम्बन्धी प्रयम सशोधन—विधायिका सविधान निर्माणी परियद भ, 6 फरवरी, 1948 को सुने गए भाषणो मे थम आन्दोनन मे नई भावनाएँ जीवी थी। खेतिहर मजदूरो के बीच जाफर उन्ह समठित वरने के लिए अनेक अधिक नेना प्रेरित हुए थे। उन्हें विश्वास था कि दिसम्पर, 1951 तह न्यूनतम वेतन कानून, हृषि धोन मे, अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होने लगेगा। वे एक-एक दिन गिन रहे थे। प्रतीक्षा का रामय पूरा हो भी न पाग या कि समझे समझ 24 मार्च, 1951 को भारत सरकार यो धोर से एक सशोधन प्रस्तुत हुआ। उस पर वहस हुई। वह स्वीकार हुआ। न्यूनतम वेतन कानून के क्रियान्वयन की अनिम तियि तीन बर्प धोर बढ़ गई। इस प्ररार खेतिहर मजदूरो मे किए गए प्रयासो को भी धक्का लगा। वे भी तीन बर्प पीछे पहुँच गए। अब वह 31 दिसम्पर, 1954 हुई। सरकार वा पथ प्रस्तुत वरते हुए बाबू जगजीवनराम ने कहा था कि "हमारे देश मे लगभग चार बरोड लोग खेतिहर मजदूरी का काम करते हैं और उनकी मजदूरी का नियोरण एक भीपल बाध्य है। हम उनकी दशापो जी जीव वरा रहे हैं। 800 यामो ने वी गई जीव के परिणाम हमारे पास हैं। उनकी हम गणना करा रहे हैं। अधिकान्तर प्रादेशिक सरकारो ने बुध धोर समय मौगा है। इसलिए इस सशोधन के द्वारा क्रियान्वयन की अवधि तीन बर्प धोर बढ़ाई जा रही है।" समझ मे सशोधन पर बहस

हुई। राष्ट्रीय मजदूर कौशेम की आवाज तत्कारखाने में यूनी वी आवाज की तरह उठी तथा दिली हो गई।

**अबधि-पृष्ठि सम्बन्धी दूसरा सशोधन—न्यूनतम वेतन कानून की बढ़ाई गई**  
 अबधि पूरी भी न हो पाई थी कि तत्कालीन श्रम मन्त्री श्री वी वी दिरी ने उक्त प्रधिकों की और अधिक बढ़ाने की मांग करते हुए लोकसभा के सम्मुख 15 दिसम्बर, 1954 को एक दूसरा सशोधन रख दिया। उस सशोधन वी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए श्री दिरी ने कहा था कि “हमि मे न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारित करने पे घनधोर कठिनाइयाँ हैं, तथा उनका अनुभव प्राप्त सभी प्रदेशों को हुआ है। इनलिए सम्भवत कृपि क्षेत्र मे न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण को कमिक होना पड़ेगा। कार्यान्वयन के प्रथम चरण मे वह आवश्यक है कि क्षेत्रिहर मजदूरी वा निर्धारण कृपि मे केवल नियोजन के निविष्ट वर्गों अवश्य क्षेत्रों तक सीमित रहे।” दिरी साहब के इस हास्तिकोण से, राष्ट्रीय मजदूर कौशेम के नेता श्री वामाश्वा प्रसाद निषाठी ने अपनी असहमति व्यक्त थी थी।

यह दूसरा सशोधन राष्ट्र के 1954 वर्ष का एक कानून बन गया।

**तीसरा सशोधन—प्राविद अली जी ने लोकसभा के सम्पूर्ण कानून के कार्यान्वयन वी अबधि मे यूद्धि करने वाले तीसरे सशोधन को 7 तिसम्बर, 1957 को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। आविद भाई ने तीन तक उपस्थित हिए थे। प्रथम यह कि रजवाडों के राज्य के भारत मे विलीनीकरण से नए प्रदेशों का जन्म नुस्खा। वे भारतीय गणतन्त्र मे सम्मिलित हुए। जो विलम्ब से जन्मे वे यदि नामुनों द्वा विलम्ब से कार्यान्वयन नहीं तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सशोधन कर उन्हें समय देना आवश्यक है। दूसरे यह कि प्रथम पचवर्षीय योजना, बम्बई मे जन् 1954 मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा स्वीकार किए गए तदर्य एक सकल्प तथा भारतीय श्रम सम्मेलन का मत है कि कृपि मे न्यूनतम मजदूरी वे निर्धारण का काये जाने जाने हा। ऐसा करने के लिए कार्यान्वयन वी अबधि बढ़ानी होगी। तीसरे यह कि भारतीय सरकार के अन विभाग द्वारा होने वाली जांच देश के 3600 ग्रामों मे आवश्यक वस्तुओं के फुटकर मूल्यों की जांच कर चुकी थी। उसके आधार पर क्षेत्रिहर मजदूरी के व्यव सूचकांकों की गणना हो रही थी। सशोधन स्वीकार हुआ। देश के साडे तीन करोड़ मजदूर देखते रहे। इस प्रकार न्यूनतम वेतन कानून के कार्यान्वयन वी अन्तिम प्रधिक 31 दिसम्बर, 1959 निर्धारित हुई।**

न्यूनतम वेतन कानून के क्रियान्वयन मे देश व प्रदेशों की सरकारों को मार्ग मे आने वाली वाधाओं को हटाने मे ही 13 वर्ष लग गए।

**न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरियों वा निर्धारण**

ऊपर वी वहानी न्यूनतम वेतन अधिनियम के लायू होने की है। अब हमें उसके अन्तर्गत निर्धारित होने वाली मजदूरी की दरों आदि की जानकारी अपेक्षित है।

भारत मे मालिक कमचारियों को दुख ऐसी शर्तों पर, जो कि कमचारियों को मन्त्री हो, रख सकते हैं, इन्हु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जरूरत से ज्यादा काम लेने और थमिक का शोषण करने की मानाही है। इसके लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार ही अनुसूचित रोजगारों मे कमचारिया की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने अपने-अपने धोरों म मजदूरी की दरों निश्चित और अधिसूचित की हैं। जैसा कि आर सी सक्सेना ने लिखा है कि 'इस अधिनियम का उद्देश्य अत्यन्त कठोर थम कराने वाले उद्योगों अथवा जहाँ थमिकों का अधिक शोषण होता है, उस शोषण को दूर करना है। अधिनियम की मुख्य बाँहें इस प्रकार हैं—

अनुसूची मे रोजगार को जोड़ना—इस अधिनियम की घारा 27 'सगत सरकार' को अनुसूची म और अधिक रोजगार जोड़ने का अधिकार देती है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची मे अब तक निम्नलिखित रोजगार जोडे गए हैं—

- 1 भवनों की देखभाल और हवाई प्रडॉर्स का निर्माण तथा उनकी देखभाल,
- 2 जिप्सम खानें,
- 3 बराइटीज खानें,
- 4 बॉर्साइट खानें,
- 5 मैगनीज खानें,
6. चीनी मिट्टी की खानें,
- 7 क्यानाइट खानें,
- 8 ताम्र खानें,
- 9 चिकनी मिट्टी की खानें,
- 10 मैग्नेसाइट खानें,
- 11 पत्थर खानें,
- 12 गेहूं की खानें,
- 13 स्टीटाइट सेलजडी और टैल्क सहित खानें,
- 14 एस्वेस्टोस खानें,
- 15 अग्नि मिट्टी की खानें,
- 16 सफेद मिट्टी की खानें,
- 17 बढाट्टाइट बवार्ट्ज और सिलिका की खानें।

इसी प्रकार राज्य सरकारों ने भी अनुसूची मे ऐसे कई और रोजगार जोडे हैं।

मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण—अधिनियम के अन्तर्गत 'सगत सरकार' ( राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार ) निम्न मजदूरी दरों निर्धारित कर सकती है—

1 समयनुसार मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की जा सकती है जिसे 'न्यूनतम समय दर' (Minimum Time Rate) कहते हैं।

2 कार्यनुसार मजदूरी की न्यूनतम दर उन थमिको के लिए निश्चित की जाएगी जो कि कार्य के आधार पर मजदूरी प्राप्त करते हैं। यह दर 'न्यूनतम कार्य दर' (Minimum Piece Rate) कहलाती है।

3 वह मजदूरी दर जो कि समय के आधार पर कार्य करने वाले थमिको के लिए एक गारन्टीड समयानुसार मजदूरी निश्चित करती है, इसे गारन्टीड समयानुसार दर (Guaranteed Time Rate) कहते हैं।

4 विभिन्न व्यवसायों, थमिको आदि को अतिरिक्त कार्य करने हेतु 'अनिरिक्त समय दर' (Over-time Rate) दी जाएगी। यह वह समयानुसार कार्य करने वाले आवदा कार्यानुसार कार्य करने वाले थमिक हो, पर लागू होगी।

मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित अथवा सजोधित करते समय विभिन्न अनुसूचित रोजगारों, एक ही अनुसूचित रोजगार की विभिन्न किसायों, प्रौढ़, मुबा, बाल और काम सीखने वाले तथा विभिन्न स्थानों हेतु भिन्न-भिन्न न्यूनतम मजदूरी दरें होंगी।

न्यूनतम मजदूरी दरें घटे के आधार पर, प्रतिदिन के आधार पर, यहाँने के आधार पर, किसी अन्य वडी अवधि के आधार पर निश्चित की जा सकती है।

एक न्यूनतम मजदूरी दर में इन बातों का समावेश किया जा सकता है—

1 मजदूरी की एक आधार दर (A basic rate of wages) और निर्वाह लागत भत्ता ( $\Delta$  cost of living allowance)। निर्वाह लागत भत्ते में जीवन निर्वाह लागत सूचकांकों के आधार पर परिवर्तन होते रहे तथा यह सम्बन्धित थमिको पर ही लागू होगा।

2 दिना निर्वाह लागत भत्ते अथवा निर्वाह लागत भत्ते सहित एक आधार दर (A basic rate with or without the cost of living allowance) और अनिवार्य बस्तुओं वी पूर्ति से प्राप्त छूट का मूल्य नकदी के रूप में।

3 सभी को समिलित करके दी जाने वाली दर (An all-inclusive rate) इस अधिनियम के अनुसार सभी मजदूरी नकदी में ही जाएगी। फिर यदि सरकार उचित समझनी है तो कुछ भाग वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है।

4 समितियों के परामर्श व सम्बन्धित व्यक्तियों के विचारों पर सोच-विचार करते के पश्चात् उपर्युक्त सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) सरकारी एजेंट में सूचना निकाल वर प्रत्येक अनुसूचित रोजगार के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर सकती है।

5 सलाहकार समितियाँ (Advisory Committees) दरों का संशोधन करने हेतु नियुक्त की जा सकती हैं और एक सलाहकार मण्डल (Advisory Board) की स्थापना करते का भी अधिनियम में प्रवेषण है। यह मण्डल विभिन्न समितियों के कायों का समन्वय करता है तथा न्यूनतम मजदूरी दरों के नियोरण तथा संशोधन के विषय में सरकार को सलाह भी देता है।

6 जैसा कि वहा जा चुका है एक केन्द्रीय सलाहकार मण्डल (Central Advisory Board) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रावधान है जो कि राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकारों को सलाह देने तथा विभिन्न राज्यों की समितियों व मण्डलों के बायों के समन्वय का कार्य भी करता है। इन सभी समितियों और मण्डलों में श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्वतन्त्र व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

**न्यूनतम मजदूरी का भुगतान**—इस अधिनियम में मजदूरी भुगतान के निम्न प्रावधान है—

1 न्यूनतम मजदूरी नवदी में दी जाएगी। यदि परिस्थितियों की देखभाल कर सरकार मजदूरी वस्तु में दिलाती है तो यह सम्भव हो सकेगा।

2 जिन उद्योगों पर यह अधिनियम लागू होगा वहाँ न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

3 यदि श्रमिक निचिन समय से अधिक कार्य करता है तो उसे औसत मजदूरी की दुगुनी दर के बराबर अतिरिक्त समय का भुगतान (ओवरटाइम) दिया जाएगा।

### अधिनियम के दोष

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिकों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा प्रति इसके कुछ निम्नलिखित दोष विचारणीय हैं—

1 अधिनियम वे अन्तर्गत समय-समय पर यथापि अनेक रोजगार सम्मिलित किए गए हैं तथापि इसका श्रीबोगिन क्षेत्र अभी बहुत सकुचित है। अनेक महत्वपूर्ण और असमिति उद्योगों का समावेश होना आवश्यक है।

2. अधिनियम वे प्रयोग में शिविलता है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम का प्रयोग जिस ढंग से हुआ है यदि एक राज्य में विसी उद्योग को इस अधिनियम वे अन्तर्गत लिया जाता है तो दूसरे राज्य में उसे छोड़ दिया जाता है। यह स्थिति श्रमिकों से असन्तोष का एक कारण बनती है।

3 अधिनियम में कुछ असगत छूटें दी गई हैं। उदाहरणार्थ ऐसी छूट दी जाना उचित प्रतीत नहीं होता कि उस उद्योग में न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें सम्मूर्ण राज्य में 1000 से अधिक श्रमिक बाम कर रहे हो।

4 परामर्शदानी समिति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। समितियों के कार्यों से अभी तक ऐसा प्रतीत हुआ है कि दरों के निर्धारण में मानो उनका कोई विशेष हाय न रहा हो।

5 अधिनियम के भूमार 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' के निर्धारण की व्यवस्था नहीं है।

6. ऐसे प्रमुख व्यवसायों पर अधिनियम लागू नहीं होना जिनके श्रमिकों की दशा बहुत खराब है।

7 एक ही राज्य के विभिन्न भागों और विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरों में नमानता नहीं है, एकीकरण का अभाव है।

### केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम का कार्यान्वयन

**मजदूरी नियरिटी—** श्रम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1976-77 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित अधियोगों को लानों ने राजनार के बारे में अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी के आरम्भिक नियांरण सम्बन्धी प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं—

(i) बीनी मिट्टी, (ii) विकासी मिट्टी, (iii) सरेंड मिट्टी, (iv) ताम्बा, (v) जोमाइट, (vi) पत्थर, (vii) कारनाइट, (viii) हिट्ट डाइट (जोस्टोन और सेन्ह सहित) (ix) मेह, (x) एस्ट्रोन (xi) प्रांग मिट्टी और (xii) प्रथम (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गान्धीनगर दो घोड़कर) मन्त्र राज्यों में नियरिट मजदूरी दरों दिसमें सब कुछ शामिल हैं और जो सभी रोजपाठों के लिए सामान हैं, इस प्रकार हैं—

अकृशत श्रमिक	5 80 रुपये प्रतिदिन
मर्द तुराल धमिक	7 25 रुपये प्रतिदिन
कुराल श्रमिक	8 70 रुपये प्रतिदिन
तिणिक धमिक	8 70 रुपये प्रतिदिन

**केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन मजदूरी दर में संशोधन—** अधिनियम समन सरकार दे अपेक्षा करता है कि वह पाच वर्षों से अनाधिक अन्तरालों पर नियरिट ही गई मजदूरी को न्यूनतम दरों की पुनरीक्षा करे और यदि आवश्यक हो तो इनमें संशोधन करे। जट्टी तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, निम्नलिखित रोजगारों के सम्बन्ध में मध्योधित न्यूनतम मजदूरी दरों अधिसूचित (दर्जाएँ गई तारीखों को) की गई है—

(i) वेराइटिम साने	(21 मई, 1976)
(ii) जिप्सम साने	(21 मई, 1976)
(iii) मैनोनीज साने	(25 मई, 1976)
(iv) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गान्धीनगर के राज्यों में मध्यक साने	(28 मई, 1976)
(v) बीजनाइट साने	(29 मई, 1976)
(vi) कृषि	(8 तितम्बर, 1976)

केन्द्रीय सरकार ने मध्योधित रोजगारों पर्यावर (i) सड़ों का नियांरा और मनुवरझण कार्य पा भवन-निर्माण कार्य, (ii) पत्थर तोड़ने-पत्थर पीसने और (iii) भानों का अनुरक्षण तथा रनवे वा नियांर व मनुरक्षण के सम्बन्ध में मजदूरी में संशोधन के प्रस्तावों की मार्च 1976 में अधिसूचित किया।

(i) मैसर्स बनं स्टैनडर्ड कम्पनी लिमिटेड, (ii) मैसर्स सेलम मेनेसाइट (प्राइवेट) लिमिटेड और (iii) मैसर्स डालमिया मेनेसाइट कारपोरेशन लिमिटेड की तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित मैनेसाइट माइन्स और केलसिनेशन तथा रिफेक्टरी भेविंग प्लाण्ट्स के रोजगार को अधिसूचना सह्या सा० का० 775 (ई०) तारीख 4 दिसम्बर, 1976 द्वारा भारत के रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन लाया गया और इसके साथ-साथ उक्त नियमों के अधीन ऐसे रोजगार के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ता अधिसूचना सह्या 776 (ई०), तारीख 4 दिसम्बर, 1976 द्वारा निर्धारित किया गया। तथापि चूंकि उपर्युक्त तीन कम्पनियों को मेनेसाइट खानों में प्रबलित मजदूरी वहुत कम है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन सम्पूर्ण रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरे निर्धारित करने हेतु कार्यवाही आरम्भ वी गई है।

1976 में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण सशोधन की उल्लेखनीय विशेषता मैनीज और अभ्रक खानों में नियोजित सभी वर्गों के भूमिगत श्रमिकों के लिए 20 प्रतिशत अधिक मजदूरी का निर्धारण है। सभी रोजगारों में किशोर श्रमिकों, अर्धात् 18 वर्ष से बम आयु वाले श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को सभी वर्गों ने वयस्क श्रमिकों की मजदूरी दरों के 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि विकलांगों को 70 प्रतिशत के स्थान पर अधिसूचित मजदूरी का 100 प्रतिशत दिया जाएगा।

### कृषि उद्योग में न्यूनतम मजदूरी

आपात् स्थिति की घोषणा और 20 सूची आविक कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के बाद तथा श्रम मध्यी सम्मेलन (झुताई, 1975) के 26वें अधिवेशन में लिए गए निर्णय के प्रनुपरण में, लगभग सभी राज्यों ने 1976 के दौरान या उसके बाद कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों में सशोधन किया। असम और महाराष्ट्र न सशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया है। पश्चिम बंगाल और पश्चिम में न्यूनतम मजदूरी दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ तिक करने की पढ़ति है और विहार ने खाद्यान्न की मात्रा के प्रनुसार मजदूरी दरे अधिसूचित की हैं, जिससे कीमतों में बुद्धि के कारण मजदूरी दरों का अपक्षरण नहीं होता। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कृषि उद्योग के रोजगार के सम्बन्ध में भी सितम्बर, 1976 में न्यूनतम मजदूरी दरें अधिसूचित की। सशोधित मजदूरी दरें जो क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं, नीचे दी गई हैं<sup>1</sup>—

अवृश्चल श्रमिक	4 45 रुपये से 6 5 रुपये प्रतिदिन
अद्वकुशल श्रमिक	5 56 रुपये से 8 12 रुपये प्रतिदिन
कुशल लिपिक श्रमिक	7 12 रुपये से 10 40 रुपये प्रतिदिन
उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिक	8 90 रुपये से 13 00 रुपये प्रतिदिन

उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को दूसरी प्रानुसूची से ही कृपि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सम्मिलित है। कृपि मे न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण अधिकारात् राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की किकायते की जाती रही है कि कुछ मामलों मे मजदूरी की दरे काफी कम हैं। अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के लागू न किए जाने के बारे मे भी शिकायते हुई हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि ये पुनरीथाशा का काम करे ताकि मजदूरी की उचित दरे सुनिश्चित हों और साथ ही उनको कारबग छव से लागू करने के लिए कार्यवाही भी की जाए। केन्द्रीय सरकार ने फार्मों, सैनिक फार्मों तथा बहुता सी अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित फार्मों मे न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है।

वस्तुत औद्योगिक श्रमिकों की तुलना मे कृपि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना बड़ा कठिन है, वयोंकि—

1. कृपि श्रमिकों के मजदूरी रामबन्धी आँखें रासलता से उपलब्ध नहीं हो पाते,

2. कृपि श्रमिकों के मजदूरी के कार्य के घण्टे निश्चित करने कठिन है वयोंकि अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग समय लग जाता है,

3. मजदूरी का भुगतान आमीण क्षेत्रों मे नकदी के साथ-साथ वस्तु मे भी किया जाता है,

4. भारतीय किसान अधिकारित है अब मजदूरी, उत्पादन, कार्य के घण्टे प्रादि के सम्बन्ध मे रिकार्ड नहीं रख सकते, एव

5. इस सम्बन्ध मे ऐसे संस्थानों की भी वगी हैं जो कृपि श्रमिकों की मजदूरी सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र करने का अभियान चलाएँ।

देश मे कृपि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने मे एक बड़ी बाधा दरालिए आती है कि अधिकांश जोते छोटी हैं जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना अवांछनीय है। दूसरी और बड़ी जोतों पर इसे लागू करने से जोतों के अपश्वासन का भय रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कृपि क्षेत्र मे व्यावहारिक बनाने के लिए आधिक जोतों के निर्माण और कृपि श्रमिकों के संगठन होने की योजना पर तेजी से अग्रसर करना होगा।

(ख) अधिकरण के प्रन्तर्गत मजदूरी नियमन

(Wage Regulation Under Adjudication)

हमारे देश मे औद्योगिक किषानों को निपटाने हेतु अधिकरण मशीनी (Adjudication Machinery) काम मे लाई जानी है। जब मजदूरी के सम्बन्ध मे श्रमिकों व मालिकों के बीच भगड़ा होता है तब भी इसके द्वारा विवाद निवादाया जाता है। यह मशीनी असमिति और कम सक्षमा मे काम करने वाले उद्योगों के श्रमिकों की मजदूरी का विवाद नहीं निवादाती है। जब भी विवादों को निवादाने के लिए अधिकरणकर्ता (Adjudicator) की नियुक्ति की जाती है तब उसे राज्य

सरकार सिद्धान्त प्रस्तुत करती है जिनके आधार पर वह विवाद को निपटाता है। जो भी कंसले (Awards) दिए जाते हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार भी है तथा इस प्रकार के फैपने समय-समय पर दिए गए हैं जिनम् एकत्रिता (Uniformity) नहीं पाई जाती है। जिनके भी प्रार्डिंग (Awards) दिए जाने हैं वे उचित मजदूरी समिति (Committee on Fair Wages) की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं। अधिकृत निर्णयों में उद्योग की देय-क्षमता (Capacity to pay of an Industry) का ध्यान रखा गया है। थम सहायता (Labour Bureau) के अनुसार “मब यह सभी सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम सीमा निर्धारित करते समय उद्योग की देय-क्षमता को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।”<sup>1</sup> विभिन्न ट्रिन्यूनल्स द्वारा न्यूनतम मजदूरी आदि के निर्धारण में अभिक्षो भी दखता, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं उसके विवरण आदि पर बोई ध्यान नहीं दिया गया है। वई विवादों में अकुशल (Unskilled) अभिक्षो की मजदूरी का निर्धारण कर दिया है तथा कुशल (Skilled) और अर्द्ध कुशल (Sem-skilled) अभिक्षो की मजदूरी को निर्धारण करने का बायं प्रबन्धकों व अभिक्षो पर छोड़ दिया गया है।

#### (ग) वेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन

#### (Wege Regulation Under Wage Boards)

प्रथम पचवर्षीय योजना में यह विचार किया गया कि उचित मजदूरी के निर्धारण हेतु स्थाई एवं निष्ठा वेतन मण्डलों वी स्थापना की जानी चाहिए जो कि समय-समय पर मजदूरी से सम्बन्धित अधिकारों, जैव आदि का कायं करके मजदूरी-निर्धारण का कायं करते रहेंगे। लेकिन इसके बारे में बोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वैसे हमारे देश में स्वतन्त्रता से पूर्व भी बम्बई योगांगु सम्बन्ध अधिनियम, 1946 (Bombay Industrial Relations Act of 1946) के तहत मजदूरी-निर्धारण हेतु ऐसे वेतन मण्डल विद्यमान थे। दूसरी पचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार की मनीनरी को मजदूरी निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया। “तीसरी पचवर्षीय योजना में भी यह बताया गया कि प्रबन्धकों व अभिक्षों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वेतन मण्डल वी बहुमन सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए।”<sup>2</sup>

विभिन्न उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करने वा सुझाव सबसे पहले बैन्द्रीय थम मन्त्री ने भारतीय थम सम्मेतन (Indian Labour Conference) में 1957 में दिया था। सन् 1958 की अनुज्ञायन सहिता (Code of Discipline, 1958) में इन प्रस्तावों वी सम्मिलित किया गया है। वेतन मण्डल एक कानूनी स्तर नहीं है। इसे जिस उद्योग के लिए नियुक्त किया जाता है उतने स्वतन्त्र रूप से मजदूरी निर्धारित की जाती है। “यद्यपि इन मण्डलों की नियुक्ति अभिक्षों व

1 Labour Bureau, Industrial Awards in India, 1951, p. 29

2 Third Five Year Plan, p. 256

प्रबन्धकों के पारस्परिक समझौते के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में इनकी नियुक्ति की माँग थम सथो द्वारा की जाती है। सामान्यतया एक बेतन मण्डल में थमिकों व मालिकों के दो-दो प्रतिनिधि, दो स्वतन्त्र व्यक्ति (एक सप्ताह सदस्य तथा दूसरा अर्थशास्त्री) किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति की अध्यक्षता में नियुक्त किया जाता है।<sup>1</sup> यह एक रिपब्लिक संस्था (Tripartite Body) है। कुल व्यक्तियों की संख्या 7 से 9 तक होती है। बेतन मण्डल का अध्यक्ष साधारणतया कोई जन होता है।

एक बेतन मण्डल का कार्य जिस उद्योग हेतु नियुक्त किया गया है, उसमें मजदूरी-निर्धारण का कार्य करना है। उचित मजदूरी समिति की सिफारिशों को महेनजर रखते हुए उद्योग में मजदूरी निर्धारित की जाती है। अन्य बातें जो बेतन मण्डल प्यान में रखता है वे हैं—

- 1 एक निकासशील देने में उद्योग की आवश्यकताएँ।
- 2 कार्यनुसार मजदूरी देने की पद्धति।
- 3 विभिन्न प्रदेशों तथा क्षेत्रों में उच्चोग वीं विशेष प्रिवेपताएँ।
- 4 मण्डल के ग्रन्तीर्गत आने वाले थमिकों की श्रेणियाँ।
5. उद्योग में कार्य के घट्टे।

कुछ बेतन मण्डलों को मजदूरी-निर्धारण के अतिरिक्त बोनस ग्रथवा ग्रेच्युटी के गुणतान के बारे में सिकारिते करने को कहा गया था।

हन् 1957 से ही भारत सरकार ने केन्द्रीय बेतन मण्डलों की नियुक्तियाँ दी। सप्तसे पहले सूनी वस्त्र उद्योग हेतु बेतन मण्डल नियुक्त किया गया। इसके बाद चीनी, सीमेन्ट, जूट, लौह एवं इस्पात, काँपी, चाप, रबड़, कोपले की सानों, पत्तकारों, भारी रसायन एवं उर्वरक, इजीनियरिंग, बन्दरगाहों, चमड़ा, विशुत और सहक गातायात आदि उद्योगों में बेतन मण्डल स्थापित कर दिए गए। ये सभी बेतन मण्डल अब वार्षशील नहीं हैं बरौकि इन्होंने अपनी ग्रन्तिम रिपोर्ट दे दी है। इन सभी बेतन मण्डलों को विभिन्न थमिकों की श्रेणियों का निर्धारण, उचित मजदूरी समिति की सिफारिशों पर आधार पर मजदूरी-निर्धारण, कार्यनुसार मजदूरी की उचितता आदि के बारे में सिफारिशें करने को कहा गया था।

बेतन मण्डलों की नियुक्तियाँ ऐच्छिक कैसले को प्रोत्तमाहन देने के लिए दी गई थीं। यह प्राणा वीर्ग थी कि इनकी सिफारिशों दो वट्टमन से थमिक तथा नियोन्ता स्वीकार करें। ऐच्छिक पच-कैसले के मिद्दान्त दो सकलता नहीं मिले बरौकि मालिकों न बेतन मण्डल की सिफारिशों को साझा करने में वाधा ढाली। इस स्थिति को प्यान में रखते हुए सरकार ने बेतन मण्डलों की सिफारिशों दो कानूनन रूप से लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया।

बेतन मण्डलों द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार जांचती है और फिर

1. *Vad K.N. State and Labour in India*, p. 101.

उनका प्रकाशन करती है। सामान्यतया यहमत से दो गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है। कुछ मामलों में इनका सशोधन बरवे लागू कर देने का आम्यास रहा है। इसकी आलोचना वी गई है कि यह प्रक्रिया अभिको वे पक्ष में गई है। समय समय पर इन सिफारिशों वे लागू करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से रिपोर्ट माँगी जाती है। इन सिफारिशों वो लागू करने का शायद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों वी ओद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी (Industrial Relations Machinery) द्वारा किया जाता है।

**बेतन मण्डलों की सीमाएँ**

### (Limitations of Wage Boards)

बेतन मण्डल ऐच्छिक पच-निर्णय के सिद्धान्त वो प्रोत्साहन देने हेतु एक तरीका काम में लाया गया है। बेतन मण्डलों वी सिफारिशों तथा उनके क्रियान्वयन की निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1 अम सब बेतन मण्डलों का अनिवार्य अधिकरण तथा सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया के विस्तार वा एक प्रतिस्थापन माना जाता है। नियोक्ता भी इनकी सिफारिशों को लागू करने में उत्साह नहीं रखते हैं।

2 बेतन मण्डलों का कार्य उचित मजदूरी की गणना व निर्धारण करना है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि इन्होने उचित मजदूरी जिसका सम्बन्ध उद्योग की देय-असमता से है, की अपेक्षा वी है।

3 बेतन मण्डलों ने मजदूरी-निर्धारण में अभिको और मालिको के साथ समझौता मशीनरी के रूप में शायद विमा है न कि एक मजदूरी निर्धारण मशीनरी के रूप में।

4 महेंगाई भत्तो वो मूल मजदूरी में मिलाने वे रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सूती वस्त्र उद्योग में महेंगाई भत्तो का 75% मूल मजदूरी में मिला दिया गया है।

5 बेतन मण्डल उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर मजदूरी निर्धारित करते हैं और बाद में भारतीय अम समेलन भी 15वी बैठक में किए गए प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इन दोनों में ही स्पष्टता देखने को नहीं मिलती। सूती वस्त्र उद्योग में मजदूरी में अन्तर (Wage Differentials) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

6 विभिन्न बेतन मण्डलों ने जो बेतन-डॉचे दिए है उनम सम्बन्ध का अभाव है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग मजदूरी दरें हैं। इन बेतन मण्डलों ने न तो आवश्यकता पर आधारित मजदूरी (Need-based Wage) का ही निर्धारण दिया है और न मजदूरी में पाए जाने वाले अन्तरों (Wage Differentials) वो ही दूर किया गया है। इसके कारण अभिको में आपसी ईर्पां की भावना को जन्म दिया गया है।

राष्ट्रीय थम आयोग के सम्मुख वेतन मण्डलों द्वारा निर्धारित मजदूरी के सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों ने निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं—

1. नियोक्ताओं के सगठन ने यह बताया है कि पिभिन्न प्रकार के उद्योगों में मजदूरी-निर्धारण एवं ही मशीनरी द्वारा निर्धारित करना उचित नहीं है। उद्योग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारण का कार्य वेतन मण्डल, अधिकरण अथवा सामूहिक सौदाकारी द्वारा किया जा सकता है। यदि एक उद्योग समरूप (Homogeneous) नहीं है तो उसमें वेतन मण्डल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य सगठन ने बताया कि वेतन मण्डल की सिफारिशों में एकमत होने पर ही उनको क्रियान्वित करना चाहिए।

2. थम सगठनों ने राष्ट्रीय थम आयोग को वेतन मण्डल के क्रियान्वयन के विषय में यथाना असतोष बताया है। उनका कहना है कि जिन उद्योगों में सगठित श्रमिक है, सघ को मान्यता है तो वहाँ वेतन मण्डल द्वारा मजदूरी-निर्धारण न करके सामूहिक सौदाकारी द्वारा होना चाहिए। कुछ सगठनों ने यह भी बताया कि सिफारिशों को लागू करने में बाकी देरी लगती है और कुछ वृद्धि के रूप में उनको वेतन मिलने लगता है। थम सगठनों का कहना है कि वेतन मण्डल की सिफारिशें 6 महीने में प्राप्त हो जानी चाहिए और वेतन मण्डल का गठन कानून न होना चाहिए।

राष्ट्रीय थम आयोग 1969 (National Commission on Labour 1969) ने वेतन मण्डलों के बारे में निम्न सिफारिशों दी थी<sup>1</sup>—

1. वेतन मण्डल में स्वतन्त्र व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि जल्दी ही हो तो एक अर्थकास्थी को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2. वेतन मण्डल के अव्यक्त की नियुक्ति दोनों पक्षों—श्रमिक व प्रबन्धक की सहमति से होनी चाहिए। यदि राहमति नहीं हो तो पञ्च-निर्णय द्वारा नियुक्ति दी जाए। एक व्यक्ति को एक समय में दो से अधिक मण्डलों का अव्यक्त नियुक्त नहीं करना चाहिए।

3. वेतन मण्डल को अपनी सिफारिशों नियुक्ति से एक वर्ष की अवधि में देने को कहा जाना चाहिए। सिफारिशों को लागू करने की नियंत्रित भी मण्डल द्वारा दी जानी चाहिए।

4. एक वेतन मण्डल की सिफारिशों पांच वर्ष के लिए लागू रहनी चाहिए।

5. केन्द्रीय थम मन्त्रालय द्वारा एक केन्द्रीय वेतन मण्डल विभाग (Central Wage Board Division) द्वी प्याई हूप से स्थापना कारती चाहिए जो कि सभी वेतन मण्डलों का कार्य देखता रहेगा। इसका कार्य वेतन मण्डलों को आवश्यक कर्मचारी, और आवश्यक सूचनाओं की पूर्ति होगा।

6. वेतन मण्डलों के कार्य विधि हेतु एक मूलगत तैयार किया जाना चाहिए।

1. Report of the National Commission on Labour, 1969, See Chapter on Wages.\*

**(घ) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936  
(Payment of Wages Act, 1936)**

उद्योगों में काम करने वाले रिशेप दगों के व्यक्तियों का मजदूरी के मुगतान का नियमन करने हेतु एक अधिनियम बनाया गया जिसे मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 जाता है। थमिकों को मजदूरी समय पर नहीं देना तथा उसमें से कई कटौतियाँ आदि करना, इस अधिनियम के पूर्व प्रचलित था। इस अधिनियम द्वारा कोई भी नियोक्ता अपने थमिकों को निर्धारित अवधि में दिना अनिहित कटौतियों के मजदूरी का मुगतान करेगा। कई प्रकार की अनिहित कटौतियाँ, जैसे - अनुशासनात्मक कारणों में जुर्माना, नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु जुर्माना, कच्चा माल, औजार आदि हेतु कटौतियाँ, और अन्य गैर-कानूनी कटौतियाँ अनुचित थीं।

ग्राही थम आयोग (Royal Commission on Labour) की सिफारिशों के आधार पर मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 पास किया गया। यह अधिनियम मजदूरी का दो रूपों में नियमन करता है—(1) मजदूरी देने की तिथि और (2) मजदूरी में से होने वाली कटौतियाँ—यह अधिनियम प्रत्येक कारबाने तथा टेलवे के उन थमिकों पर साधु होता है जिनकी औसत मासिक मजदूरी 1000 रु. से ज्यादा है (नवम्बर 1975 के संशोधन से पूर्व यह सीमा 400 रु से ज्यादा थी)। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य मरमार किमी भी उद्योग अपदा सम्यान के थमिकों पर तीन महीने का नोटिस निकाल कर लागू कर सकती है। यह अधिनियम सन् 1948 में कोयले की खानों पर, सन् 1951 में समस्त खानों पर, सन् 1957 में निर्माणकारी उद्योगों पर, सन् 1962 में तेल क्षेत्रों पर तथा सन् 1964 में नागरिक वायु परिवहन सेवाओं, मोटर परिवहन सेवाओं तथा वे मस्थान जो बारतीना अधिनियम 1948 की धारा 85 के तहत आते हैं, पर लागू कर दिया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी मुगतान की अवधि एक माह रखी गई है। जिन सम्यानों तथा उद्योगों में 1000 से अधिक थमिक कार्य करते हैं वहाँ मजदूरी का मुगतान मुगतान-अवधि के 10 दिन में तथा 1000 से ज्यादा थमिक होने पर 7 दिन के अन्दर मुगतान करना अनिवार्य है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियों को ही अधिहत कटौतियाँ (Authorised Deductions) माना गया है तथा वास्तवी कटौतियों हेतु नियोक्ता पर न्यायालय में विवाद खलाया जा सकता है। अधिहत कटौतियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) जुर्मान की राशि, (2) काय पर अनुपस्थित रहने पर कटौती, (3) हानि अथवा दाति के कारण कटौती, (4) मालिक, सरकार अपदा आवास बोई प्रदत्त आवास सुविधाओं व सेवाओं हेतु कटौती, (5) अग्रिम दी गई राशि हेतु कटौती, (6) आय कर या प्रोविडेन्ट फण्ड हेतु कटौती, (7) कोयले की खानों में बद्दों व जूते हेतु कटौती, (8) राष्ट्रीय मुख्या कोय या सुरक्षा बचत कोय हेतु कटौती,

(9) साइकिल चारीदारों, भवन-निर्माण हेतु कृषण लेने तथा थम-बल्ट्याण निधि में से अटए लेने पर कठोरी करना।

जुर्माने की राशि 3 पैसे प्रति रुपया से अधिक नहीं होगी। जुर्माना रजिस्टर भी शालिक को रखना होगा।

अधिनियम के अन्तर्गत दावा बरने की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का कार्य थम विभाग के थम निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

### आलोचना

थम जांच समिति (Labour Investigation Committee) के अनुसार मजदूरी गुणवान अधिनियम, 1936 में कई दोष पाए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप अभिक वर्ग को पूरी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है तथा नियोक्ता भी इस अधिनियम के क्रियान्वयन में अनियमितताएं बरतते हैं। निम्नलिखित रूपों में आलोचना की जा सकती है—

1. बड़े-बड़े उद्योगों व संस्थानों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है लेकिन ठेके के अभिकों तथा छोटे-छोटे उद्योगों व संस्थानों में जहाँ उचित लेखे-जोखे नहीं रखे जाते हैं वहाँ पर इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है।

2. थम जांच समिति (Labour Investigation Committee) के अनुसार इस अधिनियम के लागू करने में निम्न उल्लंघन पाए जाते हैं—

(i) अनधिकृत कटौतियाँ (Unauthorised Deductions),

(ii) अधिनियम से सम्बन्धित रजिस्टर न रखना (Non-recording of Over-time Wages),

(iii) मजदूरी के मुगवान में देरी (Delay in Payment of Wages),

(iv) बोनस तथा महेंगाई भत्ते का मुगवान न बरना (Non-payment of Bonus & Dearness Allowance),

(v) रजिस्टर न रखना (Non-maintenance of Registers), पादि।

3. अधिनियम के अन्तर्गत दावों को सुनने हेतु परगना अधिकारी (SDO's) को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके पास ग्राम नामके तथा प्रशान्ति कार्यों का भार अधिक होने में इस प्रकार के दावों की तुरन्त सुनवाई तथा पंसला नहीं हो पाता है जिसमें समय पर अभिदों को राहत नहीं मिल पाती है। अतः इन विवादों की शोप्र निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. थम-निरीक्षकों की सरया उनके क्षेत्र व पार्वं को देखते हुए कम है। निरीक्षण नियमित रूप में नहीं हो पाने हैं। अतः थम-निरीक्षकों की सम्मा में वृद्धि की जानी चाहिए।

5 मालिकों पर जो जुर्माना किया जाना है वह प्रतीव 50 रु. अथवा 100 रु से अधिक नहीं होता है जबकि विवाद हेतु अम निरीक्षक के न्यायालय में आने-जाने में ही हजारों रुपये यात्रा-भत्ता प्राप्ति में व्यय हो जाते हैं।

6 नियोता इस अधिनियम से बचने के लिए अमिकों को स्थायी नहीं होने देते, उन्हें बलात् छुट्टे (Forced Leave) देते हैं, प्राप्ति अनुचित घबहारों में अधिनियम से बचते हैं। उत्तर प्रदेश अम जाँच समिति (U P Labour Enquiry Committee) के अनुसार, "अधिनीत अम सभी द्वारा यह गिकायत है कि मजदूरी में कमी की जाती है, विभिन्न कटौतियों की जानी है जिससे भविष्य में जाकर अमिकों की वास्तविक आमदनी घट जानी है।"

लेफ्टिन मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का क्रियान्वयन अब पहले से बाकी सुधरा है।

राष्ट्रीय अम आयाम (National Commission on Labour) के अनुसार इस अधिनियम से अमिकों वर्ग को बाकी लाभ प्राप्त हुआ है। पहले की भाँति अब अमिकों को देरी से मजदूरी देना तथा उसमें से अनधिकृत कटौतियों (Unauthorised Deductions) अमिकों की प्रवृत्ति कम हो गई है। अमिक-संघों के विरास, अमिकों की शिक्षा, मालिकों के हाटिकोणों में परिवर्तन तथा सरकार का वल्याणकारी राज्य के रूप में महत्व बढ़ने से मजदूरी नियमित रूप से दी जान सकी है तथा अनधिकृत कटौतियों भी काफी कम हुई है। फिर भी हम देखते हैं कि जहाँ पर अमिक विलारे हुए तथा असंगठित हैं तथा जहाँ प्रशिक्षित अमिक हैं, नियोक्ता पुरानी विचारधारा वाले हैं, अम निरीक्षक अकुशल व अप्रट है, वहाँ पर आज भी अमिकों का शोषण देर से मजदूरी तथा अनधिकृत कटौतियों के रूप में होता है। यह सरकार वा उत्तरदायित्व है कि क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी को सुहृद व ईमानदार बनाए और समय-समय पर मशीनरी द्वारा किए गए क्रियान्वयन का लेखा-जोखा ले।

#### अधिनियम में सशोधन

जैसा कि वहा जा चुका है, नवम्बर, 1975 में एक अध्यादेश जारी करके अधिनियम उन अमिकों पर लागू कर दिया गया जिनकी औसत मासिक मजदूरी 1000 रु से कम है। इस सशोधन से पूर्व 400 रु प्रतिमास की मजदूरी सीमा थी। अम मन्त्रालय वी सन् 1976-77 की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में और भी अन्य सशोधन कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है—

"सन् 1936 के मुख्य अधिनियम में सशोधन करके अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी का भुगतान चंक द्वारा करने या सम्बन्धित घर्मचारियों द्वारा लिखित प्राधिकार देने पर उनकी मजदूरी उनके बैंक लेखों में जमा करने की व्यवस्था की गई। यह आशक्त की गई कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्मचारियों पर

यह दबाव ढाता जा सकता है कि वे अपनी मजदूरी मुक्तान के बेदल इन वैचालिक तरीकों द्वारा ही स्वीकार करें। हालांकि कर्मचारियों के लिए इन तरीकों द्वारा मजदूरी सेना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सम्बालियों के साध्यम से बेनीय सरकार के सभी उपक्रमों एवं सभी राज्य सरकारों को निवेश जारी करके इस प्रशासन की आवश्यकताओं को दूर करने और इस प्रशासन की सम्भाव्य पटनाज्ञों को रोकने के लिए तथा यह मूलिकता कराने के लिए तत्कान बायंकाही भी है कि सशीधित अधिनियम में परिवर्तित मजदूरी की वैचालिक प्रणालियों को विसी प्रकार जा दबाव न डानकर केवल अधिकारों की मताह और सहमति में शिक्षा तथा अनुबन्ध की प्रक्रिया द्वारा असराया जाना है। वैचालिक विभाग में भी अनुबन्ध किया गया है इस नह जहाँ नक सम्भव हो सके, यह मूलिकता कराने के लिए आवश्यक कार्यकारी करे कि चैक और/या कर्मचारियों के बैठक लेतों में उनकी मजदूरी मुक्तान की व्यवस्था करने वाले वह विधान को लान् करने के लिए अधिकारों के लिए विशेषकर खनन सेवों में पर्याप्त वैचालिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी हैं।"

### (३) अन्य व्यवस्थाएँ

भारत ने मजदूरी के राजनीय नियमन की कुछ अन्य व्यवस्थाओं में निम्न-तिथिन उल्लेखनीय हैं—

#### मजदूरी सेल

मार्च, 1973 में मजदूरी नीति सम्बन्धी समिति द्वारा की शई प्रकारियों के अनुबन्ध में, अम मन्त्रालय में एक मजदूरी सेल की स्थापना की गई। यह सेल अन्य व्यापों के राष्ट्र-गायब मजदूरी-निर्बाचरण, राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने और राष्ट्रीय मजदूरी विन्यास तंत्रजार करने का कार्य करता है। यह सेल प्रशासनी ऐव के उद्योगों, वडा-राष्ट्रीय कर्मनियों/निगमों और वडे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रचलित वित्तीय हावें, बेनतमानों, महेश्वरी भत्ते तथा अन्य भत्तों, बोनन, प्रोत्साहन घोड़ना आदि से मम्बन्धित पदार्थ और सहज ही उत्तरव्य आँखडे एवं त्रुपत्र करता है।

मजदूरी नेत उत्तरार्थी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरी पुनरीआगा के प्रस्तावों को द्वानबीन भी करता है और मजदूरी, महेश्वरी भत्ता एवं अनिवार्य जमा पोजना में सम्बन्धित मामलों पर कार्यकारी बरता है।

#### थ्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड

गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी की अन्तरिम दरों के सम्बन्ध में समाचार-पत्र कर्मचारियों के विनियम नियन्त्रों से द्रावत मौजों पर विवार करने हेतु 11 जून, 1975 को गैर-पत्रकारों के लिए एक मजदूरी बोर्ड का गठन किया गया। थ्रमजीवी-पत्रकारों के लिए लीजरे मजदूरी बोर्ड का भी गठन फरवरी, 1976 में किया गया। पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों की अन्तरिम राहत के सम्बन्ध में मजदूरी बोर्ड की हिफारियों प्राप्त हो चुकी है और यह ये मिपारियों सरकार के विवाराधीन हैं।

## ठेठा मजदूरी

ठेठा मजदूरी (नियमन तथा समाप्ति) अधिनियम 1970, जो कि प्रकारी, 1971 स समूचे भारत मे लागू किया गया, कुछ स्थानों मे ठेठा मजदूर व्यवस्था का नियमन करता है तथा किन्हीं हालात मे उसका समाप्ति भी। मजदूरी की प्रदायनी न होने पर उसके लिए मुख्य मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाना है।

अम व्यूरो विभिन्न उद्योगों मे ठेठा मजदूरी को व्यापनता तथा उसको प्रटृप्ति को निश्चित करने के लिए विशेष प्रध्ययन कर रहा है। ऐसे प्रध्ययन अब तक लगभग 24 उद्योग के बारे मे हिए जा चुके हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सन् 1974 के प्रत्यंत तक 3,997 प्रमुख मालिकों और उनके 5,21,300 ठेठा मजदूरों का पक्कीयन सरकारी पार्किंगों मे हिया जा चुका था।

## बन्धुवा मजदूरी

देश मे बन्धुवा मजदूरी प्रणा को एक बाबून के द्वारा, जिसे बन्धुवा मजदूरी प्रधा (उन्मूलन अधिनियम, 1976 कहा जाता है) समाप्त कर दिया गया है जिसमे समाज के कमजोर वर्गों को आविष्ट और सामाजिक शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके। इस अधिनियम के अन्तर्गत (जो पूरे देश मे लागू हो चुका है) बन्धुवा मजदूरी प्रणा का उन्मूलन हो गया है और प्रत्येक बन्धुवा मजदूर बन्धुवा मजदूरी के किसी भी दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है। प्रत्येक बन्धुवा मजदूरी के जितने भी अनुबन्ध होते उन्हे प्रवैध करार दे दिया गया। यहाँ तक कि न्यायालय मे फैसला होने से पहले या बाद मे असंतिक कारावानों मे रखे गए बन्धुवा मजदूरों को भी मुक्त घोषित कर दिया गया। किसी भी अक्ति को किसे इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्धुवा मजदूरी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है, उम मवान मे से या अन्य आवास योग्य धोत्र से (जिसमे वह इस अधिनियम के पास होने के समय तक रह रहा है और जिस उत्तरे बन्धुवा मजदूरी के प्राप्तिक पारिथमिक के रूप मे प्राप्त किया है) बाहर नहीं निकाला जा सकता। भौतिक अनेक विधियों और नियमो के माध्यम से मुक्त हुए बन्धुवा मजदूरों को आविष्ट और सामाजिक रूप से किर से बसाने का प्रयास कर रही है।

## पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समावयवस्थमिक

राष्ट्रपति द्वारा सितम्बर 1975 मे जारी किए गए समान पारिथमिक प्रध्यादेश का स्थान ।। परकारी, 1976 को समर्द के प्रधिनियम ने ले लिया। इस अधिनियम मे समान कार्य या एक ही गिर्से के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिथमिक के नुगानान और भर्ता के मामले मे महिलाओं के साथ भिड़भाड़ को रोकने की व्यवस्था है। अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध निम्नलिखित के बारे मे हैं। महिलाओं के रोकपार प्रवारो मे दृढ़ि करने हेतु नलाहकार समितियों का गठन करना, शिकायतों को मुनाने के लिए प्राधिकारियों, ग्रामीण प्राधिकारियों, निरीक्षको आदि की नियुक्ति आदि।

मेधात्म्य सरकार ने आस्पतालों, उपचर्या-गृहों और औपचालयों तथा शैक्षिक, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं में रोजगार के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की स्थापना की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने चाष बागानों, अरपतालों उपचर्या-गृहों और औपचालयों तथा शैक्षिक, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं में रोजगार के बारे में एक समिति का गठन किया है। पंजाब सरकार ने एक मामाला सलाहकार समिति की स्थापना की है, विभिन्न रोजगारों के लिए विद्वन् भिन्न समितियों के गठन का प्रश्न भी विचाराधीन है। बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सभी रोजगारों के लिए एक राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। अन्य राज्य सरकार, प्रशासन ऐसी सलाहकार समितियों गठित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

उक्त अध्यावेश/प्रधिनियम अभी तक निम्नलिखित रोजगारों में लागू किया गया है<sup>1</sup>—

रोजगार	प्रवर्तन को सारोच्च
(1) वागान (अब अधिनियम, 1951 के बन्तर्गत आने वाले)	15-10-1975
(2) स्वास्थीय प्राधिकरण	1-1-1976
(3) केन्द्रीय और राज्य सरकार	12-1-1976
(4) अस्पताल, उपचर्या-गृह और औपचालय	27-1-1976
(5) बैंक बीमा कम्पनियां तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं	8-3-1976
(6) शैक्षिक, विद्यालय, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं	5-4-1976
(7) खाने	4-5-1976
(8) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोषता बान भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा नियम	1-5-1976
(9) भारतीय बांद नियम, केन्द्रीय भौदागार नियम और राज्य भौदागार नियम	1-7-1976
(10) कपड़ा और कपड़े से बनी वस्तुओं का नियमन	15-7-1976
(11) बांगवों में भित्त कारखाने	27-8-1976
(12) विद्युत और इलेक्ट्रोनिक मशीनों उपकरण एवं डिप्स्कर	27-8-1976
(13) रसायन और रसायनिक वरांग (पेट्रोलियम और कोयले के पदार्थों को छोड़ कर) का नियमन	5-10-1976
(14) घूं और जल परिवहन	5-10-1976
(15) खाद उत्पादों का नियमन	10-2-1977

1. साधिक रिपोर्ट, 1976-77.

इस अधिनियम के उपबन्धों वो आयिक वार्षिकलापों के अन्य सभी क्षेत्रों में क्रमिक रूप से लागू हिया जाएगा ।

समान पारिश्रमिक अधिनियम वे अधीन नियम भी बताए गए हैं और ये नियम 11 मार्च, 1976 को प्रकाशित किए गए ।

बासान उद्योग ने समान पारिश्रमिक अधिनियम के वार्षिक्यन में कठिनाइयाँ अनुभव की क्षेत्रोंकि 'समान कार्य' एक ही विस्त वा कार्य' शब्दावली वे सही अर्थ के सम्बन्ध में शकाएँ थी । इस मामले पर विधि मन्त्रालय से परामर्श वारके जांच की गई और राज्य सरकारों वो स्पष्टीकरण जारी करके यह बताया कि यह निर्धारित करने के लिए कि 'वार्षिक समान है या नहीं' मापदण्ड कार्य वा स्वरूप होना चाहिए और न कि किए गए काय की मात्रा । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों वो स्थायीकरण जारी किया गया । इसलिए इस बात का निर्धारण करने वे लिए कार्य समान है या उसी प्रकार का है, पुष्प और महिला धर्मिकों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा समत नहीं है । यह स्पष्ट किया गया कि जहाँ कहीं भी टॉक कार्य हो रहा है वहाँ यह व्यास्था लागू होगी ।

### अनुव्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

इस योजना के अन्तर्गत निर्माण, खनन तथा बागवानी से सम्बन्धित मुख्य उद्योगों में राम करने वाले धर्मिकों के बारे में अनुव्यावसायिक मजदूरी दर्ते तथा आय सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं । इसके अलावा समयोपरि कार्य तथा प्रोत्साहन लाभीक्षण योजनाओं के बारे में भी सर्वेक्षण किए जाते हैं । सन् 1958-59 में पहला सर्वेक्षण हुआ । उसका सामान्य प्रतिवेदन सन् 1963 में प्रकाशित हुआ । दूसरा सर्वेक्षण सन् 1963-65 में किया गया जिसके मुख्य निष्ठायों से युक्त संक्षिप्त रिपोर्ट सन् 1971 में जारी की गई । सर्वेक्षण की सामान्य रिपोर्ट की भी द्वापार्द्ध हो रही है । पहले दो सर्वेक्षणों में एकत्रित आंकड़ों की उपयोगिता को देखते हुए अय सम्बन्धी तीसरा सर्वेक्षण 1 अप्रैल, 1973 को शुरू हुआ जो निर्माण खानों और बागान खंचों में लगभग 81 उद्योगों में किया गया । भारत 1976 के अनुसार इस सर्वेक्षण का प्रथम चरण 14 फैक्ट्रियों में पूरा हो चुका है ।

### भारत में बाल-भ्रम एक गम्भीर समस्या

भोपाल शहर में किए गए ताजा सर्वेक्षण (1977) के अनुसार इस शहर में 5000 से ज्यादा बच्चे होटलों, बीड़ी बनाने के कारखानों, लुहारी-चमंकारी, मिट्टी के बर्तनों की दुकानों, साइक्लो, ढाबों और घरों पर जानवर से भी बदतर जिन्दगी गुजार रहे हैं । बाल-मजदूरी की स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1971 में भारत में कुल बाल मजदूर 2 करोड़ थे ।

भारत में बाल-भजदूर : कितने कहाँ हैं ?  
(1971 की जनगणना के आधार पर)

राज्य/केन्द्र शासित	मुख बाल-भजदूर तुल जनसंख्या में बाल- (हजारों में)	भजदूरों का प्रतिशत	भजदूरों का प्रतिशत
1	2	3	4
आनंद प्रदेश	1627	3.74	9.23
असम	239	1.60	3.40
बिहार	1059	1.88	4.41
झुंगरात	518	1.94	4.50
हरियाणा	138	1.37	2.95
हिमाचल प्रदेश	71	2.05	4.97
जम्मू-कश्मीर	70	1.52	3.53
खर्बाटक	809	2.76	6.50
केरल	112	0.52	1.30
मध्य प्रदेश	1112	2.67	6.10
महाराष्ट्र	988	1.96	4.74
मणिपुर	16	1.94	3.50
मेघालय	30	1.96	6.80
नागालैंड	14	2.71	7.14
उडीया	492	2.24	5.29
पंजाब	233	1.72	4.16
राजस्थान	587	2.28	4.01
संगमनाडु	713	1.73	4.58
पिंडिया	17	1.09	2.47
दत्तर प्रदेश	1327	1.50	3.58
पश्चिम बंगाल	511	1.15	2.68
झरमान निहोवार द्वीप समूह	1	0.87	2.27
झरगाचलप्रदेश	18	3.85	10.05
चंगीगढ़	1	0.39	1.12
दादरा और नगर हवेली	3	4.05	11.76
दिल्ली	17	0.42	1.08
गोवा, दमन और दीव	7	0.82	2.17
लकड़ीप	—	—	—
पांडिचेरी	4	0.85	2.15
भारत में	10738	1.96	4.66

एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश बाल-भजदूर उआ में कम होते हैं जेकिन उनकी उम्र बड़ा-बड़ा कर लिखी जाती है ताकि कोई सरकारी एवं राज नहीं हो।

होटलों में काम करने वाले वर्चरों की हालत सबसे दमनीय है। इन वर्चरों को वेतन के नाम पर नाममात्र की रकम दी जाती है। काहरी टूट जाने पर वेतन

ने पेटा बट जाता है। बच्चों का सूर्योदय से पूर्व ही होटल पहुँच जाना होता है। मालिक उन्हें रात की बची खात्र सामग्री नाशने के लिए देना है। दोपहर की भीजन के नाम पर एक घण्टे की छुट्टी मिलती है तथा उसके बाद रात को 12 बजे तक या होटल बन्द होने तक उन्हें खाम बरता पड़ता है।

देश के कुल बाल-मजदूरों को 93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 78 प्रतिशत बाल-मजदूर शृंखला सम्बन्धित हैं। लेकिन शहरी सम्पत्ति और शहरी आवासों ने बाल मजदूरों का भी सबों से अपनी ओर आकर्षित किया है। अधिकांश बच्चे लम्बे समय तक शौक्तन के नाम पर मुराद म बाम बरतते हैं। इन्हें बेनन, छुट्टी आदि दी जाई सुविधा नहीं दी जाती है। लेटफार्म, बस स्टैण्ड पर छोटे छोटे बच्चों को तेजी से कार्य करता हूँगा देता जा सकता है। कुछ जेव काटना सीख रहे हैं, कुछ सामान ढा रहे हैं और कुछ भीत भी माँग रहे हैं। ये बच्चे इसी न किसी दादा या बयस्क व्यक्ति के इगारे पर यह सारा कार्य करते हैं। अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा य साग इन दादामों का ददेते हैं और थोड़े हुए में अपना पेट भरणा बरतते हैं।

मजदूरी की व्याप्ति एक सी है। चन्दा की उम्र 9-10 वर्ष है। पढ़ाई बचपन म छूट गई। भी बीमार है। बाल वही बाम रहता है। घर में तरी है। पढ़ाई छाड़ने के बाद घर-घर जाकर बर्नन मार करती है। महीने में कुल 90 या 100 रु हा जाने हैं, कोई-कोई कमी कपड़ा भी देते हैं और जीवन चल रहा है। बस स्टैण्ड पर जूते चमकात रामू मे पूछा गया कि जीवन म बया बनेगा तो कहता है 'माव अपना तो बया बन पर अपना लड़का बूट पालिश नहीं करे। यही कामना है।' करोम एक सिलाई की दुकान पर बैठता है। आजकल काम सीख रहा है। इस कारण उस नकद कुछ भी नहीं दिया जाता है। काज, बटन सीखने के बाद तुरपाई सीख लेगा तो कुछ मिलन लग जाएगा। अब बर एक मोटर गैरिज म व रहीम एक बक्कास मे बाम करने हैं, उम्र 14 वर्ष हीनी, मैले आइल से राने व पड़े और उम्ताद की ग्रामिणी यही उम्ताद जीवन है। दस्तखत बरना भी नहीं सीख पाए थे कि बाम मे लगाना पड़ा। गरम हवाओं न मव कुछ गिरा दिया है।

इन समस्या का योगिधानिक व मानवीय आधार बया? भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 (भाग 3) के अनुसार 14 मात्र स छोटा बच्चा किसी भी कारखाने या अन्य स्थानावधि जगहों पर सौकरी नहीं बर सहता है, लेकिन भारतीय आधिकारिक अवश्यकताप्रो ने इन नियमों को नहीं लगाने दिया है।

देश के लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी और मुश्लिमी मे जी रहे हैं। ऐसी स्थिति मे घर परिवार के द्वारा सदस्य का बपाना जहाँ है। अत बच्चा घर का आधिक आवास बन गया है। बच्चा अत्यन्त छुट्टपन मे ही माँ-बाप के बानो मे मदद देन जग जाना है और धीरे-धीरा स्वतन्त्र रूप मे बाम शुरू बरके घर की आधिक आवश्यकताप्रो को पूरा करता है। अत इस बर्द के बच्चे या तो पढ़ाई मही नो फिर जबदी भूत छोड़कर नीरगी या भादूरी शुरू कर देने हैं।

राज्य के बच्चे अधिक पैसा तथा शहर की रसीदियों में बंधे शहर आ जाते हैं और मध्यमवर्गीय परिवारों में नोकर वत् जाते हैं। ये मध्यमवर्गीय परिवार उन बच्चों का जमकर शोषण करते हैं। केवल वासी खाने और डतारे हुए बच्चों में इन परिवारों में 24 घण्टे के लिए नीकर मिल जाते हैं। इधर बच्चे के परिवार वालों को मनोरो होना है कि लड़का शहर में है। देर सबेर बमा कर देगा। दूसरी ओर लड़के के परिवार में उसका खर्च खट्ट हो जाता है। इस कारण बाल-मजदूरी की सख्ती से बढ़ती ही चली जा रही है।

बाल-मजदूरी और इनमें सम्बन्धित समस्याओं के मानवीय पहलू भी है। इस समस्या का हृन सामाजिक परिवर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। गरीबी अधिक है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, बच्चों को पैदा करना गरीब परिवार्हे में 'पशुचर इनवेस्टमेण्ट' है। यदि बच्चों को पे छोटें-छोड़े काम नहीं करने दिए जाएं तो बच्चे आपस में लड़ेंगे भगवेंगे अपराधी बनेंगे। जल्दत इस बात नी है कि बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, बच्चों को स्वावलम्बी बनाया जाए। इनके कार्य करने के लिए बच्चों को अलावा बचे समय में उन्हें पढ़ाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों वीं तरह इन कार्यों के लिए भी केन्द्र खोले जाएं ताकि बच्चे अपनी स्थिति समझे और सदृपुरान्त जीवन में बद्धयात हो।

देश में सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर इन व्यवसन-विहीन बच्चों के लिए बहुत काम किया है। यज तम दो-चार सम्पादों के अलावा नहीं भी दश और कार्य नहीं किया गया है क्योंकि अधिकारियों सम्मानी तो इस और ध्यान नहीं देती है।

समाजकान्त्याश विभागों व राज्य सरकारों व अन्य स्वयंसेवी 'संस्थाओं वो देश की इस भावी पीढ़ी के बारे में तो बना चाहिए ताकि देश के कर्णधार सही राह पर रहे। अच्छा हो यदि विन्दुओं को ध्यान में रखते हों योगनावद्ध वार्ष किया जाए।

15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शोषण अविलम्ब रोका जाए। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वीं शिक्षा और भोजन नी राम्पूर्ण व्यवस्था सरकार करे। बड़े शहरों के लिए होने वाले बालों के अपहरणों को रोकने के लिए व्याप्रहारिक उपाय किए जाएं। बच्चों के मानसिर दिकास के लिए उचित कार्य-प्रणाली दिसित की जाए। बाल-मजदूरों की यूनियन बनाई जाए और इसे सरकारी संरक्षण दिया जाए। बाल-मजदूरों का न्यूनतम वेतन बड़े मजदूरों के बराबर हो। उन्हें यवकाश अतिरिक्त वृद्धिधार्त मिले, घरेलू लैहरे जो समुचित सुविधाएँ दिलाई जाएं। श्रम-शक्ति का दृष्टप्रयोग व शोषण रोका जाए। बाल-मजदूरों के लिए विशेष जिक्षण की व्यवस्था सूलों में सञ्च नी जाए।

### इंग्लैण्ड में मजदूरी का नियमन

#### (Regulation of Wages in U. K.)

यद्यपि इंग्लैण्ड में रोजगार की दशाएँ तथा शर्तें विना सरकारी हस्तक्षेप के ऐनिदर पव कंवले में मानुहिक मौदाकारी द्वारा तथ की जाती है, किर भी सरकार

ने कुछ घटवासाथो अथवा उद्योगो म भजदूरी, छुट्टियाँ प्राप्ति वा कानूनी नियमन किया है जहाँ कि श्रमिक अथवा नियोजक असमिति है। इस प्रकार के कानूनी नियमन के अन्तर्गत लगभग 33 मिलियन श्रमिक आते हैं। इस जातावधी के प्रारम्भ में विभिन्न वेतन मण्डल (Wage Boards) विद्यमान थे : मजदूरी परिपद अधिनियम, 1945 (Wages Councils Act of 1945) ने इन विद्यमान व्यापार मण्डलो (Trade Boards) को समाप्त करके वेतन परिषदो (Wages Councils) की स्थापना की। इन वेतन परिषदो को काफी व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। इन परिषदो द्वारा साप्ताहिक गारण्टीयुक्त मजदूरी हथा वेतन सहित छुट्टियाँ देने का अधिकार है।

जिन मुख्य अधिनियमो द्वारा मजदूरी और कार्य के घटो का कानूनन नियमन किया जाता है, उनमे हैं— मजदूरी परिपद अधिनियम, 1945 से 1948 (Wages Councils Acts, 1945 to 1948), केटरिंग मजदूरी अधिनियम, 1943 (Catering Wages Act, 1943), कृषि मजदूरी अधिनियम, 1948 (Agricultural Wages Act of 1948) और कृषि मजदूरी (स्कॉटलैण्ड) अधिनियम, 1949 (Agricultural Scotland Act, 1949)।

व्यापार मजदूरी अधिनियम 1909 और 1918 (Trade Boards Acts, 1909 & 1918) के अन्तर्गत व्यापार मण्डल (Trade Boards) स्थानित किए गए थे। मजदूरी परिपद अधिनियम, 1945 (Wages Councils Act of 1945) के अन्तर्गत इन व्यापार मण्डलो को समाप्त करके मजदूरी परिषदो (Wages Councils) की स्थापना की गई। इन मजदूरी परिषदो म श्रमिको व मालिको के समान सरया मे प्रतिनिधि होते हैं तथा साथ ही तीन स्वतन्त्र व्यक्ति, जिनमे से एक अध्यधा, होते हैं। इन मजदूरी परिषदो को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये परिषदें सम्बन्धित उद्योग मे वानूनन न्यूनतम पारिश्रमिक (Statutory Minimum Remuneration) और छुट्टियाँ जो दी जाती हैं, के सम्बन्ध मे निर्धारण हेतु अपने प्रस्ताव श्रम एव राष्ट्रीय सेवा मन्त्री (Minister of Labour & National Service) को देती हैं। मन्त्री को यह अधिकार प्राप्त है कि मजदूरी परिपद द्वारा प्राप्त प्रस्तावो को आदेश देकर वानूनी रूप दे सकता है और मजदूरी का नियमन कानून के अन्तर्गत आ जाता है। इन आदेशो की पालना हेतु मजदूरी निरीक्षको (Wages Inspectors) की नियुक्ति मन्त्रालय के अन्तर्गत की जाती है।

इसी तरह की मजदूरी निर्धारण की व्यवस्था कृषि एव भोजनालयो मे की गई है। विसी भी सस्थान अथवा उद्योग मे मजदूरी परिपद की स्थापना करने के दूर्व थम मन्त्री यह जांच करता है कि इस प्रकार के साम श्रमिको व मालिको के बीच समझौते से प्राप्त हो सकते हैं अथवा नही। यदि ये लाभ दोनो पक्षो के सगठनो के समझौते के प्राधार पर प्राप्त नही होते हैं तो थम मन्त्री मजदूरी परिषदो की स्थापना कर देता है। थम मन्त्रालय इस प्रकार बी जांच एक स्वतन्त्र आयोग द्वारा करवाता है जिसमे स्वतन्त्र व्यक्ति तथा जिस उद्योग अथवा सस्थान हेतु मजदूरी परिषदो की स्थापना करनी है, उनको छोड़कर अन्य उद्योगो के श्रमिक व नियोजित सगठनो के प्रतिनिधियो को शामिल किया जाता है।

इंगलैण्ड की 1961 के श्रीधोगिक सम्बन्धों पर प्रकाशित एक हस्त-नुस्तिका (Hand Book) वे प्रनुभार बहुत से अधिक जिनको सम्मा 3-4 मिलियन है, इन मजदूरी परिषदों के अन्तर्गत आते हैं। ये मजदूरी परिषदें एक समझौता करवाने का कार्य करती हैं जिसमें स्वतन्त्र सुदृश्य समझौताकारी (Conciliators) के रूप में वापर करते हैं। सबसे पहले सभी अधिक व मालिकों के प्रतिनिधि समझौता करने का प्रयास करते हैं। स्वतन्त्र व्यक्ति इन परिषदों में मत नहीं देते। फिर भी समझौता बहुमत से प्राप्त किया जाता है।

### अमेरिका में मजदूरी का नियमन (Regulation of Wages in U. S. A.)

अमेरिका में अधिकों की सुरक्षा हेतु समय-भूमिय पर धम-विधान बनाए गए हैं जिनकी अधिकों की प्रार्थिक स्थिति नियोक्ताओं की तुलना में असमान है। नियोक्ता-अधिक सम्बन्धों में सबसे बड़ी असमानता हमें सरविल अम (Service Labour) के विवाद में देखने को मिलती है। रोजगार का युग 1863 में दासता की समाप्ति से समाप्त हो गया। इससे कोई भी व्यक्ति अपने कर्जे के कारण जबरदस्ती बार्य के लिए नहीं रखा जा सकता। सब प्रकार के अम में मालिक और नौकर (Master & Servant) वाला सम्बन्ध समाप्त हो गया। प्रत अम में पैतृक्याद (Paternalism) पाया जाता है और विशेषज्ञ धरेलू और कृषि अधिकों के रूप में देखने को मिलता है। अमेरिका में मजदूरी आज सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित दायित्व माना जाता है। सन् 1849 में अधिकों की मजदूरी पर कुड़वी लगाकर छह से जमा करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया गया।

ऐच्छिक रूप से अधिक द्वारा अपनी मजदूरी को छह दिनों को देने के लिए भी कहे जाएं वार्षिकाहियाँ करनी पड़ती हैं, जैसे लिंगित में हो, पनि अयवा पत्ती से स्वीकृति सी जाए और समझौते की एक प्रति भी हो। अधिक के घर की जगह तथा शोजार छह दिनों का जब नहीं बिए जा सकते। अधिकों द्वारा नियोक्ता की सम्पत्ति अपवा उमरे प्राहृत भी सम्पत्ति से मजदूरी प्राप्त नी जा सकती है। निर्माण-बार्य में लगे अधिकों की मजदूरी न मिलने पर वे नियोक्ता की सम्पत्ति पर अपना धारिकार कर सकते हैं।

मजदूरी में सम्बन्धित कानून न हेवल अमेरिका में सधीय स्तर पर ही है बल्कि अमेरिका के सभी राज्यों में विटमान हैं। नियोक्ता के दिवालिया होने पर सबसे पहले सम्पत्ति में से मजदूरी चुराई जाएगी। सामान्य रूप से नियोक्ताओं ने अधिकों की मजदूरी पर अधिक ध्यान दिया है और विधान-सभाओं में भी समस्या, स्थान और मजदूरी नुगतान के तरीके प्राप्ति के नियमन में अधिक रुचि ती है। कुछ राज्यों में मजदूरी का नुगतान बार्यदाल में ही करने पर जोर दिया जाता है।

**न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम कार्य के घण्टे और बाल अधिक  
(Minimum Wages, Maximum Hours and Child Labour)**

अमेरिका के अधिकों नी मजदूरी वय, वही और जैसे वी जाए इस तक ही

थम वानून सीमित नहीं रहे बल्कि इस बात दो भी वानूनों में सम्मिलित किया गया कि नियन्त्रित मजदूरी वित्तने समय वे तिए और किस प्रकार के अधिक को दी जाए। कुछ नायों में बाल अधिकों व स्त्री अधिकों को लगाने पर प्रतिवन्ध लगा दिया है। अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी, बार्य के घण्टे तथा बाल अधिकों की समाप्ति आदि पर विभिन्न प्रान्तों तथा भूनियिपल स्थानों पर द्वारा प्रव्यादेश जारी तिए गए हैं। प्रमुख सधीय विधान उचित थम प्रमाण अधिनियम, 1938 (Federal Fair Labour Standards Act, 1938) है जिसे हम मजदूरी और कार्य के घण्टे का वानून (Wage of Hours Law) भी कह सकते हैं। इसकी वाल्स हील सार्वजनिक प्रसविदा अधिनियम, 1936 (Walsh H.aley Public Contracts Act, 1936) द्वारा सहायता की जाती है। इसके अन्तर्गत सरकार को मजदूरी, कार्य के घण्टे और कार्य की दशाओं का नियमन करने का अधिकार प्राप्त है। यह सरकारी ठेके के 10 हजार डालर या अधिक होने पर लागू होता है। बेरन डेविस मजदूरी कानून, 1931 (Bacon Davis Wage Law, 1931) के अन्तर्गत 2 हजार डालर से अधिक के ठेके निर्माण अथवा सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत आदि याते हैं। कठोर बार्य वाले उद्योगों में स्त्री अधिकों हेतु 8 घण्टे प्रतिदिन व 48 घण्टे प्रति सप्ताह अधिकतम सीमा रखी गई है और कुछ आयु से नीचे वाले बच्चों हेतु अनिवार्य स्कूल जाना कर दिया है।

उचित थम प्रमाण अधिनियम, 1938 में नियमिति प्रावधान रखे गए—

1 कुछ अपवादों को छोड़कर इसमें अनराज्य व्यापार में लगे सभी अधिकों को शामिल किया गया है।—

2 अधिनियम वह मूल उद्देश्य 40 सेन्ट प्रति घण्टा की न्यूनतम मजदूरी को निम्न प्रकार से सभी जगह लागू करना था—

(i) प्रथम वर्ष (1939) में प्रति घण्टा 25 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना।

(ii) अगले पाँच वर्षों में (1945) प्रति घण्टा 30 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना।

(iii) इसके पश्चात् प्रति घण्टा 40 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना।

न्यूनतम मजदूरी में इसके बाद सशोधन किया गया। सन् 1949 में 75 सेन्ट, 1955 में 1 डालर, 1961 में 1 15 डालर, 1963 में 1 25 डालर और सन् 1967 में 1 75 डालर प्रति घण्टा न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है।

3 इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दरों पर अधिकतम कार्य के घण्टे 40 प्रति सप्ताह थीं और अन्यों प्राप्त किया जाए।—

(i) प्रथम वर्ष 1939 में अधिकतम कार्य के घण्टे 44

(ii) दूसरे वर्ष 1940 में अधिकतम कार्य के घण्टे 42 —

(iii) इसके पश्चात् अधिकतम कार्य के घण्टे 40

(iv) कार्य के इन घण्टों से अधिक कार्य करने पर नियमित दर से 1½ गुनी मजदूरी देनी होगी ।

4 इस अधिनियम के अन्तर्गत 16 वर्ष से कम उम्र वाले वाल अभिक से कार्य लेने पर प्रतिवर्ष लगा दिया तथा कठोर कार्य वाले वर्षोंमें यह उम्र 18 वर्ष से कम न हो ।

 अमेरिका में सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत प्रभावी मजदूरी दर वैधानिक न्यूनतम मजदूरी (Statutory Minimum Wage) से अधिक है । कहीं-कहीं यह न्यूनतम मजदूरी से दुगुनी है और इसमें निवाह वागत भी शामिल है । सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत शनिवार पा रविवार को कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी दर की दुगुनी दर दिलाई जाती है । इसके साथ ही मजदूरी सहित दो सप्ताह की बर्प में छुट्टी दी जाती है ।

सामूहिक सौदाकारी विशेष रूप से बहुमत नियम के सिद्धान्त के अन्तर्गत अधिक सबों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को मजदूरी कार्य की दशाएँ और सौदाकारी इकाई में व्यक्तिगत श्रमिक वी शिकायत पर व्यापक अधिकार दिए गए हैं ।

अमेरिका में काफी समय तक विचारधारा यह नहीं रही कि मजदूरी और कार्य के घण्टों वा नियमन करना अच्छा है वल्कि प्रश्न यह रहा कि न्यायाधीश इन पर स्वीकृति देंगे अथवा नहीं । काफी समय तक प्रान्तीय व संघीय सरकार के न्यायालयों में इस प्रकार के कार्यों को असांविधानिक घोषित किया गया ।

अब सांविधानिक विधान के अन्तर्गत मजदूरी, कार्य के घण्टे, स्त्री श्रमिक व वाल श्रमिक के कार्य क्षेत्र आदि पर विधानसभा और संसद द्वारा नियमन किया जा सकता है और इसमें न्यायालय अब हस्तक्षेप नहीं बरते । सन् 1936 से बोई भी महत्वपूर्ण संघीय मजदूरी नियमन का नूतन असांविधानिक घोषित नहीं किया गया है ।

एक संघीय प्रकार वी सरकार में यह समस्या रहती है कि मजदूरी-नियमन का क्षेत्र बोन-सा होगा ? यदि रोजगार स्थानीय है तो इसके लिए राज्य सरकार बतरहायी है । गार्डीय सरकार सर्वोच्च होती है । जहाँ अनिवाचितता होती है वहाँ न्यायालय निश्चय बरता है और नियमन के कार्यक्रमों के भवत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं । उदाहरणार्थ प्रधम संघीय भ्रम का नूतन असांविधानिक घोषित कर दिया गया । इसका आधार यह था कि स्थानीय जारखानों में कार्य करने वाले वाल श्रमिक स्थानीय विधव हैं जो कि राज्य सरकार का क्षेत्र है (हेमर बनाम हॉमिहार्ट केस में—*Hammer V/s Dangehart, U. S 251, 1918*) ।

परिस्थितियों और परिवर्तनों के कारण अन्तर्राज्यीय व्यापार का विस्तार हुआ । सन् 1937 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय थम-नाम्पन्थ मण्डल बनाम जोनस और सोफ्लिन स्टील कारपोरेशन (National Labour Relations Board V/s Jones & Laughlin Steel Corporation) विवाद में यह निर्णय दिया है

निर्माणकारी अन्तर्राजीय व्यापार के अन्तर्गत आता है। यह निर्याय गत 150 वर्षों के दिए गए निश्चयों से बिलकुल विपरीत हुआ।

उचित थम प्रमाण अधिनियम और वाल्स हीले सार्वजनिक प्रसविदा अधिनियम का क्रियान्वयन प्रणाली के हाथ में है। ये प्रगासक अमेरिकी थम विभाग के मजदूरी और कार्य के घट्ट और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों के विभागाध्यक्ष हैं। इनका वाय अधिनियम की व्याख्या करना निरीक्षण और अनुपालना तथा सशोधन आदि के लिए समद्वय को नीति सम्बन्धी सिफारिशें भरना है। य अधिनियम 24 मिलियन श्रमिकों पर लागू होने हैं। इनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी, प्रधिकरण कार्य के घट्टे और बाल श्रमिकों पर रोड आदि का क्रियान्वयन किया जाता है।

मजदूरी, कार्य के घट्टे और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों की रिपोर्ट, 1959 (Report of the Wage of Hour of Public Contracts Divisions) से यह जात हुआ कि कई व्यक्ति छोटे बच्चों से कार्य लेने को गैर-नानूनी नहीं समझते थे। सन् 1959 में 10,242 छोटे बच्चों को असर्विधानिक रूप से रोजगार में लगा रखा था।

मानवीय हृषिक्षण से न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम घट्टे और बाल थम के नियमन से प्रभेक्षा में बहुत से कम मजदूरी प्राप्त बरने वाले श्रमिकों को बहुत सहायता मिली है। बहुत से नियोक्ताओं ने अधिनियमों की अनुपालना शुल्क कर दी तथा निरीक्षण और क्रियान्वयन के द्वारा बहुत से नियोक्ताओं को इसके अन्तर्गत लाया गया है। इससे बहुत श्रमिकों की मजदूरी में कई सौ मिलियन डालर की वृद्धि हुई है। पह यूरोप रोजगार और उच्च जीवन स्तर के समय हुआ।

मजदूरी और रोजगार की जाती को निर्धारित करने का तरीका घट्टे उत्पादन व गिरनी मजदूरी के रूप में व्यवस्था रहा है। सन् 1959 में इस्पात हड्डात (Steel Strike) के कारण थम विवादों को अनिवार्य रूप से निवाने हेतु कई प्रस्ताव रखे गए।

### भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी (Wages of Industrial Workers in India)

‘श्रमिक तथा उसके परिवार के सदस्यों का जीवन स्तर मजदूरी पर निर्भर करता है। श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी में मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा प्रथम भत्ते सम्मिलित किए जाते हैं। मजदूरी वह धूरी है जिसके चारों प्रोत्ता थम समस्याएँ चबकर काटती हैं। अधिकांश थम-समस्याओं का मूल कारण मजदूरी है। मजदूरी श्रमिक के जीवन-स्तर, कार्य-कुशलता व उत्पादन की प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्त्व है। वीमत स्तर में परिवर्तन होने के कारण निर्धारित लागत में भी वृद्धि हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप मजदूरी में भी वृद्धि करनी पड़ती है। याही थम आयोग (Royal Commission on Labour) ने थम भौतिकी (Labour Statistics) में सुधार हेतु मिलारिय की थी, लेकिन खानों व बागान श्रमिकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। किर भी थम

संस्थान (Labour Bureau) द्वारा समय-समय पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए जाते हैं और इनका प्रकाशन (Indian Labour Journal) में लिया जाता है।

सर्वेक्षण मजदूरी से सम्बन्धित ग्रांकों का संग्रहण घम जॉब समिति, 1944 (Labour Investigation Committee, 1944) द्वारा किया गया। ओडोगिक सॉलियरी अधिनियम पास होने के बाद मजदूरी गणना (Wage Census) की जाती है और इनके द्वारा अभिको को दी जाने वाली मजदूरी, प्रेरणात्मक मुगलान आदि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जाती है।

### भारत में मजदूरी की समस्या का महत्व (Importance of Wage-Problem in India)

भारतीय अभिको अधिनियम, प्रजानी व रुचिवादी हैं। वे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को भली-भाँति समझने में असमर्थ हैं। उनकी सामूहिक सौदाकारी नियोताओं की तुलना में कमज़ोर है। परिणामत मालिकों द्वारा अभिको पा जोषण किया जाता है और उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है। अतः मानवीय हृष्टिकोण से मजदूरी की समस्या का समाधान होना आवश्यक है। अभिको को दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी मुगलान करने का सरीका दोपूरा है, मजदूरी की दरें भी भिन्न-भिन्न पायी जाती हैं।

सरकारी हृष्टिकोण से भी मजदूरी की समस्या का समाधान आवश्यक है। सामाजिक न्याय प्रदान करना सरकार का दायित्व है। अतः अभिकों को उचित मजदूरी दिलाकर मजदूरी समस्या का समाधान किया जाए। मालिकों की हृष्टि से भी मजदूरी समस्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन-मूल्य का महत्वपूर्ण ग्राह है। ओडोगिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति आवश्यक है और औद्योगिक शान्ति प्राप्त करने के लिए अभिको की मजदूरी में सुधार आवश्यक है।

प्रचलित मजदूरी दरों को भी मजदूरी समस्या के अन्तर्गत अध्ययन किया जाना है। एक ही स्थान पर एक ही उच्चोग की विभिन्न इकाइयों, विभिन्न उच्चोगों में विभिन्न मजदूरी, समान वार्ष में भी भिन्न-भिन्न मजदूरी प्रचलित है। अतः मगदूरी के समानीतरण और प्रमाणीकरण (Equalisation & Standardisation of Wages) हेतु भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन आवश्यक है। विश्व के सभी विभिन्न देशों समा अन्तर्राष्ट्रीय घम समिति (I. L. O.) द्वारा भी इस समस्या को महत्व दिया जाने लगा है। मजदूरी सभी पक्षों—घम, पूँजी, समाज एवं सरकार—को प्रभावित करती है। यतः इन सभी पक्षों द्वारा भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन किया जाने लगा।

### ऐतिहासिक मिहावलोकन

सन् 1880 से 1938 के बीच मजदूरों की दरों में परिवर्तन का मनुमान Dr. Kuczynski द्वारा दिए गए निम्न सूचकांकों से लगाया जा सकता है<sup>1</sup>—

1. Quoted in 'Our Economic Problems' by Wadia & Merchant, p. 458.

## विभिन्न उद्योगों में मजदूरी (1900=100)

वर्ष	मूली	बूट	रेत्वे	चान	घातु	धर्मिक	निर्वाण-वार्ष	बाधान
1880-89	80	84	87	71	75	90	—	
1890-99	90	87	95	81	89	89	100	
1900-09	109	106	109	116	112	109	104	
1910-19	142	128	139	176	138	133	122	
1920-29	273	194	245	255	190	195	170	
1930-39	242	148	286	191	171	168	121	

उपरोक्त ग्राफ़ों से स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में औदोगिक धर्मिकों की मजदूरी की दरों में स्थिरता रही है। वर्तमान शताब्दी के प्रवर्म दशक में मूली वस्त्र उद्योग व जूट उद्योग की दर अन्य उद्योगों में धर्मिकों की मजदूरी की दरों से कुछ अधिक थी।

दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने पर अम वी मीग में कभी आई, किन्तु बाद में आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य हेतु उनकी मीग में वृद्धि हुई। मूल्य स्तर में वृद्धि होने से धर्मिकों की मीग, वेतन, मजदूरी व महेंगाई भर्ते में वृद्धि हुई। पदाधि मालिकों ने इस बान वा विरोध विधा या लेकिन सरकार ने उद्योगान्तिकों की मजदूरी में वृद्धि करने के लिए विवश कर दिया। इसी के परिणामस्वरूप सन् 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act, 1948) पास किया गया।

विभिन्न उद्योगों में धर्मिकों की सौदाहारी शक्ति और विभिन्न न्यायालयों के निरांपों के परिणामस्वरूप उनकी मजदूरी में निरन्तर वृद्धि हुई। लेकिन यह वृद्धि समान रूप से नहीं हुई। उदाहरणार्थ—मूली वस्त्र मिलों में 400 रु मासिक से कम बाने वाले धर्मिकों की औसत वार्षिक आय सन् 1961 में 1722 रु से बढ़कर सन् 1969 में 2694 रु हो गई है। यह वृद्धि 1½ गुनी है। जूट मिलों में यह 1113 रु से बढ़कर 2251 रु हो गई है अर्थात् यह दुगुनी हो गई है।

हमारे देश के विभिन्न राज्यों में 400 रु मासिक से तक पाने वाले कारखाना धर्मिकों की औसत वार्षिक आय विभिन्न है और असमान रूप से बड़ी है। उदाहरणार्थ यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 2912 रु है और सबसे कम राजस्थान में 2003 रु. है। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में 400 रुपये से कम माहवार पाने वाले कारखाना मजदूरों की औसत सालाना कमाई दिलाई गई है।—

## पंजाबी पञ्जाबों की प्रति व्यक्ति औसत वापिक रकमाई

(रुपये ह)

राज्य/वंच राज्य सेवा	1961	1966	1968	1969	1970	1971	1972
अमेरिका	1,499	2,130	2,108	2,340	2,363	2,484	2,481
भारत प्रदेश	1,149	1,454	1,830	2,088	2,117	2,340	2,441
दिल्ली	1,180	2,001	2,333	2,143	2,893	3,242	3,583
चंडीगढ़ प्रदेश	1,264	1,825	2,157	2,200	2,293	2,501	2,570
हिमाचल	1,152	1,724	2,125	2,467	2,419	2,565	2,565
पुराण	1,702	2,340	2,696	2,643	2,820	2,763	2,885
बंगलूरु-कर्नाटक	—	978	1,532	1,805	1,630	1,695	3,107
हमियानाहू	1,465	2,031	2,297	2,442	2,583	2,670	2,921
जिन्नुपुर	—	1,271	1,945	2,010	2,223	2,790	1,091
पश्चिम	1,174 <sup>1</sup>	1,636	1,690	2,070	2,159	2,219	2,412
पश्चिम बंगाल	1,410	2,024	2,382	2,675	2,761	3,028	3,452
दिल्ली	1,856	2,050	2,432	2,486	2,712	2,752	2,630
मध्य प्रदेश	1,816	2,118	2,691	2,939	2,912	3,013	3,175
महाराष्ट्र	1,775	2,480	2,826	2,903	3,030	3,090	3,250
फॉटोकॉ	1,375	1,840	2,294	2,088	2,881	2,654	2,698
राजस्थान	761	1,412	1,853	2,003	2,486	2,507	2,824
हरियाणा	—	1,712	2,219	2,436	2,597	2,569	2,887
भारतीय देश नियोगीर							
दैन यमुना	1,234	1,621	1,791	2,024	2,170	2,302	2,096
हिमाचल प्रदेश	1,288	2,115	2,851	2,521	2,691	2,849	2,849
गोआ, दूर्दल और दीव	—	2,105	2,242	2,075	2,305	2,190	2,555
हिमाचल	1,655	2,321	2,788	2,860	2,845	3,040	3,053
पांचिलेसी	—	—	—	—	2,427	2,673	2,796

कोड : भारत 1976.

दरभंगता पूर्ण सूचनाएँ में ही दृष्टि को हिंदू में रखते हुए वास्तविक में जो प्रवास आया है, वह भविष्य सारणी से सम्बन्ध होगा<sup>2</sup>—

1. हरियाणा शादिव है।
2. भारत 1976, पृष्ठ 373.

कामगारों की वास्तविक मजदूरी का सूचकांक  
(1961=100)

विवरण	1962	1963	1964	1965	1966	1968	1969	1970	1971	1972
कमाई का										
सामान्य										
सूचकांक	106	109	114	128	139	160	171	180	185	191 <sup>a</sup>
अधिक										
भारतीय										
मजदूर वय का										
उपचोला										
मूल्य सूचकांक	103	106	121	132	146	171	169	178	183	194
वास्तविक कमाई										
₹। सूचकांक	103	103	94	97	97	94	101	101	101	103

**भारतीय कारखानों में श्रमिकों की मजदूरी**  
**(Wages of Industrial Workers in Indian Factories)**

श्रमिकों की औसत प्रति घंटे वार्षिक आय से सम्बन्धित आँकड़े मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) के अन्तर्गत मिलते हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (M) के तहत आँकड़े एकत्रित करके थ्रम संस्थान, शिमला (Labour Bureau, Simla) को भेजे जाते हैं और वहाँ इन आँकड़ों को Indian Labour Journal में प्रकाशित किया जाता है। मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत जो आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनकी निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत 1,000 रु (नवम्बर, 1975 के संशोधन से पूर्व 400 रुपये) प्रतिमाह से कम पाने वाले श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन ये थ्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों से भिन्न हैं।

2. मजदूरी की परिभाषा भी दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न है।

मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत आने वाले सभी कारखाने राज्य सरकारों द्वारा प्राविमिक सूचनाएँ नहीं भेजते हैं। केवल रिपोर्ट करने वाली इकाइयों द्वारा ही सूचना मिलती है। अत आँकड़ों में प्रतिवर्ष भितता पाई जाती है।

1. सूली बस्त उद्दोष—यह भारत का प्रमुख सालिन उद्दोष है। इसमें लगभग 9 लाख थ्रमिक वार्ष करते हैं। इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र अहमदाबाद, बम्बई, शोलापुर, मद्रास, कानपुर और दिल्ली हैं। इस उद्योग के विकास में साध माय

काम करने वाले श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई है। यह आय सन् 1961 में 1722 रुपये से बढ़कर रान् 1969 में 2694 रुपये हो गई थी। अनेक उद्योगों की तुलना में इस उद्योग की औसत आय पर्याप्त ऊंची है। इस उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की आय में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन महेंगाई में वृद्धि होने से उनकी वास्तविक आय में विशेष सुधार नहीं हुआ है। यह उद्योग समिति उद्योग है जो सन्तोषजनक मजदूरी स्तर पर सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के भावी विकास के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं।

2. जूट उद्योग—यह सबसे प्राचीन उद्योग है। मजदूरी से सम्बन्धित सूचना नहीं मिल पाती ब्योकि एक तो उद्योग में विभिन्न व्यवसाय है और प्रमाणीकरण की योजना का अभाव भी है। श्रम जांच समिति द्वारा मजदूरी गणना का सर्वेक्षण किया गया था। इसके प्रनुसार मूल मजदूरी प बगाल में सबसे अधिक है तथा विशुद्ध आमदनी कानपुर में सबसे अधिक है। इस उद्योग में लगभग 2½ लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। इस उद्योग में सूनी वस्त्र उद्योग की तुलना में प्रारम्भ में औद्योगिक शान्ति रही है। औसत वार्षिक आय सन् 1961 में 1113 रुपये से बढ़कर सन् 1969 में 2251 रुपये हो गई थी। यह वृद्धि दुगुनी रो भी अधिक थी और तत्पश्चात् स्थिति में और भी सुधार हुआ है।

3. झन उद्योग—इस उद्योग की कई इकाइयों में मजदूरी में वृद्धि हुई है। महेंगाई भत्ते की दरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सबसे ऊंची मजदूरी बम्बई से है। औसत वार्षिक आय सन् 1961 में 1428 रुपये से बढ़कर सन् 1969 में 2320 रुपये हो गई थी।

4. चीनी उद्योग (Sugar Industry)—गोरखपुर व दरभंगा की नीनी मिसो को छोड़कर चीनी उद्योग में मूल मजदूरी स्थिर रही है। सभी बारतानों में महेंगाई भत्ते की निर्बाह सागत के अनुसार धनिपूर्ण कर दी है। ऊंचे के श्रमिकों को यन्ने को उतारने तथा चीनी को लदान करने के कार्य में लगाया जाता है जिनको नियमित श्रमिकों की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत कम मजदूरी दी जाती है। औसत वार्षिक आय सन् 1961 में 124 ह थी जो बढ़कर सन् 1969 में 130 ह हो गई थी।

5. बागान उद्योग (Plantations Industry)—चाय, कहवा और रबड़ के बगीचों में काम करने वाले श्रमिक अर्द्ध-कृपक हैं और इस उद्योग में मजदूरी के मुग्यतान की पद्धति कारखाना उद्योग में उपलब्ध पद्धति से बहुत भिन्न है। असम के चाय-बागानों में कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों को दिए जाने वाला कार्य का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है लेकिन अधिकांश बागानों में श्रमिकों की मजदूरी समान है ब्योकि बागान मालिकों ने आपस में समझौता कर रखा है। दक्षिणी भारत के बागान उद्योग में समयानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है। चाय उद्योग में भारत में मजदूरी के साथ-साथ अन्य मुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जैसे—कृपि हेतु भूमि, निःशुल्क आवाह, डॉक्टरी चिकित्सा, दंधन एवं चारे की सुविधाएँ, सत्त्व स्वाच्छन एवं बस्त्रों की सुविधाएँ।

6. खनिज उद्योग—इस उद्योग में मजदूरी और आय के अंकड़ों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत मुख्य खान निरीक्षक (Chief Inspector of Mines) की रिपोर्ट्स हैं। कोशला खान, बोनस योजना, 1948 (Coal Mine Bonus Scheme, 1948) के अन्तर्गत आनंद प्रदेश, असम, विहार, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान और पंजाब में कार्य करने वाले अधिक, जिनकी मजदूरी 300 रुपये प्रति माह से कम है, मूल बेतन का एक तिहाई बोनस प्राप्त करने का अधिकार है। सन् 1961 में साप्ताहिक नकद आय 23,56 रुपये थी वह बढ़कर सन् 1969 में 52,31 रुपये हो गई। राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में और प्रगति एवं सुधार हुआ है।

7. परिवहन (Transport)—रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिवहनिक में बेतन, भत्ते, निःशुल्क यात्रा, भविष्य निधि, अशदान, उपदान (Gratuity), पेन्शन, सामग्री और अनाज की दूकान सम्बन्धी रियायतें जामिल की जाती हैं। भौपत कार्पिक आय तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की दशा में पर्याप्त रूप से बढ़ गई।

### भारत में कृषि अधिकों की मजदूरी (Wages of Agricultural Labour in India)

द्वितीय कृषि आम जीव समिति, 1956 (Second Agricultural Labour Enquiry Committee, 1956) के अनुसार, “कृषि अधिकों से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन में काम पर रखा गया है, बरन् जो अन्य कृषि सम्बन्धी व्यवसायों जैसे फूंफ-दही, मुर्गी-पालन आदि में भी किराये के मजदूर के रूप में कार्य करता है। कृषि अधिक परिवार से आशय उस परिवार से है जिसकी अधिकांश आय कृषि-मजदूरी से होती है।”<sup>1</sup>

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का 70% भाग कृषि पर निर्भर करता है। भारतीय कृषक परिवार, अज्ञानी व वर्दिद्ध है किंतु कृषि पर कार्य करने वाले अधिकों की क्या स्थिति होगी?

सन् 1971 की गणना के प्रत्युत्तर कृषि अधिकों की संख्या 35 मिलियन है। यह सन् 1961 में 31.5 मिलियन थी। इस दशक (1961-71) में कृषि अधिकों की संख्या में 15% वृद्धि हुई है।

प्रथम कृषि जीव समिति द्वारा सन् 1950-51 में 800 गाँवों में जीव की गई थी जबकि दूसरी जीव 1956-57 में 3,600 गाँवों में की गई तथा 28,560 कृषि अधिक परिवार के सम्बन्ध में अंकड़े एकत्रित विए गए।

भारत में कृषि अधिकों की मजदूरी नवदी में या वस्तु में अद्यवा दोनों में दी जाती है। उनको वार्षिक नुसार व समयानुसार भी मजदूरी का भूगतान किया जाता है। अन्य सुविधाओं में पहनने के लिए वस्त्र रहने के लिए भौंडी, लाने वे लिए भोजन, सामाजिक कार्यों हेतु पेशागी भी सम्मिलित है। औद्योगिक मजदूरी की तुलना

<sup>1</sup> Second Agricultural Labour Enquiry Committee, 1950-51.

में कृपि शमिकों की मजदूरी कम होती है व्योर्किंग कृपकों की मुगतान-क्षमता कम होती है। शमिक असमित भी है। अधिकांश छोटे काइटकार अपने परिवार के शम को लगाते हैं। अब शमिकों की मजदूरी 3 ह से 5 ह होती है तथा कृपि की दिमिप्र इसलों की कटाई पर यह मजदूरी 6-7 ह भी हो जाती है।

कृपि शमिकों वो कम मजदूरी मिलने के नुच कारण हैं—

1. बच्चों को मजदूरी न करने के सम्बन्ध में किसी अधिनियम वा अभाव।
2. जमीदार, जागीरदार, मालगुजारी इत्यादि द्वारा शमिकों को छह दिन और उसके कारण उन पर प्रमुख जमाए रखना।
3. कृपि शमिक अलग-अलग बिलारे हुए हैं पौर उनमें समझन का अभाव है।
4. कृपि उद्योग एक मीसमी उद्योग है।
5. छोटे वर्ग में जन्म लेने से सामाजिक दबाव।
6. कृपि शमिक अशिक्षित, प्रज्ञानी व रूढिवादी हैं।

कृपि शमिकों की दरिद्रता तथा योलभाव की दुर्बल शक्ति (Weak bargaining power) से काइटकारों द्वारा इनका शोषण किया जाता है। जो मजदूरी तथा वी जाती है उससे भी कम मजदूरी चुकाते समय वी जाती है। प्रथम अखिल भारतीय कृपि शमिक जाँच समिति के एक सर्वेक्षण के अनुसार 95 प्रतिशत मानव-शम के घटो हेतु मजदूरी का मुगतान समयानुसार तथा शेष 5% मानव-शम के घटो हेतु कार्यनुसार मजदूरी का मुगतान किया जाता है। कार्यनुसार मजदूरी के बल कसल बटाई पौर अनाज निकलवाई हेतु ही दी जाती है।

कृपि शमिकों की गरीबी का एक प्रधान कारण यह भी है कि वे साल भर कार्य नहीं करते हैं। वे बेवल साल में 200 दिन कार्य करते हैं तथा बेकार दिनों में अन्य कार्यों पर नहीं जाते हैं। जहां सिचाई के अच्छे साधन नहीं हैं वे प्रोर अधिक दिन बेकार रहते हैं। जिन शमिकों को साल भर कार्य नहीं मिल पाता है वे अपने परिवार का पालन-पोषण करने हेतु साहूकारों से बड़ी ढंची व्याज दर पर उधार लेते हैं।

कृपि शमिकों के कार्य के घटो भी विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग हैं— प बगाल में 10 घटे, तमिलनाडु में 13½ घटे, महाराष्ट्र-मुजरान में 11 घटे, उत्तर प्रदेश में 7 घटे। कार्यों के घटो के सम्बन्ध में कृपि सुधार समिति का सुझाव है कि काम के घटो पुरायो के लिए 12 पौर स्वियो के लिए 10 से मधिक न हो। अब शमिकों के कार्य के घटो 8 से अधिक हैं तो उसके लिए अनिवार्य मुण्नान (Over Time) दिया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (Minimum Wages Act of 1948) के अन्तर्गत कृपि शमिकों की मजदूरी के नियमन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी कर्मों पर भी यह नियम लागू कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए शमिकों की मजदूरी निश्चित कर सकता है।

कृपि शमिकों की शार्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु उसकी मजदूरी में

सुधार आवश्यक है। मजदूरी अमिक के जीवन स्तर और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित बरने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न बेल अमिक की ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने से सभी उत्पादन के साधनों की ग्राह्य में वृद्धि होती है, सरकार को वित्त सहेतु आय प्राप्त होती है, उपभोक्ताओं को अच्छी इस्तम की मस्ती बस्तु मिलती है। अत सरकार का यह दायित्व है ति कृपि अमिको की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। सरकार ने विभिन्न परवर्यीय योजनाओं में कृपि अमिक की स्थिति सुधारने हेतु निम्नरिहित कार्य किए हैं—

- 1 कृपि उत्पादकता में वृद्धि हेतु किए गए प्रयत्न,
- 2 कृपि अमिको में शिक्षा का प्रसार,
- 3 भूमिहीन अमिकों को भूमि का आवाटन,
- 4 भूदान आन्दोलन द्वारा भूमि प्राप्त करके भूमिहीनों को बाटना,
- 5 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) द्वारा प्रभावपूर्ण ढग से लागू बरना।

### मजदूरी की नवीनतम स्थिति (1976-77) पर सामूहिक हृष्टि

मजदूरी के सम्बन्ध में विभिन्न विधानों और विकासों का उल्लेख पूर्व पृष्ठों में विस्तार से किया जा चुका है और बहुत सी ग्रन्थ वानों पर विचार आगे ग्रन्थायों में किया जाएगा। इस सम्बन्ध में जो नवीनतम सशोधन, विकास और नियंत्र हुए हैं उन पर सामूहिक रूप से यहाँ हृष्टि डालना उपयोगी होगा। यह 'सामूहिक हृष्टि' हमें यत्र-तत्र वित्तीय बातों की एक ही स्थल पर जानकारी देसकेगी। नवीनतम स्थिति पर अम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1976-77 में 'प्रस्तावनात्मक और सामान्य विवरण' के रूप में निम्नानुसार प्रकाश डाला गया है—

### 20—सूची आर्थिक कार्यक्रम

20—सूची आर्थिक कार्यक्रम की चार मद्दें अम मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं। बन्धित अमिको से सम्बन्धित मद्दों के बारे में बन्धित अम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के ग्रन्थीन नियम बनाए गए और वे 28 फरवरी, 1976 को प्रकाशित किए गए। मार्च, 1976 में हुए अम मन्त्रियों के सम्मेलन न, जिसने इस अधिनियम के सचालन की पुनरीक्षा की, बन्धित अमिको का पता लगाने के लिए सदैरेण बरने की आवश्यकता पर बल दिया। इस राज्य सरकारों/सभ्य राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 91,642 बन्धित अमिको का पता लगाया गया, 90,704 अमिक मुक्त बराए गए तथा इनमें से 22,349 यानी 25% अमिको को पुनर बसाया गया। अक्टूबर, 1976 में हुए अम मन्त्रियों के सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि बन्धित अमिको के पुनर्वास सम्बन्धी वर्तमान प्लान तथा नॉन-स्वान विकास योजनाएँ अपर्याप्त हैं तथा इस कार्य के लिए केन्द्र से विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करके अलग कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। उक्त प्रधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित बरने के लिए कई राज्य सरकारों ने जिला

मजिस्ट्रेटों को अधिकार सौंपे हैं, कुछ राज्यों में सरकारी समितियाँ भी नियुक्त की गई हैं। कृषि अमिलो को, दिवसे बन्धित अधिक भी शामिल है, बन्धित अम पढ़तियों, जोनों और न्यूनतम मजदूरी-दरों आदि सम्बन्धी कानूनों तथा ग्राम विकास के सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जिथिन करने के लिए राष्ट्रीय अम संस्थान ने 12 ग्रामीण जिलिंग आयोजित किए हैं। इन जिलिंगों में कृषि अमिलों द्वारा जायकरकता पैदा होई है और उनमें काफी उत्पाद हुआ है।

जहाँ तक कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी-दरों विषयक दूसरी मद का अप्रकरण है, केन्द्रीय सरकार तरह अधिकारी राज्यों ने मलोजिंग मजदूरी-इरें अधिष्ठानित की है। लगभग यभी राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निरीक्षणों तथा दावा अधिकारियों को नियुक्त करके अपने-प्रपने प्रवर्तन नन्हों औ भी मजदूर बनाया है ताकि कृषि अमिलों के हितों की विशेष रूप से देखभाल हो सके।

इस कार्यक्रम की तीव्रगी मद योजना में अमिलों की सहभागिता की योजना के बारे में है। यह योजना अस्तूर, 1975 के एक सकार द्वारा ग्रामीण की गई और इसे 500 यर उम्मेद अधिक अमिलों को नियोजित करने वाले निजी, सरकारी तथा महाकारी क्षेत्रों के विनियोग तथा खनन एकत्री और विभागीय रूप में चलाए जा रहे एकत्री पर लागू किया गया। कुछ राज्यों में यह योजना 500 से कम अमिलों को नियोजित करने वाले एकत्री पर लागू की गई है। दिसम्बर, 1976 के अन्त तक प्राप्त गिरोटी के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वे सरकारी क्षेत्र वे तथा विभागों द्वारा चलाए जा रहे 472 एकड़ या तो इस योजना को लागू कर चुके थे या इसे लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर चुके थे। कुछ एकत्री से ग्राम सूबनार्दी ने पना जलता है कि इस योजना के प्रबन्धन स्थापित किए गए यन्हों से उत्पादन, उत्पादिता तथा यांत्रीकरण दक्षता को सुधारने में महापता मिली है। 20 राज्यों सध-राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूबना के अनुसार दिसम्बर, 1976 के अन्त तक राज्यों के सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के 1100 से कुछ प्रधिक एकक या तो इन योजना को लागू कर चुके हैं या इसे लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर चुके हैं या पैशलिक व्यवस्था कर चुके हैं। अम मन्त्रालय ने जनवरी, 1977 में सरकारी क्षेत्र के ऐसे वालिन्यिक तथा सेवा मण्डलों में, जो बड़े पैमाने पर लोक कार्य करते हैं, प्रबन्ध में अमिलों की सहभागिता की एक नई योजना बनाई। यह योजना अस्तनालों, डाक व तार यथों रेलवे स्टेशनों, बुकिंग अफिलों आदि पर लागू होनी है। इस योजना में कम 100 अन्तियों को नियोजित करने वाले मण्डलों में एकक परिवदे तथा न्युक परिवदे गठित करने की विरुद्धता की गई है।

कार्यक्रम की ओर से मद गिरिना योजना के कार्यान्वयन के बारे में है। दिसम्बर, 1976 के अन्त तक मालूम किए गए अवसाय जिम्मेदारों के 156 लाख स्थानों में से 154 लाख स्थानों का उपयोग किया गया, लगभग 32% गिरिनु कमजोर वर्षों के हैं। अब तक 216 उद्योग जिम्मु अधिकारियम के अन्तर्गत लाए जा चुके हैं और जिसका प्रगतिशील किए जा चुके हैं।

शोध ही 33 और व्यवसाय निर्दिष्ट करने तथा इस योजना को 57 और उद्योगों पर भी लागू करने वा विचार है।

### द्विपक्षीय तन्त्र

आपातोत्तर बाल मे नियोजनो और शमिलो के प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय राष्ट्रीय शीर्ष निकाय तथा राष्ट्रीय श्रीदोगिक समितियो मे शामिल करने के श्रीदोगिक शान्ति तथा सामजस्य को बनाए रखा जा रहा है। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय ने अपनी विभिन्न बैठको मे न केवल श्रीदोगिक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले मामलो के बारे मे बल्कि विभिन्न उद्योगों तथा सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध विषयो के बारे मे भी सिद्धात, नीतियों तथा मार्गदर्शी रूपरेखा निर्धारित की। इन द्विपक्षीय बार्ता प्रणाली को राज्यो के देश मे भी लागू किया गया है तथा 17 राज्यो मे राज्य शीर्ष निकाय गठित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय तथा राष्ट्रीय श्रीदोगिक समितियो ने विशिष्ट एको मे कामबन्दी, जबरी छुट्टी और छोड़नी की विशिष्ट समस्याओ का निपटान बरने के लिए कम्पैट कमेटियो/विशेषज्ञ समितियो का गठन किया है। राष्ट्रीय शीर्ष निकाय ने दिसम्बर, 1976 मे हुई अपनी बैठक म एक द्विपक्षीय स्थायी समिति की स्थापना की ताकि वह देश के विभिन्न उद्योगो मे तालाबन्दियो और हड्डालो से उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझा सके।

### थम स्थिति

श्रीदोगिक सम्बन्धो की स्थिति मे उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन् 1976 के दोरान 114 8 लाख थम दिनो की हानि हुई—केन्द्रीय क्षेत्र मे 3 7 लाख थम-दिनो थी तथा राज्यो के क्षेत्र मे 111 1 लाख थम दिनो थी। सरकारी क्षेत्र मे नष्ट हुए थम दिनो की कुल संख्या 7 6 लाख थी, जबकि इसकी तुलना मे निजी-क्षेत्र मे 107 2 लाख थम-दिनो की हानि हुई। केन्द्रीय क्षेत्र मे श्रीदोगिक सम्बन्ध सामान्यत ज्ञानितपूण रहे। यह प्रवृत्ति सराहनीय है तथा यह कर्मचारो द्वारा बरते गए ज्ञानदार संथम भी सूचक है। परन्तु कुछ नियोजको ने इस प्रकार का संयम नहीं दिखाया और यह बात तालाबन्दियो के कारण नष्ट हुए थम दिनो मे हुई वृद्धि से स्पष्ट भलकती है। तालाबन्दियो के कारण समय हानि जो जनवरी, 1976 मे 54% थी, बढ़कर मई, 1976 मे 90% हो गई, जो कि चौका देने वाली स्थिति थी। जनवरी दिसम्बर, 1976 के दोरान तालाबन्दियो के कारण 79% थम दिनो की हानि हुई, जबकि इसकी तुलना मे सन् 1974 और 1975 के केलेप्टर वर्षो मे बैठक 17% तथा 24% थम दिनो थी हानि हुई थी।

मार्च, 1976 म श्रीदोगिक विवाद अधिनियम, 1976 मे संशोधन करके 300 या उससे अधिक थमिलो को नियोजित करने वाले कारबानो, खानो तथा बाणान के नियोजको के लिए यह प्रनिवार्य कर दिया गया है कि वे थमिको को जबरी छुट्टी पर भेजने या उत्की छेंटनी बरते या अपने एको को बन्द करने से पूर्व विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या सगत सरकार से पूर्व अनुमति या पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। इससे जबरी छुट्टी, कामबन्दी आदि की घटनाओ मे कभी होने मे मदद मिली।

हथापि, जहाँ तक तालावन्दियों का सम्बन्ध है, जो अधिकार वामवन्दियों की गाड़ में की जाती है, राज्य सरकारों को पह सजाह दी गई है जो अन्यानुन की जनते वाली तालावन्दियों की रोकथाम करने के लिए वर्षबाही करे।

### ओडिओगिक सम्बन्ध तन्त्र

केन्द्रीय क्षेत्र के ओडिओगिक विवादों को तय करने के लिए वर्षबाही, कलहना, घनबाद और जबलपुर में स्थापित किए गए 7 ओडिओगिक न्यायाधिकरणों एवं अमन्यायालयों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान के राज्य और दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के सभ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के ओडिओगिक विवादों को विद्याने के लिए नई दिल्ली में एक केन्द्रीय सरकार ओडिओगिक न्यायाधिकरण-एवं-अमन्यायालय स्थापित किया गया।

ओडिओगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित समझौता तन्त्र ने सम्बन्धित पक्षों में मेल-मिलाप कराने तथा सौहाइयूर्ण समझौतों वो प्रोत्साहन देने के लिए उपाय एवं साधन ढूँढ़ निकालने का अपना कार्य जारी रखा। केन्द्रीय ओडिओगिक सम्बन्ध तन्त्र द्वारा जिन मामलों / विवादों पर कार्यबाही की गई तथा जिन्हें विप्रटाया गया, उनकी सूच्या का व्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है—

	1974	1975	1976
(i) भेजे गए विवादों की संख्या	5,604	5,095	5,171
(ii) प्राप्त हुई विकल्प-फिल्टर की संख्या	902	1,087	1,008
(iii) भार (ii) में निरिष्ट मामलों में से—			
(a) न्यायनिर्णय के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	186	613	211
(21 प्र. व.) (57 प्र. व.) (21 प्र. व.)			
(b) सरकार के विवादाधीन मामलों की संख्या	697	460	517
(77 प्र. व.) (42 प्र. व.) (51 प्र. व.)			

1976 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के 1,008 मामलों में से, जिनमें समझौता नहीं हो सका था, 24 मामलों में वियोवको और अधिको ने अपने विवाद विवाचन द्वारा तय करना स्वीकार किया।

अनुनयी प्रयासों के परिणामस्वरूप असम, हिमाचल प्रदेश, उडीसा, नागालैंड, क्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में विवाचन प्रोत्साहन बोर्ड स्थापित किए गए हैं। असम, उडीसा तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने स्वैच्छिक विवाचन का प्रचार करने के लिए अन्य संसद्यान व्यवस्थाएँ की हैं, परन्तु नागालैंड और क्रिपुरा की सरकारों ने इस प्रकार के बोर्ड स्थापित करना आपश्यक नहीं समझा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपने राज्यों में बोर्ड स्थापित नहरे की व्यवस्था की है। केन्द्रीय कार्यविधान तथा मूल्यांकन प्रभाग ने विवाचको की एक नामिका तैयार की है, जिसमें 442 नाम शामिल हैं। स्वैच्छिक विवाचन को लोकप्रिय बनाने के लिए

राष्ट्रीय थम सम्बान न नवम्बर, 1976 मे एक वैश्वांग-प्रेमिनार का आयोजन किया, यह सम्बान पत्तन तथा गोदी उद्योग मे हैचिद्विर विवरण के बारे मे नियोजन और अभियो के रवंये का अध्ययन भी कर रहा है।

1976 के दौरान बैन्ड्रीय वार्यान्वयन तथा मूल्यांकन प्रभाग ने 5 उपक्रमो मे प्रबन्ध स्टाइलो तथा रीतियो, वामिक-नीतियो, थम कानूनो के वार्यान्वयन आदि के मामलो का-प्रध्ययन किया, 3 एक्सो मे इस प्रकार के अध्ययन करन के लिए भी वार्यवाही शुरू की गई।

### मजदूरी दरे, भत्ते तथा बोनस

थम मन्त्रालय मे स्थापित मजदूरी सेल मजदूरी निधारण, राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने तथा राष्ट्रीय मजदूरी विन्यास तैयार करने सम्बन्धी मामलो पर कार्यवाही चारता रहा।

पवारो तथा गैर-पवारो के मजदूरी बोडों की अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध मे सिपारिङ्ग प्राप्त हो गई है और य सिपारिङ्ग सरकार के विचारधीन हैं।

ब्लाटबाइट, ब्लाटंज और सिलिका खानो के रोजगारो को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची मे शामिल किया गया तथा प्रेफाइट खानो के रोजगारो को अनुसूची मे शामिल करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किए गए।

चोरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सफेद मिट्टी, ताँद, औमाइट, पत्थर, वायनाइट, स्टिव्टाइट (सोर स्टोन ना टैल्क सेपेत), गेहू, ऐस्वेस्टास, अभिय मिट्टी तथा अभक जैसी खानो के रोजगारो के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरो के प्रारम्भिक निधारण के लिए प्रस्ताव अनुमूलित किए गए।

केन्द्रीय सरकार न मई और सितम्बर, 1976 मे बेराइटिस खानो, जिप्सम खानो, मैग्नीत्र खानो, अभक खानो, बाक्साइट खानो तथा कृषि उद्योग मे रोजगारो के सम्बन्ध मे न्यूनतम मजदूरी-दरो मे सशोधन किया। सड़को के निर्माण तथा अनुरक्षण, भवन निर्माण कार्यो पत्थर तोड़न या पत्थर पीसने, भवनो के अनुरक्षण, रोडवज के निर्माण तथा अनुरक्षण स सम्बन्धित अनुमूलित रोजगारो के बारे मे न्यूनतम मजदूरी-दरो म सशोधन करने के लिए प्रस्ताव अधिसूचित किए गए। भारत रक्षा और आन्वरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन मैग्नेशाइट खानो और से रम (तमिनताहु) जिन दी तीन फर्मो के केलिमाशन और रिफ्लेक्टरी निर्माण सदनो मे रोजगार के सम्बन्ध म मूल मजदूरी दरे तथा भत्ते निर्धारित किए गए। 1976 म न्यूनतम मजदूरी-दरो क निधारण-सशोधन के सम्बन्ध मे एक सराहनीय बात यह रही है कि मैग्नीत्र और अभक खानो मे नियोजित सभी वर्गो के ऐस वर्मचारियो के लिए, जो भूमि के नीचे काम करत हैं, 20 प्रतिशत अधिक मजदूरी दरे निर्धारित की गई हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 थव तक बागानो, स्थानीय प्राधिकरणो, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो, बैंको, बीमा कम्पनियो और घन्य वित्तीय

संस्थाओं, शैक्षिक, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सत्याग्रो, सालो आदि गेरोज़पारो पर लागू किया गया है।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि यदि किसी प्रतिष्ठान के पाव जिनी लेखा वर्ष में बौद्धने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, परन्तु उसे लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार निवल साभ हुआ है, तो ऐसा प्रतिष्ठान 1976 के किमी भी किंवदन से गुह होने वाले वर्ष में उन लेखा वर्ष के लिए इन कर्मचारी 100 रुपये की समान दर में बोनस का मुग्नान करेगा, बोनस की यह राशि 15 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारियों के लिए 60 रुपये होगी। यदि लेखा वर्ष में निवल लाभ की राशि इस प्रकार के बोनस के पूर्ण मुग्नानों के लिए अत्यधिक हो, तो बोनस की बावत निवल लाभ से अधिक अद्वा की गई राशि को अबले वर्ष के नाम में दाला जाएगा। परन्तु कृष्ण विनियोजन शर्तों के कारण ये उपबन्ध कर्तिष्य प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे।

### समाज सुक्ष्मा

सन् 1976 के दीरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 18 वेन्ड्रो के 178 लाख और कर्मचारियों पर लागू किया गया। 168 लाख और परिवारों (बीमा शुद्ध व्यक्तियों) को भी डाकटी इलाज की मुद्रिताएँ प्रदान की गई। 31 दिसम्बर, 1976 को कुल मिलाकर 400 वेन्ड्रो के 52,86 लाख कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत लाए जा चुके थे। चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाले लाभानुभोगियों (बीमा शुद्ध व्यक्तियों सहित) को कुल सम्प्ति 221,53 लाख थी। यन् 1976-77 के दीरान कर्मचारी राज्य बीमा परियोजनाओं के लिए निर्माण/भूमि की लागत को बहन करने के लिए 10,46 करोड़ रुपये की राशि मन्त्रूर की गई। सात कर्मचारी राज्य बीमा परियोजनाएँ, जो निर्माणाधीन थीं, बनकर तैयार हो गई तथा चालू कर दी गई। यद्य तक नियम ने 10,886 पलगो वाले 59 प्रणाली कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों, 475 पलगों वाले 25 कर्मचारी राज्य बीमा उप-भवनों तथा 173 कर्मचारी राज्य बीमा शोपधालयों का निर्माण किया है और उन्हें चालू किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में 4,509 पलगो वाले 18 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, 172 पलगो वाले 14 कर्मचारी राज्य बीमा उप-भवन और 18 कर्मचारी राज्य बीमा शोपधालय निर्माणाधीन हैं। बीमा शुद्ध व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के लिए उपलब्ध पलगो की कुल सम्प्ति यद्य 15,545 है। कर्मचारी राज्य बीमा नियम ने परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन के रूप में नस्वन्दी/वध्यकरण के वास्ते बीमा शुद्ध व्यक्तियों वो वधित बीमारो लाभ वो स्वीकृति दी है। यह वर्षित साभ-राशि। अगस्त, 1976 से देव हो गई है। बीमा शुद्ध व्यक्तियों के लिए बीमारी प्रसुविधा की प्रवधि को भी एक वर्ष में 56 दिन से बढ़ाकर 91 दिन किया जा रहा है।

सितम्बर, 1976 के अन्त तक कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रक्रीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 को 150 प्रतिष्ठानों के बगों/उद्योगों पर लागू किया जा चुका

पा। उस सारीत तब अशदातामो की सरया 80,63 लाख हो गई थी जिनमें से 30,61 अशदाता छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में थे और 50,02 लाख अशदाता छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में। वेतन के 8% के बराबर अशदान की बढ़ी हुई दर 94 उद्योगों और 50 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के बगों पर साधु थी। वर्ष 1976-77 के लिए छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में सदस्यों के भविष्य निधि वे सचयनों में जमा किए जाने वाले व्याज की दर 7.5% प्रतिवर्ष थी। छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के सचयनों की बल राशि 4,429.13 करोड़ रुपये थी तथा लोटाई गई कुल राशि 1,795.64 करोड़ रुपये थी। सितम्बर, 1976 के अन्त में निवेश की गई कुल राशि 3,214.55 करोड़ रुपये थी। जनवरी से सितम्बर, 1976 की अवधि के दौरान 93% दावे निपटाए गए तथा उनका भुगतान 30 दिन के अन्दर-अन्दर कर दिया गया। इस योजना में लिए गए सशीधों में से कुछ महत्वपूर्ण सचयों घटने पे थे—रिहायशी महान या मवान के लिए भूमि खरीदने के लिए पेशगियों का सरकार या सहकारी समितियों स्थानीय निकायों आदि को सीधा भुगतान, कुछ मामनों में पेशगी के लिए सदस्यता की अर्हता अधिक अवधि में कमी, पेशगी भी राशि में बढ़ि निधि की सदस्यता की पाप्रता के लिए अधिकारी वेतन सीमा को 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ावर 1,600 रुपये प्रति माह परना तथा 1 अगस्त, 1976 से कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंबड) बीमा योजना भारत में कराई गई राशि भार्च, 1976 के अन्त में 20.64 करोड़ रुपये थी, जो घटकर मितम्बर, 1976 के अन्त में 18.58 करोड़ रुपये रह गई। इसी अवधि के दौरान परिवार पेशन अशदानों की बढ़ाया राशि भी 54.81 लाख रुपये से घटकर 52.89 लाख रुपये रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न अतिरिक्त परिलक्षियों (अनिवार्य निषेप) अधिनियम के अधीन सम्बन्धित कर्मचारियों को दा विस्तों में मजदूरी की 18.23 करोड़ रुपये की राशि तथा महेंगाई भत्ते की पहची विस्त की 90.87 करोड़ रुपये की राशि बापस दी।

सन् 1976 के दौरान बोयला सान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत, 32 नई नौयला सानों/प्रनुपमी संगठन लाए गए। इस प्रकार वर्ष के अन्त में उत्तम योजना के अन्तर्गत साई गई सानों/प्रनुपमी संगठनों की कुल संख्या 1,061 हो गई। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला सानों के पूर्णरूपन के बारें इस योजना के अन्तर्गत ग्राने वाले सनिहों की कुल संख्या में कमी हो गई। आनोखे वर्ष के दौरान 59,417 व्यक्ति निधि के नए सदस्य बनाए गए और 31 दिसम्बर, 1976 को पंजीकृत सदस्यों की संख्या 15,98,380 थी। निधि में वस्तुत अशदान देने वालों की संख्या 6,62,857 थी। योजना के अन्तर्गत अनिवार्य अशदान की दर कुल परिलक्षियों का 8% बनी रही, तथापि, सदस्यों को अपने अनिवार्य अशदान के अतिरिक्त अपनी कुल परिलक्षियों के 8% से अतिरिक्त दर से संचिक्षित रूप से अशदान देने की छूट है।

बर्ष 1976-77 के अन्त में 2,688 सदस्य निधि में स्वैच्छिक अशदान दे रहे थे। इस योजना में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दे थे—उपभोक्ता सहकारी नमितियों के शेयर खरीदने के लिए न लौटाई जाने वाली पेशगी की राशि में बढ़ि, सहकारी साल समितियों वे शेयर खरीदने के लिए व्यवस्था तथा वित्पण परिस्थितियों में भविष्य निधि म से धन लगाकर चलाई जाने वाली जीवन बीमा प्रालिसियों का पुनराम्यांगण। 1 अगस्त, 1976 से कोयला खान भविष्य निधि जमा सम्बद्ध (लिंक) बीमा योजना भी शुरू की गई।

कर्मनारी कुटुम्ब पेशन योजना, सन् 1971 तथा कोयला खान कुटुम्ब पेशन योजना, 1971 के अन्तर्गत थमिकों को सुविधाएँ मिलती रही। 30 सितम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार इन दो योजनाओं के अन्तर्गत लाए गए थमिकों की सख्त कमश 32·24 लाख तथा 531 लाख थी।

### कल्याण तथा रहन-रहन की दशाएँ

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वापित की गई कल्याण निधियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला, अधर, लोहा, अयस्क, नूना-गत्थर तथा छोलोमार्ट लानों में नियोजित थमिकों को चिकित्सा, मनोरजन, शिक्षा, जल प्रदाय तथा आवास की सुविधाएँ प्रदान की।

तीन केन्द्रीय अस्पताल और 12 देशीय अस्पताल प्रभावी रूप से कार्य करते रहे और कोयला खनिकों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। चान्दा कोयला-क्षेत्र में जित केन्द्रीय केन्द्र अस्पताल को पहले बल्लाटपुर में स्वापित करने की योजना थी, अब उसे चान्दा में हिन्दुस्तान लालपथ कोलियरी में एक दैर्घ्यिक स्थान पर निर्मित करने का विचार है। मुम्पा (भरिया कोयला क्षेत्र) में एक स्थिर एलोर्पिक औपचालय, शिलांग में चलता-फिरता चिकित्सा एकक, पावर-टीह में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी तथा रिहित कोयला क्षेत्रों में 29 आयुर्वेदिक औपचालयों ने काम किया। निधि के अस्पतालों और किलनिकों में परिवार नियोजन के बारे में निश्चिक गलाह दी गई तथा गर्भ निरोधी वस्तुएँ मुफ्त दी गईं। 1976-77 वर्ष के दौरान अनेक कोयला खानों में 24,79,726 रुपये की अनुमानित लागत बाली स्वीकृत जल-प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रबन्धों को 6,19,931 रुपये की राशि वी आविर्द्ध सहायता मजूर की गई था उसका मुगलान किया गया। अनेक अन्य कोयला खानों के लिए भी जल प्रदाय योजनाएँ विचाराधीन थी। भरिया कोयला क्षेत्र में दापोदर पुनर्गठन योजना वा काम चलता रहा, जब कि रानीगंज समेकित जन प्रदाय योजना का फैज़-I चालू कर दिया गया। कोयला क्षेत्रों में त्रुप्रदाने की योजना के अन्तर्गत 37 कुएँ खोदने वा काम चल रहा था।

योजना खान कल्याण सम्या ने केन्द्रीय साउन्डा बोलियरी (16 सितम्बर, 1976) तथा मुदामहीह कोलियरी (4 अक्टूबर, 1976) में ही भीपरा दुर्घटनाओं में मारे गए प्रत्येक थमिक के प्राप्तियों को 250 रुपये के मुगलान की तुरन्त व्यवस्था दी। इस सम्बन्ध न देय राशियों आदि वे मुगलान और सन्ताप परिवारों के पुनर्वास

वे निए अपनित कायवाही करने के अतिरिक्त दुष्टना से प्रभावित परिवारों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी दी गई।

कोशला स्थनिकों के लिए मकान तथा बैरकें बनाने की प्रगति जारी रही और कम लागत आवास योजना के अन्तर्गत, 20,516 मकान तथा बैरकें बनकर तैयार हो गई। इसके अतिरिक्त नई आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 49,000 मकान बनकर तैयार हो गए।

अध्रक खान थमिक कल्याण निधि के नियन्त्रणाधीन 3 बेन्द्रीय अस्पताल, 2 शेशीय अस्पताल, एक शेशीय तपेदिक अस्पताल तथा 2 तपेदिक अस्पताल/वाड अध्रक स्थनिकों को सुविधाएँ प्रदान करते रहे। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर राज्य शोधालयों में अन्तरग बांड भी मौजूद थे। 19 शादुवंदिक शोधालय, 7 ऐलोर्वंदिक शोधालय, 6 चलते फिरते चिकित्सा एकाक, 3 स्थिर एवं चलते फिरते शोधालय और 12 मातृ और शिशु कल्याण केन्द्र काम कर रहे थे। 1976 के दौरान यातक दुष्टना प्रमुखिया योजना के अन्तर्गत आनन्द प्रदेश में अध्रक खान थमिकों की विधवाओं और बच्चों को आर्थिक सहायता दी गई। बालीनेडू ग्राम (आनन्द प्रदेश) में स्थायी जल प्रदाय योजना का उद्घाटन 16 अप्रैल, 1976 को किया गया और अध्रक स्थनिकों तथा अन्य व्यक्तियों को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है तथा इस प्रकार उक्त क्षेत्र में जल प्रदाय की तात्कालिक समस्या तक अब तम हो गई है। इस क्षेत्र में अब तक 26 कुएँ खोदे जा चुके हैं। दुरिमेला ग्राम (आनन्द प्रदेश) में जल प्रदाय की एक और योजना भी शुरू की गई है। यहाँ तक आवास का सम्बन्ध है, कम लागत आवास योजना के अन्तर्गत विहार क्षेत्र में 540 मकानों की मजूरी दी गई है तथा अपनी मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत 36 मकानों के लिए आर्थिक सहायता मजूर की गई है।

लोहा अयस्क खान थमिक कल्याण निधि के नियन्त्रण में लोहा अयस्क खान थमिकों को चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होती रही। कर्णगानुरु (कर्नाटक) स्थित 25 पलगों वाले केन्द्रीय अस्पताल का विस्तार करके उसमें 50 पलगों की व्यवस्था करने का विचार है और इसी प्रकार पिलियम (गोवा) स्थित 30 पलगों वाले केन्द्रीय अस्पताल में पलगों की संख्या बढ़ाकर 100 करने का विचार है। सांडुर (कर्नाटक) में एक केन्द्रीय अस्पताल की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव मजूर कर लिया गया है तथा पचास पचास पलगों वाले दो केन्द्रीय अस्पतालों एक जोड़ा (उडीसा) में पौर एक बाराजाम्दा (विहार) में के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है तथा वे वर्ष 1977 के दौरान चालू हो गए। यहाँ तक पीने के पानी के प्रदाय की सुविधाओं का सम्बन्ध है, विभिन्न क्षेत्रों में 59 कुएँ खोदे जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में काम चल रहा है तथा आशा है कि वे निर्धारित समय के भीतर पूर्ण हो जाएंगी। 31 दिसम्बर, 1976 तक कुल 9,572 महानों की स्वीकृति दी गई है इनमें से 7,178 बनाए जा चुके हैं तथा 639 निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि संस्था राजस्थान में दो, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक-एक आयुर्वेदिक औषधालय और गुजरात में एक एलोर्पेंथिक औषधालय, चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खनिकों और उनके आधिकारिकों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करती है। कुछ स्थानों पर स्थिर एवं चलते-फिरते औषधालय और चलते-फिरते चिकित्सा एक भी चालू कर दिए गए हैं। मैसंस बिस्त्रा लाइमस्टोन के उड़ीसा को औषधालय के भवन का विस्तार करने तथा एक एकमरे प्लॉट लगाने के लिए 55,000 रुपये का राहायक अनुदान दिया गया है। तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिए व्यवस्थित सुविधाओं में तपेदिक श्रहताल और आरोग्यशालाएँ शामिल हैं। शातक तथा गम्भीर दुर्घटना प्रसुविधा योजना के अन्तर्गत 12 मामलों में सुविधाएँ दी गई हैं। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की एक योजना मजूर की गई है। 600 से अधिक प्रत्याशियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं। कुछ क्षेत्रों में चलते-फिरते सिनेमा एस्को ने भी वाम जुरू कर दिया है। इस समाजन ने पोरबन्दर/द्वारका में एक प्रवकाश चूह की नज़ूरी भी दी है। भुवनेश्वर क्षेत्र में तीन जल प्रदाय योजनाएँ मजूर की गई हैं। कम लागत आवास योजना के अन्तर्गत मजूर कि: गए 1,290 मकानों में से 230 मकान पहले ही बन रहे दैयार हो गए हैं।

बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1976 तथा उसके अधीन बना गए नियम 15 फरवरी, 1977 से लागू हुए हैं। आशा है कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बनाए गए नियम शीघ्र ही लागू कर दिए जाएंगे।

### सुरक्षा तथा काम-काज की दशाएँ

1976 के दौरान कोयला खानों तथा गैर कोयला खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 385 थी। इसकी तुलना में 1975 में यह सहस्र 733 थी। 1976 में जिल तोगो को गम्भीर चोटें आई, उनकी संख्या 2,479 थी, जबकि इसकी तुलना में 1975 में 2,880 व्यक्तियों को गम्भीर चोट आई थी। 1976 के दौरान आनंद प्रदेश और विहार की खानों में छत के गिरने या पानी के आने पा विस्फोट के कारण 5 बड़ी दुर्घटनाएँ हुईं। अन्तिम प्रौढ़ों के अनुसार 1976 के दौरान सभी खानों ने नियोजित प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे मृत्यु दर 0.51 थी, जबकि 1975 में यह दर 0.96 थी। गम्भीर चोटों की दर 1975 में 3.80 थी, परन्तु 1976 में यह दर केवल 3.27 थी। 1976-77 वर्ष के दौरान, तीन कोयला खानों में दुर्घटनाओं के घटने के समय व्याप्त परिस्थितियों को जांच करने के लिए जीव न्यायालय स्थापित किए गए, उनमें एक न्यायालय न यापनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय, जो खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रबलन के लिए उत्तरदायी है, नियमित रूप से निरीक्षण करता रहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं का पूर्णतः पालन

किया जाता है। यह महानिदेशालय घातक, गम्भीर तथा छुट्टूट, सभी प्रकार की दुष्प्रभावों के बारणों तथा उन्हें निए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने और इन प्रकार की दुष्प्रभावों की पुनराग्रहिति को रोकने के निए आवश्यक उपचारी उपाय सुझाने का दाहरा प्रयोगन मिल होता है। सान मुरक्का महानिदेशालय में स्थापित निए गए विशेष सत्र न घट्टधन शुल्क कर किया है ताकि वह उन दोषपूर्ण तरीकों तथा रीतियों का पता लगा गई जिनसे बारण दुष्प्रभावाएँ होती हैं और उपचारी उपायों के बारे में सुझाव दे सके।

अमिरों यो व्यक्तिगत बचाव उपहार देने पे निए 1975 के दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया। नवम्बर 1976 के अन्त तक बोयला सानों के 3,59,980 अमिरों और गैर-बोयला सानों के 1,37,889 अमिरों को टोप (हेमिट) निए जा चुके थे। इसके अनिवार्य बोयला मानों के 3,56,081 अमिरों को जूत दिए गए। दिसम्बर, 1976 के अन्त तक, बोयला सानों में 76 गैर बोयला सानों में 104 व्याप्रमादिष्य प्रगिक्षण बेन्ड विद्यमान थे। सान मुरक्का महानिदेशालय ने राष्ट्रीय सान मुरक्का परिषद्, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् भारत और अन्य अभिकरणों के सहयोग से सान मुरक्का के बारे में अनेक प्रगिक्षण पाठ्यनम घायोक्रित किए।

मुख्य बारमाना निरीक्षणों का 25वाँ सम्मेलन चार्टीगढ़ में नवम्बर-दिसम्बर 1976 में हुआ। इस सम्मेलन के कार्यक्रम के रूप में बारमाना निरीक्षणालय, प्रजाव और ग्रोटोलिंग मुरक्का परिषद् पन्नाव के माध्य मित्रता इकीकानियां उद्योग में मुरक्का तथा स्वास्थ्य के बारे में एक विचार-गोष्ठी का घायोजन किया गया।

72 कारखानों, नीन नीबरउ फ्लो, दो पत्तन प्राधिकरणों और एक टट नियोजक को दर्श 1975 के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मुरक्का पुरस्कार देने का विचार है। नव पुरस्कार 1,70,000 रुपये के होने तथा इनके अनिवार्य प्रत्यक्ष विजेता को चौदों का कप पा द्वारी दी जाएगी। वर्ष 1975 के सम्बन्ध में विभिन्न उपचारों के 41 वर्मचारियों को 1,19,000 रुपये के अम बीर पुरस्कार दिए जाएंगे।

कारखानों में मुरक्का को बदाना देने निए मार्च 1966 में स्थापित की गई राष्ट्रीय मुरक्का परिषद् ने 1976 के दौरान 49 सदस्य कारखानों के परिमारों में फिल्म फो दिखाए और 12 मुरक्का तथा 12 बिरो पास्टर जारी किए। उक्त परिषद् ने 20 प्रशिक्षण शार्यत्रमों का भी घायोजन किया जिसमें इन प्लॉट प्रगिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल थे। इस परिषद् ने 57 सदस्य कारखानों को उनकी मुरक्का सम्बन्धी समरदायों के समाधान के लिए परामर्श सेवाएँ भी प्रदान की।

पत्तनों तथा गोदियों में हूई दुष्प्रभावों के अकड़ों के अनुमार 1976 में हूई, घातक दुष्प्रभावों की संख्या 18 थी, जबकि 1975 में ऐसी 30 दुष्प्रभावाएँ हूई थी, 1976 में गैर-घातक दुष्प्रभावों की संख्या 2,026 थी, जबकि 1975 में 1,794 गैर-घातक दुष्प्रभावाएँ हूई थी। गोदी मुरक्का निरीक्षणालय ने विभिन्न पत्तनों में मुरक्का के सम्बन्ध में 166 प्रशिक्षण शार्यक्रम घायोजित किए जिनमें 126 शार्यक्रम होकर

ने श्रीदोगिक श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं बल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने काय जानी रखे। इस इस्टिट्यूट ने विभिन्न राज्यों के नए कारबाना निरीक्षणों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सचालित किया, जिसमें 12 राज्यों के 24 निरीक्षकों ने भाग लिया। उत्पादित बैन्ड्र, बमचारी प्रशिक्षण केन्द्र प्रीर राष्ट्रीय शम विज्ञान बैन्ड्र, बड़दई के श्रीदोगिक मनोविज्ञान, श्रीदोगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, श्रीदोगिक श्रीपथि तथा श्रीदोगिक कार्यकी अनुभाग उद्योगों की समस्याओं को हल परने हेतु उनकी सहायता करने के लिए अपने-अपने काय श्रमिकी रूप से करते रहे।

जुलाई, 1974 मे स्थापित लिए गए राष्ट्रीय शम सम्बान्ध ने बक रोडिजाइन और बक कमिटमेन्ट ट्रेड यूनियन नेताओं तथा सरकारी सराधन प्रधिकारियों के लिए दिवास कायथ्रम, शॉर्ट फ्लोर/एकक स्टॉर पर कर्मचारियों श्रीर प्रबन्धको की सहभागिता के गतिविज्ञान प्रभावी कर्मचारी भवणा, बिंग लाइक की बवालिटी आदि के बारे मे अनेक शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कायथ्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों मे भाग लेने वालों की संख्या 668 थी। इस सम्बान्ध ने सहभागी डिजाइन के तकनीकों के बारे मे 8 बैंशोंपें तथा 10 विचार गोट्टियो/विचार विमर्श बैठके आयोजित की। इसने ग्रामीण जिको के सगटन बरतानों को ग्रामीण श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों और विनियमों से अवगत कराने तथा नेट्रृत्व की योग्यता का विकास करने के लिए विभिन्न राज्यों मे 9 ग्रामीण श्रमिक जिविरो वा आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक विवेचन के बारे मे एक दो दिवसीय विचार गोट्टी आयोजित की गई, जिसमें केन्द्रीय सरकार के सराधन तत्व के प्रधिकारियों, ट्रेडयूनियन नेताओं तथा महस्त्रपुण उद्योगों के श्रीदोगिक प्रबन्धको ने भाग लिया। बन्धित शम पद्धति के उन्मूलन सम्बन्धी कानून के कार्यान्वयन के लिए एक 4 दिवसीय बकशॉप का आयोजन भी किया गया। यह सम्बान्ध शम तथा सम्बद्ध मामलों से सम्बन्ध रखने वाली अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है, इसके व्यावसायिक कर्मचारियों ने अनेक सगठनों मे दैनिक अध्ययनों की रिफिजाइनिंग और उनके निष्पादन, समस्याओं को सुलझाने वाले कार्यों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बाम हाथ मे लिया है।

### जीवन-स्तर की अवधारणा (Concept of Standard of Living)

**जीवन-स्तर का अर्थ**

**(Meaning of the Standard of Living)**

जीवन-स्तर का क्या अर्थ है? इसकी परिभाषा देना बहा बठिन है। जीवन-स्तर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक वर्ग से दूसरे वर्ग और एक देश से दूसरे देश मे विद्यु-विद्यु पाया जाता है। किमी वर्जिल के जीवन-स्तर को, मापने वाले कोई निश्चित पैमाना नहीं है। जब हम यह कहे कि 'अ' देश मे 'व' देश से जीवन स्तर ऊंचा है तो इसका अर्थ यह है कि समस्त समाज का स्तर है जिसका निर्धारण उस देश के प्राकृतिक घन, जनसंख्या व उसकी कार्यकुशलता और श्रीदोगिक सगठन की मवस्था द्वारा होता है। जीवन-स्तर को परिभाषित करने हेतु हमे अनिवार्य सुविधाएं

एवं विवाहिताओं की बस्तुओं के उपयोग को ध्यान में रखना पड़ता है। इस नमांव अथवा देश में इनका उपयोग अधिक किया जाता है वही जीवन-भौति उद्धव होता है। इन किसी भी नमांव अथवा व्यक्ति के जीवन-भौति के विचार को जानने के लिए उप अधिक वा सबसे ने स्थान, नामांविक वानावरण, जबवालू प्रादि की ध्यान में रखना पड़ेगा।

जीवन-भौति का प्रकार का ही सवाल है—जैवा और नीचा। जैवा जीवन-भौति वह है जिसमें मनुष्य आपनी अधिक में अधिक आवश्यकताओं (अनिवार्य सुविधाओं) और विवाहिताएँ (प्रादि) की मनुष्टि करता है—अर्थात् अच्छा भावन, अच्छा मरान, प्रचल वस्त्र, वस्त्रों के लिए प्रशंसी गिरा ही उपयोग, विविच्छा की व्यवस्था प्रादि। इसके विवरण नीचा जीवन-भौति वह जीवन-भौति है जिसका अन्तर्गत मनुष्य आपनी मीमित आप ने बहुत ही उम सावन्यकताओं ही उत्तिर नर साना है।

जीवन-भौति एक तुलनात्मक गद्द है। उब भी हम जीवन-भौति का अध्ययन करते हैं तो एक मनुष्य में हूपरे मनुष्य, एक ममांव ने दूपरा ममांव और एक देश में हूपर देश के जीवन-भौति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। भारतीय ग्रीष्मांशिक श्रमिक का जीवन-भौति हृषि श्रमिक से जैवा है अथवा नहीं, यह भी तुलनात्मक रूप में ही जीवन-भौति का अध्ययन होगा।

### ज वन-स्टर्ट के निर्धारित त व

#### (Determinants of Standard of Living)

किसी देश के समन्वयकियों का जीवन-भौति नमान नहीं होता। एक ही देश में विभिन्न वर्तनियों, गर्भों, ममांवों वा वा स्थानों का जीवन-भौति निप्र-निप्र वापा जाता है। जीवन-भौति में नमगन्तुमार परिवर्तन होता रहता है। तेजी में ऊँची मोटिक आप होते पर भी जांगों का जीवन-भौति निप्प होता है वरोकि वर्तनियों वस्तुओं भी आपनी में सुरान नहीं हो पाती हैं। वर्तनान ममय में भाग्य उम्मी दीर में गुजर रहा है। इन जीवन-भौति को प्रभावित करने अथवा निर्धारण करने वाले तत्त्व प्रत्येक हैं जिन्हें मोटे तोर पर वानावरण व अक्षिकार तत्त्वों के लिए में विनाशित कर मज्जते हैं। वानावरण के अन्तर्गत नमर, आप और वर्ग वो शामिल किया जाता है।

1. भौगोलिक परिस्थितियाँ (Geographical Conditions) — जहाँ गर्भों अधिक पड़ती है वही के विवाहितों का जीवन-भौति उप दूसरे देश के विवाहितों के जीवन-भौति में उहाँ गर्भों पड़ती है और मूली वस्त्र घाराणा किए जाते हैं, अत्यन्त होता है। भाग्य के गमा-मिन्नु के मैदान में रहते वारे लोगों का जीवन-भौति देश के अन्य विवाहितों में ऊँचा पाया जाता है।

2. समय तत्त्व (Time Factor) — प्राचीन नमर में यावद्यक्तनामी मीमित थीं नेत्रिन दर्शनान नमय में विजात के द्वितीय में वाही उल्लिख होने में समीक्षा पूर्व जीवनोंगोंगी वस्तुओं का निर्माण काफी होते लगा है। रेटियो, वित्री का चून्हा, मैमां आरि वा उपयोग निरलाल वह नहा है। भारत भी विवित पवर्त्तीय दोक्काओं का भी यही नश्य रहा है कि अधिकांश उपयोग वी वस्तुओं का उत्तादन हो रियने वा पहरी के गोंगों का जीवन-भौति उल्लिख हो सके।

**3. सामाजिक रीति-रिवाज (Social Customs)**—मनुष्य जिस समाज में जन्म लेता है और रहता है, उस समाज की रीति-रिवाजों का उस पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, भारत में अधिकौश जीवन की बाइई मृत्यु-भोज, दहेज, विवाह, दावत और क्षणिक शान-शीर्षत पर व्यय कर दी जाती है और विषेष आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम सीमा तक हो पाती है। अत जीवन स्तर अधिकौशत निम्न पाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊँचा होता है।

**4. शिक्षा वा विकास (Development of Education)**—शिक्षा का प्रसार होने से अर्थ व्यय को समत्पत्ति कर दिया जाना है तथा सीमित आय वो विवेदपूर्ण दृग स व्यय करके अधिकृतम सन्तोष प्राप्त किया जाता है जिससे जीवन-स्तर ऊँचा उठता है।

**5. धार्मिक प्रभाव**—भारतीय नागरिक साक्षा जीवन उच्च विचार के आधार पर जीवन व्यनीत करता है लेकिन धार्मिक प्रभाव से कई अवसरों पर अपनी आय से अधिक व्यय कर देना है जैसे गोज, नुकता प्रथा आदि पर।

**6. आय तत्व (Income Factor)**—जीवन-स्तर के निर्धारण में आय तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि शक्ति द्वारा उपभोग वी मात्रा तथा किसी प्रभावित होनी है। यदि इसी व्यक्ति की आय का स्तर ऊँचा है तो अन्य वातें समान रहने पर उसका जीवन-स्तर ऊँचा होगा। इसके विपरीत उनका जीवन-स्तर नीचा होगा।

**7. व्यय करने का तरीका (Method of Spending)**—अविवेदपूर्ण दृग से व्यय करते पर उच्च आय वाले व्यक्ति वो भी अधिक सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता जबकि दूसरी ओर उससे कम आय वाला व्यक्ति भी विवेदपूर्ण व्यय करके अपने सन्तोष वो अधिकृतम कर सकता है और इससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा होता जा सकता है।

**8. परिवहन के साधन (Means of Transport)**—जीवन स्तर को परिवहन के साधन भी प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास होता है, लागे वा सम्पर्क शहरी क्षेत्रों से होता है। उनकी उपभोग प्रदृढ़ित बढ़ती है जिससे जीवन स्तर ऊँचा उठता है।

**9. जीवन का हृष्टिकोण (Outlook of Life)**—यदि एक देश अवश्य समाज के जीवन का हृष्टिकोण भौतिकबादी है तो वहाँ विभिन्न वस्तुओं का उपभोग किया जाएगा और उनका जीवन स्तर उन्नत होगा। उदाहरणार्थ पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों का हृष्टिकोण 'खाए, पीए और मोज उडाए' (Eat, drink and be merry) होने के कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा है तो भारत जैसे विकासशील देश में साक्षा जीवन व्यतीत करना जीवन स्तर को ऊँचा नहीं उठाता क्योंकि सीमित आवश्यकता वी पूर्ति की जाती है।

**10. स्वास्थ्य का प्रभाव**—अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अच्छा खा सकता है और अच्छा पहन सकता है, लेकिन एक अस्वस्थ्य व्यक्ति अच्छा नहीं खा सकता और

न ही अच्छा पहन सकता है। अत अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उच्च जीवन-स्तर वाला तथा ग्रस्तस्थ व्यक्ति निम्न जीवन-स्तर वाला होता है।

**11. परिवार का आकार (Size of the Family) —** एक बड़ा परिवार जिसमें परिवार के सदस्यों की सख्ता अधिक होनी है अधिक उपभोग नहीं कर पाएगा और उसका जीवन-स्तर नीचा होगा। दूसरी ओर छोटे परिवार के सदस्यों का उपभोग-स्तर अधिक ऊँचा होने से जीवन स्तर भी ऊँचा होता है।

**12. कीमतें और निर्बाह लागत (Prices and Cost of Living) —** जीवन-रनर पर कीमतों व निर्बाह लागत का भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि होने से निर्बाह लागत में वृद्धि होती है और वास्तविक मजदूरी में गिरावट आती है जिससे उपभोग कम होता है और फलस्वरूप जीवन-स्तर निम्न होता है। इसके विपरीत वीमतों में गिरावट आने से निर्बाह लागत भी घटती है। वास्तविक मजदूरी बढ़ने से अधिक उपभोग सम्भव होता है और जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

अत, किसी भी देश के निवासियों अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-स्तर की समस्या का अध्ययन करने के लिए हमें इन विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए।

### जीवन-स्तर की माप

#### (Measurement of Standard of Living)

दिसी भी देशवासियों, समाज, परिवार, वर्ग या व्यक्तियों का जीवन-स्तर उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व गुण पर निर्भर करता है। प्रतः समाज के किसी वर्ग का जीवन-स्तर का माप करने के लिए आप और व्यष्टि भी भवी को जानना आवश्यक है। इसके लिए परिवारिक बजट (Family Budget) तैयार करने पड़ते हैं। सभी व्यक्तियों के बजट तैयार करना सम्भव नहीं है। पूर्ण सर्वेक्षण (Census Survey) तथा प्रतिनिधि सर्वेक्षण (Sample Survey) के आधार पर परिवार बजट तैयार किए जाते हैं। प्रतिनिधि सर्वेक्षण परिवार बजट के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसके अन्तर्गत बुद्धि प्रतिनिधि परिवारों वा चुनाव किया जाता है जिसमें सभी विजेताओं वाले परिवार जाने जाहिए। प्रतिनिधि परिवारों का नियन सावधानी से करना चाहिए जिससे कि सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इन बजटों के विशेषण के आधार पर यह तिक्कार्य निकाला जा सकता है कि अमुक परिवार या वर्ग वाले परिवार द्वारा अनिवार्य आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओं की मात्रा तथा गुण का दिस अनुपात में उपभोग किया गया है। इसी आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किये वर्ग या समाज का जीवन-स्तर दूसरे वर्ग या समाज से ऊँचा है अथवा नीचा।

हमारे देश में श्रमजीवियों के जीवन-स्तर का अनुमान लगाने के लिए इस रीति को अपनाया जा सकता है। किसी भी समाज या देश के निवासियों का जीवन-स्तर समान नहीं रहता। अलग-अलग आप वाले सोगों का जीवन-स्तर अलग-अलग होता है। बुद्धि व्यक्ति अद्वितीय रूप से अन्य कम खर्च करते हैं। कुछ

श्रनिवार्य आपरेश्वरतांगो पर अधिक व्यय बरते हैं तो दूसरे आरामदायक और अन्य आवश्यकताओं पर अधिक व्यय बरते हैं। इन भिन्नताओं के कागण विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सन् 1921-22 में बम्बई में औद्योगिक श्रमिकों वे परिवार बजट के सम्बन्ध में जीव की गई थी, लेकिन विद्युत जीव भारत सरकार द्वारा निर्वाह लागत सूचकांक तैयार करने हेतु सन् 1943-45 में परिवार बजट जीवा (Family Budget Enquiries) द्वारा बी गई। इसमें 28 केन्द्रों के 27,000 परिवार बजटों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया गया था।

इसी प्रकार की जीव सन् 1947 में आसाम, बगाल पौर दिनियी भारत के कुछ चुने हुए वागानों के सम्बन्ध में भी गई। सन् 1945 में भारत सरकार के आधिक सनाहार द्वारा नेत्रीय सरकार के मध्यम थेली के कर्मचारियों के निर्वाह लागत सूचकांक तैयार करने हेतु परिवार बजट जीव का कार्य किया गया। भारतीय सांस्थिकी संस्थान, बम्बई (Indian Statistical Institute) द्वारा भी बम्बई के मध्यम वर्ग परिवारों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं खुराक सर्वेक्षण किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन के लिए राजप सरकारों एवं अम संस्थान, जिमला, (Labour Bureau, Simla) द्वारा महत्वपूर्ण औद्योगिक वेन्डों एवं परिवारों की परिवार बजट जीव की गई। इस प्रकार भी जीव सन् 1946 व 1950 में अम संस्थान द्वारा वागानों के सम्बन्ध में भी गई। सन् 1950 में डॉ. अग्निहोत्री (Dr Agnihotri) द्वारा कानपुर में 900 श्रमिकों के परिवारों के सम्बन्ध में जीव की गई। सन् 1958 में अम संस्थान द्वारा 50 चुने हुए वेन्डों पर कारखाना, खानों व वागानों में लगे श्रमिकों के सम्बन्ध में परिवार जीवन सर्वेक्षण (Family Living Surveys) किए गए। यह श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने हेतु किया गया।

जान ही के वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में परिवार बजट जीव कार्यक्रम शुरू किया गया। जहाँ तक कृषि श्रमिकों का सम्बन्ध है सन् 1950-51 व 1956-57 में कृषि श्रमिक जीव (Agricultural Labour Enquiries) भी गई थी जिसमें कृषि श्रमिकों की आधिक स्थिति का वर्णन करता है।

सर्वेक्षण एवं जीवों से हमें औद्योगिक अनियों के जीवन स्तर के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े प्राप्त होते हैं। कार्य की दशाएँ, मन्दूरी आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्नता होने के बारण भारतीय श्रमिकों के सामान्य स्तर और निर्वाह लागत स्तर को जातना सम्भव नहीं है। परिवार बजट तैयार करना भी एक सावारण कार्य नहीं है। परिवारिक बजट तैयार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि परिवार के सदस्यों की सह्या वित्ती है? वित्तने सदस्य निर्भर हैं क्मान वाले पर आदि।

परिवार के व्यवहार की विभिन्न भाँड़ों जैसे—खाद्यान, वस्त्र, आवास, ईंवन एवं विजली, अन्य मर्दें आदि के सम्बन्ध में आँकड़े एवं वित्त करने पड़ते हैं। ग्रलग-ग्रलग श्रमिक दर्गों की आय में भिन्नता होने के कारण आय का व्यय किए जाने वाला भाग भी भिन्न भिन्न होता है।

## भारतीय श्रमिकों का जीवन-स्तर (Standard of Living of Indian Workers)

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को जानने के लिए हमें निम्न वातों को ध्यान में रखकर निष्ठापन किया जाना होगा कि जीवन-स्तर नीचा है अथवा ऊँचा है—

**१. आय (Income)**—प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन-स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। सन् 1961 में 400 रु. नासिक से कम आय वाले श्रमिकों की ग्रीसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1540 रु. थी जो कि सन् 1969 में बढ़कर 2564 रु. हो गई। यह दृष्टि विश्व के विकसित देशों की तुलना में कम है। वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अतः उनका जीवन रत्तर निम्न है। इसी अनुधि में (1961-69) औद्योगिक आय का सूचकांक (1961 = 100) 100 से बढ़कर 166 हो गया लेकिन वास्तविक आय सूचकांक 95 से घटकर 94 रह गया।

श्रम संस्थान (Labour Bureau) द्वारा अधिकल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दीयार किया गया। योजनाकाल से मूल्य विरन्तर बढ़े हैं। कीमत सूचकांक सन् 1961 में 126 से बढ़कर सन् 1970 में 224 हो गया (1949 = 100)। अतः मूल्य वृद्धि से श्रमिकों का जीवन-स्तर गिरा है।

**२. राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of National Income)**—भारतीय श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 1500 रु. से भी कम है। इतनी कम आय में श्रमिक अपनी प्रतिवाय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। अतः जीवन-स्तर निम्न याय जाता है।

**३. आयु (Age)**—ऊँचे जीवन-स्तर से दीर्घ आयु होती है तथा निम्न जीवन स्तर से अल्प आयु होती है। परिचमी राष्ट्रो—इमलैण्ड में पुरुष व स्त्री की कमश आयु 66 व 71 वर्ष जबकि भारत में यह क्रमशः 40 व 38 वर्ष होती है।

**४. कार्यकुशलता (Efficiency)**—ऊँचा जीवन-स्तर होने से श्रमिक की कार्यकुशलता भी अधिक होती है जबकि निम्न जीवन-स्तर वाला श्रमिक कम कार्यकुशल होता है। प्रो. रॉबर्ट के अनुसार प्रयोज अभिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा 4 गुना अधिक कार्यकुशल है।

**५. आधारभूत वस्तुओं की प्राप्ति (Availability of Necessary Goods)**—गुणात्मक दृष्टि से भारतीय श्रमिकों को भोजन प्राप्त नहीं होता। भारतीय श्रमिकों के उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अभ-समठन (I. L. O.) वस्तु उद्योग जौव समिति तथा डॉ. राधाकृष्णन मुकुर्जी द्वारा अध्ययन किया गया है। इनके अध्ययन के आधार पर यह निष्ठापन किया गया है कि हमारे देश में केवल 39% लोगों को पूर्ण भोजन मिलता है और ज्ञेय व्यक्ति नुडमरी में रहते हैं। कपड़ा भी हमारे देश में ग्रीसत उपभोग 10 मीटर होता है जबकि अमेरिका में यह 65 मीटर है। आवास की स्थिति भी दृष्टीय है।

6. परिवार बजट (Family Budget)---श्रीयोगिर श्रमिकों के सम्बन्ध में समय-समय पर परिवार बजट तंद्रार रिए गए हैं। उनमें आधार पर भी निष्पर्य निकाले जा सकते हैं। श्रमिकों की आय का 60-70% भाग भोजन पर ही व्यय हो जाता है। भोजन की मात्रा ये गुण भी कम होते हैं। कपड़ों पर उमे 14% तर, मकान पर 4 से 6%, इंधन व प्रदानाश पर 5 से 7% व्यय दिया जाता है। श्रमिकों के पास शिक्षा, चिकित्सा व मनोरजन के लिए तुच्छ भी नहीं बचता। इससे श्रमिकों का जीवन स्तर निम्न है।

**भारतीय श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के कारण**

(Causes of Low Standard of Living of Indian Labour)

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर के निम्न होने के निम्नलिखित कारण हैं--

1. निम्न आय और ऊंची निवाहि लागत (Low Income & High Cost of Living)--भारतीय श्रमिकों की आय अथवा मजदूरी इतनी कम है कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। दूसरे महायुद्ध तथा इसके पश्चात् मजदूरी में तुच्छ सुधार हुआ किन्तु कीमतों में वृद्धि होने से निवाहि लागत में वृद्धि होने से वास्तविक आय कम हो गई। थी सी. डी. देगमुल ने यन् 1947 में कहा था कि भारत मजदूरी-कीमत वृद्धि में पीछा है। श्रमिकों को दी जाने वाली अधिक मजदूरी अधिक निवाहि लागत द्वारा समाप्त कर दी जाती है। एशिया के विभिन्न देशों में निवाहि लागत में असामान्य अनुपात में वृद्धि हुई है जबकि यूरोपीय देशों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। पहली दी वृद्धि तात्त्विकों से देखा जा सकता है<sup>1</sup>--

निवाहि लागत सूचकांक (आधार वर्ष 1937=100)

वर्ष	इण्डिया	अमेरिका	कनाडा	भारत
1939	103	97	100	100
1945	132	125	118	222
1948	108	167	153	286
1949	111	165	159	290

सन् 1959 में भौसत सूचकांक (आधार वर्ष 1955=100)

	चोक मूल्य	निवाहि लागत
भारत	126	128
कनाडा	105	106
मिस्र	117	106
बापान	101	104
तीव्रतर्णव	104	111
हवीडन	105	114
लिट्टरल्स	103	105
इलेंक	109	112
अमेरिका	107	109

<sup>1</sup> Tilak, V. R. K : A Survey of Labour in India, p. 21.

भारतीय थमिंडो की वास्तविक प्राय और निर्वाह लागत सूचकांकों की तुलना से यह पता चलता है कि उनका जीवन-स्तर गिरा है। मट्टौरी भत्ते में जिननी वृद्धि की गई है उससे उपादा सामान्य कीमत-स्तर प्राय और निर्वाह लागत में वृद्धि हुई है। रामान्य बीमत-स्तर प्राय और निर्वाह लागत वृद्धि का जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

**2 जलवायु (Climate)**—गर्म देशों में लोगों का जीवन-स्तर नीचा होता है क्योंकि उनको ग्रीष्मिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और न ही वडे मरानों की जस्ती पड़ती है जबकि ठण्डे देशों में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं और वडे मकानों की आवश्यकता होती है।

**3 अशिक्षा एवं रुद्धिवादिता**—भारतीय थमिक अशिक्षित होने के कारण वे भागड़ादी हैं। उनमें प्रवर्ति वी भावना नहीं होती है। वे मेहनती नहीं हैं तथा विभिन्न रुद्धियों से प्रस्त हैं। मृत्यु-भोज, विवाह आदि पर किंतु खर्च होता है। अतः उनका जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

**4 निम्न कार्यकुशलता (Low Efficiency)**—थमिक की वार्यकुशलता अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है। अधिक उत्पादन से ऊँची मजदूरी दिलनी है और उससे जीवन-स्तर भी उन्नत होता है। लेकिन भारतीय थमिक की कार्यकुशलता कम होने से मजदूरी बहुती है और कम मजदूरी से जीवन-स्तर भी निम्न होता है। तार क्लीमेट शिक्षण के प्रदुषार तकाशादर का एक थमिक अपने जैसे 2-67 भारतीय थमिक के बराबर कार्य करता है।

**5 असन्तुलित भोजन (Unbalanced Diet)**—थमिक का स्वास्थ्य व कार्यक्षमता उसके द्वारा याइ गई सुराक पर निर्भर करते हैं। जब थमिक की अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती हैं तो इससे औद्योगिक अकुशलता, अनुपस्थिति, प्रवास, दुर्घटनाएँ आदि बुराई उत्पन्न होती हैं और इसके परिणामस्वरूप उसका जीवन-स्तर नीचा होता है। पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और जो मोजन मिलता है वह भी सन्तुलित नहीं होता।

**6. जनावृत्ति (Overpopulation)**—हमारे देश की जनसंख्या 23% प्रतिवर्ष भी दर से बढ़ रही है। अधिक जनसंख्या होने से कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से प्रति व्यक्ति प्राप्त कम प्राप्त होती है। इससे जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

**7 खराब आवास योजना (Bad Housing Scheme)**—भारतीय प्रौद्योगिक नगरों में जनसंख्या का भार अधिक है। वहाँ आवास वी समुचित व्यवस्था नहीं है। एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते हैं। परिवार साथ नहीं रह पाते हैं। इससे थमिकों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा वे अच्छा जीवन-स्तर बनाए रखने में घसघस होने हैं।

**8 धन का असमान वितरण (Unequal Distribution of Wealth)**—हमारे देश की राष्ट्रीय प्राप्त जनसंख्या की तुलना में कम है। इससे प्रति व्यक्ति प्राप्त कम होती है तथा आवास व धन का वितरण भी असमान होने से धनी व्यक्ति धनी और निपंत्ति व्यक्ति निर्धारित होते जा रहे हैं। इसमें जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

## जीवन-स्तर ऊँचा करने के उपाय

### (Measures to Raise the Standard of Living)

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए प्रगतिशील सुभाव दिए जा सकते हैं—

1. आय में वृद्धि (Increase in Income)—जीवन-स्तर पर आय का गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की आय बढ़ने पर उनका जीवन-स्तर भी बढ़ता है। श्रमिकों की मजदूरी ही समस्त धर्म-समस्याओं का बेन्ड-विन्डु है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की आय (मजदूरी) में भी वृद्धि की जानी चाहिए। निर्वाह लागत में वृद्धि कीमतों में वृद्धि का परिणाम है। इसमें श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। इससे वह कम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर पाता है। अतः घटती हुई वास्तविक मजदूरी वो रोकने के लिए निर्वाह लागत में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इससे साथ ही श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी (Incentive Wages) भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करके उनके जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है। प्रायिक नियोजन द्वारा उत्पादन तथा रोजगार दोनों से वृद्धि की जा सकती है और इस वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन-स्तर को ऊँचा किया जा सकता है।

2. आय व धन का समान वितरण (Equal Distribution of Income & Wealth)—राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद भी समाज का जीवन-स्तर नीचा रह सकता है। आय व धन के दूषित वितरण को दूर करके निर्धनता व सम्पन्नता की स्थाई को कम किया जा सकता है और धनी व्यक्तियों की आय व धन का एक भाग निर्धन वर्ग पर व्यय किया जा सकता है। इससे निर्धन व्यक्तियों (श्रमिकों) के जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

3. परिवार नियोजन (Family Planning)—भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर का निम्न होने का एक कारण उनके परिवार का बढ़ा होना है। कमाने वाला एवं तथा उस पर आधित सदस्यों की सख्त अधिकार होती है जिससे उनकी अनिवार्य आवश्यकताएँ भी मात्रानी से पूरी नहीं हो सकती। उनका जीवन-स्तर भी इसीलिए निम्न पाया जाता है। अब श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने हेतु परिवार नियोजन अपनाकर छोटा परिवार रखना होगा।

4. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)—एक शिक्षित श्रमिक भव्यता उत्पादक व अच्छा उपभोक्ता बन जाता है। भारतीय श्रमिकों में अधिकांश श्रमिक अशिक्षित, अज्ञानी व रुद्धिवादी हैं। भारत सरकार ने यन् 1958 में श्रमिकों की शिक्षा हेतु बेन्द्रीय मण्डल (Central Board for Worker's Education) की स्थापना की है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रान्तों में क्षेत्रीय केन्द्र (Regional Centres) स्थापित किए। शिक्षा के प्रसार से अच्छे ढग से श्रमिक कार्य करेगा और विवेकपूर्ण ढग से व्यय करके अधिकतम सन्तोष प्राप्त करेगा। इससे जीवन-स्तर उन्नत होगा।

**5. सामाजिक सोशल कस्टम्स में नुआर (Improve in Social Customs) —** भारतीय समाज एक पिछड़ा समाज है। इसमें कई सोशल-सिग्नल ग्राहीन नमूने में ही चले आ रहे हैं। मृत्यु-भोव, गर्याहा, शादी पर वेन्कितून घरमें करने वाले अधिकों की अविवाहित अवश्यकताओं हेतु सावध बच न रे पाने हैं और उनका जीवन-स्तर निम्न पारा जाता है। परं इन साम जिन बुराइयों को नमून बनकर उनके अधिकों के जीवन-स्तर में मुद्दा लागा जा सकता है।

**6. समुलित बजट (Balanced Budget) —** अधिकों को धरने आय तथा खर्च का बजट नैयार करना चाहिए। उनकी आय हिन्दी है तथा उनको किन-जिन नदों पर व्यवहार किया जाता है। जब डॉ. न. प्राप्त आय को खर्च किया जाएगा तो उनमें अधिकों की आवश्यकताओं की दृष्टि से परिवर्तन नहीं प्राप्त हो सकेगा। पारिवारिक बजट को समुलित रखने के लिए हम भारतीय अधिकों में शिक्षा का प्रबोध, प्रमाण और जिज्ञासा की मुद्दियाँ प्रशंसन करनी चाहीं।

**7. समुलित एवं पर्याप्त भोजन (Balanced & Sufficient Diet) —** अधिकों की कार्बोहाइड्रेट, उत्तराहस्त्रा, मज़हूरी व जीवन-स्तर मुरुदित एवं पर्याप्त भोजन पर निर्भर करते हैं। भारतीय अधिकों को न तो समुलित भोजन मिलता है और न ही पर्याप्त भोजन। यद्यपि अधिकों को मुरुदित एवं पर्याप्त भोजन उत्तराहस्त्रा करवाया जाना चाहिए। इनमें अधिकों द्वारा जीवन-स्तर उल्लङ्घन होता।

**8. अन्वयण और सामाजिक मुख्या प्रशंसन करना —** भारतीय अधिकों के जीवन-स्तर में तृद्धि करने के लिए अधिकों की कार्बोहाइड्रेट (Welfare Activities) में तृद्धि करनी चाहिए। इनमें अधिकों की कार्बोहाइड्रेट में तृद्धि होती और जीवन-स्तर उल्लङ्घन होता। इनके नाय ही अधिकों को उनकी अनिवार्यता आय को नामाजिक मुख्या प्रशंसन करके दूर किया जा सकता है। इसमें अधिक भविष्य के सम्बन्ध में निवित्त रहता है और वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि कर पाना है। इनमें उम्बक्षा जीवन-स्तर उल्लङ्घन होता।

इस प्रबोध भारतीय अधिकों के जीवन-स्तर को ऊंचा बनाने के लिए हमें कई कदम उठाने पड़े गए। डॉ. राधाकृष्णन मुकुर्वा के अनुमार इम्पी भी उद्योग की ममृद्धि एवं सम्बन्धना उन उद्योग में दाम करने वाले वर्तमारियों की कार्बोहाइड्रेट एवं उनके जीवन-स्तर पर निर्भर करती है। मामाजिन मुख्या द्वारा यह सम्बन्धना पर्याप्त सीमा तक प्राप्त ही जा सकती है।

### भारतीय अन्वयण द्वारा प्रकाशित ग्रन्ति (1977)

अम व्यूरी इंडियन लेवर भरनर में नियमित हर से घोषित अधिकों के मम्बन्ध में अखिल भारतीय उत्तरोन्ता मूल्य गूचकांक प्रकाशित करना रहा है, जो 1960=100 के आधार पर 50 केंद्रीय के लूबार्डों की 'वेटिड औवर' है। व्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित तात्त्विका में 1960=100 के आधार पर अखिल भारतीय अमजीवी उत्तरोन्ता मूल्य मूचकाक (जाय तथा भासान्य) और 1961-62=100 के आधार पर प्रतिष्ठित भारतीय घोक मूल्य मूचकाक (जाय तथा भासान्य) के बारे में घोषित दिये गये हैं:—

## अखिल भारतीय धनिक दर्गे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और घोर मूल्य सूचकांक

वर्ष/मास	अखिल भारतीय धनिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100)		अखिल भारतीय घोर मूल्य सूचकांक (आधार 1961- 62=100)	
	घोषणा	सामान्य	घोषणा	सामान्य
			घोषणा	
1961	109 <sup>1</sup>	104 <sup>1</sup>	—	—
1962	112 <sup>1</sup>	107 <sup>1</sup>	107 <sup>*</sup>	104*
1963	117 <sup>1</sup>	110 <sup>1</sup>	112	108
1964	134 <sup>1</sup>	125 <sup>1</sup>	131	119
1965	149 <sup>1</sup>	137 <sup>1</sup>	142	129
1966	164 <sup>1</sup>	151 <sup>1</sup>	162	144
1967	192 <sup>1</sup>	172 <sup>1</sup>	204	166
1968	196 <sup>2</sup>	177 <sup>2</sup>	200	165
1969	190	175	193	169
1970	200	184	203	179
1971	203	190	207	186
1972	216	202	231	201
1973	262	236	279	239
1974	342	304	352	304
1975	357	321	361	309
1976	—	—	—	—
जनवरी	350	316	368	308
फावड़ी	346	315	349	303
मार्च	330	306	328	294
अप्रैल	316	298	318	290
मई	304	290	315	288
जून	296	286	305	288
जूलाई	301	289	314	288
गुरुवे	302	290	318	292
जून	304	291	323	296
जुलाई	313	297	340	309
गुरुवे	314	298	342	310
हिन्दू	319	302	346	314
महापूर्ण	322	304	344	312
नवम्बर	324	306	342	313
दिसंबर	323	305	344	315

नोट : — \* घोषणा के बाले 9 महीनों की है।

1. 1949 पर आधारित सूचकांक की सीरीज़ से प्राप्त होता है।
2. घोषणा 1960 की सीरीज़ में पाँच महीनों के औसत (अप्रैल 1968 से दिसंबर 1968 तक) तथा 1949 की सीरीज़ से यथा प्राप्त होने वाले महीनों के औसत (जनवरी 1968 से जुलाई 1968 तक) पर आधारित है।

# मजदूरी नीति, रोजगार एवं आर्थिक विकास

(WAGE POLICY, EMPLOYMENT AND  
ECONOMIC DEVELOPMENT)

## मजदूरी नीति प्रभारित (Wage Policy)

भारत विश्व के आठ प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में से एक है फिर भी यह एक अधिकसित राष्ट्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही सरकार ने आर्थिक विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस प्रकार के विकास कार्यों का महत्वपूर्ण उद्देश्य अनियों की वास्तविक आप और उनके जीवन-स्तर में बढ़िया करना है। निम्न मजदूरी होने से धर्मिकों की कार्य-क्षमता प्रभावित होती है और इसके परिखामस्तर पर अनियों की कार्य-क्षमता निम्न पाई जाती है। इसके बाय ही निम्न आप से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग कम होती है और बाजार भी गंकुचित होता है।

मजदूरी नीति उद्योग के उत्पादन तथा चाल्ड्रीश लाभोंग का निर्धारण करती है, लेकिन इस नीति के अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्देश्यों के साध-साथ निजी व सामाजिक उद्देश्यों में संघर्ष पाया जाता है। हमारा देश प्रजातन्त्र प्रणाली पर प्राधारित है इसलिए यहाँ एक उचित मजदूरी नीति के निर्धारण में बड़ी कठिनाई आनी है। मजदूरी नीति, जिससे सम्पूर्ण और दश अम शक्ति का विकास होता है, वह हमारी विकास सम्बन्धी योजनाओं की गफलता में हाथ चेंटा सकती है। मजदूरी नीति के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित की प्रायमिकताओं में निहित है—

- पूर्ण रोजगार एवं सभी साधनों का इष्टतम प्रावण्टन (Full employment and optimum allocation of all resources),
- आर्थिक स्थिरता व अधिकतम मात्रा (The highest degree of economic stability),

3 समाज के सभी वर्गों हेतु अधिकारितम् प्राय सुरक्षा (Maximum income security for all sections of the community) :

इसके साथ ही एक मजदूरी नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति के प्रनुसार उच्चतम् मजदूरी स्तर प्रदान करना होना चाहिए। आर्थिक विकास से देश की आर्थिक सम्बन्धता में से अभियान को उचित हिस्सा निलंबन चाहिए। आर्थिक विकास से प्राप्त लाभ अभियान को उन ही मजदूरी में वृद्धि के रूप में होने चाहिए।

### मजदूरी नीति के निर्माण में समस्याएँ

#### (Problems in the Formulation of a Wage Policy)

मजदूरी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं हेतु एक उचित मजदूरी नीति का निर्माण करना होगा। इस नीति के निर्माण में निम्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं—

1. मजदूरी निर्धारण एवं मुगलान (Wage Determination and Payment), और

2. मजदूरी-स्तर एवं मजदूरी सरचना (Wage Levels and Wage Structure), और

3. मजदूरी सुरक्षा (Wage Security)।

1. मजदूरी निर्धारण एवं भुगतान— विभिन्न देशों और उद्योगों में मजदूरी भुगतान के विभिन्न तरीके पाए जाते हैं। किंतु भी सोटे तौर पर मजदूरी समग्रनुसार तथा कार्यानुसार दी जाती है। अलग-प्रलग मजदूरी भुगतान के तरीके के अलग अन्य गुण तथा दोष हैं। इन दोनों तरीकों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियाँ (Incentive wage systems) तैयार की गई हैं।

यह माना जाता है कि मजदूरी में प्रगतिशील वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि होने पर निर्भर करती है। भारतीय उद्योगों में यही उत्पादकता की प्रधिकरितम् सीमा को प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे अभियान को प्रेरणा मिले और वे अधिक प्रधात से बायं करें तथा बड़ते हुए उत्पादन में उनका हिस्सा भी बढ़े। कार्यानुसार मजदूरी द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है।

कार्यानुसार मजदूरी भुगतान के तरीके के लिए समय और गति का अध्ययन करना पड़ेगा। कार्यभार का अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार इसमें कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

वेतन मण्डलो (Wage Boards) द्वारा मजदूरी निर्धारित करते समय कार्यानुसार मजदूरी भुगतान का तरीका ढैंडा चाहिए, साव ही अभियान के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अधिकारितम् कार्य के घण्टे तथा न्यूनतम् मजदूरी की गारण्टी दी जानी चाहिए। जो भी पद्धति निकाली जाए वह सरल, स्पष्ट और आसानी से प्रत्येक अभियान के समझ में प्राप्ती चाहिए अन्यथा इससे सदैह और औद्योगिक विवादों को प्रोत्साहन मिलेगा।

**2. मजदूरी स्तर और मजदूरी सरचना—** किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण अधिक तभी सम्भव हो सकता है जब न केवल मजदूरी-स्तर अधिकतम् हो बल्कि विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में सापेक्षिक मजदूरी इसी होनी चाहिए कि इससे धर्म का विभिन्न उद्योगों व व्यवसायों में ऐसा आवष्टन हो कि राष्ट्रीय उत्तराधिकार में ही सके ग्रन्थ-व्यवस्था के सभी साधनों को एवं रोजगार प्राप्त हो सके और आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धिनीय वृद्धि सम्भव हो सके।

मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि विभिन्न उद्योगों व व्यवसायों पर पुरुष व स्त्री श्रमिकों की मजदूरी में अधिक अन्तर नहीं हो। यदि इस प्रकार की भिन्नता है तो उसे दूर करना होगा।

हमारे देश में मजदूरी में भिन्नता विभिन्न केन्द्रों में ही नहीं पाई जाती बल्कि एक स्थान के विभिन्न उद्योगों में भी भिन्नता पाई जाती है।

हाल ही के वर्षों में विभिन्न अधिकारणों एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी स्तरों में त्रुट्टि करने का प्रयास किया गया है फिर भी कई उद्योगों तथा व्यवसायों में याज भी निर्वाह सामग्र के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती।

इसरे गहायुद्ध के पश्चात् कुछ उद्योगों में बोनस तथा लाभ राहभागिता के अन्तर्गत श्रमिकों को कुछ मुगतान दिया जाने लगा था। अब बोनस मुगतान अधिनियम 1965 के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को उसकी कुल वार्षिक मजदूरी का न्यूनतम 8·33% तथा अधिकतम 20% बोनस के रूप में मुगतान किया जाता था।

**3. मजदूरी सुरक्षा (Wage Security)—** किसी भी श्रमिक को कितनी मजदूरी दी जाती है उसकी सुरक्षा अथवा गारंटी देना जरूरी है। श्रमिक की मजदूरी की गारंटी तीन प्रकार से दी जा सकती है—

(i) गारंटी मजदूरी (Guarantee Wage) के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता श्रमिक को निश्चित समय या अवधि हेतु मजदूरी देने की गारंटी देता है चाहे कार्य हो या नहीं।

(ii) ले-आऊफ नोटिस मुआवजा (Lay-off Notice Compensation) के अन्तर्गत नियोक्ता एक दी हुई अवधि हेतु श्रमिकों से कार्य हटाने पर, जबकि कार्य नहीं हो तब उसके लिए ले-आऊफ का मुआवजा या अतिरूप देनी होती है।

(iii) हटाने पर मजदूरी (Dismissal Wage) के अन्तर्गत श्रमिक को रोजगार से हटाने पर एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी दी जाती है।

हमारे देश में यह सम्भव नहीं है कि बेरोजगार व्यक्तियों को बीमा दिया जाए क्योंकि वित्तीय कठिनाइयों सरकार के सामने है। फिर भी श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के अन्तर्गत ले माँक तथा छोड़नी के लिए अतिरूप का प्रावधान है।

भारत जैसे विकासशील देश में अमित अधिकारी, अस्थिति और अन्नामी होने के कारण उनकी भोजनाग्री भानि नियोना की तुलना में दुर्दा होती है जिसके परिणामस्वरूप उनका शायरा किया जाता रहा है। न्यायालयी द्वारा भी प्रारम्भ में नियात्तापा वा हा पक्ष चिया जाना रहा था। मजदूरी वा निधारण अम की मौग व पूति क प्राधार पर किया जाना था, तेकिं अब समय बढ़ल गया है तथा अमित का मानवीय साधन मानकर उमर साथ उचित व्यवहार किया जाने लगा। अमिरों के शायरा वा दूर करने के लिए सरकार ने अमिरों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क अन्नगत न्यूनतम मजदूरी निश्चित की है तथा अब वेतन मण्डों की स्थापना की जान लगी है जो कि उचित मजदूरी वा निधारण का बार्य करते हैं। कई उद्योगों में ऐसे वेतन मण्डों (Wage Boards) की सिफारिशों को लागू किया गया है।

भारत जैसे देश में एक सुदृढ़ मजदूरी नीति निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है—

1. नियोनित अर्थ स्वभावों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मजदूरी नीति आवश्यक है जिसमें कि शोधोगिक शान्ति बनाई रखी जा सके। अधिनियमों तथा अन्य सरकारी विधानों द्वारा शोधोगिक शान्ति पूर्ण ह्य से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक उचित मजदूरी नीति आवश्यक है।

2. हमारे देश में सम जादी समाज की स्थापना हेतु सामाजिक न्याय प्रदान करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी प्रदान किया जा सकता है जब सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, सभी को समान न्याय प्रदान की जाए। इसके लिए एक समुचित मजदूरी नीति वा होना जरूरी है।

3 हमारे देश में मुहृष्ट एव मुसर्गटि अम संघ आन्दोलन का अभाव (Lack of strong and well-organised Labour Union Movement) है। एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति द्वारा अमिरों को सरकार देना सरकार का दायित्व है।

4 हमारे देश में मजदूरी निधारण में विभिन्न बानूनी, प्रशासनिक एव अद्यन्यायिक इकाईयों की महायता लेनी पड़ती है। अब इस विभिन्नता को दूर करने के लिए निश्चित मिहानों तथा तरीकों पर आधारित एक उचित राष्ट्रीय मजदूरी नीति वा होना आवश्यक है।

### पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी नीति (Wage Policy in Five Year Plans)

स्वतन्त्रता के पश्चात अधिकारी अम कानून सन् 1946-52 की अवधि में दनाए गए। राज्य अम नीति वा सम्बन्ध अम विधान बनाना, सामाजिक सुरक्षा आवधी उपाय, अम कल्याण वेत्तो वा समर्पन, वैन्द्र तथा राज्यों में अम विभाग का विभाग बनाना तथा अनिवार्य अधिनिर्णयन (Compulsory Arbitration) सारू करने से रहा है। शोधोगिक शान्ति प्रस्ताव, 1947 (Industrial Truce Resolution of 1947) ने शोधोगिक विवादों को निपटाने हेतु बानून व मरीनरी

का उपयोग, उचित मजदूरी निर्धारण करने की मशीनरी, पूँजी पर उचित प्रतिफल, थम समितियाँ और आवास समस्या की ओर ध्यान देने आदि के सम्बन्ध में सिफारिश की।<sup>1</sup>

आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन प्रयोगाया जाता है तथा आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए एक विवेकपूर्ण मजदूरी नीति होना आवश्यक है।

### प्रथम पचवर्षीय योजना

प्रथम योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभ और मजदूरी पर सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिए। कीमतों, लाभों व मजदूरियों में वृद्धि हुई है। मुद्रा स्फीति को रोकने हेतु लाभ व मजदूरी पर सरकारी नियन्त्रण आवश्यक है। मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को दूर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में से श्रमिकों को उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए। जिससे कि श्रमिकों के शोषण को समाप्त किया जा सके। योग्यता के अनुसार मजदूरी में वृद्धि उसी समय की जाए जबकि मजदूरी अत्यधिक कम है और युद्ध के पूर्व की वास्तविक मजदूरी स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार में वृद्धि होने पर मजदूरी में भी वृद्धि हो जाए। योजना में मजदूरी नीति के सम्बन्ध में भविष्य में इन विचारों पर ध्यान रखने की सिफारिश की—

1. सभी मजदूरी अन्तरों को समाप्त करना सामाजिक नीति का एक अग्र माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में से श्रमिक को उसका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

2. पर्याप्त मजदूरी स्तर को प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में पाए जाने वाले अन्तरों को जहाँ तक सम्भव हो कम से कम किया जाए।

3. मजदूरी प्रमाणीकरण के कार्य को तीव्र गति से बढ़े पंमाने पर चलाया जाए।

4. विभिन्न व्यवसायों व उद्योगों में कार्य-भार को वैज्ञानिक ग्राधार पर नियंत्रित किया जाए।

5. महेशार्हि भत्ते का 50% बेतन में मिला दिया जाए।

6. योजनावाल में न्यूनतम बेतन अधिनियम, 1948 को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जाए।

7. बोनस भुगतान से सम्बन्धित समस्या पर भी विचार करने की सिफारिश की गई।

8. मजदूरी निर्धारण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरों पर विधीय बेतन-मंडलों की स्थापना करने की सिफारिश की गई। इनकी स्थापना मजदूरी समस्या को समाप्त करने हेतु स्थाई रूप से करने की सिफारिश की गई।

1. *Sreshashtya, G. L. : Collective Bargaining & Labour Management Relations in India*, p. 352.

## द्वितीय पचवर्षीय योजना

दूसरी योजना के प्रत्यंत श्रम वे महत्व वो प्रथम योजना की भीति ही स्वीकार किया गया। लेकिन इस योजना में मजदूरी नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया। यह पहलू अधिकों को उनकी आशाधो और भावी समाज के दौरे के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने से सम्बन्धित थी। मजदूरी के महत्व को जानने के लिए मजदूरी आयोग (Wage Commission) नियुक्त करने का विचार था। लेकिन पर्याप्त आकड़ों व अन्य सूचनाओं के अभाव में यह विचार त्याग दिया गया। इससे स्थान पर मजदूरी गणना (Wage Census) करने पर जोर दिया गया। विभिन्न केन्द्रों पर निर्वाह लागत सूचकांकों के अनुसार मजदूरी में परिवर्तन बरने के लिए जोर पर जोर दिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी में वृद्धि अम उत्पादकता में वृद्धि होने पर ही सम्भव बताया गया। इससे लिए आर्यानुसार मजदूरी भुगतान की रीति अपनाने को कहा गया।

सीमान्त इकाइयों (Marginal Units) द्वारा मजदूरी संरचना पर रोक लगाने के कारण उचित मजदूरी सिद्धान्तों के आधार पर उचित मजदूरी निर्धारित करना सम्भव नहीं हो पा रहा था, अत कहा गया कि इस प्रकार की इकाइयों को ऐच्छिक हर से बड़ी इकाइयों में मिला दिया जाना चाहिए। यदि जरूरी हो तो प्रनिवार्य हर से इनको मिलाया जा सकता है। दूसरी योजना में इस बात की भी सिफारिश की गई कि उद्योगों वे बड़े-बड़े क्षेत्रों के लिए आयोगिक विवादों (मजदूरी से सम्बन्धित) को हल करने के लिए मजदूरी बोर्ड क एम करने चाहिए। दूसरी योजना में कई ऐसे मजदूरी बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

## तृतीय पचवर्षीय योजना

तृतीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रमुख उद्योगों में मजदूरी-निर्धारण का कार्य सामूहिक सौदाकारी, अधिनियमन, मुलह एव संधिकरणों द्वारा होगा। लेकिन जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर मजदूरी निर्धारण हेतु त्रिपक्षीय मजदूरी बोर्ड की स्थापना की जा सकेगी। उद्योग और वृत्ति क्षेत्र में निम्न आयिक स्थिति वाले अधिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के दायित्व को स्वीकार किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण सम्बन्धी मशीनरी को सुट्ट करने की सिफारिश की गई। न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त विभिन्न अधिक वर्गों हेतु उचित मजदूरी निर्धारित करने एव उत्पादन तथा किसी को मुख्यमन्त्री हेतु अधिकारों को प्रेरणात्मक मजदूरी (Incentive Wages) देने पर जोर दिया गया। बोनस भुगतान हेतु विभिन्न पक्षों को भिताकर एक आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की।

भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 द्वारा आवश्यकता पर आधारित मजदूरी तथा उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को मजदूरी-निर्धारण में काम में लेने की सिफारिश की गई। योजना में यह बताया गया कि अधिक वर्ग की मजदूरी तथा

उच्च प्रबन्ध-स्तर के बेतनों में काफी असमानता है। योजना में इस बात की सिफारिश की गई कि मजदूरी अन्तरों, थमिकों की उत्पादकता की माप और उत्पादकता के हिस्से का वितरण प्रादि का अध्ययन किन-किन तिदानों पर आधारित हो।

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

चौथी योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि आयिक विकास की सफलता और विशेष रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना के रान्दर्भ में एक एकीकृत प्राय नीति (Integrated Income Policy) सर्वजनिक व निजी सेक्टरों के मामलों में हेतु संयार की जानी चाहिए। मूल्य स्थिरता की समस्या को मजदूरी नीति का आधार माना गया है। बीमतों में वृद्धि होने पर मजदूरी में वृद्धि हेतु दबाव डालें जाने हैं। उचित मजदूरी प्राप्त करना बीमंकालीन उद्देश्य है। लेकिन अन्यजालीन उद्देश्य बड़नी हुई बीमतों के थमिकों के जीवन-स्तर पर पढ़ने वाले बुरे प्रभाव से थमिकों की रक्खा करना है। महंगाई भत्ते को निर्वाह लागत से जोड़ने हेतु निर्वाह लागत मूचकांडों हेतु बीमत थांकडो और मूचनांगों की एकत्रित करने की सिफारिश भी गई। थमिकों की मजदूरी में तीन तर्फों—बेनन, महंगाई भत्ता तथा उत्पादकता से जोड़ना—होगे। मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने के लिए मजदूरी प्रभावीकरण तथा मजदूरी के अन्तरों को बम करने की सिफारिश की गई है। मजदूरी वार्षिक नुसार पद्धति के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। सन् 1957 से कई उद्योगों में मजदूरी बोर्ड (Wage Boards) की स्थापना की गई है भीर अन्य उद्योगों में भी इनकी स्थापना करने की सिफारिश की गई।

### पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

इस योजना में भी मजदूरी नीति को मुहूर बनाने की सिफारिश की गई है। थमिकों की मजदूरी में उनकी उत्पादकता के अनुनार वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। थमिकों की मजदूरी बड़े-बड़े उद्योगों में मामूलिक सौशकारी, सुलह, अधिनियंत्रण और अधिकारियों द्वारा निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। अधिकाधिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियां (Incentive Wage Systems) अपनाने की सिफारिश की गई है जिससे कि थमिकों की जार्यकुशलता बढ़ जाए, जीवन-स्तर उन्नत हो सके।

पाँचवीं योजना के इन्टिकोए पत्र में ‘राष्ट्रीय मजदूरी भा ढांचा’ बनाने की बात कही गई थी। इन्टिकोए पत्र में उन्निति नीति का शाठ इस प्रकार है—

“उत्पादकता वी वृद्धि से असलग मजदूरी में वृद्धि होने पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई में मजदूरी लागत बढ़ जाती है। इस प्रकार वी बड़ोत्तरी को मूल्य को स्थिर रखने की इन्टि से रोकना होगा। ऐसे अन्य अवसायों में, जिनमें मजदूरी असाधारण रूप से कम है, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मजदूरी में वृद्धि करना आवश्योचित होगा। ऐसे कानों से जहाँ उत्पादकता के बम होने के कारण मजदूरी भी

1. पाँचवीं योजना के प्रति इन्टिकोए (1974-79), दृष्टि 54-55.

कम है, जब तक कि उत्पादकता में बृद्धि बरने के लिए प्रभावशाली उपाय नहीं किए जाते, मजदूरी में बृद्धि बरने का यह परिणाम यह होगा कि मजदूरों की माँगों में कमी आ जाएगी या उनको नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में मजदूरी की अम जनित उत्पादकता की तुलना में ऊँची दर पर बनाए रखा जा सकता है क्योंकि इसके बारण होने वाली हानि को सरकारी राजस्व से पूरा किया जा सकता है। अपवाह के रूप में क्तिपय मामलों में यह उचित नीति मानी जा सकती है किन्तु इसको विस्तृत पैमाने पर प्रयोग म लाया जाए या स्वीकार किया जाए तो यह विकास कार्यों के लिए नियत संसाधनों को ही हड्डप कर जाएगी। समूण्ड अर्थ-व्यवस्था में अम जनित उत्पादकता बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में पांचवीं योजना में अच्छे भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, अनुशासन तथा नीतिक आचरण में सुधार और अधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक कार्यों की परिवर्तना की गई है।

“हाल ही के वर्षों में क्तिपय क्षेत्र उच्च पारिश्रमिक देने वाले क्षेत्रों के रूप में उभर आए हैं। जहाँ कि सफेदपोश वर्ग के कर्मचारियों का बढ़त है। इन कर्मचारियों ने दराव ढालकर अपने वेतन के स्तर को सामान्य मजदूरी के स्तर से ऊँचा कर लिया है। इस प्रवृत्ति को निश्चित उपायों द्वारा रोकना जरूरी है अन्यथा योजना के अनुमानित संसाधनों पर भारी अतिश्रमण होगा और देश मुद्रा-स्फीति तथा गतिहीनता की जड़ में आ जाएगा।”

“यद्यपि कानून द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारण गरीब-बगं के उपभोग स्तर को बढ़ावार बौद्धित न्यूनतम सीमा पर लाए के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, किन्तु यदि इसके साथ रोजगार उपलब्ध बरने की गारण्टी नहीं है तो इसका महत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है। वेरोजगार व्यक्ति के लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि गारण्टी-मजदूरी नितनी है। इसके अतिरिक्त व्यापक वेरोजगार की स्थिति में न्यूनतम वेतन सागू करना भी कठिन है। ऐसी स्थिति में रोजगार दाताओं को बचाव की पर्याप्त सुविधा रहती है, विशेष रूप से असमिति क्षेत्र में। अम जनित उत्पादकता में उस स्तर तक सुधार जो परिकल्पित न्यूनतम मजदूरी के दबाव का मुकाबला कर सके तथा विशाल स्तर पर रोजगार की सुविधाओं में बृद्धि—ये दोनों ऐसी आवश्यक शर्तें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उचित न्यूनतम मजदूरी की दर सकलतापूर्वक लागू करने के लिए जरूरी है। इन पूरविकाशों के निर्माण के कार्यों को पांचवीं योजना में उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।”

“उचित न्यूनतम मजदूरी का स्तर निर्धारण बरने के अतिरिक्त तुलनात्मक मजदूरियों की रूपरेखा मजदूरी के परिणाम स्तर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एव उद्योग अथवा व्यापार में कार्य कर रहे कामगर तथा कर्मचारी अपने परिशुद्ध वेतन के स्तर के बारण इतने क्षम्भ नहीं होंगे जितने कि वे इस बात से कि अथ उद्योगों तथा व्यापारों में मिल रही मजदूरी की तुलना में उनकी मजदूरी वा स्तर वितना है। एक उद्योग अथवा व्यापार में बृद्धि होने पर जो पूरी तरह युक्तिसंगत

नहीं है, दूसरे स्थानों पर भी ग्राहिक मजदूरी देने की माँग भड़का देती है। बास्तव में तो यही एक विधि है जिसके द्वारा कामगारों को एक थोसी अन्य श्रेणियों की मजदूरी में बृद्धि कर दिए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा-स्फीति की स्थिति से अपनी बास्तविक मजदूरी की रक्षा कर सकती है। यह बात अलग है कि वह प्रक्रिया मुद्रा-स्फीति को स्थिति में अभिन्न में घी का कार्य करती है। यह मालूम किया जाना चाहिए कि क्या एक ऐसा न्यायसंगत राष्ट्रीय वेतन ढाँचा बनाया जा सकता है जिसके लागू होने पर वेतन बृद्धि की माँग को तर्कसंगत उपायों से सुलझाया जा सके।”

“यदि एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा तैयार हो जाता है तो यह सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, दोनों पर लागू होना चाहिए। बर्दंगान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्षम कर्मचारियों के सेवा में बनाए रखने में कठिनाई अनुभव हो रही है। निजी क्षेत्र में उसके कार्य के स्वभाग के अनुसार प्रबन्धक तथा तकनीकी कर्मचारियों को ग्राहिक पारिथमिक तथा विभिन्न सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र भी योग्य शीर्षस्थ प्रबन्धक तथा तकनीकी कर्मचारियों को समान ढंगे वेतनमान देने लगे तो यह विकास के समाजवादी स्वरूप के विहृद बात होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ये कर्मचारी निजी क्षेत्र के प्रत्योभन में आ जाते हैं। इसका समाधान फिर यही है कि एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा बनाया जाए। इस समस्या पर पौचबी योजना में उनित ध्यान दिया जाएगा।”

योजना आयोग ने पौचबी पञ्चवर्षीय योजना में श्रम मन्त्रालय को प्लान स्ट्रीमों के लिए ‘श्रमिक कल्याण तथा दस्तकार प्रशिक्षण’ शीर्षक के अन्तर्गत 1417 88 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी है। सन् 1977-78 की वार्षिक योजना के द्वारा न चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए श्रम मन्त्रालय ने 564 57 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, परन्तु योजना आयोग ने 511 48 रुपये के परिव्यय की ही सिफारिश की। विभिन्न मुख्य शृणु के सम्बन्ध में सन् 1977-78 की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय का व्यौरा इस प्रकार है—

(रुपये लाखों में)

I.	रोजगार और प्रशिक्षण : महानिदेशालय के कार्यक्रम	
(i)	प्रशिक्षण योजनाएँ	348 92
(ii)	रोजगार सेवा	10 28
	उप जोड़	359 20
II.	मुख्य मन्त्रालय के कार्यक्रम	
(i)	प्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य-विभान	
	प्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य-विभान	20 00
(ii)	साम सुरक्षा	48 77
(iii)	प्रौद्योगिक सम्बन्ध	1 00

(iv) श्रमिक शिक्षा	10 00
(v) थम अनुसंधान तथा सांस्थिकी	45 00
(vi) राष्ट्रीय थम संस्थान	24 01
(vii) कृषि श्रमिक सेल	0 50
(viii) मजदूरी सेल	3.00
उप जोड	152 28
कुल जोड	511 48

### मजदूरी नीति और राष्ट्रीय थम प्रायोग की रिपोर्ट (1969) (Wage Policy and Report (1969) of National Commission on Labour)

केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर सद् 1966 में एक राष्ट्रीय थम प्रायोग श्री पी बी गजेन्द्रगढ़कर की घट्यधाता में स्थापित किया। प्रायोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1969 में दी जिसमें मजदूरी नीति से सम्बन्धित निम्नांकित सिफारिशें दी गईं—

सरकार नियोता, थम सघो तथा स्वतन्त्र घट्कियों ने सहमति प्रकट की कि मजदूरी नीति ऐसी हो जिससे आर्थिक विकास की नीतियों को प्राप्त किया जा सके।

1 न्यूनतम मजदूरी के सिफारिश को स्वीकार करते हुए प्रायोग ने इसके निर्धारण हेतु उद्योग की मजदूरी देय क्षमता को ध्यान में रखने की सिफारिश की। प्रायोग के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Minimum Wage) न हो सारे देश के लिए उचित है और न ही बांधनीय। विभिन्न हेतुओं के लिए भलग-भलग प्रादेशिक न्यूनतम मजदूरी (Regional Minimum Wage) निश्चित बनाने की सिफारिश की।

2 प्रायोग ने सिफारिश की कि बिना उत्पादकता में बृद्धि के मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में निरन्तर बृद्धि सम्भव नहीं है। प्रायोग ने प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाओं (Incentive Wage Systems) को लागू करने की सिफारिश की। जीवन निर्बाह लागत में परिवर्तन के साथ-साथ मजदूरी में भी परिवर्तन करना चाहिए।

3 मजदूरी बोर्ड (Wage Boards) को मजदूरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही प्रायोग ने मजदूरी बोर्ड की सर्व-सम्मत सिफारिशों को लागू बरना कानूनन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की।

4 कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी ग्रामीणनियम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की सिफारिश की। यह रावसे कम मजदूरी वाले हेतुओं में पहले लागू किया जाए।

1 Report of the National Commission on Labour, p 225.

5. नियोक्ताओं ने आयोग के सम्मुच पह विचार पेश किया कि भौद्योगिक मजदूरी का कुपि मजदूरी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध होना चाहिए। मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ दिया जाए तथा उचित मजदूरी समिति की सिफारिशों के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए।

6. अम सदो ने आयोग को कहा कि वास्तविक मजदूरी में गिरावट को दूर किया जाए जिससे हि अभिन्न लो का जीवन-स्तर बनाए रखा जा सके। यह तभी सम्भव हो सकता है जब मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ दिया जाए।

7. राज्य सरकारों ने भी मजदूरी नीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मजदूरी नीति अम के प्रत्यक्ष ल हो तथा उपभोक्ताओं के हित को भी व्यान में रखने वाली हो। उरकार ने यह वायदा किया कि अभिन्नों के जीवन-स्तर में सुधार किया जाएगा तथा धन और आय के व्यवस्था वितरण को भी दूर किया जाएगा।

राष्ट्रीय अम आयोग ने मजदूरी से सम्बन्धित सभी अधिनियमों को मिलाकर कोई एकीकृत अधिनियम (Integrated Act) पास करने की सिफारिश नहीं की। आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजदूरी (Need-based Minimum Wage) निर्धारित करते गमय किन-किन नियमों तथा सिद्धान्तों को व्यान में रखा जाए, कोई सिफारिश नहीं की गई।

### अम और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलन तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले (1976-77)<sup>1</sup>

#### राष्ट्रीय सम्मेलन

1. अम-मंत्री सम्मेलन—अम-मन्त्रियों के सम्मेलन के 27वें और 28वें अधिवेशन नई दिल्ली में 11 जनवरी और 25 अक्टूबर, 1976 को हुए। इन सम्मेलनों में विचार-विमर्श की अधिक महत्वान्वयन मर्दें थे थी—(क) बन्धित अम-पद्धति का उन्मूलन, (ख) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पारिवर्तिक, (ग) अभिन्नों की सहभागिता, (घ) गिरु अधिनियम, (इ) उपभोक्ता गूल्य सूचकांक को नई सीरीज, (च) सागठित क्षेत्र में जनसत्त्वा सम्बन्धी शिक्षा और परिवार नियोजन में अम व्यवस्था की भूमिका और (छ) कुपि में न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण और संशोधन।

2. अभिसमय सम्बन्धी समिति का 11वां अधिवेशन—अभिसमय सम्बन्धी समिति का 11वां अधिवेशन अम सचिव की अन्वेषका में 17 दिसंबर, 1976 को नई दिल्ली में हुआ। इस समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्मेलन के कुछ अभिसमयों की पुनरीकार की ताकि उनका अनुसमर्थन किया जा सके और जहाँ अनुसमर्थन सम्भव न समझा जाए वहाँ उनका वार्यान्वयन किया जा सके।

1. अम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1976-77.

## II अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें

3. विश्व रोजगार सम्मेलन—अन्तर्राष्ट्रीय थम समेलन ने 4-17 जून, 1976 के दौरान विश्व रोजगार सम्मेलन का आयोगन दिया। इस सम्मेलन में सिद्धान्तों का पोषणाभ्यन्तर और कार्यवाही का कार्यक्रम स्वीकार दिखा गया, जिसमें यह घोषणा की गई कि जनता में उच्चत गरीबी मिटाना और बम आय वाने की की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना अब से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीतियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए आधिक विकास की सतत तथा सन्तोषजनक दर की आवश्यकता है। इसने आर्डिक समिट भाव की नीतियों के सम्बन्ध में अनेक उपाय मुझाए जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में समूचित कार्यवाही, सामाजिक नीति-विनेपकर भृहिताधीयों, किंतु अमितों और वृद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी और विकास कार्य में समर्थन वर्गों की सहभागिता शामिल है। इन मर उरायों के एक राय दिए जाने से विकासभीन्द देशों में 2000 से पहले पर्याप्त रोजगार उत्पन्न मूल आवश्यकताओं की पूर्ति और स्वास्थ्य दिखा धार्दि जीवी मूल मेवादों की प्राप्ति के सम्बन्ध में विचार दिया गया। इस सम्मेलन की उपयुक्तता इस बात से निढ़ होती है कि इसने मूल आवश्यकताओं की मरम्यना तथा उसमें सम्बन्धित कार्यवाही के कार्यक्रम में अभिव्यक्त की गई कार्य नीति के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय समाज का जाप्त किया।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस सम्मेलन के विचार-विमर्शों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके योगदान की अन्य प्रतिनिधि मण्डलों ने विशेष रूप से 77 देशों के युए ने स्वीकार दिया और उसकी सराहना की। सम्मेलन द्वारा घोषित विकास प्रक्रिया के प्रति हाप्टिकोण भारत की योजना के उद्देश्यों तथा नीतियों और हाल ही के प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20 मूली आर्डिक कार्यक्रम पर बत देना था। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के अनुरोध पर इस सम्मेलन ने मिकारिश की कि हृषि विकास के लिए निर्धारित दम घरव (एस विनियन) हॉटर अन्तर्राष्ट्रीय निधि वे एवं भाग को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मूलिकता के लिए इस्तमाल किया जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन—अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन का 61वाँ ग्राहिवेशन 2 जून, 1976 से जेनेवा में शुरू हुआ। इस गम्भीर में भारत के एक विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। बैन्द्रीय थम मन्त्री श्री के बी रघुनाथ रेही जद जेनेवा में रहे तब तक उन्होंने भारत मरकार के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। उनके भारत वापिस आ जाने के बाद डॉ (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, थम मन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया।

इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय थम मानसों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए विपक्षीय मन्त्रणा के सम्बन्ध में एक अभियम्प (सभ्या 144) और एक सिकारिंग (सभ्या 152) स्वीकार की गई। सम्मेलन ने (अपने ग्रामीण ग्राहिवेशन में)

बातावरण में व्यावराधिक सत्रों परे अग्निको के सरक्षण हेतु नए गानको के विकार तथा नर्सों के रोजगार से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में निष्क्रिय भी पारित किए। सम्मेलन में सरचना सम्बन्धी कार्यकारी दल की अवधि वो एक वर्ष के लिए और बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव की भी पुष्टि की, ताकि वह शासी निकाय के गठन से सम्बन्धित मामले सहित विभिन्न अनियुक्त मामलों के सम्बन्ध में आगे और विचार कर सके। विनियम दर में घटबढ़ के परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्याशित प्रतिरिक्ष सचों को करने के लिए सम्मेलन ने 1976 के बजट की तरह 1977 के बजट में 101 लाख छांकर की प्रतिरिक्ष व्यवस्था दी।

**अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन का 62वाँ (समुद्री) अधिवेशन—अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन का 62वाँ (समुद्री) अधिवेशन 13 से 29 अक्टूबर, 1976 को जेनेवा में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के एक विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया। केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री एच. एम. त्रिवेदी ने भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया।**

सम्मेलन में नाविकों के लिए सवेतन छुट्टियों, किशोर नाविकों के सरक्षण तथा उनके रोजगार में अविच्छिन्नता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय लिखते स्वीकार की गई। सम्मेलन ने व्यापारी जहाजों से न्यूनतम मालकों के सम्बन्ध में भी एक अभिसमय स्वीकार किया, जिसे सम्मेलन के अव्यक्त ने अपेक्षित स्तर से हल्के स्तर के जहाजों की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा। सम्मेलन में विश्व के व्यापारी बेडे तथा उसके 20 लाख नाविकों की ओर से प्रत्यार्षीय थम संगठन को उसके भावी कार्य के लिए मार्गदर्शन देने वाले प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

**एशियाई थम मन्त्री सम्मेलन—एशियाई थम मन्त्री सम्मेलन का छठा अधिवेशन 20 से 24 सितम्बर, 1976 के दौरान तेहरान में हुआ। इसका ग्राहोजन ईरान सरकार द्वारा किया गया।**

विचार-विमर्श की गई महत्वपूर्ण मद्दें ये थीं—(i) उत्पादिता प्रोत्साहन और उपाय तथा (ii) अग्निको का प्रशिक्षण और गतिशीलता।

भारत सरकार के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें केन्द्रीय थम मन्त्री और केन्द्रीय थम सचिव शामिल थे, इस सम्मेलन में भाग लिया।

**बहुराष्ट्रीय उद्यमों और सामाजिक नीति के सम्बन्ध के बारे में विपक्षीय सत्राहकार बैठक—दर्ज 1976 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन ने सामाजिक नीति के सम्बन्ध में बहुराष्ट्रीय उद्यमों की समस्याओं का भी समाधान किया। बहुराष्ट्रीय उद्यमों के सम्बन्ध के बारे में विपक्षीय सत्राहकार बैठक मई, 1976 में हुई, जिसकी प्रध्यक्षता एक भारतीय ने की। इस बैठक में यह सिफारिश भी गई कि इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन विपक्षीय सिद्धान्त धोरणा-पत्र तैयार करने के लिए गमुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि इसे सुकृत राष्ट्र राष्ट्र को भेजा जा सके जिससे कि द्रास्तव्यनेशनल कॉर्पोरेशन सम्बन्धी प्राप्तोंग द्वारा बहुराष्ट्रीय उद्यमों के कार्यों के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में सहित तैयार करने के लिए इस पर विचार**

रिया जा सरे। थी टी एस शक्तन, प्रारंभ सचिव की अध्यक्षता में एक घोटा विवादीय दल घोषणा वा मतोंश तंयार करने के लिए स्थापित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन घोषला सान समिति—अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की घोषला सान समिति के दसवें अधिवेशन का आयोजन 28 अप्रैल से 6 मई, 1976 तक जेनेवा में किया गया। इस समिति ने एक सामान्य रिपोर्ट तथा दो तरनीकी रिपोर्ट अर्थात् (i) घोषला सानकों वा प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण और (ii) घोषला सानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विचार किया और दो निष्कर्ष तथा चार प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की बागान सम्बन्धी समिति—अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की बागान बार्य समिति सम्बन्धी का सातवाँ अधिवेशन 8 से 16 सितम्बर, 1976 के दौरान जेनेवा में हो एन ए आगा, अम सचिव की अध्यक्षता में हुआ।

इस समिति ने बागान उद्योगों में सामूहिक सौदानारी मजदूर सघों के अधिकारों के प्रयोग, आकास, विकित्सा और कल्याण सुविधाओं तथा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर विचार किया।

अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन दो भवन, तिविल इजीनियरी और लोड निर्माण समिति—अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की भवन, सिविल इजीनियरी और लोड निर्माण समिति का नौवाँ अधिवेशन 12 से 20 जनवरी, 1977 को जेनेवा में हुआ। सामान्य रिपोर्ट के अतिरिक्त बार्यमूची में निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे—(क) निर्माण उद्योगों में रोजगार और मजदूरी की स्थिता, (ख) निर्माण उद्योग में प्रबन्धकों और अधिकों का प्रशिक्षण। भारत के एक विधीय प्रतिनिधि मण्डल ने उक्त बैठक में भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन के शासी निकाय को बैठकों—अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन के शासी निकाय की बार्य 1976 के दौरान तीन बैठकों हुई और 1977 की पहली तिमाही में एक बैठक हुई। सभी बैठकों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एशियाई देशों में अमिक/जनशक्ति व्यवस्था सुदृढ़ बनने सम्बन्धी एशियाई प्रादेशिक परियोजना के अत्तर्गत दूसरी बर्कशॉप—एशियाई देशों में अमिक/जनशक्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने सम्बन्धी एशियाई प्रादेशिक परियोजना के अत्तर्गत 'एशिया में अम मन्दान्प के अनुसन्धान कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए अम अनुसन्धान संगठनों में प्रादेशिक सहयोग' सम्बन्धी दूसरी बर्कशॉप का आयोजन 21 मार्च से 26 मार्च, 1977 तक नई दिल्ली में किया गया। इस बर्कशॉप का आयोजन राष्ट्रीय अम सम्मेलन, नई दिल्ली द्वारा किया गया और इसमें एशिया के 12 देशों अर्थात् थोस्ट्रीलिया बगलादेश, नद्यजीनैड, इण्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, किलिपाइन्स, श्रीलंका, भारत और याईलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अम तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में तरनीकी सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन क्षेत्रीय विशेषज्ञ दल का दौरा—अप्रैल, 1975 में हुए पांचवें एशियाई अम मन्दी

सम्मेलन के निरुपय के घनुपरण में भ्रतर्याच्छीय थम सगठन के एशियाई सेवीय कार्यालय ने भार्च, 1976 में थम तथा भवद्व जनों में तकनीकी सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के एक 6 सदस्यीय सेवीय विजेपन दल का गठन किया। इस दल के दो सदस्य—आस्ट्रेनिया के धी डन्सू के एलन और नलेशिया के धी के एचनामन 4-13 अप्रैल, 1976 के दौरान भारत आए। इस दल ने थम मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ प्राथमिकता में पाच चुन दुए क्षत्र (जैसे व्यावसायिक सुरक्षा, समाज सुरक्षा, शौद्योगिक सम्बद्ध, जनशक्ति सवा तथा थम सांस्कृती) से तात्पर्यित मामलों के बारे में विचार-विगत किया। इस दल की रिपोर्ट तकनीकी सहयोग परिवोजना सम्बन्धी प्रस्ताव तयार करने तथा एशियाई सेवा में उपलब्ध गुविधाओं और मताओं के आदान प्रदान के लिए स्थायी तन्त्र की स्थापना का आधार ढनेची।

इस दल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में उपलब्ध कमता तथा सुविधाओं का जिज किया और भारतीय अभिक शिक्षा संस्थान (बम्बई), केन्द्रीय अभिक शिक्षा बोर्ड (नागपुर) वारकाना सलाह सेवा तथा थम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय का थम विज्ञान केन्द्र, बेन्द्रीय रोजगार सेवा घनुस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय थम संस्थान, बेन्द्रीय सांस्कृतीय सगठन के सांस्कृतीय संस्थान और वर्षचारी राज्य बोर्ड नियम का विशेष रूप से उल्लेख किया।

इस दल ने महसूरा किया कि जो एशियाई देश अनेक ही विनाशीय पद्धति शुरू करना चाहते हैं या उसका विस्तार करना चाहते हैं, वे यदि भारतीय तजुँदों का प्रत्यक्ष अध्ययन करें तो ऐसा अध्ययन उनके लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने का उपयोगी भाष्यन सिद्ध होगा।

एशियाई देशों में थम व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करते हुए, इस दल ने इस क्षेत्र के देशों के समन आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया। दल ने इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग वो भजदूत बनाने के लिए अनेक उपायों (जैसे नीति सलाह स्तर के वरिष्ठ कार्यिकों की यदला-वदली, सुविज्ञता का आदान-प्रदान, विचार-गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन, संस्थाओं को लिंक करना या मिलाना, सूचना का आदान-प्रदान और विशेषित उपस्कारों का सम्भरण) के बारे में सुझाव दिए हैं।

### III. अन्य महत्वपूर्ण विषय

थम मन्त्रालय ने अगस्त, 1976 में एक 'महिला सेल' स्थापित विद्या गया ताकि वह महिलाओं तथा बाल-अभिकों की समस्याओं को हल करने के उपाय कर सके। यह सेल एक महिला अधिकारी के प्रभार में है और इसको निम्नलिखित काम सौंपे गए हैं।

- (१) समान पारिथमिक अधिनियम, 1976 का प्रवर्तन;
- (२) राष्ट्रीय जनशक्ति और प्रायिक नीतियों के दर्त्चे के प्रत्यंत महिला अभिकों के महत्व में नीतियों तथा कार्यक्रमों का सूचीकरण तथा समन्वय;

(iii) विभिन्न प्राधिक देशों में महिला श्रमिकों में विभिन्न पहलुओं के बारे में गूचना वा एकमीरण, समाजलत, विश्लेषण और प्रसार,

(iv) महिलाओं की जिक्षा, प्रशिक्षण तथा वर्त्याएं को बढ़ावा देने और सामाजिक व आधिक हृष्टि से उनके स्तर को ऊंचा उठाना, और

(v) महिला श्रमिकों से सम्बन्धित कार्यांकों को कार्यान्वित करने के लिए मन्य सम्बन्धित सरकारी अधिकारणों के साथ सम्पर्क रखना।

इस सेल वो जाँचों तथा अध्ययनों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करना पड़ता है तथा श्रमिकों वे क्षेत्र में महिलाओं पर प्रभाव ढालने वाले विधायी उपकरण के प्रबंधन का पर्यवेक्षण भी करना पड़ता है।

सरकारी क्षेत्र के उपकरणों के प्रबन्धक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधि—भारत सरकार ने प्रायोगिक आधार पर सरकारी क्षेत्र के कुछ उपकरणों के प्रबन्धक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की एक योजना आरम्भ की है। प्रारम्भ में हिन्दुस्तान ऐंटीवॉर्टिक्स लिमिटेड, पिम्परी और हिन्दुस्तान भार्गेनिक कैमिल्स लिमिटेड के बोर्डों में एवं-एक श्रमिक निदेशक नियुक्त किया गया।

इस योजना के उपक्रम वी मान्यता प्राप्त यूनियन को तीन व्यक्तियों की नामिका भेजने के लिए बहने की व्यवस्था है, जिनमें से एक व्यक्ति वो निदेशक के रूप में नामित किए जाने वे लिए चुना जाएंगा। नामजदगी के बास्ते पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का हो चुका हो, उपक्रम में इस से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो और निदेशक के रूप में नियुक्ति की कालावधि के दौरान यह दार्ढीत्य की आयु प्राप्त न वरे ले।

बैंककारी कम्पनी (उपकरणों का शर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 के अधीन बनाई गई राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रक्रीण उपकरण) योजना, 1970 में ग्रन्थ वातो के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में कर्मचारियों (जो कर्मकार हो) में से एवं-एक निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था है। इसके अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रमिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, स्टेट बैंक थॉफ इण्डिया तथा उसके सहायक कार्यालयों में श्रमिकों के प्रतिनिधि नियुक्त करने से लिए कार्यान्वयनी की जा रही है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सेल—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों वे वर्त्यान्मा का ध्यान रखने और इस मन्यव्य से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर, 1969 में इस मन्त्रालय में एक सेल स्थापित किया गया। सन् 1976 के दौरान इस सेल ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में प्राप्त हुई 5 शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यान्वयनी वी और उनका तुरन्त निपटारा बरवाया। इसके प्रतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा बनजातियों वो पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सम्पर्क अधिकारी ने मन्त्रालय के पिभिन्न प्रशासनिक अनुभागों में रखे जाने वाले रजिस्टरों वी भी जांच की।

**कार्य अध्ययन—** 1976 के दौरान आन्तरिक कार्य अध्ययन एक ने निम्ननिवित के सम्बन्ध में तीन अध्ययन किए (1) थम ध्यूरो, शिमला, चण्डीगढ़ में मशीन स्टूटनी थापरेटरों के सम्बन्ध में मानक तैयार करना (2) गोदी सुरक्षा निदेशालय द्वारा जहाजों के निरीक्षण के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण और (3) अतिरिक्त महंगाई भत्ता (अनिवार्य निषेच) अधिनियम, 1974 के कार्यान्वयन हेतु लेखे तैयार करने सम्बन्धी मानक। कारबलाना सलाह सेवा और थम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय तथा मुख्य थमायुक्त (वेन्ट्रीय) वी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में अध्ययन शुरू और पूर्ण रिए गए। थम ध्यूरो, शिमला, चण्डीगढ़ वी योजनाओं का मूल्यांकन राम्बन्धी अध्ययन भी किया गया, जिसका उद्देश्य इन योजनाओं के सम्बन्ध में हुई प्रगति के सन्दर्भ में स्टॉफ की स्थिति और इन योजनाओं को जारी रखने की आवश्यकता वी पुनरीक्षा करना था। इस काम को आगे चलाने के लिए एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया था। आलोच्य वर्ष के दौरान खान सुरक्षा निदेशालय, ऊर्गांग और नागपुर क्षेत्रीय थमायुक्त (वेन्ट्रीय) हैदराबाद वे कार्यालय और इस संवालय के कुछ अनुभागों के संघठनात्मक और कार्य माप अध्ययन किए गए तथा क्षतिपूर्ति संगठनात्मक और प्रतियात्मक सुधारों के बारे में सुझाव भी दिए गए। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष के दौरान निम्ननिवित अध्ययन आदि भी किए गए—

1. सभी क्षेत्रीय थमायुक्तों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में एक रामान फवशत्स फाइब्र इडेंसिल मिस्टर आरम्भ किया गया,

2. मुख्य थमायुक्त (वेन्ट्रीय) के संगठन दे अंदर ऐसी जिपिको द्वारा किए जाने वाले काम का गुणात्मक मूल्यांकन।

3. सहायक थमायुक्त (वेन्ट्रीय) मणिलोर के पद की आवश्यकता।

डेस्क अधिकारी प्रणाली जिसका उद्देश्य आगमिक अवस्थाओं में समुचित विचार करके तथा पड़ावों (लेवलों) में कमी करके काम को शीघ्र निपटाना था, 1-1-1975 में अमिक सम्बन्ध प्रभाव में आरम्भ की गई थी। इस प्रणाली का हुए अन्य अनुभागों में भी लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

एक बवाया कार्य निपटान अभियान नप्ताह (फरवरी/मार्च, 1976) और दो बवाया बार्य निपटान अभियान माह (जुनाई, 1976 और फरवरी, 1977) भी मनाए गए जिनके परिणाम उत्तम हवायंक रहे।

**परिवार कल्याण योजना—** चूंकि मणिलोर थेर के 2 करोड़ थमियों में से अधिकांश अधिक परिवार कल्याण योजना के पार हैं, इसलिए मणिलोर थेर में परिवार नियोजन से कार्य का सम्बन्ध करने की दिमेदारी थम मन्त्रालय ने संभाली है। यह काम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए थम कल्याण कार्यकर्तों के एक भाग के रूप में थम मन्त्रालय में एक उन्नमहाया सेल स्कोना गया है और परिवार नियोजन कार्य की परंपरा मन्त्रराष्ट्रीय थम मन्त्रालय द्वारा एक एक. पी. ए. गी. सहायता ने इन मन्त्रालय के संगठनों, मर्यादा-

बमचारी राज्य बोमा निगम विभिन्न खान बह्याण सगठन और बेन्द्रीय धर्मिक शिक्षा बोड ने माध्यम से बी जा रही है।

जिन परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सगठन/यू एन एक पी ए द्वारा उन संगाया जाता है उनमें से एक बमचारी राज्य बोमा निगम है। उस परियोजना के सदृश्य के अनुसार 65 लए बेन्द्र लोगों गए हैं और परियोजना के मात्र, 1977 द्वे समाप्त होने वाले पहले वर्ष में 100 बह्यकरण प्रतिवर्ष की व्यवस्था बी गई है। यद्यपि अधिकारी राज्यों में इस कायद्रम की प्रयत्नि मतोवजनार दिखाई देती है, तथापि, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यह प्रगति उत्तराह्जनक नहीं है। जनवरी नवम्बर, 1976 के दौरान बमचारी राज्य बोमा निगम के औपचालपों में नसवन्दी तथा बह्यकरण के 62,088 आपरेशन विए गए। इस प्रवधि के दौरान आई यू डी के 4,317 और एम टी पी के 2,777 वेस रिए गए तथा पात्र दम्पत्तियों की गमतिरोधी वस्तुत बीटी गई।

खनन क्षेत्रों से सम्बद्धि परियोजना के अन्तर्गत एक अलग चिकित्सा आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस परियोजना को विभिन्न खान बह्याण सगठनों और उनकी चिकित्सा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अध्ययन का चलाया जा रहा है। नियारित लक्ष्य के अनुसार विभिन्न खनन क्षेत्रों के गहन परिवार बह्याण वाय बरने के लिए 25 बेन्द्र पहल ही खोल जा चुके हैं। सन् 1976-77 के दौरान नसवन्दी के 5,000 आपरेशन परन का लक्ष्य था जबकि इसके मुकाबले में 30 नवम्बर 1976 तक 6,539 आपरेशन विए गए। प्रचलित गम निरोधी वस्तुएँ भी बीटी गईं। आपक रूप से प्रचार करने के लिए खान प्रबन्धकों राज्य सरकारों और भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन के सहयोग से परिवार नियोजन प्रदर्शनी एवं नसवन्दी शिविर आयोजित किए गए। नसवन्दी और बह्यकरण बराने वाल व्यक्तियों तथा इस काम के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों द्वारा दरों के अनुमार प्रोत्तराहन राशियाँ दी गईं।

आई एल ओ (यू एन एक पी ए) ने एक अन्य परियोजना के अन्तर्गत बेन्द्रीय धर्मिक शिक्षा बोड ने जनसंख्या और परिवार बह्यकरण शिक्षा के बारे में शिक्षा तथा प्रेरणा देने वाली सामग्री एवं सम्बद्ध श्यामली प्रशाशित की है, ताकि उसका उपयोग (क) धर्मिक शिक्षक स्तर, (ख) ग्रामीण अनुदेशक तथा ट्रेड यूनियन नेता स्तर, और (ग) स्थानीय ट्रुड यूनियनों के प्रतिनिधियों और सक्रिय धर्मियों के लिए एक स्तर पर किया जा सके। यह पहला भौतिक है जिसके लिए जबकि यूनियन ने इस प्रकार जी सामग्री प्रशाशित की है। यह ग्रामीण अप्रेशों में निकासी गई है, और इसका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है तथा इसका सभी राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए प्रयाग किए जा रहे हैं।

संगठित क्षेत्र से जनसंख्या, शिक्षा तथा परिवार कल्याण योजना के बारे में 4 क्षेत्रीय धर्म प्रबन्ध विधार गोठियाँ आयोजित करने के लिए आई एल ओ यू एन एक पी ए की परियोजना के अन्तर्गत सन् 1976 के दौरान दो विचार गोठियाँ (एक दक्षिणी क्षेत्र में हैदराबाद में तथा दूसरी उत्तरी क्षेत्र में लखनऊ में)

आयोजित की गई। अन्तर्राष्ट्रीय थम समठन से आधिक सहायता प्राप्त करके बगलौर में एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई है जो समठित क्षेत्र में परिवार कल्याण प्रोजेक्टों और जनसंख्या में थम व्यवस्था की भूमिका के बारे में थी।

कृपि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय और परिवार नियोजन विभाग की सहायता तथा सहयोग से अब थम मन्त्रालय ने यासीण श्रमिकों में परिवार नियोजन व जनसंख्या शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए एक समिति गठित की गई है।

### रोजगार (Employment)

प्रत्येक देश में काम करने योग्य व्यक्तियों को काम मिलना आवश्यक है। यदि किसी देश के निवासियों को रोजगार नहीं मिलता है तो वह देश समृद्ध व सुखी नहीं हो सकता है। 'रोजगार के अधिक अवसर होने पर लोगों को अपनी समृद्धि और अस्तुयों तथा सेवाओं के उत्पादन में कृद्धि करने में सुविधा रहती है और परिवास-स्वरूप राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होती है।'<sup>1</sup> हमारी समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य मानवीय आनंदकालान्वयों को पूरा करके सत्तोंप्राप्ति करना है। वेरोजगारी तथा अर्द्ध-वेरोजगारी आर्थिक दुर्दशा एवं गरीबी की प्रधानता का सूचक होती है।

पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें वेकारी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत—

1 थम की प्रभावपूर्ण माँग इसकी पूर्ति से प्रधिक होती है।

2 थम की माँग का उचित निर्देशन होता है।

3 थम और उचोग दोनों समठित होने के कारण माँग और पूर्ति में अमायोजन होता रहता है। पूर्ण रोजगार के साथ-साथ वेरोजगारी भी पाई जाती है जिसे अर्थात् उत्पादक वेरोजगारी (Frictional Unemployment) कहा जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने वालों की रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार में दो वार्ते सम्मिलित की जाती है<sup>2</sup>—

1 वेरोजगार व्यक्तियों की तुलना में अधिक जगह खाली होती है।

2 मजदूरी उचित होती है जिस पर सब कार्य करने को तैयार होते हैं।

### पूर्ण रोजगार की शर्तें

एक स्वतन्त्र प्रथं-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु निम्नांकित शर्तें होना आवश्यक हैं—

1 समुचित कुल व्यव बनाए रखना—यदि कुल व्यव अधिक होगा तो इससे विभिन्न उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा, आय प्राप्त होगी, व्यय करेंगे और इसके परिणामस्वरूप उचोग के उत्पादन की माँग बढ़ेगी। यह कार्य निजों उचितियों

1. Saxena, R. C.: Labour Problems and Social Welfare, p. 898.

2. Das Naba Gopal : Unemployment, Full Employment and India, p. 10

द्वारा नहीं किया जा सकता। बत्तमान समय में प्रत्येक सरकार का यह दायित्व हो गया है कि भानवीष साधनों का अधिकार उत्पयोग करने हेतु सावंतव्य व्यय में बढ़ि चरे। राज्य करिव व्यय में बढ़ि घटे के बजट (Deficit Budget) द्वारा किया जा सकता है और अधिक राजगार के अवमर उत्पन्न रिए जा सकत है।

2. उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण द्वारा भी पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जब उद्योगों का स्थानीयकरण होगा तो इसम हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किन उद्योगों में अम वी वितनी रितनी मौग है। इसके लिए बांधनीय स्थानीयकरण को प्रोत्साहन देना होगा।

3. नियन्त्रित थम की गतिशीलता (Controlled Mobility of Labour) – यह तभी सम्भव हो सकता है जब थम बाजार समर्थित हो। यदि थम बाजार समर्थित नहीं होगा तो थमिकों वो न तो पूर्ण रोजगार ही मिल सकेगा और न उचित मजदूरी ही। भारत जैसे विकासशील देश में थमिका अविदित, अज्ञानी एव हडिवादी हान के साथ-साथ असमर्थित भी होते हैं। इसलिए उनमें गतिशीलता का प्रभाव पापा जाता है, उनकी सौदाबारी शक्ति दुर्घट होती है और फलस्वरूप नियोक्ताओं द्वारा बम मजदूरी देने उनका जोपण किया जाता है।

पश्चिमी देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ-साथ पूर्ण रोजगार की रियति भी विद्यमान है लेकिन वेरोजगारी, अद्व-रोजगार और निर्वनता के कारण सरकार मामाजिक सुरक्षा योजनाएँ गुह बरने में असमर्थ होती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इन बुराइयों का दूर करने में सरकार असफल रही है क्योंकि वित्तीय समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।<sup>1</sup>

अविकलित देशों में हम वेरोजगारी तथा अद्व-वेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत जैसे विकासशील देश में वह पचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के बावजूद वेरोजगारी ज्यो वी त्यो बनी है। प्रो नर्सें एं अनुसार, अद्व-विनियुक्त देश कृषि प्रधान है और वही पर कृषि उत्पयोग में 15 से 20% छिरी है वेरोजगारी (Disguised Unemployment) देखने को मिलती है।

“वेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें अन्तर्गत एक देश में काय बरन याग्य व्यक्तियों की कायं करने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें काय बत्तमान मजदूरी दगे पर नहीं मिलती है।”<sup>2</sup>

वेरोजगारी के 5 कार

रोजगार के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वेरोजगारी थम की मौग और पूति में असन्तुत उत्पन्न होने से होती है। जब थम की पूति इमवी मौग से अधिक होती है तब वेरोजगारी होती है तथा इसके विपरीत पूर्ण रोजगार देखने को मिलता है। उनके अनुसार वेरोजगारी दो प्रकार वी होती है—

1. Das Naba Gopal : Unemployment, Full Employment and India, p 23

2. Saxena, R C : Labour Problems and Social Welfare, p 899

1. धर्मणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)—धर्म की माँग और पूर्ति में असन्तुलन उत्पन्न होने से जब थम बेरोजगार हो जाता है तो वह धर्मणात्मक बेरोजगारी कहलाती है।

2. ऐंड्रूल बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)—वह स्थिति है जिसके अन्तर्गत अभिक वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार नहीं होने हैं। अतः प्रतिष्ठित ग्रंथशास्त्रियों के अनुगार बेरोजगारी थम की माँग और पूर्ति के असन्तुलन का परिणाम है।

प्रो. कीन्य के अनुगार बेरोजगारी सम्बन्ध की दृष्टि में नहीं होती है। उन्होंने अन्वित बेरोजगारी (Involuntary unemployment) का विचार दिया है। इसके अन्तर्गत कोई भी अभिक वर्तमान वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। किसी कार्य में लगे रहने मात्र से हम यह नहीं बह सकते कि बेरोजगारी नहीं है। जो व्यक्ति आंशिक रूप से कार्य पर लगे हुए हैं ग्रथवा अपनी योग्यता से कम कार्य पर लगे रहना, योड़े कार्य पर अधिक अभिक लगे रहना वह सब बेरोजगारी ही है।

इस प्रकार ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary unemployment) वह बेरोजगारी है जिसमें अभिक वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार नहीं होता है।

प्रो. कीन्स के अनुगार अधिक बचत (Over-saving) और कम खप (Under-spending) जो कि आय के असमान वितरण का परिणाम है, बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। अत बेरोजगारी को दूर करने के लिए अधिक खप और कम बचत वी जाए जिससे उद्योग में नृदि होती और प्रभावपूर्ण मार्ग (Effective Demand) अधिक होने से अधिक घावित किशास्त्रों के परिणामस्वरूप अधिक साधनों को रोजगार अधिक मिल सकेगा।

बेरोजगारी के कई रूप हो सकते हैं—

1. आर्थिक बेरोजगारी (Economic Unemployment)—वह बेरोजगारी है जो व्यापार चक्रों के उत्तार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक के मन्दी व्यापारिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने से देश में बेरोजगारी फैल जाती है।

2. श्रौतोगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment)—जब कोई उद्योग घमफल हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर कम ग्रथवा विल्कुल ही समाप्त हो जाते तो वह श्रौतोगिक बेरोजगारी का प्रकार होता।

3. ऋतमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—वे उद्योग जो साल भर नहीं चलते हैं और ज्ञेय अवधि में उन्हें बन्द करने से बेरोजगारी फैला देते हैं, मीसामी बेरोजगारी के अन्तर्गत याते हैं।

4. यांत्रिक बेरोजगारी (Technological Unemployment)—उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन के कारण युखने अभिक बेरोजगार हो जाते हैं उन्हें फिर से

प्रणित दिया जाता है। यह उद्योग में विवेशीकरण और आधुनिकीकरण (Rationalisation and Modernisation) वा परिणाम है।

5 शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)—शिक्षा के कारण जब शिक्षित वर्तियों को रोजगार नहीं मिलता है तो यह शिक्षित बेरोजगारी है।

6 छिपे हुई बेरोजगारी या घट्ट-बेरोजगारी (Disguised Unemployment or Under-employment)—यह वह स्थिति है जिसमें थमिह या अक्षियों को कार्य तो मिला हुआ होता है, लेकिन पूरा कार्य नहीं मिला होता है। उदाहरणतया भारतीय इतिहास में ऐसी ही स्थिति है। काम कम है लोगों की सहज अधिक है। बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होती है? पर्याप्त इसके कारण हैं? पूँजी की कमी तकनीकी परिवर्तन, अधिक मजदूरी, अधिक जनसंख्या, अधिक कर भार, ग्रीष्मीय प्रशान्ति, अम सगठनों का अभाव आदि ऐसे तत्त्व हैं जिनके परिणामस्वरूप किसी भी देश के साधनों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना सम्भव नहीं होता है।

बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम विस्तृत वैमाने पर शुल्क वरते पढ़ें जिससे बेरोजगारी कियी भी देश की पर्याप्त जनसंख्या से समाप्त की जा सके।

अम की मांग और पूर्ति में सन्तुत व्यापित करते हेतु रोजगार कार्यान्वयों की स्थापना करनी चाहिए जिससे अम के किना तथा विकेता दोनों ग्रामी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। व्यापारिक चक्रों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार वो ग्रामी आर्थिक नीतियाँ, जैसे—मोदिर नीति, राजसीपीय नीति, मूल्य नीति, मायात-निर्यात नीति को उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए।

मौतमी बेरोजगारी दूर करने हेतु अउग-प्रक्रम मौषम के उद्योगों को एक दूसरे से मिलाकर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। ग्रीष्मीय प्रशान्ति को दूर करने के लिए मुख्य एवं मुमण्डिन अम सघों को प्रोत्साहन देना, बेरोजगारी वीमा योजना शुल्क करना, प्रदन्ध में सहभागिता, आदि कदम उठाए जा सकते हैं।

### भारत में रोजगार की स्थिति का एक चित्र

रोजगार पर सामान्य विवेचना के उपरान्त यह देखना प्रासादिक होगा कि हमारे देश में रोजगार की क्या स्थिति है और पचवर्षीय योजनाप्रो में लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के व्यापिक सन्दर्भ अन्य मत् 1975 एवं 1976 में जो विवरण दिया गया है वह स्थिति का सारपूर्ण चित्रण करता है—

‘बौद्धी योजना दे शुल्क में समिति शेत्र में नीकरी में लगे लोगों की संख्या 166 30 लाख थी। मार्च, 1974 में यह संख्या 192 80 लाख थी जिससे लगभग 26 लाख वी वृद्धि प्रवृट होती है। अधिक वृद्धि सरकारी शेत्र में रही है जो

23 80 लाख थी। चूंकि देश में रोजगार और बेरोजगारी के ठीक-ठीक आँखें सम्पलवध नहीं हैं, नेशनल संघर्ष सर्वे ने यहांने 27वें दौर में एक व्यापक अम सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। जिसके परिणाम भी अभी प्रनीता है।

“सप्तिन शेत्र में नोनरियों की सहस्रा में इस महत्वपूर्ण त्रुटि के बावजूद, यदि साधूएँ और समानुचानिक हटिकोए से देखा जाए तो कहुआ पहेज कि बेरोजगारी बड़ी है। ऐसा जनन्दगी की त्रुटि के परिणामस्वरूप अम-शक्ति में बढ़ीतरी के कारण हुआ है।

‘अस्तु, पहले से ही इतने अधिक रोजगारविदीन लोग हैं जिनको रोजगार देना है। इनके अनिस्तिक मन् 1986 तक ऐसा अनुवान है कि 6.5 करोड़ और अक्तिगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। रोजगार पाने के इच्छुक लोगों की सहस्रा में अनेकों यह वृद्धि सप्तिन शेत्र में रोजगार दे सकते थे बर्तमान क्षमता से साड़े तीन गुनी से भी अधिक होगी। इससे भी, जो कठिन काम आगे बिए जाने हैं, उसका एक प्राशिक रूप सामने आता है, वयोंकि इस समस्या से जुटी अन्य समस्याएँ भी हैं, जैसे—अर्द्ध-रोजगारी और देसे रोजगार जिसका उत्पादन नगण्ड सा हो।

“इसलिए पांचवीं योजना के अन्तर्गत, रोजगार की समस्या वो सबसे बड़िन चुनीती के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है जो बेरोजगारी में तनात् त्रुटि कर रहे हैं। जिन कारणों का उन्नत्व पांचवीं योजना के अन्तर्गत किया गया है उनमें शिक्षा प्रणाली और सामाजिक परम्परा है जिनकी बजह से लोग नौकरी करने के इच्छुक होते हुए भी मारीचिक अम बाले रोजगार से दूर भागने हैं और उच्चमी शिक्षा इनको म उच्चीम लगाने से हिचकिचाने हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उक्त इलाजों में रोजगार के क्षेत्र में ठहराव आ जाना है। निम्नलीली योजनाओं में इस क्षेत्र में जो भी धर लगाया गया उनसे अपेक्षित रोजगार नहीं दिया हुआ।

“पांचवीं योजना में इन अनुभवों से साम उठाने की सिफारिश की गई है। उद्देश्य पह है कि उचित आय स्तर पर रोजगार के अवनरो का बड़े पैमाने पर विस्तार हो। पांचवीं योजना में बड़े हुए विनियोजन कार्यक्रम से नए रोजगार से अधिक अवगत प्राप्त होने की आगा भी जाती है। पांचवीं योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि दिनियोजन कार्यक्रम का कुनात्र ऐसे दिया जाए जिससे अम को यथासम्भव अधिस्थन प्राप्तिकर्ता मिले। अद्देश्य नौकरी ते समस्या का पूरा समाधान नहीं निशाला जा सकता। इसलिए पांचवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग दूसरे के यहाँ नौकरी न बारके यपने रोजगार के अवसर स्वयं पैदा करें। इसलिए, अधिक प्रयास निती, सघु उद्योग, सेवाग्रो, वारिग्राम और व्यापार के क्षेत्र में निए जाएंगे। पांचवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि समाज में गरीब लोगों को रोजगार के अधिक अवगत प्राप्त हो और ऐसे लोगों से आय में वृद्धि हो जो अभी नाम-मात्र की नोकरियां कर रहे हैं। चीथी योजना के विशेष रोजगार कार्यक्रमों के अनुभवों का उपयोग पांचवीं योजना में अधिक उपयोगी रोजगार के अवगत जुटाने में किया जाएगा।

"राष्ट्रीय रोजगार सेवा, 1945 मे शुरू की गई। इसके अन्तर्गत प्रभिन्नित कमचालियों द्वारा चलाए जाने वाले प्रनेश रोजगार कार्यालय खोले गए हैं; ये रोजगार कार्यालय रोजगार वी तलाग मे सब प्रबार के व्यक्तियों की सहायता करते हैं, विशेषकर शारीरिक रूप स वाधित व्यक्तियों, भूतपूर्व सेनियो, प्रनुसूचित जातियों और जन जातियों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक और प्रबन्ध पदों के उम्मीदवारों भी। रोजगार सेवा और भी बाम बरती है जैसे रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र और प्रचारित करना तथा रोजगार और घर्थो सम्बन्धी प्रनुसन्धान के क्षेत्र म सर्वेक्षण और अध्ययन करना। ये प्रनुसन्धान तथा अध्ययन ऐसे प्राधारभूत आकड़ उपलब्ध कराते हैं जो जन जाति के कुछ पहलुओं पर नीति निर्धारण मे सहायता होना है।

"रोजगार कार्यालय अधिनियम, 1959 (रिक्त स्थान सम्बन्धी प्रनिवाय भाग) के अन्तर्गत 25 या 25 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले मालिकों के लिए रोजगार कार्यालयों को प्राप्त यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे मे कुछ अपवाह के साथ जारित करना और समय-समय पर इन बारे मे सूचना देने रहना प्रावश्यक है।" आर्थिक समीक्षा के अनुसार सन् 1974-75 से 1976-77 तक रोजगार स्थिति का चित्रण

भारत सरकार के प्रकाशन 'आर्थिक समीक्षा' सन् 1975-76, 1976-77 और 1977-78 मे समर्थन भेत्र म रोजगार स्थिति का जो विवरण किया गया है वह हमेकुछ वर्ती मे रोजगार स्थिति वी प्रति की ओर सकेन करता है। इस विवरण से हमेयह भी जात होता है कि सरकारी क्षेत्र की किन सेवाओं अथवा उद्योग समूहों मे रोजगार के अवसरों मे विगत वर्षों मे वृद्धि हुई है और देश के रोजगार कार्यालयों के आकृष्टों के प्रनुसार देरोजगारों की फौज कितनी है।

आर्थिक समीक्षा सन् 1975-76 के अनुसार समर्थन भेत्र मे सन् 1974-75 मे रोजगार मे लगभग 2% वृद्धि हुई। लगभग यह सारी वृद्धि सरकारी क्षेत्र मे ही हुई। सभी मुख्य उद्योग समूहों ने (निर्माण को छोड़कर) रोजगार की इस वृद्धि मे योगदान दिया। सेवाओं के क्षेत्र म, जिसके अन्तर्गत कुल रोजगार के लगभग दो बटा एक भाग रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार मे 2.3% वृद्धि हुई है। निर्माण सम्बन्धी उद्योग समूह के क्षेत्र मे रोजगार मे 0.7% की मामूली वृद्धि हुई और वह भी सरकारी क्षेत्र के कारण हुई, किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र मे रोजगार मे कुछ कमी हुई। सेक्रिट सानों तथा पत्तवर के क्षानों के क्षेत्रों मे रोजगार मे (+7.6%) तथा व्यापार और बाणिज्य मे (+8.8%) रोजगार मे उत्तेजनीय वृद्धि हुई, सानों के रोजगार मे वृद्धि, मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन मे हुई पहन्चपूर्ण वृद्धि हो जाने के बजह से माल का लदान करने तथा माल उतारने के लिए जादा तादाद मे कारिकों की आवश्यकता हो जाने के कारण हुई, और व्यापार तथा बाणिज्य क्षेत्र के रोजगार मे वृद्धि वैकिंग सम्बन्धी श्रियाकलाप मे विस्तार होने के कारण हुई। बागानों तथा बनो आदि के क्षेत्रों मे, रोजगार मे 0.5% वृद्धि हुई, जा सबसे कम थी। मकान निर्माण

के काम में लड़े हुए कामिकों की सरका में २·४% की जो कमी हुई, उसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण के काय पर, सासकर सरकारी क्षेत्र में, निर्माण के काम में इस्तेपाल की जाने वाली सीपेट और इसान जैनो दुनियादी चोजों की कमी हो जाने के कारण पाबन्दी लगा दी गई थी।

प्रारंगिक क्षेत्रों के अनुमार सन् १९७४-७५ में संगठित क्षेत्र में रोजगार में सबसे ज्यादा वृद्धि पूर्वी इलाके में (+ २५%) हुई, और इसके बाद रोजगार ने सबसे ज्यादा वृद्धि दक्षिणी इलाके में (+ २·४%) हुई। लेकिन पश्चिमी इलाके (+ १·६%), उत्तरी इलाके (- १·५%) और मध्यर्ही इलाके (+ १·३%) रोजगार में जो वृद्धि हुई, वह अखिल भारतीय स्तर की रोजगार की ग्रोवन वृद्धि में कम थी। उत्तरी इलाके पे राजस्थान, हरियाणा नवा जम्बू और कर्नाटक में, रोजगार में, कमग ५·२%, ४·८% और २·८% वृद्धि हुए, जिन्ह दक्षिणी इलाके में, कर्नाटक तथा प्रान्त प्रदेश में कमग ३·९% तथा ३·८% वृद्धि हुई। परिवनी इलाके में (जिनमें पोशा, दमन और दीन को जामिन नहीं किया गया है) युजरान सबसे प्राप्ते रहा, जहाँ राजगार में ३·०% वृद्धि हुई। इसी प्रकार से पूर्वी इलाके में उडीमा में रोजगार में सबसे ज्यादा वृद्धि (+ ४·१%) हुई और इसके बाद पश्चिमी बगल में सबसे ज्यादा वृद्धि (+ ३·०%) हुई।

पिनम्बर, १९७५ के अन्त में रोजगार कार्यान्वय में नौकरी के लिए नाम लिखाने वालों की संख्या ९२·५४ लाख थी, जो एक वर्ष पहले से ७·१% प्रधिक थी। इससे रोजगार में कुछ कमी होने का पता चलता है, लेकिन पिछले १२ महीनों में ५·४% वृद्धि हुई थी। यह कमी निम्नदैह सन् १९७५ के मध्य तक उठोग की थीरी गति के विकास में जुड़ी हुई है। तब से आर्थिक उत्पादन में सुधार हुआ है विसका पता, प्रधिमूचित खाली स्थानों और दी गई नौकरियों के आँखों से चलता है, जो जुलाई-सितम्बर, १९७५ में, सन् १९७४ की इसी तिमाही के मुहावरे का की प्रधिक थी।

नए आर्थिक कार्यक्रा में रोजगार के अवसर में प्रवेटिसों के मौजूदा सभी खाली स्थानों को तेजी से भर कर रोजगार में वृद्धि की दिशेर रूप से गिरिता युग्मों के रोजगार की परिकल्पना की गई है। जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था उन समय एक लाख उपनिवेश स्थानों में से केवल लगभग दो-तिहाई स्थान वासनब में भरे थे। सितम्बर, १९७५ को समाप्त हुए तीन महीनों की अवधि में लगभग सभी खाली जगहों पे नियुक्ति कर दी गई। प्रभी हाल में अधिमूचित उद्योगों और व्यवसायों की सूची में वृद्धि भी गई है। इसके परिणामस्वरूप प्रवेटिसों की संख्या में कानूनी वृद्धि होने की सम्भावना है।

आर्थिक समीक्षा सन् १९७६-७७ के अनुसार—सन् १९७५-७६ में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में ५·२० लाख अवश्य २·६% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुहूर रूप से सरकारी क्षेत्र में ४·७ लाख रोजगार के अवसर बढ़ जाने के कारण हुई। इससे पता चलता है कि सरकार क्षेत्र में रोजगार, बैर-सरकारी (निजी) क्षेत्र के

0.6% के मुकाबले 3.6% बढ़ा। परन्तु समय-नमूद्य पर कुल गैर-सरकारी श्रीदोगिक एकड़ी वो सरकारी क्षेत्र में लिए जाने की बढ़त में तुलना करने पर गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार वो बृद्धि बहुमात्र होती है। सन् 1975-76 में इन सभी बड़े उद्योगों (पोइंट और चुदारा आपार तथा वित्त पोषण और बीमा आदि समूहों को छोड़कर) में रोजगार में बृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र में, जहाँ कुल रोजगार का लगभग 2/5 भाग उपलब्ध है, रोजगार में 3.0% बृद्धि हुई। इसी तरह विनिर्माण उद्योग समूह में रोजगार में काफी बृद्धि (2.9%) हुई। इस प्रकार सेवाप्रोत्यया विनिर्माण दोनों उद्योग समूहों ने सायुक्त रूप से जिनमें कुल रोजगार का लगभग 64% भाग उपलब्ध है। सन् 1975-76 में सरठिन क्षेत्र में रोजगार में हुई बृद्धि में 72% मध्य तक यागदान दिया। जहाँ तक भवन आदि के निर्माण में रोजगार देने वाला गम्भीर है, कुल मिलाकर हिस्ति यह रही है कि इन क्षेत्र में रोजगार बहुत मामूली-सा बढ़ा क्योंकि सन् 1975 में इस प्रकार निर्माण कार्य कम हुआ। लेकिन वर्ष के मन्त्र में सरकारी क्षेत्र के भवन आदि के निर्माण से सम्बन्धित कार्यकलारों के बारे में सरकार द्वारा वर्ड प्रकार की घट्ट दिए जाने के कारण कुल मिलाकर सन् 1975-76 में इस क्षेत्र में 37000 और ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला। जहाँ तक गैर-सरकारी क्षेत्र में भवन आदि के निर्माण वार्ष से रोजगार मिलने का सम्बन्ध है, मार्च, 1975 से इस क्षेत्र में रोजगार कम होने लगा था पर बाद में सितम्बर, 1975 और मार्च, 1976 के बीच इस क्षेत्र में भी 7000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला।

दिसम्बर, 1976 के अन्त में, देश के रोजगार कार्यालयों की परियों में नोकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या लगभग 97.7 लाख थी जबकि इससे पिछले वर्ष के दिसम्बर के अन्त में इनकी संख्या लगभग 93.3 लाख थी। इसका मनलब यह है कि इस अवधि के दौरान नोकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या में 4.8% की वृद्धि हुई। सन् 1975 में नोकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या में जो 10.6% की वृद्धि हुई थी उसके मुकाबले आलोच्य वर्ष की दर आपेक्षा भी कम है क्योंकि सन् 1976 में इससे पहले वर्ष के मुकाबले 23.0% अधिक सालों पश्चों को अधिसूचित किया गया था और 23.0% ज्यादा नोकरियाँ ही गई थी। शिक्षित वेरोजगारों की कुल संख्या भी 48.05 लाख से बढ़ कर 51.05 लाख हो गई। परन्तु जिक्षित वेरोजगारों की संख्या में हुई यह बृद्धि, सन् 1975 में हुई 6.58 लाख वी बृद्धि की तुलना में बहुत कम थी। रोजगार के अवसरों में श्रीदोगिक उत्पादन बढ़ जाने के कारण बृद्धि हुई है। इससे 'अन्य क्षेत्र' का विस्तार भी हो सकता था। तब भी नोकरी तलाश करने वाले जिन लोगों का नाम रजिस्टरी में दर्ज है उससे भारी चिन्ता दे प्रतावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह बात स्वीकार करनी होगी कि कुल मिलाकर वेरोजगारी की समस्या पर इस बृद्धि का जो प्रभाव पड़ा है वह बहुत मामूली है।

पास्तव में रोजगार कार्यालयों के जरिए जितने अधिक पद भरे गए हैं उनकी

देखने से पहला चलना है कि सन् 1972 और 1973 में प्रथम प्रधन-कर्मसूति में कुछ छोटे-छोटे श्रौद्धोगिक क्षेत्रों में मन्दी की स्थिति दिखाई देने से पहले, जितने समयता, पद भरे गए थे लगभग उन्हें ही खाली पद आलोच्य वर्ष में भरे गए हैं। इसके अन्तर्गत इन अंकड़ों से न यह पता चलना है कि देहातों में वेकारी किंगनी है और कम रोजगार कितने हैं। जो भी सकेत उपलब्ध है उनसे यही पता चलना है कि समस्या गम्भीर है और हर रात भयावह होनी जा रही है। इन्हिए न केवल नए लोगों को रोजगार देने के लिए बहिरं पहले के वेकारी को रोजगार देने के लिए यदि रोजगार के अवसर बढ़ाना है तो इस दिक्षा में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। खास तौर पर पचवर्षीय आयोजनाओं को, जिनमें रोजगार को प्रबल तक विकास प्रक्रिया का गैण्डी अग्र समझा जाता रहा, नया रूप देना होगा और उनमें रोजगार को विकास का एक अभियान आग मानकर उसे प्रमुख स्थान देना होगा।

आर्थिक समीक्षा सन् 1977-78 के अनुसार—सन् 1976-77 में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में 4-60 लाख अकड़ा 2-3-6 की दृष्टि हुई यह दृष्टि मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बढ़ जाने कारण हुई, परन्तु समय-समय पर कुछ बैर-सरकारी श्रौद्धोगिक एकको को सरकारी क्षेत्र में लेने का भी प्रभाव पड़ा। सन् 1976-77 में रोजगार दृष्टि का एक दिनवस्त पहलु यह रहा कि रोजगार दृष्टि लघु क्षेत्र (रोजगार आकार 10-24 व्यक्ति) में भवित्व थी, इस प्रकार लघुस्तरीय उद्योगों में गतिशीलता अधिक रही।

रोजगार कार्यालयों की परियों में शौकरी के लिए नाम वित्ताने वालों की सहाय अवकूपन, 1977 के अन्त में 1 करोड़ 8 लाख थी।



०६% के मुकाबले  
एकत्रों को इन देशों में  
देश में हैं अमेरिका  
उद्योगों में भी भूमिका  
दो देशों में भी भूमिका

## मौर संयुक्त राज्य अमेरिका

... आर-सेवा संगठन : संगठन,

# 6

कार्य एवं उपलब्धियाँ; भारत में  
श्रमिक भर्ती की पद्धतियाँ; भारत  
में रोजगार सेवा-संगठन

(ORGANISATIONS, FUNCTIONS & ACHIEVEMENTS  
OF EMPLOYMENT-SERVICE ORGANISATION IN  
THE U. K., U. S. A. IN GENERAL; METHODS OF  
LABOUR RECRUITMENT IN INDIA, EMPLOYMENT  
SERVICE ORGANISATION IN INDIA)

### रोजगार या नियोजन सेवा संगठन (Employment Service Organisation)

अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (International Labour Organisation) ने सन् 1919 में एक प्रस्ताव पास कर प्रत्येक सदस्य देश को नि शुल्क रोजगार सेवा (Free Employment Service) की स्थापना की विफारिणी की। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि सन् 1921 में की। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour) ने यह सिफारिणी की कि जब मालिकों को कारबाने के दरवाजे पर आसानी से पर्याप्त सख्ता में श्रमिक मिल रहे हैं तो फिर रोजगार कार्यालय चलाने की वोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस विचार के बावजूद भी सप्रू वैरोजगार समिति, थम अनुसन्धान समिति, विहार एवं कानपुर थम जांच समितियाँ, नई नियाकातायों और श्रमिकों की परिपदों ने रोजगार सेवा चलाने हेतु प्रबल समर्थन दिया।

युद्धशालीन विभिन्न प्रकार वे श्रमिकों की माग युद्धोत्तर कालीन पुनर्वासि एवं पुनर्निर्माण कार्य आदि में इस प्रकार वी सेवा वा कार्य काफी सराहनीय रहा।

### अर्थ (Meaning)

रोजगार या सेवा नियोजन कार्यालय वे कार्यालय हैं जो इच्छुक व्यक्तियों को उनकी इच्छा तथा योग्यतानुसार काम तथा मालिकों को उनकी आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने वा कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, थम के द्वेष्टा (मालिकों)

व विक्रेता (अधिकों) को एक दूसरे के नमकों के लावर धन की मांग और पूति में मनुरुत स्पाइन बनने वा कार्य करने हैं। ये एक प्रोट अधिक का नाम, यात्रिया, अनुभव सौर विशेष नवीन मध्यांचित लेका रखते हैं तो उभयों द्वारा भालिको द्वाग दी जाए वाली नौवरी व इनके द्वाग द्वितीय अधिकों के प्रकार ने नम्बन्धित मूचना रखते हैं। जब भी यात्री जगह निकलती है तो उभयों रखी गई योग्यता, अनुभव व यथा अचिक्षित को देखकर उम प्रकार के अधिकों के नाम निशात रिए जाते हैं और ये नाम दृच्छित मानिह के दाम नेत्र दिए जाते हैं। अनिम चदत मानिक पर निर्भर करता है। इस प्रकार नियोजन कार्यान्वय धन की मांग द्वारा दूर्ति का समाप्तोजन इस तरह करते हैं कि उचुक अधिक के लिए उचित नौकरी पा कार्य मिल जाए।

रोडगार कार्यान्वय सेवकार के प्रबन्धों ने दृढ़ि ही नहीं लगाते हैं बल्कि वे प्रबन्धकार में ही धन की मांग और पूति में मनुरुत स्पाइन करने का कार्य करते हैं। अधिकों द्वारा यूरित वर्ते रोडगार प्राप्त करने वे नहायता करते हैं तथा दूनरी द्वारा भालिको को यूरित वर्ते उभयों धन की मांग द्वारा उभयों वर्ते में यूरित देते हैं। उम प्रकार के धन की गणिती जना ने दृढ़ि करके उभयों उहायता में दृढ़ि करते हैं जिसे देग में देखकर पहले साथों का पूर्ण उपरोग होता है, राष्ट्रीय ग्राम में हृदि होती है और देशवासियों के आधिक कर्माना में दृढ़ि होती है।

रोडगार कार्यान्वयों के उद्देश्य

### (Objectives of Employment Exchanges)

रोडगार कार्यान्वयों के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

1. अधिकों व मानिकों के द्वीप समव्यय समाप्ति करना—धन की मांग और पूति दोनों ने मनुरुत स्पाइन वर्ते धन के विक्रेता (अधिक) द्वारा अद वेता (मानिक) को एक दूसरे के नियोजन कार्यकर उनको प्रावश्यकनायों की पूर्ति करना इन कार्यान्वयों का उद्देश्य है।

2. अद की सतिगोत्ता में दृढ़ि करना—रोडगार कार्यान्वयों ने अधिकों को सानूम हो जाता है कि उनकी मांग रक्ती अधिक और नहीं नम है। नार्यान्वय अधिकों की यूरित वर्ते धन की कन मांग वाले ऐत्र से अधिक मांग दाते होते ही और स्थानान्तरण करने वा कार्य करने हैं।

3. अधिकों की भर्तों में घाट्य भाग्यवार दी सनात्त करना—रोडगार कार्यान्वय रोडगार देने वाले (मानिक) व रोडगार प्राप्त करने वाले (अधिक) के द्वीप मध्यस्थ वा कार्य वर्ते नियुक्त नेत्रा प्रदान करते हैं। पहले स्थानों, दूसरों, द्वारा आदि द्वारा अधिकों की भर्तों जी जाती थी। वे अधिकों ने विनियन प्रकार की रिक्त भर्तों पर और उनका गोपन करने पर। रोडगार कार्यान्वयों के स्पाइन ही जाने से घट्यवार सनात्त हो रहा है।

4. आधिक नियोजन में सहायक—इत्येक देग में दोबना वकारर आधिक विकास के कार्यक्रम गुह किए गए हैं। इन कार्यान्वयों द्वारा दोरोडगारी, दोमा दो रमा,

पुनर्वाग, पुनर्निर्माण आदि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं और इनको नियान्वित भी किया जा सकता है जो कि आविक नियोजन का अभिन्न अंग है।

5. प्रशिक्षण व परामर्श की मुद्रिपाएँ प्रदान करना—रोजगार कार्यालय अभियोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं तथा साथ ही विस व्यवसाय में प्रवेश किया जाए, किस प्रसार की जिकरा ली जाए, भावी व्यवसर कहाँ है, इन बदल पर वच्चों के मात्रा विताओं अथवा सरकारों को व्यावरायिक परामर्श देने वाले कार्य करते हैं।

6. अनेकछुर बेरोजगारों को कम करना—प्रत्यक्षाल में ही इन कार्यालयों द्वारा सामानी स्थान होने पर रोजगार दिला न वेकारी को बम किया जा सकता है। इससे वेकार पड़े मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि बरना सम्भव हो जाता है।

7. आवश्यक आंकड़ों का संग्रहण एव प्रकाशन—रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, रोजगार दिनाए गए व्यक्तियों की संख्या, वेकार व्यक्तियों की संख्या आदि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित एव प्रकाशित किए जाते हैं। इन आंकड़ों की सहायता से सरकार देश में रोजगार नीति को नया मोड़ दे सकती है।

### रोजगार दफतरों के कार्य

#### (Functions of Employment Exchanges)

रोजगार दफतरों के कार्य निम्नांकित हैं—

1. मध्यस्थी का कार्य—ये कार्यालय अभियोगों और मालिकों के बीच एक कठी के रूप में मध्यस्थिता करके दोनों पक्षों में समन्वय कराते हैं। इससे श्रम की मीमग और पूर्ति दोनों में सन्तुलन स्थापित हो जाता है।

2. श्रम की यतिशीलता में वृद्धि—रोजगार कार्यालय वेकार पड़े अभियोगों को सूचित करके जहाँ उनकी मांग अधिक है वहाँ रोजगार प्राप्त करने वा निर्देश देते हैं। जहाँ श्रम का अभाव है वहाँ बचत वाले क्षेत्र से अभियोगों को भेजकर उसकी यतिशीलता में वृद्धि करने का कार्य रोजगार कार्यालयों द्वारा ही सम्भव हो पाता है। अज्ञानता के कारण श्रम के असमान वितरण को रोजगार दफतरों द्वारा समान किया जाता है।

3. अभियोगों की भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार वो समाप्ति—रोजगार कार्यालय सरकारी कार्यालय हैं। ये रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त सेवा प्रदान नहीं करते हैं। अभियोगों की भर्ती ठेकेदारों, मध्यस्थी, जावसं आदि होने पर वे अभियोगों से रिश्वत सेते हैं, उनका शोषण करते हैं। अत मध्यस्थी द्वारा भर्ती प्रणाली में व्याप्त रिश्वत तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य इन दफतरों द्वारा किया जाता है।

4. आंकड़ों का संग्रहण एव प्रकाशन—रोजगार दफतरों द्वारा बेरोजगारी और मानवीय शक्ति से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उन्हें प्रकाशित किया जाता है जिससे श्रम बाजार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है।

5. विभिन्न योजनाओं को शुरू करना और क्रियान्वित करना—रोजगार कार्यालय विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चालू करते हैं तथा उनके क्रियान्वयन का कार्य भी करते हैं। इससे सरकार को मदद मिलती है। ये योजनाएँ हैं—वेरोजगारी बीमा, पुनर्निर्माण व पुनर्वर्ति का नृप, आदि।

6. प्रशिक्षण और परामर्श का कार्य—रोजगार दफ्तर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न व्यावसायों के सम्बन्ध में व्यावसायिक परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी ये कार्यालय परामर्श सम्बन्धी मुद्रिताएँ प्रदान करते हैं।

7. घर्वणात्मक वेरोजगारी को कम करना—रोजगार दफ्तर शानी नि शुल्क सेवाओं द्वारा घर्वणात्मक वेरोजगारी को कम करने में सहायता होते हैं। यद्यपि ये रोजगार का सूचन करते वाले दफ्तर नहीं हैं, फिर भी जगह खाली होते तथा उसको भरने के बीच के समय को कम करने का कार्य करते हैं।

### रोजगार दप्तरों का महत्व

#### (Importance of Employment Exchanges)

सर्वप्रथम इन दप्तरों ने महत्व सन् 1919 में स्वीकार किया गया यद्यकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक मदस्तर देश द्वारा वैन्द्रीय सरकार के मध्येन ऐसे वार्षिक खोले जाएँ। सन् 1947 में गुनः इस प्रश्न को उठाया गया और सभी सदस्य देशों से इन नियोजन कार्यालयों की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई। सन् 1948 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इन वार्षिकों के प्रमुख कार्यों की खुपरेखा दी गई। इसके साथ ही इनको सफल बनाने के लिए मालिकों और मन्त्रदूरों के सहयोग वी अपेक्षा की गई।

रोजगार दफ्तरों के महत्व को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

1. राष्ट्रीय लाभीश में वृद्धि—रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय लाभीश में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ये कार्यालय एक और अनैन्द्रियक वेकारी (Involuntary Unemployment) को समाप्त करके बैंकों साधनों को रोजगार प्रदान करते हैं, दूसरी प्रोट जिस कार्य के लिए उपयुक्त है वह कार्य भी दिलाया जाता है।

2. श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन—रोजगार कार्यालय श्रम की मांग और पूर्ति में समायोजन करते हैं। जहाँ पर श्रमिकों की मांग अधिक है वहाँ श्रमिकों को मूलना प्रदान करके कम मांग वाले स्थान से उनका स्थानान्वरण करने में सहायक होते हैं। श्रमिकों को जान नहीं होता कि कहाँ उनकी मांग है पौर न ही मालिकों को मालूम होता है कि कहाँ श्रमिक वेकार पड़े हैं। अब इन कार्यालयों द्वारा सूचना देकर श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है।

3. श्रम बाजार का विकास—मुद्रा तथा पूँजी का जहाँ क्रय-विक्रय होता है वह मुद्रा और पूँजी बाजार बहलता है। इनका विकास हो गया है, लेकिन श्रम के क्रय-विक्रय हेतु किसी संगठित श्रम बाजार वा भ्रात्य पाया जाता है। रोजगार कार्यालयों की सहायता से इस प्रकार के संगठित श्रम बाजार का विकास सम्भव हो पाया है।

4. जनता को नि शुल्क व निष्पक्ष होगा प्रदान करना—रोजगार कार्यालय में कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है अपना नाम, पता, पोशयता, उम्र, अनुभव, इच्छा नोटी आदि क सम्बन्ध में सूचना देकर अपना पंजीयन करवा लेता है तथा उसी ओर मालिक इन कार्यालयों को सूचित करता है कि किन प्रकार की जगह उसे पाया जाता है। इन दोनों पक्षों से रोजगार कार्यालय कुछ भी नहीं लेते हैं। समय समय पर दोनों को सूचित किया जाता है। यह सब नि शुल्क होता है।

5. रोजगार सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करना—रोजगार कार्यालय से हमें रोजगार पाने वालों की संख्या, रोजगार दिलाने वालों की संख्या और बेरोजगारों की संख्या आदि के सम्बन्ध में सूचना मिलती है। इन सब के सम्बन्ध में ये कार्यालय आँकड़े तंत्रिका करते हैं।

6. प्रशिक्षण य परामर्श सुविधाएँ—इन कार्यालयों का महत्व विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण य परामर्श सुविधाओं के रूप में भी देखा जा सकता है। ये वच्चों के माता पिता वो भी व्यवसाय के सम्बन्ध में परामर्श देने का कार्य भी करते हैं।

7. समस्त समाज और देश को लाभ—इन कार्यालयों का महत्व हम समस्त समाज और देश को प्राप्त होने वाले लाभों के रूप में देख सकते हैं। इनसे गुण्यत निम्नतिलित लाभ प्राप्त होते हैं—

1. अभिक्षों की गतिशीलता में वृद्धि होने से रोजगार के अवसर मिलते हैं।

2. उपयुक्त कार्य पर उपयुक्त व्यक्ति के लगाने से उत्पादकता बढ़ती है और न देवल समाज को बल्कि समस्त देश को राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से लाभ मिलता है।

3. अभिक्षों को रोजगार दफ्तरों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक परामर्श से उनकी व्यक्तिगत कार्यकुशलता बढ़ती है, उनकी माय बढ़ती है और परिणामस्वरूप जीवन स्तर उच्च होता है।

### इंगलैण्ड में रोजगार सेवा संघठन -

#### (Employment Service Organisation in U. K.)

भारत में ब्रिटेन पद्धति के आधार पर ही रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले रोजगार दफ्तर सन् 1885 में स्थापित किया गया था। ये नि शुल्क सेवा प्रदान करते थे, लेकिन जिन्हें नौकरी मिलती थी उससे अवश्यान लिया जाता था। स्थानीय सम्पाद्धों को रोजगार दफ्तर स्थापित करने के अधिकार प्रदान करने हेतु अम स्ट्रान अधिनियम, 1902 (Labour Bureau Act, 1902) पास किया गया था। बेरोजगार अभिक्षों अधिनियम, 1905 (Unemployed Workmen's Act, 1905) के कारण 25 रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए थे। सबसे पहले वास्तविक रोजगार कार्यालय व्यापार-मण्डल (Board of Trade) के माध्यम से सरकार ने स्थापित किए। यह सन् 1910 में याही अम आयोग की विफारिशों के आधार पर अम कार्यालय

अधिनियम, 1910 (Labour Exchange Act, 1910) के तहत स्थापित किया गया। देश को इन कार्यालयों की स्थापना हेतु 11 प्रदेशों में विभाजित किया गया और केन्द्रीय कार्यालय संघर में रखा गया। जब यन् 1916 में अमेरिका ने खोना चाहा तो रोजगार कार्यालयों का प्रशंसना ओर-पाइन में इनके प्रबन्धन कर दिया गया। इन्हे अब रोजगार कार्यालय कहा जाता है। इन कार्यालयों की कार्य प्रणाली हेतु एक समिति बन् 1919 में नियुक्त की गई। इस समिति ने इन्हे गण्डीय स्वार पर असनाने की सिफारिश की और राष्ट्रीय बीमा योगदान भी इन्हीं कार्यालयों द्वारा चलाने की मिलारिश दी। परिलामेंटर वेरोजगार बीमा अधिनियम, 1920 (Unemployed Insurance Act, 1920) पास किया गया। इनके पास करने के पश्चात् इन कार्यालयों द्वारा लगभग 12 मिलियन थविहो का बीमा किया गया।

अमेरिका और राष्ट्रीय बीमा दोनों ही अब इनैण्ड में रोजगार सेवा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। अब रोजगार सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श को भी सम्मिलित कर लिया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श हेतु रोजगार और प्रशिक्षण अधिनियम, 1948 (Employment & Training Act, 1948) पास किया गया है। वर्तनान समय में प्रेट-ब्रिटेन में रोजगार सेवा प्रदान करने हेतु देश में रोजगार कार्यालयों का जाल-सा विद्युत्या ढूँढ़ा है। इनकी संख्या 1500 के लगभग है। रोजगार कार्यालयों के प्रभावशूल्क कार्य हेतु थविहो और मालिकों का सहयोग होना आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय रोजगार समितियाँ (Local Employment Committees) स्थापित कर दी गई हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण योगदान को मुकाबल रूप से चलाने के लिए 14 सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधा प्रदान की गई है।

### अमेरिका में रोजगार सेवा संगठन (Employment Service Organisation in U.S.A.)

सर्वप्रथम सन् 1834 में न्यूयॉर्क में रोजगार सेवाएँ प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत मानिह थविहो को प्राप्त करने थे। सन् 1890 में थोहिंगो प्राप्त में सर्वप्रथम कानून के अन्तर्गत सार्वजनिक रोजगार सेवा शुरू की गई। प्रथम महायुद्ध में सभीय सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा शुरू की। जिन प्राप्तों में रोजगार सेवा नहीं थी वही इन तेजा का उत्पोष वेरोजगार अक्तियों से रोजगार दिलाने में किया जाता था। कई प्रार्थिक एवं अमेरिका समस्याएँ अन्तर्राजीय प्रदूहर की होने के कारण वेनर पेटर अधिनियम, 1933 (Wanger Payser Act, 1933) पास किया गया जिसके मन्तर्गत नि युक्त राष्ट्रीय रोजगार सेवाएँ राज्यों के अधीन चलाई गई। मधीय सरकार का कार्य विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाली रोजगार सेवा संस्थाओं में समर्पण स्थापित करना था। सन् 1915 से पहले निजी भेत्र में भी रोजगार सेवा मंडायाएँ थीं। इन्हें लाइसेंस देना पड़ता था। यह इस प्रकार की निजी संहस्राओं का नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत किया जाता है। प्रथम महायुद्ध काल में इन संहस्राओं ने प्रदूहराणे एवं सर्वानीय कार्य किए रुद्ध कामों का लाभ किया। बीसा

पाता है। वे भारत में आमर स्थायी रूप से नहीं बन पाते हैं तथा वापिस गौर को खा न जाते हैं। इसी प्रकार अधिक रिश्वत देने वाले अमित्र वो भर्ती और उस रिश्वत दाने अमित्र वो निशाल दिया जाता है त्रिमूर्ति परिणामस्फूर्त्ता अमन्यरित्वर्तन (Labour Turnover) में गृद्धि हो जाती है। अमित्रों का दिनित प्रकार से जोखा दून ग भी व योग्य चल जाते हैं और अनुरक्ष्यन रहते रहते जाते हैं।

शाही अम आयोग, 1931 (Royal Commission on Labour, 1931) वे अनुगार अमित्रों की मध्यस्थी द्वारा भर्ती की पद्धति से अन्तर्भूत, 'मध्यस्थी की भर्ती बड़ी मुहूर्त है। यह आश्चर्यजनक हाला यदि इनके द्वारा अमित्रों की स्थिति से लाभ नहीं उठाया जाता है। कुछ दूरवाने तेम हैं जहाँ अमित्रों की मुख्या मध्यस्थी व ज्ञाय म नहीं है। अन्य दोषों में अमित्रों की भर्ती करता और उनको भीररी से दूरान क अधिकार मध्यस्थी को प्राप्त है। यह युगांडा एवं उच्छोग से दूसरे उच्छोग और एक विश्व रोड से दूसरे विश्व पर कुछ मात्रा तरं भिन्न भिन्न है। नीरारी लगाने हेतु रिश्वत साथ अनुरक्ष्यन क बढ़ रोजगार देने हेतु भी रिश्वत प्राप्त की जानी है।'"<sup>1</sup>

मध्यस्थी द्वारा भर्ती की बनेवाले हित्यनि घीर भवित्व (Present position and future of the recruitment of labour through Intermediaries)— अमित्रों की मध्यस्थी द्वारा भी जान वाली भर्ती वा तरीका अमन्यरित्वर्तन व अप्राप्तिकीय है। हाल ही के वर्षों में इन मध्यस्थी के अधिकार छीनहार रिश्वतकोरी व भट्टाचार का काम करने की विज्ञा में कदम उठाए गए हैं। बम्बई व शोभापुर जैम बेंग्लो पर बदली अमित्रों की भर्ती पर निवन्धण लगाने के बावजूद भी इन मध्यस्थीों को न तो पुणे रूप से समाप्त ही विद्या जा सकता है और न भर्ती पर इनके प्रभाव को दूर विद्या पाया है। "उत्तरी भारत मानिसों के मध्य (North Indian Employers Association) ने भी मध्यस्थी द्वारा भर्ती पद्धति में पाए जाने वाली रिश्वत-घोरी और भट्टाचार को स्वीकार दिया है लेतिन उन्होंने असमर्थना प्रकट की दिरोजगार चालू रखने के निष्प इसे बैंगे गमाप्त किया जा सकता है।"<sup>2</sup>

अम अनुग्रहान समिति (Labour Investigation Committee, 1944) ने यह विचार प्रकट किया था कि हमारे अमित्र अभी इनके गतिशील और विकास के स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं कि उनकी भर्ती मध्यस्थी के बिना ही सम्भव हो सके।

शाही अम आयोग ने यह गिरावरिग वीं धी कि अमित्रों की भर्ती और उनको काम से हटाने के जोड़वाले वे अधिकारी वो समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर प्रत्येक वारसाने में अम अधिकारी प्रयत्न जतरन भेजेवर द्वारा अमित्रों वीं प्रत्यक्ष क्षम से भर्ती की जाए।

हाल ही के वर्षों में अमित्रों की भर्ती हेतु प्रत्येक वारसाने में 'बदली'

<sup>1</sup> Report of the Royal Commission on Labour, p. 24

<sup>2</sup> Saxena R. C. : Labour Problems & Social Welfare, p. 31.

प्रणाली' (Badi System) लागू कर दिया गया है। इसके साथ रोडगार कार्यात्मकों के माध्यम से भर्ती करना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है।

### (ख) ठेकेदारों द्वारा भर्ती

#### (Recruitment through Contractors)

अनेक भारतीय उद्योगों में थमिकों की भर्ती ठेकेदारों के द्वारा होती है। यिस प्रकार हम अपने वैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए डेना देखते हैं, वहसे ही कारखानों में भी ठेके द्वारा कार्य पूरा करवा लिया जाता है। थमिकों की यह भर्ती पद्धति इतीनियरिंग विभाग, राज्य तथा केन्द्रीय सार्वजनिक नियमित विभाग, रेलवे, सूती वन्द्र उद्योग, सीमेट, कागज और खानों आदि उद्योगों में प्रचलित है।

इस प्रकार की भर्ती पद्धति के प्रचलन के कारणों में शीतल ही थमिकों की माँग पूरी हो जाना, कार्य शीघ्रता से पूरा करना, थमिकों की नियारानी की जहरत न होना प्राप्ति प्रमुख हैं। इसके साथ ही कारखानों के मालिक अब थमिकों से—कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मानूसत लाभ अधिनियम आदि नियमों को लागू करने से छुट्टे जाते हैं और इसने उनको लाभ होना है। मालिकों को थम कर्त्तव्य पर भी व्यय न करने से वित्तीय लाभ प्राप्त होता है।

इस पद्धति के कई दोष भी हैं—

1. थमिकों को कम मजदूरी दी जाती है क्योंकि उनकी भर्ती ठेकेदारों द्वारा दी जाती है जो इब्द भी उनकी भर्ती से लाभ करना चाहते हैं।
2. थमिकों से अधिक धन्दे कार्य लिया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य व कार्य कुण्ठलता पर विपरीत प्रभाव गढ़ने से उत्पादन में गिरावट आती है।

जाही थम ग्राहोग ने इस पद्धति की आलोचना करते हुए सिफारिश की थी कि प्रबन्धकों को थमिकों के चयन, कार्य के पार्श्व और थमिकों नो भुगतान आदि पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। विद्वार थम जौव समिति ने भी इस पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की है क्योंकि इसके द्वारा थमिकों की अमहाय स्थिति का शोषण किया जाता है। वर्द्धित वस्त्र थम जौव समिति ने भी यह सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि ठेकेदारों द्वारा निम्न गति पर ढेका प्राप्त किया जाता है तथा वे अपना व्यय कमाने हेतु थमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनका शोषण करते हैं।

इन सभी विवारों को ध्यान में रखते हुए हमें ठेके के थम के स्थान पर भर्ती का प्रत्यक्ष तरीका अपनाना चाहिए। सार्वजनिक नियमित विभागों में ठेका थम परमावश्यक है, वहाँ उसको नियमित किया जाना चाहिए। सभी थम कानून ठेका थम पर पूर्ण रूप से लागू किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में ठेका थम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रनालीयत पाई जाने वाली मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। अधिकारी औद्योगिक समितियों ने ठेका थम को समाप्त करने की सिफारिश भी है।

थम मनुसंधान समिति (Labour Investigation Committee, 1944)

ऐ पदनुसार मध्ये प्रशासन येणे ठेवा थम दो समाप्त नहीं करता चाहिए। "जहाँ आवश्यक हो वही इसको समाप्त नवी करता चाहिए जैसे कारखाने में दीवारों की पुताई, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बांध प्रादि। इसके अनिवार्य जहाँ भारतीक थम यानुनों से बचते व तिए ठेवा थम का सहारा लेते हैं, उस विस्तृत ही समाप्त विषय जाना चाहिए।"

#### (ग) प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति

##### (Direct Recruitment System)

शाखानामा उदायगों में अभियोगी की भर्ती वहे पैमाने पर प्रत्यक्ष हा से की जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती बम्बई, मद्रास, पंजाब, बिहार और उडीसा राज्यों में प्रचलित है। इस पद्धति के अन्तर्गत कारखाने के दरवाजे पर नोटिस लगा दिया जाता है कि इनने अभियोगी की आवश्यकता है। जनरल मैनेजर स्वयं अपना मन्त्र नियुक्त व्यक्ति दरवाजे पर प्राप्त अभियोगी का चयन वर लेता है। कभी कभी वहने से बाहर में लग अभियोगी को यह सूचित कर दिया जाता है कि इनने अभियोगी की आवश्यकता है। वे अपने दोस्तों, सम्बन्धियों प्रादि को इस विषय में सूचित कर देते हैं और वे नियित नियि वर आ जाते हैं। यह पद्धति अकुणूप अभियोगी के लिए उपयुक्त है। अद्य-बुश्त तथा कुनूर अभियोगी की भर्ती में कठिनाई आती है। इन्ही भर्तीया तो पदोन्नति द्वारा करदी जाती है अपना प्रावेशन-गत आमंत्रित करके उनकी जौक, परीक्षा व साक्षात्कार द्वारा चयन कर दिया जाता है। कुछ अतिविनियत कारखानों (Un-regulated Factories) में भी इस पद्धति द्वारा अभियोगी की भर्ती की जाती है। उदाहरणार्थ बोडी बनाना, नारियल की चटाइयों बनाना आदि उद्योगों में यह पद्धति अपनाई जाती है।

शाही थम आयोग ने मध्यस्थी द्वारा भर्ती के दोषों को समाप्त करने के लिए जनरल मैनेजर के अपील थम अधिकारी (Labour Officer) नियुक्त करने की सिफारिश की थी। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष भर्ती हेतु इस प्रशासन के थम अधिकारी तभी कारखानों व उद्योगों में नियुक्त कर दिए गए हैं।

#### (घ) बदली प्रथा

##### (Badli System)

इस पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक माट भी पहली तारीख वो कुछ जुने हुए सोगों को बदली बांडे दे दिए जाते हैं। ये नियमित हृष्ण से कारखान म आते रहते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु इनसे प्राप्यमितता दी जाती है। यह प्रथा मध्यस्थी के द्वारा भर्ती के दोषों वो दूर करने के लिए अपनाई गई है। इसके अन्तर्गत अभियक्ष स्थाई, अस्थाई, बदली प्राप्त वर्गों में विभाजित रिए जाते हैं।

#### (द) थम अधिकारियों द्वारा भर्ती

##### (Recruitment through Labour Officers)

शाही थम आयोग, 1931 ने मध्यस्थी द्वारा भर्ती के दोषों को समाप्त

करने हेतु इन पदवियों की विस्तारित की थी। इसमें लालहानों ने अमेरिकागी किसुल रिहर्स जाने हैं। इनका काम अभियों की भर्ती करना है। ये अधिकारी प्रामोश लेनों में आवार भर्ती का काम करते हैं। नकेन देशभिन्नों ने अमेरिकियों होने के कारण उनका इनका विशेष प्राप्त नहीं कर पाने हैं जिनका नियम स्थानीय परिवर्तन व्यक्ति।

### (च) अन्य समृद्धियों द्वारा भर्ती

#### (Recruitment through Trade Unions)

हुदूद समितियों का अन्य नियों में सुन्दर एक सुवर्गात्मक अन्य समृद्धि है। इन सदों के पास इन स्थानों की सूची होनी है जो कि बाने हुई बालों को सूचित करके उनके नाम स्त्री लोगों नामिन जो बेत लाने देते हैं। इन उनकी भर्ती आमतौर से जो आ सुन्दरी है। ये दर्शने विशेष रूप सम्बन्धियों को सूचित कर उनकी भर्ती लाना चाहते हैं।

### (छ) रोजगार के दस्तावेजों द्वारा भर्ती

#### (Recruitment through Employment Exchanges)

अभियों की भर्ती दो विभिन्न दस्तावेजों द्वारा होती है। वैज्ञानिक आवार पर अभियों की भर्ती करना इसी भी व्याख्यान की सहजता का आवार है। अन्य रोजगार कार्यपालों की स्थानों की गर्द है जो अन्य की मार्ग और दूरी में सुन्दर अस्थानित करने का कार्य करके उत्तुक स्थान पर उत्तुक व्यक्ति का बदल करने में सहायता होती है।

आधुनिक सरकार कल्याणी सरकार है। उनका वासित न वेदन प्राकृतिक गाधों विच जानकीय साधनों का अधिकान उपयोग कर राष्ट्रीय आप में वृद्धि करने लोगों के दीवान-भवर को उन्नत करता है। इस दीवान की प्राप्ति हेतु याज विभिन्न देशों में अभियों की भर्ती हेतु रोजगार कार्यालय रोजगार मेवा समृद्धि (National Employment Service Organisation) के अन्तर्गत स्थापित कर दिए गए हैं।

### विभिन्न कारखानों में भर्ती

#### (Recruitment in Various Industries)

जहाँ तक कारखाना उद्योगों (Factory Industries) का सम्बन्ध है वहाँ अभियों की जर्ती प्रश्नभूमि हर से ही जाती है। बम्बर्ट, मद्रास, पड़ाव, बिहार और चहीना राज्यों ने इनी प्रकार वी पढ़ति प्रविति है। कारखाने ने इन स्थानों की सूची लगा दी जाती है जिसे देवदार नियित नियित पर अस्थिक वास्तविक के दरवाजे पर पा जाने हैं जहाँ पर उत्तरल मैटेडर घटका द्यन्द व्यक्ति द्वारा भर्ती कर ली जाती है। पुनर्नेश अभियों को नीरिक स्थानों की सूचना नियते पर वे अन्ये नियों तथा सम्बन्धियों को इनकी सूचना दे देते हैं। यह पढ़ति उत्तरल अभियों के लिए उत्तुक है। अद्युत्तुगत और दुग्धन अभियों की जर्ती हेतु आवेदन-दब आवंगित हिए जाते हैं और उनका टेस्ट लेफ्ट भर्ती की जाती है। बपान की अधिकारी झूट गिरों में

प्रत्येक भर्ती हेतु थन परिचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। यह पढ़ति सारू होने के बावजूद भी जांचम थमी भी रिटायर हैं।

छोटी कारखानों (Sugar Factories) में भर्ती का कार्य रिक्त स्थानों का नोटिस निशान कर किया जाता है। तस्वीरी तथा मुरावाइनर थेली के थमियों को छोड़कर अन्य थमियों का नोटरी महाता दिया जाता है। बशार्फ व उद्योग प्रौद्योगी उद्योगों में भर्ती सम्बन्धी विशेष मादिग भी निशान जाते हैं।

रेलवे में भर्ती (Recruitment in Railways) विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार से की जाती है। प्रथम थेली के कर्मचारियों को भर्ती का तो प्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न द्वितीय थेली की पढ़ोन्ति द्वारा की जाती है। तृतीय थेली कर्मचारी की भर्ती रेल द्वारा प्रादोग (Railway Service Commission) द्वारा की जाती है। निम्न प्रीर मनुगत थेली के कर्मचारियों के थमियों की भर्ती प्रत्यक्ष होती है। रेलवे में वही मन्त्र मठेहा थन भी पाश जाता है।

सान उद्योग (Mining Industry) में भर्ती ठेक्कारों द्वारा की जाती है। स्थानों में कार्य करने हेतु थमिये ग्रामीण थेलों से लाए जाते हैं। ये अस्थायी रूप से इस उद्योग में कार्य करते हैं।

कोयला उद्योग (Coal Industry) में भर्ती का समसे पुराना तरीका जमीशर पद्धति (Zamindari System) है। थमियों का इन स्थानों के नियट मुख्यता मा कुछ लागत पर भूमि वृष्टि के लिए दी जाती थी। लेकिन वृष्टि थोड़ा भूमि की सीमितता के कारण यह पढ़ति सफल नहीं हो सकी। भर्ती थाले ठेक्कार (Recruiting Contractors) द्वारा जा इन स्थानों में थमियों की भर्ती का कार्य किया गया। इनका कार्य थमियों की पूति करना मात्र था। प्रबन्धकीय ठेक्कार (Managing Contractors) द्वारा भी थमियों की भर्ती की गई। ये न बेचन थम की पूति का कार्य करते थे बल्कि स्थानों के विकास और प्रबन्ध का कार्य भी करते थे। युद्धान में कोयले की पूति बढ़ाने तथा थम की कम पूति के कारण सरकार न भी ठेक्कारों का कार्य किया। एक न्यायिक जांच (Court Enquiry), 1960 की सिरारिय के ग्रामांश पर ठेक्कारी पढ़नि की थी-ऐ-धीरे सुभाष करना स्वीकार किया गया। गोरखपुर थम संगठन (Gorakhpur Labour Organisation) का प्रसाचन सन् 1961 से रोडगार कार्यालय निदेशालय के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया है।

स्लोहे वो स्थानों (Iron ore Mines) में भर्ती प्रदाता द्वारा ठेक्कारी पढ़तियों के आगार पर की जाती है। स्थानीय थम की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रिती ग्रामीण थेलों में की जाती है। पुराने थमियों को सूचित कर दिया जाता है। पौर वे थरते मिथों, सम्पर्कियों व परिवार वार्तों को इस भर्ती के लिए सूचित कर देते हैं। ठेके के कार्य हेतु थमियों की भर्ती 'सरदारों' (Sardar's) द्वारा की जाती है।

अभ्रक खानों (Mica Mines) मे भर्ती सरदारों द्वारा की जाती है। उन्हे ग्रामीण लोगों मे भेजकर इच्छुक धर्मिकों वी भर्ती करने का कार्य नीता जाता है। इन सरदारों को कोई दलाली नहीं दी जाती बल्कि उन्हीं मजदूरी इथ बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने वितने अमिकों की भर्ती वी है। इन खानों मे 82.6% प्रत्यक्ष रूप से तथा 17.4% ठेड़दारों द्वारा भर्ती वी जाती है।

साक्षेप मे खान उद्योग मे अमिकों की भर्ती सान स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मध्यस्थो द्वारा और रोजगार दस्तरो के माध्यम से की जाती है।

बागानों मे धर्म (Labour in Plantations) की भर्ती विभिन्न रूपों मे की जाती है। आसाम के बागानों मे अमिकों की भर्ती चाय वितरक समझौता अम अधिनियम, 1932 (Tea Distributors Agreement Labour Act, 1932) के अन्तर्गत की जाती है। यह पूर्ति निकटवर्ती प्रदेशो—प बगाल, उडीसा, उत्तरप्रदेश व मध्य प्रदेश से की जाती है। धर्मिकों वी भर्ती हेतु चाय जिला धर्म संघ (Tea Districts Labour Association) स्थापित किए गए है। इनके माध्यम से अमिक बागानों मे भेजे जाते हैं।

चाय के बागानों मे धर्म भर्ती के तीन तरीके हैं—

\* (i) सिरदारी प्रणाली (Sirdari System) के अन्तर्गत अमिक स्थानीय प्रेपण एजेन्सी (Local Forwarding Agency) द्वारा भर्ती करने वाले जिलों को भेज दिए जाते हैं।

(ii) स्थानीय भर्ती करने वालों द्वारा (Through Local Recruiters) अमिकों की भर्ती हेतु मालिक स्थानीय व्यक्तियों को अमिकों वी भर्ती हेतु नियुक्त कर दिया जाता है।

~ (iii) पूल पद्धति (Pool System) के अन्तर्गत धर्म भर्ती स्थानीय प्रेपण एजेन्सी के माध्यम से होती है। अमिक इन स्थानीय एजेन्सियों के पास चले जाते हैं और वहाँ धर्म के केता उनको भर्ती कर लेते हैं।

1 दिसम्बर, 1960 से रोजगार दस्तर अधिनियम इन बागानों पर लागू कर दिए गए हैं। मंसूर राज्य मे भर्ती का कार्य न केवल रोजगार कार्यालयों द्वारा ही होता है बल्कि मालिकों द्वारा भी यह कार्य किया जाता है।

रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य भूमता) अधिनियम, 1959 पास करके सभी उद्योगों पर लागू कर दिया गया है। सभी मालिकों को रिक्त स्थानों वी सूचना देना प्रतिवार्य कर दिया है। 25 या अधिक अमिक लगाने वाले मालिकों पर यह लागू होता है। इसका उत्तरावल करने पर प्रयम बार 500 रु. तथा दूसरी बार 1000 रु. जुर्माना करने का प्रावधान है।

### भारत मे रोजगार सेवा संगठन

#### (Employment Service Organisation in India)

रोजगार कार्यालय अमिकों की वैज्ञानिक भर्ती को प्रोत्साहन करने का महत्वपूर्ण साधन है। ये अमिकों और मालिकों के बीच एक कड़ी का कार्य करते

है जिससे थम वीं माँग और पूति में सन्तुलन स्पष्टित हो जाए। ये उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त ध्यक्ति की नियुक्ति करने में सहायता होते हैं। यद्यपि रोजगार कार्यालय सामग्री अपार्टमेंट में वृद्धि नहीं करते हैं फिर भी ये प्राणात्मक वैकारी (Frictional Unemployment) को बड़े बदलने में सहायता होती है। इनसे थम वीं जतिशीलता में वृद्धि होती है, उसकी पादकुगतना बढ़ती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आविक बल्याण में वृद्धि होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम समठन (I.I.O.) ने सन् 1919 के प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश वीं धी के प्रत्यक्ष सदस्य देग द्वारा एवं नियुक्त रोजगार सवा शुल्क वीं जानी चाहिए। भारत ने इस प्रस्ताव को सन् 1921 में स्वीकार किया था। शाही थम आयाग ने सन् 1929 में इस प्रकार वीं सवा शुल्क करने की योजना को अनुपयोगी व अनुपयुक्त घोषणा कर्त्तव्य उपभोग अधिकारी की भर्ती करने में बोर्ड विठ्ठलाई नहीं थी। अधिकारी वीं पूति उनकी माँग वीं तुगना में अधिक थी। लेकिन थम अनुग्रहान समिति, थम सघो और मालिकों द्वाया भ्रष्ट रामितिया ने इस प्रकार वीं सवा शुल्क करने पर जोर दिया।

दूसरे महायुद्ध से तकनीकी और कृशन अधिकारी की कमी महसूस की गई और इनकी भर्ती हेतु 9 रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यालयों का नाम तकनीकी प्रशिक्षण प्रेजना के अन्तर्गत आर्मी और पुढ़ रारखानों हेतु तकनीकी अधिकारी को प्रशिक्षण देना था। मन् 1945 में महायुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध ए से अधिक वेरोजगार हो गए। अतः पुढ़ोरान्ड पुनर्वासन व पुनर्नियाएं हेतु इन दफनरा द्वारा वाय लिया गया। इस समस्या के समाधान के लिए पुनर्स्थापित और रोजगार निदेशालय (Directorate of Resettlement & Employment) की स्थापना 70 रोजगार दफनरो के गाय की गई। गन् 1948 में इन रोजगार दफनरो के कार्यों में वृद्धि करके सभी प्रकार के अधिकारी तो इसके अन्तर्गत थाया गया। नई दिल्ली स्थित बैन्द्रीय कार्यालय अन्तर्राजीय कार्यालयों का समन्वय कार्य बरता है।

### रोजगार कार्यालयों की शिवा राव समिति का प्रतिवेदन (Shiva Rao Committee's Report on Employment Exchanges)

रोजगार कार्यालयों के कार्यों को प्रभावशूल बनाने के लिए उनका पुनर्गठन करना आवश्यक गमभा गया। इसी उद्देश वीं प्राप्ति हेतु योग्या आयोग के सुझाव पर भारत सरकार मन् 1952 में श्री वी. शिवा राव, एम. पी. की अध्यकारा में एक प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समठन समिति (Training & Employment Service Organisation Committee) नियुक्त की गई। इसमें अधिकारी और मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। इस समिति ने प्रथमी रिपोर्ट सन् 1954 में दी। इस समिति वीं सिफारिमें निम्नांकित थीं—

1 रोजगार कार्यालय समठन के स्थान पर इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार

सेवा के रूप में स्थायी समठन के रूप में चलाई जाए। मालिकों द्वारा अकुशल श्रमिकों को छोड़कर अन्य श्रमिकों की रिक्त जगह अनिवार्य रूप से धोपित की जाए।

2. इन कार्यालयों का नीति-निष्ठारण, प्रभावीकरण और समन्वय प्राप्ति का दायित्व केन्द्रीय सरकार का हो, लेकिन नित्य प्रतिदिन का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा दें दिया जाना चाहिए।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले रोजगार कार्यालयों के कुल ब्यव का 60% बहुन कराना चाहिए।

4. श्रमिकों को अपना पंजीयन कराने की स्वतन्त्रता हो और उनसे कुछ भी नहीं लिया जाए।

समिनि ने अकुशल श्रमिकों के पंजीयन के लिए कोई सुझाव नहीं दिया अर्थात् इससे रोजगार कार्यालयों का कार्यभार बड़ जाएगा। लेकिन इनके पंजीयन के अभाव में देश में मानवीय शक्ति का सही अनुमान कैसे लाया जा सकेगा।

**भारत में रोजगार कार्यालयों की कार्य प्रगति**

### (Working of Employment Exchanges in India)

हमारे देश में रोजगार सेवा सन् 1945 में शुरू की गई थी। प्राप्त इसके पश्चीम रोजगार कार्यालयों का जाल-सा विद्या हुआ है। रोजगार कार्यालयों की प्रगति का नवीनतम विवरण अम-मन्नालब की वार्षिक रिपोर्ट सन् 1976-77 एवं 'भारत सन् 1976' के अनुसार इस प्रकार है—

#### संचालन

नवम्बर, 1956 से रोजगार कार्यालयों द्वारा दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारों को सीधा दिया गया है। प्रवेल, 1969 से राज्य मरकारों को जनशक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध वित्तीय नियन्त्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र प्रतिलिपि भारतीय स्तर पर नीति-निष्ठारण कार्य-विधि और मानवों के समन्वय तथा विभिन्न कार्य क्रमों के विकास तक सीमित है।

#### काम-यन्त्रे सम्बन्धी मार्गदर्शन

रोजगार कार्यालयों द्वारा सारे वित्तविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग-दर्शन घूरों में युवक-युवतियों (ऐसे अम्बर्या जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और प्रीउ व्यक्तियों (जिन्हें खास-खास काम का अनुभव है) को काम-यन्त्रे से सम्बद्ध मार्ग-दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है।

पहेलिये युवक युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में प्रयत्न करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्ग-दर्शन और आवृत्तिका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेवा अनुसन्धान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आवृत्तिका अध्ययन वेत्त्र स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियों द्वारा अन्य मार्ग-दर्शन। चाहते वालों को अवृत्तिका सम्बन्धी साहित्य देता है।

## रोजगार कार्यालयों की सह्या और प्रवार

1 दिसम्बर, 1976 के पन्ने में देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल सह्या 582 थी, जबकि दिसम्बर, 1973 के पन्ने में यह सह्या 565 थी। इनमें 65 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्ग दर्गन बेंड, 15 व्यावसायिक प्रौद्योगिकी रोजगार कार्यालय, 8 कोषला खात रोजगार कार्यालय, 11 परियोजना रोजगार कार्यालय, 16 विकलांग विशेष रोजगार कार्यालय और वाग़ान मजदूरों का एक विशेष कार्यालय शामिल है। इसके अतिरिक्त, 207 (अनन्तिम) रोजगार सूचना और सहायता बेंड ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न सामुदायिक विकास घटनों में भी काम कर रहे हैं।

### रोजगार कार्यालयों के कार्य

पश्चीकरण नियुक्ति, प्राप्ति—रोजगार कार्यालयों ना एक मुहूर वार्ष नौकरी चाहने वालों का पश्चीकरण और नियोजन द्वारा अधिसूचित स्थानों में उनकी नियुक्ति करना है। इस सम्बन्ध में जनवरी से दिसम्बर, 1976 के दौरान 1975 में इसी अवधि की तुलना में किए गए कार्य का सामान्य ब्लौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है—

(हजारों में)

	जनवरी से दिसम्बर, 1975	जनवरी से दिसम्बर, 1976 (अ)
पश्चीपन	5443 5	5615 7
अधिसूचित इकाई स्थान	681 6	845 4
नियुक्ति के लिए भरे गए प्रार्थी	4224 3	4980 4
नियुक्ति सहायता पाने वाले	404 1	496 9
रोजगार कार्यालयों द्वारा लेवार्डों का उपयोग करने वाले नियोजक (मात्रिक लैसेट)	11 1	13 3

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज रोजगार चाहने वालों की कुल सह्या दिसम्बर, 1975 में, 93 26 लाख थी जो बढ़कर दिसम्बर, 1976 (अ) में 98 13 लाख हो गई जो 5 2% थी। यह सह्या पिछले वर्ष की तुलना में 5 2% अधिक है। सन् 1976 के दौरान रोजगार पाने वालों की कुल सह्या 4 91 लाख थी, जो पिछले वर्ष के दौरान 4 04 लाख थी और यह 23 0% अधिक है।

गिरिह उम्मीदवार—रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज गिरिह (मैट्रिक और इसमें अधिक शिक्षा प्राप्त) उम्मीदवारों की सह्या वा इस वृद्धि की प्रौद्योगिकी रहा। जून, 1976 के पन्ने में ऐसे उम्मीदवारों की सह्या 49 34 लाख थी, जबकि जून, 1975 में यह सह्या 43 42 लाख थी। इस प्रतार 13 6% की वृद्धि हुई।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार—रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में जून, 1976 और जून, 1975 में दर्ज काम चाहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के चुलनात्मक घाँटडे नीचे दिए गए हैं—

(लाखों में)

	चालू रजिस्टर में सख्ता	
	जून, 1975 क लाख रुपये	जून, 1976 के लाख रुपये
अनुसूचित जाति	9.14	10.78
अनुसूचित जन-जाति	2.20	2.52
योग	11.34	13.30

जनवरी-जून, 1975 और जनवरी से जून, 1976 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों की महापता से नोकरी पाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की सख्ता नीचे दी गई है—

(घाँटडे वात्तविक सख्ता)

	जनवरी-जून, 1975	जनवरी-जून 1976
अनुसूचित जाति	26,251	38,508
अनुसूचित जन-जाति	7,183	13,628

भूतपूर्व संनिक—चालू रजिस्टर में दर्ज भूतपूर्व मैनिकों की कुल सख्ता सितम्बर, 1976 के अन्न में 103,059 थी, जबकि सितम्बर, 1975 में यह सख्ता 100,353 थी। नवमी सितम्बर, 1976 के दौरान इस दर्जे के रोजगार चाहने वाले 10,208 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया, जबकि 1975 की इसी अवधि के दौरान रोजगार पाने वाले भूतपूर्व संनिकों की सख्ता 8,594 थी। चालू रजिस्टर में दर्ज और रोजगार दिलाए गए व्यक्तियों की सख्ता में 1975 की अपेक्षा 1976 में प्रतिशतता त्रुदि अमरा. 2.7 प्रतिशत और 18.8 प्रतिशत है।

महिला उम्मीदवार—दिसम्बर, 1976 के अन्त में चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वाली महिलाओं की सख्ता 12.34 लाख (अनन्तिम) थी, जबकि दिसम्बर, 1975 में इनकी सख्ता 11.25 लाख थी। वर्ष 1976 के दौरान रोजगार पाने वाली महिलाओं की सख्ता 58,027 (अनन्तिम) थी जबकि 1975 के दौरान 54,057 महिलाओं को नोकरी दिलाई गई थी। चालू रजिस्टर में दर्ज और रोजगार दिलाए गए व्यक्तियों की सख्ता में 1975 की अपेक्षा 1976 में प्रतिशतता त्रुदि अमरा: 9.7 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत है।

अम मन्त्रालय की वार्दिक रिपोर्ट (1976-77) के अनुसार  
राष्ट्रीय रोजगार सेवा के बारे में कुछ प्रमुख विवरण

### रोजगार बाजार सूचना

प्रम—रोजगार बाजार सूचना (ई एम आई) कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार स्तर एव प्रवृत्तियों वे सम्बन्ध में आँकड़े रोजगार वार्डिकों द्वारा प्रैमार्शिक अन्तरालों पर एकत्र रिए जा रहे हैं। इम काप्रम के अन्तर्गत ऐसे अर्थ-ध्यवस्था का 'समिति धार' प्राप्त है, अर्थात्—

1 गरुड़ारो धार के सभी प्रतिष्ठान, और

2 नियोजित के गैरन्हृषि प्रतिष्ठान जिनमे 10 अद्यता अधिक कामगार काम बरते हैं।

अर्थ-ध्यवस्था वे अनेक खण्डों प्राप्ति जैसे (1) नियोजित के कृषि एव सम्बद्ध कार्य-कामारो, (2) घरेलू प्रतिष्ठानो, (3) नियोजित के ऐसे प्रतिष्ठान जिनमे 10 से बाय कामगार काम करते हैं, और (4) रक्त मेनारों के रोजगार, इम कार्यक्रम के क्षेत्र में नहीं प्राप्त है। स्व नियोजित और प्रग-कानिका कर्मचारी भी इसमे अन्तर्गत नहीं प्राप्त। इसी प्रकार, रोजगार बाजार, सूचना कार्यक्रम मे नागालैण्ड, अण्डमान एव नियोजित द्वीप समूह, अरण्णाचल प्रदेश तथा तटीयीजैसे कुछ धार नहीं प्राप्त हैं।

### रोजगार प्रवृत्तियों

1 कार्यक्रम के अन्तर्गत 'आनेकूलन' प्रतिष्ठानों की सूच्या—दिन प्रतिष्ठानो से रोजगार बाजार सूचना एकत्र वी गई उत्तरी सूच्या मार्च, 1976 के अन्त मे 172 लास थी। इनमे से 0.82 लास प्रतिष्ठान सरकारी क्षेत्र मे और बेव 0.90 लास नियोजित क्षेत्र मे थे। सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों से पोर नियोजित के ऐसे प्रतिष्ठानो से जिनमे 25 या इसमे अधिक कामगार नियोजित हैं, रोजगार वार्डिको की अनिवार्य प्रधिपूचना) प्रधिनियम, 1959 के उत्तर्यो के अधीन सूचना एकत्र वी जाती है और नियोजित क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठानो से जिनमे 10 से 24 कर्मचारी नियोजित हैं यह सूचना स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त वी जाती है। रोजगार कार्यालय (रिकिया की अनिवार्य प्रधिपूचना) अविनियम, 1959 की परिधि के अन्तर्गत प्राप्त वाले प्रतिष्ठानो की सूच्या मार्च, 1976 के अन्त म 120 लास थी।

कुल रोजगार स्थिति—समिति क्षेत्र मे रोजगार मे वृद्धि हुई। रोजगार के आँकडे जो 31 मार्च 1975 को 196.71 लास थे, बढ़कर मार्च, 1976 के अन्त मे 202.07 लास हो गए और इनमे वर्ष मे 2.0 प्रतिशत की तुलना मे इस वर्ष 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सरकारी क्षेत्र मे रोजगार—सरकारी क्षेत्र मे रोजगार के आँकडो मे वृद्धि हुई। ये आँकडे 1974-75 मे 128.68 लास थे जो बढ़कर 1975-76 मे 133.63 लास हो गए अर्थात् गिर्धे वर्ष विकास दर 3.9 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1974-75 के दोहरा यह 3.0 प्रतिशत थी। सरकारी क्षेत्र की विभिन्न जाताओं से सम्बन्धित

रोजगार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अद्दं सरकारी प्रतिष्ठानों में वृद्धि की दर सबसे अधिक थी जो कि वर्ष में 6.3 प्रतिशत थी, बाइ भी राज्य सरकारें (4.0 प्रतिशत) स्थानीय निकाय (2.3 प्रतिशत) और केन्द्रीय सरकार (2.0 प्रतिशत) आते हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार अवसरों का व्यौरा नीचे दी सारणी में दिया गया है—

सरकारी क्षेत्र की सांख्या	वर्षनारियों की संख्या		(लाखों में)	
	मार्च, 1975	मार्च, 1976	प्रतिशत मार्च, 1976/ मार्च, 1975	परिवर्तन
केन्द्रीय सरकार	29.88	30.47	+2.0	+1.2
राज्य सरकार	47.48	49.39	+4.0	+1.1
अद्दं सरकारी	31.92	33.92	+6.3	+9.6
स्थानीय निकाय	19.40	19.85	+2.3	+0.6
योग	128.68	133.63	+3.9	+3.0

निम्नी खेत्र में रोजगार—वर्ष 1975-76 के दौरान निम्नी खेत्र में रोजगार अवसर में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि रिल्फे वर्ष में वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत थी। बास्तविक अध्यों में रोजगार अवसर जो मार्च, 1975 के अन्त में 68.04 लाख थे, बढ़कर 31 मार्च, 1976 को 68.44 लाख हो गए।

**जनशक्ति की कमी और आधिक्य—**जनशक्ति असन्तुलन कामगारों के विशेष वर्गों की अपर्याप्ति पूर्ति या माँग के कारण ऐंदा होते हैं। तथापि कुछ ऐंदे उदाहरण है, जिनमें नियोजकों ने कुछ विशिष्ट व्यवसायों में कमी बताई है, जबकि इन व्यवसायों में बहुत से उम्मीदवारों ने रोजगार कार्यालयों के नाम पंजीकृत कराए। इस प्रकार की स्थिति योग्यताओं, अनुभव की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में नियोजकों की अपर्याप्त माँगों तथा उनके द्वारा ऐंदा वर्ष की गई अवैक्षणिक वस्तु परिवर्तनियों और आधिकारिक रूप से रोजगार चाहने वालों की ग्राधार्थ प्रत्याशाओं के कारण ऐंदा ही सहती है। कमियों के लिए उत्तरदायी भव्य कारण रोजगार चाहने वालों में गतिशीलता वा अभाव हो सकता है।

बड़ी संस्थाएं में अकुशल कामगार पौर शिक्षित ध्यक्ति, जिनमें मैट्रिक पास एवं इससे अधिक शिक्षा प्राप्त ध्यक्ति शामिल है, रोजगार कार्यालयों के पालू रजिस्टर में दर्ज हैं और उनकी संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। नोः री चाहने वालों में वे ध्यक्ति, जिनके पास कोई प्रशिक्षण या निष्काम कार्य अनुभव नहीं है, पूरे देश में सामान्यत अधिक पाए गए। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में रिक्तियां उपयुक्त उम्मीदवारों वी कमी हो कारण रद्द कर दी जाती हैं जो कमी व्यवसायों वा कार्यालयों द्वारा

28,034 रिक्तियाँ उम्मीदवारों के अभाव में २८ बी गई थीं। ऐसी रिक्तियों की संख्या अधिक प्रतिशतना-उत्तापन और सम्बद्ध कामगारी और मात्रापान उपकरण प्रचालनों (थमिको वो छोड़कर) (30.5 प्रतिशत) दर्दं के अधीन थीं। इसके बाद व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बद्ध कामगारों (मध्याइनों का छोड़कर) 22.2 प्रतिशत भ्रष्टाचार—15.7 प्रतिशत और जिल्हिक तथा दिक्षण कामगारों (टाइपिस्टों तथा बपरासियों को छोड़कर)—11.6 प्रतिशत था।

रोजगार बाजार कार्यक्रम का मूल्यवैकल्पिक और विरासत—रोजगार बाजार मूलना कार्यक्रम के तकनीकी और कार्यालयों को परिवर्तित करने तथा इमारा तकनीकी मूल्यवैकल्पिक करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक सेल कार्य कर रहा है। प्रब तक इम सेल ने एक सवशासित क्षेत्र सहित आठ राज्यों में रोजगार बाजार मूलना/सभी यूनिटों वा तकनीकी मूल्यवैकल्पिक किया। इस सेल ने रोजगार बाजार मूलना कार्य में लगे हुए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रबन्धों का भी पुनरीधारण किया और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन में हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उडीसा, जम्मू व कश्मीर, भेषालय, बिहार राज्य सरकारों और मिनीरेम सघ-शासित क्षेत्र के साथ सक्रिय सहयोग दिया। चूंकि रोजगार बाजार मूलना रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिकृतना) अधिनियम के अन्तर्गत एकत्र नी जा रही है, इसलिए सेल ने अगस्त, 1976 में नई दिल्ली में उक्त अविनियम के राज्य प्रबतंतन अधिकारियों की एक बक्साप वा आयोजन किया। इस बर्ज़शाप ने राज्यों में प्रबतंतन कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों को विचारों का आदान-प्रदान करने और उनके द्वारा प्रपने आपने राज्यों में अधिनियम के प्रबतंतन में महसूस की गई बठिनाइयों के सम्बन्ध में अनुभवों को बॉटन के लिए अवसर प्रदान किया। बक्साप के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप राज्यों में अपनाने के लिए प्रबतंतन अधिकारियों के लिए अनुदेशों की पुस्तिका वो अन्तिम रूप दिया गया।

### व्यावसायिक मार्ग-दर्शन और रोजगार सम्बन्धी प्रामाण्य

वर्दं 1976 के दौरान 235 रोजगार कार्यालयों में व्यावसायिक मार्ग-दर्शन एकक कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त 65 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय रोजगार मूलना और मार्ग-दर्शन केन्द्र कार्य कर रहे थे। इन एककों और केन्द्रों ने आवदकों प्रति विद्यार्थियों की एक और उनकी योग्यताओं अभियांत्रियों, दिलचस्पियों, यादि और दूसरी और व्यावरण रोजगार बाजार विवितियों के अनुबन्ध सही व्यवसायों वा चयन करने तथा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायता दी। इन एककों ने व्यावसायिक मूलना भी एकत्र एक सहित वी और विद्यार्थियों सम्बन्धको, अभिभावको तथा रोजगार चाहने वालों में व्यक्तिगत और सामूहिक विचार-विमर्शों, वृत्तिक बातोंप्रियों, वृत्तिक नुमाइशों, फिल्म प्रदर्शनियों इत्यादि द्वारा इसका प्रतार किया। इन्हें यावेदकों प्रति विद्यार्थियों वो उत्तुक प्रशिक्षण/शिक्षना प्रशिक्षण के अवसर बुटाने और अशालिक/द्वितीयों के दौरान रोजगार अवसर प्राप्त कराने में भी सहायता प्रदान की।

रोजगार कार्यालयों के व्यावसायिक मार्गदर्शन एकको और विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग-दर्शन केन्द्रों के कार्यकलापों का मूल्यांकित करने, व्यावसायिक मार्ग-दर्शन एवं मन्त्रणा के समुद्रत तरीकों एवं तकनीकों का विकास करने और राज्यों से सहयोग से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए 1971 में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन सेल की स्थापना की गई। यह सेल आरम्भ में कारगर इंग से कार्य करता रहा। वर्ष 1976 के दौरान इस सेल ने रोजगार कार्यालयों के 10 व्यावसायिक मार्ग-दर्शन एकको प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग-दर्शन केन्द्रों सहित 12 फील्ड यूनिटों का मूल्यांकित किया। आरम्भ से इस सेल ने 122 फील्ड यूनिटों का मूल्यांकित किया है जिनमें 93 रोजगार कार्यालयों के व्यावसायिक मार्ग-दर्शन एकक और 29 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग-दर्शन केन्द्र शामिल हैं। ई एण्ड आई सेल ने केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। यह सेल आई.ए.एल.ओ. शोधवृत्ति कार्यक्रम और द्विवक्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रियोगिक प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण से भी सम्बन्धित था। यह एक प्रत्येक राज्य मुख्यालय में आयोजित रोजगार अधिकारियों (व्यावसायिक मार्ग-दर्शन) को शिक्षा देने के लिए नैश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित था।

### चयन के लिए अभियाचि परीक्षाएँ

प्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दस्तकार प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दक्षता को बढ़ाने और जनशक्ति तथा सामग्री के साधनों के अपब्यव द्वारा कम करने के लिए सन् 1963 से प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए अभियाचि परीक्षाओं का लगातार आयोजन किया गया है। वर्ष 1976 से प्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पाठ्यक्रम प्रशिक्षण संस्थान में चार और इंजीनियरी व्यवसायों, अर्थात् डीजल मेकेनिक, इलैक्ट्रॉनिक्स, ट्रूल और डाई मेकेनिक एवं ट्रैकटर मेकेनिक के शुङ्ह होने से अभियाचि परीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले इंजीनियरी व्यवसायों की कुल संख्या द्वाव 19 है। वर्ष 1976 के दौरान दस राज्यों के अन्तर्गत बहुत से प्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभियाचि परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

प्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षणार्थियों के चयन के माध्यन के रूप वे अभियाचि परीक्षाओं की अमाना का पता लगाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा मध्य-प्रदेश के चुने हुए व्यवसायों और प्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हाल में एक अनुबर्ती प्रध्ययन आरम्भ किया गया। मध्यप्रदेश के आठ प्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 968 उम्मीदवारों को प्रमाण, 1976 में अभियाचि परीक्षा दी गई और पूर्वसूचक आंकडे एकत्र लिए गए। अध्ययन वे उद्देश्य हेतु छ इंजीनियरी व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है।

विभिन्न इंजीनियरी व्यवसायों के साथ-साथ वाणिज्य व्यवसायों में विभु अधिनियम, 1961 के अधीन शिक्षुओं के चयन के लिए उद्योगों में प्रभियाचि परीक्षा कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया है। 1975-76 तक 38 संगठनों के 49 कार्मिक/

दार्यवारी, प्रशिदण शहिदारियों को रोजगार और प्रशिदण महानिदेशालय द्वारा परीक्षा वार्षिक सम के आयोड़न एव परीक्षा-उपचार के तरीकों में प्रशिदित किया गया था। 19 उद्योगों ने आने समझो 'प्रशिदणों में शिक्षणों की चयन के लिए रोजगार और प्रशिदण महानिदेशालय की प्रभित्वि परीक्षाओं का प्रयोग किया है। फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को नियुक्त करना

सरकारी दोष के उपकरणों और केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में फालतू घोषित किए गए कर्मचारी—फालतू पार्सित किए गए कर्मचारियों को नियुक्ति सहायता देने के लिए स्थापित किए गए विजेय बक्ष के रजिस्टर में वर्ष 1976 के प्रारम्भ में दामोदर धाटी योजना के 198 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जो रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन व्यक्तियों ने सबा नियुक्ति के सामने प्राप्त करने के बाद वर्द्धन का व्यवस्थन छोड़ दिया और उन्हें रोजगार सहायता की जरूरत नहीं थी। वर्ष 1976 के दौरान भारतीय तेल निगम और व्यास-सञ्चालन लिंक परियोजना, मुन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश) में आने वाले वर्षों में कमश 989 और 12,592 सम्भावित फालतू व्यक्तियों की सूचना दी है जिनके लिए रोजगार हेतु वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाने हैं।

फरवर्का वैरेज प्रोजेक्ट के फालतू घोषित किए गए कर्मचारी—जिला मुर्गीदाबाद परिवर्तन बगाल में फरवर्का वैरेज प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के कारण फालतू घोषित किए गए कामगारों के लिए बलवत्ता में स्थापित विशेष कक्ष (फरवर्का वैरेज प्रोजेक्ट) ने रोजगार की व्यवस्था जागी रखी। विशेष कक्ष ने सूचित फालतू कर्मचारियों में से, वर्ष 1976 के दौरान 380 व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया और इस प्रकार अब तक रोजगार प्रदान किए गए ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 1,226 है। दिसम्बर, 1976 के अन्त तक 577 फालतू कर्मचारी विशेष बक्ष के रजिस्टर पर वैकल्पिक रोजगार सहायता की प्रतीक्षा में थे।

वेंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में दहुए थे ऐसे कर्मचारियों के लिए अधिशेष कक्ष—यह कक्ष प्रशासनिक सुधार आयोग की सिक्कारियों के कार्यान्वयन के बारण अवधा वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एवं कार्यालय के लिए निरीक्षणों के परिणामस्वरूप फालतू घोषित किए गए चतुर्थ थे ऐसे कर्मचारियों को रोजगार सहायता की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। सन् 1976 के प्रारम्भ में 19 चतुर्थ थे ऐसे कर्मचारी रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिसम्बर, 1976 तक, इस कक्ष को 359 और फालतू घोषित कर्मचारी सूचित किए गए जिससे ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 378 हो गई। इनमें से 271 व्यक्तियों को नियुक्ति सहायता प्रदान की गई और दिसम्बर, 1976 के मन्त्र में 107 कर्मचारी रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

अपग्र संनिको और रक्तांत्र सेवाओं के युद्ध में धीरगति इत्यात्मक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 1 तपूर्व संनिक कक्ष

जुलाई, 1972 के दौरान स्थापित शूतपूर्व संनिक कक्ष को सन् 1962 में

चीन के आक्रमण, सन् 1965 में पाफिन्सनी आक्रमण और सौभाग्य दुर्घटनाओं में अपग हुए 686 सैनिकों के द्वारे प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सन् 1971 में युद्ध के 1631 अपग सैनिकों के द्वारे भी इस कान में प्राप्त हुए हैं। इस कान में सन् 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान बीरगति प्राप्त गम्भीर रूप में घायल रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के 2137 आविर्भावों को रोजगार सहायता देने के लिए द्वारे प्राप्त हुए हैं। सन् 1962 और 1965 के आक्रमणों के 405 अपग सैनिकों, सन् 1971 के युद्ध के 1020 अपग सैनिकों द्वारा 743 आविर्भावों को रोजगार दिया जा चुका है। दिसम्बर, 1976 के दूसरे मध्यूपूर्व सैनिक कान के रजिस्टर में सन् 1962 और 1965 के आक्रमणों के 80 अपग सैनिक, सन् 1971 के युद्ध के 103 अपग सैनिक तथा रक्षा सेवाओं के युद्ध में बीरगति प्राप्त गम्भीर रूप से घायल कर्मचारियों के 623 अवधित रोजगार सहायता के लिए प्रयोग में थे। केन्द्रीय रोजगार का अवलिय द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन।

### और केन्द्रीय रजिस्टर रखना

रिक्तियों का विज्ञापन—नियोजनों को ऐसे कामयार, जिनकी कमी है, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा रिक्तियाँ, जिन्हे भरना कठिन होता है, विज्ञापित करने की एक पोजना सितम्बर, 1968 से आरम्भ की गई थी। सन् 1976 के दौरान 43 विज्ञापनों द्वारा 2,638 रिक्तियों को विज्ञापित किया गया। विज्ञापित खिन्न स्थानों में से 732 रिक्तियाँ प्रतुष्वित जातियों, 665 अनुसूचित जन-जातियों और 80 भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारतित थीं।

केन्द्रीय रजिस्टर—नियोजकों से मांग का अल्पकालिक नोटिस मिलने पर उसे पूरा करने के लिए केन्द्रीय रोजगार कार्यालय इशेनियरी स्नातकों, विजित्सा स्नातकों, प्रतुभवी इनीशियरी डिप्लोमाचारियों, अनुष्वित जाति के स्नातकोत्तरों और अनुसूचित जन-जाति के स्नातकों जैसे कुछ चुने हुए वर्गों के उम्मीदवारों का दिलाई रखता है।

### अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों

#### के लिए अव्यापन व मार्ग-दर्शन केन्द्र

चार अव्यापन व मार्ग-दर्शन केन्द्र, दिल्ली, जवलपुर, कानपुर और मद्रास में एक-एक, सारा साल काम करते रहे। ये केन्द्र अनुगूचित जाति/प्रतुष्वित जन-जाति के उम्मीदवारों को उस समय मार्ग-दर्शन प्रदान करते हैं, जब वे अपने नाम दर्ज कराने के लिए रोजगार कार्यालयों में आते हैं और जब अधिसूचित की गई रिक्तियों के लिए उनके नाम नियोजकों को भेजे जाते हैं। नियोजकों द्वारा बुनाए जाने पर उन्हें रोजगार की अपेक्षाओं और उनके द्वारा दी जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार के पारे में जागरूकी दी जाती है। ये केन्द्र अनुगूचित जाति/प्रतुष्वित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरंभित रिक्ति स्थानों में नियुक्ति के बारे में नियोजकों के साथ प्रतुष्वर्भी कार्यालयी भी करते हैं। ये और अव्यापन व मार्ग-दर्शन केन्द्र—कनकता, सूरत, जवलपुर, हैदराबाद, विवेन्द्रम और रांची में एक-एक केन्द्र स्थापित होने की सम्भावना है।

इन बेन्द्रों द्वारा आरम्भ से दिसम्बर, 1976 तक विए गए कार्य का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

(प्राचिदं वास्तविक स्थिती हैं)

	बदलपुर	दिल्ली	महाराष्ट्र	काशीपुर
पश्चीकरण/सामूहिक मार्ग दर्शन	8,805	76,779	14,194	17,763
सम्प्रयोग से पूर्व मान-दर्शन	9,212	7,583	10,745	9,287
स्वतित उच्चना और मार्ग दर्शन	7,105	6,772	13,097	13,095
माता-पिता को सवाह	98	296	238	86
नियुक्तियों	707	1,964	2,485	1,120
आधा विवाह संबन्ध में प्रशिक्षणों में मार्ग सेवे वाले प्रशिक्षणाधिकों की संख्या	4,707	5,701	2,497	2,530

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं/वयन परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए अध्यापन कार्यक्रम

इस योजना में लिपिकों की रिक्तियों वी भर्ती हेतु आयोजित विभिन्न "प्रतियोगिता परीक्षाओं/वयन परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को तैयार करने की परिवर्त्यना वी गई है। योजना का पहला चरण (पांच वाले दो जगत कार्यक्रम के अन्तर्गत) रोजगार और प्रशिक्षण महानिकायालय द्वारा सितम्बर 1973 में सघ-शासित क्षेत्र दिल्ली तथा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में शायोगिक आवार पर शुरू किया गया। योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं जिनके अन्तर्गत दिल्ली गाजियाबाद रोजगार कार्यालयों के चान्दू रजिस्टर से चुने हुए लगभग 1600 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को चुने हुए जैकिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया। योजना का तीसरा चरण (एड मन्त्रालय द्वारा प्रोपित) 1 अगस्त, 1976 से आरम्भ हो गया है जिसके प्रत्यक्ष दिल्ली और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) रोजगार कार्यालयों वो चालू रजिस्टर से चुने हुए लगभग 500 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को 11 जैकिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि नौ माह है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सामान्य अग्रेजी, सामान्य ज्ञान, प्रारम्भिक गणित और कार्यालय कियाविधि के कुछ पहलू शामिल हैं। कुछ संस्थान भी आशुलिपिक में अध्यापन गुविधाएं प्रदान करते हैं। अध्यापन वी अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी वो 75 रुपये प्रतिमाह की दर से वृत्तिका दी जाती है। संस्थानों वो प्रतिमाह 20 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से अध्यापन खर्च दिया जाता है। उन संस्थानों के सम्बन्ध में, जो आशुलिपि में कोई विवर देते हैं, यह खर्च 25 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से दिए जाते हैं। उम्मीदवारों के लिए टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने के लिए टाइपिंग खर्च 10 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को पुस्तकों और लेखन-सामग्री की नि शुल्क प्राप्ति के लिए व्यवस्था भी की गई है।

## रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अविवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

अष्ट मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 के अनुसार—

1. यह अधिनियम, जो मन् 1960 में लागू हुआ, सरकारी क्षेत्र के भभी नियोजकों और निजी क्षेत्र के गैर-हृषि कार्यक्रमों में रन ऐसे नियोजकों पर लागू होता है जिनके पास 25 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियोजकों के लिए मह अविवार्य है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में रेता होने वाले रिक्त स्थानों को भरने से पहले उन्हें (कुछ मामलों में दी गई छूट बो छोड़कर) निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करें। अधिनियम जी धारा 5 के अधीन नियोजकों के लिए निर्वाचित रोजगार कार्यालय वो अपने कर्मचारियों की सह्या, रिक्त स्थानों तथा इसियों के मम्बन्ध में वैमानिक विवरण और कर्मचारियों का व्यावसायिक विवरण दर्ज करने वाली द्विवार्षिक विवरणी नेतृत्व प्रदेशित है। इस नम्र (मन् 1976-77) इस अधिनियम के अन्तर्गत मरकारी क्षेत्र के लगभग 0.82 लाख प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के 0.45 लाख प्रतिष्ठान पासे हैं।

2. विभिन्न राज्य मरकारों और संघ-जातिक क्षेत्रों में प्राप्त अधिनियम के प्रबलं भवन्नी वैमानिक प्रतिवेदन से यता चरता है कि कुल मिलाकर दोनों मार्केट्रिनिक एवं निजी क्षेत्रों के नियोजक अधिनियम के उपबन्धों का अनुगालन करने रहे। इन नियोजकों ने रिक्तियों को अधिसूचित किया और निर्धारित विवरणायी रोजगार कार्यालयों को भेजी। तथापि, कुछ मामलों में नियोजक अपने प्रतिष्ठानों में सृजित कुछ रिक्तियाँ रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित न करने के ममुचित कारण वहाने में असमर्थ रहे और वैमानिक विवरणायी में प्रपंचित पूरी सूचना भी नहीं भेज सके।

3. अधिनियम वे उपबन्धों को लागू करने के उद्देश्य से अनेक राज्यों में प्रबलं तन्त्र स्वप्न किया गया है। कुछ अन्य राज्यों में ऐसे ही तन्त्र के सूचन के प्रस्तावों पर कार्यवाही भी आ रही है। जहाँ रोजगार अधिकारियों द्वारा नियोजकों ने महोग प्राप्त करने और वैयक्तिक अनुबन्धों कार्यवाही जारी रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए, वहाँ राज्य सरकारी द्वारा उन नियोजकों को 'कारण बनायी नोटिस' भी जारी किए गए जिन्होंने अधिनियम के उपबन्धों का लगानार उल्लंघन किया।

4. अधिनियम वे प्रभाव को कारण दनाने के लिए राज्य मरकारों में अनुरोध किया गया है कि वे नियोजकों के अभिनेत्रों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए शक्तियों का और अधिक विमानार करें। राज्यों को ऐसे अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे अमवद्ध आधार पर नियोजकों के अभिनेत्रों और दस्तावेजों के निरीक्षण के हार्यक्रम को नेज करें।

### रोजगार कार्यालयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

देश में रोजगार कार्यालयों ने अभिकों को रोजगार प्राप्त करने में महादना दी है लेकिन नियोजक क्षेत्रों ने उनके महत्व को अभी भली प्रवार स्वीकार नहीं किया

है। निवी क्षेत्र इनकी सेवाओं के उपभोग के प्रति वापी उदासीन रहा है, हाँ सार्वजनिक क्षेत्र म हनकी उपयोगिता को अधिकाधिक स्थीकारा जा रहा है। अमितों, मालिकों और सरकार को अमित की माँग और पूर्ण मे सन्तुतन स्थापित करने की दिशा मे पदार्पि इन कार्यालयों ने पिछ्टे कुछ बापो मे काफी सहयोग दिया है, तथापि ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी बह सुनने को नही मिलती कि अम्य उपायो से भर्ती पथवा-नियुक्तियों को काफी प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे अनेक बारए हैं जो इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि रोजगार कार्यालयो का भर्ती के दोषो को दूर करने तथा वैज्ञानिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने मे असफलता बयो मिली है—

1 रोजगार कार्यालयो द्वारा प्रयने कर्मचारियों को विभिन्न बारेमानो मे भेजकर वही भर्ती लिए गए अमितों की संख्या और उनका पजीयन करने प्रयने प्रतियेदन मे इसका विवरण दे दिया जाता है। इससे वे प्रणाना दिलावटी प्रस्तितव प्रस्तुत बरते हैं।

2 वई मालिक व सरकारी अधिकारी अमितों कर्मचारियो का नयन बर लेते हैं और बाद मे उसको रोजगार कार्यालय मे पजीयन करवा लेने को कहते हैं जिससे कि उसका नियमन हो जाए। यह एक अवैद्यनीय प्रक्रिया है जिससे रोजगार कार्यालयो के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे भर्ती के दोषो की उमात नही किया जा सकता।

3 रोजगार कार्यालयो मे काम बरने वाले कर्मचारियो का व्यवहार वेरोजगारो के साथ सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है।

4 रोजगार कार्यालयो मे पजीयन कराने के लिए व्यक्ति जाते हैं। वही पर वापी समय लगता है। इससे साथ ही जब रिक्त स्थान वा साक्षात्कार होता है उसके लिए प्रार्थी को रोजगार कार्यालय मे उपस्थित होने के लिए मूल्चित किया जाता है लेकिन इस प्रकार की सूचना साक्षात्कार होने के पश्चात मिलती है जिससे प्रार्थियों को समय पर नौकरी नही मिल पाती। यह सब कर्मचारियो की दिलमिल नीति एव कार्य के प्रति उदासीनता के कारण से होता है।

5 इन कार्यालयो मे रिक्तस्थोरी और पक्षपात पाए जाने मे भी आरोप प्राप सुनने मे घाते हैं।

#### सुझाव

रोजगार कार्यालयो के बायों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1 इन कार्यालयो को थम बाजार के सम्बन्ध मे रिकार्ड ही नहीं रखने चाहिए बल्कि अमितों को प्रशिक्षण व परामर्श की सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे ऐसे नौकरी से दूसरी नौकरी प्राप्त करने मे मदद मिल सके। दिवेकोकरण प्रणान से होने वाले वेकार अमितों को रोजगार दिलाया जाना चाहिए।

2. जो अमित नौकरी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नही जा सकते हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने मे असमर्थ हैं उन सभी अमितों को रोजगार

कार्यालयों द्वारा प्राधिक सहायता दी जानी चाहिए और बाद में संरक्षण करती श्रमिकों की मजदूरी में से काट लेना चाहिए।

इस्या का

3. साधारण रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त विशेष रोजगार कार्यों थम स्थापना की जानी चाहिए। इन कार्यालयों से विशिष्ट उद्योगों के श्रमिक जैसे जूँ पर, पसनों पर, घरों में और बागान और खानों में काम करने वाले श्रमिक भी जा उठा सके।

4. रोजगार कार्यालयों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु मालिकों का सहयोग होना आवश्यक है। मालिकों की श्रमिकों की भर्ती करते समय रोजगार कार्यालयों को सूचित करना चाहिए और इनके माध्यम से भर्ती कार्य किया जाना चाहिए।

5. डॉ. राधाकमल मुकर्जी (Dr. R. K. Mukerjee) का कहना है कि एक रोजगार कार्यालय अधिनियम (Employment Exchange Act) पास किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत तमूचे देश के रोजगार कार्यालयों का समन्वय किया जाना चाहिए और यह थम मन्नालय के अन्तर्गत होना चाहिए। सभी वस्त्रों में जहाँ 20 हजार से अधिक आवादों हैं वहाँ रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करने वाले रिक्त स्थानों प्रादि के सम्बन्ध में रजिस्टर्स रहे जाने चाहिए।

रोजगार कार्यालयों के समस्त दोषों को समाप्त करके इसे प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए। इससे श्रमिकों, मालिकों और सरकार सभी को बाध होवा। ये कार्यालय अपनी बहुमूल्य सेवाओं से थम की मींग और पूति में सञ्चुलन स्थापित कर सकते हैं। इससे धर्षणात्मक वेरोजगारी कम की जा सकती है।



202 मजदूरी नीचे आयी  
है। निजी है और सार्वजनिक  
मालिक है। २०१८  
दिवंगी है। २०१८

7

## मानव-शक्ति नियोजनः अवधारणा और तकनीक; भारत में मानव-शक्ति नियोजन

(MAN-POWER PLANNING CONCEPTS  
AND TECHNIQUES, MAN-POWER  
PLANNING IN INDIA)

### मानव-शक्ति नियोजन (Man-Power Planning)

विसी भी देश की प्रगति हेतु मानव-शक्ति समस्याओं का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की प्रगति उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन का उद्देश्य न केवल उत्पादन की मात्रा में ही बृद्धि करना है, बल्कि उत्पादन की किसी सुधारता भी है। इसकी प्राप्ति के लिए उत्पादन किया में भाग लेने हेतु पर्याप्त संस्थाएं में मानव शक्ति का होना आवश्यक है। "उत्पादन में बृद्धि हेतु अधिक मानव-शक्ति की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानव-शक्ति का कुशल होना भी आवश्यक है।"<sup>1</sup>

भारतीय मानव शक्ति के स्रोत या साधन एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उपजाऊ मिट्टीय, खनिज पदार्थ, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक साधनों की भाँति मानवीय साधन भी मूल्यवान हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इन साधनों को वैज्ञानिक आधार पर यतिशीलता प्रदान करनी होगी। इस कार्य के लिए योजनावृद्धि कार्यक्रम अपनाना होगा जिसे मानव-शक्ति नियोजन (Man Power Planning) कहा जाता है। इसका सम्बन्ध वर्तमान समय में मानव शक्ति की पूर्ति तथा इसकी माँग से है। "हमारे देश में अकुशल अभियोगों की अधिकता और कुशल, तकनीकी एवं वैज्ञानिक मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।"<sup>2</sup>

1 Tilak, V R K Man-Power Shortages & Surpluses, p. 1

2 Giri, V V Labour Problems in Indian Industry, p. 327.

किसी देश की मानव-शक्ति उस देश की सम्पूर्ण जनसंख्या पर निर्भर बरती है। प्राथिक हृष्टि से सक्रिय जनसंख्या के आधार पर ही मानव-शक्ति की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत जैसे आर्थिक नियोजन वाले देश में अतिरेक श्रम (Surplus Labour) को नियोजन के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है। विकसित देशों में मानवीय साधनों की कमी होने से वहाँ पूँजी गहन उत्पादन के तरीके (Capital Intensive Technique of Production) को अपनाया जाता है जबकि भारत जैसे विकासशील देश में पूँजी का अभाव तथा श्रम का आधिकाय होने से श्रम गहन उत्पादन का तरीका (Labour Intensive Technique of Production) अपनाया जाता है। यहाँ तीव्र श्रोद्योगिकरण हेतु कुशल श्रमिकों की कमी बढ़ती है जबकि अकुशल श्रमिकों की पूर्ति नाकी है। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी और उद्योग तथा सेवाओं में अनेक बेरोजगारी पाई जाती है। इसके साथ ही कुशल श्रम-शक्ति का समान्य श्रम-शक्ति का अभाव है, जबकि इस्लैण्ड जैसे विकसित देश में सामान्य श्रम-शक्ति का अभाव है।

मानव-शक्ति की प्रतिरेक और प्राधिकरण सम्बन्धी समस्या वा समाधान करने हेतु भावी योजनाओं की ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। बतंमान समय में उपलब्ध मानव-शक्ति और आवश्यक मानव-शक्ति का अनुमान लगाया जाना चाहिए। मानव-शक्ति का प्रधिकरण उपयोग करने हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय बजट की भाँति मानव-शक्ति बजट (Man-Power Budget) तैयार किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न व्यवसायों में मानव-शक्ति की आवश्यकता और वितरण की तरफ की जा सके। इस प्रकार के बजट से मानव-शक्ति की मांग और पूर्ति दोनों का अच्छा समरोजन किया जा सकता है। यह समरोजन रोजगार कार्यालयों (Employment Exchanges) द्वारा घट्टे ढग से किया जा सकता है।<sup>1</sup> रोजगार कार्यालय रोजगार प्राप्त करने वाले तथा रोजगार देने वालों के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। इनके द्वारा यह सूचना भी एकत्रित की जा सकती है कि किस व्यवसाय में मानव-शक्ति का अभाव है और किस व्यवसाय में इसका आधिकाय है? इस कार्य हेतु रोजगार कार्यालय सरकार के अन्य कार्यालयों उदाहरणाथ—शिक्षा, वैज्ञानिक, अनुसन्धान, व्यापार और उद्योग से सहायता ले सकते हैं और आसानी से अधिकता व कमी का पता लगाया जा सकता है।

हाल ही के वर्षों में मानव-शक्ति की समस्या के हस्त के लिए कुछ समिनियोगिता की गई है—

1 वैज्ञानिक मानव-शक्ति समिति, 1947 (Scientific Man-Power Committee of 1947)– इस समिति द्वारा आने वाले 5 से 10 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी मानव-शक्ति के विभिन्न वर्गों हेतु अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण में पना चला कि इन्जीनियर, डॉक्टर, रसायनविज्ञ, तकनीकी विज्ञेयज्ञ, अध्यापकों (विज्ञान) आदि की कमी थी।

**2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948 (University Education Commission, 1948)**—भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। इसका कार्य भारतीय शिक्षा की बर्तमान समस्याओं और भावी सुधार हेतु सुझाव देना था। यद्यपि इस आयोग का प्रत्यक्ष रूप में भारतीय मानव-शक्ति से सम्बन्ध नहीं था फिर भी इन्हींनियर, डॉक्टर, अध्यापक, वकील और अन्य व्यावसायिक वर्ग आदि के विषय में बताया गया था कि बर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के प्रत्यर्थी भी इनकी कमी है।

मानव-शक्ति की अधिकता तथा अभाव के विषय में सही रूप में सूचना नहीं मिलती है। मानव-शक्ति की अधिकता अथवा बचत इसकी मौग की तुलना में उत्पन्न होती है। जब मानव-शक्ति की मौग इसकी पूति की तुलना में अधिक है तो यह अभाव (Shortage) होगा तथा मौग पूति की तुलना में कम होने पर मानव-शक्ति का प्रतिरेक होगा।

भारत जैसे विवासशील देश में मानवीय साधनों के उचित एवं कुशल उपयोग वो आधिक नियोजन में सर्वोच्च प्रायमिकता दी जानी चाहिए। नियोजन का उद्देश्य मानव-शक्ति की कमी को पूरा करना तथा अतिरेक मानव-शक्ति को लाभपूर्ण व्यवसायों में लगाना होता है। जब हम मानव-शक्ति के अभाव के रूप में अध्ययन चर्चते हैं तो मानव शक्ति हेतु नियोजन (Planning for Man-Power) कहलाता है तथा मानव-शक्ति का अतिरेक के सम्बन्ध में अध्ययन चर्चते पर यह मानव-शक्ति का नियोजन (Planning of Man Power) कहलाएगा। “नियोजन के दोनों पहलुओं का अध्ययन साथ साथ करना चाहिए क्योंकि मानव-शक्ति की कमी और अतिरेक साथ-साथ पाई जाती है।”<sup>1</sup> यह हमारा अनुभव है कि अतिरेक वाले व्यवसायों में कमी बढ़ि होती रहती है जबकि अभाव वाली शेणियों में सुधार नहीं हो पाता है।

यदि मानव शक्ति का, जो कि अतिरेक (Surplus) है, उपयोग नहीं किया जाता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाती। यह बर्दादी राष्ट्रीय साधनों के रूप में ही नहीं होती है, बल्कि एक अमिक बेरोजगार होने पर वह स्वयं भ्रात्मन्लानि में डूब जाता है और परिणामस्वरूप मानवीय साधन के रूप में उसकी उपयोगिता नष्ट होने लगती है।

कुशल मानव शक्ति की कमी से देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक विकास तभी सम्भव होता है जब मानव-शक्ति को गतिशीलता प्रदान की जाती है तथा शम की कमी से भाने वाली बाधाओं को समाप्त किया जाता है। मानव-शक्ति की गतिशीलता के दो पहलू हैं—

1 मानव-शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

2 मानव-शक्ति को उचित व्यवसायों में लगाया जाना चाहिए।

प्रभाव को रोकने के भी दो पहल हैं—

1. सभी अन्तरों को पाट कर अभाव की पूर्ति की जानी चाहिए।

2. जिन दर्गों में मानव-शक्ति वा अभाव हो, उनमें मानव-शक्ति का उचित आवधन किया जाना चाहिए।

अधिकांश विकासजीन देशों में श्रम की कमी नहीं है। लेकिन अकुणल अमिक्स वाफी संस्था में हैं जबकि कुणल अमिको की मांग इसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होने से इस प्रकार की मानव-शक्ति वा अभाव पाया जाना है। इन प्रकार वे अभाव को ढूर करने के लिए अमिक तैयार बरते होंगे। कुणल अमिक प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएँ चलायी जानी हैं। ये प्रशिक्षण तीन प्रकार के होते हैं—

1. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण (Training and Vocational Training)—नए लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु शुरू की जानी है।

2. नवशिक्षिया प्रशिक्षण (Apprenticeship Training)—जिन्हे प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षा मिल गई है उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण विभिन्न कारखानों अथवा उद्योगों में दिया जाना है। इस प्रकार का प्रशिक्षण रोडमार की पहली अवस्था में दिया जा सकता है अथवा प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के साथ कुछ भरता देकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. उद्योग में प्रशिक्षण (Training within Industry)—इस प्रकार का प्रशिक्षण फोरमेन अथवा सुपरवाइजरी थेरेटी के कर्मचारियों को उद्योग में ही कुशलता प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देश में अपवा विदेश में भी दिया जाता है।

किसी भी देश में मानव-शक्ति में कुशलता उत्पन्न करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है और यह प्रशिक्षण विभिन्न योजनाओं के मन्त्रगत दिया जाता है। इसमें निम्न वानी वा व्यान में रहना चाहिए—

1. इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न क्षेत्रों अथवा प्रान्तों में समान रूप से होने चाहिए ताकि इनमें प्रशिक्षणार्थी यासानी से पहुँच सकें।

2. किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है ति इसमें सम्मिलित प्रशिक्षणार्थी कसे हैं। उनका उचित चयन होना चाही है।

3. प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें प्रशिक्षणार्थी यासानी से कुशलता प्राप्त कर सके। अधूरा ज्ञान उचित नहीं है

किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता अमिक और मालिक दोनों पक्षों वे पूर्ण सहयोग पर निर्भर रहती है। इससे अमिकों की कुशलता प्राप्त होनी और मालिकों की प्रावश्यकतानुसार अमिक मिल सकेंगे।

प्रो. हिक्स (Prof. Hicks) का कथन सत्य प्रतीत होता है कि, “व्यवसायों में अप के विवरण वा कुछ माध्यों से नियमन करना अत्यधिक आवश्यक है। वोई

भी समाज इसने दिना जीवित नहीं रह सकता है।”<sup>1</sup> किसी भी देश में वेरोजगारी दूर करके मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक होता है। वेरोजगारी दूर करने के लिए सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy), सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम (Public Works Program) और उपभोक्ता सहायता (Consumers' Subsidies) को घपनाना चाहिए।

सस्ती मुद्रा-नीति से कम व्याज दर पर साख प्रदान करने का तीव्र धौरणीकरण किया जा सकता है। जब यधिक उद्योग खोले जाएँगे तो इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से वेरोजगारी दूर होगी।

सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत तिलाई, प्राचीए विद्युतीकरण, सड़कों व नहरों का निर्माण प्रादि प्राप्त हैं। इससे भी रोजगार अधिक मिलता है। लोगों की व्यवहारी शक्ति बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है और वेरोजगारी दूर करने में सहायता प्राप्त होता है।

हमारे देश में अधिकों को सहायता देना बाढ़नीय नहीं है क्योंकि हमारे देश में समस्या प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना न होकर उत्पादन में वृद्धि करना है। यहाँ पर पूरक साधनों की कमी पूरा करने अधिकों को रोजगार प्रदान करना प्रमुख समस्या है।

आमीए द्वेष में जहाँ अधिकों का शोपण होता है तथा कृपि क्षेत्र में छिपी हई वेरोजगारी पाई जाती है। इस समस्या का समाधान आमीए द्वेष से अधिकों का स्थानान्तरण शहरी द्वेष की प्रोत्तरता होगा।

### भारत में सामाजिक नियोजन (Man-Power Planning in India)

देश का लोक गति से आर्थिक विकास करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक नियोजन का सहारा लिया गया है। हमारे देश में भी स्वतन्त्रता के पश्चात् आर्थिक नियोजन अपनाया गया है। प्रत्येक योजना में मानवीय साधनों का अधिकालम उपयोग कर उनको पूर्ण रोजगार प्रदान करने का बीड़ा उठाया जाता रहा है। वेरोजगारी को समाप्त करने हेतु पचवर्षीय योजनाओं में अनेक महत्वपूर्ण काम उठाए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

#### (1) प्रथम पचवर्षीय योजना

##### (First Five Year Plan)

इस योजना में वेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। हमारे देश में इस योजना में यह सोचा गया कि वेरोजगारी की समस्या न होकर अढ़-रोजगार की समस्या है। इस योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए निर्माणकारी कार्यों (Construction Activities) में आर्थिक रोजगार के अवसरों का मृजन करने हेतु निवेश की दर में वृद्धि करने पर और महत्वपूर्ण केन्द्रों में पूँजी

1 Hicks, J R The Social Framework, p. 61

निर्माण पर जोर दिया गया। रोजगार के अवसरों में बृद्धि करने हेतु योजना का आकार 2,068 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,378 करोड़ रुपये कर दिया गया। सन् 1935 में योजना आयोग ने जिक्षित वेरोजगारी समाप्त करने हेतु विशेष शिक्षा विस्तार कार्यक्रम (Special Education Expansion Programme) गुरु किया गया। वेरोजगारी समाप्त करने हेतु योजना आयोग ने 11 सूची कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो इस प्रकार था—

- (1) छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता;
- (2) मानव-शक्ति के अभाव वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण मुद्रिताएं प्रदान करना;
- (3) छोटे और बुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य और स्थानीय सम्पाद्यों द्वारा उनसे सहीद;
- (4) शहरों में प्रीढ़िय विस्तार सेवा की स्थापना;
- (5) सड़क यानाधार का विकास;
- (6) गन्दी बस्तियों का उन्मूलन और प्रलय आय वालों हेतु कम लागत की आवास योजना,
- (7) निजी भवन निर्माण कियासो को प्रोत्साहन,
- (8) शरणार्थियों को बसाने का कार्यक्रम;
- (9) निजी पूँजी से चलाए जाने वाली शक्ति योजनाओं के विकास को प्रोत्साहन; एवं
- (10) प्रशिक्षण बोच स्कॉलना।
- (11) प्रशिक्षण बोच स्कॉलना।

इन सभी डणायों का डृष्टिकोण वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार द्वारा करना था। योजनाकाल में बटनी हृदय अम-शक्ति दी तुलना में रोजगार के अवसरों को नहीं बढ़ाया जा सका और वेकारी घटने की दबाव दी। इस योजना काल में 75 लाख व्यक्तियों को बाम दिलाने का लक्ष्य रखा गया था जिन्होंने इस अवधि में केवल 54 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका।

## (2) दूसरी पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan)

प्रथम योजना के अन्त में 53 लाख लोग बेकार थे तथा दूसरी योजना में 100 लाख सौग देकार होने का अनुमान लगाया गया था। इस समस्या के हल हेतु कीर्ति से बढ़ती जनसत्त्वा पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक समझा गया। इस योजनाकाल में सगभग 153 लाख लोगों को रोजगार देने की समस्या थी और गढ़-रोजगार दी समस्या थी। अतः योजना में पूर्ण-रोजगार प्रदान करना असम्भव माना गया। इस समस्या के हल हेतु दीर्घकालीन प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरी योजना की अवधि में सगभग 96 लाख सौगों—16 लाख कृषि में और 80 लाख यैर-इंपि में—को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया।

लेकिन योजना के अन्त मे 90 लाख लोग बेवार रहे तथा घर्दू-रोजगार वालों की संख्या 150 से 180 लाख थे बीच थी। योजनाकाल मे शिक्षित बेरोजगारों (20 लाख) को भी रोजगार प्रदान करने हेतु उद्योग, सहकारी समितियों और यातायात आदि मे योजनाएँ चाल भी गईं।

दूसरी योजना रोजगार प्रदान करने वाली योजना कही जा सकती है क्योंकि रोजगार के अवसरों मे वृद्धि बरता हपते उद्योगों मे से एक था।

योजना के अन्त मे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या योजना के प्रारम्भिक बेरोजगारों से अधिक थी।

### (3) तीसरी पञ्चवर्षीय योजना

(Third Five Year Plan)

योजना काल मे 170 लाख व्यक्ति बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया तथा योजना के रूप मे 90 लाख सोग पहले ही बेरोजगार थे। अत तीसरी योजनाकाल मे कुट्टी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 260 लाख भी गई। इस योजनाकाल मे 140 लाख सोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। बेरोजगार की समस्या को तीन दिशाओं के रूप मे देखा गया—

1. यह प्रयत्न किया जाए कि अब अधिक से अधिक सोगों को रोजगार का लाभ प्राप्त हो।

2. ग्रामीण श्रोदोगीकरण का एक विस्तृत कार्यक्रम अपनाया जाय। इसमे ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग सम्पत्ति वा विकास, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन और मानवशक्ति को प्रभावपूर्ण रोजगार प्रदान करना आदि कार्यक्रम शामिल किए जाएं।

3. छोटे उद्योगों द्वारा रोजगार अवसरों मे वृद्धि बरते के प्रतिरिक्त ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (Rural Works Programme) चलाने पर भी जोर दिया जाए जिससे 100 दिन (एक वर्ष मे) कायं 2.5 मिलियन सोगों को दिया जा सके।

इन प्रयासों के बावजूद भी योजनाकाल मे सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सका। योजना के अन्त मे 90 लाख से 100 लाख व्यक्ति तक बेरोजगार बचे। मपूर्ण रोजगार वाले सोगों की संख्या लगभग 160 लाख थी।

### (4) तीन वार्षिक योजनाएँ—

(Three Annual Plans, 1966-69)

आधिक कठिनाइयों के बावजूद पञ्चवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वर्ष सक वार्षिक योजनाएँ चलाई गईं। इनमे बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए गए। लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान न हो सका।

### (5) चौथी पञ्चवर्षीय योजना

(Fourth Five Year Plan)

इस योजना मे भी रोजगार के अवसरों मे वृद्धि बरते पर जोर दिया गया। विभिन्न योजना कार्यक्रमों मे रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया गया। अम-गहन

(Labour Intensive Industries) पर जोर दिया गया जिसमें बहती हुई श्रम-शक्ति को रोजगार दिया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण, लक्षु एवं कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं में रोजगार के प्रबन्ध बढ़ाने का प्रयास किया गया। योजना काल में गैर-कृषि क्षेत्र में 140 लाख मीर कृषि क्षेत्र में 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था।

लघु उद्योगों के विकास आवृत्त थी के एल. नजप्पा के अनुसार भारत सरकार ने बेरोजगार इन्जीनियरों को छोटे उद्योगों की स्थापना करने हेतु सहायता देने के लिए एक योजना तैयार थी। इस योजना को वायान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य को लगभग 30 लाख रुपये दिए जाने थे। प्रत्येक राज्य में 200 इन्जीनियरों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण काल में येन्युएट व डिप्लोपायारी इन्जीनियरों को कमश. 250 रुपये और 150 रुपय मासिक दिने की अवस्था थी। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का नवयुद्ध इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना था।

फिर भी इम योजना काल में सभी अभियों को रोजगार नहीं दिया जा सका और योजना के अन्त में योजना के प्रारम्भ से अधिक बेरोजगारी रही।

## (6) पाँचवीं पचवर्षीय योजना

(Fifth Five Year Plan)

यह योजना 1 अप्रैल, 1974 से शुरू हो गई। इस योजना में गरीबी को दूर करने हेतु रोजगारों के प्रबन्ध करने पर जोर दिया गया जिससे बड़े पैमाने पर विद्यमान बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

पाँचवीं पचवर्षीय योजना के प्रारूप पर, जो सन् 1972-73 के मूल्यों और कराधान सन् 1973-74 के पूर्वादि की आविक विविति के अनुनार तीसर किशा गया, परिवर्तित परिस्थितियों के कारण पुनर्विचार किया गया और सितम्बर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस अनिम रूप से संशोधित हो गया। संशोधित योजना में रोजगार की सम्भावनायों और जीवन-स्तर पर बदलावरात्रादी दृष्टि से विचार किया गया और रोजगार नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश ढाला गया है। यह उपयुक्त होगा कि हम संशोधित योजना के इस नीति-बकलाव्य और रोजगार सम्भावना के पिवरण को यहाँ उद्घृत करें।

योजना बनाने वालों और नीति-नियमांधारों के रोजगार की समस्या एक अमीर चितन का विषय है। अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप से सम्बन्धित विजेताओं को देखते हुए इस समस्या का आकार कुछ इस प्रकार का है कि उनमें से कुछ विचार और आकिंठों से सम्बन्धित कठिनाइयाँ उभर कर सामने आती हैं। बेरोजगारी के अनुमानों से सम्बन्धित फिलेज समिति ने मुख्य दिया था कि इस सम्बन्ध में एक बहुमुखी नीति अपनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिवर्त तयारने 27वें शेर में समिति की सिफारिशों के अनुसार आंकड़े एकत्र किए हैं। यह तक प्रबन्ध उप-दोर के परिणाम प्राप्त हुए हैं। श्रम-प्रबन्ध के प्रबन्ध के माध्यम से वर्तमान गतिविधि के स्तर के

स्वरूप को समझार तब बेरोजगारी की घटनाकालीन क्षेत्रों में इन समस्याओं के गुणात्मक स्तर पर विचार करना सम्भव है। पौरकों से यह सम्पूर्ण होता है कि शामील क्षेत्रों में रोजगार के अग्रसर उपचार बनने की तकाल आवश्यकता है। दिनांक इस गमन के सही सड़कों पर तभी समझा जा सकता है जब यह समझ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण-जैव में इमरी व्यापरता का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी पना चलता है कि यह समस्या अन्य अन्य क्षेत्रों में यथा-यथा भावात् भलग-भलग भावात् में है।

चौथी योजनावधि में सगठित क्षेत्र के प्रत्यार्थी रोजगार में लगभग 3% वार्षिक दर से वृद्धि होने का अनुमान है। बैचारिक कठिनाइयों निहित होने पर भी अन्तर जनशएना की तुरनामी और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सगठन के विभिन्न दौरों के परिणामों से यह सकेत मिलता है कि परेन्डू विनिर्माण क्षेत्र में, जिसमें कुटीर उद्योग भी शामिल है, रोजगार की मात्रा अवैधिक परिणाम में नहीं बढ़ी है। जिस अवधि में कृषि उत्पादन के वृद्धि की दर कम रही थी (सन् 1961-62 से 1972-74 तक) उस अवधि में गन् 1960-61 के मूल्यों के आधार पर प्रमुख घटेलू विनिर्माण उद्योगों के कुल मूल्य में वृद्धि भी दर से कम रही थी। अर्थात् खाद्य, ऐवं चृत्याकूल के उदार्थ में (1.83% प्रति मिलियन रुपये), सूक्ती वस्त्रों की सिलाई और चमड़े के जूने चप्पल (2.09%), चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुएँ (-1.62%) वैसे यह कमी रतावत और इनीशियरी क्षेत्र में ऊंची वृद्धि की दर (3 से 6% के बीच) के कारण पूरी हो गई थी।

एक उपयुक्त नीति तैयारी करने के लिए यह जरूरी है कि उन घटकों का यता कराया जाए जो शामील क्षेत्रों में रोजगार को क्षेत्रीय आधार पर प्रभावित करते हैं। योजना आयोग ने रा प्र स के क्षेत्र का उद्योग करते हुए कुछ अध्ययन किए हैं। उत्पादन के प्रति एक हाथे म प्रमुख घटकों जैसे प्रति हैक्टर उत्पादन, प्रति हैक्टर उर्वरक का प्रयोग, ट्रैक्टरों का प्रयोग, निवाई, विनियोजन स्तर, और जोन के आकारों में असमानता के स्तर की तुरन्ता में रोजगार के यथा के सम्बन्ध म अनुपवान किए गए हैं। उत्पादन के प्रति रुपये और प्रति हैक्टर भूमि पर रोजगार का प्रगति निवाई में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर है, जैसे प्रति हैक्टर भूमि में लगाए गए पम सैट्री की सल्ला। इसी प्रकार पौधे एकड़ (2 हैक्टर) के या इससे कम आकार की जोनों के साथ रोजगार की दर जुड़ी हुई है। विकसित वाणिज्यिक कृषि क्षेत्रों तथा योग्य क्षेत्रों में इस सम्बन्ध पर ध्यान और अधिक ध्यान दिया गया। इसमें प्राप्त हए परिणाम लगभग ये ही थे, जो पूरे देश के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे। इसमें अलावा यह भी ज्ञात हुआ कि प्रति हैक्टर उर्वरक का प्रयोग, नई कृषि तकनीकी का विस्तार भी वाणिज्यिक क्षेत्रों में रोजगार से निविधि रूप से जुड़ा हुआ था।

उपर्युक्त कावय नीति और रोजगार नीति तैयार करने की दृष्टि से तीन बातें आपम में सम्बन्धित हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक ऐसा कार्यक्रम वार्षिकिय करने की आवश्यकता है

जिसमें सिचाई, श्रविक उपज देने वाली किसी के समझ में कृपि विस्तार कार्य आदि जैसे योजना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कार्यनीति को अगले में लाया जाए। दूसरी बात इस सम्बन्ध में है कि ग्रामीण दोनों में रोजगार संज्ञन का कार्य स्थानीय विकास से सम्बन्धित कार्यनीति से जुड़ा होना चाहिए और तीसरी व अन्तिम और यहसे महत्वपूर्ण बात पट्टेदारी प्रथा में मुखार के उपयोग से ग्रामीण काष्ठकार वर्ग में सुरक्षा तथा द्वोटे काष्ठकारी की उपज को लाभकारी बनाने से सम्बन्धित है।

उपर्युक्त रीति विधान के नियादन से कई परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, पहला तो यह कि इसभा अधं होगा, महत्वपूर्ण निवेश उपलब्धना मुत्तिश्चित करना और उसका प्रभावी रूप से उपयोग करना, योजना के उत्पादन और विनियोजन पक्ष के अन्तर्गत इस बात का व्याप्त रखा गया है। दूसरा यह कि कृपि के माध्यम में रोजगार की योजना का स्वरूप क्षेत्र विशिष्ट से सम्बन्धित होना चाहिए और इसलिए इस सम्बन्ध में बहुस्तरीय नीति आपानामी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी और कृपि-जलवायु को ध्यान में रख कर सिचाई की सुविधाओं की उपलब्धना के विस्तृत अनुमान तैयार किए जाने चाहिए जो भूतज और भूमिगत दोनों प्रकार के जल स्रोतों में सम्बन्धित हो। पिछले अनुभव, क्षेत्र विशिष्ट में विशिष्ट फसल उगाने की प्रवृत्ति और योजना में हाई की मई मौसूल की रूपरेखा को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र की फसल प्रणाली को निर्धारित करना होगा। सिचाई के अन्तर्गत क्षेत्रों तथा निश्चित वर्षा बाते क्षेत्रों और यथासम्भव शुष्क क्षेत्रों में नई किसी के विस्तार की सम्भावनाओं के व्यावहारिक अनुमान लगाने होंगे। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादन अवस्था का अनुमान सावधानीपूर्वक लगाना होगा और उसके लिए प्रोजेक्शन संगठनात्मक और निवेश सम्बन्धी सुविधाएं मुत्तिश्चित करनी होगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कान में विस्तरित उत्पन्न न होते पाएं। नि स्सन्देह यह एक कठिन कार्य है। इन प्रयासों से प्राप्त होते बाल युक्ति-पूर्क आश्वासन के बर्गेर कोई गम्भीर और उपयोगी रोजगार योजना नहीं बनाई जा सकती।

अध्ययनों द्वारा क्षेत्रीय योजना के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इनसे यह ज्ञात होता है कि कुछ सासाधनों की अलोच, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बन्धन रहनी है, स्थानीय स्तर पर उतनी ही कठोर नहीं रह पाती विशेष फलस्वरूप, यदि जन-सहयोग और स्थानीय ज्ञान का उपयोग किया जा सके और प्रायोजन में पहल करने की भावना हो तो उपलब्ध भौतिक और जनसमाधनों में वृद्धि हो सकती है और उनका अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। इस सबके लिए राज्य तथा स्थानीय स्तर पर योजना तन्त्र द्वारा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी यह इनका महत्वपूर्ण कार्य है कि इसका राष्ट्रीय आयोजन के साथ युक्त तात्परी स्थापित किया जाना चाहिए।

सर्व स्थानीय योजना के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 20 सूची-कार्यक्रम में भूमि सुधार के कार्यों को प्रायमिकता से जाए और इन लागू करने के लिए उपाय किए जाएं। द्वोटे क्षितिजों को और बटाइदारों को सम्भालि के अधिकार देने या पट्टेदारी के सम्बन्ध में सुरक्षा पदान करने और इसके साथ ही कृपि कार्यक्रमों, विशेषतः

स के वि ए और ना दि भू अ नार्यनम के माध्यम से उत्पादन में सहायता देने की स्वीकृत बढ़त ही महत्वपूर्ण है। व्यापक शेषीय नीति के आधार पर बनाई गई हृषि योजना के अन्तर्गत पशु पालन, पारस्परिक बेकार बस्तुओं, आदि जैसी सहायक परिविधियों के द्वारा प्रतिरक्त रोजगार मूल्यित करने में काफी मदद मिल सकती है।

पांचवीं पचवर्षीय योजना में यम की पूर्ति के अनुमानों के अनुसार पांचवीं योजनावधि में कृषि धन्व के अन्तर्गत थम बल की सह्या में 162 लाख और छठी योजना में 189 लाख की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें दौर द्वारा अनुमानित थमबल की दर में 5 से 14 वर्ष के कदमों को आधारित कर लिए जाने पर और सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाई गए विविध परिवहन के बारण पहुँच दर बढ़ जाएगी। फिर भी, रा प्र से परिकल्पों पर आधारित अनुमान अनुसार पांचवीं पचवर्षीय योजनावधि में थमबल की सह्या में वृद्धि सगभग 182.6 लाख से 189.6 लाख तक होगा और छठी योजना में 195.7 लाख से 203.9 लाख तक होगी जैसी भारत की पर्यावरणस्था है, ऐसी प्रवंश्यवस्था में यम बल की पूर्ति के अनुमान प्रस्तिरहने हैं। ऊर वित्त निए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर यम बल की वृद्धि को पांचवीं योजनावधि में काम पर लगाया जा सकता है और छठी योजनावधि में पहले से ही वरोजगार अक्तियों को काम देने के लिए उपयोगी प्रयाति निए जा सकते हैं।

पंजीकृत विनियोग क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार और उत्पादन के परस्पर सम्बन्धों पर 50 श्रीडागिक समूहों में अन्वयण विभाग गया था। इस विस्तैत्यरूप में शमना के उपयोग के परिवर्तनों का भी व्यान रखा गया है। भावी योजना में प्रमुख बल सरकारी विनियोगों और सम्पूर्ण विनियोगन पर दिया गया है और यह लक्ष्य पूरा हो जाने पर पांचवीं योजनावधि में पंजीकृत विनियोग क्षेत्र में विनियोगिता कार्यों में रोजगार में वृद्धि दर चौथी योजनावधि की दर से बाढ़ी अधिक रहने की सम्भावना है। इस दर से बाढ़ी योजनावधि की प्रवृत्ति को और तेज़ करना होगा। यदि खान, सनन् निर्माण, उद्याग, विजली, रेनवे तथा अन्य परिवहन और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में भी लक्ष्य पूरे निए जा सकते तो रोजगार की सुविधाओं में काफी वृद्धि हो सकती है।

अपंजीकृत क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत घरेलू क्षेत्र आता है, पिछले दशक की रोजगार की प्रृत्तियों ने पलट दने की आवश्यकता है। पांचवीं पचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित कायद्रमों के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। यह दृष्टि हाथकरधा, नार्यल रेते गलीवे बुनन और प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों के योजना वात्यन्तर्मो व क्षेत्र में विशेष स्थ से को गई है। यह सम्भावना है कि घरेलू क्षेत्र की हृषि पर आधारित पूर्ति पर ज्यादा बढ़ोर नियन्त्रण नहीं होगा। इस क्षेत्र से सम्बन्धित कर, इह और उत्पादन वृद्धियां नीतियों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना अनियाय है ताकि और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। यम बढ़ना चाहे प्रौद्योगिक सुधार करने और उनका प्रसार करने की भी

प्रावश्यकता है। पांचवीं योजना के प्रारूप में बनाई गई रूपरेखा के अनुसार पांचवीं पचवर्षीय योजनावधि में हृषि से इतर क्षेत्र में बल की संख्या में 85 लाख और छठी योजना में 91 लाख की हृदि होने का अनुमान लगाया गया है। भावी योजना में बनाए गए उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना नितान्त आवश्यक है, जबकि हृषि से इतर क्षेत्र में रोजगार के प्रबल उपलब्ध कराए जा सकेंगे। भावी योजना के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने और उपर स्पष्ट की गई नीतियों, विशेष ग्राम-प्रौद्योगिक सेवा में सम्बन्धित नीतियों को सफलतापूर्वक पार्याप्ति बनाने से पांचवीं पचवर्षीय योजनावधि में हृषि में इतर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियान में हृदि, दि को पांचवीं योजनावधि में उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकता है और उसके बाद पहले में चली आ रही वेरोजगारी को समाप्त करने के लिए छठी योजना में गम्भीरता पूर्वक प्रयास करने होंगे।

दीर्घकालीन भावी योजना के अन्तर्गत मुभाई गई रोजगार नीति में सरकारी विनियोजन दर बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि दो राजनायिकों ये विधारित निए गए उत्पादन के अनुमानों को पूरा किया जा सके, हृषि योजना नीति को, विशेष रूप से उसके स्थानीय स्वल्प को व्यापक और उपयुक्त नीति के अन्तर्गत रोजगार वे अवसर फिर से नृजित किए जा सकें। जब एक बार, उपलब्ध अभियान को नाभादायक कार्यकालों में लगाने की नीति सफल हो जाएगी तो उसके बाद रोजगार की स्थिति के गुणवत्ता से सम्बन्धित पहलू में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

जहाँ तक रहन-सहन का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना के प्रारूप में बनाए गए रीनियोजन का प्रयोग उपर कई रोजगार की सम्भावनाओं के साथ उपयोग के स्तरों का एकीकरण करने के लिए किया गया है। उत्पादन के वस्तुप्रक अवश्यक नीति में योनित नशोपन कर दिए गए हैं और उसे भावी योजना में अनुमानित उत्पादन के आवार में मिला दिया गया है।

**बन्तुना:** बहनी हूई मानव-शक्ति का वेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हमें नीति दर से बहनी हृदि जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाने के लिए बड़े पैदाने पर परिवार नियोजन गोबालों को शुल्क करना पड़ेगा। जनसंख्या  $2\frac{1}{2}$  वार्षिक दर से बढ़ रही है। इसके साथ ही देश में तीव्र श्रीदायीकरण करना होगा, ग्रामीण जीवों में सटह निर्माण, विद्युतीकरण, हृषि में गहन कार्यश्रम आदि अपनाना होगा। दिली हूई देशेजगारी को रोजगार प्रदान करने हेतु समीक्षा अनुसन्धान का रहस्य ऐसे में स्थानान्तरण करना होगा। इस प्रकार आर्थिक नियोजन पर मानव-जस्ति नियोजन को नहरपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। जब तक विनी भी देश में अन्य साधनों के साथ-साथ मानव-शक्ति का अधिकतम उपयोग नहीं किया जाता है, वह देश प्रगति नहीं कर सकता। वहाँ के निवासी सुश्राव नहीं हो सकते। उनका जीवन-स्वरूप उत्तर नहीं हो सकता।

### भारत में युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानव-शक्ति वे समुचित उपयोग के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। भारत में युवाओं का किणोरावस्था में ही आजीविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया है। जहाँ तक सम्भव होता है, वे कार्यक्रम राष्ट्रीय ढंगे के भीतर एवं विदेशी सहयोग से भी तैयार होते हैं—

**कारोड़ों का प्रशिक्षण—** 15 से 25 साल की उम्र वाले युवक युवतियों को 32 इन्जीनियरी और 22 दूसरे धर्मों में प्रशिक्षण देने के लिए समूचे देश में श्रोदोगिक प्रायस्य स्थान खोले गए हैं। इस समय देश में 357 श्रोदोगिक प्रशिक्षण स्थान हैं जहाँ 156 लाख बारीगढ़ों को प्रशिक्षण दी जाती है।

**थम—** बारीगर-प्रशिक्षणार्थी की बाय क्षमता बढ़ाने के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अभिरचि प्रशिक्षण शुरू किए हैं जिसका उपयोग इन्जीनियरी काम धर्मों में प्रशिक्षणार्थी बारीगरों के चुनाव के लिए किया जाता है। 1972 में अभिरचि परीक्षण का इस्तेमाल 11 राज्यों के 87 संस्थानों में 15 इन्जीनियरी स्थानों के 8926। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए किया गया। प्रशिक्षणार्थी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनने के लिए अभिरचि परीक्षण कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशों के उद्योगों में लागू कर दिया गया है।

पाठ्यक्रमों वी अवधि इन्जीनियरी व्यवसाय के लिए एक से दो वर्ष तक की है और सभी नैर-इन्जीनियरी व्यवसायों के लिए एक वर्ष की। सफल शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

54 व्यवसायों के अतिरिक्त राज्यों और सब राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने अपने क्षेत्रों में स्थापित नए उद्योगों की जरूरत पूरा करने के लिए इनके प्रतिरिक्त और व्यवसायों में प्रशिक्षण चालू किया है।

श्रोदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकतर व्यवसायों सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्राठवी कठा तक या मैट्रिकुलेशन से दो कठा कम या उसके समान शिक्षा योग्यता की जरूरत है। कुछ व्यवसायों जैसे इंस्ट्रॉनिक्स, रेडियो और टेलिविजन, इन्विट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन (भौतिकी/सिविल) और सर्वेक्षणों के लिए घूनतम योग्यता गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन पास या उसके बराबर है।

श्रोदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने भारतीय हेतु से श्राए या विवृत हुए कमेंचारियों को नागरिक जीवन में पुनर्वासित करने की सुविधा देने के लिए उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी शुरू किया है। अगस्त, 1972 से शुरू किए गए इस

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक हजार सैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

**शिल्प प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण—** शौद्धोगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वाया उद्योगों के लिए कलबत्ता, कानपुर, नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद के 7 केन्द्रीय संस्थानों में शिल्प प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। नई दिल्ली के संस्थान में केवल महिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है। विभिन्न इन्जीनियरी तथा गैर-इन्जीनियरी कामों में ये सात संस्थान जिनकी क्षमता कार्ड 1,200 प्रशिक्षणार्थी लेने की है, प्रशिक्षण देते हैं।

बम्बई संस्थान में रासायनिक वर्ग के व्यापारों में और हैदराबाद संस्थान में होटल और खान-गान रामबन्धी मामलों में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएँ जुटा दी गई हैं तथा कानपुर, बम्बई प्रीर लुधियाना के संस्थानों में कमश छपाई, बुनाई और खेतीबाड़ी के घन्थों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

**कारीगरों का उच्च प्रशिक्षण—** सन् 1971 में उच्च प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मद्रास में की गई थी, जो उद्योगों के अतिकुशल कारीगरों को श्रीजारी के इस्तेमाल सम्बन्धी विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता है ताकि उद्योगों को श्रीजारी के डिजाइन तैयार करने, श्रीजार और संचे बनाने, ताप उत्पादन आदि में सहायता मिल सके। पांचवीं योजना में विभिन्न केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत उप-केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है जिससे इन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएँ उन लोगों में रहने-वाले कारीगरों को उपलब्ध हो सके।

**फोरमैनों का प्रशिक्षण—** फोरमैनों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना बगलीर में सन् 1971 में की गई थी। वह मौबूदा और होने वाले 'शांग फोरमैनो' और सुपरवाइजरों को संहान्तिक और प्रबन्ध क्षमता में और उद्योगों से आए श्रमिकों को उच्च तकनीकी हृनरो में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाता है। ये पाठ्यक्रम प्रबन्ध व्यवस्था के निम्न और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। प्रशिक्षण का लक्ष्य यह है कि जन-शक्ति, सजीवी और रामबन्धी का सर्वोत्तम उपयोग हो, लालत कम आएं और उत्पादन तथा उसके गुण गे सुधार हो। पांचवीं योजना में ऐसा प्रस्ताव है कि इस गंभीरन में उपलब्ध सुविधाओं को उप-केन्द्रों के माध्यम से, जिनकी स्थापना अभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में की जानी है, मुहैया किया जाए।

**शिल्प शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना—** शिल्प शिक्षार्थी अधिनियम सन् 1961 के के पन्तर्गत मालिकों के लिए खास-खास उद्योगों में शिक्षार्थियों को लगाना यन्निवार्य है। यह आधारभूत प्रशिक्षण होता है जिसके साथ-साथ केन्द्रीय शिल्प शिक्षार्थी परिषद् के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मानदण्डों के अनुसार ठीक काम के बारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 201 उद्योगों तथा 61 घन्थों की शामिल किया गया है।

सिनमगर, 1972 के प्रत्यक्ष तर लगभग 60,300 गिर्वाण शिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे थे। सन् 1973 के शिक्षार्थी (सशोधन) अधिनियम के प्रन्तर्गत अनुसूचित जातियों-जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित रखने और इजीनियरिंग स्थानों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था है।

ओद्योगिक कामगारों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण—संस्थानों में तथा शिक्षार्थी वार्षिक प्रशिक्षणों के माध्यम से वारीगरों द्वारा प्रशिक्षित करने की सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ उन मौजूदा ओद्योगिक अभिक्षों वी भी जानकारी बढ़ाना और ध्यावहारिक हुनर सिखाना जरूरी समझा गया है जो उद्योगों में बिना इसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं। उनके लिए संघाकालीन कक्षाएँ आयोजित की गई हैं।

इस पाठ्यक्रम में वे ओद्योगिक अभिक्ष, उनकी उम्र चाहे तुल्य भी हो, प्रवेश पा सकते हैं जिन्हे इसी विशेष धन्ये में दो वर्ष का वाम पूरा करते का अनुभव प्राप्त है और जिनका नाम उनके मालिक भिजवाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की है और कामगारों से दो रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाता है।

ओद्योगिक सम्बन्धों तथा अम कानून में प्रशिक्षण—नई दिल्ली में सन् 1964 में स्थापित भारतीय अध्ययन संस्थान ओद्योगिक सम्बन्धों, कर्मचारी व्यवस्था तथा अम कानून लागू करने के तरीकों में सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है। अम सम्बन्धी मामलों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के बहते हुए महत्व को एवं देश के सामाजिक तथा आर्थिक विवास पर इसके असर को देखते हुए सम्यान की कार्य परिवर्तन का बढ़ा दी गई है। इसी उद्देश्य से पूना में एक राष्ट्रीय अम संस्थान भी कायम किया जाएगा।

ध्यावसायिक प्रशिक्षण अनुसंधान—देशी प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए मई, 1970 में कलवत्ता में एक बेन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। संस्थान में बेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उद्योगों से आए लोगों के लिए (जिनके नियन्त्रण, निर्देशन और सचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा घरों और प्रशिक्षण विधियों सम्बन्धी अनुसंधान की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता-सामग्री दीयार बरता है और उद्योगों को ओद्योगिक प्रशिक्षण विधियों में परामर्श देता है।

**अभियों को सज्जा और उत्तरदायी बनाने की कुछ प्रमुख योजनाएँ**

भारतीय अभिक्ष सज्ज और उत्तरदायी बने, अपने कार्य की अच्छी जानकारी रखें, उन्हें कार्य करने में प्रोत्तमाहन प्राप्त हो और इस प्रशार, अन्ततोगत्या, देश में मानव-शक्ति की क्षमतापूर्ण उपयोग में तृद्धि हो, इसके लिए सरकार ने अनेक बदल उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कर यहाँ उल्लेख किया जा रहा है—

**अभियों को शिक्षा**

कर्मचारियों की शिक्षा योजना का उद्देश्य देश में अभियों का एक ऐसा समय एवं उत्तरदायी बर्ग बनाना है, जो सब बातों की अच्छी जानकारी रखता हो।

और जो श्रम सघो का अच्छी तरह गठन कर सके तथा उन्हें मुचाह रूप से छला भी राके। इसके लिए एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया गया है जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों, पालिङ्गों और वर्मचारियों के समठनों और जिक्षाविदों को रखा गया है। यह बोर्ड पश्चीम द्वीप सोसायटी के रूप में काम कर रहा है। बोर्ड ने देश भर में प्रमुख श्रमिकों की शिक्षा के लिए यह मजदूर सघों और पन्थ संस्थाओं को सहायता प्रदान देता है।

श्रमिकों की शिक्षा के कार्यक्रम को तीन चरणों में बांटा गया है। पहले चरण के प्रभत्तर्गत शिक्षा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है जो बोर्ड के पूरे समय काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। दूसरा चरण उन कार्यकर्ताओं की शिक्षा का है जिन्हे मजदूर सघ अपनी ओर से भेजते हैं। इन्हे शिक्षा अधिकारी तीन महिने की ट्रेनिंग देते हैं। इन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता-शिक्षक कहा जाता है। शिक्षा के तीसरे चरण में कार्यकर्ता-शिक्षक अपने-अपने स्थानों पर लौटकर मजदूरों और कर्मचारियों की कक्षाएँ लेकर उन्हें शिक्षित करते हैं। 31 मार्च, 1975 तक कुल 34,244 कार्यकर्ता-शिक्षकों और 23,36,413 श्रमिकों को शिक्षित किया गया।

### राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों और श्रमवीर पुरस्कारों की योजनाएं

सन् 1948 में कारखाना अधिनियम के ग्रन्तीत, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, श्रीछोगिक उन्नामों द्वारा लिए गए यद्यपि भुख्या कार्यों की मान्यता में दिए जाते हैं। दम नाख या उनसे प्रभिता श्रम पठ्ठे काम करने वाले कारखानों, कम से कम दाई लाख श्रम-धर्षणों की शर्त के अधीन दम नाख श्रम-धर्षणों से कम काम करने वाले कारखानों और मुख्य पत्तनों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं। कारखानों के लिए योजनाएं, दुष्टनामों की प्रावृत्ति दर में उच्चतम प्रतिशतता में कमी, उद्योग में व्यनतम आवृत्ति-दर और सबमें लम्बी दुर्घटना-मुक्त प्रवधि पर आधारित हैं। पत्तनों से सम्बन्धित योजनाएं दुष्टनामों की आवृत्ति व्यनतम दर पर आधारित हैं, जमुद तट और जहाजों पर होने वाले काम के लिए अलग-अलग और रामुद तट पर होने वाले काम से सम्बन्धित आवृत्ति दरों में भी कमी की उच्चतम प्रतिशतता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, नकद इनामों, चांदी के रूपों, रॉनग ट्राफियों और योग्यता के प्रमाण-पत्रों के रूप में दिए जाते हैं। श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना कारखानों, खानों, बागानों और गोदियों पर लागू होती है। ये पुरस्कार श्रमिकों द्वारा दिए गए ऐसे प्रकृष्ट सुभावों की मान्यता के लिए दिए जाते हैं, जिनके परिणामस्वरूप उत्पादिता में वृद्धि हो और उपक्रम की सामान्य दशना में सुधार हो। ये पुरस्कार नकद इनामों और 'श्रमवीर' के प्रमाण-पत्रों के रूप में दिए जाते हैं।

'भारत 1976' के अनुसार सन् 1974-75 में 64 कारखानों, दो नीभरण कमों और दो बंदरगाह प्राधिकरणों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिए गए। सन् 1974-75 में ही 32 श्रमिकों को 'श्रमवीर' पुरस्कार दिए गए।

## राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद

राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद सन् 1960 में स्थापित की गई थी। इसका मुहर कार्य गोपियों का धायोजन करना, कारबानों में चलविवर दिखाना तथा सुरक्षा-सम्बन्धी पोस्टर बैटचाना है। जनवरी, 1975 में परिपद में 923 नियमित सदस्य और 188 व्यक्तिगत सदस्य थे।

## कारबाना भलाह सेवा और थ्रम-विज्ञान बैन्ड महानिदेशालय

अभियोगी वी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित यामर्तों पर, सरकार, उद्योग और अन्य सम्बन्धित हिन्दो को सलाह देने हेतु एक एकीहृन सेवा के रूप में कार्य करने के लिए कारबाना सलाह सेवा और थ्रम विज्ञान बैन्डों के महानिदेशालय वा सगठन, जो पहले मुख्य कारबाना सलाहकार के रूप में जान था, सन् 1945 में गठित किया गया था। यह सगठन अन्य बातों के साथ-साथ, (1) कारबाना प्रधिनियम के प्रशासन, (2) कारबाना नियोजनों के प्रशिक्षण, (3) औद्योगिक स्वास्थ्य तथा बातावरण सम्बन्धी समस्याओं जिनमें कारबानों में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्तरे शामिल हैं, और (4) विभिन्न राज्यों के मुख्य कारबाना नियोजनों का वापिक सम्मेलन सञ्चालित करने से सम्बद्ध प्रश्नों पर कार्यवाही करता है। कारबाना सलाह सेवा और थ्रम विज्ञान बैन्ड निदेशालय भागीदारी योगी अभियक्षणीय, 1934, तदाधीन बनाए गए विनियमों और योगी अभियक्षण (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना सन् 1961 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।

भारत सरकार थ्रम मन्त्रालय की वापिक रिपोर्ट सन् 1976-77 में कारबाना सलाह सेवा और थ्रम-विज्ञान बैन्ड महानिदेशालय के कार्यनालो पर जो विस्तृत प्रकाश ढाला गया है वह हमें इस बात की पर्याप्त जानकारी देता है कि अभियोगी को सजग और उत्तरदायी बनाने के लिए सरकारी नीति के रूप में उनके शिक्षा और प्रशिक्षण पर चिन्तन व्याप्त दिया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य अध्योक्ष का संक्षेप इस प्रकार है—

**औद्योगिक सुरक्षा और स्वस्थ्य सम्बन्धी शिक्षा—राष्ट्रीय थ्रम विज्ञान बैन्ड, वर्षाई और कलकत्ता जानामुर तथा मद्रास में स्थित छोड़ीय थ्रम विज्ञान बैन्डों के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र औद्योगिक अभियोगी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रदर्शनीय वस्तुएं (इंजिनियरिंग) प्रदर्शित करते हैं। ये केन्द्र औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान जीवन और अगों को होने वाले स्तरों को व्याख्या करते हैं और उन्हे चित्रित करते हैं तथा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वस्थ्य के सिद्धान्तों का लालू करने के चारे ओर नियोजनों, पर्यावरणों और अभियोगी को शिक्षित करते हैं। सन् 1976 के दौरान, कुल मिलाकर 22,956 व्यक्ति द्वारा केन्द्रों को देखने गए। दर्शकों में, विभिन्न उद्योगों, कारबानों में अभियोगी शिक्षा योजना वे प्रायोगिक केन्द्रों से आए अभियोगी के दल और विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं आदि से आए अन्य दल और व्यक्ति शामिल थे।**

**ओद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**—राष्ट्रीय शम-विज्ञान केन्द्र और कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास में हित क्षेत्रीय-अधिक विज्ञान केन्द्रों के सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र का मुख्य उद्देश्य प्रबन्धकों, ट्रेड यूनियनों और उद्योग से सम्बन्धित अन्य सोगों में दुर्घटनाओं को रोकने के सिद्धान्त, तरीकों और तकनीकों का प्रचार करना तथा मशीनों ओजारो, उत्पक्करों के डिजाइन बनाने और वातावरण में अनुप्रयान और अन्य कार्यक्रमों द्वारा सुधार वरना है। इस उद्देश्य की दृष्टि के लिए ये केन्द्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में कई प्रकार के प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित करते हैं। वे अध्ययन, परियोजनाएँ और सर्वेक्षण भी आयोजित करते हैं और सरकारों, उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं को कुशल तकनीशी सलाह देते हैं। सन् 1976-77 में चार सुरक्षा केन्द्रों के अधिकारियों ने 943 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 478 क्षेत्रीय भाषाओं में थे। उन्होंने प्रबन्धकार्मिकों तथा अभियंकों द्वानों के साभ के लिए ओद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार गोचियाँ भी सायोजित की।

**राष्ट्रीय शम-विज्ञान केन्द्र का उत्पादिता केन्द्र**—इस केन्द्र का उद्देश्य उत्पादिता विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करना और उद्योग की समस्याओं को गुज़बानी के लिए इस ज्ञान को प्रयुक्त करने में सहायता करना है। यह परामर्श सेवा प्रदान करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और उद्योग, व्यापार तथा सरकार के अनुरोध पर उत्पादिता विज्ञानों में अनुप्रयान करता है। सन् 1976-77 के दौरान इस केन्द्र में उत्पादिता विज्ञान, कार्य अध्ययन, कार्य वर्गीकरण के लिए टीम विकास, कार्य मूल्यांकन आदि के सम्बन्ध में 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इसके प्रतिरिक्त उत्पादिता, कार्य मूल्यांकन आदि जैसे विषयों पर 10 परियोजनाएँ/अध्ययन भी आयोजित किए गए।

**राष्ट्रीय शम-विज्ञान केन्द्र का कर्मचारों प्रशिक्षण केन्द्र**—कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र के गुरुप उद्देश्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और व्यावसायिक तथा ओद्योगिक संगठनों को सलाह देना है, ताकि वे प्रभावी पर्यवेक्षण का विकास कर सके। इस केन्द्र ने उद्योग में प्रशिक्षण और अन्य सम्बन्धित मनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें ज्ञान और प्रबन्ध, मानव सम्बन्ध और संचार कार्मिक विकास तथा ग्रुप गति विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। सन् 1976 के दौरान 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

**राष्ट्रीय शम-विज्ञान केन्द्र का ओद्योगिक मनोविज्ञान अनुभाग**—ओद्योगिक मनोविज्ञान के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन से ओद्योगिक मनोविज्ञान विभाग के कार्यवलाप संचार, नेतृत्व के छोड़ो और इसकी प्रभावशीलता तथा संगठनात्मक वर्तवि जैसी धारणाओं के विकास की ओर स्थानान्तरित हो गए हैं, जो मानव साधनों के प्रभावी उपयोग में सहायता देते हैं। इस अनुभाग के मुख्य कार्यवलाप ये हैं—(1) ओद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान में व्यावहारिक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित वरना, (2) अभियंक के लिए कार्य और कार्य के लिए अभियंक वे मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के

सम्बन्ध में सलाह देना, (3) उद्योग में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के स्वास्थ्य और दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों वी जीव बरना, (4) मानव साधन प्रदान के होत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालित करना, (5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मामला अध्ययन, नियमावलियों, रिल्फ पट्टियों तथा अन्य हश्य-अध्य साधनों का विकास करना, और (6) उद्योग को अन्य सम्बन्धित तहनीकी सलाह और परामर्श देवा प्रस्तुत करना है। सन् 1976 के दौरान इस अनुभाग ने ऊपर निर्दिष्ट मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 6 परियोजनाओं/अध्ययनों पा आयोजन किया।

**राष्ट्रीय अम विज्ञान केन्द्र की औद्योगिक स्वास्थ्य-विज्ञान प्रयोगशाला—** औद्योगिक स्वास्थ्य-विज्ञान प्रयोगशाला के मुख्य कार्यकलाप विभिन्न उद्योगों में परिवेशी स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना और अनुसधान मर्दाणों द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान की उन्नति में योगदान करना है। औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण मुद्रिधार्ण भी प्रदान वी जाती है। विशिष्ट उद्योगों में जोविमो का निर्देश करने के अलावा यह प्रयोगशाला उद्योग द्वारा भेजे गए अधिकारियों वे लिए औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश में ही निर्मित स्वास्थ्य सरकी उपस्करों की जीव करने और उद्यमवातीषों को उपस्कर मुद्रारने के लिए मार्गदर्शन देने की भी मुद्रिधार्ण विकसित वी गई हैं ताकि वे अनन्तर्म विष्पादन स्तर तक पहुँच जाएं। सन् 1976 के दौरान 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

**राष्ट्रीय अम विज्ञान केन्द्र का औद्योगिक प्रौद्योगिक अनुभाग—स्वास्थ्य जोविमो में सर्वेशण करने और व्यावसायिक रोगों की जीव करने के अलावा यह अनुभाग चिकित्सा निरीक्षकों, औद्योगिक कार्यचिकित्सकों आदि को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सन् 1976 के दौरान इस अनुभाग ने 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।**

**राष्ट्रीय अम विज्ञान केन्द्र का औद्योगिक फिजिओलोजी अनुभाग—** इस अनुभाग को अनुसधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए लैम किया गया है, ताकि यह परिवर्ती तीव्रता वाले शारीरिक कार्य के प्रभावों और परिवेशी प्रभावों, विशेषकर ऊप्ता प्रभाव का अध्ययन कर सके और औद्योगिक श्रमिकों की उत्त्यादिता बढ़ाने के उद्देश्य से उनके स्वास्थ्य और उनकी दक्षता को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में उद्योगों को सुझाव दें। यह व्यावसायिक फिजिओलोजी (वक्त फिजिओलोजी), इनवाइरनमेंटल फिजिओलोजी, रेस्पिरेटरी फिजिओलोजी और एरोनौमिक्स (एथेपोमिट्री), वायोमेकेनिक्स, वक्त फिजिओलोजी इनवाइरनमेंटल फिजिओलोजी) के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसधान भी करता है। सन् 1976 के दौरान, इस अनुभाग ने 46 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।

### राष्ट्रीय अम संस्थान

राष्ट्रीय अम संस्थान ने पहली जुलाई, 1974 से काय करना आरम्भ किया। सन् 1976-77 के वित्तीय वर्ष के दौरान, इस संस्थान ने 17-16 लाल रुपये की

राजि सहायता प्रदान के बारे में विवाद की गई। वर्ष 1977-78 के दिए प्रदानमंदिर प्रदान की राशि 22.31 लाख रुपये रखी गई।

इस भव्यान के बहुत ही दिलचित् वैज्ञानिक वृत्तियाँ ज्ञान हैं—

କାନ୍ତିର ପାଦମଣି ପାଦମଣି

କୁଣ୍ଡଳାର ଦିନରେ ଏହା କମାନ୍ଦାର ଶାଖାରେ

४५

प्रश्नानन ददा ने भव्य कार्यकाल वो सम्बन्ध है उहोंने की प्राप्ति के नियमित सम्बन्ध बनाये।

३८५

इस सम्बोध द्वारा दिसंबर 1976 वर्ष का अप्रैलिंग किए गए गिरफ्तारीयों  
द्वारा अवैधत्वों का दर्शने नायकतेज़ वालों की सम्बोधन का घोरा नीति दिव-  
सी है—

कार्यक्रम को मुद्रा	कार्यक्रम का विवर	आप के बातों की मुद्रा
1.	इह एक्सिक्यूटिव एवं वर्किंग इनिटियॉट	23
2.	योग्यता पद लगानी है जिस विषय कार्यक्रम	218
3.	सरकारी संस्थाओं अधिकारियों के जिस विषय कार्यक्रम	14
4.	जहां दोनों दृष्टिकोणों से एक समावेशी-व्यवस्था प्रशंसनीय है	122
5.	इसकी समर्पणीयता है	59
6.	विभिन्न साहस्र की सामिनी	107
7.	उपर्युक्त दृष्टिकोण एवं व्यवस्था के लोकोपरिवर्तन के लिए विभिन्न विभागों	107
8.	महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न विभागों	18

11 प्रलग्नांत्रोद वरामनंवाचाप्तो दे नह्योग मे नह्यानी उजाल नह्यानी  
मे अम्बनितु ४ जावेगावारे आदोदित ही गई, जिनकी बेशरे प्रदैर 1976 मे  
इ एव ती तो, / पाई एव धो छाड के प्रलग्नांत्र डारव्व जराई गई। इस सम्बन्ध  
ने याचीए अभिहीने के महात्म द्वारा आदोदित नोइन्टन्व हे इन्हे ने विभिन्न देशो के नीन  
विभिन्नो ही देशार्थी नी शाल ही गई।

प्राचीन गिरो वार्षिकों का आदोवन—उन मन्दिरों ने विभिन्न राज्यों में  
दर्शक प्राचीन धर्मिय गिरियों का आदोवन दिया। उन गिरियों का सूच्य उद्देश्य  
आमीन धर्मियों के आदोवनों हो प्राचीन धर्मियों में मन्दिर विभिन्न उत्तमों द्वारा  
विभिन्नों के उद्देश्यों का इति प्राचीन रुपाना तभा उन्हें विभिन्न आदोवनों (जो हि  
प्राचीन धर्मियों के लालू के लिए बनाए गए हैं) में समिहित विभिन्न केन्द्रों पर द्वारा  
स्थानीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदित्तरत्तु के मन्दिरों में सूचना प्रदान करता है।  
तेरुन्न योगदान का विहान छत्तीं के नियमी की वर्तमान बनाए गए हैं। सन् 1976-77  
में वित राज्यों ने ऐसे गिरियों का आदोवन दिया यथा उनका तथा उनके भार सेवे  
की सूच्य का घोषणा नीति दिया गया है—

क्रमांक	कार्यक्रम का देशान्	भाग सेने वालों की संख्या
1.	मानवपूर्ति ईम्, बिला पालघाट, केरल	67
2	प्राम गोदावरी, बिला गुहापालग, आंध्र प्रदेश	56
3	प्राम तापग, बिला गुरी, उडीसा	47
4	प्राम सेमरा बिला पमामू, बिहार	60
5	केन्द्रीय कुटटानाड, केरल	48
6	प्राम गोरेता, पाहा रोड, बिला विलामपुर, मध्य प्रदेश	52
7	इत्याम्, मध्य प्रदेश	75
8	पलामू बिहार	23
9	भरणपुर, पश्चिमी बंगाल	50

विचार गोष्ठियों / विचार-विमर्श बैठकों—सद् 1976 के दौरान इस संस्थान ने 10 विचार गोष्ठियों / विचार-विमर्श बैठकों मायोजित की। इनके अतिरिक्त, इस संस्थान ने स्वैच्छिक विवाचन सम्बन्धी दो दिनों की एक विचार गोष्ठी हुई जिसमें बेन्द्रीय सरकार सराधन उन्न ट्रेड यूनियन नेताओं तथा महत्वपूर्ण उच्चोगों के शोधोगिक प्रबन्धकों द्वारा 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बनियत थम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक बार दिवसीय बैठकों पर कार्योनन किया गया जिसमें 8 राज्यों के 26 बिला अधिकारियों तथा 8 राज्यों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

भनुसपान परियोजनाएँ—यह संस्थान विविध भनुसपान परियोजनाएँ चलाता है जो अपिको तथा उनसे सम्बन्धित मामलों के बारे में है। इनमें से महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं—

- (1) मनवूरी विवास का अर्थ शास्त्र।
- (2) उत्तर प्रदेश में सरकारी शेत्र के एक बड़े उपक्रम में पारिवारिक जीवन के स्तर और कार्य-जीवन के स्तर का अध्ययन।
- (3) दक्षिणी और पूर्वी एशिया में सरचनात्मक डिविष्ट (स्ट्रक्चरल इयूटिज्म) के अन्तर्गत आर्थिक विकास, सन् 1950-70।
- (4) तमिलनाडु में सरकारी शेत्र के एक सफल उपक्रम में सगठन में कार्य की नवीन प्रक्रिया सम्बन्धी अनुसधान अध्ययन।
- (5) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में वर्च रीडिजाइन सम्बन्धी कार्य अनुसधान।
- (6) दिल्ली में राजस्थानी प्रवासी शरिकों के सम्बन्ध में अनुग्रहान अध्ययन तथा उसका उनके जीवन और समुदाय पर प्रभाव।
- (7) गिमला के एक डाकधर में कार्य पद्धति और कार्य-जीवन के अध्ययन के लिए कार्य अनुसधान परियोजना।
- (8) सगठनात्मक बातावरण के सम्बन्ध में अस्पताल में कार्य के लिए प्रेरणा सम्बन्धी अनुसधान अध्ययन।

- (9) एलिग्रेनेशन इंडिगेसो नथा वर्क कमिट्टेंस्ट मम्बन्धी अध्ययन।
- (10) स्टेट वैक आफ इण्डिया, महरोली गोड, शाला, गुडगांव में जाव रीडिजाइन की सम्बन्धना का प्रयोग करने हुए थमिक राहमागिनी मम्बन्धी काय अनुमधान।
- (11) समाजनित ग्रामीण क्षेत्र विवास सम्बन्धी नीति के मूलांकन का अनुमधान, पश्चिमी द्यावाल में तीन मामला अध्ययन।
- (12) आयवर आद्युक्त कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय में वर्क कमिट्टेंस्ट मम्बन्धी कार्य अनुमधान परियोजना।
- (13) पत्तन और गोदी के नियोजनों और थमिको द्वारा स्वैच्छिक विवाचन स्थिति सम्बन्धी सर्वेक्षण।
- (14) अप्रैरियन स्ट्रक्चर देश, मूवमेन्ट्स एण्ड पेंजन्ट आर्मेनियनेशन इन इण्डिया।

**परामर्श कार्यक्रम**—इम मन्यान का व्यावर्माधिक स्टोफ अनेक समझों के नेतृत्वात्र अध्ययनों, मम्बन्धाओं वे मम्बाधान के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने तथा चलाने में लगा हुआ है।

**प्रकाशन**—यह मन्यान एक मानिक बुलेटिन प्रकाशित करता है जिसके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्यान व्यापर याहुक है। यह मन्यान एक मानिक पचाट सार मप्रह भी प्रकाशित करता है जिसमें अम न्यावालबो, उच्च न्यावालबो और सर्वोच्च न्यावालबो शम मामलों में सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयों का भारीश दिया जाना है। इनके प्रतिक्रिया यह सम्यान थमिको में सम्बन्धित चुने हुए विषयों वे बारे में सामिक्षा लेक्षा भी जारी करता है।

**भावी कार्यक्रम**—इस मन्यान द्वारा अम अधिकारियों, केन्द्रीय औद्योगिक मम्बन्ध तन्त्र वे अधिकारियों और राज्य एव अद्य-मरकारी विभागों वे अम कल्पाण अधिकारियों के लिए चार-चार मन्त्रालयों वे अधिकारियों के लिए चार-चार मन्त्रालयों का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

डॉ. एम. भो. ए. पी. लेव के देशों में अम मन्वालयों की नीति निर्धारण को बढ़ावा देने के दारे में अनुमधान सम्बन्धी हेत्रीय कर्मशाला का आयोजन मार्च, 1977 में प्रारम्भ हुआ। यह मन्यान भूमितीन ग्रामीण थमिकों के लिए अंतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना है।

## सामाजिक सुरक्षा का संगठन और वित्तीयन; ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत-संघ में सामाजिक सुरक्षा का सामान्य विवरण; भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

(ORGANISATION AND FINANCING OF SOCIAL SECURITY,  
SOCIAL SECURITY IN U K, U S A. AND U S S R,  
GENERAL POSITION OF SOCIAL SECURITY IN INDIA)

### सामाजिक सुरक्षा का अर्थ (The Meaning of Social Security)

“सामाजिक सुरक्षा ब्रिटेन की राज्य के दायित्व का एह सम्भाल है। सामाजिक सुरक्षा वे माध्यम से राज्य प्रत्येक नागरिक को एक दिए हुए जीवन स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करता है।”<sup>1</sup> “सामाजिक सुरक्षा एक गतिशील विचारधारा है जो कि किसी देशों में निर्धनता, वेरोजगारी और बीमारी को समाप्त करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अत्यन्त प्रावश्यक पाठ है।”<sup>2</sup> “वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा आधुनिक युग की एक गतिशील विचारधारा है जो सामाजिक व आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रही है। यह एक सीमित साधनों वाले व्यक्ति की राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है जो कि प्रपने ग्राम आश्रवा अन्य लोगों के सवोग से प्राप्त नहीं कर सकता है।”<sup>3</sup>

ब्रिटेन की राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि प्रत्येक नागरिक को निश्चित जीवन-स्तर बनाए रखने में मदद करे। प्रत्येक व्यक्ति वचपन और वृद्धावस्था में दूसरे पर आधित रहता है। इन अवस्थाओं में उसको सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा यह सुरक्षा है जो राजा द्वारा प्रपने हावरयों को

1 Vaid, K N State & Labour in India p 109

2 Saxena, R C Labour Problems & Social Welfare, p 349

3 Giri, V V . Labour Problems in Indian Industry, p 246

उनके जीवन-काल में विसी भी ममत धटने वाली अनेक आक्रमिकताओं के विरुद्ध प्रदान की जाती है। इन आक्रमिकताओं में प्रदूषिति, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थना, दुर्घटना, ग्रोथोगिक बीमारी, बेरोजगारी, मृत्यु, दब्बों का पालन-पोषण आदि प्रमुख हैं। इन आक्रमिकताओं के विरुद्ध अकेला व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इन सामाजिक सुरक्षा उपायों से व्यक्ति विभिन्न प्राक्रिमिकताओं के विषय के निश्चयन हो जाना है तथा इच्छा और मन लगाकर कार्य करता है। इससे उसकी कार्य-क्षमता पर दुरा असर नहीं पड़ना है।

मर बिलियम बेवरेज (Sir William Beveridge) के अनुमार, "सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एक ऐसी योजना से है, जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, फिजूल खर्चों और बेहारी—जैसे रासायन पर विजय प्राप्त की जा सके।"

अन्तर्राष्ट्रीय थम सरगठन (International Labour Organisation) के अनुमार ऐसी आक्रमिकताएँ जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था और मृत्यु वे अनिवार्य बीमारी, प्रमूलि, असमर्थना, दुर्घटना और ग्रोथोगिक बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दमने वाले की मृत्यु और इसी प्रकार ऐस्य सकटों से ममत्व रखती है, के तिए नुस्खा प्रदान करता प्रावश्यक है। एक व्यक्ति इन आक्रमिकताओं में सब्द अवका अन्य किसी व्यक्ति की महायना से अपने आप मद्दत नहीं कर सकता है।<sup>1</sup>

ग्रोथोगीकरण के पूर्व इन आक्रमिकताओं में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रावधवता नहीं थी क्योंकि उस समय मध्यक परिवार प्रया, जानि प्रया, ग्रामीण समुदाय और धार्मिक सम्पाद विद्यमान थी। इन सम्पादों द्वारा सभी प्रकार की प्राक्रिमिकताओं के विरुद्ध नुस्खा प्रदान की जानी थी। ग्रोथोगिक विकास के साथ-साथ इन सम्पादों का विद्वन हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में जाकर वहाँ लंग और उनका ग्रामीण क्षेत्र से कोई सम्पर्क नहीं रहा। ग्रोथोगीकरण से देश की प्रगति हुई है और भौतिक वर्गाशा में भी तृढ़ि हुई है। किन भी इसके कारण से कई बुराइयों को भी जन्म मिला है, जैसे—ग्रोथोगिक बीमारी और दुर्घटनाएँ, बेरोजगारी, आदि। इनके साथ ही मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों में भी परिवर्तन आ जाने में इन आक्रमिकताओं के विरुद्ध अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता।

प्रोफेसर सिट हॉल सरल के अनुमार सामाजिक नुस्खा समाज द्वारा प्राप्ति, सानातिन, व्यवस्थन और भावित वारसों से उत्पन्न मनुस्खाओं के विरुद्ध नुस्खा प्रदान करने का एक उदाहरण है। प्राप्ति नुस्खा में मृत्यु या बीमारी, सामाजिक मनुस्खा में आवास व्यवस्था गे उत्पन्न दोष, व्यक्तिगत अनुस्खा में कार्यक्षमता का दम होना, आर्थिक अनुस्खा में कम भवित्वी प्राप्त होना आदि विभिन्न विभिन्न जाने हैं। सामाजिक नुस्खा प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति की क्षति-पूति करना, पुनरुद्धार करना और इन पर रोक लगाना होता है।

ग्रो. बी. पी. शहारकर के अनुमार, सामाजिक नुस्खा वह नुस्खा है जो समाज द्वारा इसके मद्दतों को प्रदान की जाती है, जो वि आक्रमिकताओं के शिकायती हो

जाते हैं। ये जोखिमे जीवन की प्राकृतिकताएँ हैं जिनके विहृद्ध व्यक्ति अपनी सीमित आय से लड़ाई नहीं सकता है और न ही वह इन वारे में अनुभाव लगा सकता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भी सुरक्षा नहीं कर सकता है।

### सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (Aims of Social Security)

व्यक्ति की प्राकृतिकताओं को सुरक्षा हेतु समाज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा के उपाय तीन उद्देश्यों की पूर्णि करते हैं—

**1. धन्तिपूर्ति फरना (Compensation)**—सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत धन्तिपूर्ति बरने का सम्बन्ध आय से होता है। किसी धर्मिक की कार्य बरते समय मृत्यु होने पर अधिकार दुष्टना होने पर उनके ग्राधिनी व स्वयं उसके लिए निश्चित रूप से आय प्रदान करना ही इसके अन्तर्गत आता है। भारत का धन्तिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act of 1923) इसका एक उदाहरण है।

**2. पुनरुद्धार (Restoration)**—इसके अन्तर्गत अधिक के बीमार होने पर उसका इलाज करवाना, फिर से रोजगार देना आदि प्राप्त है। भारतीय कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948) इसका एक उदाहरण है।

**3. रोक लगाना (Prevention)**—धीरोग्यिक बीमारियों, बरोजगारी, असमर्थता आदि के कारण से उत्पादन क्षमता के नुकसान को रोकन के लिए कदम उठाए जाते हैं। इससे समाज वा मानसिक और नैतिक कल्पाण होता है।

### सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र (Scope of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा एवं व्यापक शब्द है। इसमें सामाजिक बीमा (Social Insurance) और सामाजिक सहायता (Social Assistance) के अतिरिक्त व्यापारिक बीमा से सम्बन्धित कुछ योजनाओं को भी शामिल किया जाता है। किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना ने सामाजिक बीमा एक महत्वपूर्ण तत्व है।

सामाजिक बीमा वह योजना है जिसके अन्तर्गत अधिकों, मालिकों और राज्य द्वारा एक कोष का निर्माण अशादान द्वारा किया जाता है। इस काप म से बीमा करने वाले अधिकों को अधिकारपूर्ण लाभ मिलता है। ये लाभ बीमारी, चोट, प्रसूति, बरोजगारी, वृद्धावस्था पेशन आदि के समय मिलते हैं। उदाहरणार्थ हमारे देश में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ इसके अन्तर्गत ही आते हैं।

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत श्रियक्षीय योगदान से एक कोष बनाया जाता है। अधिकों का अश कम रखा जाता है। अधिकों को निश्चित सीमाओं में लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह अनिवार्य योजना है। यह व्यक्तिगत दुखों को दूर करता है।

सामाजिक सहायता (Social Assistance) वह सहायता है जो समाज द्वारा निर्धन और जहरतमन्द लोगों को स्वेच्छा में प्रदान की जाती है। अधिकों की धनिपूर्ति करता, मालूल लाभ और वृद्धावस्था में पेशन आदि सामाजिक सहायता के

अन्तर्गत प्राप्ति हैं। सामाजिक सहायता पूर्ण है से सरकारी माध्यमों पर निर्भर है। यह व्यक्ति को निश्चिन परिस्थितियों में जानों पर ही प्रदान की जाती है।

सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा की पूरक है त कि स्पानापन। किर भी सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अन्तर है। सामाजिक सहायता सरकारी बोजना है जबकि सामाजिक बीमा अधिकारी बोजनों और नगदान अगदान पर निर्भर है। सामाजिक सहायता निश्चिन जानों पर दी जाती है जबकि मामाजिक बीमा के प्रत्यार्गत बोमा कराए द्वानि का नीमित लाभ दिलेग। दोनों साध-योग्य चलती हैं।

सामाजिक बीमा और व्यापारिक बीमा (Commercial Insurance) दोनों में अन्तर है। सामाजिक बीमा अनिवार्य नया व्यापारिक बीमा लेन्विड है। व्यापारिक बीमा के अन्तर्गत जाभ प्रीमियम के आधार पर इए जाने हैं जबकि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत जाभ अविक्षो के अगदान से अधिक दिलने हैं। व्यापारिक बीमा बेवल व्यवस्थित जोखिम के लिए प्रदान किया जाता है जबकि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए नाभ प्रदान किए जाने हैं।

इति प्रवाह सामाजिक सुरक्षा एवं व्यापक योजना है। इसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दोनों को जामिल किया जाता है।

### सामाजिक सुरक्षा का उद्गम और विकास

#### (Origin & Growth of Social Security)

सामाजिक जोखिमों को पूरा करने का तरीका भूक्तान में गरोड़ रहन पढ़तिर्गंथी थी। कई देशों में अधिनियम पास किए गए थे। सामाजिक सहायता दना समाज का दायित्व समझा जाता था। मदमे पहले सन् 1601 में इंग्लॅण्ड में सामाजिक सहायता हेतु नियंत्रण कानून (Poor Law) पास किए गए। इसके पश्चात् धीरे-धीरे सरकार द्वारा इस प्रशासन की सहायता की मात्रा और किम्य में सुधार किया गया। अब सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा के पूरक रूप में सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रयत्न बन गया है। इंग्लॅण्ड में अनिवार्य बेंगेजमार बीमा (Compulsory Unemployment Insurance) के साथ-साथ बेंगेजमारी सहायता योजनाएँ (Unemployment Assistance Schemes) स्थार्ड और मुद्रवस्थित आधार पर चलाई जा रही हैं।

सामाजिक बीमा (Social Insurance) का उद्गम अवैद्यपय अवैद्यों में सन् 1883 में अनिवार्य ट्रूंपटना बीमा अधिनियम (Compulsory Accident Insurance Act, 1883) पास करने से होता है। इसके पश्चात् ट्रूंपटन्या तपा बीमारों आदि के लिए भी अधिनियम बनाए गए। सन् 1883 के पूर्वी भी सन् 1850 द्वारा सन् 1883 में कमज़ोरी और टट्टवी सरकार ने सामाजिक बीमा योजना शुरू कर रखी थी।

सन् 1942 में भर विनियम बेवरिज द्वारा दी गई व्यापक सामाजिक बीमा और अन्य सेवाओं पर प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पश्चात् एक राजि का मुद्रभात दृष्टा। यह रिपोर्ट इंग्लॅण्ड में एवं व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लाए करने के

महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, यूडावस्था पेशन, समाज कार्य हेतु समाज मजदूरी या बेतन सामाजिक, राजनीतिक और धार्यिक क्षेत्रों में समानता आदि मूलभूत अधिकार एव योक्तिम हैं जिनके लिए इस विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना होना अत्यन्त प्रायश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय थर्म समठन (I.L.O.) ने भी अपने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अन सम्बन्धों में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पापा किए हैं और उन प्राप्ता व सिफारिशों को सदस्य देशों में लागू करवाने का प्रयत्न सराहनीय रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ने समय समय पर सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणों का निधारण किया है और इस साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तैयार करने, क्रियान्वयन करने और प्रशारण आदि के सम्बन्ध में सदस्य देशों ने तकनीकी सलाह दी है। उदाहरणार्थ भारत में कम्बारी राज्य द्वीपा अधिनियम, 1948 के अन्तमत कम्बारी राज्य द्वीपा योजना तैयार करने हेतु तकनीकी सलाह दी है।

### इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in U.K.)

सामाजिक सुरक्षा और दीपा कार्यक्रम बर्तनान समय में ब्रिटेन के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो गए हैं। ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन ऐतिहासिक क्षमानुसार तीन भागों में विभक्त कर किया जा सकता है—

- 1 प्राचीन व्यवस्था—निर्धन सहायता कानून,
- 2 बेवरिज योजना के दूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, एवं
- 3 बेवरिज योजना और सामाजिक सुरक्षा की भव्य बर्तनान व्यवस्थाएँ।

### प्राचीन व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा की भावना ब्रिटेन में अति प्राचीन समय से ही विद्यमान थी। पहले वृद्धों निर्धनों तथा विधवाओं को गिरजाघरों द्वारा सहायता दी जाती थी। बुद्ध धर्म ने इस सम्बन्ध में राकारी हृतक्षेत्र आवश्यक हो गया। सन् 1536 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें अपाहिजों, निर्धनों और आलसियों को को प्रकार के गदों में (काम न करने वालों को) बौद्ध दिया गया। अगाहिज निर्धनों को ताइसेन्म दिए जाते थे और वे भिक्षा मार्ग सर्वों थे, जिन्हुंने आलसियों को लाइसेंस नहीं मिलता था और वे भिक्षा मार्गने पर दण्डित किए जाते थे। इसी वर्ष एक दून्य अधिनियम पास वरके निर्धनों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया—वृद्ध और अपाहिज जिनके लिए जन्मदा शक्तिकृत करने की व्यवस्था की गई, योग्य व्यक्ति जो कार्य पाहते हों, एवं आलसी व्यक्ति जिनके लिए दण्ड की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम की व्यवस्थाएँ अधिक दिनों तक न चल सकी। सन् 1547 में लन्दन में निर्धनों की सहायतार्थ कोष के लिए वर लगाए जाने की एक नई योजना चालू की गई। सन् 1593 में एक नया निर्धन अधिनियम बनाया गया। सन् 1601 में एक

महत्वपूर्ण दरिद्रता अधिनियम द्वारा पहले के सभी अधिनियमों को संगठित कर एक रूप दिया गया। सन् 1782 के एक प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम 'पिलबर्ट अधिनियम' के अन्तर्गत ज्याधारीओं को प्रधिकार दिया गया कि मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम है, उन्हें वे 'निधन सहायता कोष' से सहायता दें। यह व्यवस्था अच्छी थी, इन्तु पूँजीपत्रियों ने इसका दुष्पर्योग किया और धर्मियों को सहायता दिलाने के उद्देश्य से मजदूरी घटाना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1832 में नियुक्त नियंत्रण कानून आयोग (Poor Law Commission) वे प्रतिवेदन वे ग्राधार पर सन् 1834 में एक विर्धनना कानून संशोधन अधिनियम (Poor Law Amendment Act) बनाया गया जिसके अन्तर्गत निर्धनों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा बढ़ियानरी द्वारा निर्धारित की जाने की व्यवस्था की गई। सन् 1905 में सरकार ने निर्धनता की समस्या और इसके विभिन्न पहलुओं को जौच के लिए जाहीं आयोग बैठाया जिसने अतेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, यथा—मुधार-गृहों को समाप्त करना, विभिन्न प्रकार की सहायताओं में सामग्रजस्य स्पारित करना, आयु व चरित्र तथा साप्तनी के ग्राधार पर सहायताओं को बनाना, लेवर एक्सचेंजेज व्यवस्था करना, वेन्ड द्वारा नियंत्रण सहायता कार्य पर नियन्त्रण रखना आदि। आयोग के सुझावों को धीरे-पीरे कार्यनित किया गया। परिलामेंट नियंत्रण सहायता की व्यवस्था समाप्त हो गई। सन् 1909 में वृद्धावस्था पेंजन अधिनियम और सन् 1911 में बीमा अधिनियम पारित हुए जिनसे निर्धनों को पर्याप्त लाभ मिला।

सन् 1919 में बेरोजगारी बीमा योजना (Unemployment Insurance Scheme) प्रारम्भ की गई। यह योजना अभिकौ, मालिकों और राज्य के अशदानों पर ग्राधारित है। इसके अन्तर्गत एक वयस्त्र को वर्ष में 15 हफ्ते 7 शिलिंग का साप्ताहिनी लाभ प्राप्त हो सकता था, जम्हि 18 वर्ष से कम उम्र के अभिको को इसका केवल आधा ही लाभ दिया जाता था।

सन् 1920 में अनियार्थ राज्य बीमा योजना को सभी शारीरिक और गैर-शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों जिनको प्रतिवर्ष 250 पौण्ड से अधिक आय प्राप्त नहीं होती है, पर लागू कर दी गई। अशदान जी दरों में तृद्धि कर दी गई। इसके अन्तर्गत मिलने वाले लाभों में तृद्धि करके पुरुष अभिक के लिए 15 शिलिंग प्रति सप्ताह और 12 शिलिंग महिला अभिक के लिए वर्द गए तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले अभिक वो इनसे ग्राधा लाभ मिलेगा। सन् 1931 में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था अधिनियम (National Economy Act, 1931) पार किया गया जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी बीमा अशदानों में तृद्धि तथा इससे प्राप्त लाभों में तमी कर दी गई। सन् 1934 में अभिको जी वर्षों में विभागित कर दिया गया। एवं वर्ग वह था जिसमें नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत सहायता मिलनी थी और दूसरे वर्ग में वे अभिक रहे गए जो कि बीमा ने अपना अशदान देने हैं। सन् 1936 में अशदानों में परिवर्तन किए गए। पुरुष अभिक और मालिक द्वारा 9 शिलिंग प्रति मन्त्रालय तथा महिला अभिक द्वारा 8 शिलिंग और राज्य द्वारा इन्हीं के दरावर अशदान करना निश्चिन्त हुआ।

इसी वय हृषि बराबरगारी हतु भी एक वेरोनिकार बीमा योजना चानू भी गई। इसम मानिक थमिक और राज्य द्वारा 4-6 शितिंग और महिना थमिक के लिए 4 शितिंग मध्याम रखा गया। राज्य की दरें पुरुष और महिला थमिक हतु द्रमश 14 शितिंग और 12 शितिंग 6 पैस प्रति सप्ताह तथा वयस्त और अवयस्त के लिए 7 शितिंग और 3 शितिंग रख गए। यद्य व पश्चात् वेरोनिकार बीमा योजना नमाप्त कर दी गई और "वरा स्थान सामाजिक सुरक्षा योजना न संचया।

### "अज दोनों के पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था

('01/11) Security Measures before the Beveridge Plan)

दिन म सामाजिक सुरक्षा के सदैन म प्राचीन व्यवस्था का उल्लेख हम कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का इतिहास म दूसरा चरण हम बवरिज योजना के पूर्व का सामाजिक व्यवस्था को मान सकते हैं। 1942 म सर विलियम बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही व्यापक योजना प्रस्तुत भी दी जिस बेवरिज योजना कहा जाता है। इस योजना का आधार पर ही मन् 1946 म कानून बनाकर दृग्मीष्ट व प्रायः नागरिक के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। इसम जीवन म घटित हात वाले प्राय सभी सकटा से सुरक्षा का प्रबंध है। लिंगु इस बवरिज योजना से पूर्व भी इतनष्ठ म सामाजिक सुरक्षा के लिए मुद्द बदल उठाए जा सकते हैं जिन्हें जानना भी उपयोगी है—

(\*) थमिक शतिष्ठित (Workmen's Compensation)—ब्रिटेन म सबप्रधम थमिक शतिष्ठित के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि यदि थमिक मिल-मालिकों द्वारा असावधानी के कारण दुष्टना घटत हो जाए तो नियोता दो उह शतिष्ठित करनी पड़े। सन् 1897 म थमिक शतिष्ठित अधिनियम (Workmen's Compensation Act) पास हुया जिस उन उद्योगों म लागू किया गया जिनम जोखिम अधिक थी। यह व्यवस्था की गई कि शतिष्ठित की राशि लगे व लिए थमिक व्यायामयों की जारी से सक्त है। अधिनियम को और अधिक सुधारने के लिए सन् 1906 मे एक नया अधिनियम पारित किया गया जो सभी उद्योगों म लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत व सभी थमिक या यह जिनकी वापिक आय 250 पौँड से ज्यादा है। थमिक वारसाना म काम करते समय पूरी तरह पायल हो जाए तो उह आजम अधिक सहायता दिया जाता लिखित किया गया। मृत्यु हो जाने की दिनति म थमिकों के आधिकारी को तीन साल की मजदूरी के बराबर शतिष्ठित दी जान की व्यवस्था की गई। अधिनियम का दुष्टयोग न किया जाए इसके लिए यह जान भी रख दी गई कि शति जान दूसरे अवधार थमिक द्वी असावधानी के कारण न हुई हो। सन् 1923 म अधिक शतिष्ठित अधिनियम अ एक संशोधन करके एक ही वय से बड़े आदु के आधिकों को अतिरिक्त महायना दी जाने की व्यवस्था की गई। साप्ताहिक वृत्ति दी दरें भी बढ़ाई गई। नीया के धावन्दूर थमिक शतिष्ठित सम्बन्धी यह योजना सन् 1946 तक चलनी रही जब तक कि इसका स्थान नेशनल इश्योरेंश इंडस्ट्रीयल इंजीरीज स्कीम (National Insurance Industrial Injuries Scheme) ने नहीं से लिया।

(ल) स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)—राष्ट्रीय स्वास्थ्य (National Health Insurance) सन् 1911 में चालू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 16 वर्ष से ऊरंग और 65 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक जिनकी कार्यिक आय 250 पौंड से अधिक नहीं है, सम्मिलित किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत नकदी और चिकित्सा दो रूपों में लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रत्यर्गत व्यक्ति को 15 शिलिंग, अविवाहित महिला को 12 शिलिंग, विवाहित महिला को 10 शिलिंग, 26 सप्ताहों के लिए बीमारी लाभ (Sickness benefits) प्रदान करने का प्रावधान है। अन्देर और लाभ की दरों में सामयिक परिवर्तन किए जाने रहे हैं। असमर्थता लाभ (Disablement benefits) भी जमश 7 शिलिंग, 6 शिलिंग और 5 शिलिंग प्रदान किया जाता है। मातृत्व लाभ में 40 शिलिंग मिलते हैं।

(ग) वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pensions)—यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन अधिनियम सन् 1908 (Old Age Pensions Act, 1908) के प्रत्यर्गत चालू की गई। इस योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था प्राप्त करने से नौ जाती है। सन् 1925 और सन् 1929 के अधिनियमों द्वारा सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पाते थे, उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना से भी शामिल कर लिया गया। सन् 1938 में श्रमिकों, महिलाओं और मातिकों का अशादान कमज़ 5 $\frac{1}{2}$  पैस, 3 पैस और 5 $\frac{1}{2}$  पैस थे। 65 और 70 वर्ष की आयु के बीच वाले पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिकों को जिनका बोमा कराया हुआ है, 10 शिलिंग प्रति सप्ताह दिया जाता था। इसके साथ श्रमिकों की महिलाओं को भी 10 शिलिंग प्रति सप्ताह दिया जाता था। सन् 1925 में विषया माताप्तों और नियंत्रों को भी अशादान के आधार पर पेंशन योजना का लाभ दिया जाने लगा।

सामाजिक बीमा योजनाओं के अतिरिक्त पेंशन योजना, बचत योजना, बेरोजगारी लाभ योजना आदि मालिसो द्वारा चालू की गई थी। बेवरिज योजना के पूर्व प्रचलित सामाजिक मुरक्खा सम्बन्धी सभी योजनाएँ दोषपूरण थीं। इन योजनाओं में वित्ती ही श्रमिकों को नम्मिलित नहीं किया गया था तथा लाभ व अप्तों के आधार पर भी समरूपता का अभाव था।

**बेवरिज योजना और अन्य व्यवस्थाएं**

**(The Beveridge Plan & Other Facilities)**

सन् 1941 में तर विलियम बेवरिज को सामाजिक बीमा और अन्य सेवाओं का अध्ययन करने तथा इनके विषय में सुभाव देने हेतु नियुक्त किया गया। सन् 1942 में इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बेवरिज योजना (Beveridge Plan) कहा जाता है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी, बीमा अवधा अविवाहित होने पर व्यक्ति और महिलाओं को समुनित साय प्रदान की जाती है और विवाह, प्रमूति और मृत्यु के समय भी सहायता दी जाती है।

बेवरिज ने सामाजिक मुरक्खा वी आवश्यकता के वाराणों के आठ तत्त्व घटाए हैं और सभी आवश्यकताओं को विभिन्न बीमा लाभों से प्राप्त किया जाना सम्भव रहता था। ये निम्नांकित हैं—

1. येरोजगारी— किसी समय व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर उसे रोजगार लाभ प्रदान किए जाने हैं।

2. असमर्थता (Disability)—बीमारी अथवा दुष्टना के कारण कार्य करने में असमर्थ होने पर अभिको जो असमर्थता लाभ और बीमोगिर पेशन के हृप में लाभ प्राप्त होता है।

3. जैक्सन-याएन वी हाइट (Loss of Livelihood) होने पर अभिको को प्रशिभरण लान (Training Benefit) प्रदान किया जाता है।

4. रेट्रियर्टमेंट (Retirement) —उम्र के बारण से दूरी की होने पर अभिको को सेवा मुक्ति पेशन प्रदान की जाती है।

5. महिला की विवाह सम्बन्धीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विवाह अनुदान, प्रमूलि प्रनुदान और अन्य आवश्यक लाभ प्रदान किए जाने हैं।

6. दाह सहार घ्यप (Funeral Expenses) हेतु दाह सहार अनुदान प्रदान किया जाता है।

7. बाल्यावस्था (Childhood) हेतु बच्चों का भत्ता 16 साल की आयु तक शिक्षा प्रदान करने हेतु दिया जाता है।

8. शारीरिक बीमारी (Physical Disease) हेतु मुफ़्त चिकित्सा सुविधाओं द्वारा इलाज किया जाता है। यह व्यापक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा के बाद पुनर्वास द्वारा प्रदान किया जाता है।

**योजना क्षेत्र (Scope of the Plan)**—यह योजना देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। इस योजना को लागू करते के लिए देश की जनसत्त्वा को 6 वर्षों में विभाजित किया गया है—

1. वित्ती किसी आय-स्रोत के सभी कर्मवारियों को जिनको बेनन तथा सबदूरी मिलती है और वे वित्ती प्रसविदा के अन्तर्गत कार्य करते हैं,

2. मालिक और अन्दर व्यक्ति जो लाभपूर्ण व्यवसायों में लगे हुए हैं

3. कार्यशील आयु की गृहस्थितियाँ,

4. कार्यशील आयु के अन्य व्यक्ति जो कि लाभपूर्ण व्यवसायों में नहीं लगे हुए हैं,

5. कार्यशील आयु से नीचे के व्यक्ति अर्थात् स्कूल छोड़ने की आयु से कम आयु वाले, अर्थात् 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, एवं

6. कार्यशील आयु से अधिक आयु वाले रिटायर्ड व्यक्ति।

इस प्रकार इगलैण्ड की सामाजिक मुरक्खा योजना, सामाजिक बीमा और सहायता की विद्यमान सभी योजनाओं से व्यापक है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति, महिला और बच्चे को किसी न किसी विन्दु पर इसमें सम्मिलित करती है। उपरोक्त वर्ष सम्मुखीन जनसत्त्वा को शामिल करते हैं। मालिक और घनी व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन उन्हें अनुदान देना आवश्यक है। बच्चे, रिटायर्ड व्यक्ति और एहसानियों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं देना पड़ता है।

**योजना के अन्तर्गत योजना (Contribution under the Plan)**—जहाँ तक योजना में अवधान देने का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत ब्रिटिश और महिलाओं के लिए क्रमशः 4 शिलिंग 3 पैस और 3 शिलिंग 6 पैस रखे जाने का प्रावधान था। अवधान में आयु अनुसार अन्तर पाए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्ति और महिला के लिए मालिक द्वारा दिया जाने वाला अवधान क्रमशः 3 शिलिंग 3 पैस और 2 शिलिंग 6 पैस है।

**योजना के अन्तर्गत लाभ (Benefits under the Plan)**—इस योजना के अन्तर्गत जन्म से मृत्यु तक लाभ प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के पछात् आश्रितों को लाभ मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ प्रदान किए जाते हैं—

1. **गृहपतियों के लाभ (Benefits for Housewives)**—गृहपत्नी को किसी प्रकार का प्रशंसन नहीं देना पड़ता है किंतु भी उसको छ प्रकार के लाभ मिलते हैं—

(a) विवाह हेतु प्रनुदान 10 पौंड तक।

(b) 25 पौंड का प्रत्येक जन्म वच्चे के लिए (Maternity Grant for each child born)—यदि दोजगार ने लगी है तो।

(c) विवाहात्मक लाभ (Widow's Pension)—प्रथम 26 सप्ताह तक 16.20 पौंड+प्रत्येक वच्चे के लिए 5.65 पौंड (पारिवारिक भत्ता सहित)।

(d) यदि विना गलती के तलाक दिया जाता है तो उसे विवाह लाभ दिया जाएगा।

(e) लौटी को अवधान आश्रित को 9.80 पौंड+6.10 पौंड के अन्य भत्तों की दर से (साप्ताहिक) बीमारी लाभ (Sickness Benefit) दिया जाता है। बीमारी लाभ की यह साप्ताहिक दर प्रत्येक वच्चे के लिए (पारिवारिक भत्ता सहित) 3.10 पौंड है। उल्लेखनीय है कि यदि पति कमा रहा है तो पत्नी को उपरोक्त बीमारी लाभ 6.90 पौंड प्रति सप्ताह ही मिलेगा, पर यदि पति सेवा विवृत हो तो वह रुपी 4.80 पौंड प्रति सप्ताह पाने की हकदार होगी। 28 सप्ताह बाद बीमारी लाभ के स्थान पर, जहाँ आवश्यक हो, असमर्थता लाभ (Invalidity Benefit) सामग्र कर दिया जाता है जो उस समय तक लाभ रहता है जब तक कि व्यक्ति की असमर्थता बनी रहती है अवधान जब तक कि बीमार व्यक्ति पैशां की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।<sup>1</sup>

2. **वच्चों का भत्ता (Children's Allowance)**—किसी भी परिवार में बिना माता-पिता की आय तथा पद को ध्यान में रखे हुए पहले वच्चे की छोड़फ्फर रोप सभी वच्चों को यह लाभ मिलता है। यह भत्ता 8 शिलिंग मिलता है। माता-पिता कमाने के दोष न होने पर प्रथम वच्चे को भी भत्ता दिया जाता है।

3. **वेरोजगारी पौर बीमारी लाभ (Unemployment & Sickness Benefits)**—इसके अन्तर्गत अवैले व्यक्ति को 24 शिलिंग और विवाहित व्यक्ति को

40 जिलिंग प्रति हृपरे की दर से लाभ मिलता है। एक वेरोजगार व्यक्ति जिससे दो दूचे और पत्नी हैं तो उसे 50 जिलिंग प्रति हृपरे की दर से लाभ मिलता है। यदि कोई 6 मास तक वेरोजगार रहता है तो उसे किसी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेना पड़ता है। वहाँ उसे वेरोजगारी भत्ते के बराबर प्रशिक्षण भत्ता मिलता है।

इस योजना के अन्तर्गत 13 हृपरे की प्रसमर्थन वाले व्यक्तिन को बीमार मान दिया जाता है तो बीमार लाभ दिया जाता है। इसके पश्चात् साप्ताहिक मुनाफान उसकी आय के दो तिहाई के बराबर कर दिया जाता है जो कि प्रमाण दर से कम नहीं होता।

इस योजना में श्रमिक दत्तिपूर्ति का प्रावधान भी है। यदि दुर्घटना घटता है तो उसके वायिको को एक मुठ में 300 पौण्ड का अनुदान दिया जाता है।

**4. दाह सहाय अनुदान (Funeral Grant)**—विभिन्न व्यक्तियों को आयु के अनुसार मृत्यु होने पर दाह सहाय हेतु अनुदान दिया जाता है। वयस्क की मृत्यु पर 20 पौण्ड, 10 से 21 वर्ष की आयु वाल की मृत्यु पर 15 पौण्ड, 3 से 10 वर्ष की आयु वालों की मृत्यु पर 10 पौण्ड और 3 वर्ष से कम आयु वाले की मृत्यु पर 6 पौण्ड दाह सहाय के रूप में अनुदान देने का प्रावधान है।

**5. बृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pensions)**—इस योजना के अन्तर्गत व्यक्ति को 65 वर्ष तक महिला को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर सकने पर बृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन घरेले व्यक्ति को 23 जिलिंग और विशाहित जोड़े को 40 जिलिंग दी जाती है।

**योजना का प्रशासन और सामग्र (Administration & Cost of the Plan)**—पर वेवरिज का मत था कि इस योजना के प्रशासन के लिए एकीकृत प्रशासन का दायित्व हाना नाहिए और इसके लिए सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एक सामाजिक बीमा कोष के साथ स्थापित करना चाहिए। प्रारम्भ में यह सिकारिया स्वीकार नहीं की गई। लेहिन बाद में राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय (Ministry of National Insurance) का सृजन किया गया।

इस योजना की लागत सन् 1945 और 1965 में क्रमशः 697 पौण्ड और 858 पौण्ड आकी गई। यह लागत भी अधिक बढ़ी है क्योंकि कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

**योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Plan)**—सरकार द्वारा वेवरिज योजना को देश में सामाजिक गुरुका का ढाँचा तैयार नहीं हेतु सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। युद्धोत्तर काल के पश्चात् विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना आयु वर्सने के लिए कई अधिनियम पास किए गए जो कि जुलाई, 1948 से लागू हुए। वर्तमान समय में परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा, श्रीदोगिक दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय सहायता और राष्ट्रीय स्तास्थ सेवा आदि होर्सों में इम्पैण्ड में भूततम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रबन्धित है।

**परिवार भत्ता अधिनियम, सन् 1945 (Family Allowance Act of**

1945) के अन्तर्गत सबसे पहली योजना प्रथम बच्चे को छोड़कर धन्य बच्चों को भता देने के लिए चलाई गई। इन भतों की दर में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है।

राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, सन् 1946 (National Insurance Act, 1946) के अन्तर्गत वे सभी बच्चे आजाते हैं जो कि स्कूल को छोड़ने की उम्र से अधिक के हैं। दृढ़ अवित्तियों, बच्चों, विवाहित महिलाओं और जन आय वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी को इसमें निश्चित अशदान प्रति सप्ताह देना पड़ता है। अशदान देने वालों को तीन वर्ग—नियोजित अवित्त, स्वयं नियोजित अवित्त और अनियोजित अवित्त—में बटा गया है। अधिनियम के अन्तर्गत बीमारी, बेरोजगारी, प्रसूति, निधन, सरकार भता, रिटायर्ड वैश्वन और मृत्यु अनुदान आदि विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। प्रथम वर्ग वाले व्यक्तियों को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरे वर्ग वाले व्यक्तियों को बेरोजगारी और औद्योगिक दुर्घटनाओं हेतु लाभों को छोड़कर हेतु सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरे वर्ग में आगे वाले व्यक्तियों को बीमारी, बेरोजगारी औद्योगिक दुर्घटनाओं और प्रसूति लाभों को छोड़कर सभी लाभ मिलते हैं।

राष्ट्रीय बीमा (ओडोगिक दुर्घटनाएं) अधिनियमों द्वारा सन् 1946 के पश्चात् कार्य करते समय ही दुर्घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों आदि के लिए बीमा योजना चलाई गई है। ओडोगिक नोट अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक बीमारी अवज्ञा दुर्घटना पर तीन प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं—

(i) दुर्घटना अवज्ञा बीमारी के कारण अस्थाई रूप से प्रति सप्ताह चोट भता (Injury Allowance) दिया जाता है। यह चोट अवज्ञा बीमारी के कारण कार्य करने में अमर्याद होन पर दिया जाता है। यह लाभ 26 सप्ताह तक से प्रतिहृत दिया जाता है। प्रति सप्ताह भता दर £12·55 + dependant's allowances है।<sup>1</sup>

(ii) चोट अवज्ञा बीमारी के परिणामस्वरूप अभिक को असमर्याद लाभ (Disablement Benefit) दिया जाता है। यह चोट लाभ अवधि (Injury Benefit Period) समाप्ति के पश्चात् दिया जाता है। यह अधिक से अधिक £ 19 + dependants' allowances हो सकता है।<sup>2</sup>

(iii) मृत्यु लाभ (Death Benefit) जब किसी दुर्घटना अवज्ञा बीमारी के कारण अभिक की मृत्यु हो जाती है यह उसके आधितो को दिया जाता है। बनस्क के लिए यह सामान्यतः 30 पौंड और बच्चों के लिए कुछ कम है।

राष्ट्रीय सहायता अधिनियम, 1948 (National Assistance Act of 1948) के अन्तर्गत जहरतमन्द व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। जिन व्यक्तियों को भूड़काल में राजप और स्वानी र सरकारी द्वारा सहायता दी जाती थी वे अभिक या अवक्ति भी इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं। जो सोग सामाजिक मुख्या

सेवाधो वे अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा यपने याप वो बताए रखने में अमर्य हैं उन सभी को यित्तीय सहायता दी जाती है। कुछ दण्डाधी में बल्याणकारी सेवाएँ शुल्क की गई हैं जिनके अन्तर्गत देशरकार और यपन लोगो वो शशांकों दृष्टि में प्रदेश दिया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में अन्तर्गत सभी श्रिटिश नागरिकों को चिह्निता सुनिश्चारी दी जाती है, जहाँ वे अशदात देते हैं अथवा नहीं। सभी लागत सरकार द्वारा परती है।

परिवार भर्तों, राष्ट्रीय बीमा और घोटोगिङ बोट योजना के प्रशासन के लिए केन्द्र और राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय (Ministry of Pensions & National Insurance) को स्थापना कर दी गई है। इसका मुख्यालय लन्दन में रखा गया है। प्रादेशिक और स्थानीय बार्यालय भी स्थापित दिए गए हैं। राष्ट्रीय सहायता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा वा प्रशासन अमण राष्ट्रीय सहायता बोर्ड (National Assistance Board) और स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा दिया जाता है।

बाल अधिनियम 1948 (Children Act of 1948) के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों वा यह दायित्व है कि कोई भी 17 वर्ष से कम आयु का बच्चा जिसके माता-पिता नहीं हैं अथवा जिसे दाया दिया गया है अथवा उसके माता-पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, वो अपनी देखभाल में ले लें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक संगठनों द्वारा भी बल्याणकारी कार्य दिए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ सामाजिक सेवाधो वी राष्ट्रीय परिषद्, परिवार बल्याण संघ, प्रमूलि एव बद्धा बल्याण वी राष्ट्रीय परिषद्। श्रिटिश रेट्रोफॉम सोसाइटी ने भी महस्वपूर्ण बल्याणकारी सेवाएँ प्रदान की हैं।

इस प्रवार इगर्नेंड में सामाजिक मुरक्का की एक व्यापक योजना बतामान रूमय में है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् उसके प्रायिकों को भी सामाजिक मुरक्का योजना के अन्तर्गत नाम प्रदान दिए जाते हैं।

### अमेरिका में सामाजिक मुरक्का (Social Security in U. S. A.)

"कोई भी व्यक्ति जो किसान बना चाहता था उसे 160 एकड़ मूलि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। यह सामाजिक मुरक्का का प्रारम्भिक स्वरूप था।"<sup>1</sup> अमेरिका एक घनी देश है जहाँ पर रोजगार का ठेंचा स्तर बनाए रखने में अप्रत्यापनी है। किंतु भी घटकिन स्वयं भौद्योगीकरण से उत्पन्न जोखिमों से यपन आप रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए अमेरिकी सरकार ने भी इन जोखिमों से रक्षा करने हेतु सामाजिक मुरक्का सेवाएँ शुल्क की हैं।

अमेरिका में सामाजिक मुरक्का का थीर्गणश सामाजिक मुरक्का अधिनियम, 1935 (Social Security Act, 1935) के पास होने के बाद हुआ। इस

संवित्तियम् मे समयन्त्रम् पर संशोधन किए गए हैं। बत्तमान दमद ने सामाजिक सुरक्षा का दौखा निम्न प्रभार है—

### बत्तमान सामाजिक सुरक्षा की धोजना

सामाजिक दोस्ती दावेंका	आवश्यकतामंड दो न्हाये सहायता	बालवाच	
दर्योवारी दाना	दहावस्था व उत्तरदोक्षी दोना	प्राप्ति न्हाय दक दान इवास्थ उत्तर	बाल इवाच वकार
दृढ़ावस्था नम्भन्दी सहायता		आवश्यकतामंड दक्षी दो न्हायेदा	
		आवित्र दानहों की सहायता	

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 एक सधीय अधिनियम है। यह अधिनियम दृढ़ावस्था एवं उत्तरदोक्षी दोना धोजना को ही चलाना है और ये प्रोडवार्ट राज्य नुस्खारों द्वारा सर्वोदय सरकार के कोषों की महापत्रा से चलाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा के इन्वर्टर निम्न योजनाएँ चलाई यदि हैं—

#### I. दृढ़ावस्था, उत्तरदोक्षी और अन्वर्यता दीना

#### (Old Age, Survivors & Disability Insurance)

इन्हा प्रदानन सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 मे बधीर सरकार के द्वारा है। दृढ़ावस्था देनान पद्धति हेतु सामिक और कर्मचारी नुगान बत्ते हैं। इस अधिनियम मे 1939 मे सजोवन बरके रिटायरमेंट वे इन्हे या बाल दृढ़ावस्था की प्राप्ति होने वाले व्यक्ति की पहली और बच्चों को भी देना देने का प्रावधान रखा गया। मन् 1956 मे इन्वर्टर के साम जो भी इस अधिनियम मे शामिल कर दिया गया।

दृढ़ावस्था और उत्तरदोक्षी दोना का दिन प्रबन्ध मानिकों और शानिकों की बरदेय दायित्व छाप (4200 डॉनर टक) का 2-2 प्रतिशत उपर न्वय नियोनित व्यक्तियों की भाव का 3% द्वारा किया जाता है। यह दर इन उमर तक बढ़ाई जाती रहती जब तक मानिकों व शानिकों के निर 4% और न्वय नियोनित व्यक्तियों के निर 6% न हो जाए।

व्यक्तियों को 65 वर्ष पर शोर शानिकों को 62 वर्ष पर रिटायरमेंट देनान हो जाती है। मन् 1957 मे इन्हें व्यक्ति के लिए अधिनियम देनान 108.50 डॉनर इनिमाह यो और विवाहित के निर यह 162.80 डॉनर थो। एक विवाहा, को 81.50 डॉनर, एक विवाह और एक वर्षे को 162.80 डॉनर, एक विवाहा

प्रौढ़ दो वच्चों को 200 डॉलर दिया जाना है। यदि आधितों को अनिरक्षित नहीं दिया जाता है तो असमर्थता पेशन दुष्कावस्था पेशन ही होगी। इस अधिनियम में असमर्थ व्यक्तियों का शोध पुनर्वास कराने का भी प्रावधान रखा गया है।

## 2 वेरोजगारी बीमा

### (Unemployment Insurance)

तीसा की महान् मन्दी में वई लाल अमेरिकी वेरोजगार हो गए। वे रोजगार पान में असमर्थ रहे। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेरोजगारी बीमा या ना खालू भी गई। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 म ही इसका प्रावधान रखा गया है जिसका वित्त प्रबन्ध मानिकों के अधादान से होगा। सामान्य प्रमाणों (General Standards) निर्धारण सघीय सरकार बरती है प्रौढ़ विस्तार से प्रावधान राज्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं। जिसी भी उद्योग का मालिक पदि वर्ष में कम से कम 20 हफ्ते चार या चार से अधिक थमिकों दो राम में रखाता है तो उसे वेरोजगारी बीमा कोष (Unemployed Insurance Fund) अधादान देना पड़ता है। अमेरिका का नियोजित व्यक्तियों का दो तिहाई भाग इस योजना के अन्तर्गत आता है। वेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला मुगलान व अवधि विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग है। सामान्यतया यह राशि थमिक की मजदूरी का आधार होती है। कुछ राज्यों में आधितों की स्थ्या के आधार पर इसमें बढ़ि कर दी जाती है इस योजना से न बेबल वेरोजगार व्यक्ति व उसके आधितों को ही सुरक्षा मिलती है बल्कि उसको यह अवसर प्रदान करती है कि उसकी योग्यता व अनुभव वाली नीकरी की तत्त्वाश कर सके। इसके साथ ही मन्दी से अर्थ-व्यवस्था की रक्षा भी करती है।

## 3. सार्वजनिक सहायता

### (Public Assistance)

सन् 1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार सहायता का प्रावधान रखा गया है। यह सहायता तीन वर्गों को प्रदान की जाती है —

(i) जरूरतमन्द वृद्ध व्यक्तियों को जिनको बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता या साभ नहीं मिलते हैं उनको सार्वजनिक सहायता देकर उनकी मदद की जा सकती है।

(ii) वे वच्चे जिनको माता-पिता की मृत्यु, असमर्थता या अनुपस्थिति के कारण त्याग दिया गया है उन्हे भी इस प्रकार की सहायता देने का प्रावधान है।

(iii) जरूरतमन्द अन्य व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

सन् 1950 मे इस योजना को स्थाई या पूर्ण रूप से असमर्थता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है।

इस प्रकार की सहायता जरूरतमन्द व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। इसको वित्तीय सहायता सघीय सरकार द्वारा दी जाती है।

#### 4. श्रमिक क्षतिपूर्ति (Workmen's Compensation)

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत राज्य व संघीय सरकार द्वारा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने का भी प्रावधान है। सबसे पहले संघीय कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1908 (Federal Employee's Compensation Act of 1908) लास किया गया था। धीरेंद्रीरे अन्य राज्यों में भी इस तरह के अधिनियम पास कर दिए गए हैं। सन् 1948 से सभी राज्यों में इस प्रकार के अधिनियम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। मृत्यु होने पर दाहू संसार व्यव तथा प्राधिकों को नकदी लाभ दिए जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत चोट की लागत को उत्पादन की लागत माना जाता है। विभिन्न राज्यों में म्यार्ट्स, मस्साई असमर्थता तथा मृत्यु पर दिए जाने वाले मुश्यावजे की राशि अलग-अलग है। अस्थाई असमर्थता के लिए कर्मचारी की घोसत मजदूरी का 2/3 भाग दिया जाता है। मुगलान अदविय भी विभिन्न राज्यों में 104 से 700 सप्ताह तक है। कुछ राज्यों में ममयावधि और मुगलान की सीधाएँ निश्चित हैं जो क्रमशः 260 से 800 सप्ताह और 6500 डॉलर से 20,000 डॉलर तक हैं।

व्यावसायिक बीमारियों से होने वाली असमर्थता को भी चोट की भाँति लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। इसके विषय में भी विभिन्न राज्यों में कानून बनाए गए हैं।

#### 5. बीमारी अथवा अस्थाई असमर्थता

##### (Sickness or Temporary Disability)

ग्रन्तिग्राल में बीमार होने पर बीमारी लाभ नकदी के रूप में प्रदान किए जाते हैं। दीर्घकालीन बीमारी की प्रारम्भिक अवस्था में भी यह लाभ दिया जाता है। इस प्रकार वा लाभ संघीय और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग वर्गों के धर्मियों को प्रदान किए जाते हैं। यह लाभ 20 सप्ताह तक के लिए धर्मिक की मजदूरी का आधा हिस्सा दिया जाता है।

पूर्णतया अथवा स्थायी रूप से असमर्थता होने पर स्वयं व उसके धार्यियों को मासिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत असमर्थ व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवा के संघीय राज्यीय कार्यस्थ (Federal State Programme of Vocational Rehabilitation Service) के पुनर्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है। संघीय सरकार द्वारा पुढ़ में हुए अपन्ने व असमर्थ व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति दी जाती है।

#### 6. बच्चों के लिए कार्यश्रम

##### (Programmes for Children)

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 के अन्तर्गत बच्चों को बीमा लाभ अथवा सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। संघीय सरकार राज्य सरकारों को प्रमोति और शिशु स्वास्थ सेवामो, अपग बच्चों की सेवा और पन्न शिशु-वल्लाय

सेवामो के चलाने के लिए बानून बनाती है तथा इन सभी सेवामो के लिए राज्य सरकारों द्वारा भी प्रशुदान भी दिया जाता है।

उपरांक सामाजिक सुरक्षा सेवामो के अतिरिक्त ऐच्छिक धाराएँ पर चराई जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य अथवा वीमारी वीमा सेवाएँ अमेरिकी अमिमो के लिए उपलब्ध रहती हैं। निजी संस्थाएँ भी सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ, उदाहरणार्थ वीमारी और जरूरतमन्द, पाठशालामो और प्रश्नतालो के लिए विभिन्न लाभप्रद सेवाएँ प्रदान करती हैं।

### रूस में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in U S S R )

रूस में सामाजिक सुरक्षा उपायों की सांविधानिक गारंटी दी गई है और उनको प्राप्त करने के तीन कारण हैं—

1. रूस की अर्थव्यवस्था का सीधा गति से विकास हो रहा है तथा इसकी हड्डी राष्ट्रीय आप में से हिस्सा दिलाते के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करनी होती है,

2. समाजवादी देश होने के कारण लोगों का कल्याण बढ़े, एवं

3. अम सधो द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनामों के विवरण्यन में सहयोग से प्रभावगूण विद्यान्वयन प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

रूस में सामाजिक सुरक्षा सभी अमिमो और वर्मचारियों पर लागू होती है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत यूनिटम भजदूरी, पारष्ट्रीड रोजगार, चिकित्सा मुदिधा, प्रसूति लाभ, अमिक धातियूति, वृद्धावस्था पेशन, असमर्थता पेशन, उत्तरजीवी पेशन, व्यावसायिक वीमारियों के विद्व वीमा, अममर्य और वृद्धावस्था गृहों हेतु प्रावधान, रक्तास्थ और सेनीटोरिया वे लिए विस्तृत प्रावधान आदि उपाय अथवा योजनाएँ शामिल भी गई हैं। सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ मानुदायिक कामों के वर्मचारियों को भी प्रदान की जाती हैं।

### रूस में सामाजिक बीमे की विशेषताएँ (Features of Social Insurance in U S S R )

रूस में सामाजिक वीमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नान्दृत हैं—

1. बेवल नियोजित व्यक्तियों का वीमा किया जाता है।

2. बेरोडगारी वीमा योजना नहीं है। कानून से बेरोडगारी को समाप्त कर दिया गया है।

3. वीमा के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने हेतु अम सधों का सदस्य होना पूर्व शर्त है। गैर सदस्यों को बेवल दावे लाभ दिए जाते हैं।

4. सामाजिक वीमा योजनामों का समान, प्रशासन और नियोजन का बायं अम सधो द्वारा दिया जाता है। अम सधो की केन्द्रीय स्थान का स्वयं का अधिकार सामाजिक वीमा विभाग है।

5. सामाजिक वीमा की लागत का बहुत सम्बन्धित स्थान द्वारा किया जाता है। इसमें सम्बन्धित स्थान द्वारा प्रश्नदान दिया जाता है।

6 रूस की सामाजिक बीमा योजना न केवल अभियों के कल्याण में वृद्धि का साधन है, वह धार्यिक बिनास में उत्पादन में वृद्धि करने का भी एक प्रमुख साधन मानी जाती है।

7 यदि कोई अभिक मामाजिक बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के प्रशासन और थम सधों के हस्तक्षेप से दोई शिकायत रखता है तो इसके लिए वह गारण्टीड सामाजिक सुरक्षा लाभों हेतु स्थानीय न्यायालय में अधील कर सकता है।

वर्तमान समय में रूस में अभिक के अस्थाई प्रसमर्थ होने पर सहायता तथा स्थाई असमर्थता व वृद्धावस्था के लिए पेशन देने का प्रावधान है। यदि किसी अभिक वो चोट अथवा दीमारी के कारण अस्थाई असमर्थता हो जाती है तो उसे उमड़ी ओसत मजदूरी वा शत-प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है।

### सामाजिक बीमा योजना

रूस में प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण सामाजिक बीमा योजना के सिद्धान्तों को नवीन आधिक नीति के प्रत्यार्थी सन् 1922 में शुरू किया गया। एक थम सहिता की घोषणा की गई। इसके अन्तर्गत चिकित्सा, अस्थाई असमर्थता पर लाभ, दाह-सम्बार हेतु शुगतान, अतगर्थता, वृद्धावस्था अथवा मृत्यु के पश्चात् पेशन आदि का प्रावधान रखा गया था। रूस में सामाजिक बीमा योजना का विस्त प्रबन्ध प्रबन्धरों द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध थियों के मजदूरी विल का कुछ प्रतिशत सामाजिक बीमा कोप (Social Insurance Fund) में जमा करते हैं। इसी अनुपात में वे थियों की मजदूरी में से घटा लेते हैं। यह प्रतिशत 4·4 से 9·8 तक होता है जो पि उत्पादन वी दशामो पर निर्भर करता है। थियों को कुछ भी शुगतान नहीं बरता पड़ता है। चिकित्सा सहायता वस्तु के रूप में दी जाती है जो कि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत न आकर तामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत आती है। सामाजिक बीमा योजना वेवल नियोजित थियों पर ही लागू होती है। कृषि थियों के अन्तर्गत नहीं याते हैं क्योंकि उनकी रक्षा कियानों के सामूहिक समूहों (Peasants' Collect ve Organisations) द्वारा की जाती है।

रूस की सामाजिक बीमा योजना के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं—

1. सन् 1933 से ही इस योजना का प्रशासन थम सधों द्वारा किया जाता है। इस योजना वी सस्याएँ कोप और काय सभी थम सधों के हैं।

2 इस योजना के अन्तर्गत केवल नियोजित व्यक्तियों का ही बीमा किया जाता है।

3 इस योजना में अशदान वेवल नियोजितों पा मालिको द्वारा ही दिए जाते हैं। मालिक एक मुत्त में ही सामाजिक बीमा कोप में थियों की मजदूरी विल का प्रतिशत के रूप में जमा करा देता है।

4. इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ वेवल उन्हीं थियों को दिए जाते हैं जिन्होंने थम सधों की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो सदस्य नहीं हैं उनको वेवल आधे लाभ ही मिलते हैं।

5 यह योजना सरकारी आन्दोलन के रूप में शम की स्थिता और उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई जाती है। सबसे मध्यिक लम्बे समय तक कार्य करने वाले को ही मधिक साभ मिलते हैं।

6 बेरोजगारी बीमा समाप्त कर दिया गया है। यह सन् 1930 में प्रथम पचवर्षीय योजना में मानव-शक्ति की मीण में वृद्धि करके समाप्त बर दिया गया है।

रोजगार के कारण बीमारी अथवा छोट से यदि अस्थायी असमर्यता हो जाती है तो भीसत धारणी का गत-प्रतिशत लाभ के रूप में शक्तिक को दिया जाता है। अन्य मामलों में नौकरी की अवधि के अधार पर लाभ प्रदान विए जाते हैं। उदाहरणार्थ 6 या अधिक वर्ष की नौकरी वाले को 100%, 3 से 6 वर्ष के रोजगार हेतु 80% 2 से 3 वर्ष हेतु 60% और 2 वर्ष से बड़े को 50% भीसत मजदूरी का भाग लाभ वे रूप में दिया जाता है। शम सधो की सदस्यता न होने पर इन लाभों का अधा मिलेगा।

प्रत्येक व्यक्ति और महिला जिन्होंने अभ्यग 60 और 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रोजगार के कारण बीमारी और छोट से उत्तम स्थायी असमर्यता (Permanent Disability) हेतु भी पेंशन दी जानी है। दूसरे मामलों में यह आयु और रोजगार की अवधि पर निर्भर करता है। पेंशन की राशि अनिको भी अन्त में मिलने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है। अधिकतम पेंशन अन्तिम मजदूरी का 66% दी जाती है।

सामाजिक बीमा योजना के प्रसाधा रूप में बीमारी की चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ऐ सेवाएँ निम्नलिखित हैं—

1 प्रत्येक व्यक्ति को नि शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

2 इसी भी स्थायी असमर्यता में निरन्तर 11 माह तक कार्य करने पर 2 सप्ताह की वेतन सहित छुट्टियाँ दी जाना।

3 शम सधो और भौद्योगिक स्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विश्राम-शुहो का अधिको द्वारा उपयोग करना। यह उपयोग जनकी नौकरी की अवधि पर निर्भर करता है।

4 रविवार तथा अन्य सांवेदनिक छुट्टियों पर कस्थों में स्थित रेस्ट पांक्त आदि का उपयोग करना।

5 सभी को प्राथमिक शिक्षा को नि शुल्क सुविधाएँ प्रदान वरना।

6 प्रत्येक महिला को मातृत्व लाभ (Maternity Benefits) प्रदान करता।

मातृत्वो का कल्याण और उनको सरकार प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व समझा जाता है। इसके विषय में कई शम कानून बनाए गए हैं। किसी भी गर्भवती महिला को रोजगार देने से मना करना कानूनी अपराध है। इसके उल्लंघन पर 6 माह की वेत तथा 1000 रुपये आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।

महिला की मजबूरी में से किसी प्रकार वी बटीती नहीं की जाएगी। गर्भविस्था में हल्का काय दिया जाता है। उनको ट्राम्स, रेल व बसों में सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाते हैं। यदि 2 बर्फ का बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी माता को विशेष छुट्टी प्रदान वी जाती है।

रूस में अविवाहित मातायो और उनके बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। बच्चे के पालन-पोषण हेतु राज्य की ओर से भत्ता दिया जाता है। अन्य मातायों को जो सुविधाएँ व लाभ मिलते हैं वे ही अविवाहित माताप्रों को भी मिलते हैं। अधिक बच्चों वाली माँ को रूस में विशेष भत्ता भी दिया जाता है।

### भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

भारत में सामाजिक सुरक्षा एक नया इटिकोण नहीं है। कुछ नियोजक पहले से ही अपने अधिकारों को पेश करते, प्रोविडेंट फ़ाउंड और ग्रेन्ड्यूटी आदि लाभ देते थे और कल्याणकारी कार्य भी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में हमारे देश में थम कानूनों का भी अभाव न हो रहा है। सन् 1947 से ऐसे ही हमारे देश में अधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 और विभिन्न प्रान्तों में मातृत्व लाभ अधिनियम पास किए जा चुके हैं।<sup>1</sup>

किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू करने हेतु अन्य उपाय भी काम में लेने पड़ते हैं उदाहरणार्थ पूर्ण रोजगार नीति, अधिकों की सुरक्षा और अच्छी कार्य दणायो हेतु विधान, चिकित्सा, शिक्षा और आवास सुविधाएँ, आदि। हमारे देश में विदेश रूप स ग्रोथोगिक अधिको हेतु सामाजिक सुरक्षा शुरू की गई है।<sup>2</sup>

हमारे देश में यद्यपि प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार प्रधा, पचायत, निर्वन घृदौ प्रादि सामाजिक संस्थाएँ द्वारा जहारतमन्दो को कुद्दन-कुद्द सहायता देती रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पर दूसरे महायुद्ध तक कोई विशेष ध्यान न दिया गया। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour, 1931) तक ने इस प्रकार की योजना की धावशक्ति पर जोर नहीं दिया बड़ोंकि हमारे देश में स्थानी थम-शक्ति का धमाव था और अधिक परिवर्तन (Labour Turnover) भी अधिक होता था।

बेवरिज रिपोर्ट (Beveridge Report) के प्रशासन के पश्चात् भारत में सामाजिक बीमा योजना पर ध्यान दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न देशों में समाजनादी सरकारों की स्थापना हुई तथा अधिक असतोष के कारण अधिकों की दिवति सुधारने हेतु कई देशों में सामाजिक बीमा योजना तैयार की गई। हमारे देश में भी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए।

1. Gopal V. P. : Labour Problems in Indian Industry, p. 262.

2. Vaid, K. N. : State & Labour in India, p. 110.

**भारत में वर्तमान स्थिति  
(Present Position in India)**

एक पूर्ण सामाजिक बीमा योजना में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य तत्व पाए जाते हैं—

- (1) बीमारी और प्रसमर्थना बीमा  
(Sickness and Invalidity Insurance)
- (2) दुष्टना बीमा (Accident Insurance)
- (3) प्रगृहनी बीमा (Maternity Insurance)
- (4) बराजगारी बीमा (Unemployment Insurance)
- (5) कृदावस्था बीमा (Old Age Insurance)
- (6) उत्तरजीवी बीमा (Survivorship Insurance)

उपरोक्त भावितिस्तानों के निए अभी हमारे देश में पूर्ण रूप से सामाजिक बीमा योजना गुण नहीं की गई है। बैनर वर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948) और कर्मचारी प्रोविडेंट फण्ड अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Fund Act of 1952) पास करने इस दिलासा में कदम उठाया गया है। बोयल गम्य में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत प्रदानित योजनाओं का संबोधन किया गया है—

1. श्रीदौषित्र दुष्टनाओं प्रीर बीमारियों हेतु क्षतिपूति का प्रावधान अमिक शतिपूति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act, 1923) के अन्तर्गत किया गया है।

2. महिला अमिकों को मानूत्व साम्र, मानूत्व साम्र अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए जाने हैं।

3. श्रावक्षय बीमा वर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया जाता है।

4. छेत्री मुश्काला (Retrenchment Compensation) श्रीदौषित्र विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के तहत किया जाता है।

5. श्रीशीहेन्ट फण्ड का प्रावधान वर्मचारी प्रोविडेंट फण्ड अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Fund Act, 1952) के अन्तर्गत है।

6. बोयल गम्य नियि (प्रोविडेंट फण्ड) प्रबोएं उपवर्ष अधिनियम, 1948

7. उपदान (प्रेस्युटी) अदायगी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत वर्मचारियों को आनुगोदित वा हासदार बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत बत्तेमान में प्रचलित निम्न अधिनियमों को विस्तार से समझना उपयोगी होगा।

**अमिक क्षतिपूति अधिनियम, 1923**

**(Workmen's Compensation Act of 1923)**

इस अधिनियम का उद्देश्य इसी श्रीदौषित्र दुष्टना तथा श्रीदौषित्र बीमारी

से अधिक को क्षतिग्रन्थि करना होता है। दुर्घटना से अधिक की मृत्यु हो जानी है प्रसव स्थाई एवं अस्थाई असमर्थना राख होती है। इस आकस्मिकना में बचाव करने हेतु नियोजक द्वारा अधिकों को क्षतिग्रन्थि करना एक वैधानिक दायित्व है।

यह अधिनियम रेल कारखानों, नाविक व नमुद्र पर काम करने वाले कुछ अधिकों, डाक तार, नहर, धाय, रेल, बड़वा डॉगों में काम करने वाले अधिकों, विद्युत, स्टेनोग्राफर, गोशामो, बेनन पाने वाले, मोटर ड्राइवरों आदि जब 10 या 10 से अधिक अधिक शक्ति से कार्य करते हैं और 500 रु. मासिक से अधिक देना न पाने वालों पर भी लागू होता है। लेकिन यह अधिनियम आकस्मिक अधिकों, समस्त मेनाप्रो और मालिक के बदबनाये को छोड़ कर अन्य उद्देश्य से लगाए गए अधिकों पर लागू नहीं होता है। जो अधिक कमचारी राशि बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें भी इन अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं होता।

यदि अधिक को काम करते समय किसी दुर्घटना से चोट लग जाए तो मासिक द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

यदि असमर्थना (Incapacity) 3 दिन से प्रविक्त नहीं है तथा अधिक के स्वयं के दोष के कारण चोट लग जाती है तो उन किसी प्रकार की क्षतिग्रन्थि नहीं दी जाएगी। यदि अधिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाता है। अपावधिक बोमारियो (Occupational Diseases) हेतु भी अधिनियम की तीसरी अनुमूल्यी में क्षतिग्रन्थि परने का प्रावधान है।

मुआवजे की राशि चोट को प्रहृति तथा अधिक की जीवन मानिक मजदूरी पर निर्भर करती है। चोट को कीन वगों में रखा गया है—उदाहरणार्थं चोट से मृत्यु को प्राप्त होना, स्वार्द्ध असमर्थना और अस्थाई असमर्थन।

मृत्यु हेतु क्षतिग्रन्थि की कम से कम राशि 500 रु. तथा अधिकनम राशि 4,500 रु. स्वार्द्ध असमर्थन में यह राशि 700 रु. से 6,300 रु. तक तथा अस्थाई असमर्थन में न्यूनतम मजदूरी वाले अधिक की आवेदने की मजदूरी दी जाती है।

अधिक की मृत्यु होने पर उसके आविर्गो जो मुआवजा दिया जाता है। वैधानिक आविन तथा अवैधानिक आविन दोनों वगों की क्षतिग्रन्थि नियोजक द्वारा दी जाती है।

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह दायित्व है कि वह किसी भी धर्मक दुर्घटना को सूचना भाष्यक, अधिक क्षतिग्रन्थि (Commissioner for Workmen's Compensation) को दे। यदि वह इस दुर्घटना का दायित्व स्वीकार कर लेता है तो उसे मुआवजे की राशि धायुक के राम ने जमा करा देनी चाहिए। यदि मालिक दायित्व स्वीकार नहीं करता है तो धायुक मृत्युक के आविर्गो जो उसके न्यायालय में इस सम्बन्ध में अवश्य अधिकार (Claim) मांग सकता है। मालिक इस सम्बन्ध में प्रमिला द्वारा मुआवजा नहीं कुठा मरता। बाह्यनस्तार हेतु व्यक्ति

प्रायुक्त कुल मुआवजे की राशि में से 26 ह बाट वर दे सकता है। मालिक मुआवजे की 100 ह तब भी अधिक राशि दे सकता है।

इस अधिनियम द्वारा प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस प्रत्येक राज्य सरकार ने धारुत्त, अभिक्षमिति नियुक्त वर दिए हैं जो कि मुआवजे सम्बन्धी मामलों की जाँच, मुनवाई और फैसला देवर अभिक्षमों की मदद वरते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना, मुआवजे की राशि प्राप्ति के सम्बन्ध में मालिक व गतिवेदन भेजना पड़ता है। इस अधिनियम का समय समय पर संगोष्ठन करके इसका कानून व्यावहर कर दिया गया है।

इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उनकी वियापीता को देखने से पता चलता है कि यह अपने आप में एक पूर्ण अधिनियम नहीं है। इसकी विस्तृतिता कीमाते हैं—

1. मालिक इस अधिनियम को धारुचित बताते हैं। उनका बहना है कि अभिक्षम की गतीये के कारण मृत्यु होने पर मालिकों को धारिपूति भदा करनी पड़ती है। इससे इन पर वित्तीय भार पड़ता है।

2. छोटे सम्पादों द्वारा अभिक्षमों को क्षतिपूत्रि नहीं दी जाती है। के किसी न किसी तरह इस दायित्व को टालने में सफल हो जाते हैं। वहे सम्पादों द्वारा भी छोटी छोटी की रिशेट नहीं दी जाती है।

3. क्षतिपूत्रि सम्बद्ध थी मामलों को निपटाने में देरी सकती है। सम्बन्धित अधिकारियों का कार्यभार पहले ही प्रधिक होता है।

4. टेका थम दे सम्बन्ध में टेकेदार टेके द्वारा मुआवजा देता है। गोद पूरी राशि की ली जाती है जबकि भुगतान बम राशि में होता है।

5. इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार की चोट अथवा व्यावसायिक दीमारी होने पर चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। चिकित्सा का प्रबन्ध आवश्यक है।

इस अधिनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय थम आयोग (National Commission on Labour) ने सुभाव दिया है कि अधिक्षम क्षतिपूत्रि हेतु एक केन्द्रीय बोय (Central Fund for Workmen's Compensation) की स्थापना की जाए। इस बोय में मभी मालिकों द्वारा प्रतिमाह अपनी मजदूरी विन का दुष्य प्रतिशत जमा करना चाहिए जिसमें कि अधिनियम के प्रशासन तथा दिए गए तामों की लागत का बहन किया जा सके। इस बोय का नियन्त्रण कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee's State Insurance Corporation) द्वारा होना चाहिए। यह निगम दुर्घटनाग्रस्त अभिक्षमों और उनके आश्रितों को समय समय पर भुगतान करता रहेगा। यदि अभिक्षम प्रस्तर्यता के कारण वेरोजगार रहता है, तो उसकी क्षतिपूत्रि की ऊंची दर दी जानी चाहिए।

### मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act of 1961)

मातृत्व लाभ अभिक्षमों को जन्म के पूर्व तक प्रबन्ध कार्य

से अनुपमित रहने के परिणामस्वरूप हुई मजदूरी की हानि के रूप में मुआवजा दिया जाना है जिसमें महिला श्रमिक व उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़े तथा आविष्क नियाई का मामला नहीं करना पड़े। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (I.L.O.) ने प्रस्ताव 1919 में ही पास कर दिया था। लेकिन भारत में इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भारतीय महिला श्रमिक प्रवासी होनी हैं, वच्चा होने से पूर्व ही वे वारिम अपने घर लौट जानी हैं तथा चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। चिकित्सा राज्यों में समय-तमय पर अधिनियम पास कर दिए गए हैं। लेकिन अधिनियमों में समरूपना का अभाव होने के कारण मन् 1961 में मातृत्व वासी अधिनियम पास किया गया।

यह अधिनियम वारसानों, खनीों अवधा वागनों पर लागू होता है लेकिन गहर उन वारसानों या समानों पर लागू नहीं होता जिन पर कि अर्मेनियारी राज्य वीमा अधिनियम, 1948 लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उमीं महिला श्रमिक को लाभ प्राप्त होगा जिसने बच्चा होने से पूर्व 160 दिन कार्य कर दिया है। इसके अन्तर्गत 12 सप्ताह-6 सप्ताह बच्चा होने के दिन के पूर्व और 6 सप्ताह बाद में—वीं प्रवधि हेतु लाभ प्रियता है। लाभ की दर महिला श्रमिक की प्रतिदिन वीं प्राप्तता मजदूरी होनी है।

अधिनियम के अन्तर्गत 25% चिकित्सा बोनस (Medical Bonus) के रूप में दिलते हैं। युद्ध राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त चिकित्सा, प्रमूर्ति बोनस, पानने की व्यवस्था, अनियन्त्रित आराम आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं।

अधिनियम के अनुसार मातृत्व छुट्टी (Maternity Leave) की अवधि में किसी भी महिला को नोकरी से नहीं हटाया जा सकता है। इसके लिए मालिक को दण्डन किया जा सकता है। इस अधिनियम के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य में वारसाना निरीक्षकों की है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को अनुचित आराम और वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। हिर भी इन अधिनियम में नियन दोष देने की मिनते हैं—

1. निभित्र अधिनियमों में समरूपना वा अभाव है। इसी उद्देश्य से समय-तमय पर इन अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं।

2. बच्चे के जन्म के पूर्व तथा बाद में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है।

3. विभिन्न प्रावधानों का मालिकों द्वारा प्रत्येक नियन की मिनते हैं। महिला श्रमिकों की अज्ञानता के कारण इसके अन्तर्गत मिलने वाले लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं। मालिक भी इन अधिनियम ने बचने हेतु पुष्टों को काम पर लगाते हैं अथवा विपद्धाओं को रोजगार पर लगाते हैं।

कर्मचारी राजव वीमा अधिनियम, 1948 और

उसके अधीन बनाई गई योजना

(Employees' State Insurance Act, 1948)

विभिन्न देशों में वीमारी वीमा सम्बन्धी योजना पर विचार किया गया।

भारत में भी सन् 1928 मे इस पर विधान-सभा मे विचार किया गया। शास्त्री थम आयोग, सन् 1931 ने भी बीमारी बीमा के सम्बन्ध मे जीव हेतु समिति नियुक्त करने की सिफारिश की। इसी के साथ एक ऐसी योजना चाहूँ करने की मिलारिश की जो इस सम्बन्ध पर आधारित हो। इस विकारिश के अनुसार एक ऐसी योजना तंत्रार की जाए जिसक प्रबल्यंत विकित्सा लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो तथा वित्तीय लाभ मानियो और अमिति व संवेदन से प्राप्ति किया जाए। श्रीशोगिन थमियो हेतु बीमारी बीमा योजना हेतु प्रोटोकॉल अडारकर की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति न भारती रिपोर्ट सन् 1944 म दी। प्रो० श्रीडारवर मे केवल एक बीमारी बीमा योजना दी थी। बाद म अन्तर्राष्ट्रीय अम-साठन दे दा विशेषज्ञो श्री स्टेक थोर थो राव ने इस रिपोर्ट की जीव करके एक बड़ी एकीकृत बीमा योजना की सिफारिश की। इसमे मातृत्व लाभ, घोड़ीगड़ चोट लाभ और बीमारी बीमा योजना तीनो को शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सन् 1948 पास किया।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 जो विद्युत का प्रयोग करने वाले ऐसे बारहपाँची कारमानो पर लागू होता है, जिनमे 20 पा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं डॉक्टरी डेल-रेल और इसाउ, बीमारी के दोरान नकद भत्ते, प्रमूलि और काम करते हुए लगी चोट के लिए लाभो, काम करते हुए चोट लगन के कारण थमिक की मृदु पर उम्रके आधियो के लिए पेश और बीमाशुदा अक्ति की अन्तर्वेदित पर लंबे के लिए 100 रुपये से अनधिक अन्तर्वेदित सहायता की व्यवस्था करता है। बीमाशुदा व्यक्तियो के पारवारो के सदस्यो को अस्पताल मे भर्ती दोकर इलाज कराने सहित डॉक्टरी डेल-रेल की पुष्टिया भी उत्तरोत्तर उपलब्ध कराई रही है।

प्रशासन—इम्चारी राज्य बीमा योजना वा प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा नियम (क० रा० बी० ति०) नामक एक निर्मित निकाय करता है, जिसके सदस्य कर्मचारियो, नियोजको, वेन्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारों, चिकित्सीय भवनाय और सप्तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नियम के मद्दतो मे से सदस्य नेवर गठित की गई एक स्थाई समिति इस योजना के प्रशासन वे लिए कार्यालय निकाय के रूप मे काम करती है। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित मामलो के बारे मे नियम को सलाह देने के लिए एक विकित्सा लाभ परिषद् भी विद्यमान है। महानिदेश, जो कि नियम का मुख्य कार्यालय अधिकारी है, नियम का और इसकी स्थाई समिति वा पदेन सदस्य भी है।

पाँच प्रकार के लाभ—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त वाले व्यक्तियो को पाँच प्रकार के लाभ दिए जाते हैं जो निम्नांकित हैं—

(1) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)—यदि बीमा कराए हुए व्यक्ति की बीमारी वा प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है तो उते नकदी मे भुगतान प्राप्त होता है। यह 365 दिनो मे से अधिकतम 56 दिनो हेतु दिया जाता है। बीमारी लाभ

पी रायि दैनिक औसत मजदूरी की आधी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह लाभ प्रिलता है वह निर्धारित डिसपेन्सरी मे रहेगा।

(ii) मातृत्व साभ (Maternity Benefit) —इसके अन्तर्गत 12 सप्ताह के लिए नकद मुगनान दिया जाता है। लाभ की दर औसत मजदूरी (दैनिक) के बराबर दी जाती है।

(iii) असमर्थता लाभ (Disablement Benefit) —रोजगार मे चोट तथा बीमारी से उत्पन्न असमर्थता लाभ प्रदान किया जाता है। अस्थाई असमर्थना के लिए दैनिक औसत मजदूरी का पूर्ण भाग लाभ के रूप मे नकदी मे दिया जाता है। स्थाई असमर्थता हानि पर श्रमिक अनियुक्त अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली दर के घासार पर लाभ दिया जाता है।

(iv) आधिकारों का लाभ (Dependants' Benefit) —किसी श्रमिक को रोजगार मे मृत्यु होने पर उसके आधिकारों को लाभ प्रदान किया जाता है। विवरा स्त्री को पूरी दर का ही भाग, वैवाहिक पुरो और अविवाहित लड़कियों को कुल दर का  $\frac{1}{2}$  भाग 15 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है। यदि जिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो यह लाभ उनको 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। यदि मृतक के विवाह पनी, लड़केनड़कियाँ तभी हैं तो उसके माता-पिता को यह लाभ दिया जाएगा। लेतिन यह लाभ उत्तरी पूरी दर (Full rate) से अधिक नहीं दिया जाता है।

(v) चिकित्सा साभ (Medical Benefit) —इसके अन्तर्गत बीमा कराए व्यक्ति वो उस हृपने मे भी चिकित्सा लाभ दिया जाता है जिसमे उसका अवश्यान दिया जाता है। बीमारी, मातृत्व और असमर्थना लाभ प्राप्त करने योग्य श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। बीमारी, रोजगार, चोट और प्रसूति मे नि शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह लाभ बीमा चिकित्सालय अवधारण स्थानाल मे प्रदान किए जाते हैं।

चिकित्सा रक्षा के लाभ भव बीमा कराए गए श्रमिकों के परिवारों को भी दिए जाने लगे हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालयो (Employees' Insurance Courts) की स्वायत्ता राज्यो द्वारा कर दी गई है जो कि इससे सम्बन्धित खाडो का निपटारा करेंगे। जिन स्थानों पर न्यायालय नहीं वहां विशेष अधिकरण (Special Tribunals) स्थापित कर दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1969 (National Commission on Labour, 1969) ने भी इस अधिनियम के सम्बन्ध मे कुछ सिफारियों की थी, जो निम्नलिखित हैं—

1. जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से चिकित्सा महाविद्यालय (Medical Colleges) खोले जाने चाहिए। ये नियम प्रथम राज्यो द्वारा चलाए जाने चाहिए। यदि प्रगतिशुल्क हेतु नियम द्वारा वित्त प्रबन्ध हिया जाता है तो प्रगतिशुल्यियों वो 5 वर्ष तक इन अस्पतालों मे काम करना चाहिए।

2. यदि राज्य कर्मचारी बीमा अस्पतालो मे रोगी शम्पाएँ खाली है तो उन्हें सामान्य जनता के उपयोग हेतु दिया जाना चाहिए।

3 नियम का राष्ट्रीय गुरुसा परिषद् (National Safety Council) के माध्यम से बाय वरना चाहिए।

### थ्रम सत्रालय को रिपोर्ट 1976-77 के अनुसार अधिनियम की दुष्क्रियता गते ग्रीष्मकाल त्रियान्वयन

जैसा कि कहा जा सकता है कि बमचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपर ये योग्य एसे बारहमासी उठानों में लागू किया जाता है जिनमें विजनी का प्रयाग होता है और जिनमें 20 वर्ष की अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। अधिनियम की पारा 1 (5) के अनुसार कुछ राज्य सरकार द्वारा निम्ननिवित नहीं श्रेणियों के प्रतिष्ठानों पर भी अधिनियम के उपरांथ लागू बन दिया गया है—

(1) ऐसे छाट वारसाने जा विजनी का प्रयोग करते हैं और जिनमें 10 से 19 के बीच व्यक्ति नियोजित हैं तथा विजनी का प्रयाग न करने वाले ऐसे छाटे वारसाने जिनमें 20 वर्ष की अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और

(2) ऐसी हुक्मानें हाटन रेस्टर जिनमें रणनीति (विएटर) शोटर परिवहन और समाचार-नगर प्रतिष्ठान जिनमें 20 वर्ष की अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

सीमा भव्य—वर्ष 1976-77 के दौरान इस योजना को 18 केंद्रों में 178 साथ और कमचारियों पर लागू किया गया। डाक्टरी देश रेल वी सुविधा का लाभ भी। 68 लाख और परिवारा (बीमागृह व्यक्ति) की दिया गया। 31 दिसम्बर 1976 की स्थिति के अनुसार इस योजना के आगत 400 केंद्रों के 52 86 लाख कमचारी प्रा गये थे। बीमा गृह व्यक्तियों सहित विविता लाभानुभोगियों की कुल संख्या 221 93 जाते थी।

निर्माण परियोजनाएँ—वर्ष 1976-77 के दौरान कमचारी राज्य बीमा परियोजनाओं के लिए निर्माण भूमि की सापेक्ष वी वापत लगभग 10 46 कराड लघु वी राशि मञ्जूर को गई थी। 31 दिसम्बर, 1976 तक देश भर में कमचारी राज्य बीमा परियोजनाओं के निर्माण के लिए 68 06 करोड़ लघु वी की कुल राशि मञ्जूर की गई।

निम्ननिवित 7 कमचारी राज्य बीमा परियोजनाएँ, जो निर्माणाधीन थीं वर्ष 1976-77 के दौरान पूर्ण की गई तथा खालू की गईं—

क्रमांक	परियोजना का नाम	व्यवस्था किए गए वक्तव्यों/निवृत्ति किए गए कॉर्सरों की संख्या
1	कमचारी राज्य बीमा अस्पताल कमबहाल (उत्तीर्ण)	40
2	कमचारी राज्य बीमा अस्पताल उत्तापनगर (महाराष्ट्र)	100
3	कमचारी राज्य बीमा अस्पताल खालियर (मध्यप्रदेश)	75
4	कमचारी राज्य बीमा उत्तर भवन (मोतीली) बांदरो-नगर (तमिलनाडु)	10
5	कमचारी राज्य बीमा बोपायालय रामगढ़ (आंध्रप्रदेश)	2 राज्य
6	कमचारी राज्य बीमा बोपायालय उत्तपुर (राजस्थान)	2 राज्य
7	कमचारी राज्य बीमा बोपायालय चक्रीगढ़	2 राज्य

इस निगम ने सन् 1976 के अन्त तक 10,886 पलगो वाले 59 पूरणि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों, 475 पलगो वाले 25 कर्मचारी राज्य बीमा उपभवनों और 175 कर्मचारी राज्य बीमा औपचालयों का निर्माण किया है तथा इनमें कार्य सारमंभ किया है। इनके अनिरिक्त 4509 पलगो वाले 18 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, 272 पलगो वाले 14 कर्मचारी राज्य बीमा उपभवन और 18 कर्मचारी राज्य बीमा औपचालय विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन हैं और इनमें कुछ शोध ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 32 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल 4 कर्मचारी राज्य बीमा उपभवन और 120 कर्मचारी राज्य बीमा औपचालयों के निर्माण की योजना बनाई गई है, ताकि पलगो आदि की कमी पूरी हो जाए। इस योजना के अधीन पूर्णकालिक/अशकालिक चलते-किरते औपचालयों और नियोजनों के ऐन शोपचालयों, जिनका इस्तेमाल व्यक्तिकरण कर सकते हैं, की कुल संख्या (किराए के परिमात्रे में स्थित औपचालयों सहित) 895 थी। बीमागुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों के इस्तेमाल के लिए अब कुल 15,545 पलग उपलब्ध हैं। इनमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत इस्तेमाल के लिए अन्य अस्पतालों में आरक्षित किए गए पलग भी शामिल हैं।

**किए गए सुधार—**कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन के रूप में नसबन्दी/बन्धकरण आंपरेशन कराने वाले बीमागुदा व्यक्तियों को वर्धित बीमारी सुविधा देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्धित बीमारी सुविधा लाभ सावारण बीमारी सुविधा लाभ की दर से दुगुनी दर से पहली अगस्त, 1976 से देय है। यह लाभ अस्पताल में दाखिल होने/आंपरेशन होने, जैसा भी मामला हो, कि तारीख से मिलता है और इन मामलों पर दो दिनों की प्रतीक्षा व्यवधि लागू नहीं होती। यह लाभ नसबन्दी के मामले में 7 दिनों तक पौर बन्धकरण आंपरेशन के लिए 14 दिनों तक उपलब्ध है और यह व्यवधि आंपरेशन के कारण हुई बीमारी या आंपरेशन के बाद उत्पन्न तकलीफों के भास्के में बढ़ाई जा सकती है। इन मवधियों की गणना उन दिनों में नहीं की जाएगी जिनके लिए बीमारे भुविधा लाभ दिया जाता है। तर्फिर, कोड आदि जैसे रोगों के लिए दिए जाने वाले वर्धित बीमारी सुविधा लाभ की दर में पहली प्रदेश, 1976 से 25% की वृद्धि कर दी गई है। पहली प्रदेश, 1977 से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डॉक्टरी डेल्ट-रेल पर स्थान को इतनाज सीमा को वर्धित डॉक्टरी डेल्ट-रेल (अर्थात् परिवारों के लिए प्रस्तुताल में भर्ती करके इलाज की सुविधा सहित सभी सुविधाएं) के लिए 75 रु. से बढ़ाकर 80 रु. प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी किया जा रहा है और पूरे डॉक्टरी डेल्ट-रेल (अर्थात् परिवारों के लिए प्रस्तुताल में भर्ती करके इलाज की सुविधा सहित सभी सुविधाएं) के लिए 95 रु. से बढ़ाकर 105 रु. प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष किया जा रहा है। बीमागुदा व्यक्तियों के लिए भी विकित्मा सुविधा की मवधि को एक वर्ष में 56 दिन से बढ़ा 91 दिन किया जा रहा है।

**प्रशिक्षण—** जनवरी से मवनूबर, 1976 के दौरान विभिन्न बेन्डों में आयोजित किए गए 45 प्रतिशत पाठ्यक्रमों में 1,083 लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। वीमा निरीक्षकों/प्रबन्धकों के तिए नड़ दिल्ली, बम्बई, करन्ता, हैदराबाद और चिन्ह में 8 प्रतिशत पाठ्यक्रम चलाए गए और इन 168 अधिकारियों वा प्रशिक्षण दिया गया। मध्यप्रबन्धस्तर के 49 अधिकारियों अर्थात् उप-क्षेत्रीय निदेशकों/सहायक क्षेत्रीय निदेशकों/लेखा अधिकारियों/उपसेक्षा अधिकारियों ने अप्रैल और मितम्बर, 1976 के दौरान दिल्ली में चलाए गए दो इन सेविस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का सामना उठाया।

### कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952

ओर तदाधीन बनाई गई योजनाएं

**प्रयोगता—** कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 वो 1952 में 6 मुद्य उद्योगों पर शुल्क ऊर्जे के दिम्बवर 1976 के अन्त तक 150 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बगैं पर लागू कर दिया गया था। प्रारम्भिक उद्यान थे—सोमन्ट, मिश्रट, बिहू, यौविक और मामान्य इत्तीनियरिंग बस्तुएं लोहा और इस्यात, कागज तथा बहन-उद्योग जिनमें 50 या इससे अधिक श्रमिक लगे हो। अधिनियम ने कन्द्रीय सरकार वो अधिकार दिया है कि इसे किसी भी राजस्वान और अन्य उद्योगों पर लागू किया जा सकता है जहाँ 50 या इससे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हो। 1960 में भवोधन बरके 20 या इससे अधिक काम करने वाले सहायों में भी यह अधिनियम लागू कर दिया गया।

**प्रशासन—** अधिनियम और तदाधीन बनाई गई योजना के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित वीर्य गई कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम के अधीन यठित एक विपश्यीष इन्द्रीय न्यायी बोर्ड के प्रधिकार में है जो इस निधि का प्रशासन करता है। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुरकर्मचारी भविष्य निधि समठन के मुद्र कार्यकारी अधिकारी तथा बोर्ड के सचिव हैं। देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना वा प्रशासन करने के लिए इस समय निधि के 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अधिनियम और भविष्य निधि योजना का प्रशासन बरने में अन्तर्गत व्यय की पूति छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक प्रभारों और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों से नियोजण प्रभारों के उद्घटहण में से को जाती है, जिनकी दर शम्प वेतन (अर्थात् मूल मजदूरी, मर्हगाई भत्ता, प्रतिवारण भत्ता, पदि कोई हो, कुराक सम्बन्धी रियायत यदि कोई हो, का नकद मूल्य) 0.37 रुपये प्रतिशत और 0.09 रुपये प्रतिशत है।

**सबस्थता—** मितम्बर, 1976 के अन्त में शुल्क दाताओं की संख्या 80,63 लाख थी—30,61 लाख छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में और 50,02 लाख छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में। 30 अगस्त, 1976 को छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या 68,466 थी।

असदान वो बढ़ी हुई दर—30 अगस्त, 1976 को असदान वो बढ़ी हुई 'वेतन' के 8 प्रतिशत की दर, ऐसे 94 विजिष्ट उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बगैं पर लागू

धी, जिनमें 50 या उससे अधिक अधिक नियोजित किए गए थे। पहले यह दर 64% (अधिक की मजदूरी का) थी। अशदान मालिकों व अधिकों को बराबर-बराबर देना पड़ता है। यदि नियोजित स्वयं तथा उसके अधिकों का अशदान नहीं देगा है तो उसकी समर्पण को नीताम किया जा सकता है। अविनियम के अन्तर्गत अधिकों को 15 साल की सदस्यता प्राप्त करने पर मालिक द्वारा दिए गए अशदान और उन पर व्याज दिया जाता है। यदि अधिक की नीकरी 10 वर्ष तथा 15 वर्ष से कम हो तो 85 प्रतिशत, 5 वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम हो तो 75 प्रतिशत, 3 वर्ष किन्तु 5 वर्ष ने कम हो तो 50 प्रतिशत और 3 वर्ष से कम हाने पर 25 प्रतिशत मालिक द्वारा दिए गए अशदान का भाग अधिक को मिलता है।

व्याज की दर—सदस्यों के भविष्य निधि संबंधी (छूट न प्राप्त) ने वर्ष 1976-77 के लिए जमा किए जाने वाले व्याज की दर 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

अशदान और वापसिया—सितम्बर, 1976 के अन्त में छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में एकत्रित की गई भविष्य निधि अशदानों की कुल राशि 4429.13 करोड़ रुपये (प्रगामी आँकड़े) थी और वापस की गई कुल राशि 1795.54 करोड़ रुपये (प्रगामी आँकड़े) थी।

निवेश—पहली अवेन्य से 31 दिसम्बर 1976 की अवधि निवेश का पैदान इस प्रकार था<sup>1</sup>—

निवेश वा प्रकार

कुल निवेश की प्रतिक्रिया

(1-4-76 से 31-12-76 तक)

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सूष्टि तथा निर्गमित लोक अरण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की पारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभासित सरकारी प्रतिभूतियाँ।             | 25 प्रतिशत से मन्दूर    |
| (2) हिमों भी राज्य सरकार द्वारा सूष्टि नया निर्गमित लोक अरण अधिनियम 1944 (1944 का 18) की वारा 2 के खण्ड (2) में यथा-परिभासित सरकारी प्रतिभूतियाँ।         | } 25 प्रतिशत से मन्दूर। |
| (3) कोई प्रत्येक विकास्य प्रतिभूतियाँ या बाल्ड, जिनका मूलधन तथा जिन पर व्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत तथा बिना शर्त घारटीकृत है। |                         |
| (4) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा निर्गम और तीसरा निर्गम) आरबर सार्विक निवेश।   | 30 प्रतिशत से घनाचिक    |
| (5) भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (भारिक कार्यदिभाग) की अधिकृता सहस्रा एक-16 (1) पी डी/75, तारीख 30 जून, 1975 द्वारा पारम्पर को वई विजेप निजेप योजना।     | 20 प्रतिशत से घनाचिक    |

## 256 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

सितम्बर, 1976 के अन्त में निवेश की हुल राशि 3214.55 करोड रुपये थी, जिसमें से 1453.04 करोड रुपये छट प्राप्त प्रतिष्ठानों से सम्बन्ध रखती है और शेष अधिक 1761.51 करोड रुपये छट प्राप्त प्रतिष्ठानों से सम्बन्ध रखती है।

अन्तिम भूगतान सम्बन्धी दावों का निपटारा—पहली जनवरी, 1976 से 30-9-76 तक की घवधि के दौरान कुल 2,60,184 दावे (ग्राम लाए गए दावों सहित) निपटारे के लिए उठाये गए थे, जिनमें से 2,42,291 दावे निपटा दिए गए और 30 सितम्बर, 1976 को 17,893 मामले निपटाने के लिए बोय रहे गए थे। दावों के निपटाने में 5,960.12 साल रुपय का भूगतान किया गया। 93 प्रनिमत दाव निपटा दिए गए तथा 30 दिनों के अन्दर अन्दर उनका भूगतान कर दिया गया। प्रति दावा भूमि को गई भौसत राशि लगभग 2,448 रुपय बैठती है।

सांकेतिक निधि से पेशगिर्दी—पहली जनवरी, 1976 से 30 सितम्बर, 1976 की घवधि के दौरान सदस्यों को न लौटाई जाने वाली निम्नलिखित पेशगिर्दी दी गई थी—

क्रमांक	पेशगिर्दी का प्रकार	मामलों की संख्या	भूगतान की गई राशि (लाख रुपयों में)
1	जीवन बीमा पारिसी में धन लगाना	35,011	57.00
2	निवास स्थान/मकान की खरोद और/या निवास स्थान का निर्माण	9,205	230.34
3	प्रतिष्ठानों वे अस्थायी रूप से बद्द होने के कारण प्रभावित अभिक	25,591	108.32
4	उपभोक्ता सहकारी/साल/श्रावास समितियों के शेयर लिहाना	130	0.08
5	सदस्यों तथा अभिकों के परिवार की यम्भीर बीमारी के लिए	5,628	48.87
6	छटनी किए गए सदस्यों को वेरोजगारी सहायता पेशगी	—	—
7	पुढ़ी की तादी और दब्बों की मैट्रिकोत्तर शिक्षा	39,010	464.46
8	सदस्यों की चल या घचन सम्पत्ति को असाधारण प्रकार की प्राकृतिक विपर्तियों के कारण हुई अति	21,888	40.00
9	कारखाना/प्रतिष्ठानों की विज्ञी की आपूर्ति में कटौती के कारण प्रभावी अभिक	1,321	3.54

**छूट प्राप्त प्रतिष्ठान—** अधिनियम को धारा 17 और योजना के पैरा 27 के अधीन उन प्रतिष्ठानों और सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपर्योग में छूट दी जा रही है जिनके निजी भविष्य निधि और/या पेशन या उपदान सम्बन्धी नियम, सांविधानिक योजना के नियमों से कम लाभदायक नहीं हैं। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या दिसंबर, 1975 को 2701 थी, जो बढ़कर सितम्बर, 1976 के अन्त में 2846 हो गई।

**रिजर्व तथा जनती खाता—** छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में, जहाँ निधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों को नियोजकों का पूरा अशदान नहीं दिया जाता, अदान किया गया अशदान (व्याज सहित) रिजर्व तथा जनती खाते में जमा कर दिया जाता है। 30 सितम्बर 1976 तक जब्त की गई कुल राशि 15·93 करोड़ रुपये (प्रयामी) थी।

**विशेष रिजर्व निधि—** विशेष रिजर्व निधि का, जो सितम्बर 1960 में स्थापित की गई थी, सचालन सन् 1976-77 के दौरान जारी रहा। जहाँ नियोजक मदस्यों की मजदूरी में से काटे गए भविष्य निधि अशदानों की पूर्ण या आंशिक राशि को निधि में जमा कराने में विफल रहे वहाँ विशेष रिजर्व निधि की राशि का उपयोग निधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों (छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में) को या उनके नामित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों हो भविष्य निधि सचयनों के मुग्यतान के लिए किया गया। 30 सितम्बर, 1976 तक रिजर्व तथा जनती खाते में से इस निधि में अन्तरित किए गए 85 लाख रुपये तथा छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों से बकाया राशि के रूप में कुल किए गए 39·93 लाख रुपये की कुल राशि में से 118·56 लाख रुपये की राशि का मुग्यतान किया जा चुका था। 30 सितम्बर, 1976 को निधि में जेप बची राशि 6·37 लाख रुपये थी।

**मृत्यु सहायता निधि—** जनवरी, 1964 में मृत्यु सहायता निधि का गठन इस विचार से किया गया कि छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के मृत सदस्यों के नामित व्यक्तियों उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि उन्हें कम से कम 500 रुपये की अदायगी मुनिषिचत हो सके। पहली अगस्त, 1969 से यह सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई। इस निधि में से महायना ऐसे मृत सदस्यों के नामित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों को दी जाती है जिनका वेतन उनकी मृत्यु के समय 500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होता। 30 सितम्बर, 1976 तक इस द में से 89·65 रुपये की राशि का मुग्यतान किया गया।

**अतिरिक्त उपलब्धियाँ (प्रतिवार्ष निःरोप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा राशि का वारसी भूगतान—** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जिसे वह कार्य सौपा गया था, अतिरिक्त महँगाई भत्ते को पहली किस्त और मजदूरी की दूसरी किस्त का मुग्यतान किया जाना था। 31 जनवरी, 1977 को देव राशि और वापस सौटाई गई राशि की स्थिति इस प्रकार थी—

मञ्चदृशी	ददराति	बापत की गई राति
1. पहली छित्र	9 33 रुपये	8 96 करोड़
दूसरी छित्र	9 87 ..	9 27 ..
2. महाराई भत्ता	95 60 ..	90 87 ..

कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा स्लीम, 1976—भविष्य निधि और प्रकोर्ण उत्तर्वय प्रविनियम, 1952 में पहली अगस्त, 1976 को सशोधन करके केन्द्रीय सरकार को इस प्रविनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को जीवन बीमा या भवान करने के लिए जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा स्लीम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तदनुसार, कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिक्ड) बीमा स्लीम, 1976 नामक एक योजना प्रविष्टुचित्र की गई और पहली अगस्त, 1976 से नाम की गई। नवम्बर, 1976 के अन्त तक इष्ट स्लीम के अन्तर्गत प्राप्त भवान और प्रशासनिक प्रभार तथा प्राप्त और निपटाए गए दावों की सह्या का ब्योरा इष्ट प्रकार है—

(1) नियोजकों से प्राप्त भवान	2,68,47,492 00 रु.
(2) प्रशासनिक प्रभार	57,00,337 00 रु.
(3) प्राप्त दावों की सह्या	58
(4) निपटाए गए दावों की सह्या	बुद्ध नहीं

दावों को निपटाने की कार्यवाही की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उत्तर्वय प्रविनियम 1952 और उसके अधीन बनाई गई योजनाओं में किए गए महत्वपूर्ण सशोधन—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में निम्नलिखित सशोधन किए गए—

क (1) पैरा 68 ल (1) में सशोधन किया गया है, जिसे आवासगृह या आवास स्थान खरीदने के लिए पेशगी का मुकाबला सीधे राज्य सरकार या सहकारी समिति, सस्थान स्थानीय निकाय या आवास वित्तीय नियम को जैसी भी हिति हो, किया जाएगा और न कि सदस्य को।

(2) पैरा 68 ल (2) में सशोधन किया गया है, जिसमें इस पैरा के अधीन निधि के सदस्य को पेशगी का हकदार बनाने के लिए सदस्यता की अवधि को यात्र वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

(3) पैरा 68(ल) (5), 68(ल) (6) और 68(ल) (6) में सशोधन किया गया है जिसमें सदस्य के अपने आवासगृह में प्रतिरिक्त निर्माण, पर्याप्त परिवर्तन या सावधान सुवार करने के लिए छ भास की मूल मजदूरी और महाराई भत्ते के बराबर प्रतिरिक्त पेशगी एक बार और केवल एक किस्म में दी जा सकती है। यह पेशगी आवास गृह का निर्माण-वार्ष तूरा होने की तारीख में पांच वर्ष की अवधि के बाद ही ग्राह्य है।

ब. पंरा (3) (ब) में सशोधन किया गया है ताकि 30 सितम्बर, 1976 से ऐपेटाइट, एन्ड्रेस्टोल कॉल्साइट बाला बने, कुलविन्द, मरवात लाल स्फटिक धातु, सिलिका (मैंड), काचमसी, नेह, ओमाइट, ग्रेकाइट और पलोराइट सानों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जा सके।

ग. पंरा 18(4) में यह स्पष्ट करने के लिए सशोधन किया गया है कि जब कोई मत्री क्षेत्रीय समिति या बोर्ड का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और ऐसे केन्द्रीय बोर्ड या क्षेत्रीय समिति की बैठक में, जैसी भी स्थिति हो, उपस्थित होता है, तब उस को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उन्हीं नियमों के अनुसार मिलेगा, जो उसे सरकारी कार्य के लिए की गई यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होते हैं और इनका मुग़लान वही प्राधिकरण करेगा जो उन्हें बेतान देता है।

घ. पंरा 26-क में सशोधन किया गया है जिससे 11 दिसम्बर, 1976 से निधि की सदस्यता का हक्कावार बनने के लिए उच्चतम बेतान सीमा 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1600 रु० प्रतिमाह कर दी गई।

चक्राया राज्यों की चक्रायी—भविष्य निधि वर्गानों की चक्राया राजि मार्च, 1976 के अन्त में 20.68 करोड़ रुपये थी, जो घटकर सितम्बर, 1976 के अन्त में 18.58 करोड़ रुपये रह गई। परिवार पेशन वर्गानों की चक्राया राजि मार्च, 1976 के अन्त में 54.81 लाख रुपये थी यह भी घटकर वितम्बर, 1976 के अन्त में 52.89 लाख रुपये रह गई।

### कोयला खाने भविष्य निधि योजना<sup>1</sup>

प्रयोग्यता—कोयला खाने भविष्य निधि और प्रेक्षीण उपचार्य योजनियम 1948 के अधीन बनाई गई कोयला खाने भविष्य निधि योजना भारत की सभी कोयला खानों पर लागू होती है। यह योजना, जो जुरु में पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों की कोयला खानों में आरम्भ की गई थी, बाद में क्रमिक रूप से झम्पम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नाशिलैण्ड प्रौद्य उडीसा में लागू कर दी गई। आग्न्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अलग योजनाएँ बनाई गईं और उन्हें इन राज्यों में स्थित कोयला खानों में अक्टूबर 1955 में लागू किया गया था। एक पौर नई योजना की भी तैयारी की गई और उसे पहली जनवरी, 1967 से नेबेती तिमाइट नियम की कोयला खानों और झनुपयोगी संगठनों पर लागू किया गया। अधिनियम को पहली सितम्बर, 1971 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया गया और कोयला खाने भविष्य निधि योजना, 1948 इस राज्य की कोयला खानों पर पहली अक्टूबर, 1971 से लागू की गई।

स्थिरांकन—जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1976 के दौरान 32 नई कोयला/झनुपयोगी कोयला खाने भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाए गए। 31 दिसम्बर,

1. इसे पृष्ठ 66-73.

1976 को इस योजना के अन्तर्गत प्रा. भुकी कोयला खानों/प्रनुपगी सगठनों की कुल संख्या 1061 थी। यद्यपि 1976-77 के दौरान 32 नई कोयला खानों/प्रनुपगी सगठन इस योजना के अन्तर्गत लाए गए तो भी राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों के पुनर्गठन के बारण इस योजना के अन्तर्गत प्रन्तत भाए रहनिकों की संख्या बर्थ हो गई।

**सदस्यता—** शामिल न किए गए वर्गों को छोड़कर, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो कोयला खानों में या कोयला खानों के सम्बन्ध में सीधे नियोजकों द्वारा या टेक्केदारों द्वारा या टेक्केदारों की माफत नियोजित किए जाते हैं, निधि का सदस्य बनना आवश्यक है, जब वे एक केंलेण्डर तिमाही में पृष्ठी के ऊपर नियोजित होने की सूरत में 60 दिन की हाजिरी प्रीर भूमि के नीचे नियोजित होने की सूरत में 48 दिन वी हाजिरी पूरी कर लें। जनवरी से दिसम्बर, 1976 की प्रवधि के दौरान 59,417 व्यक्तियों द्वारा निधि के नए सदस्यों के रूप में शुभीबद्ध किया गया और 31 दिसम्बर, 1976 को पंजीकृत सदस्य संख्या 15,98,385 तक पहुँच गई, 31 दिसम्बर, 1976 वो निधि में प्रशादान देने वाले सदस्यों की आस्तविक संख्या 6,62,857 थी।

**प्रशादान—** निधि के सदस्यों के लिए यह प्रावध्यक है कि वे प्रपनी कुल परिलक्षियों के 8 प्रतिशत की दर से अनिवार्य रूप से प्रशादान दें। नियोजकों को बराबर का प्रशादान देना पड़ता है। यदि सदस्य चाहे तो वे प्रपनी अनिवार्य प्रशादान के भलावा, प्रपनी कुल परिलक्षियों के 8 प्रतिशत तक की दर से स्वैच्छिक प्रशादान भी दे सकते हैं। जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1976 की प्रवधि के दौरान बसूल किए गए प्रशादानों की राशि इस प्रकार थी—

प्रशादानों की दिम	31-12-75	जनवरी से दिसम्बर	31-12-76
तक बसूल		1976 के दौरान	तक बसूल
की गई राशि	यमूल की गई राशि	यमूल की गई राशि	की गई राशि

अनिवार्य प्रशादान (जिसमें 12-3-47 से 30-9-48 तक की प्रवधि के लिए बोनस में से दिया गया पारम्परिक प्रशादान शामिल है)	209 18	35 10	244 28
स्वैच्छिक प्रशादान	0 27	0 02	0 28
कोयला खाने वाला सम्बद्ध (तिवड) वीमा निधि	—	0 06	0 06
	209 45	35 18	244 62

31 दिसम्बर, 1976 की स्वैच्छिक प्रशादान देने वाले सदस्यों की संख्या 2688 थी।

निवेश—न्यासी बोर्ड के निर्णय के मुताबिक निधि की ऐसी राशियों का निवेश, जिनकी निधि थोड़कर जाने वाले सदस्यों आदि को तत्काल लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, निम्नलिखित पैटन के अनुसार किया जाता है जो 19 मार्च, 1976 से लागू हुआ—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्गमित लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) को घारा 2 में यथा परिभासित सरकारी प्रतिभूतियाँ 25 प्रतिशत से अन्यून
(ii) किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्गमित लोक ऋण अधिनियम 1944 (1944 का 18) को घारा 2 में यथा परिभासित सरकारी प्रतिभूतियाँ 5 प्रतिशत से अन्यून
(iii) कोई अन्य परिकार्य प्रतिभूतियाँ/बाण्ड, जिनका मूलधन तथा जिन पर व्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत तथा बिना घर्त गारण्टीकृत है 20 प्रतिशत से अन्यून
(iv) दाकपत्र सावधि निषेप 30 प्रतिशत से अन्यून
(v) भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (ग्राहिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संस्था एक-16(1)/पी.डी./75 तारीख 30-6-75 द्वारा आरम्भ की गई विशेष निषेप योजना 20 प्रतिशत से अन्यून 31 दिसम्बर, 1976 को निधि के निवेश का कुल प्रत्यक्ष मूल्य इस प्रकार था—
(vi) 31 दिसम्बर, 1975 को निधि के निवेशों का प्रत्यक्ष मूल्य (कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय प्रतिष्ठान भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि कर्मचारी पेशन एव उपादान निधि को शामिल न करते हुए) 239 43 करोड
(vii) पहली जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 की अवधि के दौरान किए गए निवेशों का प्रत्यक्ष मूल्य 100 71 करोड
(viii) पटाइए : जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 के दौरान परिपक्व हर्ड/वडसी गई/बीची गई प्रतिभूतियाँ 340 14 करोड
(ix) 31 दिसम्बर, 1976 को निधि के कुल निवेश का प्रत्यक्ष मूल्य 7.41 332.73

धन-वापसी—वार्षिक निवृत्ति छटनी, कार्य करने में पूर्ण अक्षमता प्रीत्र मृत्यु के मामलों में भविष्य निधि की परी रकम लोटा दी जाती है। अन्य मामलों में सदस्यता की अवधि पर लिखित करते हुए नियोजनों के अपनान का एक भाग (उसके बाज सहित) जब चिया जाता है। पहली जनवरी से 31 दिसम्बर, 1976 तक की अवधि के दोगन तय किए गए दावों की सह्या प्रीत्र लोटाई गई राशि नीचे दर्शाई गई है—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	तय किए गए दावा की सह्या	लोटाई गई राशि
31 दिसम्बर 1975 तक	6,18,020	57 25
पहली जनवरी से 31 दिसम्बर, 1976		
तक की प्रवधि के दोगन	14,404	9 11
जोड़ 31 दिसम्बर, 1976 तक	6,32,424	66 36

बसूल न की जाने वाली पेशगियों—इस योजना में उपभोता सहारी समितियों के शेयर लारीदाने, मकान बनाने, बीमा पांचिसियों में धन लगाने और गुणियों के विवाह एवं बच्चों की उच्च शिक्षा से समर्व-धन व्यय की पूर्ति के लिए बसूल न की जान वाली पेशगियों देने की अवस्था है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई पेशगियों का व्योरा नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपये में)

पेशगी की विस्तर	मुग्तान की अवधि	सह्यों की सख्या जिहे पेशगियों दी गई	
1	2	3	4
(i) मकान बनाने के लिए पेशगी	31-12-75 तक	12,265	2 15
जनवरी से दिसम्बर, 1976			
के दोगन		57	0 02
	योग	12,322	2 17
(ii) जीवन बीमा पांचिसियों की दिस्तों का मुग्तान रखने के लिए पेशगी (सीधे जीवन बीमा नियम किस्तों का मुग्तान किया यथा)	31-12-75 तक	17,155	1 40
	जनवरी से दिसम्बर, 1976		
के दोगन		322	0 16
	योग 31-12-76 तक	17,487	1 56

(करोड़ रुपयों में)

1	2	3	4
(iii) पुत्रियों की शादी के लिए पेशगी	31-12-75 तक जनवरी से दिसम्बर, 1976 के दौरान	— 16,485	— 203
	जोड़ 31-12-76 तक	16,485	203
(iv) बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए पेशगी	31-12-75 तक जनवरी से दिसम्बर, 1976 के दौरान	— 17	— 0.002
	जोड़ 31-12-76 तक	17	0.002

मृत्यु सहायता निधि—ऐसे मामलों में जहाँ सदस्य की मृत्यु कोलियरी की सेवा छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की दर हो जाती है, वहाँ मृत सदस्य की निधि में सचयन की राशि 750 रुपये से बिनानी कम पड़ती है, उतनी राशि मृत्यु सहायता निधि में से दो जाती है। योजना के उपबन्धों के अधीन सदस्यों के खातों में से जब्त किए गए नियोजकों के अशादान और उसके व्याज की राशियों से मृत्यु सहायता निधि के लिए पन की व्यवस्था की जाती है। मृत्यु सहायता निधि में से निम्नलिखित मुग्तान किए गए—

(रुपये लाखों में)

ऐसे मामलों की सख्ति जिनमें भुगतान मृत्यु सहायता निधि में से मुग्तान की किया गया	मृत्यु सहायता निधि
31-12-1975 तक	1593
जनवरी से दिसम्बर, 1976 के दौरान	98
जोड़ 31-12-76 तक	6191

बकाया राशियों को बमूली—निधि की बकाया दें। राशियों में वृद्धि हाजी रही है यह तभ्य नीचे दिए गए घोड़ियों से स्पष्ट हो जाएगा—

(रुपये करोड में)

निम्नलिखित तिथि को स्थिति	ग्रामदानों की देय राशियाँ	हरजाना	जोड़
31-3-71	6 30	0 92	7 22
31-3-72	9 27	1 21	10 48
31-3-73	10 91	1 81	12 72
31-3-74	13 84	2 05	15 89
31-3-75	14 38	2 00	16 45
31-3-76	12 18	9 37	21 55

तथापि, गरकारी क्षेत्र की कोयला क्षमतानियों ने 31 मार्च, 1976 तक की घटनी सभी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया।

अभियोजन—दिसम्बर, 1976 के अन्त में 31 55 करोड़ रुपये की कुल देय राशि में से 12 79 करोड़ रुपये बमूल करने के लिए प्रमाणुष्ट्र मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, उस तारीख के कोयला खान भविष्य निधि प्रक्रीण उपबन्ध अधिनियम के अधीन 540 अभियोजन और भारतीय दण्ड सहिता की घारा 406 के अधीन 8 अभियोजन भूतपूर्व कोलियरी नियोजकों के विशद् न्यायालयों में लम्बित थे।

व्यवस्था—कोयला खान भविष्य निधि योजना की व्यवस्था एक त्रिपक्षीय न्यासी बोड द्वारा की जाती है और इसकी व्यवस्था के सर्व का बहुत उत्त विशेष महमूल से निया जाता है जो अमिको और नियोजकों की निधि में अनिवार्य अपादान के 3 5% की दर से नियोजकों पर लगाया जाता है। इस समय देव भर के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला खान भविष्य निधि और कोयला खान परिवार पेशन योजनाओं की व्यवस्था के लिए निधि के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

महत्वपूर्ण परिवर्तन—दर्ये के दौरान, कोयला खान भविष्य निधि योजना में, (1) उपभोक्ता सहकारी समितियों के शेयर खरीदने के लिए वापस न की जाने वाली पेशमी की राशि की बढ़ाने, (2) सहकारी उधार समितियों के शेयर खरीदने के लिए व्यवस्था करने, (3) कतिपय परिस्थितियों में भविष्य निधि से नुगतान की जाने वाली जीवन बीमा पालिसियों का पुनर्गठित (रीअसाइनिंग) करने, और (4) न्यासी बोड़ की बेठकों के लिए कोरम को कम करने के लिए सशोधन किए गए।

परिवार पेशन योजनाएँ—कर्मचारी परिवार पेशन योजना, 1971 और कोयला खान परिवार पेशन योजना, 1971 जो पहली मार्च, 1971 से चालू हुई थी, अमिको को साधा पहुँचाती रही। 30 सितम्बर, 1976 को इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले अमिको की कुल संख्या कम्शा 32 24 लाख और 5 31 लाख थी।

कोयला खान भविष्य निधि जमा सम्बद्ध (तिवड) योजना—केन्द्रीय सरकार ने कोयला उद्योग के कर्मचारियों के लिए पहुंची ग्राहक, 1976 का कोयला खान जमा सम्बद्ध (तिवड) योजना योजना, 1976 आरम्भ थी। इस योजना के मूल्यांकन, किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु पर, जो कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य है, भविष्य निधि की देव राशि प्राप्त करने का हकदार, व्यक्ति, भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त, मृत व्यक्ति के लेखे में मिछले हीन वपों को शोषण जेप राशि (वर्गते कि यह राशि 1000 रुपये से कम नहीं है) के बराबर राशि जो अधिक से अधिक 10,000) रुए हो सकती है, प्राप्त करने का भी हकदार है। कर्मचारी को कोई अश्वान नहीं देता होगा। इस योजना और इसकी व्यवस्था पर यहाँ का बहुत नियोजनकी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 2:1 के अनुग्रात में हिया जाएगा।

### उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

#### (The Payment of Gratuity-Bill, 1972)

जिन उद्योगों में प्रोट्रिडेंट कागड़ अवधारणेशन योजनाएँ नहीं हैं, उनमें उपदान या (आनुतोषिक घेव्युटी) की मांग की जाने सभी और उदार नियोजितों ने अन सभों से उपभोग्या करके इस प्रकार की योजना बानू करने पर सहमति प्रकट की। सर्वप्रथम सन् 1971 में केरल और तमिल व्यापाल की राज्य-सरकारों ने उपदान अधिनियम पार किए जिनके मूल्यांकन कारबानो, बाणानो, दूकानो और अन्य संस्थानों को शामिल किया गया। यीवं ही एक केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई और दिसम्बर, 1971 में उत्तर भुगतान विभाग लोकसभा में पेंग कर दिया गया जो पारित होकर सन् 1972 में अधिनियम बन गया।

उपदान सदाय अधिनियम, 1972 में प्रतिमास, 1000 रुपये वा उससे कम मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को उपदान के भुगतान की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम निष्पत्तिमत पर सामूह होता है<sup>1</sup>—

- (1) प्रत्येक कारबाना, खान, टेल थेन, बाणान, पत्तन और रेलवे कम्पनी;
- (2) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में इस समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के मूल्यांकन ज्ञाने वाली प्रत्येक दुकान और प्रतिष्ठान, जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन नियोजित हो, और
- (3) ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों वा वर्ग, जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन नियोजित हो, जिन्हे केन्द्रीय सरकार अधिकूचना द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करें। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने मोटर परिवहन अधिकू अधिनियम, 1961 की घारा 2 (ब) में यथा परिभासित मोटर परिवहन उपकरणों को निर्दिष्ट किया है यहाँ कि उनमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों।

1. एटी, पृष्ठ 73-74.

सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उम्रके द्वारा साथ से अधिक भाग के लिए कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अनित्य मजदूरी दरों पर आधारित 15 दिनों की मजदूरी की दर से परिगणित उपदान नियोजन द्वारा देय है, परन्तु इस राशि की अधिकतम सीमा 20 महीनों की मजदूरी है। तथापि किसी मोममी प्रतिलिपि में नियोजित कर्मचारी के मामले में नियोजक को प्रत्येक मौसम के लिए मात्र दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देना अवशिष्ट है।

कर्मचारी द्वारा कम से कम पाँच वर्ष की उम्रकार से वाहन के गद, (1) बायरंस्य निरूपि (2) मेवा निरूपि या त्याग-पथ, (3) दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता की वज्रद से नीहरी समाज होने पर उभे उपदान दिया जाता है। 5 वर्षों की सेवा की अद्वितीय अवधि, दुर्घटना या या बीमारी के कारण दुई मृत्यु या विकलांगता के मामलों पर लागू नहीं होती।

### सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना

#### (Integrated Scheme of Social Security)

ओरिजिनल अभियों को प्रदान की जाने वाली विनियम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक रूपता लाने तथा प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए एक एकीकृत योजना पर धुरु से ही विचार किया गया है। इसी उद्देश्य हेतु श्री बी के शारदेन योजना की अध्यधारा में एक प्रब्लेम दल नियुक्त किया गया। इस अध्यधारा दल ने अप्रतिलिपि मिफार्मेंट की बी—

1 कर्मचारी बीमा व प्रोविडेन्ट फण्ड अधिनियमों का प्रशासन एक हाना चाहिए।

2 बीमा अधिनियम में भाविता के हिस्तो को 4½% से बढ़ाया जाए, तथा राज्य सरकारों के विकलांग व्यय को घटाकर हु कर दिया जाए।

3 प्रोविडेन्ट फण्ड के तहन मानियों और अभियों के प्रशासन तो बढ़ावर 8½ कर दिया जाए। साथ ही 20 वा इसमें अनियंत्रित वाल स्थानों पर भी यह प्रधिनियम लागू किया जाए।

4 प्रोविडेन्ट फण्ड को यूडावस्था पेंशन तथा ऐच्युटी में बदल दिया जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा रिबू समिति न भी सिफारिज की कि प्रशासनिक व्यय को कम करने हतु दोनों अधिनियमों का प्रशासन एक कर देना चाहिए। अल्पकालीन लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिए जाने चाहिए तथा दीर्घकालीन लाभ कर्मचारी प्रोविडेन्ट फण्ड अधिनियम 1932 के अन्तर्गत दिए जाने चाहिए।

अभी तक सामाजिक बीमा योजना की प्रगति नहीं नहीं हुई है। बीमारी,

प्रसूति और अतिपूति बीमा के जैव में कुछ बच्ची प्रगति हुई है।

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की सामान्य योजना का प्रश्न है वर्तमान परिस्थितियों में यह हमारे देश में सम्भव नहीं है। ग्रन्थ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी ओरिजिनल अभियों को लाना होया और वाद में धीरे-धीरे प्रब्लेमों को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शम आयोग, 1969 (National Commission on Labour) का मुख्य था कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें सभी धन एक ही कोष में एकत्रित किया जाए और इसी कोष में से जरूरतमद व्यक्तियों को भुजतात किया जा सके। अबदानी में तुड़ि करके एक बलग से कोष बनाया जाए जो कि सरकार के पास रहेगा। इस कोष में से अधिकों को अन्य ग्रामस्थिताओं के लिकार होने पर सहायता मिल सकेगी। गरीबी, वेरोद्वारा और बीमारी को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना अपनाना आवश्यक है। अब सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को मिलाकर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करना आवश्यक है।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन से भी हमें अब पता चला है कि हमारे देश में श्रीदूषिक अभियोगों हेतु एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जाए। लेकिन इस प्रकार की व्यापक योजना तैयार करने व तागू करने में कई कठिनाइयाँ आतीं हैं, जैसे चिकित्सा सुविधाओं की कमी, वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयाँ, कृषि अभियोगों पर जनसहवा के अन्य बांगों को शामिल करने में कठिनाइयाँ आदि। अत वर्तमान परिस्थितियों में यौवना अधिनियमों के द्वारा दो व्यापक करना होगा और उनका क्रियान्वयन भी प्रभावशुरू करना होगा।

### कुछ नये श्रम-विधान, श्रम-कानूनों, विनियमों में संशोधन और नये विधान सम्बन्धी प्रस्ताव

भारत सरकार श्रम मन्त्रालय की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में कुछ नये श्रम-विधानों, श्रम-कानूनों-विनियमों में संशोधनों और नये विधान सम्बन्धी प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है—

#### I नये श्रम-विधान

बीड़ी अभियोग कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 और बीड़ी अभियोग कल्याण विधिविधान, 1976—संसद के दोनों सदनों द्वारा याचारित अभियोग कल्याण उपकर विधेयक 1976 को राष्ट्रपति की स्वीकृति ऋमज़: 7 अप्रैल 1976 तथा 10 अप्रैल 1976 को प्राप्त हुई। इन अधिनियमों में बीड़ी उद्योग में नियोजित अभियोगों से सम्बन्धित कल्याण कार्यों के बास्ते बन जुटाने के लिए बीड़ी नियमणि हेतु गोदाम से जारी किए गए तम्बाकू पर उपकर लगाने तथा उसे बमूल करने की व्यवस्था नी भवी है। ये अधिनियम और बीड़ी अभियोग कल्याण उपकर अधिनियम 1976 के मध्येन बनाए गए नियम 15 फरवरी 1977 से लागू किए गए। बीड़ी अभियोगों के कल्याण नियि अधिनियम 1976 के मध्येन नियम तैयार किए जा रहे हैं।

लोहा अपर्स्क खान तथा मैग्नीज अपर्स्क खान अभियोग कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 और लोहा अपर्स्क खान तथा मैग्नीज अपर्स्क खान अभियोग कल्याण नियि अधिनियम 1976—संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा-पारित लोहा अपर्स्क खान तथा मैग्नीज अपर्स्क खान अभियोग कल्याण उपकर विधेयक, 1976

यो और लोहा अयस्क सान तथा मैगनीज अयस्क सान थमिक बल्याण निधि विधेयक 1976 को राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा 7 अप्रैल 1976 और 10 अप्रैल 1976 को प्राप्त हुई। लोहा अयस्क सानों में नियोजित व्यक्तियों के लिए एक कल्याण निधि यहाँ से ही विद्यमान है। नये अधिनियम का प्रयोगत लोहा अयस्क सान मैगनीज अयस्क सानों में नियोजित थमिका के लिए एक संयुक्त कल्याण निधि स्थापित हरना और मैगनीज सानों में नियोजित व्यक्तियों के बल्याण हेतु घन जुटान के लिए मैगनीज अयस्क पर एक नया उपर बमूर करता है। लोहा अयस्क पर सभा बनमान उपकर तथा लोहा अयस्क सान थमिकों वाले समय दी जा रही सुविधाएँ जारी रहेंगी।

**समान पारिथमिक अधिनियम 1976—राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर 1975 को जारी किए गए समान पारिथमिक अध्यादेश 1975 का स्थान 1 फरवरी 1976 को एक अधिनियम ने ले लिया। अधिनियम की भारा 1(3)में यह व्यक्तस्या है कि यह अधिनियम उस तारीख को सामूहिक ब्रिटेनीय सरकार अधिनियम द्वारा नियत करेगी, परन्तु यह तारीख अधिनियम के पारित हो जाने की तारीख से 3 वर्ष अतीत होने से पहले की होगी। अब ग्रन्त प्रतिष्ठानों के या रोडगारों के लिए अलग अलग तारीखें नियत की जा रही हैं। अब तक इस अधिनियम को 14 रोडगारों में सामूहिक ब्रिटेन व्यौरा इस स्पोर्ट के पंरा 514 में दिया गया है।**

इस अधिनियम में महिलाओं के लिए रोडगार के अवसर बढ़ाने हेतु सलाह-वार समितियाँ गठित करने की व्यवस्था की गई है। अब तक गठित की गयी समितियों वा व्यौरा पेश 513 में दिया गया है।

समान पारिथमिक अध्यादेश, 1975 के अधीन बनाए गए नियमों का स्थान 11 मार्च 1976 को समान पारिथमिक अधिनियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियमों ने ले लिया।

**चन्पित धम पद्धति (उत्तादन) अधिनियम 1976—चन्पित धम पद्धति (उत्तादन) अध्यादेश 1975 जिप राष्ट्रपति द्वारा 24 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था, का स्थान 9 फरवरी के 1976 को समझ के एक अधिनियम ने ले लिया। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम 28 फरवरी 1976 को प्रकाशित किए गए।**

**विक्रय सबधंन कम्बारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976—विक्रय सबधंन कम्बारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1976 जिनका उद्देश करिय प्रतिष्ठानों के विक्रय सबधंन कम्बारियों की सरा की शर्तों का विनियमन करता है, सबद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1976 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 6 मार्च 1976 को सामूहिक प्राप्त हुआ। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार करती है। तथारि केन्द्रीय सरकार ने विक्रय सबधंन कम्बारी (सेवा की शर्तें) नियम 1976 बनाया तथा उन्हें 8 मार्च 1976 को अधिनियमित किया। ये नियम राज्य सरकारों के लिए मार्ग-दर्शक का काम करते।**

## II थम कानूनों/विनियमों में संशोधन

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकोर्ण उपचारन्य अधिनियम 1952 और कोपला खान भविष्य निधि तथा प्रकोर्ण उपचारन्य अधिनियम, 1948—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकोर्ण उपचारन्य अधिनियम 1952 और कोपला खान भविष्य निधि तथा प्रकोर्ण उपचारन्य अधिनियम, 1948 में पड़नी आगस्त 1976 से संशोधन करके केन्द्रीय सरकार को जमा सम्बद्ध बीमा योजनाएँ बताते तथा अधिकार दिया गया, ताकि इन दो अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त वाले कर्मचारियों को जीवन बीमे की प्रमुखियाएँ प्रदान की जा सकें। नइनुनार, कर्मचारी जमा सम्बद्ध (रिस्ट) बीमा योजना 1976 और कोपला खान जमा सम्बद्ध (लिंक) बीमा योजना, 1976 नामक दो योजनाएँ अधिमूलिक की गयी हैं तथा ये पहली आगस्त 1976 से आगे जा रही हैं।

इन योजनाओं में पह व्यवस्था है कि इन दो अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु की मूरत में, उनके भविष्य निधि सचयों को प्राप्त करने के हक्कार व्यक्ति अतिरिक्त मुगलान के हक्कार होंगे जिसकी राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत्यु व्यक्ति के भविष्य निधि खाने में पड़ी औसत वाकी धनराशि (बैलेंस) के बराबर होगी, परन्तु इन प्रतिरिक्त मुगलान की राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। देव राशि लाभानुभोगी व्यक्ति के नाम से बैंक में खोले जाने वाले बचत खाते में जमा कराई जाएगी।

इन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी को कोई प्रदान नहीं देना पड़ता, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत देव प्रमुखिया-राशि का हक्कार बन सकते के लिए यह प्रावरपक है कि वह अपने भविष्य निधि खाते में कम से कम 1000 रुपये की औसत वाकी धनराशि (बैलेंस) जमा रहे। इन बारे में किए गए मुद्रण की राशि न तो कुर्क की जा सकेगी पौर न ही उस पर कोई धार कर ही लगाया जा सकेगा।

इस योजना के अन्तर्गत नियोजित तथा केन्द्रीय सरकार को प्रतिमाह कर्मचारियों के बेतन बिलों की राशि पर हर 100 रुपये के लिए कमत 50 पैसे तथा 25 पैसे अतिरात देना होगा। इसके प्रतिरिक्त नियोजन तथा केन्द्रीय सरकार बेतन बिल के हर 100 रुपये पर प्रशासनिक प्रभारों के रूप में कमत: 10 पैसे पौर 5 पैसे भी दर में अतिरात देनी।

भौद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 में संशोधन—सुसद ने भौद्योगिक विवाद (पत्तोयन) अधिनियम 1976 पारित किया जिसने एक नया अध्याय 5—व जारित है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 16 फ़रवरी 1976 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम में ऐसे भौद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोजित करने वाले कारबानों, खाने पौर वायान हैं, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कर्मकारों को जबरी छुट्टी (ऐसी जबरी छुट्टी को द्योढ़कर यो विद्युत की रुमी या दैवी दुर्घटना के कारण हो) पर भेजने या उनकी दूजी करने से पहले विनिश्चित प्रायिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करें। इसी भौद्योगिक प्रतिष्ठान को चन्द करने से पूर्व भी उन्हें सपन सरकार से

पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। केन्द्रीय क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी थम मनालय का सचिव है। प्रध्याय 5-ख के प्रयोजनों के लिए ऐसी कम्पनियाँ, जिनकी प्राप्ति शेयर पूँजी म से 5। प्रतिशत पूँजी केन्द्रीय सरकार की है, और संसद द्वारा बनाए गए विसी कानून द्वारा उसके अन्तर्गत स्वापित किया गया कोई भी नियम बन्दीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह सशोधित अधिनियम 5 मार्च 1976 को लागू हुआ।

कर्मज्ञार प्रतिकार अधिनियम 1923 मे सशोधन—कर्मज्ञार प्रतिकार अधिनियम 1923 मे 21 मई 1976 को बन्दीय प्रतिकार (सशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा पूर्वांकित प्रभाव से व्यर्थात् पहली अक्टूबर 1976 से सशोधन किया गया। सशोधित अधिनियम के मुख्य उपबन्ध ये थे—

(I) अधिनियम के अन्तर्गत आने के लिए मजदूरी सीमा 500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह कर दी गयी है, और

(II) अधिनियम की अनुमूली 4 मे निर्धारित प्रतिकर की दरों मे समुचित संशोधन किया गया।

प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 मे संशोधन—प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 न 3 अप्रैल 1976 को प्रसूति प्रसुविधा (सशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा सशोधन करके इस अधिनियम के अधीन ऐसे महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभो के भुगतान की व्यवस्था की गयी है जो कमचारी राज्य द्वारा प्रधिनियम 1948 के अन्तर्गत आते हैं और जो उस अधिनियम मे विनिर्दिष्ट राशि से अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। यह सशोधी अधिनियम पहली मई 1976 को लागू किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1948 मे सशोधन—कारखाना (सशोधन) अधिनियम 1976 जो थम मन्त्रियों के सम्मेलनों, राष्ट्रीय थम आयोग तथा राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षणों के समय-समय पर हुए सम्मेलनों की सिफारियों पर आधारित हैं, संसद द्वारा पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 4 सितम्बर 1976 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 1976 को लागू किया गया। सशोधी अधिनियम के विभिन्न समर्थकारी उपबन्धों के अधीन राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन तथा उनके द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रारंभिक नियम भी बनाए गए हैं।

मजदूरी सदाय अधिनियम, 1936 मे सशोधन—12 नवम्बर, 1975 को जारी किए गए एक सशोधी अध्यादेश द्वारा मजदूरी सदाय अधिनियम, 1936 की परिधि का विस्तार करके 1000 रुपये प्रति माह तक प्राप्त करने वाले नियोजित व्यक्तियों को उसकी परिधि मे लाया गया। इस अध्यादेश मे सम्बन्धित कर्मचारियों के लिखित प्राधिकार देन पर वैको द्वारा या बैंक के कर्मचारियों के खातों मे रकम जमा करके मजदूरी का भुगतान करने की व्यवस्था भी की गई है। इसमे (सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा विवित प्राधिकार दिए जाने पर) मजदूरी मे से प्रधानमन्त्री दे राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्रीय मरकार द्वारा मरकारी राजपत्र मे अधिसूचित की गयी ऐसी ही अन्य नियियों की बायत कटौतियाँ करने की व्यवस्था भी है। इस अध्यादेश का स्थान 11 फरवरी 1976 को मजदूरी सदाय (सशोधन) अधिनियम 1976 ने लिया है।

### III विचाराधीन नये विधान

ब्राह्मण अम (सशोधन) विधेयक 1973—दूसरा विधेयक का उद्देश्य बागान को अधिनियम की परिवार में लाने सम्बन्धी अन्य बातों के साथ-साथ देवकर (एकड़ो मे) तथा नियोजित व्यक्तियों की सहाय सम्बन्धी सीमा को कम हरके अधिनियम को और अधिक बागानों पर भी लागू करना, बागानों के अनियार्य पंजीकरण की व्यवस्था करना और वयस्कों तथा बच्चों के साप्ताहिक कार्य-प्रणाली में कमी करना है। इस विधेयक को जिसे राज्य सभा में 1973 में पेश किया गया था, संसद की संयुक्त प्रवृह समिति को भेजा गया। संयुक्त समिति ने घरनी रिपोर्ट 3 मार्च 1975 को दी। इस संयुक्त समिति की सिफारिशे भरकार ते विचाराधीन हैं।

### IV नये विधान सम्बन्धी प्रस्ताव

भवत तथा निर्माण उद्योग से तुरंता सम्बन्धी विधान—भवत तथा निर्माण उद्योगों में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए विधान बनाने का विचार है। विविध मन्त्रालय से परामर्श करके प्रस्तावित विधान का अंतरा तैयार किया जा रहा है।

शिक्षा अधिनियम में संशोधन—पास शुदा शिक्षियों को अन्य बानों के साथ-साय रोजगार के मामले में नियोजकों द्वारा प्राथमिकता दिलाने के लिए विक्षु अधिनियम 1961 में संशोधन करने का विचार है।

कृषि अधिकारों के कल्पनाएँ के लिए विधान—केरल कृषि अभियन्यम 1974 के आधार पर कृषि अधिकारों के बलगारे के लिए तैयार किया गया विधेयक, जिसका अनुमोदन कृषि अधिक सम्बन्धी स्थायी समिति ने 19 जुलाई 1975 को किया था, विचाराधीन है।

### V अन्य प्रस्ताव

बोनस सदाय अधिनियम 1965 में संशोधन—25 सितम्बर 1975 को जारी किए गए अन्यादेश द्वारा बोनस सदाय अधिनियम, 1965 में किए गए संशोधनों के अनुसार वार्षिक बेतन (मजदूरी के 4% के अन्यून अन्यून बोनस या 100 रुपये की राशि, जो भी अधिक हो, देय है, वज्रने कि 'बाटने के लिए प्रविशेष' (एलोकेवल सरायस) उपलब्ध हो) ऐसे उदाहरण सरकार के ध्यान में लाए गये हैं जिनमे लाव के बावजूद 'बौटने के लिए कोई अधिशेष' नहीं था और परिणामस्वरूप कोई बोनस नहीं दिया गया। इसलिए कानून में संशोधन करने का निर्णय किया गया जिससे यह व्यवस्था हो सके कि निवल लाभ दोनों पर कम से कम 100 रुपये (15 बद्द से कम आयु वाले कमज़ोरियों के सिए 60 रुपये) के बराबर न्यूनतम बोनस देय होना, भले ही 'बैंडों के लिए अधिशेष' उपलब्ध न हो। बोनस में सम्बन्धित अधिकारिक विधाओं के सम्बन्ध में न्याय-निर्णय करने वाले न्यायाधिकरणों को यह प्रविकार देने का भी निर्णय किया गया है कि वे बेवज्ञ तुरन्त-पत्र की सलतना का ही नहीं बल्कि उसमें दोनों विधियों के ग्रान्तित्व की भी जीवं करे, यदि उनके सम्बन्ध में अधिक नुनीति दे और सम्बन्धित न्यायाधिकरण का यह समावान हो जाए कि अभियों का तर्क उही है।

# भारत में वर्तमान कारखाना अधिनियम

(SALIENT FEATURES OF PRESENT FACTORY  
LEGISLATION IN INDIA)

राबसे पहसी सूती वस्त्र मिल बम्बई के स्थानीय वस्त्र व्यापारी थीं सो एन-दावर ने सन् 1851 में स्थापित की। इस उद्योग का तीव्र विकास हुआ और सन् 1872-73 में 18 सूती वस्त्र मिलें हो गई जिनमें 10 हजार अभिक कार्य करते थे। इन मिलों में यच्चों और महिलाओं के कार्य की दशाएँ अमानवीय थीं। मेजर मूरे (Major Moore) ने बम्बई सूती वस्त्र विभाग के प्रशासन (Administration of Bombay Cotton Department) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार इन मिलों में लम्बे कार्य के घटे, महिलाओं और छोटी उम्र के बच्चों की कार्य दशाओं का विवरण देखने को मिलता है।<sup>1</sup>

प्राधिक उद्योगों के विकास के बाद भारतीय नियोजक विना किसी कारखाना अधिनियम की वाचा के अगिको से किसी भी प्रकार से कार्य लेने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं।<sup>2</sup>

सन् 1881 के पूर्व अम मामलों में सरकारी नीति एक स्वतन्त्र नीति थी। अधिकांश कारखानों में काय के घटे सूर्योदय से सूर्योस्त तक थे। महिला और बच्चे अगिको को अधिक रोबगार दिया जाता था। अगिको को न तो किसी अवधि के अनुसार और न ही साप्ताहिक छुट्टियाँ दी जाती थी।<sup>3</sup>

हमारे देश में कारखाना अगिको की दशाओं की ओर ध्यान हमारे उदारवादी नियोजक राजनीतिज्ञों का नहीं गया बल्कि लकाशायर और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योगों के मालिकों ने यह महसूस किया कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण यह था कि यहाँ पर कार्य के घटे सूर्योदय से सूर्योस्त तक के ये तथा अगिको को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार का कारखाना कानून नहीं था। इस कारण अम लागत विदेशी अम लागत की तुलना में बहुत कम थी। वहाँ के मिल मालिकों ने भारत के सेकेटरी ऑफ स्टेट से इसके विषय में निवेदन किया। सन् 1875 में इसकी जांच

1. Vaid, K N : State & Labour in India, p 34

2. Saxena R C : Labour Problems & Social Welfare, p. 674

3. Giri, V. V : Labour Problems in Indian Industry, p. 127.

हेतु एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने बताया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक श्रमिकों से कार्य लिया जाता है। साप्ताहिक छुट्टी का अभाव सथा छोटे बच्चों से कार्य लेना (8 वर्ष की आयु तथा कभी-कभी इससे भी कम आयु वाले बच्चों से कार्य) आदि के विषय में जानकारी दी गई। आयोग ने एक साधारण अधिनियम जिससे कार्य के घट्टे, साप्ताहिक छुट्टी, बच्चों की आयु निश्चित करना प्रादि नियमित किए जाएं, पास करने की सिफारिश दी। इस जानकारी के पश्चात् श्रमिकों में भी जागृति उत्पन्न हुई और कई जगह श्रमिकों ने विरोध प्रकट किया, हड्डाते हुईं। परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 1881 पास किया गया।

### कारखाना अधिनियम, 1881

(Factory Act of 1881)

यह अधिनियम एक साधारण अधिनियम था जिसके अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रावधान किया गया था। यह अधिनियम उन सभी स्थानों पर लागू किया गया जिनमें 100 या इससे अधिक श्रमिक शक्ति से कार्य करते थे और जो चार माह से अधिक चलते थे।

अधिनियम में व्यवस्था की गई कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा तथा 7 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चों से 9 घण्टे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। प्रतिदिन एक घण्टे का वीच में रेस्ट दिया जाएगा तथा साप्ताहिक छुट्टी भी दी जाएगी।

खातराक मशीनों को ढकने तथा कारखाना नियंत्रकों की नियुक्ति इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सिफारिश की गई। स्थानीय सरकारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के अधिकार प्रदान किए गए और जिसा अधिकारियों को इसके प्रशासन के लिए अधिकार दिए गए।

इन अधिनियम के अन्तर्गत पुरुष महिला श्रमिकों के सरकारण हेतु कोई प्रावधान नहीं था। यही कारण था कि श्रमिक, श्रमिकों के हितवीं तथा लकाशायर व मैनेजेस्टर मिलों के मालिक इस अधिनियम से असंतुष्ट नहीं हुए। बन्वई सरकार ने रान् 1884 में कारखाना आयोग (Factory Commission) नियुक्त किया। इस आयोग ने बाल व महिला श्रमिकों को सरकारण प्रदान करने हेतु अधिनियम पास करने की सिफारिश की, लेकिन इसे त्रिवान्वित नहीं किया जा सका। सन् 1890 में बॉलिन में अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन में बाल तथा महिला श्रमिकों की दशा सुधारने की सिफारिज की। ब्रिटेन ने इन सिफारिशों को भारतीय कारखानों पर लागू करने के लिए कहा। परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 1891 पास किया गया।

### कारखाना अधिनियम, 1891

(Factory Act of 1891)

यह अधिनियम उन कारखानों पर जिनमें 50 या इससे अधिक श्रमिक जो शक्ति से कार्य करते हों, लागू किया गया। स्थानीय सरकारे यदि चाहें तो 20 या

उससे अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों पर भी अधिनियम लागू किया जा सकता था। अधिनियम में व्यवस्था की गई कि 9 बर्दे से कम आयु वाले श्रमिकों को रोकपार नहीं दिया जाए तथा 9 से 14 बर्दे की आयु वाले वाले श्रमिकों से 7 घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए। वाले पौर महिला श्रमिकों को रात को, 8 बजे सायं से 5 बजे प्रात तक कार्य न करने का प्रावधान रखा गया। महिला श्रमिकों हेतु प्रतिदिन 11 घण्टे तथा 11 घण्टे का बीच में रेस्ट का प्रावधान रखा गया। सभी श्रमिकों हेतु साप्ताहिक अवसरा का प्रावधान भी था। इस अधिनियम में निरीक्षण, उफाई पौर उचालदानों की व्यवस्था हेतु भी नियम बनाए गए।

इस अधिनियम में प्रौढ़ श्रमिकों के कार्य के घण्टों में कमी नहीं की गई। इसका विरोध किया गया। परिणामस्वरूप सन् 1906 में मूती वस्त्र समिति (Textile Committee, 1906) और सन् 1907 में कारखाना आयोग की नियुक्ति की गई। इनकी सिफारिशों के आधार पर सन् 1911 में कारखाना अधिनियम पास किया गया।

### कारखाना अधिनियम, 1911 (Factory Act of 1911)

सन् 1905 में बम्बई की मिलों में विजली पा जाने से, रात को अधिक कार्य के घण्टे काम लिया जाने लगा। बलकहा की जूट मिलों में भी अधिक कार्य के घण्टे हो गए। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बार वयस्क पुरुष श्रमिक के लिए कार्य के घण्टे प्रतिदिन 12 रहे गए। बीच में एक घण्टे का रेस्ट भी दिया जाने लगा। किसी भी कारखाने में कोई भी श्रमिक सायकाल 7 बजे से प्रात 5 बजे के बीच कार्य नहीं कर सकता था। बाल श्रमिकों के प्रतिदिन के कार्य के घण्टे घटाकर 6 कर दिए तथा रात को कार्य पर लगाना मना कर दिया। मौसमी कारखानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। बाल श्रमिकों हेतु प्रमाण-पत्र आवश्यक कर दिया। स्वास्थ्य पौर मुरक्का तथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को प्रभावशुण्य ढग से लागू करने की सिफारिश की गई।

### कारखाना अधिनियम, 1922 (Factory Act of 1922)

सन् 1914 में प्रथम महायुद्ध दिइ गया। तीव्र आयोगिक विवास से श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। लाभ में बृद्धि हुई, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण श्रमिकों की मजदूरी कम बढ़ी। सन् 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम नियन्त्रण (ILO) की स्थापना होने से भी कारखाना अधिनियम में परिवर्तन लाना आवश्यक होगया था। यह अधिनियम उत्त सभी कारखानों पर लागू कर दिया गया जहाँ पर शक्ति स 20 श्रमिकों से कम काम नहीं करते थे। राज्य सरकारें 10 या 10 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर सकती थी। वयस्क श्रमिकों के लिए प्रतिदिन और प्रति सप्ताह अवसरा 11 और 60 घण्टे निश्चित किए गए। बाल श्रमिकों के कार्य के घण्टे सभी प्रकार के कारखानों में 6 घण्टे

प्रतिदिन नियत किए गए। बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम आयु और अधिकतम वयस्त १२ वर्ष और १५ वर्ष रखी गई।

यह अधिनियम सन् 1923 और 1926 में संशोधित किया गया। सन् 1928 में शाही श्रम प्राप्ती (Royal Commission on Labour, 1928) की नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट सन् 1931 में पेश की। रिपोर्ट के प्राधार पर सन् 1934 का कारखाना अधिनियम रास किया गया।

### कारखाना अधिनियम, 1934 (Factory Act of 1934)

इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों को मौसमी और साल भर चलने वाले कारखानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। मौसमी कारखाने वे कारखाने माने गए जो कि वर्ष में 180 दिन कार्य करते थे। वर्ष भर चलने वाले कारखानों में वे कारखाने रखे गए जो साल में 6 माह से अधिक चलते हों।

वर्ष भर चलने वाले कारखानों में अधिकतम कार्य के घण्टे वर्षस्क श्रमिकों हेतु 10 प्रतिदिन और 54 प्रति सप्ताह रखे गए। मौसमी कारखानों (Seasonal Factories) में वे क्रमशः 11 प्रतिदिन और 60 प्रति सप्ताह रखे गए। बाल श्रमिक के कार्य के घण्टे घटा कर 5 कर दिए गए। कार्य का फैलाव (Spread over) प्रथम बार इस अधिनियम में रखा गया। इसमें वर्षस्क श्रमिकों और बाल श्रमिकों हेतु यह कार्य फैलाव क्रमशः 13 और 6½ घण्टे प्रतिदिन रखा गया। अतिरिक्त कार्य करने पर सामान्य दर का 1½ गुना मुगतान श्रमिकों को किया जाएगा। इसमें प्रथम बार किशोर श्रमिक (Adolescents) का नाम दर्खा गया। 15 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वाले इसमें रखे गए। महीनों को ढकने, सुरक्षा उपाय, कल्याणकारी कार्य तथा कृतिम नभी बनाए रखने आदि के सम्बन्ध में भी अधिनियम में प्रावधान रखे। इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया। इसके लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक और कारखाना निरीक्षकों की नियुक्तियाँ की गईं।

### संशोधित कारखाना अधिनियम, 1946 (Amended Factory Act of 1946)

सन् 1934 का कारखाना अधिनियम सन् 1936, 1940, 1941, 1944, 1946 तथा 1947 में संशोधित किया गया और अन्त में इसका स्थान वर्तमान कारखाना अधिनियम, 1948 ने लिया।

सातवें शब्द सम्मेलन, 1945 ने 48 घण्टे प्रति सप्ताह के सिद्धान्त को स्वीकार किया। इस संशोधित अधिनियम के अनुसार वर्ष भर चलने वाले कारखानों में कार्य के घण्टे 9 प्रतिदिन तथा 48 प्रति सप्ताह रखे गए तथा मौसमी कारखानों में घटाकर 10 प्रतिदिन और 54 प्रति सप्ताह रखे गए। कार्य का फैलाव (Spread over) वर्ष भर वाले कारखानों और मौसमी कारखानों में घटाकर क्रमशः 10½ और 11 घण्टे कर दिए गए। अतिरिक्त कार्य हेतु साधारण दर का दुगुना मुगतान करने का प्रावधान रखा गया। सन् 1947 के संशोधन द्वारा जिन कारखानों में 250 श्रमिकों से अधिक कार्य करते हैं, वहाँ केन्टीन का प्रावधान रखा गया।

जन्म  
दृष्टि

## कारखाना अधिनियम, 1948

(Factories Act of 1948)

.. अधिनियम के कई दोष हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धीत तथा सम्बन्धित नहीं हैं। इस अधिनियम के प्रन्तर्गत छोटे संस्थानों तथा कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया था।

कारखाना अधिनियम, 1948 वा उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कायं वो प्रोत्साहन करना है। यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। वे कारखाने जहाँ 10 या 10 से अधिक श्रमिक शक्ति से कार्य करते हैं तथा 20 या 20 से अधिक श्रमिक दिना शक्ति से कार्य करते हैं, इस अधिनियम के प्रन्तर्गत आते हैं। इसके प्रन्तर्गत राज्य सरकारों को यह प्रधिकार है कि वे किसी भी रोजगार पर यह अधिनियम लागू कर सकती हैं। इस अधिनियम के प्रन्तर्गत मोसमी तथा वर्ष भर चलने वाली सभी फैक्ट्रीज के प्रन्तर को समाप्त कर दिया गया है।

इस अधिनियम में विभिन्न बारें सम्मिलित की गई हैं। वे निम्नलिखित हैं—

1. कार्य के घण्टे (Hours of Work)—कम कार्य के घण्टे श्रमिक की कार्य-कुपलना पर अनुकूल प्रभाव ढालते हैं। प्रत इस अधिनियम में वयस्क श्रमिकों हेतु अधिकातम कार्य के घण्टे प्रति सप्ताह 48 और प्रतिदिन 9 निश्चित किए गए हैं। 5 घण्टे के कार्य के बाद 2 घण्टे का मध्यान्तर दिया जाएगा। कार्य का फैलाव (Spread over) 10½ घण्टे से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों वो अधिकार दिया गया है कि वे कुछ व्यक्तियों के कार्य के घण्टे साप्ताहिक छट्टी आदि में छट्ट दे सकती हैं। किर भी कुल कार्य के घण्टे 10, विसी भी दिन कार्य का फैलाव 12 घण्टे, अतिरिक्त कार्य हेतु दुगुनी बजदूरी दर आदि का पालन किया जाएगा।

2. सबेतन छट्टी (Leave with Wages)—प्रत्यक्ष श्रमिक को सबेतन साप्ताहिक छट्टी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्न दरों पर सबेतन वार्षिक छट्टी (Annual leave with wages) दी जाएगी—

(i) एक प्रोड श्रमिक को 20 दिन कार्य करने पर 1 दिन सबेतन छट्टी दी जाएगी। परन्तु वर्ष में न्यूनतम 10 दिन की सबेतन छट्टी मिलेगी।

(ii) एक वालक को 15 दिन कार्य करने पर 1 दिन सबेतन छट्टी मिलेगी और वर्ष में न्यूनतम 14 दिन की सबेतन छट्टी मिल सकेगी।

(iii) यदि किसी श्रमिक को बिना अनियत छुट्टियों का उपभोग किए ही सेवा से मुक्त कर दिया जाना है अथवा स्वयं नौकरी छोड़ देता है तो नियोजक का कर्तव्य है कि उन दिनों का बेतन उसे दिया जाए।

3. नवयुवकों को रोजगार (Employment of Children)—14 वर्ष से कम आयु वाले नवयुवकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। 15 और 18 वर्ष की आयु के बीच वाले श्रमिक को प्रोड (Adolescent) माना गया है। इन नवयुवकों को आयु मन्वन्धी डॉक्टरी प्रमाणान्वयन प्राप्त करना आवश्यक है। उन्हें कार्य करते समय टोकन रखना पड़ेगा। यह प्रमाणान्वयन 12 महीने तक बंध होगा।

**4. महिला थमिकों को रोजगार (Employment of Women)**—कोई भी महिला थमिक मशीन चालू करते समय सफाई, तेल डालने आदि का कार्य नहीं करेगी। कारखाने की युनाईट वाले बन्द का उपयोग करने पर वहाँ महिला थमिक वो कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। जहाँ 50 या इसमें अधिक महिला थमिक वार्म करते हैं वहाँ थोटे बच्चों को पानने (Cots) की नुविधा दी जानी चाहिए।

कोई भी महिला थमिक 7 बजे साथ से 6 बजे प्रातः के बीच काम नहीं करेगी। इसी मवधि में बाल थमिकों से भी कार्य नहीं लिया जा सकेगा।

**महिला थमिक के कार्य के अधिकातम पट्टे सम्बाह में 48 और प्रतिदिन 9 ते अधिक नहीं होंगे।**

खतरनाक किसामें महिला थमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अतिरिक्त कार्य हेतु सामान्य दर का दुगुना मुगतान किया जाएगा।

**5. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (Health & Safety)**—इस प्रधिनियम के प्रमुख गति स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी महूल्पवृण्ण आदेशों का प्रावधान है जिससे थमिक का स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा-पूरा ब्यान रखा जा सके।

स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम आदेश इस अधिनियम से शामिल किए गए हैं—

(i) प्रत्येक कारखाने को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा और इसी तरह का ट्रूडा-करकट कारखाने के किसी भी भाग में नहीं ढाला जाएगा।

(ii) प्रत्येक कारखाने में नुड वायु माने तथा अशुद्ध वायु जाने हेतु पर्याप्त भरोले होने आवश्यक हैं।

(iii) यदि किसी निर्माण किया से धूल इत्यादि उड़ती है तो उसकी सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) कारखानों में अधिक त्रुष्टता अववा नमी नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम नमी करने वाले कारखानों में इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाय नहीं पड़े।

(v) इस प्रधिनियम के बाद बनाए गए बारखानों में प्रत्येक थमिक हेतु 500 व्यूबिक फीट स्थान तथा वर्च के कारखानों में 350 व्यूबिक फीट स्थान होना चाहरी है। इनमें अत्यधिक भीड़ को कम किया जा सकेगा।

(vi) कारखानों में कार्यरत थमिकों हेतु पर्याप्त प्राकृतिक अववा प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था दी जानी चाहिए। वहाँ होकर थमिक आते जाते हैं वहाँ पर भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) प्रत्येक कारखाने में थमिकों हेतु पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ थमिक 250 या इसमें अधिक हैं वहाँ पर टेपोबरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

(viii) प्रत्येक कारखाने में दर्याप्त सस्ता में पुरानों व महिला थमिकों हेतु मलग-मनग दौचालय तथा पेशाद-परों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ix) प्रत्येक कारखाने में धूकने के लिए धूकदानों की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस अधिनियम के प्रन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी अप्रतिलिपित उपायों का प्रावधान किया गया है—

- (i) मशीनों को ढक कर रखा जाए तथा खतरनाक मशीनरी की देखभाल प्रशिद्धि प्रीड व्यक्ति द्वारा ही भी जानी चाहिए ।
- (ii) धातु तथा महिला श्रमिकों को खतरनाक मशीनों पर नहीं लगाया जाएगा ।

(iii) यान्त्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाने वाली मशीन को अच्छी तरह से कारखाने में फिट किया जाना चाहिए । भार उठाने वाली मशीनों तथा लिपट आदि भी भी समय-समय पर देखभाल करनी चाहिए । इससे दुर्घटनाएँ कम होगी ।

(iv) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को अधिकार है कि वह बाल, पुरुष व महिला श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को निश्चित करे । इससे अधिक भार नहीं उठाया जाए क्योंकि यह श्रमिक के स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव डानता है ।

6 कल्याणकारी उपाय (Welfare Measures)—इस अधिनियम के प्रन्तर्गत श्रमिकों के इलाज में वृद्धि करने हेतु निम्न भादेशों का प्रावधान किया गया है—

(i) प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों को अपने हाथ मुँह धोने की सुविधाएँ होनी चाहिए ।

(ii) बपडे धोने, उन्ह सुखाने और टांगने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(iii) प्रत्येक कारखाने में प्रायमिक चिकित्सा सुविधा (First Aid Appliance) प्रदान की जानी चाहिए ।

(iv) जिन कारखानों में 250 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उनमें कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(v) जहाँ पर 150 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पर आहार कमरों (Lunch Rooms) की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(vi) जिन कारखानों में 50 या अधिक महिला श्रमिक कार्य करती हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए पालनों (Creches) की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(vii) जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) की नियुक्ति की जानी चाहिए ।

सभी कारखाना मालिकों का यह दायित्व है कि रोजगार के कारण उत्पन्न किसी बीमारी ग्रथा दुघटना के विषय में सूचना वे तत्काल सरकार तथा कारखाने हेतु नियुक्त चिकित्सकों द्वारा हो । नियुक्त चिकित्सकों को भी व्यावसायिक बीमारियों वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में ग्रपनी टिपोट मूल्य कारखाना निरीक्षक (Chief Inspector of Factories) को दे देनी चाहिए ।

इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । मुख्य कारखाना निरीक्षक सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसके प्रन्तर्गत वरिष्ठ

कारखाना निरीक्षक और भारखाना निरीक्षक आते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं।

### भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के दोष

#### (Defects of the Indian Factories Act of 1948)

थ्रम जांच समिति, 1946 (Labour Investigation Committee, 1946) ने विभिन्न कारखाना अधिनियमों में पाए जाने वाले दोषों का उल्लेख किया था। यह अधिनियम पिछले कुद्दू वर्षों में अनेक दोषों का शिकार रहा है—

1 यह अधिनियम बड़े औद्योगिक संस्थानों में सन्तोषप्रद ढग से क्रियान्वित किया जा रहा है, लेकिन छोटे और भौसमी कारखानों में यह अधिनियम सन्तोषप्रद ढग से लागू नहीं किया जा सका है। इन कारखानों में कार्य के घट्टों, अतिरिक्त कार्य, बालकों की नियुक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई से सम्बन्धित आदेशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है। नियोजकों द्वारा अभियोगों के भूटे प्रमाण-पत्र, अतिरिक्त कार्य हेतु दोहरे रजिस्टर आदि रखकर निरीक्षकों को धोखा दिया जाता है।

2 निरीक्षकों की सख्ती कम होने से और कारखानों की सख्ती अधिक होने से कई कारखाने साल भर में एक बार भी नहीं देख सकते हैं। निरीक्षक भी तकनीकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं जबकि मानवीय समस्याओं की प्रायः उपेक्षा करते हैं। अतः निरीक्षकों की सख्ती में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे इस अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढग से हो सके।

3 कुशल एवं ईमानदार कारखाना निरीक्षकों की कमी है। अधिकांश निरीक्षक कारखाने का पूर्ण निरीक्षण निए बिना ही निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लेते हैं तथा मालिकों से रिश्वत लेकर उनके दोषों को रिपोर्ट में नहीं दिखाते हैं।

4 अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने का प्रमुख कारण यह भी है कि शेषियों पर दण्ड कम किया जाता है। एक मालिक पर 100-150 का जुर्माना किया जाता है जबकि उसकी पैरवी के निए निरीक्षक के आने-जाने में ही हजारों रुपये व्यय हो जाते हैं। अतः दोषी व्यक्तियों को दम्भित समय पर और पर्याप्त रूप से किया जाना चाहिए।

5 यह अधिनियम अनियन्त्रित कारखानों (Unregulated Factories) पर लागू नहीं होता है। इन कारखानों में अभियोगों का शोपण किया जाता है तथा अमानवीय दशाओं में उनको कर्म करना पड़ता है। अतः इस अधिनियम को विस्तृत करके अनियन्त्रित कारखानों पर लागू किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु कारखाना निरीक्षकों की सख्त बदाया जाना प्रावश्यक है। उनके अधिकारों और स्तर में भी वृद्धि की जानी चाहिए। ईमानदार और कार्यकुशल निरीक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित है। विभिन्न प्रान्तों में पाया जाने वाली असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। अभियोगों को भी इस अधिनियम के विभिन्न प्रादेशों के बारे में बताया जाना चाहिए।

## भारत में श्रमिकों का आवास; नियोजक व श्रम-संघों तथा सरकार द्वारा दी गई श्रम कल्याण सुविधाएँ

(HOUSING OF LABOUR IN INDIA; LABOUR WELFARE FACILITIES PROVIDED BY EMPLOYERS, TRADE UNIONS AND GOVERNMENT)

### भारत में श्रमिकों का आवास समस्या का स्वरूप (Housing of Labour in India : Nature of the Problem)

आवास का वित्त प्रबन्धन और क्रियान्वयन निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता था। लेकिन यह नीति उम समय ही उचित है जब अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई हो। स्वतन्त्रता की नीति के नारण से श्रोद्योगीकरण हुआ और तीव्र श्रोद्योगीकरण स्थानीय केन्द्रों पर अधिक होने से आवासी बढ़ने लगी। इससे आवास की समस्या उत्पन्न हुई। विना योजना के ही आवास-व्यवस्था को जाने लगी। इससे भूमि भौपडियों का विवास हुआ।<sup>1</sup>

श्रोद्योगिक आयोग सन् 1918 (Industrial Commission) ने इस समस्या को प्रारंभिक आवधित किया। लेकिन इस सिफारिश की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

रोटी, कपड़ा और मकान मानव की तीन आवारभूत आवश्यकताएँ हैं जिनमें मकान महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देश में आवास व्यवस्था बढ़ती हुई श्रोद्योगिक जनसंख्या की तुलना में कम रही। जगह की कमी, भूमि की ऊँची लागत आदि के कारण आवास व्यवस्था पूर्ण रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं रही। धीरे धीरे आवास-इमारों की स्थिति बिगड़ती गई।

गाही थम आयोग ने प्रमुख श्रोद्योगिक केन्द्रों की आवास व्यवस्था का विवरण देते हुए बताया कि मकान एक दूसरे से सटे हुए थे। उनमें कोई रोशनदान की तथा सफाई की व्यवस्था नहीं थी। एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते थे। सूर्य का प्रकाश भी नहीं प्राप्त था। पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। रात को इन बस्तियों में कोई भी अन्जा नहीं सकता था।

1. Gur, V V Labour Problems in Indian Industry, p. 303.

आवास व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल नारदीवारी शामिल की जानी है, बल्कि आवास के आसपास के बातावरण को भी शामिल किया जाता है। आवास व्यवस्था का अर्थ ऐसे आवास से है जहाँ धर्मिक आराम ने रह सके, एक ऐसे बातावरण से है जो धर्मिकों हेतु स्वास्थ्यप्रद हो तथा ऐसी सुविधाओं से है जो कि धर्मिक के स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता पर प्रचंडा प्रभाव डाले। धर्मिकों का निवास ऐसी जगह होना चाहिए, जहाँ स्पृश्य थायु, प्रकाश व जल आमानी से मिलने हो। चिकित्सा शिक्षा, मनोरनन, सेनकूद आदि की सुविधाएँ भी धर्मिकों को मिलनी चाहिए।

बुरी आवास व्यवस्था से श्रीदोगिक धर्मिक नई बुराहयों का शिकार बन जाता है, जैसे शराब पीना, बीमारी, अनेतिकना, अपराध, अनुपस्थितता आदि। इससे अधिक ग्रस्तताओं और जेलों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

आवास व्यवस्था एक मानवीय आवश्यकता है जिसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करना आवश्यक है।

### आवास की समस्या त्रिमुखी है—

1. **सामाजिक समस्या (Social Problem)**—यह गढ़ी वस्तियों की समस्या से सम्बन्धित है। प्रमुख श्रीदोगिक केन्द्रों में अधिक भीड़-भाड़ से आवास समुचित रूप से न मिलने के कारण इन निम्न वर्ग के लोगों द्वारा गन्दी वस्तियाँ बनाती मई हैं। मटास की चेरी, कानपुर के ग्रहाता, कलकत्ता की वस्ती, बम्बई और अहमदाबाद की चाल वस्तियाँ, गन्दी वस्तियों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। विश्व के सम्भवतः किसी भी श्रीदोगिक क्षेत्र में इस प्रकार की गन्दी वस्तियाँ देखने को नहीं मिलती हैं।

2. **आर्थिक समस्या (Economic Problem)**—आवास व्यवस्था वा धर्मिक के स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। लंबाव आवास से कई प्रकार की बीमारियों को प्रोत्ताहन मिलता है। इसका धर्मिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभार पड़ता है। कार्य-कुशलता घटती है और उत्पादन में फिरावट आ जाती है।

3. **नायरिक समस्या (Civic Problem)**—यहीं दोनों में अधिक जनभार से नायरिकों के आवास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धर्मिक भी एक नायरिक है और इस समस्या का समाधान होना आवश्यक है।

### खराव आवास व्यवस्था के दोष

#### (Defects of Bad Housing)

प्रो. श्राव. सी. सवसेना के इनुमार, “अन्ये घरों का अर्थ गृह-बीवन की सम्भावना, सुख प्रोर स्वास्थ्य है तथा बुरे घरों का अर्थ है गन्दगी, झारबबोरी, बीमारी, व्यभिचार और अपराध।”<sup>1</sup>

1. लंबाव आवास व्यवस्था का स्वास्थ्य पर खराव प्रभाव पड़ता है। आवास और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा ये दोनों श्रीदोगिक धर्मिक की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती हैं।

2 खराब गृह-व्यवस्था के कारण ही थमिकों में प्रवास की प्रवृत्ति (Migratory Character of Labour) की प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय थमिक ग्रामीण क्षेत्रों से आवार औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लेकिन ग्रामीण और शहरी आवास में रात दिन का अन्तर देखने परो मिलता है। सुली हवा, प्रकाश, शुद्ध जल तथा अच्छा वातावरण आदि का शहरी क्षेत्रों में अभाव होने के कारण वे बुध दिन कार्य करते हैं प्रोत्साहित करने वाले गाँव को चले जाते हैं।

3 खराब आवास व्यवस्था के कारण कई सामाजिक बुराइयाँ (Social evils) उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ—शराबखोरी, अनंतिरुता, अपराध, जुगा ऐलना आदि। औद्योगिक बस्तियों में स्त्री-नुरुल व का अनुपात प्रसमान होने के कारण अनंतिरुता को बढ़ावा मिलता है। थमिक दिना परिवार के रहने के कारण बुझाखोरी, शराबखोरी, अपराध आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है।

प्रपर्याप्त और खराब आवास व्यवस्था के कारण ही औद्योगिक प्रशान्ति, अनुपस्थिति और अम परिवर्तन आदि को प्रोत्साहन मिलता है। ये सभी औद्योगिक उत्पादन को कम करते हैं, जिसका राष्ट्रीय अवयवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आवास व्यवस्था की इन प्रभाव्यजातीय परिस्थितियों से बिलकुल होकर हाँ राधाकमल मुखर्जी ने ठीक ही लिखा है कि, “भारतीय औद्योगिक बस्तियों की दशा इतनी भयकर है कि वहाँ मानवता को निर्देशित के साथ प्रभिशापित किया जाता है। महिलाओं के सतीत्व का अपमान किया जाता है एव देश के भावी आधार-स्तम्भ शिशुओं को आरम्भ से विष से सिंचित किया जाता है।”<sup>1</sup>

आवास को इन खराब दशायों का चिवाय करते हुए थी मीनू भसानी ने कहा था कि, “भगवान् ने विश्व को बनाया, मनुष्य ने शहरों को और राधासों ने गन्दी बस्तियों को बनाया।”

सन् 1952 में स्वर्णीय नेहरू ने कानपुर की आवास व्यवस्था को देखकर गुस्से में कहा था, “इन गन्दी बस्तियों को जला दिया जाए।”

### आवास : किसका उत्तरदायित्व ? (Housing : Whose Responsibility ?)

खराब आवास व्यवस्था के कारण थमिकों की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थमिकों में प्रवासिता, औद्योगिक प्रशान्ति, थमिक परिवर्तन, अनुपस्थिति आदि सभी तत्त्वों के लिए खराब आवास व्यवस्था जिम्मेदार है। कई सामाजिक बुराइयाँ उदाहरणार्थ शराबखोरी, जुझाखोरी, वैश्यागमन, अपराध आदि खराब आवास व्यवस्था के ही परिणाम हैं।

इन सभी चुरे प्रभावों को समाप्त करने हेतु एक अच्छी आवास व्यवस्था का होना आवश्यक है। हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे मकान में सपरिवार सुखी और प्रसन्न रहे। एक अच्छी आवास व्यवस्था हेतु किसे जिम्मेदार बनाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रमिकों का बहना है कि आवास व्यवस्था करना मालिकों द्वारा उत्तरदायित्व है। सरकार को इसके लिए कानूनाना प्रविनियम, 1948 में संशोधन कर दें शामिल किया जाए। जहाँ मालिक यह नहीं कर सकता है वहाँ श्रमिकों को आवास भेता दिया जाना चाहिए।

मालिकों का कथन है कि आवास व्यवस्था राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि आवास व्यवस्था के लिए भूमि प्राप्त करना और मकान बनाना एक महँगी व्यवस्था है जो कि मालिक द्वारा बहुत नहीं की जा सकती है।

सरकार के कब्यनानुसार आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व मालिकों का है क्योंकि अच्छी आवास व्यवस्था से प्राप्त लाभ मालिकों को ही प्राप्त होने। अच्छी आवास व्यवस्था से श्रमिकों की प्रवासिता, अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन, शराबखोरी जुआखोरी, बेश्यागमन आदि दोष कम हो जाएंगे। श्रमिकों की कार्य-कुलता, बढ़ेंगी, उत्पादन श्रधिक होगा और इससे मालिकों के लाभ में बढ़ि होगी। कई समितियों व आयोगों ने भी आवास के उत्तरदायित्व के बारे में अपने अलग-अलग विचार दिए हैं।

शाही श्रम आयोग के अनुसार आवास का उत्तरदायित्व सरकार और स्थानीय निकायों का है। राष्ट्रीय योजना समिति ने कहा था कि इसका उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से मालिकों पर ढाला जाना चाहिए। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति द्वारा 1946 ने भी आवास का दायित्व सरकार पर ही ढाला है। धर्म अनुमवान ममिन ने सुभाव दिया है कि आवास हेतु आवास मण्डलों (Housing Boards) की स्थापना की जानी चाहिए। आवास हेतु पूँजी वित्त का प्रबन्ध राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए और कियासील व्यव बहन करने का दायित्व मालिकों और श्रमिकों पर होना चाहिए।

आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व किनी एक पक्ष पर नहीं ढाला जा सकता क्योंकि यह समस्या एक जटिल समस्या है तथा इसने भूमि प्राप्त करना और मकान बनाने हेतु माल तथा वित्त का प्रबन्ध करना आदि कठिनाइयाँ आती हैं, जिन्हे किसी एक पक्ष द्वारा हल करना आसान नहीं है। अत आवास व्यवस्था हेतु न बेवल राज्य सरकारों को ही उत्तरदायी बनाया जाए बल्कि स्थानीय सरकारों और मालिकों को भी इस हेतु तंगार किया जाना चाहिए। यह एक संयुक्त उत्तरदायित्व है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की सहायों, मालिकों तथा सरकारों का सहयोग अपेक्षित है।

### गन्दी बस्तियों की समस्या (Problem of Slums)

भारतीय श्रोदोगिक श्रमिकों की आवास व्यवस्था अच्छी नहीं है। वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं। इन गन्दी बस्तियों को विभिन्न श्रोदोगिक क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से उकारा जाता है। बम्बई में चाल (Chawl), मद्रास में चेरी (Cherry),

करकता म बस्ती (Basti) प्रौद कानपुर म अहाता (Ahatas) वे नाम से जानी जाती हैं। इन श्रोदोगिक लेना म गन्दी वस्तियो को प्राप्त्याहन निर्माण नियमो म दियाई, थमियो की उदासीनता, भूमि का ऊँचा मूल्य आदि के कारण मिना है। गन्दी वस्तियो हमारे दल की दरिद्रता की निजानी है। शिक्षा की रसी, प्रधिक जनभार और योजना व अभाव के परिणामस्वरूप गन्दी वस्तियो ना विश्वास हुया है।

गन्दी वस्तियो एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है जोकि आवास मानव की एक प्रमुख आम प्रश्ना है जिसे पूरा करना प्रश्न इत्यादियाँ सरकार का दायरित हो जाता है। इन गन्दी वस्तियो का वारण काय कुपाना म कभी अनेतिकता घटाय-खोरी जुझाखोगी श्रोदोगिक घटानि आदि रुग्मो म हम भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसनिए गन्दी वस्तियो का उन्मूलन अत्यन्त आवश्यक है। मन् 1952 म स्वर्गीय नेहरूजी ने बानपुर की गन्दी वस्तियो को समाप्त करने प्रयत्न उन्हें जला देने के लिए कहा था। समद सदस्य थी वी वी शिवाराव न भी इन गन्दी वस्तियो को समाप्त बरने के लिए युद्ध स्तर पर काय करना का कहा था।

गन्दी वस्तियो की समस्या का हृत हीन हृष्टिकाले द्वारा किया जा सकता है। प्रथम गन्दी वस्तियो की सफाई (Slum clearance) करना। यह एक दीर्घ-कालीन समस्या है। योजनावद तरीने स इस समस्या को हल करना होगा। दूसरा गन्दी वस्तियो का सुधार (Slum improvement) करना। जहाँ गन्दी वस्तियो को साकु बरना सम्भव नहीं है तथा सुधार सम्भव है, वहाँ यह कार्य दिया जाना चाहिए। इसे बतमान समय म ही मुरु बरना चाहिए। इसके लिए आवश्यक मुविधाएँ उदाहरणार्थ सङ्कें चिकित्सा प्रौद शिक्षा आदि प्रदान करना चाहिए। तीसरी गन्दी वस्तियो को रोकने (Slum prevention) का सरकार को कानून बनाना चाहिए जिसस गन्दी वस्तियो को प्रोत्साहन नहीं मिले। योजनावद तरीके मे आवार व्यवस्था की जानी चाहिए। यह निर्माण सम्बन्धी नियमो को प्रभारपूण ढग मे लागू किया जाना चाहिए।

गन्दी वस्तियो की सफाई हेतु विभिन्न एवर्योग योजनाओ म निश्चित कायकम रखे गए हैं और उन पर व्यय किया गया है।

प्रथम पचवर्षीय योजना म गन्दी वस्तियो की सफाई को आवास सम्बन्धी नीति का आवश्यक अग माना गया है। इसके लिए यह निर्माण की राति 38·5 करोड रुपयो मे से योजना बनाकर व्यय बरने का प्रावधान रखा गया था। दूसरी योजना मे गन्दी वस्तियो की सफाई हेतु 20 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसे बाद मे घटाकर 13 करोड रुपये कर दिया गया। तीसरी पचवर्षीय योजना मे गन्दी वस्तियो के उन्मूलन प्रौद सुधार हतु 28·6 करोड रुपये रखे गए थे। चौथी पचवर्षीय योजना मे इस कार्य हेतु 60 करोड रुपये का प्रावधान था। पाँचवीं पचवर्षीय योजना म भी गन्दी वस्तियो के उन्मूलन तथा सुधार हेतु पर्याप्त व्यय दिया गया है। रात् 1958 मे गन्दी वस्तियो की सफाई पर सलाहकार समिति (Advisory Committee on Slum Clearance) द्वारा दी गई रिपोर्ट मे निम्न सिफारियो की थी—

1 मन्दी वस्तियों की सफाई समस्या को नागरिक विकास समस्या वा एक अभियान माना जाए ।

2 सुगमतापूर्वक कार्य चलाने हेतु केन्द्रीय मन्दालय वो यह कार्य-भार सौंप दिया जाए ।

3 कार्य प्रारन्भ करने हेतु बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली कानपुर और पट्टमदावाद की गन्दी वस्तियों को मुधारा जाए ।

4 वर्तमान गन्दी वस्तियों में आधारभूत सुविधाएँ—सड़कें, प्रकाश, जल, चिकित्सान्वय, पाठ्याला आदि की व्यवस्था वो जाए ।

5 अधिक गन्दी वस्तियों वासे औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक धन राशि का उपयोग किया जाए ।

### आवास समस्या का आकार, विनियोजन और उपलब्धियाँ

भारत में आवास की समस्या बड़ी जटिल है, जिसके लिए एक तो बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता है और दूसरे इसका समाधान व्यक्तियों, सम्बन्धियों, राज्य भरकारी और केन्द्र सरकार के समन्वित तथा दीघंकालीन प्रयासों पर निर्भर करता है । शहरों और ग्रामीण दोनों इनको में आवास की भारी कमी है और जो मकान उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश घटिया दर्जे के हैं । यदि आवास की सामान्य समस्या को लें तो देश में आवास की कमी से समन्वित मही-सही धाँकड़े यहाँपि उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें सन् 1971 की गणना के अनुसार देश में 1.45 करोड़ मकानों की कमी है—29 लाख जहरों में और 1.16 करोड़ देहान में । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के एक हाल के अध्ययन के अनुसार, जिसमें परिवारों की सस्ता में वृद्धि और सन् 1971-74 में मकानों की सस्ता में वृद्धि की ध्यान में रखा गया था, पांचवीं योजना शुरू होने से पूर्व देश में 1.56 करोड़ मकानों की कमी होने का अनुपान था, 38 लाख गहरी क्षेत्रों में और । 18 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में । सन् 1971 की जन-गणना के अनुसार लगभग 9.7 करोड़ परिवारों में विभाजित देश की कुल 54 करोड़ 80 लाख जनसंस्था के लिए व्यवहार योग्य आवास एकांश 8.25 करोड़ (सन् 1961 में 6 करोड़ 84 लाख) थे । इनमें से 6.64 करोड़ एकांश (सन् 1961 में 5.71 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.61 करोड़ (सन् 1961 में 1 करोड़ 13 लाख) शहरी क्षेत्रों में थे ।

### आवास के लिए धरा

आवास के लिए धरा राशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें करती हैं । भारत का जीवन दीमा निगम भी इनके प्रयासों में सहयोग देता है । भारत सन् 1976 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने आवास और नगर विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का एक आवर्ती कोष स्थापित किया है । इस कोष का प्रबन्ध आवास और नगर विकास निगम के हाथ में है, जो आवास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारी, राज्य आवास बोडी तथा आवास और नगर विकास शाखिकरणों को छह देता है ।

## वित्तियोजन और उपलब्धियाँ

पहली तीन पचार्हीय योजनाओं प्रोटर याद की तीन एकार्हीय योजनाओं में सावधनिक क्षय में विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं पर कुल मिलाकर 324.27 करोड़ रुपये किए गए। इस अवधि में लगभग 5 लाख मकान बनाए गए। अनुमान है कि निजी क्षेत्र में गृह-निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों पर 2,400 करोड़ रुपये किए गए। सावधनिक क्षय में विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं पर कुल मिला 469.91 करोड़ रुपया खर्च हुआ। निजी क्षेत्र में आवास एवं निर्माण कार्यों पर अनुमानत 2,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सब राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों वा सन् 1974-75 का योजना परिव्यय राज्य क्षेत्र योजनाओं के सम्बन्ध में 52.39 करोड़ रुपये था जिसमें से 8.32 करोड़ रुपये की राशि उन भूमिहीन मजदूरों को आवास भूमि देने वाली योजना के लिए सुरक्षित रखी जाएगी जो सरकार के अनुनतम आवश्यकता कार्यक्रम वा अग है। बागानों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए सन् 1974-75 में 80 लाख रुपये की राशि का प्रबन्ध किया गया। विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्रप्रेल, 1975 तक नियमित मकानों वाली सह्या 6,38,500 धी(पूर्वोक्त योजना के अन्तर्गत नियमित 3,923 भकानों सहित)। भारतीय जीवन बीमा निगम ने विभिन्न राज्य सरकारों एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण को सन् 1974-75 तक 200.55 करोड़ रुपये अरुण स्वरूप दिए। आवास और शहरी विकास निगम ने 16 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों की 175 प्रशासन वोजनाओं के अन्तर्गत भकान बनाने के लिए 126.56 करोड़ रुपये के अरुण की भन्नूरी दी जिसके अन्तर्गत 92,700 मकान और 18,000 से अधिक विभिन्न घोरियों के प्लाटों के विकास शामिल हैं। इसमें से बहुत बड़ी आवास समाज वे कमजोर वर्गों के लिए हैं।

पांचवीं योजना में, मूल प्रारूप वे अनुसार, आवास कार्यक्रमों के लिए राज्य क्षेत्र में 343 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र में 237.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था दी गई। इसके अतिरिक्त रेलवे, टाक्कार, रक्षा, बन्दरगाह आदि के वैनिकीय विभागों तथा वैदीय सरकार के सावधनिक प्रतिष्ठानों के द्वारा आवास कार्यक्रमों पर लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना व्यक्त की गई। निजी क्षेत्र के द्वारा आवास पर लगभग 3,640 करोड़ रुपये की पूँजी लगाए जाने का अनुमान समाया गया। सितम्बर, 1976 में पचार्हीय योजना पर पुनर्विचार पूरा हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधित योजना में कहा गया कि मुख्य बल समाज के पिछड़े वर्गों की हालत को सुधारने पर है। संशोधित योजना में पुलिस के लिए आवास सहित प्रशासन के लिए जो परिव्यय दिक्षित रूप से वह राज्य क्षेत्र में 505.56 करोड़ रुपया और केन्द्रीय क्षेत्र में 95.36 करोड़ रुपया अर्थात् कुल 600.92 करोड़ रुपया था। मार्च, 1977 में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद अनता पाटी की सरकार ने पांचवीं पचार्हीय योजना को अवधि से एक बर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया। अप्रैल, 1978 से नई राष्ट्रीय योजना लागू कर दी है।

फरवरी, 1978 के बजट भाषण में केन्द्रीय वित्तमन्त्री थी एच. एम. पटेल ने सहेत दिया कि योजना आयोग की नई विकास नीति तैयार कर रहा है और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के बाद इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

### भवन निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण

भवन-निर्माण क्षेत्र में अनुसन्धान और तकनीकी प्रयत्न का कार्य राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन करता है, जिसकी स्थापना सन् 1954 में भारत सरकार द्वारा भवन-निर्माण और आवास सम्बन्धी तकनीकी विषयों के लिए एक सलाहकार और समन्वय करने वाले निकाय के रूप में की गई थी। यह संगठन भवन-निर्माण के लिए विभिन्न पहलुओं पर, दमारती समान के प्रयोग में तुषार और आवास राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर अनुसन्धान कार्य भी करता है। राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के अन्तर्गत बल्लभ विद्यानगर (धाननंद), वगलौर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, और नई दिल्ली में पांच आमीण आवास शाखाएँ काम कर रही हैं, जो आमीण आवास और आम आयोजन के बारे में अनुसन्धान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य करती हैं। राष्ट्रीय भवन-निर्माण और आवास सम्बन्धी प्रांकडे एकत्र करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, 'इस्कॉप' क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्रसभ के क्षेत्रीय आवास केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है।

### आवास समस्या के हल के लिए सरकारी योजनाएँ

आवास समस्या के हल के लिए सरकारी योजनाओं में, (क) राज्य योजनाएँ, (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ सम्मिलित हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करेंगे—

1. सहायता प्राप्त भौद्योगिक आवास योजना, 1952 (Subsidised Industrial Housing Scheme, 1952)—प्रथम योजना की सिफारिश के ध्यान पर भारत सरकार ने राज्यों, मालिकों और थमिकों से विचार-विमर्श करने के बाद यह योजना तैयार की। इस योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार के मकान निर्माण हेतु सहायता और झुग्गे देने का प्रावधान किया गया—

- (i) ये मकान जिनका निर्माण राज्य सरकारे द्वारा अवधारणा कानूनत मण्डलों जैसे विकास मण्डल, सुधार ट्रस्ट आदि द्वारा किया जाएगा।
- (ii) निजी मालिकों द्वारा प्रयोग सम्बन्धी स्थान में कार्यरत थमिकों द्वारा बनाए जाने वाले मकान।
- (iii) यथा सहायता प्राप्ति के द्वारा बनाए जाने वाले मकान।

प्रथम प्रकार के मकानों के निर्माण हेतु कुल निर्माण व्यय का 50% सहायता तथा 50% रुपए 25 वर्ष के चुकाने योग्य देना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया। शेष दोनों प्रकार के मकानों के निर्माण हेतु कुल निर्माण लागत का 25% सहायता तथा 25% रुपए (15 वर्ष हेतु) देने का प्रावधान रखा गया।

यह योजना सन्तोषप्रद नहीं रही और इसमें कई बार सन्तोषन किया गए।

2 समेश्वर सहायता प्राप्त आवास योजना, 1966 (Integrated Subsidised Housing Scheme, 1966) — उपरोक्त योजना संशोधन मन् 1966 में बदली गया और इस घोषणागत थमिको तथा आविक हृषि संभाज र समाज द्वय का समर्पित सहायता प्राप्त आवास योजना रहा जाने रहा। यह योजना घोषणागत भारत आविक हृषि संघरन समाज के उन वर्गों के लिए है जिनकी मनदूरी या धार्मणी श्रत माह 350 रु संग्रहित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत भवान बनाऊर किराए पर दिए जाते हैं और किराए में निमाएं पर ग्राए स्वीकृत रूप से 50% तक सहायता के रूप में दिया जाता है। 30 अप्रैल 1975 तक 1,82,223 भवान बनाए जा चुके थे।

3 व गान अमिको हेतु सहायता प्राप्त आवास योजना 1951 (Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers) — वागान अम प्रपिनियम 1951 (Plantation Act of 1951) के अंतर्गत प्रयुक्त मार्शिक को अमिक व उसके परिवार हेतु मावाल व्यवस्था बनाना दायित्व है। वागान अमिको हेतु सहायता प्राप्त आवास योजना सन् 1956 मे चनाई गई। इसके मात्रागत मार्शिको को कुर निर्माण जागत का 50% खट्ट तथा 25% सहायता देने का प्रावधान है। बनाए गए मकान विवा हिराए वे भिए जाते हैं। सन् 1966 मे अमिको भी आवास व्यवस्था हेतु कुर जागत का 90% (66% खट्ट और 25% सहायता) देने का प्रावधान रखा गया।

4 निम्न आय वर्ग आवास योजना 1954 (Low Income Group Housing Scheme 1954)—यह योजना सन् 1954 में शुरू की गई। इसमें उन धर्मिकों तथा उनकी सहसारी समितियों को छहण देने की व्यवस्था है जिनकी वापिस आय 7200 रुपये से प्रतिक नहीं है। रुपये की राशि विकसित भूमि की वागत के 80% तक होती है और अधिकतम रुपये राशि 14,500 के तक होती है। 30 अप्रैल 1975 तक 2,43,047 मालाएँ बनाए जा चुके थे।

5 रा०गे बस्तो उम्रुक्तन और सुधार पोर्जना 1956 (Slum Clearance and Improvement Scheme) — यह योजना सन् 1956 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत वे द्वीप सरकार राज्य मरकारों के माध्यम से नगरपालिकाओं और स्थानीय नियायों द्वारा गो वै बस्ती के उम्रुक्तनार्द 50% अधिक सहायता तथा 37½% अरण देती है। यह सहायता उन परिवारों को बसाने हेतु दी जाती है जिनकी आय 250 रुपय प्रति माह से अधिक नहीं है तथा नो विभिन्न श्रोद्योगिक क्षेत्रों की गो दी बस्तियों में रहत हैं। सन् 1970 में द्वीप सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कारकता की थम बस्तियों में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु शत प्रतिशत सहायता देने का नियम निया।

6 मध्यम आय वस्तु योजना 1959 (The Middle Income Group Housing Scheme, 1959), इस योजना के अंतर्गत जो सन् 1959 में प्रारम्भ हुई थी मकान बनाने के लिए जहां सामाजिक उत्तर धनराशि में यो दिया जाता है जिसे

भारतीय जीवन वीमा निगम झरण के रूप में राज्यों को देता है। केन्द्र शासित प्रदेशों को यह पन केन्द्रीय सरकार देती है। इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए झरण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी वय पिक आय 7,201 रुपये से 18,000 रुपये के बीच होती है। झरण मकान की लागत का 80% तक होना है और यह अधिकतम 27,500 रुपये तक हो सकता है। झरण के पान व्यक्तियों को बने बनाए मकान खरीदने के लिए भी झरण मिलता है। 30 अप्रैल, 1975 तक 33,844 मकान बनाए जा चुके थे।

7. किराया आवास योजना, 1959 (The Rental Housing Scheme, 1959) — किराया आवास योजना राज्य सरकारों के कमंचारियों के लिए है और यह सन् 1959 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने कमंचारियों के लिए मकान बनवाती हैं और उन्हें किराये पर देनी हैं, 30 अप्रैल, 1975 तक 23,669 मकान बन चुके थे।

8. झुग्गी-झोपड़ी उत्तमूलन योजना, 1960 (Jhuggi-Jhopri Removal Scheme, 1960) — यह योजना सन् 1960 में लागू की गई। योजना का उद्देश्य जुलाई तक 1960 से पूर्व सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से रहने वासी की झुग्गी झोपड़ियों को हटाना तथा उनकी अन्यत्र बसाना था। यह केवल दिल्ली संघीय प्रदेश में ही लागू है।

9. ग्रामीण आवास परियोजना कार्यक्रम, 1957 (The Village Housing Projects Scheme, 1957) — यह योजना मन् 1957 से शुरू की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को मरान बनाने के लिए झरण देने की व्यवस्था है। यह झरण निर्माण लागत का 80% तक हो सकता है और अधिकतम 4,000 रुपये होता है। ग्रामीणों के यातायरण-पुधार के लिए नलियाँ और नालियाँ बनवाने के लिए भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत झरण दिया जाता है। 30 अप्रैल, 1975 तक 56,858 मकान और लगभग 246 किलोमीटर लम्बी गलियाँ तथा 189 किलोमीटर लम्बी नालियाँ बनाई गईं।

10. भूमि अधिग्रहण और विकास योजना, 1959 (The Land Acquisition Development Scheme, 1959) — इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें और केन्द्र शासित क्षेत्रों के जहरी क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण और विकास करते हैं, ताकि मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को, विदेशी निधन ग्राम वर्ग के व्यक्तियों को, उचित मूल्य पर विक्रित प्लाट मिल सकें। इसका उद्देश्य भूमि के मूल्य में स्थिरता लाना, नगर विकास के कार्यों दो युक्त समान बनाना और स्वयंभूत मुकिया युक्त वस्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। 30 अप्रैल, 1975 तक विभिन्न राज्य सरकारों ने 10,800 हेक्टर से अधिक भूमि का अधिग्रहण और 5,665 हेक्टर से अधिक भूमि का विकास कर लिया था।

11. भूनिहोन मजदूरों की आवास निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देने की योजना, 1971 (A Scheme for Providing Free House-sites for Landless

**Workers 1971)**—भूमिहीन भजदूरों वा मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने को एक याजना सन् 1971 से चालू है। इस याजना के प्रतगत ग्रामीण नयों में नू महीन मातृत्व का मकान के लिए मुफ्त जमीन देने के बास्त भारत मरकार जहाँ रहीं आवश्यक हा राज्य सरकारों का मकानों की जमीन के विकास प्रौर भूमि के अधिग्रहण पर याने वार स्वच वी पूति के लिए पूरी सहायता दनी है। सामाजिक एक भूमिहीन परिवार को मकान के लिए प्रविहनम् 100 बग गज जमीन नी जानी है। 31 मान 1974 तक 15 राज्य सरकारों दी परियोजनाओं को जिनके अन्तर्गत 3 85 502 मकानों के लिए भूमि वी व्यवस्था भा स्वीकृति दी जा चुकी थी। इसके प्रतिरिक्त 15 राज्यों—आंध्र विहार गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कराटक करर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उडीसा पञ्चाब राजस्थान लम्बिनाडु उत्तर प्रदेश प्रौर पश्चिम बगान तथा 3 सध राज्य क्षत्रों बंडीड उन्नीप तथा पांडिवेरी न ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे भूमिहीन भजदूरों को गोजना म एसी भूमि पर मकान बनाने का अधिकार मिल सके जिन पर उनका कब्जा है। पांचवी योजना के प्रारम्भ म यह याजना राज्य भव के अन्तर्गत कर दी गई। राज्य सरकार अब अपने प्रतिरिक्त नेत्र म सम्बद्ध पारियोजनाओं को एक यूनिटम् आवश्यकता कायनम के रूप म योजना की जरूरी के अनुसार जांच कर उक्ती हैं प्रौर उह स्वीकृति दे जरूरी है। सन् 1976 तक विहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बगाल की राज्य सरकारों ने 88 878 आवास भूमि वे एवं के लिए 1 27 कराड रुपये की मनुरी दी थी। ग्रामीण क्षेत्रों म भूमिहीन भजदूरों को मकानों के लिए जमीन देने के बास्त पांचवी पश्चिमीय योजना मे यूनिटम् आवश्यकता कायनम के अन्तर्गत राज्यों की आपिक योजना राशि म 108 करोड 16 लाख रु की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार न इस योजना के तहत ता से कायाक्षेत्र के लिए राज्य सरकारों को कुद निदेश जारी किए हैं। 31 जिन्म्बर 1975 तक बधर ग्रामीण थमिको को 58 35 लाख से अधिक घर बनाने का जगहें दा जा चुकी थी।

### ओद्योगिक आवास से सम्बन्धित विधान (Legislation Relating to Industrial Housing)

स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश मे ओद्योगिक आवास से सम्बन्धित एक ही अधिनियम था। वह भूमि अविवहण अविनियम 1933 (Land Acquisition Act of 1933) था। उसके अन्तर्गत थमिको हतु मकान बनाने के लिए मालिको को भूमि आप करने म सहायता भिती थी। अभ्रु सान अम कल्याण कोप अधिनियम 1946 (Mica Mines Labour Welfare Fund Act of 1946) कोपला सान अम कल्याण अविनियम 1947 (Coal Mines Labour Welfare Fund Act of 1947) और नाहा सान अम कल्याण कोप अविनियम 1961 (Iron-ore Mines Labour Welfare Fund Act of 1961) आदि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के थमिको के लिए एह निर्माण का प्रावधान रखा गया है। इसके

यतिरिक्त कई राज्यों द्वारा भी आवास व्यवस्था के लिए अधिनियम पास किए गए हैं। उदाहरणार्थ—बम्बई आवास मण्डन अधिनियम 1948, भयं प्रदेश आवास मण्डन अधिनियम 1950, 1955 का मैसूर आवास मण्डन अधिनियम, 1952 का हैदराबाद थम आवास अधिनियम, 1956 का पजाब औद्योगिक आवास अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश औद्योगिक आवास अधिनियम, आदि। इन अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न अधिक वर्गों के लिए आवास व्यवस्था के प्रावधान रखे गए हैं।

### आवास योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण (Causes of Slow Pace of Housing Scheme)

आवास व्यवस्था का दायित्व सरकार, मालिक, थम सभों तथा अन्य संगठनों पर संयुक्त रूप से है। इसी संयुक्त उत्तरदायित्व को धान में रखते हुए देश की स्वतंत्रता के पश्चात् इन वर्गों द्वारा विभिन्न आवास योजनाएँ चलाई गई हैं। इन आवास योजनाओं द्वारा बढ़ती हुई अधिकों की आवास व्यवस्था की मांग की तुलना में पूर्ण कम हुई है। आवास योजनाएँ धीमी गति से चली हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं—

1. सरकारी योजनाएँ नाल-भीतागढ़ी की शिकार रही हैं। सरकारी कावं धीरे-धीरे होने से आवास योजनाओं की प्रगति भी धीमी दर से हुई है।

2. मकान निर्माण हेतु कच्चे माल को पर्याप्त मात्रा और समय पर निलग में कठिनाई के कारण से भी धीमी प्रगति हुई है। सीमेण्ट, लोहा आदि माल पर्याप्त मात्रा में और समय पर नहीं मिल सका है।

3. कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक 10 लाख माहवार भी मकान किराया देने में असमर्थ होने से सरकार अविकृ मकान बनाने में असमर्थ रही है।

4. मालिकों को सहायता तथा छूट के रूप में निलगे वाली राशि के अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

5. भूमि अधिग्रहण करना, कच्चा माल प्राप्त करना आदि कठिनाइयों के कारण मालिकों द्वारा आवास योजना की प्रगति धीमी रही है।

6. थम अधिक्षित तथा अज्ञानी होने के कारण थम सहकारी समितियों बनाने में असमर्थ हैं और इनके प्रभाव में निर्माण की गति को बढ़ावा नहीं जा सकता।

7. थम सहकारी समितियों वो भी मकानों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने तथा कच्चा माल—सीमेण्ट, लोहा आदि प्राप्त करने में कठिनाई आती है। इसमें थम सहकारी समितियों द्वारा बनाए जाने वाले मकानों की संख्या ग्राफिक नहीं बढ़ सकती है।

### सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास को सफलता हेतु उपाय (Measures for Successful Industrial Housing Scheme)

राज्य सरकारों, मालिकों और थम सहकारिताओं द्वारा महाना प्राप्त

प्रौद्योगिक आवास योजना मे अधिक रुचि नहीं दिखाई है। इसकी सहायता हेतु भी वो ची गिरी (V V Giri) ने जो मुझाव दिए थे, वे अनुकरणीय हैं—

1. जो स्थान काम करने के देशों से दूर हैं, और उनमें धर्मिकों की बहिर्भूमि बस जाती है वहाँ से धर्मिकों के घाने-जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सम्पादों को यातायात वी सुविधाएँ उपलब्ध करनी चाहिए।

2. धर्मिकों की बस्ती मे सावंजनिक सेवाएँ तथा अन्य दूसरी सुविधाएँ को उपलब्ध किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ बाजार, डाक घर और स्कूल का प्रवन्ध।

3. जहाँ तक सम्भव हो सके प्रत्येक धर्मिकों को एक अलग भूमि का दुकड़ा दिया जाए, जिसमे सभी प्रकार की सुविधाएँ हो। धर्मिकों को वहाँ अपने धर्म से मकानों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. भजदूरी भुगतान प्रधिनियम, 1936 मे इस प्रकार समोधन किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें सीधे धर्मिकों के वेतन से ऋण की राशि प्राप्त कर सकें।

5. यह योजना उन धौद्योगिक धर्मिकों के लिए भी वाम मे लाई जानी चाहिए जो राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के नौकर हैं।

6. जिन धर्मिकों के लिए मकान वी व्यवस्था नहीं हो सकी है उनमे से कम से कम 20% के लिए भी यदि मालिक मकान बनवाना चाहे तो उन्हें वढ़ी हुई दर पर 3 से 5 साल तक के लिए वित्तीय सहायता द्वारा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. वैधानिक रूप से बाल्य वरने की नीति वो काम मे साया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मालिकों को उचित दर पर भूमि देने की व्यवस्था करें। वित्तीय सहायता द्वारा देने की दिक्षा मे भी यागे कदम बढ़ाया जाना चाहिए।

8. यदि वोई अन्य योजना बनाई जाती है तो उसके लिए भी वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. वित्तीय सहायता द्वारा ऋण मे वृद्धि करके धर्मिकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। राज्य सरकारें इन समितियों को 'न साभ न हानि' के धाधार पर अच्छी भूमि देने की व्यवस्था कर सकती हैं।

10. ऋण बापत लेने की विस्तो मे रियायत की जानी चाहिए, विशेष रूप से धर्मिकों की सहकारी समितियों के लिए।

### आवास मन्त्रियों के सम्मेलनों द्वारा आवास नीति की समीक्षा

आवास नीति बनाने की जिम्मेदारी देन्द्र और राज्यों के आवास, नगर-विकास और नगर आयोजन मन्त्रियों की है। हम यहाँ 1973, 1974 तथा 1975 मे हुए राज्यों के आवास मन्त्रियों के तीन सम्मेलनों मे जो आवास नीति निर्दिष्ट की गई, उनका उल्लेख करेंगे।

1973 के सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं—(1) देहान में भूमिहीन मजदूरों वो मकान बनाने के लिए भूमि देने वी योजना पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में जारी रहनी चाहिए। जिन भूमिहीन व्यक्तियों के पास मकान के लिए जमीन है, उन्हें मकान बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा दस्तावेजी का नून सबूत मुहैया किया जाना चाहिए, जो व्यावलत ने नहीं हो। भूमि अधिकार हरण सम्बन्धी कार्य में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए भूमि अधिकार हरण कानून का संशोधन किया जाना चाहिए। (2) तीन लाख से कम आवासी वाले शहरी पर भी गन्दी वस्तियों के मुधार की केन्द्रीय योजना को लागू करने की मुंजाइश होनी चाहिए। (3) आवास, जल सप्लाई, जोड़ने वाली सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार और मनोरन्धन की सुविधाओं को आमीण विकास का कार्य शुरू किया जाना चाहिए और आमीण क्षेत्रों के बहुमुखी विकास का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। (4) आवास पौर नगर विकास निगम को इस बात की पनुष्ठति मिलनी चाहिए कि वह उन झण्डों के सम्बन्ध में भी सरकारी गाराणी को प्रतिभूति समझें, जिनमें व्याज की दर 7 प्रतिशत से अधिक है। (5) आवास और नगर विकास निगम से आवास झण्डे प्राप्त करने के सम्बन्ध में 6 के प्रतिशत (6 के प्रतिशत झण्डे, 2 के प्रतिशत की तुरन्त भूगतान के लिए छूट) व्याज की रियायती दर प्राप्त करने के लिए निर्माण व्यय की वित्तीय योजना में आविक हृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत भी जो वर्तमान न्यूनतम सीमा है, उने और कम कर दिया जाना चाहिए। (6) आवास वी जमीन के विकास के लिए विश्व बैंक से जो उपलब्ध हो, उसे तथा आवास सम्बन्धी सेवाओं को आवास और नगर विकास निगम के जरिए मुहैया किया जा सकता है। (7) पर्यटन-स्थलों के विशिष्ट महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थलों के विकास और मुधार के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। (8) राज्य सरकारों को राज्य योजना व्यय में से कम से कम 5 प्रतिशत धनराशि आवास और नगर विकास क्षेत्रों के लिए रखनी चाहिए।

1974 के सम्मेलन वी महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं—(1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपनायी जाने वाली राष्ट्रीय आवास नीति की समीक्षा करने और इसके बारे में मुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जा सकता है। (2) कियान्वित की जा रही सामाजिक आवास योजनाओं की विस्तार ये जीव के लिए मन्त्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जा सकती है। (3) एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जा सकती है जिसने लम्बदू मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हो, और जो सविधान में हुए 25वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिकार हरण कानून की जीव करे और मुझाव दे कि इस कानून को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से संशोधित किया जा सकता है, ताकि गहरी क्षेत्री और गहरी करण-योग्य सीमाओं में भूमि का अधिकार हरण देजी और सरलता में किया जा

संकेत 1 (4) देहात में मकान बनाने और ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक अला ग्रामीण वित्त निगम स्थापित किया जा सकता है।

अक्टूबर 1975 में राज्यों के आवास मन्त्रियों के एक सम्मेलन में पिछले सम्मेलनों में दिए गए मुझायों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों पर ध्यान दिया तथा इन मुझायों वो कार्यान्वित करने वो गति का तीव्रतर करने के लिए विभिन्न तरीकों और साधनों पर विचार किया। सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुझाव इस प्रकार थे—(1) देश में सन्तुलित शहरी तथा क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महीकरण नीति अपनाई जाए, (2) राष्ट्रीय आवास नीति अपनान के फ़ायदे राष्ट्रीय आवास आयोग स्थापित किया जाए, (3) सस्थान वित्त तथा अन्य वित्त के जरिए ग्रामीण विकास के साथ-साथ ग्रामीण आवास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण आवास निगम की स्थापना जी जाए, (4) राज्य सरकारों को अपने वापिक अनुदानों में अनुमूलित जातियों तथा अनुमूलित जनजातियों को प्रावास देने के लिए राजि अनुग्रह रखने को बहा गया है, (5) केन्द्रीय सरकार को बानुन बनाना चाहिए ताकि यारी शहरी तथा शहरी बनाई जा सकने वाली भूमि वो सरकार नहीं में रहने वाले निवास लोगों की आवासीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रयोग म ना नहें, (6) तरनीकी सुधार करके, स्थानीय सामाजिक कार्योग करके तथा सांवैदिक प्रावास एजेंसियों के डमरी खर्च कम करके मकानों की वीमन घटाई जानी चाहिए (7) वर्गमित पूँजी निवेश को बढ़ाकर राज्य सरकारों की उपनिवेश सस्थान दूरी का उचित भाग आवास निगमण के लिए रखा जाना चाहिए तथा (8) ग्रामीण कर्मगारों को आवास स्वल देने की परियोजना पुनः देन्द्रीय क्षेत्र का दी जाए ताकि इसे प्रभावशाली दण से कार्यान्वित किया जा सके।

### थ्रम कल्याण को परिभ्राष्टा और क्षेत्र (Definition & Scope of Labour Welfare)

विभिन्न समितियों, और सम्मेलनों, अवयोगों द्वारा अम-कल्याण की परिभ्राष्टा और क्षेत्र के विषय में भिन्न-भिन्न विचार दिए हैं।

थ्रम शाही आयोग, 1931 (Royal Commission on Labour, 1931) के अनुसार, "थ्रम कल्याण एक लचीला अवृद्धि है जिसके एक देश से दूसरे देश में अलग अलग अव निवासते हैं। यह विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाज, धौषिणीकरण की माना और धर्मिक का जैशणिक विकास आदि के अनुयाय बदलना रहता है।"<sup>1</sup>

थ्रम कल्याण कार्य के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कृपि जौच समिति (Agricultural Enquiry Committee) ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि अम-कल्याण क्रियाओं के अन्तर्गत धर्मियों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आधिक विकास के कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कार्य चाहे सरकार, नियोक्ता या अन्य संस्थानों द्वारा ही क्यों न किए जाएं। अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम संघ की एकियाई

1 Report of the Royal Commission on Labour, 1931, p. 261.

प्रादेशिक सम्मेलन की छित्रीय रिपोर्ट के अनुमार, “श्रम कल्याण से ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को समझा जाना चाहिए, जो कारखानों के अन्दर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हों ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में अपना काम कर सकें तथा अपने स्वास्थ्य और नैतिक स्तर को ऊचा उठाने वाली सुविधाओं वा लाभ उठा सकें।”<sup>1</sup>

जून, मन् 1956 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलन की 39वीं बैठक के अनुसार निम्नलिखित सेवाओं और सुविधाओं को श्रम कल्याण क्रियाओं के प्रन्तर्भन रखा गया है—

1. सहस्रान् में प्रथमा पास में भोजन की व्यवस्था ।

2. आराम और मनोरन्धन की सुविधाएँ ।

3. जहाँ सार्वजनिक यातायात असमुचित अथवा व्यावहारिक है वहाँ श्रमिकों के आने-जाने के लिए यातायात की सुविधा ।

श्रम कल्याण क्रियाओं के क्षेत्र का सबसे अच्छा विवरण श्रम अनुसंधान समिति, 1946 (Labour Investigation Committee, 1946) द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार, “श्रम कल्याण क्रियाओं में वे सभी क्रियाएँ शामिल की जाती हैं जो श्रमिकों को बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति के लिए की जाती हैं। ये कार्य याहे नियोक्ता, सरकार या अन्य संस्थानों द्वारा किया जाए तथा साधारण अनुबन्ध या विवाद के अन्तर्गत धर्मिकों को जो मिलता चाहिए उसके अन्तर्वाला क्रियाएँ गए हों। इस परिभाषा के अन्तर्गत हम आवारा, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएँ पोपाहार (केष्टीन की व्यवस्था), आराम और मनोरन्धन की सुविधाएँ, सहकारी नियिताएँ, नसंसी और पालने, नफाई की सुविधाएँ, सबेतन दुष्टिगैं, सामाजिक बीमा, ऐच्छिक रूप से प्रथमा मयुक्त रूप से धर्मिकों के साथ में मालिक द्वारा बीमारी और मातृत्व लाभ योजनाएँ, प्रोविडेण्ट फण्ड, चेन्युटी और पेंशन आदि का समावेश कर सकते हैं।”<sup>2</sup>

### श्रम कल्याण कार्य का वर्गीकरण

#### (Classification of Labour Welfare Work)

श्रम कल्याण शब्द का एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। श्रम कल्याण कार्यों को तीन बड़ों में रखा जा सकता है—

1. वैयानिक कल्याण कार्य (Statutory Welfare Work)—वे कल्याण कार्य हैं जो मानिसों द्वारा श्रमिकों को कानूनी सीर पर प्रदान किए जाते हैं। विधान में श्रमिकों के कल्याण हेतु न्यूनतम स्तर निश्चित बर दिए जाते हैं और इनका उल्पन्न करने वाले मालिकों से दण्डित किया जा सकता है। इनमें कार्य की दशाएँ कार्य पट्टे, प्रकाश, मर्जाई और स्वास्थ्य नमूनित विषय भागते हैं।

1. Report II of the I. L. O. Asian Regional Conference, p. 3

2. Report Labour Investigation Committee, p. 345.]

**2 ऐन्डिक्यूल्ट्याए कार्य (Voluntary Welfare Work)**—ये वे कल्याण कार्य हैं जो मानिसों द्वारा स्वेच्छा रा दिए जाते हैं। ये उदारतादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यदि हम इन्हे गहराइ से देखें तो इस प्रकार के कार्यों से न केवल अमरा वो कुशलता में वृद्धि होती है बल्कि मालिक व अधिकारों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित होने से प्रौद्योगिक भगवान् में वर्मी आती है। इस प्रकार के कार्य ऐन्डिक्यूल्ट्याए प्रश्नों जैसे वाई एम सी ए (Y M C A) द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं।

**3 पारस्परिक धर्यवा समुक्त कल्याण कार्य (Mutual Welfare Work)**—ये कल्याण कार्य समुक्त रूप से मालिकों और अधिकों द्वारा किए जाते हैं। इसमें अम संघों द्वारा अम कल्याण हनु किए गए कार्य मानिन किए जाते हैं।

अम कल्याण कार्य का दूसरा वर्गीकरण भी दो बगों में पिभाजित किया जा सकता है—

(i) कारप्प ने के अन्दर प्रदान किए जाने वाले कल्याण कार्य (Intra mural Activities)—इसके प्रत्यक्ष समिनित किए जाते हैं जैसे वीने का पानी, कृटीन, पान के चिकित्सा सुविधा और विद्यामालय आदि।

(ii) कारप्प ने के बाहर के कल्याण कार्य (Extra mural Activities)—ये नारताना के बाहर प्रदान किए जाते हैं और इनके अत्यन्त शैक्षणिक और मनोरञ्जन की सुविधाएँ यत्कूद और चिकित्सा सुविधाओं आदि का समावेश किया जाता है। बीमारी, वरोजगारी, टृटावस्था आदि के समय दो जाने वाली वित्तीय सुविधाएँ भी इसके अन्तर्गत आती हैं।

### अम कल्याण कार्य के उद्देश्य (Aims of Labour Welfare Work)

कल्याणकारी क्रियाओं का उद्देश्य मानवीय, धार्यिक और नागरिक प्राधार माना गया है।<sup>1</sup>

**1 मानवीय प्राधार (Humanitarian Basis)**—अम एक उत्पादन का मानवीय साधन है। अमिन कुछ सुविधाएँ अपने आप प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी नियन आम है। वह नियन है कि इन सुविधाओं की मानवीय प्राधार पर प्रदान किया जाता है।

**2 धार्यिक प्राधार (Economic Basis)**—अम कल्याण क्रियाओं से अभियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अम और पूँजी के बीच मधुर सम्बन्ध होने से प्रौद्योगिक विवाद भी कम हो जाते हैं। धार्यिक उत्पादन से न बेबल मालिक को ही लाभ प्राप्त होता है बल्कि समूचे राष्ट्र और प्रत्येक समाज के बड़ों को भी होता है।

**3 नागरिक प्राधार (Civic Basis)**—अम कल्याण कार्यों से अभियों के चर्चरतादीव और इजजत में वृद्धि होती है। वह अपने आपको एक वस्त्या नागरिक समझने लगता है।

भारत में कल्याण कार्य की आवश्यकता  
(Necessity of Welfare Work in India)

भारतीय धर्मिक किन दशाओं में कार्य करते हैं और उनमें कौनसी विशेषताएं पायी जाती हैं— इन बातों पर विचार करते हुए कल्याण कार्य की आवश्यकता का निम्नलिखित प्राचारों पर अध्ययन किया जा सकता है—

1. भारतीय धर्मिक की कार्य दशाएँ खराब हैं। वहाँ धर्मिकों की कार्य के अन्यि घण्टे, अस्वस्य दातावरण आदि के अन्तर्गत कार्य बरना पड़ता है। इन दशाओं में कार्य करने के पश्चात् धर्मिक अपनी थकान को दूर नहीं कर सकता। वह कई सामाजिक बुराइयों का झिकार बन जाता है। उदाहरणार्थ ज्ञानविदों, जुगालों, वेश्यागमन, अन्य प्रपराध आदि। प्रत इन बुराइयों को तमाम्त करने का एक मात्र साधन धर्म कल्याण कियाएँ प्रदान करना है।

2. धर्म कल्याण कार्य के अन्तर्गत शिक्षा, विकित्सा, खेतवृद्धि, मनोरजन, आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे धर्मिकों व मातिकों के बीच मधुर मन्दनों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। परिणामस्वरूप आद्योगिक जानि की स्थापना की जा सकेगी।

3. विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी त्रियाओं से धर्मिक विभिन्न कारखानों की ओर आकर्षित होंगे। वे हचि लेकर कार्य करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एक स्थायी एवं स्थिर धर्म शक्ति (Permanent & Stable Labour Force) का उदय होगा।

4. अच्छी आवास व्यवस्था, केन्टीन, बीमारी और अन्य लाभों के रूप में कल्याणकारी कार्य करने के फलस्वरूप धर्मिकों की मानसिक दमा में परिवर्तन होगा। वे कारखाने में अपना योगदान समझ सकेंगे। इससे धर्मिकों की अनुपस्थिति, धर्मिक परिवर्तन आदि में कमी होगी और धर्मिकों वी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

5. केन्टीन, मनोरजन, चिकित्सा, भातृत्व और बाल कल्याण सुविधाएँ और ऐक्षणिक सुविधाओं से समाज को कई लाभ प्राप्त होंगे। केन्टीन से धर्मिकों को सहा योर अच्छा भोजन, मनोरजन से रिहबत्वितों, ज्ञानविदों, जुगालों आदि की समाप्ति, बीमारियों की समाप्ति और मानसिक दक्षता तथा आर्थिक उत्पादकता आदि रूपों में सामाजिक लाभ (Social Advantages) प्राप्त होते हैं।

6. हमारे देश ने तो भी आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन का मान्य अपनाया है। प्रत विनियम पचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक सतुर्प्त धर्म शक्ति (Comended Labour Force) का होना आवश्यक है और इसके लिए धर्म कल्याण कार्य की आवश्यकता है।

भारत में कल्याण कार्य  
(Welfare Work in India)

हमारे देश में कल्याण कार्यों पर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ही ध्यान दिया जाने लगा। निमित बस्तुओं की मांग में वृद्धि, कीमतों में निरन्तर वृद्धि, आद्योगिक

देशों में आदास समस्या औरोगिर प्रभावित आदि तत्वों ने सरकार, मालिकों, अमितों और धन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सहाय्याद्वारा का ध्यान प्राप्ति किया। थम कल्याण वायर बरतन का ऐसे मुख्यतः निम्ननिति सहाया को है—

(1) बन्दीय सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) उद्यागवनि या मानिव, (4) अभियन्त्र-संघ, (5) समाज-सेवी सम्पाद तथा, (6) नगरपालिकाएँ।

I देश द्वारा द्वारा दावोदित बल्याएँ कार्य

(Welfare Activities of the Central Govt.)

द्वारे यहायुद्ध तक थम कल्याण ध्यय न भारत सरकार द्वारा यहुत कम काय दिया गया। सन् 1922 में अधिल भारतीय बल्याएँ सम्मलन (All India Welfare Conference, 1922) में कल्याण समस्याओं पर विचार किया तथा देश में कल्याण काय के सम्बन्ध पर अधिक जोर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन के प्रस्ताव के बारण सन् 1926 में कल्याण कार्य के सम्बन्ध में प्राइडे एकत्रित करने हेतु प्रान्तीय सरकारों को प्रादेश दिए गए। द्वितीय महायुद्ध तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् थम कल्याण काय की ओर सरकार ने अधिक ध्यान देता जुहु किया। कोयला और अध्रक खानों में थम कल्याण कोयों की स्थापना तथा प्रमुख उद्योगों में प्रोविडेन्ट फण्ड आदि के मुहु करने से इस ध्यय में कल्याण कायों का प्रोत्साहन मिला। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अमितों की कार्यदशाओं के नियमन और कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई अधिनियम पास किए। सन् 1944 और सन् 1946 में अमेन कोयला और अध्रक खानों में थम कल्याण कोयों की स्थापना की गई जिनके अन्तर्गत मनोरेजन, शिक्षा और निरित्या आदि सुविधाएँ प्रदान हो जाती हैं। कारबाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान थम अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन कमंचारी अधिनियम, 1961, लोहा सान थम बल्गाणा अधिनियम, 1961, आदि के अन्तर्गत केन्टीन, पालनो, विश्वासालय, घोने को सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधा और थम कल्याण प्रधिकारी नियुक्त करना, काय की दशाओं का नियमन आदि प्राप्त्यान हैं। इनके अमितों के कल्याण में वृद्धि होती है तथा उनकी बायंकुशलता बढ़ती है। उपरोक्त सभी कल्याण वायं कार्यान हैं जिनको प्रदान करता प्रत्यक्ष मालिक का दायित्व है।

कल्याण कायों के सम्बन्ध में देशीनक प्रावधानों के अतिरिक्त थम कल्याण कोयों के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योजना का भाग प्रशस्ति किया गया है। इन कायों में प्रशदान स्वैच्छिक प्रावधार पर अमितों, सरकारी अनुदान, अर्यंदण की प्राप्तियाँ, ठेवेशारो स घूट, केन्टीन के लाभ, किनेमाओं से प्राप्त आय आदि में प्राप्त होता है। यह योजना सन् 1946 में बनाई गई। इस प्रकार के कोष कई सरकारी सेवानों में स्थापित कर दिए गए हैं। इनसे आनंदित और बाहु खेल, पुन्नकालय और बाचनालय, रेडियो, शिक्षा और मनोरेजन आदि सुविधाएँ प्रदान की जानी हैं। विभिन्न सेवानों और थम सेवों द्वारा प्रमुखि-कन्द्रों, जालायों और सामाजिक सेवा देन्द्रों को चलाने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं।

भारत सरकार के श्रम कल्याणकारी कार्यों और व्यवस्थाओं का सुन्दर विवरण वापिस सन्दर्भ अन्य 'भारत 1976' में निम्नानुमार दिया गया है—

कारखानों, खानों और बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 1948 के कारखाना अधिनियम, 1952 के खान अधिनियम 1951 के बागान अधिनियम और 1966 के बीड़ी तथा सिंगार कर्मचारी (रोजगार की मित्रियाँ) अधिनियम के अन्तर्गत सुविधाजनक बानावरण बनाए रखने के लिए केंटीन, विद्याम स्वत, छोटे बच्चों की देखभाल की बाड़ियाँ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा और मनोरजन के साथन जैसी मूल-मुविधाएँ जुटाई गई हैं। 1970 के छेत्र मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम के अनुमार ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को भी मुविधाएँ देना ज़रूरी है। जिन कारखानों में 500 या इसमें अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनमें कर्मचारियों की सुख-मुविधाओं की देखभाल के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी आवश्यक है।

खाने—खानों में काम करने वाले श्रमिकों की भलाई के लिए कोयला, अभ्रक, कच्चा सोहा, चूने वा पत्थर और ढोलोमाइट खानों में कल्याण कोष स्थापित किए गए हैं। इन कोयों के लिए घन, कोक और कोयला खानों में भेजे जाने वाले कोयले पर गुलक लगा कर, अभ्रक के निर्वात पर मूल्य चुंगी कर लगा कर, कच्चे सोहे के खनन उद्योगों में उत्पादन पर उपकर लगा कर और लोहा तथा इस्पात, सीमेट और दूसरे कारखानों द्वारा खपन किए जाने वाले चूने के पत्थर और ढोलोमाइट पर गुलक लगा कर इकट्ठा किया जाता है। इन कल्याणकारी कार्यों में श्रमिकों और उनके घायितों के लिए आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरजन मूल्यवान शामिल हैं। इसमें यह भी व्यवस्था है कि दुर्घटना होने पर राहत तथा अन्य लाभ भी दिए जा सकें।

गोदी मजदूर—बम्बई, करकस्ता, कोचीन, वाण्डला, मद्रास, मारकुगोप्ता, विशाखापट्टनम और अन्य बन्दरगाहों पर काम करने वाले गोदी कर्मचारियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य चालू हैं। इनमें मकानों, चिकित्सा बच्चों के स्कूल की फीस वी प्रतिपूर्ति तथा ननोरजन और केंटीन घादि की मुविधाएँ शामिल हैं। कुछ बन्दरगाहों में उचित दर की दुकानें और उपभोक्ता सहकारी समितियाँ भी काम कर रही हैं।

बागान मजदूर—1951 के बागान अन अधिनियम के अन्तर्गत सब बागान मालिन आवासी वर्मचारियों और उनके परिवारों को मकान देते हैं और उनके लिए प्रस्तावन और श्रीपथास्य चलाते हैं। कहीं-कहीं मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। इसी तरह खाय बोडं के अनुदान से कुछ नाय बागानों में बुद्ध उपयोगी दस्तकारियाँ जैसे सिलाई, बुनाई और टोकरी घादि बनाना सिखाया जाता है और ननोरजन की भी मुविधाएँ दी जाती हैं।

सन् 1960 में उन अधिनियम में संशोधन रखने इन बात की रोकथाम की गई कि बागानों के मालिन भरनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ही बागान के भल्ल-भल्ल टुकड़े करके न दिखा सकें।

गोटर परिवहन मजदूर—नन् 1961 के मोटर परिवहन रमंचारी अधिनियम भ. परिवहन रमंचारिया के कल्याण प्रौढ़ उनके काम की गरिमति के नियमन का प्रावधान है। इसमें बंदीने विधान के निः कमरे, बर्दी छुटी आदि देने प्रौढ़ काम के गण्ठ तथ करन की विभिन्न योजनाएँ चालू हैं। इन कानून का परियालन राज्य सरकार करनी है तिस हिस्ते उन्होंने आवश्यक नियम बनाए हैं।

केन्द्रीय अधिकारणों द्वारा कल्याण लिखित—केन्द्रीय अधिकारणों में कल्याण नियमीय मन् 1966 में स्वेच्छा प्राधार पर स्थानित नी गई थी। मजदूरों और कर्मचारियों की सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता गढ़ाई जा रही है। लेकिन इस विषय में एक मत नहीं होने से राई मन्त्रीप्रद वार्ष नहीं किया गया है। बम्बई, उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश जैसे प्रान्तों में विभिन्न खानों में कायरत अभियों हेतु थम कल्याण द्वारा अधिनियम पास किए गए हैं।

## (2) राज्य सरकारों द्वारा किए गए थम कल्याण कार्य

### (Welfare Activities of the State Governments)

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। महाराष्ट्र गुजरात व राजस्थान ने थम कल्याण केन्द्र (Labour Welfare Centres) चलाए जाने हैं। इन थम कल्याण केन्द्रों पर महिला विभाग और पुस्तक विभाग हैं। महिला विभाग में महिला दर्जी तथा महिला सुपरत्वाइजर होती है। महिला दर्जी अभियों की स्थिति को मिलाई समन्वयी कार्य सिवाती है जबकि महिला सुपरत्वाइजर छाटे द्वारे बच्चों तथा महिलाओं द्वारा कार्य करती है। ये अभियों के परिवारों में जाती हैं और इस प्रकार वे क्रियादो के विषय में जानकारी देती हैं। पुस्तक विभाग में गेम्स सुपरत्वाइजर, संगीत शिक्षक, बैद्य या रूप्याड्डर होते हैं। आन्तरिक व बाह्य सेनकूद वाचनालय, पुस्तकालय, विरित्सा सुविवाह, रेडियो, फिल्म दिवाना आदि सुविधाएँ पुस्तक विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनके कारण थम कल्याण निरीक्षण होता है जिसका कार्य सम्बन्धित कल्याण केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों की देखना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश, विहार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य नरकारों ने भी थम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों पर संगीत शिक्षक द्वारा संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। इन केन्द्रों की सभ्या ध्रौष्णीगिक अभियों की सहायता भी तुलना में कम है। इन केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों से सुचारा रूप से चर्चाने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। महिला विभाग के अन्तर्गत महिला दर्जी द्वारा चलाए जाने वाले कार्य में वृद्धि करने हेतु अधिक सिलाई मशीने खरीदनी चाहिए तथा उनकी समय-समय पर मरम्मत भी की जानी चाहिए। अभियों के बच्चों की शिक्षा हेतु भी अधिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन कल्याण केन्द्रों की प्रबन्ध व्यवस्था में अभियों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा केन्द्रों को चलाया जाना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे मालिक भी कल्याण कार्यों न प्रपना योगदान दे सके।

### (3) नियोजकों या मालिकों द्वारा कल्याण कार्य (Welfare Work by Employers)

नियोजकों द्वारा कल्याण कार्य स्वेच्छा से न करके विधान के अन्तर्गत प्रदान किए गए हैं। केण्टीन, पालने, विक्रीगालय स्थान तर घोरों की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ आदि विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं। कल्याण कार्य पर किए गए व्यय को मालिकों ने 'प्रबन्ध' (Wastage) माना है जबकि इस व्ययन से पता चला है कि इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में बढ़ि होती है और इसे अपब्रह्म न मानकर विनियोग (Investment) माना जाता है। अधिकांश उद्योगपति कल्याण कार्यों के प्रति अनुदार भावना रखते हैं। किंतु भी अब प्रगतिशील तरा उदारवादी विचारधारा वाले मालिकों ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अम कल्याण कार्य बिए हैं, जो मुख्यत निम्न प्रकार हैं—

(i) सूती वस्त्र उच्चोग—बन्धव भी सूती वस्त्र मिलों में विकित्सालय, पालने, केण्टीन, अनाज की दुकानों की सुविधाएँ आदि प्रदान की जाती हैं।

नागपुर की एम्प्रेस मिल्स ने इस क्षेत्र में प्रगतीशील दार्य किया है। विकित्सा सुविधाएँ सन्तोषप्रद हैं। एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। बीमारी लाभ कोष की भी स्थापना की गई है।

देहली कलोव एवं जनरल मिल्स में कर्मचारी लाभ कोष ट्रस्ट बना रखा है। यह श्रमिकों और प्रबन्धकों के चुने व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। लम्ही बीमारी, जाड़ी, दाह सहसार और अच्छे विशेषज्ञों के इलाज आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हावर सेकेंडरी, मिडिल तथा तकनीकी पाठशालाएँ चलाई जाती हैं। एक सप्ताहिक बी. एम. गजट भी प्रकाशित किया जाता है।

मद्रास की विकित्सम एवं कर्नाटक मिल्स द्वारा प्रच्छा विकित्सालय चलाया जाता है। महिलाओं को सफाई, वच्चों के पालन-पोषण, रोगों को रोगने आदि का ज्ञान देने हेतु विशेष कक्षाएँ चलाई जाती हैं।

बगलोर में झनो, सूती और रेशम मिल्स द्वारा भी कल्याण कार्यों का प्रच्छा ममन्वय किया गया है। विकित्सालय, प्रमूलि और बाल कल्याण केन्द्र आदि की सन्तोषप्रद सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

यह अधिकांश सूती वस्त्र मिलों में अम कल्याण कार्य सन्तोषप्रद है। किंतु ये इन लार्यों में विभिन्न केन्द्रों पर समानता नहीं पाई जाती है।

(ii) जूट उद्योग (Jute Mill Industry)—इस उद्योग में अम कल्याण कार्य करने वाली एक मात्र मम्या भारतीय जूट मिल्स संघ (Indian Jute Mills Association) है। यह मालिकों ती सहस्र है। इसके द्वारा विभिन्न तेजों में कल्याण केन्द्र चलाए जाते हैं। इसके द्वारा प्रान्तिक व याहू लैन, मनोरजन सुविधाएँ, पुस्तकालय, वाचनालय, प्राचीनिक गारान्टी, श्रमिकों के वच्चों वो ज्ञानरूपिताएँ देना आदि कल्याणकारी दार्य किए जाते हैं।

(iii) इंजीनियरिंग उद्योग (Engineering Industry)—कई मिलों में विकित्सालय, केण्टीन, जैधालिक और मनोरजन सुविधाएँ प्रदान की जाती है। टाटा

आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा 8 चिह्नितानया और अच्छी बाज गज्जा बोने प्रस्ताव पा व्यवस्था की यद है। प्रमूलि और बात बत्याएं केंद्र भी चनाए जाते हैं। इस कम्पनी द्वारा 3 हाई स्कूल 11 मिडिल स्कूल 16 प्राइमरी स्कूल, 9 राति स्कूल और रात्रिशारी तरफी स्कूल चनाए जाते हैं। इस प्रमाण 14 जाति के प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यव रिंग जाते हैं। 12 थम बत्याएं केंद्र चनाए जाते हैं।

बागब गोनी सीमएट चपड़ा रामाभनिल, पदाव तर भादि उचानो भ अस्तान चिह्नितानय शिंगा और मनारान मुसियाँ भादि मारिका द्वारा प्रदान बा जाती है।

(iv) बागान (Plantations)—इस उद्योग मथम बत्याएं कारों हतु बागान भाम व्यविनियम 1951 (Plantations Labour Act of 1951) म प्रावधान रक गए हैं। अभीर बोमारी हतु बागानो म अस्तानो की व्यवस्था है। असम म 19 अस्तान और 6 चिरितान तो न गए ह जहाँ पर बागान अभियो हा इताज रिया जाता है। बत्याएं कारों हतु अनम बागान अभियो हतु अनम चार बागान दमचारी बत्याएं और व्यविनियम 1959 (Assam Tea Plantations Employees Welfare Fund Act of 1959) बास किया गया है। इस कोप बा निमाण राज्य या नेशनल सरकार अनुदान भानियो से प्राप्त दण्ड रामियो एन्ड्रह दान न रा अप्य उचार धन स किया गया है।

शोइरा नाहा और अंड्रा की जाता म राम करने बात अभियो क बत्याएं के लिए थम बत्याएं बाया रा स्पायना की यद है। इन बोगा की सदृष्टता क निमित्ता मुसियाँ आन्तरिक एव रात्य बनकूल मनोरजन बाचनानय पुस्तकानय आनि की मुविधाएं प्रतान दी जाता है।

#### (4) थम सभा द्वारा बत्याएं काय

##### (Labour Welfare by Trade Unions)

भारतीय थम सघो रा बाय अपने सदस्यो क बतन तथा उनकी काय दगाओ म सूधार अनु मारिरा स सघय करने तर ही सीमित रहा है। अभिका ब निय रचनात्मक बाब करन म उनका योगान बन्त कम रहा है। अभिक सघ नियन होन स इस दान म अपना योगान दने म नमव नहा रहे हैं। फिर भी कुछ संख्य थम सघो न अपन सीमित कोपो स थम बत्याएं कारों क दृश्य म अपना महत्वपूर्ण यागदान दिया है।

अहमदाबाद मूती वस्त्र थम सघ (Ahmedabad Textile Labour Association) न बत्याएं काय क क्षय म प्रामनीय काय विया है। यह सघ अपनी आम का 75% बत्याएं कारों पर व्यय करता है। इसके अत्यय 25 केंद्र चनत हैं जहाँ 48 सौंस्कृतिक कायनम बाचनानय पुस्तकानय आर्तिक ब बाह्य लक्ष्य भनोरजन चिवि मा आनि मुविधाएं उपनव्य हैं। सघ द्वारा 9 गिक्का सस्थाएं चनाई जाती हैं जिनम 6 स्कूल 2 अध्ययन भवन तथा 1 भानिका द्यावान है। सघ द्वारा अभिक क बत्या को उच्च शिक्षा हतु द्यावृतियो भी दी जाती हैं। इस सघ द्वारा भजूर संदेश (Majur Sandesh) नाम का पत्र भी नियन जाता है।

कानपुर की मजदूर सभा (Mazdoor Sabha) द्वारा भी श्रमिकों के कल्याण के लिए बाचनालय, पुस्तकालय और चिकित्सालय की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

रेल कर्मचारी सभों ने भी अपने मदम्बो हेनु कलग खोनना, सहकारी समितियों मुकदमे की पैरवी आदि रूप से कल्याणालयों का कार्य किए हैं।

इंदौर की मिल मजदूर यूनियन (Mill Mazdoor Union, Indore) द्वारा एक थम कल्याण केन्द्र चाचारा जाता है। यह केन्द्र नीन पिभानो के अन्तर्गत चाचारा जाना जाता है। बाल मन्दिर और महिला मन्दिर। इन केन्द्रों पर शिक्षा, स्वास्थ्य सिलाई, शारीरिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

अधिकांश श्रमिकों के सगड़न ने थम कल्याण कार्य ने अधिक रुचि नहीं ली है। इसका सबसे प्रमुख कारण दितीय कठिनाई का होना है।

### (5) समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कल्याण कार्य

(Welfare Work by Social Service Agencies)

कुछ समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी थम कल्याण कार्य के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन संस्थाओं में 'वम्बई समाज सेवी लीग' 'सेवा सदन समिति' 'वम्बई प्रेसीडेन्सी महिला मण्डल,' 'चाई एम. सी. ए.' आदि प्रमुख हैं। वम्बई की समाज सेवा लोग द्वारा राजिकालीन शिक्षण संस्थाएँ चलाई जाती हैं। इससे श्रमिकों में शिक्षा का प्रभार होगा। पुस्तकालय बाचनालय, स्कार्डिंग मनोरजन व बेलकूद की व्यवस्था, सहकारी समितियों की स्थापना आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। पूना और वम्बई जौ सेवा सदन समितियों द्वारा बाल व महिलाओं की सामाजिक, जैनिक और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सामाजिक कार्य-कर्ताओं को तैयार करने का कार्य भी करती हैं। परिवर्म बगान ने महिला समितियों द्वारा गांव-गांव में जाफर शिक्षा प्रसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार थम कल्याण कार्यों के लिए ने इन सामाजिक सेवा संस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा है। इनके प्रचार, प्रतार, और प्रोत्याहन के कारण हमारे देश में धरित्व कल्याण कार्य के द्वेष में कई रुकून बनाए जा सके हैं।

### (6) नगरपालिकाओं द्वारा थम कल्याण कार्य

(Labour Welfare Work by Municipalities)

नगर नियमों और नगरपालिकाओं द्वारा भी थम कल्याण कार्य के लिए ने अपना योगदान दिया गया है। वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, मद्रास और पश्चिम नगर के नगर नियमों द्वारा महाकारी साल समितियों की व्यवस्था की गई है। वम्बई नगर नियम द्वारा एक अलग भेद कल्याण विभाग (Welfare Department) चलाया जाता है। कानपुर द अंडमार में नगर नियमों द्वारा प्रायोगिक जाताएँ चलाई जाती हैं। कलकत्ता नगर नियम द्वारा रात्रि शालाएँ, जिजु सालन तथा केष्टीन आदि चलाने की व्यवस्था है। दिल्ली और तामिलनाडु में प्रोड शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

इस नगरपालिकाओं में प्रोविडेन्ट पष्ठ याजना भी चलाई जाती है। बम्बई की शोधांगिक वर्सिटी ने हाँ चाल रहा जाता है, यहाँ श्रमिकों हृतु आन्तरिक तथा वाहु सरो वाचनालयों तथा मनारजन सुविधाओं का प्रबन्ध रिया जाता है।

### थ्रम पत्त्याखण काय के विभिन्न पहलू

#### (Various Aspects of Labour Welfare Work)

थ्रम पत्त्याखण वाय के पहलू उद्याग की प्रश्ना, उसकी स्थिति, काम में प्रगति एव समर्थन के द्वन और उसके परिणाम पर निनर करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण थ्रम के वाय के पहलू नीच दिए गए हैं—

**1. कष्टीन (Canteens)—** इसी भी शोधांगिक सम्प्रदान में कन्टीन के द्वन दो हीकार किया गया है। इसका सम्प्रदान के श्रमिकों के स्वास्थ्य, कुशलता और कल्याण पर प्रभाव पड़ना है। इसका उद्देश्य स्वस्था और पोषणारम्भ भाजन सुवर्न कराना है। इसम श्रमिक एक दूसरे के अधिक निकट आत है और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

इसी भी सम्प्रदान में कन्टीन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसम प्रयोग्य बहुत हा साफ सुखरी जगह हो और प्रस्त्रे वातावरण में कारखान में इस स्थापिन किया जाए। यह न लाभ न हानि, (No Profit No Loss) के आधार पर खाद्यादा जाना चाहिए। प्रबन्धनों द्वारा इस प्रतुक्षान दिया जाना चाहिए। टाटा आवरन एंड स्टील कम्पनी, दो मी एम लिवर आदस आदि द्वारा बहुत ही सुन्दर कष्टीन सुविधाएँ प्रदान की हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 स्थान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 250 या इससे अधिक श्रमिक हानि पर कारखाने तथा स्थानों में मालिक द्वारा केन्टीन की व्यवस्था करनी पड़ती है। बागान थ्रम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 150 या इससे अधिक श्रमिक होने पर कष्टीन की व्यवस्था करना आवश्यक है।

**2. पालने (Crickets)—** छाटे बच्चों के लिए पालनों की व्यवस्था बरना आवश्यक है। व्याविक महिला श्रमिक वाय करती रहती हैं तथा बच्चों को मिट्टी आदि स्थान गन्दे हान आदि स वचान के लिए इसकी व्यवस्था आवश्यक है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कानून द्वारा पालनों की व्यवस्था हृतु कानून बनाने का निर्देश दिया है। कारखानों ने जहाँ 50 या इससे अधिक महिला श्रमिक वाय करती हैं वहाँ पर पालनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थान अधिनियम व बागान अधिनियम में भी पालने की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

थ्रम अनुसधान समिति, 1946 ने कहा था कि अधिकांश कारखानों में पालनों की स्थिति असन्तोषजनक है। वाय के स्थान से यह व्यवस्था दूसरे कोने पर की जाती है जहाँ पर उनकी दखलमाल के लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया जाता है और त ही बच्चों वो खलने के लिए खिलौन आदि की व्यवस्था की जाती है।

पालने की अच्छी व्यवस्था होने पर बच्चे की भर्ती अपने बच्चे की सुरक्षा और भारतम से हचि लेकर काय करती है जिससे उसकी कार्य-कुशलता बढ़ती है। मदुरा

मिल्स, बॉकिंगम और कनाटक मिल्स तथा डी सी एम में पालनों की व्यवस्था सन्तोषप्रद है।

**3. मनोरंजन सुविधाएँ (Recreational Facilities)**—थ्रम अनुसन्धान समिति (Labour Investigation Committee) ने मनोरंजन सुविधाओं पर जोर दिया है। सारे दिन का थका हुआ थ्रमिक कार्य को थकावट, नीरसता आदि को दूर स्वयं के साधनों से नहीं कर सकता। इस थकावट, नीरसता आदि को दूर करने हेतु नाटक, बाद-विवाद, सिनेमा, रेडियो, समीत, बाचतालय, पुस्तकालय व पार्क आदि की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। मनोरंजन की सुविधाओं के घभाव में थ्रमिक कई सामाजिक बुराइयों (Social Vices) उदाहरणार्थ—शराबखोरी, जुआखोरी, वेश्यागमन आदि का शिकार बन जाता है। मनोरंजन सुविधाओं की ओर मालिकों व सरकारों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। थ्रम अनुसन्धान समिति ने सुभाव दिया है कि मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान करना मालिकों का ऐच्छिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक दायित्व नहीं होना चाहिए।

**4. चिकित्सा सुविधाएँ (Medical Facilities)**—थ्रमिकों की कार्यकुशलता पर उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। बीमारी और सराव स्वास्थ्य के कारण थ्रमिकों में अनुपस्थिति, थ्रमिक परिवर्तन, थ्रम प्रवासिता तथा ग्रीवोगिक अकुशलता तथा अशान्ति की प्रोत्साहन मिलता है।

समूचे देश में ही चिकित्सा सुविधाएँ असमुचित तथा अपर्याप्त है। मालिकों द्वारा प्रदान की गई ये सुविधाएँ भी असन्तोषजनक हैं। थ्रम अनुसन्धान समिति ने कहा है कि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का प्रमुख दायित्व सरकार का है, फिर भी इन सुविधाओं हेतु मालिकों और थ्रमिकों का सहयोग भी अपेक्षित है।

कारखाना अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत कुछ राज्यों में चिकित्सा सुविधाओं की देखरेख हेतु चिकित्सा नियोक्ति की गई है।

**5. धोने और नहाने की सुविधाएँ (Washing & Bathing Facilities)**—कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कपड़े धोने तथा गन्दे हाथ पर धोने तथा नहाने की पूर्ण व्यवस्था का प्रावधान है। थ्रमिकों को अपने गन्दे कपड़े धोकर मुजाने तथा टॉकिने की व्यवस्था भी की गई है। कारखाना अधिनियम के अतिरिक्त घान अधिनियम, मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम, बांगान थ्रम अधिनियम, आदि के अन्तर्गत धोने और नहाने की सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं।

**6. शिक्षणिक सुविधाएँ (Educational Facilities)**—थ्रमिकों में शिक्षा कई बुराइयों की जननी है। यह: थ्रमिकों में शिक्षा का प्रसार करना और इसको सुविधाएँ प्रदान करना। प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता है। शिक्षा से थ्रमिकों की मानसिक दबना और आर्थिक उत्पादकता में त्रृदि होनी है। ग्रीवोगिक विकास के कारण तो व्र मति से उत्पादन के विभिन्न तरीकों में परिवर्तन हो रहा है। इसमें वही थ्रमिक अधिक मानव हो सकता है जिसमें कुनौता प्राप्त करने

की क्षमता है। यह प्रनुसारान समिति (Labour Investigation Committee) ने शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों पर जिम्मेदारी ढाली है। यही कारण है कि सन् 1958 में अधिकारी की शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय मण्डल (Central Board for Workers Education) की स्थापना की गई। इस बोर्ड के माध्यम से अधिकों की शिक्षा की दिशा में एक महसूलपूर्ण कदम लिया गया है। इस बोर्ड के अन्तर्गत सरकार द्वारा शिक्षा अधिकारियों (Education Officers) की नियुक्ति की जाती है। यह शिक्षा अधिकारी प्रादेशिक वार्ड्स में चुने हुए अधिकों द्वारा कानून तथा पन्थ विषयों पर शिक्षा देते हैं। उन्हें अधिकों का अध्यापक (Workers Teachers') कहा जाता है। यह बाद में अपने संस्थानों में वापिस आकर अधिकों में शिक्षा के प्रसार का कार्य करते हैं।

उपरोक्त अम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलुओं का सम्बन्ध बनाने पर हम पह निष्पर्य निकालते हैं कि इन विभिन्न पहलुओं को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने पर अधिकों की कार्य-कुशलता पर प्रभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन पर जा व्यव लिया जाता है वह प्रपञ्च न होकर विनियोग माना जाता है क्योंकि इससे अधिक के स्वास्थ्य, नार्य-कुशलता तथा जीवन-स्तर पर प्रभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है। इन सब लाभों को ध्यान में रखते हुए सरकार, मालिकों, अम संघों तथा समाज सेवी संस्थाओं का यह दायित्व हो जाता है कि वे समुक्त रूप से मिलकर इन विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करें। सरकार को न्यूनतम स्तर निर्धारित करके उनके प्रभावपूर्ण किशोन्वयन हेतु महीनी को मुद्रक करना चाहिए। मालिकों को इस दैषानिक दायित्व को पूरी तरह निभाना चाहिए। मालिकों द्वारा इस दिशा में एक उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा को अपनाना होगा। उन्हें इस व्यव को प्रपञ्च न समझकर विवेकपूर्ण विनियोग (Rationale Investment) समझना चाहिए क्योंकि इससे अधिकों की कार्य-कुशलता बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप उसके लाभ में वृद्धि होती है।

अम कल्याण कार्य को सरकार, मालिक और अम संघों द्वारा एक समुक्त उत्तरदायित्व (Joint Responsibility) समझना चाहिए। कोई भी ग्रेफेला पक्ष इस कार्य को सकलतापूर्वक नहीं कर सकता है क्योंकि इस पर वित्तीय लाभत अधिक पाती है, जिसे ग्रेफेला पक्ष वहन नहीं कर सकता है।

हमारे देश में अम कल्याण कार्य के क्षेत्र में अच्छी शुरूआत कर दी गई है। किंतु भी इन कार्यों के मार्ग में कई वाधाएँ आती हैं जैसे अधिकों की प्रवासिता की विशेषता, अम संघों में प्रभावपूर्ण संगठन की कमी, अम संघों के पास होयों की कमी, अधिकों वी अधिकारी तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक दशाएँ जो वर्तमान समय में हमारे देश में हैं। जेकिन इन कार्यों के बावजूद भी सभी पक्षों-सरकार, अम संघों और मालिकों को समुक्त रूप से मिलकर यह करना चाहिए। इसे एक मुनियोजित योजना बनाकर तेजी से लागू किया जाना चाहिए, सकलता अवश्य मिलेगी।

## Appendix—1

### अभिन्नक्रों के कल्याण और रहन-सहन की दृष्टा

कोयला, अब्रक, लोह अवस्क, चूना पत्थर और डोकोमाइट जानो में नियोजित थमिकों को कल्याण मुविधाएँ प्रदान करने के लिए नियोजको और राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुशृण्ख करने के लिए कल्याण निधियों स्थापित की गई हैं। कोयला खान और अब्रक खान थमिक कल्याण निधियों लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी, जबकि लोह अवस्क खान थमिक कल्याण निधि सन् 1963 में और चूना पत्थर तथा डोकोमाइट थमिक कल्याण निधि दिसम्बर, 1973 में स्थापित की गई थी। कल्याण सगठन, जो कि अपनी-अपनी निधियों की व्यवस्था करते हैं, उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, देश के हर भाग में रहने वाले लोगों और उनके आधिकों के रहन-सहन की दशाओं को सुधारने का काम कर रहे हैं। इन कल्याण सगठनों के मायने-क्षापों का विस्तृत विवरण भारत सरकार के थम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सन् 1976-77 में है जिसका संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है—

#### I. कोयला खानों में कल्याण-कार्य

कोयला खान थमिक कल्याण सम्बन्धीय कार्य-कलापों के लिए बन की व्यवस्था, कोयला खानों से भेजे गए कोयले और कोर पर 17 जनवरी, 1973 से 75 प्रति भीटरी टन की दर से उपकर लगाकर, को जानी है। उपकर से प्राप्त घन-राशि को दो लेखों पर्याप्त सामान्य कल्याण लेखे और आवाम सेवे में 17 फरवरी, 1973 से 3.2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। मोटे तौर पर सामान्य कल्याण कार्य जैसे जलपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरजन के लिए धन की व्यवस्था सामान्य कल्याण खाते में से की जाती है और कोयला खान थमिकों के आवास के लिए धन की व्यवस्था प्रावास खाते में से की जानी है। इस निधि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा विधायी सत्राहनार समिति के माध्यम से की जाती है। स्थानीय स्तर पर विधायी कोयला-क्षेत्र उप-समिति इस समिति की सहायता करती है।

सामान्य कल्याण खाते में वर्ष 1975-76 में निधि की प्राय और व्यव अवगत: 561.38 लाख २५ पये (अन्तिम) और 335.58 लाख ४५ पये (अन्तिम) थे। इसकी तुलना में वर्ष 1976-77 के लिए निधि की मनुमानित प्राय और व्यव क्रमशः 391.35 लाख ४५ पये और 383.50 लाख ४५ पये है।

## II अभ्रक साना म कल्पाण काय

अभ्रक सान थम कल्पाण निवि अधिनियम 1946 म जिसके प्रन्तगत अभ्रक सान थमिर कल्पाण सस्ता का गठन किया गया या भारत स नियान किए जाने वान सारे अभ्रक पर उपकर भूल्य के अनुसार 6½% की अधिकतम दर तर सीमा शुल्क के रूप म उपकर नगाने को व्यवस्था है। उपकर की बनान दर जो कि मूल्य के अनुगार 2½% थी 15 जुनाई 1974 स बढ़ाकर 3½% कर दी गई है। वसूल किया गया उपकर अभ्रक का उत्पादन करन वान आव्र प्रदेश विहार और राजस्थान के राज्य म कल्पाण कर्मो की व्यवस्था करन के लिए अवधित किया जाता है। इन तीनो क्षेत्रो अर्वात् प्रा घ प्रदेश विहार और राजस्थान के प्र पर क्षेत्र म निवि का प्रशासन एक त्रिप्रीय सताहसार मिति द्वारा किया जाता है जिसे अध्या त सम्बंधित राज्य के थम मात्री होत हैं। त्रिप्रीय सताहसार बोड इन तीनो नेशो म निवि के काय-कलापो स्थी पुनरी तथा समावद करता है।

15 अक्टूबर 1976 बोहुदी क-द्रीय सताहसार बोड की प्राठी बठक म लिए गए नियण्य के अनुसार उपकर का मूल्य के अनुसार 3½% स बढ़ाकर 5% करने के प्रश्न पर विचार करने के रिए थम मत्तात्य के वित्तीय सताहसार की अध्यात्मा म एक त्रिप्रीय उप-समिति का गठन किया गया है।

सन् 1976-77 के दोरान निवि की अनुमानित आय और व्यय क्रमशः 60 नाल और 61 92 नाल है। सन् 1975-76 के दोरान अनुमानित आव्र और व्यय क्रमशः 50 नाल और 60 45 नाल हरए हैं।

## III नोहा अयस्क साना म कल्पाण-काय

नोहा अयस्क सान थमिक कल्पाण सम्भा नोहा अयस्क सान थम कल्पाण उपकर अधिनियम 1961 के प्रबोन स्वापित की गई थी जिसमे उत्तापित नोहा अयस्क पर 50 पसे प्रति मीटरी टन स अनाधिक दर से उपकर नगाने की व्यवस्था है। तथापि उपकर की वास्तविक तर 25 पसे प्रति मीटरी टन थी। नोहा अयस्क सान थम कल्पाण उपकर (सताधन) अधिनियम 1970 जिसम नोहा अयस्क पर उपकर वसूल करन की वताना पढ़ति म परिवर्तन भी व्यवस्था की गई है। पहली अक्टूबर 1974 स लागू हुए। समोनी अधिनियम के अधीन किसी भी सान मे उत्तापित सारे नोहा प्रदक्ष पर उपकर लगाने और उत्ताधन सानो द्वारा उपकर भुगतान किए जाने की बजाय उपकर सीमा शुल्क के रूप म (जहाँ नोहा अयस्क का निर्यात होता है) और उत्ताधन शुल्क के रूप म (जहाँ उपकर उपयोग देन के अदर ही होता है) लगाया जाना है। पहली अक्टूबर 1974 से वसूल की गई रकम पर निगरानी रखने के रिए क-द्रीय उपकर आयुक्त का एक रायानिय नई दिनी म स्थापित किया गया है।

सन् 1976-77 के दोरान निवि की अनुमानित आय तथा व्यय क्रमशः 350 नाल हरए और 214 06 नाल हरए हैं। सन् 1975-76 के दोरान निवि

की अनुमानित आय तथा व्यय रुपय 88 25 लाख रुपए और 132 21 लाव रुपए थी।

यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्त्र प्रदेश विहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक उडीसा और गोवा, दमन व दीव के मध्य राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विधीय सलाहकार समितियों के माध्यम से लाए किया जाना है। राजस्थान ही एकमात्र ऐसा लोहा अपरस्क उत्पादक राज्य है जिसमें लोहा प्रयोग का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण किसी भी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। लोहा अपरस्क खान श्रमिकों के लिए कल्याण युविमानों की व्यवस्था करने हेतु ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय कल्याण संस्थानों के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए एक विधीय केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना की गई है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की दसवीं बैठक 16 अगस्त 1976 को हुई। बोर्ड द्वारा पहले की गई सिफारिजों पर फरवरी, 1969 में प्रोटोटाइप स्कीम विकास समिति स्थापित की गई थी, ताकि वह लोहा अपरस्क खनन क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने हेतु प्रोटोटाइप स्कीमों की सिफारिश करे और लोहा अपरस्क खनन क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में लागतों, आर्थिक सहायताओं और किरायों की उच्चतम सीमा के बारे में सुझाव दे। उस समिति द्वारा सिफारिश की गई 18 योजनाओं में से 16 योजनाएँ सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा 2 योजनाएँ छोड़ दी गई हैं। इसके अलावा 7 और योजनाएँ स्वीकार कर ली गई हैं।

#### IV. चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में कल्याण-कार्य

चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम क्षेत्रालय निधि अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाए गए नियम पहली दिनांक, 1973 से लागू हुए। इस अधिनियम में ऐसे चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर लगाने और बनूल करने की व्यवस्था है जिसका उपयोग लोहा और इस्पान गवच तथा सीमेण्ट और प्रब्ल कारखाने करते हैं। प्रारम्भ में उपकर की दर चूना-पत्थर और डोलोमाइट के प्रति मीटरो टन के लिए 20 पैसे निर्धारित की गई है। अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की लागू करने के लिए देश की पांच क्षेत्रों में बौद्धि गया है, जिनके मुख्यालय जबलपुर (मध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (उडीसा), कर्मा (विहार), भीलबाड़ा (राजस्थान) तथा बगलौर (कर्नाटक) में हैं और इनके कार्यालयों का कार्य कुछ बतेनान खान कल्याण आयुक्तों, उप खान कल्याण आयुक्तों और राज्यों के थमायुक्तों को सौंप गया है। प्रत्येक क्षेत्र की एक श्रेत्रीय सलाहकार समिति होगी, जिसमें सरकार, चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खानों वे मानिकों और इन खानों में नियोजित व्यक्तियों वा प्रतिनिधित्व करने वाले समान तदम्य शामिल होंगे, जिसमें एक महिला सदस्य भी होगी। केन्द्र में एक केन्द्रीय सलाहकार नियमित होगी।

वर्ष 1976-77 के दौरान निधि की अनुमानित आय और व्यय क्रमशः 75 लाख रुपए और 46 33 लाख रुपए है। वर्ष 1975-76 के दौरान वास्तविक आय और व्यय क्रमशः 60 लाख रुपए और 15 13 लाख रुपए हुआ।

## V बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

बीड़ी बर्मकार बल्याण निधि प्रधिनियम, 1976, बीड़ी बर्मकार बल्याण उपकर प्रधिनियम, 1976 प्रोटोकॉल बल्याण उपकर प्रधिनियम, 1976 में घटीन बनाए गए नियम 15 फरवरी, 1977 को साथ हुए। बीड़ी बर्मकार बल्याण निधि प्रधिनियम, 1976 के प्रत्यंगत नियम बनाए जा रहे हैं प्रोटोकॉल नियमों को यथावृद्ध लागू किया जाएगा।

बीड़ी के उत्पादन के सम्बन्ध में गोदाम से किसी व्यक्ति को, किसी प्रयोजन के लिए, दिए गए तस्वारू पर 25 पैसे प्रति किलो याम वी दर से उपकर लगाने और एकन करने के लिए बीड़ी बर्मकार बल्याण उपकर प्रधिनियम, 1976 में व्यवस्था है। यह भनुमत लगाया गया है कि हर वर्ष लगभग 182 करोड़ रुपए उपकर बमूल होगा। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग बीड़ी श्रमिकों के बल्याण संघ उनको चिकित्सा, भावास, शिक्षा और भनोरजन सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए किया जाएगा।

---

## Appendix—2

### सुरक्षा और काम-काज की वृद्धि<sup>1</sup>

#### (क) खानों ने सुरक्षा

खान सुरक्षा महानिदेशालय को खान अधिनियम, 1952 के उत्तराधीन को पानु करने का कार्य सौना गया है। यह अधिनियम खानों में सुरक्षा और काम-काज की दग्धाओं को विनियमित करता है। यह निदेशालय को खानों के सम्बन्ध में खान अधिनियम, 1952 के प्रधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, खान व्यावसायिक प्रणिक्षण नियमों और खान बचाव नियमों तथा गैर कोपला खानों के सम्बन्ध में खान विज्ञु कक्ष नियमों और खान प्रमूली प्रमुदिया नियमों को भी लानु करता है। इस महानिदेशालय के अधिकारियों को जिन्हे खान अधिनियम, 1952 के अधीन खान नियमों के रूप में नियुक्त किया जाता है, कोपनार खान (सरठण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन नियमण तथा भराई के कारों के सम्बन्ध में और भूमि घर्वन (खान) अधिनियम के अधीन रेलवे के नीचे खनन कारों पर प्रतिवर्वद लगाने के सम्बन्ध में भी कुछ उत्तरदापित्व दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि खान सुरक्षा संबंधी घरेलाग्नों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है, इस निदेशालय के अधिकारी खानों का नियमित रूप से नियमण करते रहते हैं। वे सभी घारक दुर्घटनाग्नों, गभीर और दोटी दुर्घटनाग्नों तथा स्तरनाक पटनाग्नों को भी जीव हरते हैं जिनमें जान हानि नहीं हुई होती। इन जीवों से दुर्घटनाग्नों के कारणों और उनके तिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने तथा इस प्रकार की दुर्घटनाग्नों की प्राप्ति को रोकने के लिए मावस्यक उपचारों उपाय बताने का दोहरा प्रयोजन है।

खान अधिनियम, 1952 में अन्य खानों के साथ-साथ खान के प्रबन्धकों द्वारा प्रत्येक घारक और गभीर दुर्घटना तथा विनियमों में दी गई स्तरनाक पटनाग्नों की सत्कात सूचना देने की व्यवस्था है।

वर्तमान खानों में बाड़ के क्षेत्रों और खतरों (या तो उनी खान में या साथ की खानों ने जलाकात क्षेत्रों से तथा जलाशयों और भूमि की सतह के ऊपरी

1. यह सम्बालपुर की वारिष्ठ रिपोर्ट 1976-77 मध्ये।

ओर भीतरी जल मार्गों से) पता लगाने के लिए 1976 में एक विशेष अभियान चलाया गया। इन प्रक्रिया में, जनाकात क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में यनत कार्य के लिए सभी पुराने अनुज्ञा पत्रों तथा भारत में उन सभी कोयला खानों में, जिनमें बाड़ हान की समाधान का खतरा है, बाड़ के घटरे से बचने के लिए निर्धारित जिए गए वस्तमान एहतियाती उपायों का पुनरोक्तण किया गया। जहाँ वही आवश्यक नमस्ता गया अनिवार्य एहतियाती उपाय जिए गए।

खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 के उपबन्धों के अधीन सभी नए थे मकानों का काम पर नियोजित बरने से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का प्रारम्भिक प्राप्ति क्षमता प्राप्त करना पड़ता है और उन सभी अभियोगों को जो पहले से काम पर नहीं हैं भवय समय पर पौन वर्षों में कम में कम एक बार पुनरुत्थाया प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। इन नियमों के अधीन, खान अभियोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को एक अभिक व्यार्थक्रम के रूप में घारम किया गया। यह व्यार्थक्रम प्रारम्भ में भरिया और रानीयज कोयला क्षेत्रों की कायला खानों में शुरू किया गया और बाद में अन्य कोयला तथा गैर कोयला खानों में भाग्य किया गया। इन नियमों में अभियोगों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कन्द्र स्थापित करने की परिवर्त्यना की गई है। दिसम्बर 1976 के घन्त तक कोयला खाना में 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण कन्द्र और गैर-कोयला खाना में 104 केन्द्र विद्यमान थे।

कोयला खान विनियम 1957 में खान मंत्रेजरो, सर्वेक्षको, ओवररेंनो, सरदारो, गाट फायररो आदि का योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है, ताकि यह मुनिषिवत कराया जा सके कि इन पत्रों पर बैचल अहंता प्राप्त व्यक्तियों का ही नियुक्त किया जाना है।

खाना में सुरक्षा तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा खानों में व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर मासिक बैठकें आयोजित हो जाती हैं। खानों में सुरक्षा के लक्ष्य वीं प्राप्ति में की गई प्रगति का पता रखाने के लिए प्रत्यक बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुबर्ती कायबाई की जाती है और बाद में आगामी बैठक में उनसी पुनरीक्षा की जाती है। ये बैठकें सामजिक सुरक्षा और सद्भावना तथा वातावरण पैदा करने के अतिरिक्त कानून के प्रवर्तन के प्रेरणा पहले के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

कोयला खान वचाव नियम, 1959 के अधीन विभिन्न कायला क्षेत्रों में वचाव देने की स्थापित किए गए हैं। ये वचाव देने का भूमि के नीचे वचाव और रिक्वरी कार्य में प्रशिक्षण करते रहे, वचाव यतों तथा अन्य उपस्तरों का अनुरक्षण करते रहे खानों में वचाव तथा रिक्वरी कार्य करते रहे और खाना में कोई विष्टाट होने या आग उगने या जहरीली या जलनशील गैसों के निपास की सुरक्षा में खतरा जो कम करने के लिए सभी व्यवहार कदम उठाते रहे।

#### (ख) कारखानों में सुरक्षा

कारखाना अधिनियम 1948 में कारखाना में काम करने वाले अभियोगों

मुरक्खा सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की गई है। ये उपबन्ध मणीनरी की फैसिंग, नई मणीनों की केसिंग होइस्ट लिपट, केन, चेन और प्रैशर प्लाट जैसे उपकरणों और सदतों के परीक्षण और निरीक्षण, श्रमिकों को मुरक्खा उपकरण देने खतरनाक पश्चात् और भाग की स्थिति आदि से बचाव के पूर्वोपायों के बारे में है। इस अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में किशोर व्यक्तियों को खतरनाक मणीनों पर संगाया जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा ऐसी जगह महिलाओं और बच्चों को काटन फ्रैंसिंग के लिए नियोजित करने पर रोक लगाई गई है जहाँ 'काटन ओपनर' कार्य कर रहा हो। यह अधिनियम राज्य सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के मुरक्खा सम्बन्धी उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकारों को पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों द्वारा उठाए या ढोए जाने वाले अधिकतम भार की सीमा निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया है। उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम राज्य सरकारों द्वारा कारखाना निरीक्षकों के माध्यम से लागू किए जाते हैं।

कारखाना सलाह सेवा और श्रम-विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय, जो सारे देश में कारखाना अधिनियम के कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी है, मौद्रिक नियम बनाता है और जब कभी आवश्यक होता है, तब राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से परामर्श करके कारखाना अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है। यह सगठन सरकार, उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों को मुरक्खा, स्वास्थ्य और श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित मामलों में परामर्श देता है और (1) कारखाना अधिनियम के कार्यान्वयन, (2) कारखाना निरीक्षकों के प्रशिक्षण, (3) गोदोगिक स्वास्थ्य तथा परिवेशी समस्याओं, जिनमें कारखानों में स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे शामिल हैं, और (4) विभिन्न राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने सम्बन्धी प्रश्नों पर कायेंबाही करता है।

#### (ग) पत्तनों और गोदियों में मुरक्खा

भारतीय डाक श्रमिक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियम, सभी मुख्य पत्तनों में जहाजों में माल लादने और जहाजों से माल उतारने के काम में नियोजित श्रमिकों की दुर्घटना से मुरक्खा से समन्वित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के अभिसमय संघ 32 (संशोधित) को लागू करते हैं। इसके अतिरिक्त, डाक कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम, 1948 के अधीन बनाई गई गोदी श्रमिक (मुरक्खा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 में सभी गोदी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों की व्यवस्था है और उन श्रमिकों के लिए मुरक्खा उपायों की व्यवस्था है जो भारतीय डाक श्रमिक विनियम, 1948 के मन्तर्गत नहीं आते। यह योजना सभी मुख्य पत्तनों में लागू रही।

वर्ष 1976-77 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के मुख्य पत्तनों में गोदी मुरक्खा के बरिए निरीक्षकों द्वारा देश-रेस में गोदी मुरक्खा निरीक्षणालयों ने काम

करना जारी रखा। ये अधिकारी प्रयत्न-प्रयत्ने देशों में धन्य मुहर पत्तनों में निरीक्षालयों पर भी नियन्त्रण रखते हैं।

#### (घ) ठेका थमिकों का कल्याण और सेवा की शर्तें

ठेका धम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 का उद्देश्य इसी भी प्रतिष्ठान में ऐसी प्रतिष्ठा, सक्रिया या इसी धन्य कार्य के सम्बन्ध में ठेका थम पढ़ति वा उन्मूलन करना है, जो अधिनियम में निर्धारित करिपय मापदण्डों वा ध्यान में रखते हुए समर्त सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। वहाँ वही ऐसे धम का उन्मूलन करना सम्भव नहीं होता, वही यह मन्त्रदूरी वा मुग्नान मुनिशिचित कराकर और मावश्यक नुविधाएँ प्रदान करके ठेका थमिकों की सेवाशर्तों वो विनियमित भी करता है।

केन्द्रीय ठेका धम सलाहकार बोर्ड 30 मार्च 1971 को स्वाप्ति दिया गया। इसका गठन केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न ऐसे मामलों में सलाह देने के लिए दिया गया जो अधिनियम के प्रयोग इसे भेजे जाएं।



## Appendix—3

### आवास व शहरी विकास निगम द्वारा कन्त्र<sup>1</sup> लागत के मकानों का निर्माण।

प्रावास एवं शहरी विकास निगम ने आगरा में कम लागत का एक छोटा मकान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस मकान की लागत कुल 4100 रु. है (इसमें भूमि और विकास की लागत नहीं है)। निगम ने अब ऐसी तीन परियोजनाएँ—गाजियाबाद, बम्बई और हैदराबाद में चालू की हैं। प्रत्येक शहर में क्रमशः 280, 510 और 155 मकान बनाए जाएंगे।

निगम की इन परियोजनाओं के अन्तर्यात बनने वाले प्रत्येक मकान में एक कमरा, रसोई, शोचालय और स्नानघर होगा। गाजियाबाद में ऐसे मकान की लागत 5000 रु., बम्बई में 7000 रु. और हैदराबाद में 4500 रु. होगी। गाजियाबाद और हैदराबाद में मकानों के पास स्वतन्त्र प्लाट खाली है और इनका चारों तरफ विस्तार भी किया जा सकता है। बम्बई में दो मन्जिलें मकान बनाए जाएंगे। बम्बई में ऐसा पहला अवसर है जब अच्छे बातावरण ने मकान की लागत 7000 रु. होगी।

इन तीनों परियोजनाओं पर हाल ही में काम जुरू हुआ है और सम्बन्धित मार्च, 1979 तक मकान तैयार हो जाएंगे।

निगम द्वारा इन मकानों की कीमतों में और भी कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र आवास बोर्ड और यांग्ने प्रदेश श्रीयोगिक निगम के सहयोग से पूरा किया जा रहा है।

1. भारत सरकार द्वारा विज्ञाप्ति, दिनांक 6 जनवरी 1978.

## Appendix—4

### नहीं आवास नीति

थो सिर्कन्दर बहत (निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री,  
भारत सरकार)

---

आयाम, न केवल मनुष्य की तीन पायारभून आवश्यकताओं म से एक है बल्कि यह एक आधिक गतिविधि भी है जिसका सहायक क्षेत्रों म आय और रोजगार पैदा करने पर गुणात्मक प्रभाव पढ़ना है। आपक इष्टि ये देखें तो आवास से न केवल मनुष्य की प्राहृतिक विपदाओं मे रखा होती है और उसे एकान्त मिलता है बल्कि सभी प्रकार से प्रच्छे रहन-शहन के लिए एक अच्छी मानव वस्ती का पर्यावरण भी मिलता है।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत को जनसंख्या गत 50 वर्षो मे 25 करोड़ से बढ़कर करीब 54 करोड़ 80 लाख हो गई। सन् 1961-71 के दौरान जनसंख्या मे ढाई प्रतिशत की वृद्धि आई गई। सन् 1921-71 के दौरान भारत की जनसंख्या मे 118% की वृद्धि हुई जबकि इस दौरान विश्व की जनसंख्या 93% और विकसित देशो की जनसंख्या 60% बढ़ी।

इस समय भारत की जनसंख्या 5,79,952 मानव नस्तियों मे बैठी हुई है। लगभग 80% लोग 5,75,933 गाँवों मे रहते हैं। शेष 20% लोग 3,119 ऐसे शहरी इलाकों मे वसे हुए हैं जिनमे से प्रत्येक जनसंख्या 5,000 से लेकर लगभग 90 लाख तक है। गाँवो की ग्रीसत जनसंख्या 762 आँकी गई है। 20% से भी अधिक शहरी जनता देश के आठ महानगरों मे वसी हुई है तथा 20% शहरी एक-एक लाख वाले 143 शहरों मे वसे हुए हैं।

#### आवास समस्या के आयाम

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुसार दौनबी पञ्चवर्षीय योजना के आरम्भ म अर्थात् एक अप्रैल, 1974 को देश म एक करोड़ 56 लाख मकानों (38 लाख मकान शहरी क्षेत्रों मे तथा एक करोड़ 18 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों मे) की कमी थी। मकानो के निर्माण की रफ्तार जनसंख्या मे वृद्धि की दर के मुकाबले कम

रहने के कारण यह कमी हर साल और अधिक बढ़ती गई। इस समय देश में मकान निर्माण की दर प्रतिवर्ष 1,000 की जनसंख्या के पीछे की ओर 3 मकान हैं जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष 1,000 की जनसंख्या के पीछे 10 मकानों के निर्माण की सिफारिश की है।

अभी तक किसी भी पञ्चवर्षीय योजना में कोई भी लम्बी अवधि का आवास लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका में गन्धी वस्तियों में रहने वाले लोगों, श्रीदेवियों और वामान मजदूरों जैसे आधिक हाईट से कमज़ोर समाज के कुछ वर्गों के लोगों को मकान बनाने के लिए सरकारी मदद देना, भूमि अधिग्रहण और यह निर्माण की गिली जुली परियोजनाएँ शुरू करने के लिए राज्य सरकारी और आवास बोर्डों को धन देना तथा निम्न श्रीर मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए सीमित आधिक सहायता मुहैया करना सामिल है।

अब तक आवास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का दूसरा पहलू यह है कि सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में यह निर्माण के कार्य से वास्तव में पिछड़े हुए लोगों—जो कि हमारे शहरी परिवारों का 75% है—को कोई जाभ नहीं पहुँचा। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि अभी तक हम ज्यादा लस्ते मकानों का निर्माण नहीं कर सके। इसका नतीजा यह निकला कि थोड़े से मकानों के निर्माण ने ही काफी बन लग गया। अब इसको तुरन्त बदलने की ज़रूरत है।

अब समय या गया है जबकि हमें इस क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए ताकि हम हर परिवार को एक निश्चित अवधि में मकान मुहैया करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके। यदि हम अगले 20 वर्षों में लक्ष्य प्राप्त करना चाहे तो आधिक साधनों की हमें क्या कठिनाई हो सकती है? इसके लिए हमें काफी संख्या में मकानों का निर्माण करना होगा।

- (क) जनसंख्या वृद्धि के बारण बढ़े अतिरिक्त परिवारों के लिए
- (ख) मौजूदा पुरानी किस्म के घरों का पुनर्निर्माण
- (ग) मकान निर्माण में वर्तमान कमी को 20 वर्षों में पूरा करना

ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष 47 लाख 50 हजार मकान (12 लाख 50 हजार जहरी क्षेत्रों में और 35 लाख मकान आमतौर परिवार क्षेत्रों में) बनाने का कार्यक्रम होगा।

इस प्रकार के निर्माण कार्यक्रम के लिए इस क्षेत्र में अब तक किए गए निवेश से कही अधिक निवेश करना होगा। क्या हम इस समस्या को नियन्त्रण योग्य स्तर तक सुलभा नहीं सकते हैं? आवास निर्माण के लिए साधनों का उपयोग हमारे समाज के आधिक हाँचे के अनुरूप होना चाहिए। इसके अन्तर्गत प्रत्येक आप वर्ग के लोगों के लिए उस आय यार्ग में परिवारों के समानुपात के प्रनुसार मकान बनाने की ज़रूरत है।

## सस्ते भकान

गरीबों की आवास समस्या को कुछ कम बरने वा केवल एक ही रास्ता है और वह है अधिक सस्ते भवनों के निर्माण पर अधिक ध्यान देना और अधिक धन लगाना। स्थान और सेवा परियोजनाओं, जिनका उद्देश्य जल सप्लाई, मन निवासी, सड़कें, विजली प्राप्ति वा आधारभूत सुविधाओं वाले स्थान मुहैया बनाना है, स शहरी गरीबों वी आवास स्थिति बेहतर बनाने म वाकी मदद मिल सकती है। इस प्रकार वी स्थान और सेवा परियोजनाएँ स्थान आय और रोजगार के अवनरो के बीच प्रतिस्पर्द्धा ताकतो म सन्तुलन कायम बरती है।

हम अधिकृत वस्तियों के प्रति और अधिक सार्थक हट्टियों परियोजनाएँ जाने की जहरत है। ग्रामीण क्षेत्रों म भूमिहीन अमिकों वो दिए गए स्थायी रूप से बसने के अधिकार के समान अनधिकृत वस्तियों के निवासियों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वहाँ बसने वाले भौजूद गन्दी उस्तियों के सुधार म दिनचल्ली ले। अनधिकृत वस्तियों के प्रति सही हट्टियों यह होगा कि उनका विकास किया जाए न कि उनको मनियामेट किया जाए।

ग्रामीण हट्टि से कमज़ोर लोगों के लिए भारी सह्या मे मकानों की जहरत होगी। इमनिए सरकार द्वारा चलाई गई समाज आवास योजनाओं से समाज के निम्न आय वाले लोगों वा अर्थात् जिनकी आय 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक है अधिक लाभ मिलना चाहिए।

## स्वस्थ बातावरण

ग्रामीण मकानों के स्तर पर विचार बरते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण आवास पर शहरी आवास की मान्यताओं और स्तरों की ध्यान न पढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों मे आवास की समस्या प्रायमित्र रूप से एक स्वस्थ बातावरण बनाने वी समस्या है। इस हट्टि से प्रायमित्र रूप से ग्रामीण आवास स्तर बातावरण बेहतर बनाने और स्थान व सेवा किसी वी आवास योजनाएँ मुहैया करने के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। ग्रामीण आवास के लिए निर्माण स्तर और मानदण्ड स्थानीय उपनिधि सामान तथा देहातो म मकान बनाने के लिए प्रामतीर पर उपयोग म नाए जाने वाले साज सामान के अनुरूप तय किए जाने चाहिए।

पांचवीं योजना म आवास के क्षेत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के निवेश वा अनुपात करीब 14 रहा। यदि 20 वर्षों के भीतर प्रत्येक परिवार को मकान देने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो निजी क्षेत्र के वर्तमान योगदान को और अधिक बढ़ाना होगा। इसके लिए निजी क्षेत्र को आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा साथ साथ तड़क भड़क वाले मकानों के निर्माण को निरुत्साहित करना होगा। भारी सह्या मे मकान बनाने के लिए आविक मदद देने के लिए राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सहकारिताओं और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के प्रयास करने होंगे।

**मकान बनाने में काम आने वाले साज-सामान के निर्माण को बढ़ावा**

हमें महानगरीय केन्द्रों के समीप भवन निर्माण में काम आने वाले साज-सामान जैसे—चूमा, ईट, लकड़ी आदि तैयार करने वाले कारखानों के लगाए जाने का उचित प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तुएँ बनाने वाले कारखाने खोलते समय ग्रामीण आवास की जरूरतों तथा साथ-साथ देहाती इलाकों में आय और रोजगार पैदा करने की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए।

आवास की नई नीति बहुमुखी बनानी होगी। इसमें देहाती इलाकों में पर्यावरण बेहतर बनाने तथा ग्रामीण वस्तियों में निम्न स्तर के लोगों की आवास स्थिति सुधारने पर जोर देना चाहिए।

---

## Appendix—5

### महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना<sup>1</sup> (मूल्यांकन रिपोर्ट)

महाराष्ट्र के चार चुने हुए जिलों में चलाई गई रोजगार गारंटी योजना के बारे में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि रोजगार के व्यवस्था पैदा होने की स्थिति में हर महीने परिवर्तन होता रहा है और नवम्बर, 1975 में जहाँ 1 90 लाख लोगों द्वारा रोजगार दिया गया था वहाँ मई, 1976 में यह सख्ता 7 16 लाख तक पहुँच गई।

यह अध्ययन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन समिति तथा महाराष्ट्र सरकार के अर्थ-विज्ञान और आँकड़ा निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य उन तस्वीरों का विस्तृत विवरण करना है, जिन पर योजना की सफलता निर्भर करती है, तथा सरकार एवं आयोजन क्रियान्वयन प्राधिकरणों को कारंबाई करने के लिए सुझाव देना था।

अध्ययनों और सर्वेक्षणों के द्वारा नासिक, शोलागढ़, भीर और भण्डारा जिलों के देहाती इलाकों में अमिक आय, मजदूरी तथा बुनियादी मुविधाओं के बारे में सही तस्वीर प्रमुखत करना था। इस अध्ययन के नतीजे और निष्कर्ष तो करीब एक वर्ष तक उपलब्ध हो सकेंगे।

रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य लाभप्रद और उत्पादनोंमुख रोजगार मुहैया करना है। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी अकुशल व्यक्ति आते हैं जो परिवहन करने वाले तैयार हैं परन्तु जेतों में पा जेतों से जाहर या अन्य सहायक कार्यों में अवधार सरकारी विभागों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों द्वारा चलाए जाने वाले ग्राम योजना या गैर योजना कार्यों में इस प्रकार का कोई रोजगार नहीं पा सके हैं। सार्वजनिक कुओं को गहरा करने, भू सरक्षण और भूमि विकास कार्य, नाला और जल विभाग कारोबार प्रबन्ध और सेम लगाने को रोकने, वितरण और फार्म नहरें, पेड़ लगाने, जल प्रबन्ध तथा व्यापक भू-विकास योजनाओं आदि जैसे लघु विचारों से सम्बन्धित उत्पादन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। सड़क कार्य केवल पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों, जहाँ अन्य उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हैं, में ही किए जाएंगे।

सन् 1975-76 में इस योजना पर तेजी से कार्य हुआ। इसलिए इस पर होने वाला छन्दो सन् 1974-75 से जहाँ 13 54 करोड़ रुपये था वहाँ सन् 1975-76 में बढ़कर 34 42 करोड़ रुपये हो गया।

1. भारत सरकार ब्रेस विजित, दिनांक 29 जनवरी, 1978.

## Appendix—6

### चृत्यु राहत कोष से आर्थिक सहायता की वादि बढ़ाई चाहूँ। (कर्मचारी भविष्य निधि अंशदायियों को लाभ)

---

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मृत्यु राहत कोष से आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा दी है। अशदायी की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार के सदस्यों, नामांकित व्यक्ति और उसके कानूनी हक्कदारों को कम से कम एक हजार रुपये मिलेंगे। यदि अशदायी की निधि खाते में एक हजार रुपये से कम की राशि होगी तो भी उसके परिवार को कम से कम एक हजार रुपया मिलेगा।

यह मुविधा केवल उन्हीं अशदायी कर्मचारियों पर सागू होगी, जिनका मृत्यु के तमाय मासिक वेतन 500 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

जनवरी, 1964 में मृत्यु राहत कोष शुरू किया गया था और अब तक कोष से लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। कोष के केन्द्रीय न्यासी मण्डल ने इस राहत को पहली प्रप्रेल, 1977 से तीन साल तक और सागू करने की सिफारिश की है। मण्डल ने मृत्यु राहत कोष से वित्तीय सहायता की राशि 750 रुपये के स्पान पर एक हजार रुपये करने की भी सिफारिश की है।

---

## Appendix—7

### थ्रम मन्त्रालय की संरचना और व्यार्थ

थ्रम मन्त्रालय राष्ट्रीय धाधार पर रोजगार सेवा और दस्तकार प्रशिक्षण के विकास तथा व्यवस्था के अतिरिक्त ग्रौदोगिक सम्बन्धों, मजदूरों और प्रमधों म सहयोग, विदाओं का निपटारा, मजदूरी और काम-काज तथा सुरक्षा वी धन्य दशाओं का विनियमन, थ्रम कल्वाण, समाज सुरक्षा, आदि थ्रम मामलों के सम्बन्ध म समृए भारत के लिए नीति निर्धारित करने का उत्तरदायी है।

रेलवे, खानो, तेल क्षेत्रों, बैंकिंग और वीमा कम्पनियों, जिनकी शावाएँ एक से अधिक राज्य में हैं, मुख्य पत्तना और केन्द्रीय सरकार के उपकरणों म नियोजित श्रमिकों के मामलों को छोड़कर, जिनके सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है, रोजगार और प्रशिक्षण के सिवाय सभी मामलों के बारे मे नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों जिम्मेदार हैं परन्तु इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहेगा और राज्य सरकारों को उनके निदेशो का पालन करना होगा। केन्द्रीय सरकार थ्रम मामलो मे राज्य सरकारों को उनके निदेशो का पालन करना होगा। केन्द्रीय सरकार थ्रम मामलो मे राज्य सरकारों के कार्यकलापो का समन्वय बरती है और जब कभी भी आवश्यक होता है, तब उन्ह परामर्श देती है।

थ्रम मन्त्रालय त्रिपथीय थ्रम सम्मेलनों और समितियों, द्विपथीय राष्ट्रीय शीघ्रनिकाय और राष्ट्रीय ग्रौदोगिक समितियों के लिए सचिवालय की भी व्यवस्था करता है और अन्तर्राष्ट्रीय थ्रम सम्बन्ध के कार्यकलापो मे भारत के भाग सेने के लिए कड़ी रूप मे कार्य करता है।

थ्रम मन्त्रालय के चार सलान कार्यालय और 29 अधीनस्थ कार्यालय हैं। इनका व्यौरा इस प्रकार है—

#### I सलान कार्यालय

- (1) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक, नई दिल्ली।
- (2) मुख्य श्रमापुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली।
- (3) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और थ्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई।
- (4) निदेशक, थ्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़।

## II अधीनस्थ कार्यालय

- (1) महानिदेशक, खान सुरक्षा, घनवाद ।
- (2) कोयला खान कल्याण आयुक्त, घनवाद ।
- (3) कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संस्था, भीलवाडा ।
- (4) कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संस्था, कालीचेड़, जिला नैनोर ।
- (5) उप-कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संस्था, कर्मा, डाकघर भुमरीतलैया, जिला हजारीबाग (विहार)
- (6) लोहा अयस्क खान उपकर आयुक्त, नई दिल्ली ।
- (7) कल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था, विहार और उडीसा (विहार क्षेत्र), वाराजामदा, जिला सिंहभूमि ।
- (8) कल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था, इन्दौर ।
- (9) बल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था (गोवा क्षेत्र), पनजी-गोदा ।
- (10) कल्याण आयुक्त, लोहा प्रयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था, काचीमुडा, हैदराबाद ।
- (11) कल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण संस्था, बंगलौर ।
- (12) कल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण संस्था, जबलपुर ।
- (13) बल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण मस्ता, विहार और उडीसा (उडीसा क्षेत्र) वारांशि जिला बिहार ।
- (14) कल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था, बंगलौर ।
- (15) कल्याण आयुक्त, लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था (नागपुर क्षेत्र), पनजी-गोदा ।
- (16) कल्याण और उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण संस्था, कर्मा, डाकघर भुमरीतलैया, जिला हजारीबाग ।
- (17) कल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण संस्था, भीलवाडा (राजस्थान) ।
- (18) कल्याण तथा उपकर आयुक्त, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण संस्था, भुवनेश्वर ।
- (19) अध्यक्ष, केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, घनवाद ।
- (20) पीड़ासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार श्रीयोगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम जांच न्यायालय और सराधन बोर्ड, निर्मल टावर, 26-वाराढम्बा रोड, नई दिल्ली ।

- (21) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय सच्या 1, घनबाद।
  - (22) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय सच्या 2, घनबाद।
  - (23) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय सच्या 3, घनबाद।
  - (24) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय, जबलपुर।
  - (25) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय सच्या 1, बम्बई।
  - (26) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय, कलकत्ता।
  - (27) पीठासीन प्रधिकारी, केन्द्रीय सरकार ग्रौदोगिक न्यायाधिकरण एव श्रम न्यायालय सच्या 2, बम्बई।
  - (28) सचिव, विवाचन बोर्ड, निमंल टावर, वारातम्भा रोड, नई दिल्ली।
  - (29) सचिव, श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र वर्षचारी मजदूरी बोर्ड, कुर्सी बम्बई।
-

## Appendix—8

### राजस्थान में अभिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति<sup>1</sup>

राजस्थान में अभिक शिक्षा कार्य गत 15 वर्षों से चल रहा है और इस प्रविति में राज्य सरकार, थम सगठनों एवं श्रीद्वयिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से इस कार्यक्रम ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

अभिक शिक्षा के कार्य का सचालन भारत सरकार के थम मन्त्रालय के अधीन गठित अभिक शिक्षा मण्डल के उत्त्वावधान में किया जाता है। अभिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का दोष कराने के उद्देश्य से अभिक शिक्षा का कार्य देश में वर्ष 1958 से शुरू हुआ था। राजस्थान में यह कार्य 25 जून 1962 से शुरू हुआ। प्रारम्भ में भीलवाड़ा नगर में एक उप प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना की गई। मार्च 1965 में इस केन्द्र को उपकेन्द्र से बढ़ाकर पूरण लंपेण प्रादेशिक केन्द्र का दर्जा दिया गया। अप्रैल 1974 में यह केन्द्र भीलवाड़ा से जयपुर स्थानातरित कर दिया गया। यह केन्द्र नियमित रूप से अभिक शिक्षण प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करके गया। यह केन्द्र नियमित रूप से अभिक शिक्षण प्रशिक्षण एवं धन्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तथा समय-समय पर अभिक प्रशिक्षण एवं धन्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके अभिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। प्रादेशिक केन्द्र के अधीन इस समय राज्य के विभिन्न उद्योगों तथा अभिक वस्तियों में 65 प्राधिक केन्द्र भी चल रहे हैं।

गत 15 वर्षों में केन्द्र ने तीन-तीन माह के 54 पूरणकालीन अभिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है जिनमें विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी श्रीद्वयिक प्रतिष्ठानों के 1234 अभिकों ने भाग लिया। इस समय 55वीं अभिक प्रशिक्षण सत्र चल रहा है जिसमें विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक थेट के प्रतिष्ठानों के 39 कर्मचारी भाग ले रहे हैं।

प्रशिक्षित अभिक शिक्षण प्रायभिक केन्द्रों में समय-समय पर अभिकों के प्रशिक्षण के लिए चिकितों का आयोजन करते हैं। राज्य में चल रहे 65 प्राधिक केन्द्रों में अब तक ऐसे 2 हजार 735 चिकित लगाये जा चुके हैं जिनमें 58 हजार 15 अभिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

1. भारत सरकार वेद विवरि, दिनांक 29 जनवरी 1978.

## विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा कुच्छ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नी आयोजित किये जाते हैं जैसे अल्पावधि कायरम प्रबोधन कार्यक्रम, उत्पादकता शिक्षा कार्यक्रम तथा थमसप पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम। यब तक अल्पावधि कार्यक्रम के अन्तर्गत एक दिवसीय माला, द्विदिवसीय गोष्ठी तथा अध्ययन गोष्ठियों के 387 आयोजन लिए गए हैं जिनसे 14 हजार 271 थमिर लाभ उठा चुके हैं।

प्रशिक्षित थमिक शिक्षकों के लिए पुनः प्रबोधन के 42 कार्यक्रम आयोजित लिए गए हैं जिनसे 572 थमिक शिक्षक ने लाभ उठाया है। प्रशिक्षित थमिकों के लिए 13 पुनः प्रबोधन कायरम लिए गए जिनसे 268 थमिकों ने लाभ उठाया।

## ग्रामीण थमिक शिक्षा

हाल ही में भारत सरकार ने थमिक शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की है। अभी तक थमिक शिक्षा का आयोजन सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के ग्रामीणिक प्रतिष्ठानों के थमिकों के लिए ही रिया जाता था। अब सरकार ने इन थमिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के थमिकों को भी शिक्षा देने की व्यवस्था करने का निश्चय किया है। इस कायरम के अन्तर्गत ग्रामीणों को साक्षर बनाने, उनको उनके बायं से सम्बन्धित नवीनतम ज्ञानकारी देने आदि की इस प्रकार व्यवस्था नी जाएगी जिससे वे अपने सभी कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में पहला दो दिवसीय शिविर गगानगर की मूरतगढ़ तहसील में 22 एल बी डब्ल्यू गाँव में विद्या गया। इसमें 40 ग्रामीण थमिकों ने भाग लिया। इसी प्रकार के दो और शिविर सेवा मन्दिर, उदयपुर तथा राजस्थान ग्रामिम जाति सेवा सघ के सहयोग से चित्तोडगढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ के गाँव ग्रानोद तथा उदयपुर जिले की उदयपुर तहसील के गाँव बडगा में लगाए जा चुके हैं। ऐसा चौथा शिविर द्विसी वित्त वर्ष म अन्नक खान हितकारी सघ के सहयोग से आयोजित करने का कार्यक्रम है।

## Appendix—9

### कर्मचारी राज्य बीमा योजना और अधिक उद्धार<sup>1</sup>

(भिन्नों के लिए स्वास्थ्य लाभ घरों की स्थापना)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों के विनियम स्थानों पर रहने वाले परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया बरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। परन्तु इसके लिए शर्त है कि जिस जगह परिवार रहता है वह उस घेत्र में होना चाहिए जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है और कर्मचारी तथा उसका परिवार एक ही राज्य में रहते हों।

ये सुविधाएँ परिवार के उन सदस्यों को भी मिलेगी जो छुट्टी या किसी दूसरे स्थान के लिए ग्रस्यायी स्थानान्तरण पर बीमाकृत व्यक्ति के साथ रहते हैं। परन्तु वह स्थान ऐसे केन्द्र में होना चाहिए जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हो।

अभी हाल यहाँ हुई बैठक में, जिसकी अध्यक्षता बैन्ड्रीय शम मन्त्री, श्री रवीन्द्र वर्मा ने की, ऐसे बीमाकृत लोगों जिनका दबाई/इजेक्शन के उल्टे असर के कारण मिथन हो जाता है, के अधिकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की भी मजूरी की गई।

निगम ने बीमाकृत सदस्यों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य लाभ घर स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। यह पहला अवसर है जबकि कर्मचारियों के लाभ के लिए देश में इस प्रकार का कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है। यद्यपि पूरे देश में स्वास्थ्य लाभ घर बनाने की योजना है, फिर पहले चरण में बड़े औद्योगिक केन्द्रों में ऐसे कुछ घर बनाये जाएंगे। इस प्रकार के छोटे घर में 10 विस्तरों की तभा बड़े से बड़े घर में 100 विस्तरों की व्यवस्था होगी।

रामेनन का उद्घाटन करते हुए शम मन्त्री, श्री रवीन्द्र वर्मा ने इहाँ कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना असमित खेतों में या खेतीहर मजदूरी तक पहुँचने में सक्षम हैं।

सदस्यों ने सुभाव दिया कि 75 केस प्रतिदिन प्रति डॉक्टर के बर्तमान नियम के स्थान पर 60 बेस्ट प्रतिदिन प्रति डॉक्टर होना चाहिए था। आपात सेवामों के प्रबन्ध के लिए चिकित्सा अधिकारियों की सह्या में वृद्धि की जानी चाहिए।



1. भारत सरकार ब्रेक नियम, दिनांक 25 फरवरी, 1978.

## Appendix—10

### राजस्थान में अम स्थिति प्रवं रोजगार नियोजन (1977-78)

राजस्थान राज्य में सन् 1977-78 में अम शौर रोजगार नियोजन की जो स्थिति रही, उसका सधिष्ठित चिनाकिन राजस्थान सरकार के भाग्यव्ययक अध्ययन सन् 1978-79 के अनुसार निम्नवत है।

#### अम स्थिति

सन् 1977 में अम विवाद अधिक हुए जिसका मुख्य कारण मार्च, 1977 में आपातकालीन स्थिति के हट जाने के फलस्वरूप अभियों को अपने अधिकारों की मांग करने की स्वतन्त्रता मिलना था। इस वर्ष 118 अम विवाद हुए जिसमें 69012 व्यक्ति प्रभावित हुए एवं 707076 मानव दिवसों की धति हुई। सन् 1976 में केवल 16 अम विवाद हुए थे, जिसमें 1822 व्यक्ति प्रभावित हुए एवं 9619 मानव दिवसों की हानि हुई थी।

अधिकांश अभियों का प्रदर्शन सन् 1977 के द्वितीय त्रिमास में विशेषकर माह अप्रैल में हुए। सन् 1977 में हुए कुल अम विवाद, मानव दिवसों की हानि एवं प्रभावित अभियों का लगभग 1/5 भाग वर्ष के द्वितीय त्रिमास में ही हुआ। वर्ष में 34 हड्डतालें हुई जिनमें 18222 अभियों प्रभावित हुए एवं 145504 मानव दिवसों की हानि हुई। इसके अतिरिक्त 8 तालाबन्दियाँ हुईं जिसके फलस्वरूप 6276 अभियों प्रभावित हुए और 51034 मानव दिवसों की हानि हुई। इसके बाद से अभियों असन्तोष का अन्त होता जा रहा है।

सन् 1977 में 299 अभियों का पञ्चीकरण हुआ, जिनकी सदस्य संख्या 53538 थी। इससे वर्ष के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 1523 व 246411 हो गई।

#### रोजगार नियोजन

सन् 1977-78 के विनियोजन के अनुसार अनुमान है कि राज्य में 386 लाख व्यक्तियों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा जबकि अम शक्ति में अनुमानित वृद्धि केवल 275 लाख की होगी। इस प्रकार किसी सीमा तक बढ़ावा देरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा।

नियोजन कार्यालयों की सुविधाओं का लाभ इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक प्राप्त किया गया। इस वर्ष में 1976 की तुलना में पजीकरण में 8·35% की वृद्धि हुई जबकि सन् 1976 में वर्ष 1975 की तुलना में केवल 2·61% की वृद्धि हुई थी। नियोजन कार्यालय के अतिरिक्त जनशक्ति विभाग द्वारा रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार डिप्लोमा प्राप्त एवं इंजीनियरिंग स्नातकों का पजीयन किया जाता है जो इनकी नियुक्तियों की विभिन्न सरकारी, ग्राम-सरकारी एवं स्वामानित संस्थाओं के कार्यालयों में व्यवस्था करती है। सन् 1977 में गत वर्ष की तुलना में नियुक्तियों में 7·06% की कमी रही जो कि आंशिक रूप से अधिसूचित रिक्तियों की 19·64% की कमी के कारण रही। नियोजन कार्यालयों में जीवित पर्जिका पर प्रार्थियों की संख्या इस वर्ष के अन्त तक गत वर्ष की तुलना में 4·27% अधिक रही। नियोजन सम्बन्धी प्रमुख ममक तात्त्विका में दिए गए हैं—

मद	वर्ष		विवरण दरों की अपेक्षा प्रतिवर्तन में परिवर्तन		
	1975	1976	1977	1976	1977
1. पजीकरण	173237	177769	192613	2·61	8·35
2. नियोजन	21191	18615	17299	(-)12·15	(-)7·06
3. अतिरिक्त अधिसूचित	32843	32779	26353	(-)0·14	(-)19·64
4. जीवित पर्जिका पर					
प्रार्थी	263729	272017	283630	3·14	4·27

नियोजन कार्यालयों के समक्ष, बेरोजगारी की गहनता की पूर्ण भाप न होकर केवल उसी स्थिति को प्रतिविम्बित करते हैं जो कि नियोजन कार्यालयों में पजीकृत होते हैं।

रोजगार बेरोजगार के वैमासिक उपसत्र के सर्वेक्षणों से यह प्रदर्शित होता है कि सन् 1977 में औसतन 2·5 लाख व्यक्ति (2 लाख शामील क्षेत्र में एवं 0·50 लाख शहरी क्षेत्र में) बेरोजगार थे और लगभग 24 लाख व्यक्ति (21·5 लाख शामील क्षेत्र में एवं 2·5 लाख शहरी क्षेत्र में) अल्प रोजगार थे। अल्प रोजगार में उन व्यक्तियों को समिलित किया है जिन्होंने सदमें सप्ताह में 42 घण्टे से कम कार्य किया।

रोजगार एवं अल्प रोजगार की गहनता हृषि के नौसमी कार्य से प्रभावित होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि बेरोजगारी की संख्या वैमास समाप्ति दिसम्बर में अधिक होती है व जून वैमास में कम रहती है। रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को बनाते समय बेरोजगारी एवं ग्राम-बेरोजगारी में होने वाले सामयिक परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है।

ऐसा अनुमान है कि सन् 1978-79 में 2·75 लाख व्यक्ति (2·45 लाख पुरुष एवं 0·30 लाख स्त्रियाँ) राज्य की थग जनित में समिलित होने जिसमें 2·25 लाख व्यक्ति शामील क्षेत्र के एवं 0·50 लाख व्यक्ति शहरी क्षेत्र के होंगे।

वर्ष 1978-79 मे निवाई एव विद्युत विस्तार के द्वारा हुपि विकास पर एव मूलमूल आन्तरिक सरचना पर अधिक जोर दिया गया है।

दी पी ए पी कमाण्ड एरिया डगलसमेट, डेपर्टमेंट, लघु निवाई इत्यादि योजनाओं पर काफी मात्रा मे धन रचे किया जावेगा। इन प्रकार की समस्त योजनाओं से रोजगार के अधिक व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगा। इनके अतिरिक्त महके व भवन निर्माण तथा लघु व मध्यम उद्योगों के विस्तार के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दिया गया है।

### कृपि मजदूरी

राजस्थान राज्य मे नवम्बर, 1975 से कृपि मजदूरों के न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

पेंड्र	मुख्य एव स्वी	वालक
1 निवाई सेव (वदो निवाई परियोदता)	6.00	4.00
2 निवित सेव (मध्यम एव लघु निवाई परियोदता)	5.00	3.33
3 अविवित सेव	4.25	2.35

राज्य मे चुने गए 50 शासो से मजदूरी की सूचना जो एकनित की जा रही है वह कृपि मजदूरी अधिनियम के अनुसार ही है। राज्य स्तर पर सन् 1977-78 मे प्रतिदिन औसत मजदूरी जो कृपि कार्यक्रमों के लिए दी गई वह 6.19 रुपये पुरुषो के लिए, 5.23 रुपये स्त्रियो के लिए एव 3.92 रुपये वालक मजदूरों के लिए थी। जबकि सन् 1976-77 मे उक्त मजदूरी अमर 6.24 रुपये पुरुषो के लिए, 4.98 रुपये स्त्रियो के लिए एव 3.46 रुपये वालको के लिए थी। सन् 1977-78 मे (जुलाई से दिसम्बर 77) औसत कृपि मजदूरी जो सभी प्रकार के मजदूरों (कृपि व अन्य कार्य) को दी गई उसकी सीमा 5.10 रुपये से 10.87 रुपये पुरुषो के लिए, 4.58 रुपये से 7.64 रुपये स्त्रियो के लिए तथा 3.42 रुपये से 5.46 रुपये वालको के लिए पायी गई।



## असंचाठिल मजदूर<sup>1</sup>

वेन्द्रीय सरकार द्वारा सन् 1978-83 के लिए आयोजना का जो भवित्वा प्रदाने दिनों पेश किया गया उसमें 'कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता' देने की वात कही गई है। यह भी कहा गया है कि 'छोटे और सीमांतक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की नियति को बेहतर बनाने की दिशा में खास प्रयत्न किया जाएगा।

योजना बहुत उत्साहवर्धक है लेकिन इसके साथ इन क्षेत्रों से जुड़े-बचे ग्रामीण मजदूरों की नियति को बेहतर बनाने की समस्या का समाधान भी जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के समाजिल होने के कारण स्वर्ण और सनक्षेत्रों का गिलाजुला कार्यक्रम आगे चलता रहता है। लेफ्लिन प्रसगठिन क्षेत्र के लिए खास तौर से देश के विस्तृत देहातों में जहाँ बड़े पैमाने पर ग्रामीण मजदूर रहते हैं, ऐसी कोई ठोस योजना सामने नहीं आ सकी है। जिन क्षेत्रों में इस दिशा में कुछ काम हुआ है वहाँ के मजदूर आम तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि वे काफी दूर तक अपनी आधिक स्थिति का सुधार कर सकते हैं, कानून द्वारा मिले अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं वशर्त कि वे समर्थित हो जाएं। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि गाँव में उन्हें समर्थित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

उनके प्रसगठित होने का एक बारण तो उनके बगं का स्वरूप भी है। एक तरफ वे भूमिहीन सेतिहर मजदूर हैं जिन्हे कुछ जमीन तथा मजदूरी देकर उनकी गरीबी कम की जा सकती है। लेकिन सभी सेतिहर मजदूर भूमिहीन परिवारों से ही नहीं आते हैं। इसमें एक बड़ी सह्या उन लोगों की है जो छोटी मोटी खेती भी करते हैं और उस सिलसिले में उन्हें धोड़े बहुत अपना ही करने को मिल जाता है। हूसरी तरफ दिहाड़ी पर काम करने वाले वे मजदूर हैं जिन्हें जमीदार कुछ प्रशिप घन देने के अलावा जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी दे देता है और वे निरन्तर उसकी दया की गिरफ्त में घटपटाते रहते हैं। यदि इन मजदूरों को अब तक समर्थित नहीं किया गया तो उसका कारण जमीदारों द्वारा स्थान विशेष में उस बगं के कुछ सोनों को ढरा घमका या फुसला बहला कर अपने पक्ष में कर लेना होता है। जमीदार छोटे किसानों और मजदूरों दोनों का शोषण करता है। मान्दोलन के जोर न ५ कड़ने का कारण उसके नेतृत्व की दुविधा और कमजोरी भी है। एक बारण स्थानीय प्रगासन का उदासीन होना भी रहा है। एक तरफ सरकार भूमि वितरण

या न्यूनतम मजदूरी के मुगलान के लिए विशेष परिवारियों वी नियुक्ति करती है तो दूसरी तरफ ऐसा आन्दोलन दो दबाने के लिए भी सरकारी मशीनरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राय सरकारी प्रधिकारी और पुलिस इसी भी सघर्ष के प्रबसर पर बड़े लोगों का पथ लेते हैं। एक और कारण उनकी गरीबी है क्योंकि उनकी नियति रोज बुझ लोदने प्रोत पानी पीने वी होनी है। इसलिए वे सपर्य चलाने वी स्थिति म नही होते। किमी भी प्रशार दबाव की राजनीति चला नही सकते अत कभी भी रोडेवाजी म उनका पलडा भारी नही पड़ता।

25वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्रनुसार जुलाई, 1970 से लेकर जून, 1971 के बीच देश मे प्रोततन प्रति भूमिहीन मजदूर की एक दिन वी आमदनी 203 रुपए और छोटे खतिहर वी 190 रु थी। भूमिहर मजदूरों की एक दिन वी घोसन मजदूरी मध्य प्रदेश, उडीसा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र म 156 रु स लेकर 184 रु के बीच थी। इस मजदूरी का राष्ट्रीय घोसत 2 रुपए 3 पैसे है। दूसरी तरफ गुजरात, गिहर तमिनाडु उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान म यह मजदूरी 2 रुपए 3 पैसे से लेकर ढाई रुपए तक है। जिन राज्यों मे मजदूरी राष्ट्रीय घोसत से ज्यादा है वे हैं—रेण्टल, पश्चीम, प्रस्त्र, हरियाणा और पंजाब जहाँ मजदूरी 3 रुपए 3 पैसे से लेकर 4 रुपए 72 पैसे के बीच है।

**चिरतन समस्या** . ग्रामीण मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या उनकी बेरोजगारी है और यदि रोजगार है भी तो वह प्रस्तावी है और उसमे मजदूरी बहुत बम मिलती है। ज्यादातर ग्रामीण मजदूर पूरे वर्ष भर ऐसा रोजगार नही पाते जिसे लाभकर कहा जा सके। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत (अक्टूबर, 1972 और सितम्बर, 1973 के बीच) आँकड़ो के अनुमार ग्रामीण मजदूरों वी कुल सल्ला 19 करोड 86 लाख 30 हजार थी जिसम से 12 करोड 93 लाख 50 हजार फार्मो या सेती के काम से सम्बद्ध थे। जो 6 करोड 92 लाख 80 हजार मजदूरो मे से 1 करोड 83 लाख बेरोजगार थे। इनके लिए पूरे वर्ष मे कोई काम नही था। 6 करोड 74 लाख 50 हजार मजदूर नियन्त इम से काम मे लगे हुए थे। इनमे 5 करोड 24 लाख दिहाड़ी वाले मजदूर थे।

बेरोजगारों की थेणी मे आने वाले और भ्रत्यन्त कम मजदूरी पर काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों के लिए जरूरी यह है कि उनके लिए ऐसी योजनाएँ बनाई जाएँ जिस से मजदूरी मिलने की प्रतिरिक्त मुविधाएँ सामने आएँ। विभिन्न सरकारी प्रभिकरण और योजना आयोग से लेकर ग्रामीण विकास सम्बन्धी विभाग इस समस्या से परिचित हैं। कुछ योजनाएँ भी सामने लाई गई हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि या तो वे योजनाएँ उस स्तर तक पहुँच नही पाती हैं या उनका लाभ ग्रामीण मजदूरों को नही मिला। इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण मजदूर आज भी गरीबी और बेवसी मे जी रहे हैं और उनकी इस स्थिति मे स्वतन्त्रता मिलने वे 30-31 वर्ष के बाद भी कोई बड़ा अन्तर नही प्राप्ता है।

यह तथ्य शहरी चिन्ता का विषय है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की सत्त्वा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक पर्यावासी ने अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद लिखा था कि सन् 1960-61 और 1970-71 के बीच ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब मजदूर वर्ग की सत्त्वा 18.28 से 21.81% पर पहुँच गई। उससे कम गरीबी का अनुपात 60-61 में 28.21% थी जो 70-71 में 31.12 पर पहुँच गया। सामान्य उग से गरीब का अनुपात 60-61 में 38.11 था जो 70-71 में बढ़ कर 43.16 हो गया।

जहाँ तक ग्रामीण मजदूरी की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रश्न है सविधान में उसकी पूरी व्यवस्था और गारटी है। भारत वर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था जिसमें ग्रामीण मजदूरों की बेहतरी के लिए एक स्वतन्त्र संगठन बनाने की गई थी। राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने भी आनंद प्रदेश, बिहार, झेरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में शिविरों का आयोजन किया था। इन आयोजनों का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों में नेतृत्व की धमना का विकास तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से परिचित कराना, बटाई खेती की मिल्कियत, काश्तकारी, न्यूनतम मजदूरी और श्रम सम्बन्धी कानूनों से परिचित कराना था। मजदूर शिक्षण के केन्द्रीय बोर्ड ने भी एक विस्तृत और दीर्घकालिक योजना तैयार की थी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण मजदूरों में अपने संगठन को विस्तृत करने और उसके लिए कार्यकर्ता तैयार करने की पोनमा थी।

अक्टूबर, 1977 में दिल्ली में एक नियकीय समिति की बैठक में मजदूर संघ के नेताओं ने यह बात साफ़ छाग से कही कि ग्रामीण मजदूरों का संगठन तैयार करने में उनकी शिक्षा के स्तर का कम होना या उनकी गरीबी नहीं बल्कि वास्तविक वाधा जमीदारों का हिस्क विरोध है। इसके कारण सदैव कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होती है।

लेकिन इन मजदूरों को संगठित करने की दिशा में अब तक कोई ठोर काम नहीं हुआ और इसके जिम्मेदार न केवल मजदूरों के हितों के लिए लड़ने वाले राजनीतिक दल बल्कि समाज का वह उच्च वर्ग और सम्पद वर्ग भी है जिसे इसमें अपने लिए लतरा दिखाई देता है।

## Appendix—12

### भारत सरकार श्रम सम्बन्धालय की वापिक रिपोर्ट (1977-78 का प्रस्तावनात्मक और सामान्य विवरण)

#### आपातोत्तर परिस्थिति

देश मे नई सरकार द्वारा नार्यभार सभाल तिए जाने के तुरन्त बाद देश के अनेक भागों से श्रीलोगिक अशान्ति की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रदर्शनों और कामबदियों सम्बन्धी इन रिपोर्टों से सरकार को चिन्ता हुई, परन्तु यह पता लगा कि वे प्रदर्शन तथा कामबदियां वस्तुत आपात स्थिति के अभिधाती अनुभवों के बाद अचानक पुन प्राप्त हुई आजादी की अभिव्यक्ति थी। आपात-हिति के दौरान राजनीतिक अत्याचारों, सेवाद्वारा को समाप्त करने के लिए अधिकारों के दुरुपयोग, कार्य बढ़ाने या आदमी नियोजित करने सम्बन्धी मापदण्डों मे कमी करने या भर्ती और पदोन्नति की नीतियों मे परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रबन्धकों के एकत्रका प्रयास की प्राप्ति घटनाएं हुई थी। चूंकि मतभेद की अभिव्यक्ति और धर्मिकों के प्रत्याहार की सामान्य रीति का पृष्ठंत दबा दिया जाया था, इसलिए धर्मिक थोड़ी सामूहिक कार्यवाही कर सकने की स्थिति मे नहीं थे जिससे कि वे अपनी समस्याओं को हल करने सम्बन्धी अपने चिर प्राप्त अधिकारों पर हो रहे अतिक्रमणों का सामना कर सकें। यहाँ तक कि वे विरोध तक भी प्रकट नहीं कर सकते थे। इसलिए, यह स्वाभाविक ही था कि आपात स्थिति के समाप्त किए जाने तथा धर्मिकों के सामान्य अधिकारों के बहाल किए जाने के बाद धर्मिकों ने अपनी उन भावनाओं को अभिव्यक्त किया जो दब कर रह गयी थी। उन्होंने प्रदर्शनों और सामूहिक कार्यवाही द्वारा उन घोर अन्यायों की तरफ ध्यान दिलाया जो उनके गाय आपात स्थिति के दौरान किए गए थे।

सरकार ने इस बात का पता लगाना ज़रूरी समझा कि इस प्रकार की अशान्ति के बाया कारण है। तदनुसार थम मन्त्री ने धर्मिकों तथा नियोजकों के केन्द्रीय समितियों के प्रतिनिधियों से अनेक बार परामर्श किया ताकि थम के क्षेत्र मे विद्यमान समस्याओं का पता लगाया जा सके। इस परामर्श के परिणामस्वरूप सरकार ने दोहरा प्रयास धारम किया। एक प्रयास का उद्देश्य भालिक-कर्मचारी समघों के क्षेत्र मे विद्यमान उन धोखक बारणों को ह्रूर करना था जो आपात स्थिति के बाद विरासत भे पिले थे। दूसरे प्रयास का उद्देश्य और अधिक प्रभावी तत्र एवं प्रक्रिया तैयार करके दीर्घकालिक उपाय करना था जिससे वैयक्तिक शिकायतों का तेजी से तथा न्यायपूर्ण

डग से विरकरण हो सके और सामूहिक विवाद भी यीव्र तथा उचित डग से नय हो सके। सरकार को यह पता लगा कि ट्रेड यूनियन अधिकारों का खण्डन, अत्याचार, बोनस सन्दाय अधिनियम में किए गए संशोधन और अनिवार्य जमा घोषणा के अन्तर्गत को जाने वाली कटौतियाँ मुख्य क्षेभक कारण थे। सरकार ने घोषणा की कि वह अमिको और ट्रेड यूनियनों के मूल अधिकारों के बहाल करने में विश्वास रखती है और उसने इन अधिकारों के स्वतन्त्रताधूर्वक प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए कदम उठाए। 8 33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस बहाल कर दिया गया और अनिवार्य जमा घोषणा के अन्तर्गत कटौतियाँ समाप्त कर दी गईं।

### नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों की बहाली

जहाँ तक अत्याचार की घटनाओं का सम्बन्ध है, यह पता लगा कि आपात-स्थिति के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र के योग्योगिक उपकरणों में बड़ी सरदा रे कर्मचारियों को बरखास्त या पदच्युत किया गया था। योटेंटीर वर ये कर्मचारी तीन बर्गों के थे। प्रथम बर्ग में ऐसे कर्मचारी शामिल थे जिन्हे आसुका या भारत रक्षा संघ आतंकिक मुरला नियमों के अधीन नजरबन्दी के कारण आम से अनुपस्थिति के आरोप में नियोजकों ने सेवा से बरखास्त या पदच्युत कर दिया था। दूसरे बर्ग के मामले ऐसे कर्मचारियों से सबवित थे जिन्हे इसलिए बरखास्त अथवा पदच्युत कर दिया गया था कि वे कुछ ऐसे संगठनों से सम्बद्ध थे जिन पर पिछली केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवन्ध लगा रखा था या जो पिछली सरकार के कृपापात्र नहीं थे। तीसरा बर्ग उन कर्मचारियों का था जिन्हे आपात-स्थिति के बानावरण का साम उठा कर नियोजकों ने कानूनी प्रक्रिया या विहित पदार्थियों की उपेक्षा करके तथा स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण किए बर्गीर बरखास्त अथवा पदच्युत कर दिया गया था। भारत सरकार ने निर्णय किया कि इन सभी कर्मचारियों के साथ किए गए अन्याय को दूर किया जाए और तदनुसार राज्य सरकारों द्वारा नियोक्ता मनात्मनों को तुच्छ नागर्दर्शी हिदायतें जारी की गईं। उन्हे यह सलाह दी गई कि प्रथम दो बर्गों के ऐसे सभी कर्मचारियों को (चाहे निजी क्षेत्र के हो या सरकारी क्षेत्र के) जो असाधारण अधिकारों के प्रयोग के कारण प्रभावित हुए थे, तत्काल बहाल कर दिया जाना चाहिए और मध्यवर्ती अवधि को बेतनवृद्धि, सेवा निवृत्ति लाभ आदि की प्राप्ति के लिए इन्हीं माना जाना चाहिए। बाद में यह भी निर्णय किया गया कि इस प्रकार के सभी कर्मचारी मध्यवर्ती अवधि के लिए पूर्ण बेतन तथा भर्ते प्राप्त करने के हकदार होने चाहिएं, परन्तु इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि पूरा बेतन तथा भर्तों के नुगतान की यह खियावत उन कर्मचारियों को नहीं दी जानी चाहिए जो आपात-स्थिति के दौरान माफी मानने पर जैल से रिहा कर दिए गए थे। हीसेरे बर्ग में प्राने वाले मामलों के सम्बन्ध में नागर्दर्शी हिदायतों में यह परिकल्पना दी गई कि उनकी पुनर्परीक्षा दी जानी चाहिए और सबवित कर्मचारियों की अपना पथ पेज करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि मरावन

तथ वो चाहिए कि वह इन मामलों की जीव करें प्रीर ऐसे हृत निकालें जिनसे सबधित पथ सन्तुष्ट हो जाए प्रीर जहाँ यह सभव न हो, वहाँ पैदा हुए औद्योगिक विदाओं वो याय निराय के निए भेज दिए जाएं। केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मन्त्रालयों विभागों से प्राप्त दुई ग्रिपाटों से पता चलता है कि उक्त तीन वर्षों के सम्बन्ध में 146 उपक्रमों के मुन् 264 व्यक्तियों वो बहार कर दिया गया था। राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों न भी सूचित रिया है कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के 1390 कम्फारियों को बहाल रिया है।

### त्रिपक्षीय तन्त्र का पुनर्स्थापन

सरकार ने विभिन्न स्तरों पर स्थापित रिए गए द्विपक्षीय शीर्ष निकायों को भी बन्द करने का निराय किया, क्योंकि यह पाया गया कि उनका गठन अत्यन्त सीमित था। सरकार ने त्रिपक्षीय मन्त्रणा की प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का निश्चय किया जिसे रिद्युती सरकार ने लगभग 6 वर्ष से निश्चिय बर रखा था। थम मन्त्री ने यह दात स्पष्ट कर दी कि वह औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकमत की तलाश म सभी सबधित पक्षों से यातासभव व्यापकतम परामर्श करने के हक्क में हैं। तदनुसार, 6-7 मई, 1977 को एक त्रिपक्षीय थम सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन प्रद्वितीय था। पहली बार इसमें केन्द्रीय अमिक संगठनों के प्रतिनिधित्व से बड़ी सह्या भ शामिल हुए जिन्हे पिछले कई वर्षों से प्रतिनिधित्व से बचित रखा गया था। इस सम्मेलन में व्यापक औद्योगिक सबध कानून, प्रबन्ध में अमिकों की सहभागिता, उपदान निधि की स्थापना भारतीय थम सम्मेलन के गठन प्रीर प्रसंगठित क्षेत्र के अमिकों जैन घनेक महस्तवपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में यह सिफारिश की कि व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध वानून प्रीर भावी भारतीय थम सम्मेलन के गठन से सम्बन्धित एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाए, जो औद्योगिक सबध वानून से सबधित समस्याओं का गहराई से अध्ययन करे। इस सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि एक कम्पैक्ट कमेटी गठित की जाए जो प्रबन्ध म अमिकों की सहभागिता के क्षेत्र का अध्ययन करे प्रीर सरकार को रिपोर्ट देश करे ताकि वह अपनी नीति बना सक। इस सम्मेलन की तीसरी सिफारिश ट्रैड यूनियनों, नियोजनों प्रीर विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों वो शामिल कराए एक समिति के गठन के बारे में थीं ताकि वह मूल्यों सबधी आंकड़े एकत्र करते की बर्तनान प्रणालियों का अध्ययन करें तथा इस बात का भी अध्ययन करें कि व्या दपभोक्ता मूल्य मूल्यकांक सबधी प्रायमिक आंकड़ों के सकलन के काम के साथ ट्रैड यूनियनों को भी सम्बद्ध करना बद्धनीय है। जहाँ तक असंगठित क्षेत्र के अमिकों का तबव है, यह निराय किया गया कि उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। त्रिपक्षीय सम्मेलन के तुरन्त बाद थम मनियों का एक सम्मेलन भी बुलाया गया ताकि देश में व्याप्त औद्योगिक सबधों की स्थिति के बारे में ग्रनीष्ठारिक विचार विनिमय किया जा सके।

### व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून सम्बन्धी समिति

त्रिपक्षीय अम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में अम मन्त्रालय ने जुलाई 1977 में अम चीज़ी की अध्यक्षता में व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून और भारतीय अम सम्मेलन के गठन के बारे में एक 30 सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति गठित की। इस समिति में 10 केन्द्रीय अधिकारी सम्मेलनों का एक-एक प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र के नियोजकों के छह प्रतिनिधि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजकों के तीन तथा राज्यों के सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के आठ और केन्द्रीय मन्त्रालयों के दो प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति के जिस्मे यह काम लगाया गया कि वह दो डूड़ यूनियनों, औद्योगिक विवादों सबधों से सबधित बर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य अम कानूनों, स्थायी आदेशों और अनुशासन वहित जैसी अमाविधिक योजनाओं का अध्ययन करे और अन्य बातों के साथ-साथ वह सिफारिश करे कि व्यापक औद्योगिक सबध कानून का सामान्य ढाँचा क्या हो। तू कि सरकार की यह नीति है कि जहाँ तक सभव हो, अधिकतम सलाह मंशविरा किया जाए, इसलिए इस नीति के अनुसरण में इस समिति ने प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध कानून के बारे में सभी सबधित घोषों से सुभाव अमंत्रित किए। इस समिति ने दो गई दो माह की समय-सीमा के अन्दर-प्रान्दर अपना काम पूरा कर लिया और 21 नवम्बर, 1977 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। इस रिपोर्ट में औद्योगिक सबध कानून के विषय पर नियोजकों, कर्मचारियों और कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के विचार शामिल हैं। इस समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की कि दो डूड़ यूनियनों, स्थायी आदेशों और औद्योगिक विवादों के बारे में तीन केन्द्रीय कानूनों को ममेकित कर दिया जाए। समिति ने इस कानून के विभिन्न पहलुओं को अतिम रूप देने की बात सरकार पर छोड़ दी। अम मन्त्रालय ने 25 नवम्बर, 1977 में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अवायुक्तों, केन्द्रीय सरकार अमन्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया, ताकि वे प्रस्तावित कानून के कुछ पहलुओं पर विचार-विमर्श कर सकें। इस समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 7 नवम्बर, 1977 को अम मन्त्रियों का सम्मेलन भी बुलाया गया। यद्यपि, इस सम्मेलन में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए गए तथापि इस रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले कुछ ग्राधारभूत प्रश्नों के बारे में काफी हद तक एकमत था।

इस समय सरकार इन प्रस्तावित कानूनों का अप्रौद्य तैयार करने के काम ने लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में उल्लिखित 'उद्योग' शब्द के सीमा क्षेत्र के बारे में हाल ही में विस्तृत निर्णय दिया है और अब इस राज्य और अन्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा के मामले में अपने निर्णय को पुन स्थापित करते हुए उसने यह निश्चित करने के लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि व्या कोई कार्य उद्योग के स्वरूप का है या नहीं।

1977 के दौरान औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय नियम), 1957 में

संशोधन किया गया, ताकि मृत वर्मनारो के बेंध उत्तराधिकारी मृत वर्मनारो वो देप राजियों की सगणना के प्रयोजन के लिए धमन्यायात्रा में प्रार्थना पत्र दायर कर सके।

### थ्रिमितों की सहभागिता सम्बन्धी समिति

सरकार प्रबन्ध में थ्रिमितों की सहभागिता के सिद्धान्त के बारे में वचनबद्ध है और इस बात के लिए उत्सुक है कि थ्रिमितों की सहभागिता वो तोई ऐसी योजना आरम्भ की जाए जो प्रभावी तथा मर्यादान हो। इप नीति के अनुष्ठान सरकार, 1977 में धमन्यों की घन्यधारा में एक समिति नियुक्त की ताकि वह बत्तमान सांविधिक तथा प्रारंभिक योजनाओं का मध्यवन करे और यह सिफारिश करे कि राष्ट्रीय घर्वन्यवस्था, कुशल प्रबन्ध और थ्रिमितों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए थ्रिमितों की सहभागिता की व्यापक योजना की झरणेवा कदा हो। समिति को यह सिफारिश करने के लिए बहा गया है कि थ्रिमितों की सहभागिता की योजना में उच्चों में न्यास और पूँजी (ईक्विटी) में थ्रिमितों की सहभागिता के सिद्धान्त वो विस सीमा तक और विस दण से व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। इस समिति की प्रबंध तक दो बैठकें हुई हैं और प्राप्ता है कि यह समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी।

### उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति

सरकार द्वारा 31 मई, 1977 को नियुक्त की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति ने 6 फरवरी, 1978 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

### कृपि तथा वन्धित थ्रिमित

आमीण असरणित थ्रिमितों के बारे में 25 जनवरी, 1978 को एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ, इस सम्मेलन में कृपिक्षेत्र के नियोजकों और थ्रिमितों तथा ऐसे स्वैच्छिक सगठनों, मस्तवाहों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया जो आमीण थ्रिमितों के साथ काम में लगे हैं। सम्मेलन ने आमीण थ्रिमितों के सगठनों के समुचित विकास, कृपि थ्रिमितों के कल्याण तथा रोजगार की सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक केन्द्रीय कानून की जरूरत, नेन्द्र तथा राज्य स्तरों पर स्थायी समितियाँ/कृपि थ्रिमित संघों वी स्थापना से सम्बन्धित प्रनेक विषयों के बारे में सिफारिश की। सरकार सम्मेलन द्वीप सिफारिश पर विचार कर रही है। आमीण थ्रिमित नगठनों के विकास को पढ़ावा देने के लिए सरकार वो इतनी चिन्ता है, इसका साक्ष्य देने के लिए भारत ने 18 अगस्त, 1977 को आमीण थ्रिमितों के सगठन से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय धमन्यायात्रा के भासिसमय सम्म्या 141 का अनुसमर्थन कर दिया। उक्त अभितमय में अनुसमर्वनकर्ता देशों से यह घोषणा की गई है कि वे स्वैच्छिक आवार पर आमीण थ्रिमितों के मजदूत और स्वनन्य सगठनों की स्थापना तथा विकास के काम को प्राप्तान बनाए।

दिसंबर, 1977 के प्रत्य तक भारत राज्यों/नव राज्य छेत्रों में पता लगाए गए 1,02,060 वन्धित अभियोगों में से 1,00,962 अभियोगों को मुक्त कराया गया। इनमें से 28,728 को किरण रो बसा दिया गया। राज्य सरकारों को मबाद दी गई है कि वे पुनर्वास को आमोण विकास योजनाओं का अभिन्न घट बनाएँ।

### थम स्थिति

आद्योगिक सम्बन्धों के छेत्र में मुख्य क्षेत्रक कारणों को दूर कर देने के बाद भी सरकार को यह प्रतीत हुआ कि आद्योगिक अशान्ति पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। कुछ छेत्रों में यह लगा मानो यह अशान्ति सर्वथा स्थानीय स्वल्प पारण कर रही हो, परन्तु यह माम वारण कि आद्योगिक अशान्ति देश भर में कैल गई है, तथ्यों के विपरीत थी। किरण भी इसा और अनुशानहीनता की घटनाओं से केवल प्रबन्धकों को ही नहीं, बहिक नियमेवार ट्रेड यूनियन नेताओं को भी अस्थीर चिन्ता हुई। सरकार ने इस प्रकार के कारणों की भूत्तना को और यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसी भी ट्रेड यूनियन के साथ पक्षपात्रपूर्ण सलूक करने वाली नीति नहीं अपनाएँगी और यह कि ट्रेड यूनियन नेताओं को अभियोगों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए और यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उन्हें सहाया देने के लिए सरकार से अथवा प्रबन्धकों की ओर से आहरी सहायता मिलेगी। इस घोषणा की सिफारिश राज्य सरकारों को भी दी गई, ताकि ट्रेड यूनियनों को यह भी स्पष्ट हो जाए कि उनके प्रति सरकार का रवैया क्या है। थम मन्त्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हबताल को प्रनितम हवियार मानना चाहिए और आद्योगिक सामज्जस्य की भावना के साथ वार्ता और परामर्श या न्याय-प्रियंक की मन्त्र प्रक्रियाओं द्वारा सभव हल खोजने के लिए अवश्य ही हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसे किसी भी करार या समझौते को अवधु कर नहीं मानेगी जो जबरदस्ती और हिना या धेराव दूनरे पक्ष से करवाया गया हो। गत एक वर्ष के दौरान सरकार की यह पूरी कोशिक रही है कि नियोजक कर्मचारी सम्बन्धों को मजबूत ग्राधार प्रदान करने के लिए केवल अल्पावधि उपाय ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक उपाय भी किए जाएँ।

पिछले सात वर्षों के दौरान आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रति वर्ष औसतन 200 लाख थम-दिनों की हानि हुई, परन्तु 1971 में कर्मचारियों और नियोजकों द्वारा भारत-नाक युद्ध के कारण प्रदूषित किए गए सथम के कारण केवल 165·5 लाख थम-दिन नष्ट हुए, 1974 में रेल कर्मचारियों की हड्डियाल के कारण नष्ट हुए थम-दिनों की संख्या बढ़कर 402·6 लाख हो गई। 1976 में घायात-स्थिति के कारण केवल 128 लाख थम-दिनों की हानि हुई। उपलब्ध प्रनितम आँकड़ों के अनुसार 1977 के दौरान 212·1 थम-दिन नष्ट हुए। 1971 और उसके बाद वार्ता थम स्थिति की उल्लेखनीय बात यह है कि तालाबन्दियों के कारण 78·83% थम-दिनों की हानि हुई, जबकि 1977 में तालाबन्दियों के कारण 52·83% थम-दिन नष्ट हुए। 1977 के दौरान इन्हें

कुल हानि वो केवल 10% समय हानि केन्द्रीय लेन्ड में है। 1977 के दौरान हुई समय हानि में से सरकारी लेन्ड में 15% समय हानि हुई थी।

### केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्म

इस समय आठ औद्योगिक अधिकरण एवं धर्म न्यायालय हैं जो केन्द्रीय लेन्डों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। इनमें से 3 धनवाद में हैं, दो वस्त्रहीन में तथा एक-एक बलक्षण, जवालपुर और दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में स्थापित निया गया ऐन्ड्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं धर्म न्यायालय देन्द्रीय क्षेत्र के विवादों के सम्बन्ध में कार्य करता है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और राजस्थान राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ सभ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। जब नीति आवश्यक होता है, तब केन्द्रीय सरकार राज्य अधिकरणों की सेवाओं का भी उपयोग करती है। केन्द्रीय सरकार अधिकरण एवं धर्म न्यायालयों तथा राज्य सरकारों और प्रशासनों द्वारा गठित कुछ धर्म न्यायालयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन असुविधाओं का नकटी भूल्य निर्धारित करने के लिए धर्म न्यायालय विनियोगित किया गया है।

1977 के दौरान औद्योगिक विवादों में समझौते की विफलता के सम्बन्ध में प्राप्त हुई 1,003 लिपोटों में से 306 को न्याय निरांय के लिए भेजा गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-के अधीन 3 पचनिएंय हुए। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रवागित हुए 544 पचाटों में से 125 अभिकों के पक्ष में थे, 103 पचाट अभिकों के विरुद्ध, 134 सहमति पचाट और 182 'कोई विवाद नहीं' सम्बन्धीय पचाट थे। कुछ प्रमुख विवादों में सरकार ने स्वीकार्य हुल खोजने के लिए केन्द्रीय धर्म मन्त्री के स्तर पर हस्तक्षेप किया तथा सफलता प्राप्त की। इस प्रकार के उदाहरणों में पतनों तथा गोदिथों में मजदूरी दरों में सशोधन के बारे में विवाद हिन्दुस्तान शिपियार्ड में मजदूरी दरों में सशोधन के बारे में विवाद, बलक्षण इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, राँची में विवाद और सीमेट डिवोर्ग में मजदूरी दरों में सशोधन करने के बारे में विवाद शामिल हैं।

### मजदूरी-दर, भत्ते और बोनस

केन्द्रीय सरकार द्वारा धर्मजीवी पक्षकारों और गैर-पक्षकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्तरिम मजदूरी-दरों पहली अप्रैल, को अविसूचित की गई थी और राज्य सरकारों से यह कहा गया कि वे उन्हें लागू करायें। दो मजदूरी बोर्डों से कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिनिधि वापिस ले जैन से जो गतिरोध पैदा हो गया था, उसे समाप्त हुआ माना जाता है, क्योंकि धर्म मन्त्रालय इन पक्षों से विचार-विमर्श कर रहा है।

अभिकों के कमजोर तथा असमर्थ वर्गों की विशेषज्ञता ऐसे अभिकों की जिनकी आप परम्परागत रूप से कम चली आ रही है, मजदूरी-दरों में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान न्यूनतम मजदूरी

अधिनियम, 1948 के अधीन फ्लार्ड-बारेट, क्वार्टेज और निलिंग सानों के सम्बन्ध में न्यूनतम भजदूरी-दरे निर्धारित की गई। इनसे इन वानों के कभी भजदूरों पाने वाले श्रमिकों को लाभ होगा, जिनकी सह्या कठुन अधिक है। अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रकुपिष्ठाओं को बेलाइट सानों के श्रमिकों को भी उपलब्ध कराने के विचार से, फ्लार्ड सानों को भी अधिनियम की अनुचूची में शामिल कर दिया गया। इन सानों तथा अनेक अन्य वानों जैसे पेन्नपार रेडीबनाइड लेटराइट तथा हीलोमाइट सानों के सम्बन्ध में भी न्यूनतम भजदूरी-दरे निर्धारित करने सम्बन्धी प्रमाण अधिसूचित कर दिए गए हैं।

कृषि के जैव में न्यूनतम भजदूरी-दरों में थीर अधिक बार नियोगन करने तथा न्यूनतम भजदूरी अधिनियम के प्रबन्धन को सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए। 1975 के आसानाय अधिकार राज्य सरकारे कृषि श्रमिकों की भजदूरी दरों में संशोधन कर चुकी थी। इसके अनावा प्रबन्धन तन्त्र की पुनरीक्षा करने तथा उन संबद्ध विनाने के प्रयास भी जारी रहे। बीड़ी डचोम के सम्बन्ध में नवमंदर, 1977 में राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि न्यूनतम भजदूरी-दरों में संशोधन करने का काम पहती मई, 1978 तक पूर्ण कर दिया जाना चाहिए।

भजदूरी सन्दाय अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए इनार्दि गई दीमा योजना के लिए अगदान की दावत कटौतियाँ की जा सकें।

नामान पारिश्रमिक अधिनियम छव 22 योजनारो पर लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के उपक्रमों को आधिक कार्ड-कलाप के प्रन्य क्षेत्रों में क्रमिक रूप से लागू करने का विचार है।

बोनम सन्दाय अधिनियम द्वारा संशोधन करके अन्य वानों के नामनाम 8.33% की दर से न्यूनतम बोनस देने की व्यवस्था की गई, खाद्य प्रतिक्रियान के पास यावदनीय अधिकेप हो या न हो। बैंकिंग कर्मचारियों और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण नियम को अधिनियम द्वी परिधि के अन्तर्गत लाया गया और कुछ रघोरायों के अन्यायीन अधिनियम में निर्धारित शामुले से भिन्न फामुले के आधार पर समझौते के अनुसार बोनम के मुगलान द्वी व्यवस्था दी गई। यह भजोद्धन 1976 के विदी भी इन से जु़रू होने वाला लेखा वर्ष के सबध में लागू होगा। बोनम के बारे में भावी नीतियों का निरांय, मजदूरी-दरो, प्राप्त और मूल्यों सम्बन्धी संमेलन नीतियों के भाग के रूप में किया जाएगा।

### समाज सुरक्षा

कर्मचारी राज्य दीमा योजना को शाम करने हुए 24 फरवरी, 1977 को 25 वर्द पूरे हो गए। आरम्भ ने इन योजना के अन्तर्गत लगभग 1.20 लाख औद्योगिक अधिक शामिल के। दिसम्बर, 1977 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत लाए जा चुके श्रमिकों द्वी सह्या लगभग 55.28 लाख थी। आलोच्य वर्ष के दौरान इस केन्द्रो के लगभग 2.42 लाख श्रमिकों द्वी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया। चिनिता लाभ पाने वाले लाभानुभोगियों द्वी सह्या बढ़कर 232.39 लाख हो गई।

निगम के द्वारा 12,408 पलगो वाले 62 पूरणीय कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, 450 पलगो वाले 24 कर्मचारी राज्य बीमा उपभवन और 177 कर्मचारी राज्य बीमा श्रीपथालय हैं। इसके प्रतिरक्त, विभिन्न राज्यों में 3461 पलगो वाले 18 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों, 354 पलगो वाले 18 कर्मचारी राज्य बीमा उपभवनों और 28 कर्मचारी राज्य बीमा श्रीपथालयों का निरुपय हो रहा है। बीमाणुदा व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध पलगो बीमुल सम्युक्त इस समय 17,774 है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमाणुदा व्यक्तियों नीति देव बीमारी प्रमुखियाओं की प्रवधि को पहली मई, 1977 से एक वर्ष में 16 दिनों से बढ़कर 91 दिन कर दिया है। इन प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा यात्रा के प्रनगर्न बीमारी प्रमुखियाओं का स्तर अब उस स्तर के बराबर हो गया है जो विकासशील देशों के लिए प्रनर्वाप्तीय भग्न मगठन के प्रभितमय में निर्वारण किया गया है। इसके प्रतावा, स्थायी रूप से अग्रकृत हो गए ऐसे बीमाणुदा व्यक्तियों का या नेमे मृत बीमा शुदा व्यक्तियों के ग्राधितों को, जो शोजगार भलभी चाट के बारण 31 भार्व, 1975 से या उससे पहले अग्रकृत हो गए, मर गए, देव स्थायी प्रशासना प्रमुखिया और आधित-प्रमुखिया पेशन पहली अक्कनवर, 1977 से बड़ा दी गई। वह भी निरुपय किया गया है कि जिस दिन से कोई बीमाणुदा व्यक्ति चिकित्सा मुखिया का हकदार बनता है, उसी दिन से बीमाणुदा व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा मुखिया का हकदार बना दिया जाए, न कि 13 सप्ताह इन्तजार करने के बाद। यह भी निरुपय किया गया है कि वहें श्रीदीगिक थेनों में चन्द एक स्वास्थ्य-लाभ शृंही का निर्माण किया जाए, ताकि वित्तीय परिस्थितियों में बीमाणुदा व्यक्तियों के परिवारों दो भी चिकित्सा मुखियाएँ दी जा सकें और चिकित्सा-लाभ के भाग के रूप में हुक्मन घरों, डायलिसिस/ट्रीस्प्लाइ आदि भी व्यवस्था की जा सके।

कर्मचारी निधि तथा प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम सिनम्बर, 1977 के अन्त तक 154 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बगों पर लागू किया जा चुका है। उसी तारीख नक अग्रदान देने वालों की संख्या 88-50 लाख थी। वेतन के 8% की दर से अग्रदान की परियोग्दित दर 50 या उग्र स अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 94 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के बगों पर लागू थी। अधिक के भविष्य निधि सचयनों म जमा किए जाने वाले व्याज की दर वर्ष 1977-78 के सम्बन्ध म 8% प्रति वर्ष थी। जनवरी-मितम्बर, 1978 के दौरान लगभग 2-53 लाख दावों के निपटान के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई। दूसरे से लगभग 2-33 लाख दावों वा निपटान कर दिया गया। 92% दावों का निपटान तथा भुगतान 30 दिनों के प्रन्दर-प्रन्दर दर दिया गया। मृत्यु राहत निधि के प्रधित लाभ भी राजि के अप्रैल, 1977 से बढ़कर 1,000 रुपये कर दिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सधोपन करके उसके उपबन्धों को सरेस तथा इनेक नीर्माण, पर्यावरणादानों, मध्दनी साधान बीड़ी निर्माण आदि में लग घरेक प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया गया। निधि के सदस्यों को पहली अगस्त, 1976 म कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना की प्रमुखियाई मिलती रही।

31 दिसम्बर, 1977 तक की स्थिति के अनुसार कोयला खान भवित्व निधि परिवार पेश और जमा सम्बद्ध बीमा योजनाओं के अन्तर्गत लाई जा चुकी कोयला खानों और सहायक सगठनों की कुल संख्या 994 थी। 31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार कोयला खान भवित्व निधि में प्रशंदान देने वाले यदस्पो की वास्तविक संख्या लगभग 670 लाख थी। जनवरी दिसम्बर 1977 के दौरान 34516 व्यक्ति नए सदस्य बनाये गए। मृत्यु राहत निधि के अधीन लाभ की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। 31 मार्च, 1977 को निधि की बकाया देय रक्षि वही थी, जो 31 मार्च, 1976 को थी, अर्थात् 2155 करोड़ थी। इस देव राशि की वसूली के लिए व्यभियोजन तथा प्रमाणपत्र मामले न्यायालयों में शनिर्वाति पड़े थे। कल्याण और रहन-सहन की दशाएँ

कोयला, अभ्रक, लोह अवस्क और चूला परथर तथा डोलोमाइट खानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वापित की गई कल्याण निधियाँ अन्य वातों के साथ-साथ दन खानों में नियोजित अधिकों को चिकित्सा, मनोरजन, शिक्षा, जल-पूर्ति और आवास सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती रही।

कोयला खान थम कल्याण संस्था के अधीन विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 3 केन्द्रीय और 12 क्षेत्रीय अस्पताल हैं। चान्दा कोयला क्षेत्रों में 30 पलगो वाले एक क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। तालचर में सेंट्रल कोल-फ़िल्ड्स लिमिटेड के अस्पताल में विशिष्ट इलाज के लिए एक बांड का निर्माण भी किया जा रहा है। यह संस्था भारिया कोयला-क्षेत्रों में मुख्या स्थान पर एक स्पर्श ऐतोपेंथिक औषधालय, असम कोयला-क्षेत्रों में शिलांग नामक स्थान पर एक चलते-फिरते चिकित्सा एकाङ्क, पाथरडीह में एक आयुर्वेदिक फार्मसी तथा विभिन्न कोयला-क्षेत्रों में 29 आयुर्वेदिक औषधालयों की व्यवस्था करती रही। कोयला-क्षेत्रों में जल-पूर्ति की पुरानी समस्या को कम करने के लिए कोयला खान प्रबन्धको/राज्य सरकारों शादि से यह अनुनय किया गया कि वे संस्था से लागत के 50% तक वित्तीय सहायता प्राप्त करके जलपूर्ति की योजनाओं को लानू करने का काम शुरू करें। खास जोषरामपुर और कोडागुडुम कोयला खानों के सम्बन्ध में 338 लाख रुपये के अनुदान की किसी मन्त्री की गई और सिवरेट कोयला खानों के प्रबन्धकों को 271 लाख रुपये की अविक सहायता दी गई। चालीस कोयला खानों के मध्यमें जलपूर्ति की समेकित योजनाओं सहित जलपूर्ति की योजनाएँ विचार की विभिन्न अवस्थाओं में थीं। कम लागत आवास योजना के अन्तर्गत 20,773 मकान और नई आवास योजना के अन्तर्गत 50,478 मकान बन कर तैयार हो गए। इन दो योजनाओं के अधीन 14,789 मकान निर्माणित थे।

अभ्रक खान थम कल्याण संस्था के अधीन विभिन्न राज्यों में 3 केन्द्रीय अस्पताल, 2 क्षेत्रीय अस्पताल, एक क्षेत्रीय तपेदिक अस्पताल, 2 नपेदिक अस्पताल/बांड और 3 प्रन्तरग बांड हैं, जो अभ्रक खानों की आवस्यकताओं को पूरा करते हैं। इमके अलावा, 18 आयुर्वेदिक औषधालय, 8 ऐतोपेंथिक औषधालय,

4 चलते-फिरते एक, एक स्थिर एव चलता-फिरता औपधालय, और 12 प्रसूति तथा शिशु कल्याण/लघु समुदाय केन्द्र है। बिहार धेन म अभियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 740 लाख रुपये की लागत से 74 कुएँ खोदे गए हैं। अन्य धोत्रों म जलपूति योजनाएँ भी मन्त्रूर की गई हैं। 'अपना यावान बनाओ योजना' के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश म 290 आवेदकों को वित्तीय सहायता मन्त्रूर की गई है। राजस्थान से प्राप्त हुए 35 प्रार्थनान्यन विचाराधीन हैं। यद्व तक द्वारका अभियों सम्बन्धी विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 421 मकान बनाए गए हैं।

लोह अयस्क खान थ्रम कल्याण सम्पादना द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा मुविधायों में करियामन्त्रूर में 25 पलगों वाला एक केन्द्रीय अस्पताल, जिसे 50 पलगों वाला अस्पताल बनाने का विचार है, गोवा में 30 पलगों वाला केन्द्रीय अस्पताल, जिसे 100 पलगों वाला अस्पताल बनाने का विचार है, बाडजामूदा म एक आपात् अस्पताल और एक चलता-फिरता औपधालय, उडीसा म 2 प्रार्थिक स्वास्थ्य कन्द्र और एक चलता-फिरता औपधालय, महाराष्ट्र में एक, मध्यप्रदेश में 3 चलते-फिरते चिकित्सा एक, कर्नाटक में 2 चलते-फिरते एक और गोवा म एक चलता-फिरता एक शामिल है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1977 तक 11,882 मकान बनाने की मजूरी दी गई। इनमें से 7,910 मकान बनकर तैयार हो गए हैं और 757 मकान निर्माण की भित्र अवस्थायों में हैं। अनेक जलपूति योजनाएँ भी बनकर तैयार हो गई हैं।

नूना परबर तथा डोलामाइट खान थ्रमिक कल्याण सम्पादन के अधीन राजस्थान में जामुझा-रामगढ़ और गोतान में दो, गुजरात राज्य ने छोटा उदयपुर में एक और मध्य प्रदेश में जामुद्रल में एक आयुर्वेदिक औपधालय है और गुजरात में डगरपुर स्थान पर एक ऐलोर्पिथिक औपधालय है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक स्थिर-एव चलता-फिरता औपधालय तथा चलते-फिरते चिकित्सा एक भी खोले गए हैं। सतना सीमेट बक्से, बबलपुर धेन के प्रबन्धकों की एक जलपूति योजना बन कर तैयार हो गई है और इसे चलाने के लिए 93,000 रुपये की राशि दी गई है। मुदनेश्वर धेन में 143 लाख रुपये की लागत से एक जलपूति योजना का निर्माण-कार्य चल रहा है। कम लागत आवास योजना के अधीन 1,655 मकान मजूर किए गए हैं जिनमें से 612 मकान बन पर तैयार हो गए हैं।

बीड़ी थ्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत बीड़ी थ्रमियों के कल्याण के लिए जैसी ही आवेदन (श्रोटोटाइग) योजनाएँ बनाने का विनार है जैसी कि अन्य कल्याण सम्पादनों ने बना रखी है। आरम्भ में मैसूर में 10 पलगों वाला अस्पताल (योजन की व्यवस्था के बर्पर), उडीसा और पश्चिम बंगाल के लिए 2 चलते-फिरते चिकित्सा एक और मगलीर में एक चलता-फिरता चिकित्सा एक मजूर किया गया है।

### सुरक्षा और कामकाज की दशाएँ

वर्ष 1977 के अन्तिम अक्टूबर के मनुसार कोयला तथा गैर-कोयला दोनों प्रकार की खानों में 314 व्यक्ति मरे, जबकि 1976 और 1975 में मरने

बालों की संख्या इमण्ड 389 और 734 थी। 1977 के दौरान ऐसे व्यक्तियों, जिन्हे गम्भीर नोटे याई हो, जो संख्या 2913 थी, जबकि 1976 प्रौढ़ 1975 के बर्यों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या इमण्ड 2671 और 2879 थी। 1977 के दौरान स्थानों में प्रति एक हजार व्यक्ति मृत्यु दर 0.41 थी। 1976 में यह दर 0.51 प्रौढ़ 1975 में 0.95 थी। गम्भीर चोटों की दर 1977 में 3.82 रही, जबकि 1976 और 1975 में यह दर इमण्ड 3.50 प्रौढ़ 3.75 थी। अवतूबर, 1977 के प्रवृत्त तक कोयला खानों में 3.45 लाख श्रमिकों को और गैर-कोयला खानों में 0.84 लाख श्रमिकों को बट दिए गए। 319 लाख कोयला-खनिकों प्रौढ़ 14 लाख गैर-कोयला खनिकों को हैल्पट दिए गए।

मुख्य कारखाना निरीक्षकों का 26वाँ सम्मेलन दिसम्बर, 1977 में ऐराफ्युलम् में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सदस्यों ने 4 मार्च, 1977 को देश भर में छठा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। प्रत्युत्तर बड़ा उत्साहजनक था। श्रमिकों को प्रेरणा देने और उनमें सुरक्षा चेतना जाग्रत् करने के विचार से परिषद् ने मुरक्का निवन्धों, नारों और पोस्टरों के बारे में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।

पत्तनों और गोदियों में दुर्घटनाप्रो से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1977 में 17 घातक दुर्घटनाएँ हुईं जबकि इसकी सुलता में 1976 में 19 प्रौढ़ 1975 में 30 दुर्घटनाएँ हुईं थी। 1977 के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या 2166 थी जबकि 1976 और 1975 के बर्यों में क्रमशः 2070 और 1794 घघातक दुर्घटनाएँ हुईं थी। गोदी मुरक्का निरीक्षणालय ने विभिन्न पत्तनों में सुरक्षा और मोटी कार्य के बारे में 95 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी।

केन्द्रीय सलाहकार ठेका थम बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय भेदव के अनेक सैकटरों में ठेका थम प्रणाली का उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए हैं। एक मोटे अनुसार केन्द्रीय भेदव के उद्योगों में संग्रहग 10 लाख व्यक्ति ठेका थमिकों के रूप में नियोजित हैं, जिन्हे मुक्त कराया जाएगा। थम मन्त्रालय इन सभी लोगों को अगले 2-3 वर्ष के दौरान मुक्त करने का प्रयास करेगा ताकि वे ठेकेदारों के रहमोकरम पर न रहे। रेलवे के प्रतिष्ठानों, घावनी बोर्डों, मुख्य पत्तनों, खानों या तेल-ज्योगी और वैकिंग तथा बीमा कम्पनियों जैसे प्रतिष्ठानों (जिनके सम्बन्ध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है) की मिलकियत बाले या इनके द्वारा अधिकारित भवनों में भाड़ लगाने, सफाई करने, घूल भाइने और बैरकरी रखने के दस्तों में ठेका थम प्रणाली का लिया गई है।

एक नमिति ने दादन थमिकों की दण्डों वा अध्ययन किया और जनवरी, 1978 में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है।

### शिक्षा एवं प्रशिक्षण

श्रमिक शिक्षा योजना के प्रन्तरेन देश भर में फैले उसके 40 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों वो प्रशिक्षण किया जाना जारी रहा। इस योजना के

यारम्भ में दिसम्बर 1977 तक 44,938 थमिक शिखरों को प्रशिक्षण दिया गया जिन्होंने आपे चलकर यूनिट एक के 22 लाख अधिकारी वो प्रशिक्षित किया। इनमें 1977 के दौरान प्रशिक्षित विए गए 3845 थमिक शिखर और लगभग 174 लाख थमिक शामिल थे। 1977 के अन्त तक 627 यूनियन/संगठन कायकर्मों को आयोजित परने के लिए सहायता अनुदान के रूप में 2149 लाख रुपय प्राप्त कर चुके थे इन कायकर्मों में 187 लाख थमिकों ने भाग लिया। वर्ष 1977 के दौरान 428 लाख रुपय का अनुदान दिया गया और इन कायकर्मों में 25,133 थमिकों ने भाग लिया। बेंद्रीय थमिक शिक्षा बोर्ड न ग्रामीण थमिकों के लिए परियोजनाएँ आरम्भ की हैं ताकि उन्हें अपने सामाजिक एवं आर्थिक बातांडरण की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सके ताकि याम समुदाय के सदस्यों तथा नागरिकों के रूप में उन्हें व्याधिकार प्राप्त हैं तथा उनकी व्याधि जिम्मेदारियाँ हैं। 1977 के दौरान थमिक शिक्षा कार्यक्रम में 7054 थमिकों वो शामिल किया गया। जहाँ तरु थमिकों का सम्बन्ध है, विचार यह है कि राष्ट्रीय प्रीड शिक्षा कार्यक्रम के साथ केंद्रीय थमिक शिक्षा बोर्ड की ओर सरिय रूप से सम्बद्ध किया जाए।

1977 के दौरान कारखाना सत्राह सेवा थम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के मुरक्का बेंद्रो वे अधिकारियों ने आपे दिन से छ दिन तक वी अवधि वाले 910 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए और प्रबन्ध-कार्मिकों और थमिकों दोनों वे लाभ के लिए घोषोंगिस गुरुका के अनेक विषयों के बारे में विचार गोष्ठीयों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त मुरक्का बेंद्रो ने 50 मुरक्का परियोजनाओं तथा अध्ययनों का सचालन भी किया।

1977 के अन्त तरु राष्ट्रीय थम संस्थान ने शामिकों, श्रीदोगिक सम्बन्ध अधिकारियों, ट्रेई यूनियन नेताओं आदि के लिए 9 विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संस्थान ने आधिक प्रदेश, विहार और पश्चिम बंगाल में अनेक ग्रामीण थमिक शिक्षियों का आयोजन किया। सेमिनार और परिचर्चाएँ आयोजित ही तथा अनेक अनुसंधान परियोजनाओं का सचालन भी किया। बाहर के चार देशों के माहिर/विशेषज्ञ अपने वायदों तथा परियोजनाओं को पूरा परने के लिए भिन्न भिन्न अवधियों के लिए इस संस्थान में प्राए। चार विदेशी नागरिक 'इष्टनंशिप' पर इस संस्थान में शामिल हुए और इस संस्थान के 5 व्यक्तियों, सेमिनारों, अध्ययन-दौरों और सम्मेलनों के सम्बन्ध में अनेक देशों में गए।

### अनुरान्धान तथा आँकडे

थम-ब्यूरो, शिमला सर्वेक्षण जौने और अनुसंधान अध्ययन करने के अतिरिक्त, रोजगार, मजदूरी दरों, आय, श्रीदोगिक विवादों, कामकाज वी दशाओं और श्रीदोगिक तथा कृषि थमिकों सम्बन्धी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में आँकडे एवं अन्य भूचना एकत्र तथा प्रकाशित करता है।

दिसम्बर, 1977 के अन्त तक विभिन्न सरकारी देशों के उपकरण में थमिक दशाओं के अध्ययन कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 उद्योगों में अध्ययन किया गया।

43 उद्योगों के बारे में रिपोर्टों से अनिम सूप दे दिया गया तथा वे बाँट दी गईं। सजोधित कार्यपद्धति के अनुसार 15 केन्द्रों के सम्बन्ध में खकलित किए तुलनात्मक महंगाई मूचकांक की वित मन्दालय द्वारा जाँच भी जा रही है।

इसरे व्यायामायिक भजदूरी सर्वेक्षण बाल्यूम-2 का भाग-1 इड, 1977 के दीरान तथा भाग-2 दिसंबर, 1977 के दीरान प्रकाशित किया गया। इस बाल्यूम के अनिम भाग के जीव्र ही प्रकाशित होने की आसा है। थम घूरों ने थम मांसियकी सुधार योजना के अन्तर्गत 5 से 22 अक्टूबर, 1977 तक थम सांस्थियकी ने सम्बन्ध में 13वें केन्द्रीय प्रणित योजना पाठ्यक्रम का चारों ओर किया। इस पाठ्यक्रम में अनेक राज्यों/संघ राज्य छोरों तथा देशीय विभागों के 22 अधिकारियों ने भाग लिया।

थम घूरों इष्टिवन नेवर जर्नल में नियमित रूप से ग्रीवोगिक धर्मिकों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रीसत उपभोक्ता मूल्य मूचकांक प्रकाशित करता रहा, जो 1960—100 के आधार पर 50 केन्द्रों के मूचकांकों की वेटिंग ग्रीसत है। इस रिपोर्ट के परिणाम-1 में एक विवरण दिया गया है, जिसमें 1960—100 के आधार पर अखिल भारतीय थमजीवी वर्ष उपभोक्ता मूल्य मूचकांक (खाद्य तथा मामान्य) और 1961-62—100 के आधार पर अखिल भारतीय थोक मूल्य मूचकांक (खाद्य तथा मामान्य) के बारे में अकिंडे दिए गए हैं।

**अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन को बैठके तथा अन्य महस्त्वपूर्ण विषय**

ग्रनिममय नमिति का 12वाँ अधिवेशन 7 अक्टूबर, 1977 को हुआ जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के कुछ अभिसमयों की पुनरीक्षा की गई ताकि उनका अनुसंधारण किया जा सके तथा उन्हें जागू किया जा सके।

ग्रन्तराष्ट्रीय थम सम्मेलन का 63वाँ अधिवेशन पहली जून, 1977 में 22 जून, 1977 तक जेनेवा में हुआ। कुछ समय तक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व बैन्द्रीय थम मन्त्री ने किया। जेनेवा से उनके जाने के बाद इस प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व गुजरात के थम मन्त्री ने मम्भाला। इस सम्मेलन में 1978-79 के दो वर्षों का बजट तथा उपचर्या थमिकों के काम के बातावरण तथा रोजगार और काम तथा जीवन की दशाओं में सम्बन्धित एक अभिममय तथा एक सिफारिश पारित भी गई। इस सम्मेलन में कुछ निष्पत्ति भी पारित किए गए जो थम-प्रशासन तथा संघ बनाने की स्वतन्त्रता और मरकारों सेवाओं में रोजगार भी शर्तों को तय करने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में थे।

इस 1977 के द्वीरान ग्रन्तराष्ट्रीय थम सगठन के ग्रामी निकाल की तीन बैठकें हुईं। भारत मरकार के प्रतिनिधियों ने इन सभी बैठकों में भाग लिया। इस ग्रामी निकाय के 204वें अधिवेशन में इस बात को नोट किया गया कि सयुक्त राज्य मरकार 6 नवम्बर, 1977 के अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन में हृष्ट गई है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन को मिलने वाला अवधान 25% कम हो गया। आय रो इस क्षति भी पूर्ण के लिए ग्रामी निकाय ने 1978-79 के दो वर्षों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के बजट तथा कार्यक्रम में 366 साल डॉलरों की कटौती करना स्वीकार किया।

एशियाई सलाहकार समिति का 17वाँ अधिवेशन 29 नवम्बर, 1977 से 8 दिसम्बर, 1977 तक मनोला म हुआ। समिति द्वारा किये गए विषयों में एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के कार्यों की पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन और अन्तर्राष्ट्रीय थम-मानकों का अनुत्तमरूप तथा उनका वार्तालालय शामिल था। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व इस मन्वालय के अपर सचिव ने किया।

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के शासी निकाय ने बहु राष्ट्रीय उद्यमों और सामाजिक नीति से सम्बन्धित सिद्धान्तों का एक विशेष धोषणापत्र स्वीकार किया जिसे थम मन्वालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन की एक विप्रकारी सलाहकार बैठक में प्रनितम रूप दे दिया गया था।

1977 के दौरान हुए अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन की अन्य बैठकों में भवन, सिविल इंजीनियरी और लोड निर्माण सम्बन्धी समिति का 9वाँ अधिवेशन, धातु व्यापार समिति का 9वाँ सत्र, व्यवसायी थमिकों के रोजगार और कामकाज की दशाघो सम्बन्धी विपक्षीय बैठक सिविल विमान सम्बन्धी विपक्षीय तकनीसी बैठक, डाक व दूर-संचार सेवाओं में रोजगार तथा कामकाज की दशाघो सम्बन्धी संयुक्त बैठक शामिल हैं। इन बैठकों में भारत के प्रतिनिधित्व भी शामिल हुए थे।

1977 के दौरान अनुमूलित जातियों तथा जनजातियों सम्बन्धी सेल ने चार शिकायतें प्राप्त की और उनका तुरन्त निराकरण कराया।

#### प्लान कार्यक्रम

थम मन्वालय की वार्षिक योजना 1978-79 के लिए 499 05 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न मुख्य पुस्तकों के सम्बन्ध में इस परिव्यय का व्यौरा इस प्रकार है—

#### रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यक्रम

(रुपये लाखों में)

1 प्रशिक्षण योजनाएँ	225 25
2 रोजगार सेवा	11 65
	<hr/>
	236 90

#### मुख्य मन्वालय के कार्यक्रम

1 आर्थिक सुरक्षा स्वास्थ्य विज्ञान और व्यावसायिक स्वास्थ्य	17 65
2 लान सुरक्षा (एस एण्ड टी कार्यक्रम तथा बचाव सेवाओं के कार्यक्रम सहित)	60 00
3 अभिक्रियक शिक्षा	11 00
4 थम अनुसन्धान संस्थिकों	47 50
5 राष्ट्रीय थम संस्थान	21 00
6 कृषि अभिक्रियक सेल (वन्धित अभिक्रियक पुनर्वास सहित)	102 00
7 मजदूरी सेल	3 00
	<hr/>
उप जोड़	262 15
कुल योग	<hr/>
	499 05



## प्रश्न-कोश

### (QUESTION BANK)

---

#### Chapter 1 to 3

- 1 “धम बाजार की बाधारमूत विशेषता यह है कि धम सभो के अमाद में, इसमें दो वस्तुओं परों के बीच शोदा होता है।” विवेचन कीजिए। (1971)
- “The basic character of the labour market is that, in the absence of trade unions, it is a bargain between two unequal parties.” Discuss.
- 2 धम-बाजार किस कहने हैं? एक पीछे की ओर नुकता हूँआ धम-मूलि यक बनाए तथा उपर्युक्त कीजिए कि यह ऐसा रूप होता है। (1977)
- What is a labour market? Draw a backward bending labour supply curve, and explain why it is so.
- 3 एक दूर्घट-विकल्प वम-बाजार के क्षम तत्व हैं? एक विकल्पित देश में धम-बाजार की किया इस प्रकार होनी है? धम-बाजार और वस्तु-बाजार की व्युत्तियाँ की तुलना कीजिए। (1973)
- What are the constituents of a well-developed labour market? How does it function in an industrially advanced economy? Compare the imperfections of the labour market with those of the product market.
- भारत की परिस्थितियों के सन्दर्भ में धम बाजार के मध्य लक्षणों का व्यवहार कीजिए। भारत में इस बाजार के विकास एवं गुणार हेतु सुझाव दीजिए। (1976)
- Discuss the main features of the labour market with reference to Indian conditions. Give suggestions for developing and improving this market in India.
- 5 धम बाजार की विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए।
- “भारतीय धम बाजार एवं विकल्पित देशों के धम बाजारों में भिन्नता सारांहुं न होकर केवल यात्रा में ही है।”
- उक्त वाक्यांश का वरीखण कीजिए। (1975)
- State the characteristics of labour market
- “Differences between the Indian labour market and labour markets in developed countries are not of essence but only of degree.”
- Examine the above statement
- 6 स्था धमिक यथा धम-मूलि को नियमित करते हैं? यदि करते हैं तो कौन? इस सम्बन्ध में भारतीय अनुसार ही वर्णन और अमेरिकी अनुसार की तुलना कीजिए। (1973)
- Do trade unions regulate the supply of labour? If so, how? In this context compare Indian experience with experience in the United States and the U.K.
- 7 धम-दोषों में विवरित के अनुसार धम-मार्ग और धम-मूलि होने में कौन-कौन से बातें स्फारट दावती हैं? (1974)
- What are the factors that prevent demand and supply of labour from varying in accordance with the changes in wage rates.

## 350 भजदूरी नीति एवं सामाजिक मुरक्का

8 मनदूरो-निर्धारण के सदसे याय सिद्धान्त वो परीका कीजिए। इस सिद्धान्त की व्येष्टता स्पष्टित करने के उद्देश्य से इसकी तुलना मनदूरी के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धान्तों से कीजिए। (1971)

Examine the most acceptable theory of wage determination. With a view to establishing its superiority, compare it with the other important wage theories.

9 या भारत में ध्यात्मित और अध्यात्मित लक्ष्यों में वेतन निर्धारण का एक हो सिद्धान्त लागू हो सकता है? सिद्धान्तिर दृष्टि से उसे क्यों कीजिए। (1973)

Can a single theory of wage determination explain wage behaviour in the organised and the unorganised sectors in India? Develop your argument with a theoretical framework.

10 मनदूरी से या आपात है? द्वान्धिक मनदूरी तथा वास्तविक मनदूरी में द्वातर कीजिए। वास्तविक मनदूरी में परिवर्तन की मात्रा करने हेतु आप बिन-किन तत्वों की विचार में से? What is meant by 'wages'? Distinguish between nominal and real wages. What factors would you take into account estimating changes in the real wages of a labourer?

"मनदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त मनदूरी निर्धारण की व्यवर्णित व्याख्या करता है क्योंकि न तो सीमान्त भौतिक उत्पादकता और न सीमान्त मूल्य उत्पादकता मनदूरी के निर्धारण को बास्तुरहीन समझती है।" विवेदन कीजिए।

"The Marginal Productivity Theory of Wages offers an unsatisfactory explanation for the determination of wages as neither marginal physical productivity nor marginal value productivity can serve as the basis for determining wages." Discuss

मनदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का बालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह सीमान्त मूल्य-उत्पत्ति तथा सीमान्त याय उत्पत्ति में मेंद कीजिए। (1977)

Critically examine the marginal productivity theory of wages. Distinguish between the marginal value product (MVP) and marginal revenue product (MRP) of labour.

13 "आधुनिक मनदूरी सिद्धान्त को परि मनदूरी नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय पथ-प्रदातक होता है तो उसे आवश्यक रूप से सामाजिक एवं सामाजिक तरीके के प्रभावों वो जादित करता चाहिए।"

इस कथन की समीक्षा कीजिए। (1976)

"A modern wage theory, if it is to be a reliable guide to wage policy must include the influences of the social and institutional factors."

Discuss the statement!

14 मनदूरी के जीवन स्तर सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। यह सिद्धान्त मनदूरी के जीवन-रक्षा सिद्धान्त से किस प्रकार व्येष्ट है?

Critically examine the Standard of Living Theory of Wages. In what way this Theory is better than the Subsistence Theory of Wages.

15 धर्म-वर मनदूरी वी दर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

How do the trade unions influence wages?

16 राष्ट्रीय लाय एवं धर्म वर मनदूरी प्रभावित करते हैं क्यों हितेजन कीजिए। (1976)

Comment on the factors which influence labour's share in National Income.

17 राष्ट्रीय याय वितरण में धर्म के हिस्से की विवेचना कीजिए। क्या मनदूरी-याय व्युत्पात में विपर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है? (1976)

Discuss the share of labour in national income distribution. Does the wage-income ratio tend to be constant?

- 18 समय-मजदूरी तथा कार्य-मजदूरी के बीच अन्तर वर्णाइए। इनके गुण-दोषों की भी विवेचना कीजिए।**  
**Distinguish between Time and Piece Wages Also discuss their merits and demerits.**
- 19 भारत में न्यूनतम मजदूरी विधान के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्या यह उचित प्रकार से नाम किया गया है?** (1977)  
**Discuss the provisions of the Minimum Wage Law in India Has it been satisfactorily implemented?**
- 20 अनिको को पासिलीबन देन की विभिन्न नीतियों का विवेचन कीजिए। समयानुसार मजदूरी की तुलना में कार्यानुसार मजदूरी को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।**  
**Discuss the various systems of remunerating labour Critically examine the chief merits of piece rate overtime rate system**
- 21 आप इन बातों को किस प्रकार समझाएंगे कि विभिन्न व्यवसायों में अधिक वर्तुल अंतर विद्यमान नहीं प्राप्त करते हैं?**  
**How do you explain the fact that labour in different occupations earns strikingly different rates of wages?**
- 22 महिलाओं की मजदूरी प्रायः दुष्टों की मजदूरी से कम क्यों होती है?**  
**Why are generally female workers paid lower wages than male workers?**
- 23 “मजदूरी में अन्तर होना व्यावसायिक है और इसका कार्य महत्वपूर्ण है।” विवेचन कीजिए।** (1974)  
**“Wage differentials have a sound justification and perform an important function” Discuss**
- 24 मजदूरियों में अन्तर के कारण बताइए। किसी समाज में मजदूरों के बनतर बने रहने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है?**  
**What are the causes of differences in wages? Why do wage differentials tend to persist in any society?**
- 25 यह बहुत आवश्यक नहीं कि धौधारिक अनिकों को कार्यकुण्डला पर जीवन-स्तर का बढ़ा प्रभाव होता है।**  
**इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत में अधिकों के नीचे जीवन-स्तर के कारणों की बताइए तथा इसे व्युत्पादने के उपयोग बताइए।** (1976)  
**“It goes without saying that the standard of living has got a great influence on the efficiency of the industrial workers”**  
**Discuss this statement Point out the causes of low standard of living of workers in India and suggest measures to raise it.**
- 26 न्यूनतम वेतन के विचार को समझाइए। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वे लिए बदा मानक (norms) होने चाहिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी व्यवित्रियम के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कीजिए।** (1976)  
**Explore the concept of Minimum Wages What should be the norms of fixing Minimum Wages Discuss the salient features of the Minimum Wages Act in India**
- 27 “भुगतान के दोनों तरीकों का वर्द्धित समयानुसार मजदूरी तथा कार्यानुसार मजदूरी की उत्पत्ति, उत्पादन तात्परी तथा अधिकों दी आप पर सर्व स्पष्ट स्पष्ट से निर्द-नियन्त्र प्रभाव पहता है।”**  
**इन वाचन के बास्तव पर वेतन भुगतान के दोनों तरीकों के अपने-आने गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।**

Both methods of payment i.e., time-wages and piece wages differ markedly in their effects on output costs of production and workers' earnings." In the light of this statement discuss the respective merits and demerits of both methods of payment of wages.

28 यह विविध दस्तकों के लिये विभिन्न उद्योगों के बीच अमर वो छाप एवं गृहि ये असमुच्चय होते हीन स भारत विभाग है—समझाइए। (1976)

Explain the factors which are responsible for the disequilibrium in the demand for labour and supply of labour between different regions and different industries of an underdeveloped country.

29 अमिकों के 'गोपन' के नाम से सभी राजियों तथा उन परिस्थितियों को बताइए जब यह गोपन किया जा सकता है। किंतु दस्तकों व्यवस्था में इस गोपन के उपरान्त होते हुए काफ़ा दीनिए। (1976)

Define the concept of exploitation of labour and explain the conditions under which it may occur. Suggest remedies to eradicate this exploitation from the economy of a country.

30 भारत में प्रचलित मजदूरी भूगतान की पद्धतियों का आनोखात्मक विवेचन कीजिए। (1976)

Critically discuss the prevalent systems of wage payment in India.

31 मजदूरों प्रोत्साहन दोनों तात्पुरता समय किन किन तों का ध्यान रखना चाहिए ? या प्रोत्साहन अदायकी है या लाभ में दृष्टि रखता है ? व्याख्या दीनिए। (1973)

What principles should govern the introduction of an incentive payment plan ? Do incentive always lead to higher profit ? Explain.

32 लाभ भागीदारी के विद्यान्तों की व्याख्या दीनिए। वहीं तक ये सिद्धा तभारत के लिये रानुन में प्रदर्शित हैं ? व्याख्या दीनिए। (1973)

Explain the principles of profit sharing. How far are these reflected in the Payment of Bonus Act ? Discuss.

33 'लाभीय भूगतान (बोनस भूगतान) पद्धतियों अमिकों एवं सेवायोदको दोनों को ही प्रोत्साहन प्रदान करती है'—कथन वो समझाइए। (1976)

विकासशील अर्थव्यवस्था में लाभीय भूगतान की उपयोगिता का आनोखात्मक विवेचन कीजिए।

Explain that the bonus payment systems provide incentive to workers as well as to employers.

Critically discuss the utility of bonus payment in the case of developing economy.

34 'मजदूरी अमर की उत्पादकता से सम्बन्धित होनी चाहिए। एक विकासशील देश के आधिक विकास में उच्ची मजदूरी बाधक हो सकती है।' इसका व्याख्या दीनिए। (1973)

'Wages should be related to productivity. Economic development of a developing country is likely to be retarded by high wages.' Comment.

35 मजदूरी एवं उत्पादकता के आपसी सम्बन्ध को विवेचन कीजिए। अमर की उत्पादकता का वाप आप कैसे बताए ? (1976)

Discuss the relationship between wages and productivity ? How would you measure productivity of labour?

36 अमर उत्पादकता को प्रमाणित करने वाले प्रमुख आधिक एवं संस्थागत कारकों को बताइए। भारत में उत्पादन आपान्त्रिकीय विधि का प्रमाण औद्योगिक उत्पादकता पर केंद्र पड़ा है विविध। (1976)

State the main economic and institutional factors which affect labour productivity. Discuss the impact of the present emergency on the industrial productivity in India.

- 37 “उत्पादकता की उपेक्षा करते हुए यदि मजदूरी से बढ़ि की जाती है, तो ऐसा कार्य न केवल अर्थवानिक वरन् यह निकट दृष्टिकोण से भी गलत होगा ।”  
 उपरोक्त कथन को विवेचना कीजिए । (1975)  
 “It will be not only unscientific but also wrong in principle, if increase in wages are granted without any reference to productivity”. Discuss the statement.
- 38 सामन्वयिकता के मुद्दों को विवेचना कीजिए । नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों को प्रधारित करने पर उसका महत्व बढ़ाए ।  
 Discuss the merits of profit-sharing. Indicate its importance in regulating relations between employers and employees.
- Chapter 4 to 7**
- 39 अनेक अध्ययन इस दृष्टि से उदाहरण देते हैं दृढ़ राज्य द्वारा मजदूरी नियमन के लिये प्रकारों का वरीयता कोजिए । मजदूरी दर नियंत्रित करने में कोनसी सामान्य बातें ध्यान दे रखी जाती हैं ? (1974)  
 Examine the various forms of state regulation of wages with examples from the countries you have studied. What are the general considerations in fixing wage rates ?
- 40 विकास कर्म-व्यवस्था में पूर्ण रोबारी प्राप्त करने की एक मजदूरी नीति को सिफारिश कीजिए । (1974)  
 Recommend a wage policy for full employment in advanced economies
- 41 कानूनी मनूसण मजदूरी नियरित किन विद्वानों के आशाएँ पर होता चाहिए । कहाँ तक भारत में इसका अनुसरण होता है ? (1973)  
 Describe the principles that should normally govern the fixation of statutory minimum wages. Discuss how far are these observed in India.
- 42 एक विकासशील देश में मजदूरी नीति के द्वारा उद्देश्य होने चाहिए ? उन्हें प्राप्त करने में दुर्घटना बातें बाली कठिनाइयों का डलवेष्य कीजिए । भारतीय अनुभव से उदाहरण दीजिए । (1977)  
 What should be the objectives of wage policy in a developing country ? Discuss the difficulties which are faced in achieving them. Illustrate from Indian experience.
- 43 भारत के वादिक विकास की नीति को लोक फर्मे हेतु समूर्ण स्वस्य राष्ट्रीय मजदूरी नीति के महत्व को उल्लेखित कीजिए । (1976)  
 Discuss the importance of sound national wage policy for accelerating the economic development in India
- 44 भारत में हृषि मजदूरों की मजदूरी को सरकार द्वारा नियमित करने की आवश्यकता एवं उसके महत्व को समझाए । (1975)  
 Discuss the importance and need for State regulation of wages for agricultural workers in India
- 45 “भारत में रोजगार दफ्तरों ने अम की नियुक्तियों में होने वाले कुछ दोषों को दूर किया है । जो दोष रह गए हैं वे रोजगार केन्द्रों भी कमी क्षमा अकुपालता के कारण हैं ।” विवेचना कीजिए । (1971)  
 “Employment Exchange have removed some of the abuses associated with the recruitment of labour in India. Such of them as still persist are due to either inefficiency or inadequacy of the employment exchanges”. Discuss.
- 46 पाठ्य-वेरोजगार दफ्तरों के क्या कार्य हैं ? उनका काम मुद्याराने के लिए वास्तविक सुविधा दीजिए । (1973)  
 What are the functions of employment exchanges in India ? Give practical suggestions for improving their effectiveness.

## 354 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

- 47 रोबगार दस्तरों के लक्ष्य वाले होते हैं ? भारत में रोबगार दस्तरों के गठन एवं प्राप्तियों की विवेचना कीजिए। (1977)  
What are the functions of employment exchanges ? Discuss the organisation and achievements of employment exchanges in India
- 48 भारत में रोबगार दस्तरों के लक्ष्य वाला उपलब्धियों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। (1976)  
~~Write a critical note on the working and achievements of employment exchanges in India~~
- 49 एक राष्ट्रीय रोबगार देश के लक्ष्य वाले होते हैं ? अमेरिका में इस देश के उद्देश्य एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। (1976)  
What are the objectives of a National Employment Service ? Discuss its organisation and achievements in the U S A
- 50 यूनिवर्सल रोबगार की परिमापा दीजिए। यह मजदूरी दर में कटौती वेरोबगारी के निराशरण का उत्पाद माना जा सकता है ? समझाइए। (1976)  
Define full employment Explain whether reduction of wage rates can be regarded as a remedy for unemployment.
- 51 भारत में रोबगार सेवा व्यवस्था के लक्ष्य एवं उसकी उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। (1976)  
Comment on the functions and achievements of Employment Service Organisation in India
- 52 गहरी वेरोबगारी को समस्या के निराशरण हेतु भारत देश अमेरिका के रोबगार दस्तरों की भूमिका का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। (1976)  
Examine and compare the role of employment exchanges of India with that of America, in solving the urban unemployment problem.
- 53 जनसत्त्व-नियोजन के विवार की विवेचना कीजिए। तथा भारत में इसकी प्रयत्न का बगत दीजिए। (1977)  
Discuss the concept of manpower planning and describe its progress in India
- 54 भारत जैसी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी निर्धारण नीति के लक्ष्य व्यावस्थक तत्व होते चाहिए जबकि वेरोबगारी की सुमाया दृष्टि गम्भीर है ? (1973)  
What should be the essential elements of a wage policy in a developing economy like India where the unemployment problem is very acute ?
- 55 कृषि-धनियों को मजदूरी को प्रभावित करने वाले जापिक तथा गामाजिक तत्वों को बताइए। कृषि-धनियों वी मजदूरी तथा रहन-झुन की दशाओं में सुधार के लिए आप किस प्रकार के नियमों का संपर्यन करेंगे ? (1971)  
Point out the economic and social factors which affect agricultural wages. What type of legislation would you suggest for improving the wage and living conditions of agricultural workers?
- 56 किन दशाओं में सरकार को मजदूरी का नियमन करना चाहिए ? सरकार को किन तत्वों पर व्याप्ति देना चाहिए ? (1971)  
When is the State justified in regulating wages? What factors should it take into account?

- 57 जनगति नियोजन के विचार एवं उद्देशों की विवेचना हीजिए। इन नियोजन के स्थातरोंके हैं ? (1976)  
 Discuss the concept and objectives of manpower planning. What are its techniques?
- 58 एम शाकि नियोजन का लाभांश क्या है ? भारत के नियोजन कान में इसे कहाँ बता कर्यान्वयित हिया दिया है ? (1976)  
 What is Man Power Planning? How far has it been done in India during the plan period?
- 59 भारत में मनवूर भरती की प्रमुख वद्धतियों के गुण एवं दोषों को वर्णेण में लिखिए।  
 Describe in short the merits and demerits of different main methods of labour recruitment in India.
- 60 “मध्यस्थों द्वारा अभियों की भर्ती की वद्धति सदैव यम्भीर दोषों से दूक्त रही है फिर भी जाबर (Jobber) अभियों की नियुक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो स्वयं अनेक कार्य करता है।”  
 इस कथन की विवेचना हीजिए। (1975)  
 “The recruitment of labour through intermediaries has always been fraught with serious evils, but still the jobber is a very important person who combines in himself a formidable array of functions”.  
 Discuss this statement
- Chapter 8 to 10**
- 61 सामाजिक सुरक्षा के आर्थिक तथा सामाजिक औचित्यों की परीक्षा हीजिए। सामाजिक सुरक्षा इती देश की अर्थ-व्यवस्था को किम प्रकार प्रभावित करती है ? (1971)  
 Examine the economic and social justification of social security. How does social security affect the economy of a country as a whole ?
- 62 सामाजिक सुरक्षा के अर्थ तथा उसके आर्थिक औचित्य की विवेचना हीजिए। भारत में सामाजिक सुरक्षा का ज्ञा प्रावधान है यदि—  
 (a) एक व्यक्ति दुर्घटनाप्रस्त होता है, एवं  
 (b) एक स्त्री थृष्णक प्रूप हेतु जाती है। (1977)  
 Discuss the meaning and economic justification for social security. What social security provision exists in India if—  
 (a) a worker meets with an accident and  
 (b) a woman worker undergoes confinement ?
- 63 अंतिरिक्ष विद्या कम में सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान पर एकटिप्पनी लिखिए। (1977)  
 Write a note on the provision of social security either in the U. S. A. or in the U. S. S. R.
- 64 ‘सामाजिक सुरक्षा’ की परिभाषा दीजिए। सामाजिक सुरक्षा पद्धति के सम्बन्ध के लिए आधारभूत सिद्धान्त संज्ञेव में बतलाइए तथा उसको सीमा पर भी प्रकाश डालिए। Define the term ‘Social Security’ and briefly summarise the basic principles for the organisation of a social security system and point out its limitations.
- 65 ‘सामाजिक दोषा’ का क्या अर्थ है ? सामाजिक सुरक्षा के यह छिन जातों में ऐसा है ? सामाजिक दोषा का दोष, उद्देश्य तथा महत्व बतलाइए। What is meant by ‘Social Insurance’? How does it differ from Social Security? Clearly describe the scope, aims and social significance of Social Insurance.

## 356 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

- 66 सामाजिक बोमा तथा सामाजिक सहायता में अंतर वर्णन करें। सामाजिक सहायता किस परिस्थितियों में बहुतीय होती है।  
*Distinguish between Social Insurance and social assistance. Under what conditions is the latter advisable?*
- 67 भारत में मुख्य सामाजिक गुरुआदों को सूची दीजिए। उनसे व्या मुख्य विषयाएँ हैं? ये स्थीरों अद्वितीय व्यापरिकी स्थीरों से किस प्रकार भिन्न हैं? (1973)  
*List the principal social security schemes in India and describe their important features. In what respects do these differ from the schemes in U.S.A. and the U.K.?*
- 68 इंग्लैण्ड अवधा सोशलियट इसे में सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।  
*Write a detailed note on the provision of Social Security either in the U.K. or in the U.S.S.R.*
- 69 दो बौन से सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं जिन्हें अभी तक भारत में नहीं अपनाया गया है तथा जिन्हें इंग्लैण्ड में अपनाया गया है?  
 आरतीय व्यवस्थाएँ उनके महत्व पर प्रकाश रखिए। (1976)  
*What are those social security measures which have not yet been adopted in India but are adopted in England?*  
*State their importance in the Indian economy.*
- 70 “इंदूरोग में आर्थि एवं समृद्धि उस समय तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि मजदूर की आवश्यक आवश्यकताएँ, मानव होने के नाते, अनुच्छ रहती हैं।”  
 इस कथन की भारत के मजदूरों के निम्न रहन-सहन के सादर्भ में समझाइए। (1976)  
*“Industry cannot enjoy peace and prosperity so long as the elementary needs of the worker as a human being remain unsatisfied.”*  
 Discuss the statement with reference to the low standard of living of labourers in India.
- 71 अधिकों को इत्यागप्रद मुदियाएँ उपलब्ध कराने में मालिक, अधिक संघ एवं सरकार की घुसिका का उल्लेख कीजिए। भारत में इन मुदियाओं की प्रयोग की स्थिति समीक्षा कीजिए। (1975)  
*Explain the role of employers, trade unions, and government in providing labour welfare facilities. Briefly review the progress of these facilities in India.*
- 72 भारत में बोरोधिक अधिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का आवोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (1975)  
*Critically examine the scheme of social insurance for industrial workers in India.*
- 73 ‘भारतीय बोरोधिक केन्द्रों की हजारों वय-वर्षियों में मानवता को पशुबद्ध प्रतापित किया जाता है, महिलाओं के सतीत वा व्यष्टित किया जाता है एवं शिशुओं को आरम्भ से ही गोपित किया जाता है।’  
 इस कथन के प्रकाश में अधिकों के लील एवं कार्यालय पर गन्दो घनी वस्तियों के पहने वाले प्रसाद वा परोक्षण कीजिए। (1975)  
*“In the thousand slums of the Indian Industrial centres, manhood is brutalised, womanhood dishonoured and childhood poisoned at the very sources.”*  
 In the light of this statement examine the effect of congestion and urbanisation on the morals and efficiency of labourers.

74 इंग्लैण्ड में रोग बीमा योजना का बर्णन कीजिए। क्या भारत में सगड़िया थम के लिए ऐसी योजना प्रस्तावित की जा सकती है? यदि नहीं, तो किसी वैकल्पिक योजना की स्पष्टरेखा दीजिए।

Describe the procedure of 'Sickness Insurance' as it obtains in England. Can you put up a similar scheme for organised labour in India? If not, offer the outline of an alternative scheme.

75 सोशियल रुप में सामाजिक मुक्ति योजना को प्रभुत्व विभेदिताओं को विवेचना कीजिए। यह योजना अपने उद्देश्यों में वहाँ तक सफल हुई है?

Discuss carefully the distinctive features of the social security schemes prevalent in U.S.S.R. How far have they been successful in achieving their objectives?

76 अमेरिका में सामाजिक मुक्ति योजनाओं को प्रभुत्व विभेदिताओं को विवेचना कीजिए। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में ये कहाँ तक सफल हुई हैं?

Discuss carefully the distinctive features of the social security schemes in U.S.A. How far have they succeeded in achieving their objectives?

77 भारत में कैंटरी वार्क्स के इतिहास का संक्षिप्त विवाकलोकन कीजिए। कैंटरी अमिठी के द्वितीय की रक्षा के लिए और क्या उपाय करना चाहिए? ('71)

Briefly trace the history of factory legislation in India. What more should be done to protect the interests of the factory workers?

78 भारत में कैंटरी विधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। क्या आप इसमें सुधार हेतु युक्त सुझाव देते? (1976)

Discuss the salient features of the factory legislation in India. Would you suggest some improvements in it?

79 भारत में विभागीय कारबाही में इच्छा करते समय यमिठी को सिलने वाले कानूनी संरक्षण का विवरण बताइए। (1974)

Describe the nature of legal protection that workers in India get during working hours in large factories.

80 भारतीय वर्षों में प्रमुख-प्रमुख परिवर्तनों सहित भारत में कारबाहा अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास बताइए।

Give a brief history of the factory legislation in India pointing out the important changes made in recent years.

81 क्या भारतीय समवित में मार्कीनीय कारबाहा अधिनियम सन् 1948 में कुछ दोष हैं? यदि हैं, तो सुधार हेतु सुझाव दीजिए।

Do you feel that the Indian Factories Act 1948 is still defective in certain respects? If so, suggest lines of improvement.

82 “‘लाभ-प्राप्तियों का लक्ष्य गठनने, संवर्धन करने, संवर्धन के लिए वर्तमान वार्ता का व्यापक व्यवस्था की भावना एवं विधि में निहित है।’’ विवेचना कीजिए।

“Benefit accruing from labour legislation cannot be the number of laws on the Statute Book, but by the method and spirit of enforcement.” Discuss

83 धन-कल्याण के विचार एवं परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अमेरिका मुविधाओं के प्राप्तधान कुछ विसे उत्तरदायी रहकराता चाहिए और क्यों। (1977)

Discuss the concept and scope of ‘Labour Welfare’. Who should be made responsible for the provision of labour welfare facilities and why?

84 यह कार्यालय मुविधाओं के परियोग एवं प्रदूषक की विवेचना कीजिए। भारत में इन मुविधाओं के जुटाने में क्या प्रगति हुई है?

Discuss the scope and importance of labour welfare facilities. What progress has been made in India in providing these facilities?

85 भारत के औद्योगिक इन्डों में अधिकों के गृह-निवास की समस्या पर एक लेख लिखिए।  
(1976)

Write an essay on the housing problems of workers in industrial centres in India.

86 'बौद्धोगिक अधिकों के विवास की समस्या का समाधान हो सकता है यदि नियुक्तक उपा सरकार अपनी-अपनी विम्पलारी निभाने के लिए सहमत हो जाएँ। दोनों में से विशेष एक के लिए यह काय बहुत बड़ा है।' विवेचना कीजिए।  
(1971)

'The problem of industrial housing can be solved only if the employers and the government agree to discharge their respective responsibilities. The task is too big for only one of the two agencies.' Discuss

87 स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में औद्योगिक अधिकों के आवास के लिए यह प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए।  
(1974)

Assess the measures taken in India after Independence to provide housing for industrial workers.

88 'जब तक अधिकों को उसके काम के ननुसार अच्छा तथा मुविधाजनक मकान रहने के लिए नहीं मिलता, तब तक वह एकाग्रता से बाह्य नहीं कर सकता।' इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

Unless better housing and living conditions are provided to the labourer, he cannot work with full vigour." Give your views on this point.

89 भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक नगरों में औद्योगिक अधिकों की आवास व्यवस्था का विषय कीजिए। वत्सान व्यवस्था को आप कहीं तक सन्तोषजनक समझते हैं?

Describe fully the housing conditions of industrial workers in some of the industrial centres of India. How far do you think them to be satisfactory?

90 भारतीय औद्योगिक अधिकों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयों के विवरणात्मक, (i) के दीय तथा रास्य सरकारों, (ii) सेवायोजकों (iii) स्थानीय सत्याभावों तथा (iv) अस्य निवेदी एजेंसीज द्वारा विए गए प्रयासों का वालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the efforts made by the (i) Central and State Governments, (ii) Employers (iii) Local bodies and (iv) Other private agencies to overcome the housing difficulties of Indian industrial workers.

91 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संभिल टिप्पणी लिखिए—

(a) गन्दी बस्तियों की सफाई ✓

(b) मजदूरी एवं उत्पादकता

(c) भारत में कारणात्मक विधान

(d) मजदूरी बन्दर

(1977)

Write short notes on any two of the following :

(a) Slum clearance

(b) Wages and productivity

(c) Factory legislation in India

(d) Wage differentials

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विचार प्रकट कीजिए—

- (अ) 'श्रमिकों का बोखर' विद्वान् एक धर्म है।
  - (ब) 'बोनस भुग्नाने वालोंहान यजदूरी है।'
  - (स) 'श्रमिक दर में कटौती बेरोजगारी हटाने का उपाय नहीं है।'
  - (द) 'भालिकों हारा श्रम-कल्याण-कार्य एक विनियोजन है।'
- (1974)

Comment on any two of the following :

- (a) 'The theory of 'Exploitation of Labour' is a myth'
- (b) 'Bonus payment is an incentive wage'
- (c) 'Wage cuts are not a remedy for unemployment'
- (d) 'Labour welfare work by employers is an investment'

3 निम्न में से दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—

- (अ) भारत में कारबाही अविनियम ✓
- (ब) भारत में सावध-गति वायोजन
- (स) भालिकों हारा आयोजित अधिक कल्याण मुख्यालै
- (द) भारत में ओडीयिक श्रमिकों की व स्तरिक यजदूरी की प्रवृत्ति।

Write short notes on any two of the following :

- (a) Factory Legislation in India
- (b) Manpower Planning in India
- (c) Labour Welfare Facilities provided by Employers
- (d) Trend in the Real Wages of Industrial Workers in India

4 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखिए—

- (अ) सोरियत सन में सामाजिक मुरक्का की प्रवृत्ति विनेकार्य कीसी है ?
  - (ब) भारत ने कृषि-श्रमिकों की समस्याएँ कौनसी हैं ?
  - (स) किन दरिस्तियों पर धम-दरों में दृढ़ि का परिणाम बेरोजगारी नहीं होता ?
  - (द) श्रमिक-एचों को धम-कल्याण के कार्य स्थों करने चाहिए ?
  - (इ) भारत में रोजगारी सेवा संगठन के विरुद्ध कौनसी विवादते हैं ?
- (1974)

Attempt briefly any two of the following

- (a) What are the salient features of the social security in the U S S R ?
- (b) What are the problems of agricultural workers in India ?
- (c) When will the increase in wages not lead to unemployment ?
- (d) Why should the trade unions undertake labour welfare activities ?
- (e) What are the complaints against Employment Exchanges in India ?

5 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (अ) भारत में जनशक्ति नियोजन
- (ब) भारत में ओडीयिक आवास
- (स) भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा एवं उक्की की विकासना
- (इ) सामाजिक मुरक्का की वित्तीय व्यवस्था ।

Write short notes on any two of the following :

- (a) Manpower Planning in India.
- (b) Industrial Housing in India.
- (c) National Employment Service and Technical Training in India
- (d) Financing of Social Security.

## 360 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

358	96 निम्नलिखित में से दो ही दो पर संशयपूर्ण टिप्पणियाँ लिखिए— (अ) अमेरिका में सरकार द्वारा मजदूरी विनियमन। (ब) भारत में कृषि धर्मिकों की मजदूरी। (स) भारत में महिला-धर्मिकों की मजदूरी।
84 ५ के ८ ८ ०८ -	Write brief notes on any two of the following (a) State regulation of wages in the U. S. A. (b) Wages of agricultural workers in India (c) Wages of women workers in India
86	97 दो ही पर टिप्पणियाँ लिखिए— (अ) अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा। (ब) सामाजिक धर्म विधान विधाय। (स) श्रीदीनिक उत्पादकता। (द) उचित मजदूरी।
87	Write notes on any two of the following (a) Social Security in America (b) General labour welfare activities (c) Industrial productivity (d) Fair wages
88	98 दो ही पर टिप्पणियाँ लिखिए— (अ) धर्मिकों का लोपण (ब) धर्मिक राज बीमा अधिनियम 1948 (स) लासर्टि (बोनस) मूलधन की उपादेयता (द) आबद द्वारा धर्मिकों की भरती
89	Write notes on any two of the following (a) Exploitation of labour (b) Employees State Insurance Act 1948 (c) Utility of bonus payment (d) Recruitment of labour by Jobber
90	

